

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की


अनुक्रमणिका

खंड १६२

सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

से

शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५ तक



मुद्रक :
प्रवीणक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री (लखनऊ), उत्तर प्रदेश, भारत ।
१९५६

मूल्य; बिना महसूल ४ आने, महसूल सहित ५ आने ।
वार्षिक पन्दा; बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये ।

विषय-सूची

सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१-४
प्रश्नोत्तर	५-२१
आगामी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में पृच्छताछ	२१
उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४ -- (पारित)	२१-२५
उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि विधेयक, १९५५ -- (पुरःस्थापित किया गया)	२५
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उप-मन्त्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५ -- (पुरःस्थापित किया गया)	२५
उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ -- (विचार जारी)	२५-६७
नत्थियां	६८-८५

मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

उपस्थित सदस्यों की सूची	८७-९०
प्रश्नोत्तर	९१-१११
बांदा जिले के बबेरु थाने में हुई ज्यादाती के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अबंध घोषित)	१११-११२
१४ दिसम्बर, १९५५ को सूर्य-ग्रहण की छुट्टी के लिये प्रार्थना	११२
कार्य-स्थगन प्रस्तावों के लिए सप्ताह में एक दिन नियत करने का सुझाव	११२
उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ (विचार जारी)	११२-१२५
१४ दिसम्बर, १९५५ को सूर्य-ग्रहण की छुट्टी के लिये प्रार्थना	१२५
उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ (विचार जारी)	१२५-१५५
सूर्य-ग्रहण को उपलक्ष्य में छुट्टी की सूचना	१५५
नत्थियां	१५६-१६४

बृहस्पतिवार, १५ दिसम्बर, १९५५

उपस्थित सदस्यों की सूची	१६५-१६८
प्रश्नोत्तर	१६९-१८८
नीलामी के बाद पडरौना चीनी मिल की बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अबंध घोषित)	१८८-१८९

विषय	पृष्ठ-संख्या
कानपुर जिले में ग्राम-पंचायतों के निर्वाचन में कथित अनियमितताओं विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अवैध घोषित) .	१८६-१९०
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की अधिकता को रोकने की दृष्टि से अल्प-सूचिन प्रश्नों के सम्बन्ध में अधिक सुविधाएँ देने का सुझाव . .	१९०-१९२
उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ (विचार जारी)	१९२-२३८
नखिया	२३६-२४८

शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

उपस्थित सदस्यों की सूची	२४६-२५२
प्रश्नोत्तर	२५३-२६७
कामरोको प्रस्ताव का स्थगन	२६७
अल्पसूचिन तागकित प्रश्नों का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत . .	२६७-२६८
प्रश्नों का गलत उत्तर देने पर आपत्ति	२६८
श्री राजनारायण द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना . .	२६८-२६९
अमरकारी दिवस में सरकारी कार्य करने के विरोधस्वरूप श्री राज नारायण द्वारा सभा-त्याग	२६९-२७०
उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ (विचारोपरान्त पारित)	२७०-२९१
इंडियन फारेन्स (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५ (प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया)	२९१-३१६

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी

मंत्रि-परिषद्

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान सभा-सदस्य, मुख्य मंत्री, तथा सामान्य प्रशासन एवं गृह मन्त्री ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, वन, वन, सहकारिता तथा विद्युत मन्त्री ।

श्री हकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, कृषि तथा पुनर्वासन मन्त्री ।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, विधान सभा-सदस्य, रजिस्ट्रेशन तथा मादक-कर मन्त्री ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, नियोजन, स्वास्थ्य, उद्योग तथा अन्न मन्त्री ।

श्री सैयद अली जहीर, बार-एट-ला, विधान सभा-सदस्य, न्याय तथा स्वशासन मन्त्री ।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, माल तथा परिवहन मन्त्री ।

श्री हरगोविन्द सिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मन्त्री ।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान सभा-सदस्य, सूचना तथा सिंचाई मन्त्री ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान सभा-सदस्य, निर्माण मन्त्री ।

आचार्य जुगलकिशोर, एम० ए०, विधान सभा-सदस्य, श्रम तथा समाज-कल्याण मन्त्री ।

उप-मन्त्री

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, महकारिता उपमन्त्री ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, वन उपमन्त्री ।

श्री फूलसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, नियोजन उपमन्त्री ।

श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, पुलिस उपमन्त्री ।

श्री मुजफ्फर हसन, विधान सभा-सदस्य, कारावास उपमन्त्री ।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, सिंचाई उपमन्त्री ।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, माल उपमन्त्री ।

डाक्टर सीताराम, एम० एस०-सी० (विस), पी-एच० डी०, विधान सभा-सदस्य, शिक्षा उपमन्त्री ।

श्री कैलाशप्रकाश, विधान सभा-सदस्य, स्वशासन उपमन्त्री ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, विधान सभा-सदस्य, निर्माण उपमन्त्री ।

सभा सचिव

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान-सभा सदस्य ।

नियोजन मंत्री के सभा सचिव

१—श्री बलदेव सिंह ग्राय, विधान-सभा सदस्य ।

२—श्री बनारसीदास, विधान सभा सदस्य ।

कृषि मन्त्री के सभा सचिव

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी, एम० ए०, विधान सभा सदस्य ।

सूचना मन्त्री के सभा सचिव

श्री लक्ष्मीशंकर यादव, विधान सभा सदस्य ।

वित्त मन्त्री के सभा सचिव

श्री धर्म सिंह, विधान सभा सदस्य ।

श्रम मन्त्री के सभा सचिव

श्री परमात्मानन्द सिंह, विधान परिषद सदस्य ।

सदस्यों की व्यक्तिगत सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

अस सं० सदस्य का नाम

निर्वाचन-क्षेत्र

- १—अंसमान सिंह, श्री
- २—अक्षयवर सिंह, श्री
- ३—अजीज इमाम, श्री
- ४—अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
- ५—अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
- ६—अब्दुल मुईज खां, श्री
- ७—अब्दुल रऊफ खां, श्री
- ८—अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री
- ९—अमृतनाथ मिश्र, श्री
- १०—अली जहीर, श्री संयद
- ११—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
- १२—अवधेश प्रताप सिंह, श्री
- १३—अशरफ अली खा, श्री
- १४—आत्माराम गोविन्द खेर, श्री
- १५—आर्थर ग्राडस, श्री
- १६—आशालता व्यास, श्रीमती
- १७—इतिजा हुसैन, श्री
- १८—इसरारुल हक, श्री
- १९—इस्तफा हुसैन, श्री
- २०—उदयभान सिंह, श्री
- २१—उमाशंकर, श्री
- २२—उमाशंकर तिवारी, श्री
- २३—उमाशंकर मिश्र, श्री
- २४—उम्मेद सिंह, श्री
- २५—उल्फतमिह चौहान निभय, श्री
- २६—ऐजाज रसूल, श्री
- २७—ओंकार सिंह, श्री
- २८—कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
- २९—कमलापति त्रिपाठी, श्री
- ३०—कमलासिंह, श्री
- ३१—कमाल अहमद रिजवी, श्री
- ३२—करण सिंह यादव, श्री
- ३३—करनसिंह, श्री
- ३४—कल्याणचन्द मोहिले उपनाम
छुन्न गुं, श्री
- ३५—कल्याण राय, श्री
- ३६—कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
- ३७—कालिका सिंह, श्री
- ३८—कालीचरण टंडन, श्री
- ३९—काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री

- बस्ती (पूर्व)
- गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
- मिर्जापुर (दक्षिण)
- रुडकी (दक्षिण)
- फतेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)
- खलीलाबाद (मध्य)
- फतेहपुर (पूर्व)—खागा (उत्तर)
- मिर्जापुर (उत्तर)
- उतरौला (दक्षिण)
- लखनऊ नगर (मध्य)
- छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
- बीकापुर (पूर्व)
- सादाबाद (पूर्व)
- जाम्नी (पूर्व)
- नाम-निर्देशित आंगल भारतीय
फूलपुर (दक्षिण)
- बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
- फिरोजाबाद—फतेहाबाद
- गोरखपुर (मध्य)
- डलमऊ (पूर्व)
- सगरी (पश्चिम)
- चन्दौली (दक्षिण-पश्चिम)—रामनगर
- नवाबगज (दक्षिण)—हेदरगढ़—रामसनेही घाट
- उतरौला (उत्तर पूर्व)
- ऐतमादपुर—आगरा (पूर्व)
- शाहाबाद (पश्चिम)
- दातागंज (उत्तर)—बदायूं
- शाहाबाद (पूर्व)—हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
- चकिया—चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
- सैदपुर
- मोहमदी (पूर्व)
- गुन्नौर (उत्तर)
- निघासन—लखीमपुर (उत्तर)
- इलाहाबाद नगर (मध्य)
- हजूर मिलक (उत्तर)
- चन्दौली (उत्तर)
- लालगंज (दक्षिण)
- कन्नौज (उत्तर)
- कादीपुर

क्रम-सं० सदस्य का नाम

निर्वाचन-क्षेत्र

४०—किन्दरलाल, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
४१—किशन स्वरूप भटनागर, श्री	..	खुरजा
४२—कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री	..	सुल्तानपुर (पश्चिम)
४३—कृपाशंकर, श्री	..	हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)
४४—कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	..	सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)
४५—कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री	..	ललितपुर (दक्षिण)
४६—कृष्ण शरण आर्य, श्री	..	मिलक (दक्षिण)—शाहाबाद
४७—केदारनाथ, श्री	..	मुरादाबाद (दक्षिण)
४८—केवलसिंह, श्री	..	सिकन्दराबाद (पूर्व)
४९—केशभान राय, श्री	..	बांसगांव (मध्य)
५०—केशव गुप्त, श्री	..	केराना (उत्तर)
५१—केशव पाण्डेय, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
५२—केशवराम, श्री	..	सहसवान (पूर्व)
५३—कैलाश प्रकाश, श्री	..	मेरठ नगरपालिका
५४—खयाली राम, श्री	..	अमरोहा (पूर्व)
५५—खुशीराम, श्री	..	पिथौरागढ़—चम्पावत
५६—खूबसिंह, श्री	..	धामपुर (उत्तर-पूर्व)—नगीना (पूर्व)
५७—गंगाधर जाटव, श्री	..	फीरोजाबाद—फतेहाबाद
५८—गंगाधर मंठाणी, श्री	..	चमोली (पश्चिम)—पौड़ी (उत्तर)
५९—गंगाधर शर्मा, श्री	..	मिश्रिख
६०—गंगाप्रसाद, श्री	..	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)—गोंडा (दक्षिण)
६१—गंगाप्रसाद सिंह, श्री	..	रसरा (पश्चिम)
६२—गजेन्द्र सिंह, श्री	..	विधुना (पूर्व)
६३—गज्जूराम, श्री	..	मऊ-मोठ (दक्षिण)—झांसी (पश्चिम)
		ललितपुर (उत्तर)
६४—गणेशचन्द्र काछी, श्री	..	मैनपुरी (उत्तर)—भोगांव (उत्तर)
६५—गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	..	इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६६—गणेश प्रसाद पाण्डेय, श्री	..	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
६७—गिरजारमण शुक्ल, श्री	..	पट्टी (दक्षिण)
६८—गिरधारी लाल, श्री	..	धामपुर (उत्तर-पूर्व)—नगीना (पूर्व)
६९—गुप्तार सिंह, श्री	..	डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम)
७०—गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री	..	खजुहा (पश्चिम)
७१—गुरुप्रसाद सिंह, श्री	..	मुसाफिरखाना (दक्षिण)—अमेठी (पश्चिम)
७२—गुलजार, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)
७३—गोदासिंह, श्री	..	पडरौना (पूर्व)
७४—गोपीनाथ दीक्षित, श्री	..	इटावा (दक्षिण)
७५—गोवर्धन तिवारी, श्री	..	अल्मोड़ा (दक्षिण)
७६—गौरीराम, श्री	..	फर्रुदा (मध्य)
७७—घनश्यामदास, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़-रामसनेही घाट
७८—घासीराम जाटव, श्री	..	बिधुना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर)—
		इटावा (उत्तर)
७९—चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	उरई—जालौन (दक्षिण)
८०—चन्द्रभानु गुप्त, श्री	..	लखनऊ नगर (पूर्व)

क्रम-सं० सदस्य का नाम

निर्वाचन-क्षेत्र

८१--चन्द्रवती, श्रीमती	.	बिजनोर (मध्य)
८२--चन्द्रसिंह रावत, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
८३--चन्द्रहास, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
८४--चरण सिंह, श्री	..	बागपत (पश्चिम)
८५--चित्तर सिंह निरंजन, श्री	..	कोच
८६--चिरंजीलाल जाटव, श्री	.	जलेमर-एटा (उत्तर)
८७--चिरंजीलाल पालीवाल, श्री	..	छिबरामऊ (दक्षिण)-कन्नौज (दक्षिण)
८८--चुन्नीलाल सगर, श्री	.	बिसोली-गुन्नौर (पूर्व)
८९--छेदालाल, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
९०--छेदालाल चौधरी, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
९१--जगतनारायण, श्री	.	नवाबगज (उत्तर)
९२--जगदीश प्रसाद, श्री	..	हसनपुर (दक्षिण)-सम्भल (पश्चिम)
९३--जगदीश सरन, श्री	..	बरेली नगरपालिका
९४--जगदीशसरन रस्तोगी, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
९५--जगनप्रसाद रावत, श्री	.	खरगढ
९६--जगन्नाथ प्रसाद, श्री	.	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
९७--जगन्नाथबख्श दास, श्री	.	रामसनेही घाट
९८--जगन्नाथ मल्ल, श्री	..	पडरौना (उत्तर)
९९--जगन्नाथ सिंह, श्री	..	बलिया (उत्तर-पूर्व)-बासडीह (दक्षिण-पश्चिम)
१००--जगपति सिंह, श्री	..	मऊ-करबी-बबेरू (पूर्व)
१०१--जगमोहन सिंह नेगी, श्री	..	लन्सडाउन (पश्चिम)
१०२--जटाशंकर शुक्ल, श्री	..	पुरवा (उत्तर)-हसनगज
१०३--जयपाल सिंह, श्री	..	रडकी (पश्चिम)-सहारनपुर (उत्तर)
१०४--जयराम वर्मा, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
१०५--जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	खेन-टेहरी (उत्तर)
१०६--जवाहरलाल, श्री	..	करछना (उत्तर)-चायल (दक्षिण)
१०७--जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	..	कानपुर नगर (पूर्व)
१०८--जुगलकिशोर, श्री	..	मथुरा (दक्षिण)
१०९--जोरावर वर्मा, श्री	..	महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
११०--ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री	..	गोडा (पश्चिम)
१११--झारखंडे राय, श्री	..	घोसी (पश्चिम)
११२--टीकाराम, श्री	..	सडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
११३--डल्लाराम, श्री	..	मिश्रिख
११४--डालचन्द, श्री	..	माट-सादाबाद (पश्चिम)
११५--ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
११६--तिरमल सिंह, श्री	..	कासगज (उत्तर)
११७--तुलाराम, श्री	..	ओरया-भरथना (दक्षिण)
११८--तुलाराम रावत, श्री	..	मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
११९--तेजपाल सिंह, श्री	..	मौदहा (दक्षिण)
१२०--तेज बहादुर, श्री	..	लालगज (उत्तर)
१२१--तेजासिंह, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२२--त्रिलोकीनाथ कौल, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)

अ-मं० सदस्य का नाम

निर्वाचन-क्षेत्र

	। भगत, श्री	..	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
१२४-	-दर्शनराम, श्री	..	मऊ-फरकी-बबेरू (पूर्व)
१२५-	-दलबहादुर सिंह, श्री	..	सलोन (दक्षिण)
१२६-	-दाऊदयाल खन्ना, श्री	..	मुरादाबाद (उत्तर)
१२७-	-दानाराम, श्री	..	नकुड़ (दक्षिण)
१२८-	-दीनदयालु शर्मा, श्री	..	अनूपशहर (उत्तर)
१२९-	-दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	रडकी (पूर्व)
१३०-	-दीपनारायण वर्मा, श्री	..	जौनपुर (पश्चिम)
१३१-	-देवकीनन्दन विभव, श्री	..	आगरा
१३२-	-देवदत्त मिश्र, श्री	..	पुरवा (दक्षिण)
१३३-	-देवदत्त शर्मा, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)-अनूपशहर (दक्षिण)
१३४-	-देवनन्दन शुक्ल, श्री	..	सलीमपुर (पश्चिम)
१३५-	-देवमूर्ति राम, श्री	..	बनारस (पश्चिम)
१३६-	-देवराज, श्री	..	सदपुर
१३७-	-देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री	..	गोरखपुर (पश्चिम)
१३८-	-द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री	..	मुजफ्फरनगर (मध्य)
१३९-	-द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री	..	सरियाहं (उत्तर)
१४०-	-द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री	..	फरेवा (दक्षिण)
१४१-	-धनषधारी पाण्डेय, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
१४२-	-धर्मसिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)-अनूपशहर (दक्षिण)
१४३-	-धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	बहेड़ी (दक्षिण-पश्चिम)-बरेली (पश्चिम)
१४४-	-नत्थूसिंह, श्री	..	आवला (पूर्व)-फरीदपुर
१४५-	-नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री	..	हाथरस
१४६-	-नरदेव शास्त्री, श्री	..	पश्चिमीय दून-दक्षिण पूर्वीय दून
१४७-	-नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	पिथौरागढ़-चम्पावत
१४८-	-नरोत्तम सिंह, श्री	..	दातागंज (दक्षिण)-बदायूं (दक्षिण-पूर्व)
१४९-	-नवल किशोर, श्री	..	आवला (पश्चिम)
१५०-	-नागेश्वर द्विवेदी, श्री	..	मछलीशहर (उत्तर)
१५१-	-नाझिमअली, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)-सल्तानपुर (उत्तर)
१५२-	-नारायणदत्त तिवारी, श्री	..	नैनीताल (उत्तर)
१५३-	-नारायणदास, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)
१५४-	-नारायणदीन वाल्मीकि, श्री	..	पुवायां-शाहजहांपुर (पूर्व)
१५५-	-निरंजन सिंह, श्री	..	पीलीभीत (पूर्व)-बीसलपुर (पश्चिम)
१५६-	-नेकराम शर्मा, श्री	..	सिकन्दराराव (दक्षिण)
१५७-	-नेत्रपाल सिंह, श्री	..	सिकन्दराराव (उत्तर)-कोडल (दक्षिण-पूर्व)
१५८-	-नौरंगलाल, श्री	..	नवाबगंज
१५९-	-पद्मनाथ सिंह, श्री	..	मुहम्मदाबाद-गोहना (दक्षिण)
१६०-	-परमानन्द सिन्हा, श्री	..	सौराब (दक्षिण)
१६१-	-परमेश्वरी दयाल, श्री	..	केराकट-जौनपुर (दक्षिण)
१६२-	-परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	..	महाराजगंज (उत्तर)
१६३-	-पहलवान सिंह चौधरी, श्री	..	बांदा
१६४-	-पातीराम, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)-फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६५-	-पुतूलाल, श्री	..	एतमादपुर-आगरा (पूर्व)

क्र०-सं० सदस्य का नाम

निर्वाचन-क्षेत्र

- १६६—पुहनराम, श्री
 १६७—पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
 १६८—प्रकाशवती सूद, श्रीमती
 १६९—प्रतिपाल सिंह, श्री
 १७०—प्रभाकर शुक्ल, श्री
 १७१—प्रभुदयाल, श्री
 १७२—प्रेमकिशन खन्ना, श्री
 १७३—फजलुल हक, श्री
 १७४—फतेह सिंह राणा, श्री
 १७५—फूलसिंह, श्री
 १७६—ब्रह्मीनारायण मिश्र, श्री
 १७७—बनारसी दास, श्री
 १७८—बलदेव सिंह, श्री
 १७९—बलदेव सिंह, श्री
 १८०—बलदेव सिंह आर्य, श्री
 १८१—बलवीर सिंह, श्री
 १८२—बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
 १८३—बलवन्त सिंह, श्री
 १८४—बशीर अहमद हकीम, श्री
 १८५—बसन्तलाल, श्री
 १८६—बसन्तलाल शर्मा, श्री
 १८७—बाबूनन्दन, श्री
 १८८—बाबूराम गुप्त, श्री
 १८९—बाबूलाल कुसुमेश, श्री
 १९०—बाबूलाल मित्तल, श्री
 १९१—बालन्दुशाह, महाराजकुमार
 १९२—बि.शम्बर सिंह, श्री
 १९३—बेचनराम, श्री
 १९४—बेचनराम गुप्त, श्री
 १९५—बेनीसिंह, श्री
 १९६—बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
 १९७—बैजूराम, श्री
 १९८—ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
 १९९—भगवतीदीन तिवारी, श्री
 २००—भगवती प्रसाद दुबे, श्री
 २०१—भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
 २०२—भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
 २०३—भगवान सहाय, श्री
 २०४—भीमसेन, श्री
 २०५—भुवर जी, श्री
 २०६—भूपाल सिंह खाती, श्री
 २०७—भूगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
 २०८—भौलासिंह यादव श्री

- बांसी (उत्तर)
 लखनऊ नगर (पश्चिम)
 हापुड़ (उत्तर)
 शाहजहांपुर (पश्चिम)-जन्नालाबाद (पूर्व)
 हरिया (उत्तर-पश्चिम)
 बस्ती (पश्चिम)
 पवायां-शाहजहांपुर (पूर्व)
 रामपुर नगर
 सरधना (पश्चिम)
 देवबन्द
 सलीमपुर (दक्षिण)
 बुलन्दशहर (मध्य)
 तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)-गोडा (दक्षिण)
 बनारस (मध्य)
 पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
 गाज़ियाबाद (दक्षिण)
 उतरौला (उत्तर)
 मुजफ्फरनगर (पूर्व)-जानसठ (उत्तर,
 सीतापुर (पूर्व)
 कालपी-जालौन (उत्तर)
 नानपारा (उत्तर)
 शाहगंज (पूर्व)
 कासगंज (पश्चिम)
 रामसनेही घाट
 आगरा नगर (उत्तर)
 ढेहरी (दक्षिण)-प्रतापगढ़
 सरधना (पूर्व)
 ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
 ज्ञानपुर (पूर्व)
 कानपुर तहसील
 बांसडीह (मध्य)
 सिधौली (पश्चिम)
 कानपुर नगर (दक्षिण)
 जौनपुर (उत्तर)-शाहगंज (पश्चिम)
 बांसगांव (पूर्व)-गोरखपुर (दक्षिण)
 प्रतापगढ़ (पूर्व)
 फतेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)
 तिलहर (दक्षिण)
 खुर्जा
 फूलपुर (पूर्व)-हंडिया (उत्तर-पश्चिम)
 अल्मोड़ा (उत्तर)
 बांसगांव (दक्षिण-पूर्व)
 गाज़ीपुर (दक्षिण-पश्चिम)

क०-सं० सदस्य का नाम

निर्वाचन-क्षेत्र

२०६—मकसूद आलम खां, श्री	..	पीलीभीत (पश्चिम)
२१०—मंगला प्रसाद, श्री	..	मेजा-करछना (दक्षिण)
२११—मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री	..	फर्रुखाबाद (पश्चिम)-छिब्रामऊ
२१२—मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	..	बासी (उत्तर)
२१३—मदनगोपाल वैद्य, श्री	..	फर्रुखाबाद (पूर्व)
२१४—मदनमोहन उपाध्याय, श्री	..	रानीखेत (उत्तर)
२१५—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री	..	महोवा-कुलपहाड़-चरखारी
२१६—मलखान सिंह, श्री	..	कोइल (मध्य)
२१७—महमूद अली खां, श्री	..	सुमर-टांडा-बिलासपुर
२१८—महमूद अली खां, श्री	..	सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)-नकुड (उत्तर)
२१९—महादेव प्रसाद, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
२२०—महाराज सिंह, श्री	..	शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२१—महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री	..	हंडिया (दक्षिण)
२२२—महावीर प्रसाद श्रीवास्तव श्री	..	मोहनलालगंज
२२३—महावीर सिंह, श्री	..	हाटा (उत्तर)-देवरिया
२२४—महोलाल, श्री	..	बिलारी
२२५—मान्धाता सिंह, श्री	..	रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२२६—मि जाजीलाल, श्री	..	करहल (पूर्व)-भोगांव (दक्षिण)
२२७—मिहरबान सिंह, श्री	..	बिधूना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर)- इटावा (उत्तर)
२२८—मुजफ्फर हसन, श्री	..	चायल (उत्तर)
२२९—मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री	..	परनपुर-बीसलपुर (पूर्व)
२३०—मुन्नुलाल, श्री	..	बिसवां-सिधौली (पूर्व)
२३१—मुरलीधर कुरील, श्री	..	बिल्हौर-अकबरपुर
२३२—मुस्ताक अली खां, श्री	..	सहसवान (पश्चिम)
२३३—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री	..	डुमरियागंज (दक्षिण)
२३४—मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री	..	बिजनौर (उत्तर)-नजीबाबाद (पश्चिम)
२३५—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	..	बनारस नगर (उत्तर)
२३६—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज	..	नगीना (दक्षिण-पश्चिम)-धामपुर (उत्तर- पूर्व)
२३७—मुहम्मद तक्रो हादी, श्री	..	अमरोहा (पश्चिम)
२३८—मुहम्मद नबी, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)-जानसठ (दक्षिण)
२३९—मुहम्मद नसीर, श्री	..	टांडा
२४०—मुहम्मद फारूक चिशती, श्री	..	देवरिया (उत्तर-पूर्व)
२४१—मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री	..	सहारनपुर नगर
२४२—मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री	..	मछलीशहर (दक्षिण)
२४३—मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री	..	उतरौला (मध्य)
२४४—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा	..	नानपारा (दक्षिण)
२४५—मुहम्मद सुलत अघमी, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर-पूर्व) बांसी (पश्चिम)
२४६—मोहनलाल, श्री	..	सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
२४७—मोहनलाल गौतम, श्री	..	खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२४८—मोहनसिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर-पूर्व)
२४९—मोहनसिंह शाक्य, श्री	..	अलीगंज (दक्षिण) ।

क्र०-सं० सदस्य का नाम

निर्वाचन-क्षेत्र

२५०—यमुना प्रसाद, श्री	..	बहाराइच (पश्चिम)
२५१—यमुना सिंह, श्री	..	गाजीपुर (मध्य)-मुहम्मदाबाद (उत्तर-पश्चिम)
२५२—यशोदा देवी, श्रीमती	..	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
२५३—रघुनाथ प्रसाद, श्री	..	मेजा-करछना (दक्षिण)
२५४—रघुराज सिंह, श्री	..	तरबगंज (पश्चिम)
२५५—रघुबीर सिंह, श्री	..	बागपत (दक्षिण)
२५६—रणजय सिंह, श्री	..	श्रमेठी (मध्य)
२५७—रतनलाल जैन, श्री	..	नजीबाबाद (उत्तर)-नगीना (उत्तर)
२५८—रमानाथ खेरा, श्री	..	महरौनी
२५९—रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	..	मरियाहूं (दक्षिण)
२६०—रमेश वर्मा, श्री	..	किराउली
२६१—राधवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा	..	उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६२—राजकिशोर राव, श्री	..	बहाराइच (पूर्व)
२६३—राजकुमार शर्मा, श्री	..	चुनार (उत्तर)
२६४—राजनारायण, श्री	..	बनारस (दक्षिण)
२६५—राजनारायण सिंह, श्री	..	चुनार (दक्षिण)
२६६—राजवंशी, श्री	..	पडराना (दक्षिण-पश्चिम)-देवरिया (दक्षिण-पूर्व)
२६७—राजाराम, श्री	..	श्रतरौली (दक्षिण)-कोइल (पूर्व)
२६८—राजाराम किसान, श्री	..	प्रतापगढ़ (पश्चिम)-कुन्डा (उत्तर)
२६९—राजाराम मिश्र, श्री	..	फंजाबाद (पश्चिम)
२७०—राजाराम शर्मा, श्री	..	खलीलाबाद (उत्तर)
२७१—राजेन्द्रदत्त, श्री	..	मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
२७२—राजेश्वर सिंह, श्री	..	बदायूं (दक्षिण-पश्चिम)
२७३—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री	..	बिलग्राम (पूर्व)
२७४—राधामोहन सिंह, श्री	..	बलिया (पूर्व)
२७५—रामप्रधार तिवारी, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२७६—रामप्रधीन सिंह यादव, श्री	..	पुरवा (मध्य)
२७७—रामप्रनन्त पांडेय, श्री	..	बलिया (मध्य)
२७८—रामप्रवध सिंह, श्री	..	फरेदा (उत्तर)
२७९—रामकिंकर, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२८०—रामकुमार शास्त्री, श्री	..	बांसी (दक्षिण)
२८१—रामकृष्ण जंसवार, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
२८२—रामगुलाम सिंह, श्री	..	जलालाबाद (पश्चिम)
२८३—रामचन्द्र विकल, श्री	..	सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८४—रामचरणलाल गंगवार, श्री	..	बरेली (पश्चिम)
२८५—रामजीलाल सहायक, श्री	..	मवाना
२८६—रामजीसहाय, श्री	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
२८७—रामदास आर्य, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)-जानसठ (दक्षिण)

क०-सं० सदस्य का नाम

निर्वाचन-क्षेत्र

२८८—रामदास रविदास, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
२८९—रामदुलारे मिश्र, श्री	..	अकबरपुर (दक्षिण)
२९०—राम नरेश शुक्ल, श्री	..	कुन्डा (दक्षिण)
२९१—रामनारायण त्रिपाठी, श्री	..	अकबरपुर (पूर्व)
२९२—रामप्रसाद, श्री	..	रायबरेली—डलमऊ (उत्तर)
२९३—रामप्रसाद देशमुख, श्री	..	खैर—कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२९४—रामप्रसाद नाटियाल, श्री	..	लैन्सडाउन (पूर्व)
२९५—रामप्रसाद सिंह, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
२९६—रामबली मिश्र, श्री	..	सुल्तानपुर (पूर्व)-अमठा (पूर्व)
२९७—रामभजन, श्री	..	मोहमदा (पश्चिम)
२९८—राममूर्ति, श्री	..	बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)
२९९—रामरतन प्रसाद, श्री	..	रसर। (पूर्व)-बलिया। (दक्षिण-पश्चिम)
३००—रामराज शुक्ल, श्री	..	पट्टी (पूर्व)
३०१—रामलखन, श्री	..	चाकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०२—रामलखन मिश्र, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम)
३०३—रामलाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
३०४—रामवचन यादव, श्री	..	फुलपुर (दक्षिण)
३०५—रामशंकर द्विवेदी, श्री	..	रायबरेली—डलमऊ (उत्तर)
३०६—रामशंकर रवि.सी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
३०७—रामसनेही भारतीय, श्री	..	बबेरू (पश्चिम)
३०८—रामसहाय शर्मा, श्री	..	गरौधा मोठ (उत्तर)
३०९—रामसुन्दर पांडेय, श्री	..	घोसी (पूर्व)
३१०—रामसुन्दर राम, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
३११—रामसुभग वर्मा, श्री	..	पडरौना (पश्चिम)
३१२—रामसुमेर, श्री	..	टांडा
३१३—रामस्वरूप, श्री	..	दूधी-राबर्ट्सगंज
३१४—रामस्वरूप गुप्त, श्री	..	भोगनीपुर (पश्चिम)-डेर पुर (दक्षिण)
३१५—रामस्वरूप भारतीय, श्री	..	कुण्डा (दक्षिण)
३१६—रामस्वरूप मिश्र "विश.रद", श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३१७—रामहरख यादव, श्री	..	बीकापुर (पश्चिम)
३१८—रामहेत सिंह, श्री	..	छत्ता
३१९—रामेश्वर प्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३२०—रामेश्वरलाल, श्री	..	देवरिया (दक्षिण)
३२१—लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	नैनीताल (दक्षिण)
३२२—लक्ष्मण राव कदम, श्री	..	मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)- ललितपुर (उत्तर)
३२३—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती	..	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
३२४—लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	..	माट-सादाबाद (पश्चिम)
३२५—लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
३२६—लताफत हुसैन, श्री	..	हसनपुर (उत्तर)
३२७—लालबहादुर सिंह, श्री	..	केराकट-जौनपुर (दक्षिण)
३२८—लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री	..	बनारस (उत्तर)
३२९—लीलाधर अष्टान, श्री	..	उझाव (दक्षिण)

क्र०-सं० सदस्य का नाम

निर्वाचन - -क्ष

३३०—लुत्फ अली खां, श्री	.. हापुड़ (दक्षिण)
३३१—लेखराज सिंह, श्री	.. सम्भल (पूर्व)
३३२—वंश नारायण सिंह, श्री	.. ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३३—वंशोदास धनगर, श्री	.. करहल (पश्चिम)-शिकोहबाद (पूर्व)
३३४—वंशोधर मिश्र, श्री	.. लखीमपुर (दक्षिण)
३३५—वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	.. गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
३३६—वसो नकवी, श्री	.. महाराजगंज (पूर्व)-सलोन (उत्तर)
३३७—वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री	.. कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)
३३८—विचित्र नारायण शर्मा, श्री	.. गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३३९—विजय शंकर प्रसाद, श्री	.. मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४०—विद्यावती राठौर, श्रीमती	.. एटा (पूर्व)-अलोगढ़ (पश्चिम)-कासगंज (दक्षिण)
३४१—विश्राम राय, श्री	.. सगरी (पूर्व)
३४२—विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	.. गाजीपुर (पश्चिम)
३४३—विष्णु दयाल वर्मा, श्री	.. जतराना
३४४—विष्णुशरण दुब्लिश, श्री	.. मवाना
३४५—बोरमन, श्री	.. हापुड़ (दक्षिण)
३४६—बोरेन्द्रपति यादव, श्री	.. मैनपुरी (दक्षिण)
३४७—बोरेन्द्र वर्मा, श्री	.. कैराना (दक्षिण)
३४८—बोरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	.. नानपारा (पूर्व)
३४९—बोरेन्द्र सिंह, राजा	.. कालपी-जालोन (उत्तर)
३५०—ब्रजभूषण मिश्र, श्री	.. दूधी-राबर्टसगंज
३५१—ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती	.. बिल्हौर-अकबरपुर
३५२—ब्रजबासीलाल, श्री	.. बीकापुर (मध्य)
३५३—ब्रजविहारी मिश्र, श्री	.. फूलपुर (उत्तर)
३५४—ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री	.. घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
३५५—शंकरलाल, श्री	.. कादीपुर (मध्य)
३५६—शम्भुनाथ चतुर्वेदी, श्री	.. बाह
३५७—शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	.. चकराता-पश्चिमी दून (उत्तर)
३५८—शिवकुमार मिश्र, श्री	.. तिलहर (उत्तर)
३५९—शिवकुमार शर्मा, श्री	.. बिजनौर (दक्षिण)-धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६०—शिवदान सिंह, श्री	.. इगलास
३६१—शिवनाथ काटजू, श्री	.. फूलपुर (मध्य)
३६२—शिवनारायण, श्री	.. हरैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)
३६३—शिवभूजनराय, श्री	.. मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)
३६४—शिवप्रसाद, श्री	.. हाटा (मध्य)
३६५—शिवमंगल सिंह, श्री	.. बांसडीह (पश्चिम)
३६६—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री	.. डुमरियागंज (पश्चिम)
३६७—शिवराजबली सिंह, श्री	.. खजुहा (पूर्व)-फनेहपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६८—शिवराज सिंह यादव, श्री	.. बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)
३६९—शिवराम पांडेय, श्री	.. डोरापुर (उत्तर)
३७०—शिवराम राय, श्री	.. सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
३७१—शिववश सिंह राठौर, श्री	.. करहल (पूर्व)-भोगांव (दक्षिण)

क्र०-सं०-सदस्य का नाम

- ३७२—शिवचन राव, श्री
 ३७३—शिवशरन लाल श्रीवास्तव, श्री
 ३७४—शिवस्वरूप सिंह, श्री
 ३७५—शुकदेव प्रसाद, श्री
 ३७६—शुगन चन्द, श्री
 ३७७—श्याममनोहर मिश्र, श्री
 ३७८—श्यामलाल, श्री
 ३७९—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
 ३८०—श्रीचन्द्र, श्री
 ३८१—श्रीनाथ भार्गव, श्री
 ३८२—श्रीनाथ राम, श्री
 ३८३—श्रीनिवास, श्री
 ३८४—श्रीपति सहाय, श्री
 ३८५—सईद जहाँ मखफो शेरवानी, श्रीमती
 ३८६—संग्राम सिंह, श्री
 ३८७—सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
 ३८८—सज्जनदेवी महनीत, श्रीमती
 ३८९—सत्यनारायण दत्त, श्री
 ३९०—सत्य सिंह राणा, श्री
 ३९१—सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
 ३९२—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
 ३९३—सहदेव सिंह, श्री
 ३९४—सालिगराम जायसवाल, श्री
 ३९५—सावित्री देवी, श्रीमती
 ३९६—सियाराम गंगवार, श्री
 ३९७—सियाराम चौधरी, श्री
 ३९८—सीताराम, डाक्टर
 ३९९—सीताराम शुक्ल, श्री
 ४००—सुखीराम भारतीय, श्री
 ४०१—सुन्दर दास, श्री दीवान
 ४०२—सुन्दरलाल, श्री
 ४०३—सुरुजूराम, श्री
 ४०४—सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
 ४०५—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
 ४०६—सुल्तान आलम खां, श्री
 ४०७—सूर्यप्रसाद अरस्थी, श्री
 ४०८—सूर्यबली पाण्डेय, श्री
 ४०९—सैवाराम, श्री
 ४१०—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
 ४११—हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
 ४१२—हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
 ४१३—हमीद खां, श्री

निर्वाचन-क्षेत्र

- .. सलीमपुर (उत्तर)
 बहराइच (पूर्व)
 ठाकुरद्वारा
 महाराजगंज (दक्षिण)
 हड़की (पश्चिम)—सहारनपुर (उत्तर)
 मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
 उतरौला (उत्तर)
 नरैनी
 बुढ़ाना (पश्चिम)
 मथुरा (उत्तर)
 मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण)
 उतरौली (उत्तर)
 राठ
 कासगज (पूर्व)-अलीगज (उत्तर)
 सोरो (उत्तर)-फूलपुर (पश्चिम)
 सलीमपुर (पूर्व)
 गोंडा (पूर्व)
 औरैया-भरथना (दक्षिण)
 देवप्रयाग
 बरैली (पूर्व)
 बनारस नगर (दक्षिण)
 जलेशर (एटा) (उत्तर)
 सिराथू-मंझनपुर
 मुसाफिरखाना (मध्य)
 फर्रुखाबाद (मध्य)-कायमगंज (पूर्व)
 कैसरगंज (मध्य)
 देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
 हरैया (दक्षिण-पश्चिम)
 सिराथू-मंझनपुर
 कैसरगंज (उत्तर)
 आंवला (पूर्व)-फरीदपुर
 सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
 हमीरपुर-मौदहा (उत्तर)
 बिसवां-सिधौली (पूर्व)
 कायमगंज (पश्चिम)
 कानपुर नगर (उत्तर)
 हाटा (मध्य)
 पुरवा (उत्तर)-हसनगंज
 सफ़ीपुर-उम्राव (उत्तर)
 मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण)
 शाहजहाँपुर (मध्य)
 कानपुर नगर (मध्य-पूर्व)

क्र०-सं० सदस्य का नाम

निर्वाचन-क्षेत्र

४१४—हरखयाल सिंह, श्री	..	बागपत (पूर्व)
४१५—हरगोविन्द पन्त, श्री	..	रानीखेत (दक्षिण)
४१६—हरगोविन्द सिंह, श्री	..	जौनपुर (पूर्व)
४१७—हरदयाल सिंह पिपल, श्री	..	हाथरस
४१८—हरदेव सिंह, श्री	..	देवबन्द
४१९—हरसहाय गुप्त, श्री	..	बिलारी
४२०—हरिप्रसाद, श्री	..	बिसलपुर (मध्य)
४२१—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४२२—हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
४२३—हरिसिंह, श्री	..	हापुड़ (उत्तर)
४२४—हुकुम सिंह, श्री	..	कैसरगंज (दक्षिण)
४२५—हमवतीनन्दन बहुगुणा श्री,	..	करछना (उत्तर)-चंल (दक्षिण)
४२६—होतीलाल दास, श्री	..	एटा (दक्षिण)
४२७—(रिक्त)	..	फतेहपुर (उत्तर)
४२८—(रिक्त)	..	बिलग्राम (पश्चिम)
४२९—(रिक्त)	..	फतेहपुर (दक्षिण)
४३०—(रिक्त)	..	आगरा नगर (पश्चिम)
४३१—(रिक्त)	..	बदायूं (उत्तर)

ध

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

, सचिव, विधान मंडल

श्री सिद्धनलाल, एच० जे० एस० ।

सचिव, विधान सभा

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी० ।

विशेष कार्याधिकारी

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

अधीक्षक

श्री देवकीनन्दन मिथल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डल, गहनक में ११ वजे दिन में अध्यक्ष, श्री आम्पाराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३७)

अभयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसेन खाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खा, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सेयद
जवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसेन, श्री
इस्तफा हुसेन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री

कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवन्सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खुब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मेठानी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गजूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुहप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुहप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
 चन्द्रभान गुप्त, श्री
 चन्द्रवती, श्रीमती
 चन्द्र मिह रावन श्री
 चन्द्रहाम, श्री
 चिरजीलाल जाटव, श्री
 चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
 चट्टीचाल मगर, श्री
 छेदालाल, श्री
 छेदालाल चौधरी, श्री
 जगननारायण, श्री
 जगदीश प्रसाद, श्री
 जगन्प्रसाद रावत, श्री
 जगन्नाथप्रसाद, श्री
 जगन्नाथबख्श दास, श्री
 जगन्नाथ मल्ल, श्री
 जगन्नाथ सिंह, श्री
 जगपति सिंह, श्री
 जगमोहन मिह नेगी, श्री
 जट्टशकर शुक्ल, श्री
 जयपाल सिंह, श्री
 जयराम वर्मा, श्री
 जवाहरलाल, श्री
 जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
 जुगलकिशोर, आचार्य
 टीकाराम, श्री
 डल्लाराम, श्री
 डालचन्द, श्री
 ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
 तुलाराम, श्री
 तुलाराम रावत, श्री
 तेजप्रताप सिंह, श्री
 तेजबहादुर, श्री
 तेजा सिंह, श्री
 त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
 दयालदास भगत, श्री
 दर्शनराम, श्री
 दलबहादुर मिह, श्री
 दाताराम, श्री
 दीनदयालु शर्मा, श्री
 दीनदयालु शास्त्री, श्री
 दीपनारायण वर्मा, श्री
 देवदत्त मिश्र, श्री
 देवदत्त शर्मा, श्री
 देवमूर्ति राम, श्री
 देवराम, श्री

देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
 द्वारका प्रसाद मोर्य, श्री
 द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
 धनुषधारी पाण्डेय, श्री
 धर्म सिंह, श्री
 धर्मदत्त वैद्य, श्री
 नन्थसिंह, श्री
 नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
 नरदेव शास्त्री, श्री
 नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
 नरोत्तम सिंह, श्री
 नवलकिशोर, श्री
 नागेश्वर द्विवेदी, श्री
 नारायणदत्त तिवारी, श्री
 नारायण दास, श्री
 नारायणदीन वाल्मोकि, श्री
 नेत्रपाल सिंह, श्री
 नौरंगलाल, श्री
 पद्मनाथ सिंह, श्री
 परमानन्द सिन्हा, श्री
 परमेश्वरी दयाल, श्री
 परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
 पातीराम, श्री
 पुतूलाल, श्री
 पुद्दनराम, श्री
 पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
 प्रकाशवती सूद, श्रीमती
 प्रतिपाल सिंह, श्री
 प्रभाकर शुक्ल, श्री
 प्रभुदयाल, श्री
 फजलुल हक, श्री
 फतेह सिंह राणा, श्री
 फूल सिंह, श्री
 बनारसीदास, श्री
 बलदेव सिंह, श्री
 बलदेव सिंह आर्य, श्री
 बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
 बलवन्त सिंह, श्री
 बशीर अहमद हकीम, श्री
 बसन्त लाल, श्री
 वसन्तलाल शर्मा, श्री
 बाबूनन्दन, श्री
 बाबूलाल हुमेश, श्री
 बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
 बिशम्बर सिंह, श्री
 बेंचनराम, श्री

उपस्थित सदस्यों की सूची

बैचनराम गुप्त, श्री
 बेनी सिंह, श्री
 बंजनारायणप्रसाद सिंह, श्री
 बंजूराम, श्री
 ब्रह्मदत्त दोक्षित, श्री
 भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
 भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
 भगवानसहाय, श्री
 भीमसेन, श्री
 भुवरजी, श्री
 भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
 भीला सिंह यादव, श्री
 मंगलाप्रसाद, श्री
 मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
 मदनगोपाल वैद्य, श्री
 मदनमोहन उपाध्याय, श्री
 मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
 मलखान सिंह, श्री
 महम्मद अली खां, श्री (सहारनपुर)
 महादेवप्रसाद, श्री
 महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
 महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
 महावीर सिंह, श्री
 महीलाल, श्री
 मानघाता सिंह, श्री
 मिजाजीलाल, श्री
 मिहिरबान मिश्र, श्री
 मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
 मुखूलाल, श्री
 मुरलीधर कुरील, श्री
 मुस्ताक अली खां, श्री
 मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
 मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
 मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
 मुहम्मद नबी, श्री
 मुहम्मद नसीर, श्री
 मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
 मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
 मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
 मुहम्मद शाहिद फारूखी, श्री
 मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
 मोहनलाल, श्री
 मोहनलाल गौतम, श्री
 मोहन सिंह, श्री
 मोहन सिंह शाक्य, श्री
 यमुना सिंह, श्री

यशोदादेवी, श्रीमती
 रघुनाथप्रसाद, श्री
 रघुवीर सिंह, श्री
 रतनलाल जैन, श्री
 रमेश वर्मा, श्री
 राजकिशोर राव, श्री
 राजकुमार शर्मा, श्री
 राजनारायण, श्री
 राजनारायण सिंह, श्री
 राजवंशी, श्री
 राजाराम किसान, श्री
 राजाराम शर्मा, श्री
 राजेन्द्रदत्त, श्री
 राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
 राधामोहन सिंह, श्री
 रामअधर तिवारी, श्री
 रामअधिन सिंह यादव, श्री
 रामअवध सिंह, श्री
 रामकिंकर, श्री
 रामकुमार शास्त्री, श्री
 रामकृष्ण जेसवार, श्री
 रामग्लाम सिंह, श्री
 रामचन्द्र विकल, श्री
 रामचरणलाल गंगवार, श्री
 रामजीलाल सहायक, श्री
 रामजी सहाय, श्री
 रामदास रविदास, श्री
 रामदुलारे मिश्र, श्री
 रामनरेश शुक्ल, श्री
 रामनारायण त्रिपाठी, श्री
 रामप्रसाद, श्री
 रामप्रसाद देशमुख, श्री
 रामप्रसाद नोटियाल, श्री
 रामप्रसाद सिंह, श्री
 रामबली मिश्र, श्री
 राममूर्ति, श्री
 रामरतन प्रसाद, श्री
 रामराज शुक्ल, श्री
 रामलखन, श्री
 रामवचन यादव, श्री
 रामशकर द्विवेदी, श्री
 रामसनेही भारतीय, श्री
 रामसहाय शर्मा, श्री
 राममुन्दर पांडेय, श्री
 राममुन्दर राम, श्री
 रामसुभग वर्मा, श्री

राममुमेर, श्री
 रामस्वरूप, श्री
 रामस्वरूप गुप्त, श्री
 रामस्वरूप भारतीय, श्री
 रामस्वरूप मिश्र विगारद, श्री
 रामहरख यादव, श्री
 रामहेतू सिंह, श्री
 रामेश्वरप्रसाद, श्री
 रामेश्वरलाल, श्री
 लक्ष्मणराव कदम, श्री
 लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
 लक्ष्मीरमण जाचार्य, श्री
 लक्ष्मीशंकर धादव, श्री
 लताकन हुसैन, श्री
 लालबहादुर सिंह, श्री
 लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
 लीलाधर अष्टाना, श्री
 लुत्फ़अली खां, श्री
 लेखराज सिंह, श्री
 वंशनारायण सिंह, श्री
 वंशीधर मिश्र, श्री
 वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
 वसी तकवी, श्री
 वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
 विजयशंकर प्रसाद, श्री
 विद्यावती राठौर, श्रीमती
 विश्रामराय, श्री
 विष्णुदयाल वर्मा, श्री
 विष्णुशरण डुब्लिश, श्री
 वीरेसेन, श्री
 वीरेन्द्रशाह, राजा
 ब्रजभूषण मिश्र, श्री
 ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
 ब्रजवासीलाल, श्री
 ब्रजविहारी मिश्र, श्री
 ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
 शंकरलाल, श्री
 शम्भुनाथ चतुर्वेदी, श्री
 शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
 शिवकुमार मिश्र, श्री
 शिवकुमार शर्मा, श्री
 शिवनारायण, श्री
 शिवपूजन राय, श्री
 शिव प्रसाद, श्री
 शिवमंगल सिंह, श्री
 शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
 शिवराजबली सिंह, श्री

शिवराम पांडेय, श्री
 शिवरान राय, श्री
 शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
 शिवस्वरूप सिंह, श्री
 शुक्रदेवप्रसाद, श्री
 शुभनचन्द, श्री
 श्याम मनोहर मिश्र, श्री
 श्यामलाल, श्री
 श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
 श्रीचन्द्र, श्री
 श्रीनाथ भार्गव, श्री
 श्रीनाथराम, श्री
 श्रीनिवास, श्री
 सईद जहाँ अख्तरी शेरवानी, श्रीमती
 संग्राम सिंह, श्री
 सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
 सज्जनदेवी महनील, श्रीमती
 सत्यनारायणदत्त, श्री
 सालिगराम जाधसवाल, श्री
 सावित्री देवी, श्रीमती
 सियाराम गंगवार, श्री
 सियाराम चौधरी, श्री
 सीताराम, डाक्टर
 सीताराम शुक्ल, श्री
 सुलीराम भारतीय, श्री
 सुन्दरदास, श्री दीवान
 सुन्दरलाल, श्री
 सुरजूराम, श्री
 सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
 सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
 सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
 सूर्यदली पांडेय, श्री
 सेवाराम, श्री
 हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
 हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
 हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
 हमीद खां, श्री
 हरगोविन्द पन्त, श्री
 हरगोविन्द सिंह, श्री
 हरदयाल सिंह पिपल, श्री
 हरदेव सिंह, श्री
 हरिप्रसाद, श्री
 हरिचन्द्र अष्टाना, श्री
 हरिसिंह, श्री
 हुकुम सिंह श्री
 हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

इश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५ ई०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गाजीपुर म्युनिसिपल बोर्ड को भंग करने का विचार

*१--श्री भारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--व्या सरकार बतायेगी कि वह गाजीपुर म्युनिसिपल बोर्ड को भंग करने पर विचार कर रही हैं ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--जी हाँ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--व्या सरकार इसका कारण बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर--बोर्ड पर ६ चार्ज लगाये गये थे और रिपोर्ट जो जिले से आई है उससे मालूम होता है कि उनके ऊपर कुछ और चार्ज साबित हो गये हैं। खुद बोर्ड ने अगस्त, १९५५ में एक रिजोल्यूशन पास किया था कि उमको सुपरसीड कर दिया जाय और इसलिये यह गवर्नमेन्ट के विचारार्थ है कि इस बोर्ड को सुपरस ड कर देना चाहिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल--व्या सरकार उन ६ चार्जेज को मुहत्तर में बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरे ख्याल में ये चार्जेज जरेगोर ह क्योंकि उनका ऐलान करना शायद मुनासिब न हो।

तारांकित प्रश्न

खसरा और खतौनी की नकल लेने के लिये आदेश

*१--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जोनपुर)--व्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लेखपालों द्वारा खसरे और खतौनी की नकल दिलवाने के लिये उसने गांव के सभापतियों को किस प्रकार का अधिकार दिया है ?

माल-उप मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--यदि लेखपाल अपेक्षित उद्धरण देने से इनकार करता है या उस सम्बन्ध में लापरवाही करता है, तो सम्बन्धित व्यक्ति भूमि प्रबन्धक समिति के सभापति के पास प्रार्थना-पत्र भेज सकेगा और तब उक्त सभापति प्रार्थी द्वारा सम्बद्ध उद्धरण प्राप्त किये जाने तथा लेखपाल को निर्धारित शुल्क दिये जाने के लिये एक तारीख निश्चित करेगा जो साधारणतया प्रार्थना-पत्र की तारीख से १५ दिन में अधिक समय की न होगी और वह लेखपाल को भी शीघ्रातिशीघ्र इसकी सूचना देगा, यदि लेखपाल निश्चिन तारीख को उद्धरण देने में असफल रहे और इस असफलता के लिये समुचित कारण रहे, तो सभापति उक्त निश्चिन तारीख को बढ़ा सकता है। यदि मनमानी तौर पर एवं लापरवाही से लेखपाल निश्चिन तारीख या बढ़ाई गई तारीख तक उद्धरण प्रस्तुत न करे, तो सभापति तहसीलदार को इस सम्बन्ध में रिपोर्ट करेगा और तहसीलदार शीघ्रातिशीघ्र उद्धरण जारी किये जाने की व्यवस्था करेगा और साथ ही साथ सभापति परगने के अधिकारी असिस्टेन्ट

नोट --अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछा।

कलेक्टर के पास संबंधित लेखपाल के विरुद्ध अनुशासन की समुचित कार्यवाही करने के लिये रिपोर्ट भी भेजेगा।

*२—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या इस नियम की सूचना प्रत्येक गाव सभापति तथा लेखपाल को दे दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अधिकतर जिलाधीशों ने प्रत्येक लेखपाल तथा सभापतियों को इस नियम की सूचना दे दी है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार को पता है कि लेखपाल आम पत्रों पर भूमि प्रबन्धक समिति के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते और न सभापति से सम्योग भी करते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी बात नहीं है। लेखपाल लोग बराबर उसमें काम लेते हैं और दिलचस्पी लेते हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जनता को इस व्यवस्था की पूरी जानकारी नहीं है और वह इससे लाभ उठाये इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—कलेक्टरों ने भूमि प्रबन्धक कमेटी के प्रधानों को यह इतला दे दी कि यह उनको अधिकार है। इसके अलावा पचायत राज्य पत्रिका में लेखपालों की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के सिलसिले में और किस तरह से उनको एम्प्लॉय आदि देना है एक लेख निकाला गया। इसके अतिरिक्त जो जनता के प्रतिनिधि यहाँ हैं उनको भी यह बतलाया जा चुका है कि पहले पटवारी के अधिकार क्या थे और अब लेखपाल ने क्या है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—यह सूचना जो सरकार ने नम्बर ५ में बताई है यह कब दी गयी ?

श्री चरण सिंह—८ अप्रैल, १९५४ को।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या मंत्री महोदय कागजकारों को सुविधा के नाम पर खतौनी और खसरा के इन्तखाब मिल सके इस दृष्टि से गाव समाज के सभापतियों के पास उनकी प्रतिलिपियाँ रखने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चरण सिंह—कुछ दिनों के बाद ऐसा करने का सरकार का विचार है। गाँविकाँ १३६४ फमली में।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—प्रश्न नम्बर २ के उत्तर में है “अधिकतर जिलाधीशों ने न तो कितने जिलाधीशों ने ऐसी सूचना दे दी है और कितनी ने नहीं दी है ?”

श्री चतुर्भुज शर्मा—करीब-करीब सब ने दे दी है। दो जिलों से उत्तर नहीं आया था इसलिये अधिकतर कहा गया है। अब शायद वहाँ से भी आ गया हो।

जौनपुर जिलान्तर्गत मड़ियाहं तहसील में सई की बाढ़ से हानि

*३—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर के मड़ियाहं तहसील में सई की बाढ़ से मौजा रुकुनपुर, फत्तपुर, ऊगापुर, महमसु ताजूद्दीनपुर, कलावर, उनचली कलां व खुर्द, रामपुर नदी, कटेसर व फेड़बारी आदि ग्रामों में कितनी फसल नष्ट हुई तथा कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मांगी गई सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये तथी 'क' आगे पृष्ठ ६८ पर)

श्री द्वारका प्रसाद मोर्य—सूची में सीरियल नम्बर १ पर दिया गया है कि ११३ मकान गिरे, २ नम्बर पर ८० मकान गिरे, ४ नम्बर पर १२१ मकान, ५ वे पर ९८ मकान और ९ वे पर ८३ मकान गिरे बताये गये हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में जिन गावों में मकान गिरे हैं उनको अलग बसाने या ऊंचा करने के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की या कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अलग बसाने की तो बात नहीं है। वैसे उनको तकावी नगर में बसाने की व्यवस्था है।

श्री द्वारका प्रसाद मोर्य—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरण सिंह—जिले भर में कुछ गाव निर्धारित किये गये थे जिनको ऊंचा किया जायगा। आया यह गाव उनमें शामिल है या नहीं, इस समय यह नहीं कहा जा सकता है। इस समय इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। वैसे हमें उम्मीद है कि यह मुस्तीबत जौनपुर में ८५ वर्ष तक नहीं आयेगी, क्योंकि यह मुस्तीबत ८५ वर्ष बाद आई है।

*४-६—**श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)**—[२७ दिसम्बर, १९५५ के लिए प्रश्न ६२-६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*७-८—**श्री बसंत लाल (जिला जालौन)**—[२६ दिसम्बर, १९५५ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

बरेली जिले के अमीन का सरकारी रुपया लेकर पाकिस्तान भाग जाना

*९—**श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली) (अनुपस्थित)**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली के कुछ अमीन सरकारी रुपया लेकर पाकिस्तान चले गये ? यदि हां, तो उनके जिम्मे सरकारी रुपया कितना-कितना है और वे किम तहसील में काम करते थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला बरेली का केवल एक अमीन सरकारी रुपया लेकर पाकिस्तान चला गया है। उसके जिम्मे ३,४८० रु० ८ आना ६ पाई है। वह नवाबगंज तहसील में काम करता था।

श्री रामचरण लाल गंगवार (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वे सज्जन कौन थे और नियुक्ति के समय उनकी कोई जमानत ली गई थी या नहीं ?

श्री चरण सिंह—जमानत ली गई थी। नाम मालूम तो है, लेकिन उसके मालूम करने से कोई फायदा होता हो तो बतला सकता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि गैर जरूरी है। तीन हजार की जमानत उसमें वसूल की जायगी, क्योंकि कुछ तनखाह शेष है और कुछ रुपया सेविक्स बक में जमा है। करीब-करीब सारा नुकसान पूरा हो जायगा।

श्री द्वारका प्रसाद मोर्य—क्या सरकार बतलायेंगी कि जमानत नकद थी या किनी विशिष्ट व्यक्ति ने जमानत की है, जिससे यह जमानत वसूल की जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जमानत तो अक्सर प्रापर्टी की होती है। इसमें ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता है कि कौनसी जमानत थी। जमानत थी जरूर।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस व्यक्ति की सूचना उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेन्ट को दी है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

१०-११—श्री धमना सिंह (जिला गाजीपुर)—(१५ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न ६१-६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।)

गाजीपुर जिले की चरसजस्था जमीन

१०—श्री भोला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—जो जमीन सती जी जमान की कृपा करके किराजगी जिले से कुल जिनकी ऐसी जमीन है जिस पर खेती नहीं होनी सिर्फ बर-होनी है, उन जिनके ऐसे चरसज जो ५० बीघा या उससे अधिक के ह ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—श्री चरसजस्था (incultivated) जमीन को निपटने के हेतु कोई सूचना प्राप्त नहीं है, इन चारे के सूचना प्राप्त करने से बहुत धन और समय लगेगा ।

श्री भोला सिंह यादव—क्या यह सत्य है कि जहीराबाद और पवतोर में कुछ जमीन परती पड़ी हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कुछ जमीन परती पड़ी होगी ।

बदायूं जिले में हाट-बाजारों का मुआवजा

१३—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बदायूं में कितने हाट-बाजार ऐसे हैं जिनका मुआवजा भूतपूर्व जमींदारान को देना स्वीकार हुआ है ?

श्री चरण सिंह—जिला बदायूं में १३१ हाट-बाजार ऐसे हैं जिनका मुआवजा जमींदारों को दिया जा रहा है ।

१४—श्री राजाराम शर्मा (जिला बप्ती)—[९ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

१५—१६—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—[१७ जनवरी, १९५६ के लिये प्रश्न ४९-५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

१७—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[२६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

१८—श्री यमुना सिंह—[९ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

मदर तहसील, जिला आजमगढ़ में चकबन्दी के कार्य में कर्मचारियों की कमी

१९—श्री ब्रज बिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील मदर, जिला आजमगढ़ में होने वाली चकबन्दी में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आजमगढ़ जिले की मदर तहसील में चकबन्दी योजना के अन्तर्गत ६२९ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ।

*२०—श्री ब्रज बिहारी मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला चकबन्दी अधिकारी ने सरकार से प्रार्थना की है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दिया जाने की आज्ञा दी जाय, क्योंकि इतने लोगों से काम सुचारुरूप से नहीं हो सकेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां ।

१०१—श्री ब्रज बिहारी मिश्र—यदि हां, तो क्या सरकार ने उस प्रार्थना को स्वीकार कर दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री ब्रज बिहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कम कर्मचारी होने के कारण कार्य में कठिनाई पड़ रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कठिनाई तो होती ही है जब आदमी कम होते हैं । लेकिन काम पूरी कर दी गई है और इधर-उधर से लोग भेज दिये गये हैं और काम हो रहा है ।

श्री ब्रज बिहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका अन्तिम निर्णय कब तक सरकार करने जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—निर्णय जल्द ही हो जायगा और कुछ प्रबंध तो बहा हो रहे हैं ।

श्री ब्रज बिहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि बकबंदी का अंज और बढ़ा दिया गया है, इसमें कार्य और विस्तृत हो गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—विस्तृत हुआ था, इसीलिये आदमियों की कमी पड़ गई, क्योंकि ठीक अंदाजा नहीं हो सका कि कितने आदमी रखे जायें ।

ग्राम कटरा दीवान खेरा, जिला उन्नाव में अग्नि-पीड़ितों को सहायता

१०२—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि गत २९ मई को ग्राम कटरा दीवान खेरा, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव में भीषण आग लगने से ३३ घर सम्पूर्ण भस्मी-भूत हो गये और इन घरों का अनाज, भूसा, कपड़े सब जल कर भस्म हो गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ग्राम कटरा दीवान खेरा, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव में २९ मई, १९५५ को नहीं, अपितु ३० मई, १९५५ को भीषण आग लग गई । भस्मीभूत मकानों की संख्या ३३ नहीं बरन ३१ है । यह सही है कि इन घरों का अनाज, भूसा, कपड़े सब जलकर भस्म हो गये ।

१०३—श्री देवदत्त मिश्र—यदि यह सही है तो सरकार ने इन परिवारों को क्या सहायता दी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकार ने आग से क्षतिग्रस्त ११ व्यक्तियों को २२० रु० अहेतुक सहायता (अनुदान) के रूप में बांटा । ३,४०० रु० तकावों के रूप में दिये गये ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन भस्मी-भूत ३१ घरों के मालिकों का कितना नुकसान हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—५२,६७९ या ५२,६८० रुपये के करीब हुआ है ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन ११ व्यक्तियों को २२० रु० की अहेतुक सहायता दी गई है उनका कितना नुकसान हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या मंत्री जी इन ११ व्यक्तियों के पास कुछ नहीं बचा तो २० रुपये की अहेतुक सहायता को पर्याप्त समझते हैं ?

श्री चरण सिंह—कुछ नहीं बचा तभी तो प्रेव्यूटी रिलीफ दी गई है। कितना नुकसान हुआ है उसमें अहेनुक सहायता का सुकाबला नहीं किया जा सकता।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करने की कृपा करेंगे कि अहेनुक सहायता इतनी दी जाय कि वह अपनी व्यवस्था तो कर सकें ?

श्री चरण सिंह—यह सवाल तो हमेशा राय का रहता है कि कितनी सहायता काफी है और कितनी नहीं। लेकिन वहाँ प्रानसभा ने भी उनको कुछ इमदाद दी, कुछ व्यक्तियों ने भी उनको मदद दी, यह इमदाद गवर्नमेन्ट की तरफ से हुई। तो गवर्नमेन्ट तो यह चाहती है कि जिसना नुकसान हुआ है वह मय पूरा कर दिया जाय, लेकिन सवाल यह है कि कितना सपना हमारे पास है।

मिर्जापुर जिले में रावर्ट्सगंज तहसील—इमारत की खराब हालत

*२४—श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)—क्या माल मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि तहसील रावर्ट्सगंज की इमारत की छन इतनी पुरानी हो गई है कि बरसात में अकसर काम बन्द कर देना पड़ता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तहसील रावर्ट्सगंज की इमारत बहुत पुरानी है। इसकी छन कहीं कहीं टपक रही थी, परन्तु अब उसकी मरम्मत हो जाने के कारण नहीं टपकती। काम बन्द कर देने की नोबत नहीं आई।

*२५—श्री रामस्वरूप—क्या माल मन्त्री को पता है कि तहसीलदार के क्वार्टर का आधा भाग बिला मरम्मत गिरने की हालत को पहुँच रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तहसीलदार के क्वार्टर का एक भाग खराब हालत में था पर अब उस भाग की मरम्मत हो रही है और उनकी हालत ठीक है।

*२६—श्री रामस्वरूप—क्या माल मन्त्री जी को मालूम है कि नये सब-ट्रेजरी अफसर की उपर्युक्त रावर्ट्सगंज तहसील में बैठने की ठीक व्यवस्था नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उनके लिये नया कमरा बनवाने पर विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह ठीक है कि सब-ट्रेजरी अफसर के लिये उक्त तहसील में अलग कोई कमरा बैठने के लिये नहीं है। सब-ट्रेजरी में काम बढ जाने के कारण एन नये सब-ट्रेजरी अफसर की नियुक्ति ३१ मार्च सन् १९५६ तक के लिये की गई है। इसी-लिये इस थोड़े में समय के लिये अलग कमरा बनवाने का विचार नहीं किया गया।

श्री रामस्वरूप—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि रावर्ट्सगंज की जो इमारत बहुत पुरानी हो चुकी है क्या वह उसका नवनिर्माण कराने का विचार कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री ब्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह कहा गया है कि मरम्मत की जा रही है वह कब से की जा रही है और अभी पूरी हुई है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मरम्मत तो अब शायद जखुर पूरी हो गई होगी।

रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर में गैर सरकारी मोटरों की मरम्मत

*२७—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर में सरकारी मोटरों के अतिरिक्त दूसरी मोटरों की भी मरम्मत की जाती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो हा। सरकारी कार्य की अवहेलना के बिना यदि सम्भव होता है तो रोडवेज मेंट्रल वर्कशाप में गर सरकारी मरम्मत का कार्य भी स्वीकार किया जाता है।

*२८—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सही है कि बाहरी मोटरो का मरम्मत के लिये वर्कशाप में अलग से स्टाफ रक्खा जाता है ? यदि हा, तो उस पर वार्षिक कितना व्यय होता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो नहीं। गर-सरकारी मरम्मत के लिये लगने को कोई स्टाफ नहीं रखा जाता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की वृत्ति करेगी कि इस प्रकार के गर-मरम्मत के कामों में वर्कशाप को कुछ लाभ होता है ? यदि हा, तो १९५१-५२ में कितना लाभ हुआ ?

श्री अध्यक्ष—यह ४, ५ साल पहले का सवाल है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इससे मिलसिले में सूचना दी थी, लेकिन वह अस्वीकार हो गई और अब आप सप्लीमेंट्री पूछने की इजाजत नहीं देने।

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न को दो भागों में पूछिये। पहले, वह कमिट तो करे तब आप पूछ सकते हैं आगे की बात।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या वर्कशाप को इस गर-सरकारी काम में कुछ लाभ हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जरूर कुछ लाभ होता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार बतायेगी कि १९५१-५२ में कितना लाभ हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत पड़ेगी।

*२९—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला ज्ञासी)—[१३ डिसेम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जमींदारों के लिए रिहैबिलिटेशन ग्रांट

*३०—श्री मुस्ताक अली खां (जिला वदाय्)—क्या सरकार मेंहूरवानी करके बतायेगी कि जमींदारों को Rehabilitation grant कब से दी जायेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकार की आशा है कि जमींदारों को रिहैबिलिटेशन ग्रांट के निर्धारण तथा भुगतान का कार्य जनवरी/फरवरी, १९५६ से आरम्भ कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में रिहैबिलिटेशन ग्रांट सम्बन्धी नियमों के संशोधन का काम पूरा किया जा रहा है।

श्री मुस्ताक अली खां—क्या माननीय मंत्री जी मेंहूरवानी करके बतायें कि इस मिलसिले में जो नियम बन रहे हैं वह कब तक तैयार हो जायेंगे ? क्या जनवरी, फरवरी के पहले तैयार हो जायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो हां। इस महीने में आशा की जाती है कि पूरे हो जायेंगे और इसीलिये जनवरी से काम शुरू होगा।

श्री मुश्ताक अली खां—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि कंपेंसेशन किस प्रपोज़न में अदा हुआ है। यह रिहैबिलिटेशन ग्रांट उसी प्रपोज़न से दी जायगी या उससे कुछ ज्यादा ?

श्री चरण सिंह—रिहैबिलिटेशन ग्रांट तो जमींदार की हैसियत के मुताबिक होगी। अगर छोटा जमींदार था तो उसको २० गुना तक मिल सकता है। अगर बड़ा जमींदार था तो उनको एक ही गुना मिलेगा। यह तो ऐक्ट में दिया हुआ है, जमींदारी ऐक्ट में।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बतलायेगी की कृपा करेगी कि यह रिहैबिलिटेशन ग्रांट नक़द दी जायगी या बान्ड की शकल में दी जायगी ?

श्री चरण सिंह—दोनों में।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह रिहैबिलिटेशन ग्रांट कितने समय तक दी जायगी यानी कब से कब तक ?

श्री चरण सिंह—इसको कोई मियाद नहीं है। जब वह दरखास्त देगे तभी मिल जायगी।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतलायेगी कि नक़द रुपया कहां तक कितने रिहैबिलिटेशन ग्रांट पाने वालों को दिया जायगा और बान्ड कितने वालों को दिया जायगा ?

श्री चरण सिंह—डिसाइडिंग लाइन ५० रुपये पर है।

कृषि विभाग के बीज गोदामों के साथ कथित प्रदर्शन फार्म

*३१—श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कृषि विभाग के बीज गोदामों के साथ जो प्रदर्शन फार्म (Demonstration farms) खोले गये थे उन पर विभाग द्वारा खेती होती है या बन्द कर दी गई है ?

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—कृषि विभाग के बीज गोदामों के साथ कोई भी प्रदर्शन फार्म (Demonstration farms) नहीं खोले गये थे। अतः खेती करने का प्रश्न नहीं उठता।

*३२—श्री रामस्वरूप गुप्त (अनुपस्थित)—कानपुर जिले में कित-कितन सरकारी बीज गोदामों में संलग्न ऐसे फार्म खोले गये थे और उस जमीन का अब क्या उपयोग किया जाता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—कानपुर जिले में सरकारी बीज गोदामों से संलग्न कोई भी ऐसे फार्म नहीं हैं।

*३३—श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)—[२७ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में अधिवासियों की संख्या

*३४—श्री शिव प्रसाद (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले की प्रत्येक तहसील में अधिवासियों की क्या संख्या है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३१-३२ श्री रामदुलारे मिश्र ने

श्री चतुर्भुज शर्मा—देवरिया जिले की प्रत्येक तहसील में अधिवासियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

तहसील	संख्या
देवरिया	५०,९३६
सलेमपुर	७९,४४५
हाटा	२४,५५२
पडरौना	४५,९२८
कुल योग	२,००,८६१

श्री शिव प्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो अधिवासी वहाँ पर हैं उनमें कुछ ऐसे अधिवासी भी सम्मिलित हैं, जो केवल कागज में अधिवासी दर्ज हैं, और खेत पर असल काश्तकार काबिज हैं ?

श्री चरण सिंह—हो सकता है कुछ ऐसे हों ।

श्री शिव प्रसाद—क्या यह सही है कि देवरिया जिले में बहुत से खेत ऐसे हैं कि जिनका अधिवासी कोई और, काबिज कोई और और खेत किसी और के कब्जे में है, अगर ऐसी बात है तो सरकार इस सम्बन्ध में छानबीन करेगी ?

श्री चरण सिंह—हो सकता है कि कुछ ऐसे खेत हों । अब अधिवासी के सिलसिले में जो पिछले साल हमने कानून पास किया था उसके मातहत अधिवासी का जो क्षेत्रपति है, लैन्ड होल्डर अगर कागज में अधिवासी का नाम दर्ज है तो क्षेत्रपति के पास नोटिस जायगा प्रतिकर का कि तुम्हारा इतना प्रतिकर तय हुआ । वह आकर उज्रदारी कर सकता है कि वह अधिवासी है या नहीं । तो यह सब कागजात दुरुस्ती का काम मेरा ख्याल है कि मार्च, अप्रैल तक ही जायगा ।

श्री शिव प्रसाद—क्या सरकार बतलायेगी कि अधिवासियों में से कितने को भूमिधरी के अधिकार प्राप्त हुये हैं ?

श्री चरण सिंह—सारे अधिवासियों को सीरदार के अधिकार दिये जा चुके हैं ३० अक्टूबर सन् ५४ को । उनमें से १० गुना दाखिल करेंगे तो वह भूमिधर हो सकते हैं । इसका हिसाब नहीं रखा गया है ।

हाटा तहसील में दसगुना जमा करने वालों को सनद न मिलना

*३५—श्री शिव प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाटा तहसील के दसगुना जमा करने वाले किसानों में कितने को अभी तक उसकी सनद नहीं मिली है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हाटा तहसील में एक भी ऐसा किसान नहीं है जिसने दसगुना की पूरी रकम जमा कर दी हो और उसे सनद न मिली हो ।

श्री शिव प्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि हाटा तहसील में बहुत से ऐसे काबूतकार हैं जिन्होंने दो आना गन्ना कटौती में से १० गुना जमा किया है, लेकिन उनको सनद अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हो सकता है कुछ ऐसे किसान हों ।

श्री शिव प्रसाद—क्या ऐसे किसानों को जिनको सनद नहीं मिली उनको सरकार तत्काल दिलाने की कृपा करेगी ।

श्री चरण सिंह—दो आना गन्ने के सिलसिले में जिन लोगों ने कटाया था तो अभी तक वह वहाँ से हिमाचल किसी जिले में नहीं आया । इसलिये उनको नहीं मिल सकी । बाकी जिन्होंने तहसील में १० गुना जमा कराया था उन सबको मिल चुकी है । इसलिये गन्ने वाली न कहां—कहां कितना जमा कराया है यह मालूम नहीं हो सका है । वैसे हम सब के लिये कोशिश कर रहे हैं और कोऑपरेटिव फेडरेशन से हिमाचल आते हैं यह सब काम हो जायगा ।

लेखपालों को कानूनगो का पद मिलना

*३६—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने कानूनगो पदों की नियुक्तियों में कोई खास प्रतिशत लेखपालों के लिये निश्चित कर रखा है ?

श्री चरण सिंह—जी हाँ । पटवारियों के पुनर्संगठन के बाद सुपरवाइजर कानूनगो के ५० प्रतिशत पद उन लेखपालों के लिये सुरक्षित हैं जिनकी सेवाएँ दस वर्ष की हो चुकी हैं ।

परगनाधीश, घोसी, जिला आजमगढ़ को सीरदार एवं अधिवासी किसानों के आवेदन—पत्र

*३७—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के अन्तर्गत हृदय पट्टी, बेलगदा पट्टी, नेमडाढ, कतकौली, मुरारपुर, हंकारीपुर तथा कन्धरापुर गांवों के भूतपूर्व जमींदारों द्वारा सीरदार एवं अधिवासी किसानों के खतों पर जबरदस्ती कब्जा करने तथा फसल काटने की शिकायत प्रदेशीय सरकार एवं जिलाधिकारियों के पास आई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं ।

*३८—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त गांवों के सीरदार एवं अधिवासी किसानों ने स्टैम्प लगाकर लिखित आवेदन—पत्र, १४ अगस्त, मन् १३५५ को परगनाधीश घोसी के यहाँ दिया था । यदि हाँ, तो उस पर कौन सी कार्यवाही हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—केवल हृदय पट्टी, कतकौली और हंकारीपुर गांवों के सीरदार एवं अधिवासी किसानों के स्टैम्प लगे हुये सात प्रार्थना—पत्र परगनाधीश, घोसी को १४ अगस्त, १९५५ को दिये गये थे जो केवल धमकी देने के विषय में थे । इन पर पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही हो रही है ।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार इसकी जानकारी करायेगी कि मुरारपुर गांव के जहांगीर दुमाध ने २९-९-५५, २२-९-५५, २७-९-५५, १७-९-५५ और १८-८-५५ को पुलिस मन्त्री, पुलिस कप्तान और थानदार के पास किस आशय की दरखास्ते भेजी थीं ?

श्री चरण सिंह—रेवेन्यू विभाग के आफिसर्स के पास जो दरखास्ते आयी थीं उनका जवाब दिया जा चुका है, जो दरखास्ते और विभागों में दी गयी उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—(श्री रामन्दर पाण्डे) प्रश्न में आपने प्रदेशीय सरकार के पास शिकायत के बारे में प्रश्न पूछा है अब आप पुलिस मन्त्री भी कह रहे हैं । इसलिये आप फिर से सवाल करे तब उत्तर दिया जायगा ।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि इस गांव के ७ किसानों न दरखास्तें दीं वरिष्ठ १३ किसानों ने दी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रार्थना-पत्र ७ आये हैं, अब यह नहीं कहा जा सकता कि वह प्रार्थना-पत्र कितने आदिमियों के हैं ।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि १४-८-५५ को दरखास्त देने के बावजूद भी कतकौली के बरसन लुहार की माता को मारा गया और जिसका डाक्टरों मुआयना भी कराया गया तथा अधिकारियों से रिपोर्ट भी की गयी, लेकिन अधिकारियों ने कुछ नहीं किया ?

श्री चरण सिंह—यदि यह वाक्या पहले बता दिया होता तो तहकीकात करा ली जाती । उन ७ प्रार्थना-पत्रों के मिलने के बाद १०७/११७ की कार्यवाही की गयी उन जमींदारों के खिलाफ, जो मुवालिफ थे ।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—जिन लोगों के खिलाफ दफा १०७ की कार्यवाही की गयी वह घोसी की परगना अदालत में जाने पर उन्होंने उसको वापिस कर दिया और कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री चरण सिंह—जवाब दिया जा चुका है कि दफा १०७ की कार्यवाही इन दरखास्तों पर हो रही है ।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जो दरखास्तें दी गयी थीं क्या उन गांवों के किसानों ने पुलिस मन्त्री, पुलिस कप्तान और थानेदार के पास इस आशय की दरखास्तें दी थीं कि भूतपूर्व जमींदार उनके खेतों पर कब्जा कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—जो दरखास्तें दी गयी थीं उन पर १०७/११७ की कार्यवाही हो रही है । माननीय मित्र मुझसे मिलने की कृपा करें, बातचीत हो जाय कि पुलिस कप्तान के यहां किस बात की दरखास्त दी गयी, शायद कुछ गलतफहमी हो, वह दूर हो जायगी ।

खीरी जिले की मुहम्मदी तहसील में भूदान यज्ञ में प्राप्त भूमि का वितरण

*३९—श्री राम भजन (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भूदान आन्दोलन के सिलसिले में तहसील मुहम्मदी, जिला खीरी में कितनी भूमि प्राप्त हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—भूदान यज्ञ में तहसील मोहम्मदी, जिला खीरी में ३० सितम्बर, १९५५ तक ४३६'९६ एकड़ भूमि प्राप्त हुई ।

*४०—श्री राम भजन (अनुपस्थित)—उपर्युक्त आन्दोलन द्वारा प्राप्त कितनी भूमि अब तक वितरित की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उपर्युक्त प्राप्त भूमि में से ३९०'६७ एकड़ भूमि काश्तकारों को वितरित की जा चुकी है ।

*४१—श्री राम भजन (अनुपस्थित)—वितरित की हुई भूमि में भी अब तक उक्त तहसील में कितने दानदाताओं को अब भी लगान अदा करना पड़ता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उपर्युक्त वितरित भूमि के दानदाताओं में से किसी को भी अब लगान नहीं देना पड़ रहा है ।

नोट—तारांकित प्रश्न ३९-४१ श्री व्रजभूषण मिश्र ने पूछे ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि जो भूदान में भूमि प्राप्त हुई है उसके सम्बन्ध में क्या विभाग की दे दिये गये हैं और कुछ ग्राम समाज को भी दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—यहाँ तहसील मुहम्मदी से ?

श्री ब्रजभूषण मिश्र—जी हाँ ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई योजना नहीं है और इस जिले में तो नायब ऐसा काम नहीं है ।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुक्तफरनगर)—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बताते कि जमीन का बितरण अब तक क्यों नहीं हो सका है ?

श्री चरण सिंह—इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेन्ट की नहीं है । यह काम जिले की भूदान समिति का है और वह ४१६ एकड़ से से ३१० एकड़ अब तक तहसील कर चुकी है । इसलिये कोई विशेष निकाल की बात भी नहीं है ।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ भूमि ऐसी थी जो कृषि योग्य नहीं थी ?

श्री चरण सिंह—हो सकता है । इसकी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है । जिन्होंने ली है कृषि करने के लिये ली है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो भूमि भूमिदान में मिली है, उसमें जो दरख्त है उनका क्या होता है ?

श्री चरण सिंह—पुराना कानून है और कायदा है कि दरख्त जमीन के साथ जाते हैं ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह सम्बन्ध में जो गजट में प्रकाशित कर दिये गये हैं, वही भूमिदान में है, तो ऐसा सालूम होने पर आप क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप कानून का सवाल और शतिया सवाल पूछ रहे हैं । आप कमरे में जाकर पूछ लें । यह उठना नहीं है ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इन भूदानों में सम्बन्धित काम करने के लिये माल विभाग द्वारा जिले या तहसील के हेडक्वार्टर पर कर्मचारी भी रखे गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कोई कर्मचारी नहीं रखे गये ।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जमीन खराब भूदान में मिली है उसके अच्छा करने के लिये सरकार क्या कोई विशेष अनुदान देती है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं । कोई विशेष अनुदान इस तरह का जिनको इन मिलता है उनको नहीं दिया जाता । जो आम किसानों के लिये है वही उनके लिये है । एक रियायत जरूर है । वह यह है कि अगर जमीन खराब है तो ऐसी जमीन की तीन साल के लिये माल-गुजारी नहीं ली जाती ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार के पास ऐसी शिकायत आयी है कि जो जमीन भूदान में मिली है उस पर जो पेड़ हैं वह जिसको जमीन मिली है उसको न मिल करके कुछ लोग उन पेड़ों को बेच रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप तहसील मुहम्मदी के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ मल्ल—जी हां ।

श्री चरण सिंह—बहु तो भूदान समिति दान देने वाली है । दान देने वाला क्या देता है और क्या रोक लेता है अपने पास इसमें न गवर्नमेंट बीच में आती है और न माननीय सदस्य ।

*४२-४४—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—[९ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

देवरिया जिले की पडरौना तहसील के अन्तर्गत बाढ़-ग्रस्त ग्रामों की सहायता

*४५—श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार देवरिया जिले के पडरौना कानूनगो सर्किल के उन गांवों की सूची जो सन् १९५४ तथा १९५५ में बाढ़-ग्रस्त हुये हैं, मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वांछित सूचियां मेज पर रख दी गयी हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६९ पर)

*४६—श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त क्षेत्र क कितने गांव जून सन् १९५५ के पूर्व ऊंचे किये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उक्त क्षेत्र के ६ गांवों की पूरी तोर से तथा ११ गांवों के कुछ टोलों की सतह जून, १९५५ के पूर्व ऊंची की गई ।

*४७—श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त क्षेत्र के बाड़-ग्रस्त गांवों को इस वर्ष कितनी सहायता कितने-कितने रुपयों की दी गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उक्त क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त तथा जल-बाधित गांवों में इस वर्ष १,५४८ रु० की अहेतुक सहायता (अनुदान) तथा २३,०९० रु० की तकावी बांटी गयी तथा १५० रुपये नावों के किराये पर खर्च हुये । इसके अतिरिक्त गरीबों को वस्त्र भी बांटे गये ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या यह सही है कि पिछले साल से इस साल बाढ़ का प्रकोप ज्यादा रहा है और ज्यादा गांव बाढ़ग्रस्त हुये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जो सूची दी गई है उसमें लिखा है कि कितने गांवों में इस साल बाढ़ आई है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या यह सही है कि पडरौना तहसील के तहसीलदार ने ठीक से जांच नहीं कराई और पिछले साल से भी दस गांव कम सूची में दिये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है ।

श्री व्रज भूषण मिश्र—क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि जो गांव ऊंचे किये गये हैं उनके दरवाजे बहुत नीचे ढब गये हैं और तंग हो गये हैं ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी हां, जिनके दरवाजे नीचे हो गये हैं उनमें से बहुतों ने तो ऊंचे कर लिये हैं और बड़ा अच्छा हो अगर माननीय सदस्य जाकर देख आवें कि किस तरह से लोग वहां दरवाजे ऊंचे कर रहे हैं ।

श्री व्रज भूषण मिश्र—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो गांव ऊंचे किये जा रहे हैं उनमें जो सार्वजनिक कुएं नीचे पड़ते जा रहे हैं, उनको ऊंचा उठाने के लिये भी कोई प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वहां कुओं की जगत भी ऊंची की जा रही है और वह इस विचार से कि बाढ़ का पानी उनमें न जाने पावे और जहां पर गांव ऊंचे किये जा रहे हैं वहां ने स्वयं जाकर कुंये ऊंचे उठते देख आया हूं।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—जो गांव ऊंचे किये गये हैं उनमें फी गांव औसत खर्च कितना आया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उसके औसत का तो अभी अन्दाजा नहीं है, लेकिन वह प्रति गांव दस बारह हजार के बीच में आवेगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या यह सही है कि जो ठेकेदार इन गांवों को ऊंचा कर रहे हैं वह खाली जमीन रहते हुये भी गांवों के चारों तरफ से मिट्टी निकाल कर गड्ढा कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उनको आदेश है कि एक फुट से अधिक मिट्टी कहीं से न ली जाय, परन्तु यदि ऐसा कहीं हो रहा है तो माननीय सदस्य बता दें तो बड़ी कृपा होगी और उसकी जांच करा ली जायगी।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार पश्चिमी जिलों में जहां बाढ़ आई है वहां भी गांवों को ऊंचा उठाने का विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो कोई भी नीचा हो उसको ऊंचा उठाने की कोशिश की जा सकती है।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि जिन गांवों में बाढ़ आई थी उनमें घर भी गिर गये थे, क्या उनको बनाने के लिये भी कोई सहायता दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—रूपया तकावी के रूप में दिया गया है और जहां जरूरत होगी ओर दिया जायगा।

श्री रामेश्वर लाल—क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि इस क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त घरों की सहायता के लिये कितना रूपया दिया गया है ?

श्री चरण सिंह—कुछ तो इत्तला सवाल के जवाब में आ चुकी है और बाकी तफसील जिलों से माननीय मित्र मालूम कर सकते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो वस्त्र-वितरण गरीबों को हुआ है वह किस आफिसर के द्वारा हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माल विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि पडरौना तहसील में बाढ़ का पानी लगने के कारण जो गांवों को नुकसान हुआ था उसकी रिपोर्ट तहसीलदार साहब और हाकिम परगना की दी गई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

मुरादाबाद में रोडवेज के अस्थायी स्टेशन पर व्यय

*४८—श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि मुरादाबाद में रोडवेज का अस्थायी स्टेशन बनाने पर क्या व्यय हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मुरादाबाद में रोडवेज का अस्थायी बस-स्टेशन बनाने पर ५,३५१ रु० एक आना व्यय हुआ।

श्री जगदीश प्रसाद—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इन ५,३५१ रुपये में गांव की भूमि जो ली गई है उसका किराया भी शामिल है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नहीं, इसमें किराया तो नहीं है। यह तो खर्चा लोहा चंगरा जो चीजे खरीदी गईं उनका है।

श्री जगदीश प्रसाद—वह भूमि किस किराये पर और कितने दिनों के लिये ली गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये सूचना की जरूरत होगी यह तो बिल्कुल दूसरा सवाल है।

*४९—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[२ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।

कानपुर रीजन में प्राइवेट मोटर बस चलाने वालों को मार्ग के प्रत्येक थाने में रिपोर्ट लिखाने का आदेश

*५०—श्री शिववक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि आर० टी० ओ०, कानपुर ने कानपुर रीजन के समस्त पुलिस अधिकारियों को यह आदेश प्रसारित किया है कि प्राइवेट मोटर बस वाले अपने आने-जाने की रिपोर्ट मार्ग के प्रत्येक थाने में लिखाये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हाँ।

श्री शिववक्ष सिंह राठौर—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा आदेश देने की आवश्यकता क्यों पडी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आवश्यकता इसलिये हुई कि जो प्राइवेट आपरेटर्स थे उनके जो रूट्स लगे हुये हैं उन्ही पर वे गाड़ियाँ नहीं ले जाते। इसलिये लोगों को शिकायत थी कि वे अपने पूरे रूट्स पर न जाकर जहाँ तक सुभीता होता था वहाँ जाते थे, लेकिन अब यह आदेश हो रहा है कि इस तरह के आदेश वापस ले लिये जायें।

*५१—५३—श्री रामेश्वर लाल—[२६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

‘मोदीनगर कन्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड’ को ऋण

*५४—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस वर्ष में कितने रुपये मोदीनगर कन्स्ट्रक्शन्स लि० को कितने मकान बनवाने के लिये दिये गये ? इनमें से कितने लागत के कितने मकान बने ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—गोविन्दपुरी, मोदीनगर में गृह-निर्माण के लिये सरकार ने मेसर्स मोदीनगर कन्स्ट्रक्शन्स लि० को चार किश्त में कुल ३० लाख रुपये का ऋण दिया। प्रथम दो किश्त दस-दस लाख रुपये के वित्तीय वर्ष १९४९-५० में दिये गये तथा तीसरा किश्त ७ १/२ लाख का और चौथा २ १/२ लाख का वित्तीय वर्ष १९५०-५१ में दिया गया। पूरी स्कीम लगभग दो करोड़ रुपये की थी जिसमें उद्वासित व्यक्तियों की आवश्यकतानुसार पाँच हजार मकान बनवाने का अनुमान था। ऋण दिये गये रुपये में कहां किस प्रकार के कितने मकान बनेंगे, इस बात की आज्ञा समय-समय पर सरकार कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को देती है।

सरकार की आज्ञा से विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकतानुसार तथा कम्पनी के तखमीने से ३२,३४,९७६ रुपये की लागत से अभी तक कुल १,०७९ मकान, दूकाने तथा कारखाने का निर्माण हुआ है। विभिन्न प्रकार के कितने मकान किस-किस लागत पर बने, इसकी सूचना संलग्न तालिका से उपलब्ध होगी। इन मकानों की, सरकारी दरों से, कीमत निकालने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है।

(देखिये नरथी ‘ग’ आगे पृष्ठ ७० पर)

*५५—श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)—सरकार ने यह ऋण किस दर पर दिया और उसमें से अब तक उसे कितना रुपया वापिस मिल चुका है ?

श्री हुकुम सिंह—कुल ऋण पौने चार रुपया सैंकड़ा, प्रति वर्ष, सूद पर दिया गया है। इसमें से मोदीनगर कन्स्ट्रक्शन्स लि० ने अभी तक ३ लाख रुपया मूल की तरफ तथा १,२८,६४३ रुपया सूद की ओर दिया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की अन्तरिम प्रतिकर योजना (Interim Compensation Scheme of the Government of India) के अन्तर्गत बहुत से मकान उद्वासित व्यक्तियों को उनके प्रमाणित दावों (verified claims) के भुगतान में दे दिये गये हैं। कितनी कीमत के कितने मकान इस प्रकार उद्वासित व्यक्तियों को दे दिये गये हैं, इस बात की सूचना भारत सरकार से उपलब्ध होते ही उतना रुपया मेसर्स मोदीनगर कन्स्ट्रक्शन्स लि० के ऋण में से घटा दिया जायगा।

मोदीनगर में कथित इंडियन कोल्ड स्टोरेज ऐन्ड आइस कम्पनी लिमिटेड को ऋण

*५६—श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)—इंडियन कोल्ड स्टोरेज ऐन्ड आइस कम्पनी लि० को कितना रुपया किस दर पर किस वर्ष में दिया गया ? इस ऋण को देने के कारण क्या थे और उसमें से अब तक कितना रुपया वापिस मिल चुका है ?

श्री हुकुम सिंह—मोदीनगर में इस नाम की कोई कम्पनी नहीं है, अतः उसे ऋण दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*५७-५८—श्री राम दास—[२६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिलाधीश द्वारा बाढ़-पीड़ितों को कपड़ा व गल्ला का वितरण

*५९—श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिलाधीश, गोरखपुर ने कितना रुपया और गल्ला बाढ़-पीड़ितों के लिये इकट्ठा किया और कितना-कितना बांटा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिलाधीश, गोरखपुर ने इस वर्ष बाढ़-पीड़ितों के लिये अन्य सामग्री के अतिरिक्त ३६,०२० रु० नकद तथा ३,१४२ मन अन्न एकत्र किया। उन्होंने बाढ़-पीड़ितों के लिये एकत्र किया हुआ कुल अन्न बांट दिया तथा नकद रुपये में से अब तक १२० रु० नकद, कुछ कम्बल तथा बच्चों के लिये १०,१३७ जोड़े कपड़े वितरित किये।

*६०—श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिलाधीश, गोरखपुर ने गोरखपुर पश्चिमी क्षेत्र में कितना गल्ला व रुपया बाढ़-पीड़ितों को बांटा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गोरखपुर के पश्चिमी क्षेत्र में जिलाधीश द्वारा एकत्र किये हुये धन से लगभग ४,००० रु० के मूल्य के वस्त्र—११७ कम्बल, १७५ साड़ियां तथा १,३०० जोड़े बच्चों के कपड़े बांटे गये।

श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह रकम रिलीफ कमेटी के द्वारा बांटी गई है या कलेक्टर साहब ने खुद बांटी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये तो सूचना की जरूरत पड़ेगी।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मन्त्री जी बतावेंगे कि जो कपड़ा बच्चों को बांटा गया, वह पुराना था या नया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जहां तक ख्याल है नया खरीद करके दिया गया है।

श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह—क्या जिन व्यक्तियों से वह रुपया प्राप्त हुआ है, उनको रसीदें दी गई हैं या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जखर बी गई होंगी ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मन्त्री जी को यह विदित है कि बाढ़ क्षेत्रों में पुराने और ऐसे कपड़े बाँटे गये जिनको लोगों ने पसन्द नहीं किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी तो कोई सूचना नहीं । अगर कहीं ऐसा हुआ है तो माननीय सदस्य बतावें उसको देखा जायगा ।

सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि इस सदन की बैठक कब तक चलेगी और फिर जब बन्द होगी तो फिर कब से शुरू होगी ?

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—यह इस वक्त की जो बैठक है, यह उससे जो बड़े दिन की छुट्टी आयेगी, उससे एक दो दिन पहले तक है और उसके बाद किस वक्त बैठक होगी उसके बाबत मैं अभी इस वक्त तो कुछ अर्ज नहीं कर सकता, मगर यह हो सकता है कि जब यह हाउस उठेगा उस वक्त उसके मुताल्लिक कुछ बताया जा सकेगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं एक दूसरी सूचना और चाहता हूँ । इस हफ्ते की कार्यवाही क्या होगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तो अभी तो यह कार्यवाही सामने रखी है ।

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन्, मैं १४ तारीख को जो प्रहण पड़ रहा है, उसके सम्बन्ध में पूछना चाहता हूँ कि सदन की बैठक होगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—यह गजटेड हाली डे तो है नहीं । माननीय नेता सदन इसके बारे में कुछ बता सकें तो बता दें । १४ तारीख को जो प्रहण पड़ रहा है उसके बारे में वह जानना चाहते हैं ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो अभी तक किसी ने सोचा नहीं था कि उस रोज हाउस बैठेगा या नहीं बैठेगा । लेकिन मैं इसके मुताल्लिक सही नहीं अर्ज कर सकता हूँ । वैसे दफ्तर में तो शायद छुट्टी हो गई है । जब बैठकर काम करेंगे तो फिर सदन उससे ज्यादा काम करेगा ।

श्री ब्रज विहारि मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो समझते हैं कि सदन का हर एक माननीय सदस्य इस बात से सहमत होगा कि सूर्य प्रहण की छुट्टी अवश्य होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—तो इसके बारे में पहले नेता सदन से उनके दफ्तर में बात कर ली जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

*उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४

† खंड १३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार जारी रहेगा ।

* १० फरवरी, १९५५ की कार्यवाही में छपा है ।

† ८ दिसम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—मैं उस दिन बोल नहीं रहा था। लेकिन मैंने एक संशोधन जरूर दिया था पिछले फ्राई डे को, वह मैंने १२-ए करके दिया था। मेरा निवेदन यह है कि वह १३-ए करके ले लिया जाय। मैंने १२-ए करके दिया था इसलिये शायद वह इसमें छपा नहीं है। १३-ए करके उसे ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो खंड १३ समाप्त होने पर आप उसे लाये।

(श्री नारायणदत्त तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं बोल चुका था।

पुलिस उप-मन्त्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—श्री अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में जो शब्द बिल में दिये हुये हैं वे काफी हैं उनको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे दुःख है कि माननीय मन्त्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं हैं। मैं अपने संशोधन द्वारा चाहता था कि स्थानों, विद्युत तथा अन्य उपकरणों एवं प्रतिष्ठानों के निरीक्षण तथा सम्बन्धित शुल्क, दोनों की व्यवस्था हो जाय। लेकिन माननीय मन्त्री जी के विधेयक में (ङ) में केवल विद्युत उपकरणों के निरीक्षण की ही व्यवस्था है। स्थानों के निरीक्षण की ही व्यवस्था नहीं होगी तो शुल्क कैसे लगे और किस चीज कालेगे? श्रीमन्, आप स्वयं पढ़ने का कष्ट करें। “ग” जो खंड है, उसमें स्थानों शब्द का प्रयोग किया गया है और विद्युत तथा अन्य उपकरणों का प्रयोग किया गया है। तो फीस का प्रबन्ध है, लेकिन इन्सपेक्शन का नहीं है। इस गलती को दुरुस्त करने के लिये मैंने “ग” और “ङ” को मिलाकर फीस और इन्सपेक्शन दोनों का प्रबन्ध कर दिया। अगर माननीय मन्त्री जी तब भी इसकी शब्दावली को ठीक नहीं करना चाहते तो मैं मजबूर हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या आप वापस ले रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (२) के भाग (ग) की पंक्ति २ में शब्द “शुल्क” के स्थान पर शब्द “तथा सम्बन्धित शुल्क” रख दिया जाय और खंड १३ के उपखंड (२) का भाग (ङ) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड १३ के उप-खंड (२) के भाग (च) के बाद एक नया भाग (छ) निम्न रूप में रख दिया जाय—

“(छ) अन्य आवश्यक विषय जो नियत किये जायें।”

यह संशोधन केवल इसलिये रखा गया है कि अगर जनरल तरीके पर नियम में कोई बात रह गयी हो तो इसके अन्दर रखी जा सके। मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान एक विशेष बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस विधेयक में जो जुर्माने की सजा रखी गयी है उसकी वसूली का कोई नियम या धारा नहीं रखी गयी है और जहाँ तक जुर्माने की वसूली की बात है, मुझे दिक्कत मालूम होती है कि नियम के अन्दर सजा नहीं हो सकती। जब कोई जुर्माने का कानून बना है तो उसकी वसूली का नियम उसके बाद रखा गया है और जुर्माना हमेशा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार वसूल होता है, यह उसमें लिखा होता है। यह जो आने वाला विधेयक है, उसमें भी मैंने देखा है कि इस उत्तर प्रदेश महिला तथा बाल संस्था विधेयक में लिखा गया है कि इस अधिनियम के अधीन लगाये गये जुर्माने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड १८५८ के द्वारा।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्बीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—यह आपने दूसरा संशोधन शुरू कर दिया ? आपका तो यह है अन्य आवश्यक विषय जो नियत किये जायं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह जो वसूली की बात है, उसको अन्य आवश्यक विषय जो नियत किये जायं, इसके अन्दर माननीय मंत्री महोदय देख लें कि इससे काम चल सकता है या नहीं और मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाय। वहां अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं दूसरे क्लॉज में संशोधन जो मैंने दिया है, उसको रखूंगा, क्योंकि बिना इसके यह विधेयक अधूरा रह जायगा और जर्मनी की वसूली का कोई कायदा इस कानून के अन्दर नहीं है। इसलिये चाहे इसको कौंसिल में ले जाना पड़े चाहे जैसे इस कमी को पूरा करना चाहिये।

श्री जगन प्रसाद रावत—अध्यक्ष महोदय, उपखंड १३(२) में हमें यह अधिकार है कि 'अन्य आवश्यक नियम जो जरूरी समझे' वे बना लें। मेरा ख्याल है कि उससे काम चल जायगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य, आप वापस ले रहे हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं इसे वापस ले लेता हूं, क्योंकि नियम में तो बड़ी वाइड पावर्स रहती हैं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—माननीय सीताराम शुक्ल जी ने एक संशोधन दिया है जो समय के बाद आया है, वह इस प्रकार है—

“खंड १३ के उपखंड (२) के भाग (च) के बाद एक नया भाग (६) निम्न रूप में रख दिया जाय—

“सिनेमा भवनों में तमाशा प्रारम्भ होने से पूर्व अथवा अन्य उपयुक्त समय में कुछ मिनट तक उत्तम कवियों, शायरों या गायकों अथवा नृत्यकारों की कला का मनोरंजनार्थ प्रदर्शन की व्यवस्था करना।”

अगर किसी को आपत्ति न हो तो . . .

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)—मुझको आपत्ति है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—आपको आपत्ति है तो फिर मैं इसको नहीं ले सकता हूं। खंड १३ में अब और कोई संशोधन है नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब एक दूसरा संशोधन माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी का है। यह भी नोटिस के समय के बाद मेरे पास आया है। वह चाहते हैं कि खंड १३ के बाद १३-अ इस रूप में रखा जाय :—

“इस अधिनियम के अधीन लगाये गये जर्मनी कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ द्वारा नियत रीति से वसूल किये जा सकते हैं।”

इसके बारे में किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमन्, पूर्व इसके कि कोई इस पर आपत्ति करे मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैंने इस संशोधन को देख कर रखा है, इसमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है।

श्री अध्यक्ष—मगर संशोधन अलग तो है।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—मुझे इस पर आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—तो मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता हूँ।

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४

चल-चित्र यन्त्र द्वारा प्रदर्शन के विनियमन की व्यवस्था करने का
विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में चल-चित्र यन्त्र द्वारा प्रदर्शन के विनियमन की व्यवस्था की जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा कि जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे।

संक्षिप्त शीर्ष-
नाम, प्रसार
और
प्रारंभ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूँ कि खंड १ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में अंक "१९५४" के स्थान पर अंक "१९५५" रख दिया जाय।

चूंकि यह विधेयक पहले से चला आ रहा है इसलिये १९५४ लिखा गया था, लेकिन अब यह गलत हो गया है, क्योंकि यह पारित होगा १९५५ में। इसलिये १९५५ ही ठीक होगा। मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री ज. इसे जरूर स्वीकार कर लेंगे।

श्री जगन प्रसाद रावत—साधारणतः तो जिस सन् में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वही लिखा रहता है। लेकिन यह तो अध्यक्ष महोदय को भी रुल १२० में अधिकार है कि वे चाहें तो सन् को बदल दें। संशोधन के रूप में तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, यह अधिकार तो मुझको है। यह बात सही है। माननीय जगन्नाथ मल्ल जी, आप प्रेस कर रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ मल्ल—तो आप बदल दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—हां, मैं बदल सकता हूँ, कौंसिल के चेयरमैन से भी पूछ लेना होगा और दोनों देखकर बदलना उचित होगा तो बदल देंगे।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन प्रसाद रावत—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

में अधिक कुछ कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि काफी सदस्यों ने इस पर अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। कोई नया संशोधन नहीं हुआ है और कोई नई बात भी नहीं हुई है। मैं आशा करना हूँ कि सदन इसको शीघ्र पारित करेगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, पारित करते समय बिल पर बोलने का अधिकार होता है।

श्री अध्यक्ष—तीसरे वाचन में सिर्फ उस समय जब कि विधेयक अमेडमेंट स्वीकृत हो गये हों तो उस विषय पर बोल सकने हैं। लेकिन कोई अमेडमेंट नहीं हुआ है, लिहाजा बोलने की तुक नहीं रह गई है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक बात यह कह देना चाहता हूँ कि इसमें कमी रह गई है.....।

श्री अध्यक्ष—वह तो ठीक है, इसके लिये इस समय मैं इजाजत नहीं दूंगा और कोई अन्य बात कहने के लिये।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९५५

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९५५ को पुरःस्थापित करता हूँ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७१ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबंधों) का विधेयक, १९५५

पुलिस उपमन्त्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उपमन्त्रियों और सभा सचिवों के (वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबंधों) का विधेयक, १९५५ पुरःस्थापित करता हूँ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८१ पर)

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५

नियोजन मन्त्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा विधेयक है, किन्तु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लाने के दो आधार हैं। एक तो यह कि जब से वर्तमान अधिनियम पास हुआ है, उसके अधीन अब तक जो कुछ कार्य हुआ है, उसके अनुभव के आधार पर और दूसरा १९४७ में राज सरकार ने आयुर्वेद और यूनानी पुनःसंगठन समिति की स्थापना की थी, उसने जो सिफारिशें की हैं, उनके आधार पर यह विधेयक यहां लाया गया है। वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत हमारे प्रदेश में बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन नाम की एक संस्था है। इसके द्वारा आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा प्रणाली के विकास का कार्य होता है। इस मौजूदा अधिनियम के द्वारा

* २१ नवम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

जो बोर्ड है, उसको शिक्षा, निरीक्षण और सहायता देना, यह तीनों अधिकार हासिल हैं। जो संशोधन विधेयक इस समय प्रस्तुत किया गया है, इसमें बोर्ड के अधिकार कुछ सीमित कर दिये गये हैं। बोर्ड अब शिक्षा सम्बन्धी कार्य नहीं करेगा। इसके लिये एक प्रथक फंकट, का स्थापना होगी और बोर्ड अब हमारे प्रदेश में सिर्फ बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेगा। बोर्ड, जो शिक्षा संस्थायें हैं हमारे प्रदेश में उन शिक्षा संस्थाओं से जो स्नातक निकालेंगे उनको प्रमाणपत्र और डिप्लोमा या डिग्री देने का कार्य करेगा। यह कार्य बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश के जिम्मे किये गये हैं। उसमें अब सदस्यों की तादाद कम कर दी गई है। पहले २७ थे, अब वह २१ कर दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसमें की गई है वह यह कि अब तक बच्चों और हकीमों के सिर्फ ६ प्रतिनिधि बोर्ड में होते थे। अब इस विधेयक के द्वारा उनको ६ बच्चों और ३ हकीमों को भेजने का अधिकार दिया गया है। इसी तरह में हमारे प्रदेश में पहले बच्चों सम्मेलन और अन्जुम ने तिब्बिया के प्रतिनिधि भी आते थे। अब उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया और इसका कारण यह है कि जो संस्थायें पाठों पालिटिक्स में, दलबन्दी में पड़ गई हैं और जिस उद्देश्य से उनको प्रतिनिधित्व दिया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति में कार्य नहीं किया। एक और महत्वपूर्ण संशोधन इस विधेयक में यह किया गया है कि भविष्य में जो नया बोर्ड बनेगा उस बोर्ड में विधान परिषद्, विधान सभा, जिला बोर्ड और म्युनिसिपैलिटियों के कोई प्रतिनिधि नहीं होंगे। उनकी इसमें व्यवस्था नहीं की गई है। वह इसलिये कि ऐसा समझा जाता है कि उनका रहना कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। क्योंकि अब तक बोर्ड के सदस्य या विधान सभा के सदस्य, सभी बच्चों नहीं होते हैं और विधान सभा को या विधान परिषद् को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है, वह अपने सदस्यों में से किन्हीं को भी चुन कर भेज सकते हैं। इसलिये जो वर्तमान विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है, उसमें यह आवश्यकता नहीं समझी गयी कि उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाय, इस विधेयक के द्वारा जो बोर्ड बनेगा, उसमें सिर्फ २१ सदस्य होंगे। इस प्रकार जो फंकल्टी बनेगी उसमें शिक्षा संस्थाओं के जो प्रतिनिधि आयेंगे उनके अतिरिक्त जो बोर्ड का प्रेसीडेन्ट होगा और जिसको सरकार नामजद करेगी वह उसमें चेरमैन होगा और तीन तक और सदस्य उसमें नामजद होंगे और इस प्रकार फंकल्टी को स्थापना होगी। फंकल्टी अपने प्रदेश में आर्यवैदिक विकास के लिये कार्य करेगी और जो शिक्षा संस्थायें हमारे प्रदेश में इस समय कार्य कर रही हैं आयुर्वेदिक और यूनानी की उनके लिये कोर्स निर्धारित करेगी, परीक्षा की व्यवस्था करेगी और उसके विकास के लिये कार्य करेगी। इस तरह से इस विधेयक में व्यवस्था की गई है। एक महत्वपूर्ण संशोधन यह किया गया है कि अब तुक जो अनुभव के आधार पर बच्चों रजिस्टर्ड होते थे, अब भविष्य में उनका रजिस्ट्रेशन न हो सकेगा, किन्तु इसके साथ ही साथ यह संशोधन नहीं किया गया है या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि वह बच्चों प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे कि जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। उनको प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा और वह प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रकार इस विधेयक में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं और यह हमारे प्रदेश में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली में सहायक सिद्ध होगा। धीरे-धीरे यह चिकित्सा प्रणाली हमारे प्रदेश में प्रगति कर रही है और अनुभव के आधार पर यह उम्मीद की जाती है कि निकट भविष्य में यह अधिक प्रगति करेगी। एक बात में यहां यह बताना चाहता हूँ कि अब तक हमारे प्रदेश में लगभग ५५० आयुर्वेदिक और यूनानी डिस्पेंसरीज इस दौरान में खुल चुकी हैं और हमारे बोर्ड ने लगभग २२,८८९ बच्चों को और ६,५१८ हकीमों को रजिस्टर्ड किया है। यह हमारे प्रदेश की आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली की प्रगति है। मुझे उम्मीद है कि सदन इस विधेयक पर विचार करेगा और उसे शीघ्र ही पारित करेगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन)

* बताने में भाषण का पुनर्बीक्षण नहीं किया।

विधेयक, १९५५ को एक प्रवर समिति के सम्मुख विचारार्थ भेजा जाय जो पन्द्रह दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। प्रवर समिति के सदस्यों के नाम मैं बाद को प्रस्तुत करूंगा।

श्रीमन्, मैं माननीय सभासचिव महोदय के उस कथन से सर्वथा असहमत हूँ कि यह विधेयक छोटा होते हुये भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसीलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि अत्यन्त महत्व के इस विधेयक को प्रवर समिति के सम्मुख विचारार्थ भेजा जाना चाहिये। इस विधेयक का उद्देश्य यह है और आज से ही नहीं, बल्कि जब से यह विधेयक पहली बार विधान सभा ने इसको अधिनियम बनाया तब से यह उद्देश्य रहा है कि आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति को इस देश में एक वैधानिक स्वरूप दिया जाय। जब से इस देश में और प्रदेश में एलोपैथिक शिक्षा पद्धति का जितना भी प्रसार हुआ तभी से एलोपैथिक और आयुर्वेद और यूनानी के बीच निरन्तर संघर्ष जारी रहा। अंग्रेजी शासन ने अपने स्वभाव के अनुसार अपने यहां के विज्ञान को प्रथम स्थान दिया और यही कारण था कि अंग्रेजी शासनकाल में जितने भी चिकित्सा सम्बन्धी विधान बने, जितने भी मेडिकल ऐक्ट बने, उनमें एलोपैथिक सिस्टम की जो मेडिसिन थी उसको ही प्रधानता दी गयी, उसको ही सर्वाधिक महत्व दिया गया और आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति को अत्यन्त ही महत्वहीन स्थान प्रदान किया गया। यह उचित ही था कि जब पहली बार यहां उत्तरदायित्वपूर्ण जनप्रिय सरकार की स्थापना हुई तो उसने यह पहला काम किया कि इस द्वेष प्रवृत्ति को समाप्त करे और आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति को विधान के अनुसार कुछ स्थान दे। इसलिये हमारे यहां प्रथम जनप्रिय मन्त्रिमंडल की स्थापना होने पर यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट १९३९ में इस इस सदन ने पारित किया। हमें यह देखना है कि क्या १९३९ के इंडियन मेडिसिन ऐक्ट और जो आज संशोधन ऐक्ट इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है और उसकी जो नई प्रस्तावना है उसमें क्या यह आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणाली के साथ वास्तव में न्याय करता है। हमें यह भी देखना है कि अभी तक ऐसी कोई परम्परा तो नहीं चली आ रही है कि जिससे हम आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों को किसी प्रकार भी एलोपैथिक पद्धति से हेय समझते हैं। श्रीमन्, आपने यह देखा होगा कि इस आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने कोई विधान नहीं बनाया है और इस बात के होते हुये भी कि केन्द्र में एक चिकित्सा विभाग है और उसकी मन्त्राणी भी है और पंचवर्षीय योजना में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के हेतु केन्द्र की ओर से बहुत अधिक रुपया खर्च करने की व्यवस्था है। जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है उसने आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में कोई निश्चित विधान नहीं बनाया है और भोर कमेटी की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को यह छूट दे दी गई कि वे आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों को मान्यता दें या न दें और जिस प्रकार के विधान चाहें उनके बारे में बनायें। मैं स्वयं न तो आयुर्वेदिक न यूनानी और न एलोपैथिक किसी भी पद्धति को जानता हूँ। मुझे तो केवल एक रोगी के नाते हकीमों, डाक्टरों और वैद्यों के पास जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतनी ही मेरी जानकारी है चिकित्सा शास्त्र की। अतः मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि एलोपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों में संघर्ष का होना बड़े दुर्भाग्य की बात रही है। भोर कमेटी ने तो आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को केवल इतना ही महत्व दिया है कि उसको हिस्ट्री और मेडिसिन के तौर पर मानकर उससे लाभ उठाने का प्रयत्न किया जाय। इस प्रकार भोर कमेटी ने तो एक प्रकार से इस पद्धति को ठुकरा ही दिया है।

अध्यक्ष महोदय, १९४८ में जब कि इस प्रान्त में आप सभा सचिव थे तो आपके नेतृत्व में दो कमेटियां बनीं। एक कमेटी तो मेडिकल और पब्लिक हेल्थ के संगठन के बारे में बैठती तथा दूसरी आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों की जानकारी के लिये बैठती थी। जो पहली कमेटी थी उसके सिलसिले में यह ज्ञात हुआ कि उस समय सन् १९४७ में सरकार की ओर से इस राज्य में ५५० आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालय थे और १०० औषधालय प्रति वर्ष खोले जायेंगे एक ऐसी योजना बनायी गयी थी, लेकिन सरकार को अपनी इस योजना को रोकना पड़ा। क्योंकि इनका संघर्ष एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से हुआ। शायद

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के मानने वालों के दबाव के कारण ऐसा हुआ हो, । कुछ भी कारण रहा हो लेकिन ऐसा हुआ प्रतीत होता है क्योंकि आज भी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि राज्य में ५५० आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालय हैं । ७ साल के प्रयत्न के बावजूद भी सन् १९४७ में जो इन औषधालयों की संख्या थी वही आज भी बनी हुई है और एक कदम भी हमने इन औषधालयों को खोलने के बारे में आगे नहीं बढ़ाया । अब कहा यह जाता है कि जो खेर कमेटी आपके नेतृत्व में बनी थी, उसकी सिफारिशों को इस संशोधन विधयक के द्वारा पूरा किया जा रहा है । बहुत जल्दी की सरकार ने सन् १९४८ में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, १९४८ से आज तक सरकार सोयी रही । बहुत लम्बी उम्र है सरकार की ; सन् ४८ में सरकार के पास रिपोर्ट आ गयी थी और आज सन् ५५ में सरकार को यह प्रतीत होता है कि इंडियन मेडिकल ऐक्ट को उस कमेटी के अनुसार संशोधित किया जाय । ८ साल के बाद सरकार की नींद टूटी । अच्छा हुआ । अब देखना यह है कि आया यह विधेयक उस कमेटी की सिफारिशों को पूरा करने जा रहा है या नहीं । मैं इसके बारे में केवल इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूँ कि खेर कमेटी की दो चार सिफारिशों को छोड़कर बाकी सभी सिफारिशों को ठुकरा दिया गया है । मैं इस समय जो भी कुछ कह रहा हूँ वह इसलिये कि प्रवर समिति में इसका रूप और स्वरूप कुछ बदल सके । यदि आप इस पर उन संशोधनों की संख्या देखें तो वह ६० या ७० आ चुके हैं और शायद अभी और भी आने वाले हों, इनकी बड़ी संख्या से ही स्पष्ट होता है कि इस बिल को अभी प्रवर समिति में ले जाने की आवश्यकता है । मैं बोर्ड के बारे में कह रहा था कि इस बारे में कमेटी की सिफारिश बिल्कुल साफ थी कि प्रेसीडेन्ट चुना हुआ होना चाहिये, लेकिन यह सरकार और हमारे माननीय मन्त्री जी उसको नामजद कराना चाहते हैं । अभी तक अगर आप देखें तो पुराने कानून में भी साफ था कि सभापति का चुनाव बोर्ड द्वारा होगा और खेर कमेटी की रिपोर्ट भी यही है कि उस का चुनाव बोर्ड द्वारा होगा, लेकिन नहीं मालूम क्यों सरकार द्वारा अब नामजदगी का सवाल पेश है । मन्त्री जी का कहना है कि तिब्बी अन्जुमनों और आयुर्वेदिक सम्मेलनों में दलबन्दी बहुत है, इसलिये उनके नुमाइन्दे को बोर्ड में स्थान न देना चाहिये । श्रीमन्, दलबन्दियां कहां नहीं हैं ? इस प्रजातन्त्र के युग में दलबन्दियां आयुर्वेदिक सम्मेलनों या तिब्बी अन्जुमनों में क्या, विभिन्न राजनैतिक प्रणालियों, सामाजिक पार्टियों में सभी जगह प्रजातन्त्र में परम्पराओं से या व्यक्तिगत स्वार्थों से, निजी या दलगत स्वार्थों से कहीं न कहीं हम सभी बदलबन्दी के शिकार हो जाते हैं । इसलिये यह कहना कि चूंकि आयुर्वेदिक सम्मेलनों और तिब्बी अन्जुमनों में दलबन्दी बहुत है, इसलिये उनके प्रतिनिधियों को हम बोर्ड में स्थान नहीं देंगे यह कोई उचित दलील प्रतीत नहीं होती । आखिर वहां उन का कोई बहुमत होने वाला नहीं है, केवल एक या दो प्रतिनिधि अन्जुमन या आयुर्वेदिक सम्मेलन के वहां पहुंच जाते और आप की कमेटी की सिफारिश भी इस सम्बन्ध में स्पष्ट है, उसको भी सरकार ठुकराती है और बोर्ड के अधिकारों पर भी जिस तरह से कुठाराघात हो रहा है और उनको कम किया जा रहा है यह भी श्रीमन् देख रहे हैं । अब यह कहा जायगा कि बोर्ड के अधिकार हमने फैंकल्टी को हस्तांतरित कर दिये हैं । अब आप यह देखें कि बोर्ड को इस बात भी अधिकार नहीं रहा कि वह इन्स्पेक्टर की नियुक्ति कर सके और उसको इस बात का भी अधिकार नहीं रहा कि जिन शिक्षण संस्थाओं या जिन आयुर्वेदिक या यूनानी संस्थाओं को वह मान्यता प्रदान करता है या वह जिन को एफिलियेट या सम्बद्ध करता है, वह उनको मान्यता या एफिलियेशन दे सके । या वह रिसर्च आदि के लिये किसी संस्था को कोई सहायता दे सके । पहले बोर्ड को ये अधिकार थे, वह सन् ४७ में उसको प्राप्त थे, लेकिन आज वह ताकत न तो फैंकल्टी और न बोर्ड के ही हाथ में वह पावर रही, जिस फैंकल्टी को आप बनावेंगे वह क्या है ? आप की खेर कमेटी की सिफारिश थी कि फैंकल्टी इंडिपेंडेंट होनी चाहिये और उसी के उदाहरणस्वरूप और उसी आधार पर जिस पर कि ऐलोपैथिक की स्टेट मेडिकल फैंकल्टी है, यह इंडियन मेडिसिन फैंकल्टी यूनानी और

आयुर्वेदिक की होनी चाहिये। क्या इस प्रकार की फैंकल्टी जैसी की वह बनाना चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट मानी जा सकती है? हाँगज नहीं। इसके कान्स्टीट्यूशन में वही बोर्ड के मेम्बर है। आपको आश्चर्य होगा कि इस मेडिकल फैंकल्टी में जो बोर्ड के प्रेसीडेंट होंगे वे चेयरमैन होंगे और उनमें कोई अन्तर न होगा। और जो बोर्ड के सदस्य होंगे और शिक्षा संस्थाओं के लोग वही केवल फैंकल्टी में जा सकेंगे और लीन और दूसरे सदस्य भी समय समय पर लिये जा सकेंगे जो समय समय पर होंगे। यह फैंकल्टी का विधान है तो फिर बोर्ड और फैंकल्टी में फर्क क्या रह गया। जिस फैंकल्टी को आज हमारी सरकार इस विधेयक के द्वारा प्रस्तुत करने जा रही है वह फैंकल्टी केवल बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन की एक सब कमेटी मानी जा सकती है, फैंकल्टी नहीं। बाहर का कोई भी आदमी उसमें सदस्य नहीं हो सकता उसका सदस्य केवल वही हो सकता है जो बोर्ड का मेम्बर हो। चाहे कोई कितना भी जानकार हो वह व्यक्ति जो बोर्ड का सदस्य न हो वह फैंकल्टी का सदस्य नहीं हो सकता। मैं जानना चाहूँगा कि क्या यह फैंकल्टी कही जा सकती है? मैं फैंकल्टी के विधान का स्वागत करता हूँ, लेकिन उसके क्या अधिकार हों, कौन उसके सदस्य हों, इस सम्बन्ध में मेरा मतभेद है। मैं नहीं चाहता कि फैंकल्टी बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन की एक परमानेंट सब-कमेटी बन कर रह जाय, जैसा आज है। मैं चाहता हूँ कि बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन और फैंकल्टी के कार्य अलग-अलग हैं इसलिये उनका विधान भी अलग होना चाहिये। यह हो सकता है कि बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के कुछ सदस्य फैंकल्टी में भी हों, लेकिन यह न हो कि फैंकल्टी के सदस्य वहाँ होंगे जो बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के सदस्य हों। उसे स्वतन्त्र संस्था होना चाहिये। उसे एक प्रकार से राज्य सरकार के प्रभाव से भी मुक्त होना चाहिये।

आयुर्वेदिक, यूनानी अन्वेषणा गवेषणा, और रिसर्च के लिये जो एकेडेमी स्थापित की गई है उसको भी उस के अधीन होना चाहिये। संक्षेप में फैंकल्टी का स्वरूप वही होना चाहिये जो आपने एलोपैथिक सिस्टम की फैंकल्टी, स्टेट फैंकल्टी आफ मेडिसिन का रखा है। वह विधान आज इसका नहीं है। दूसरी बात जो विधान बोर्ड का है और जिस प्रकार रखा गया है उसमें नामजद और चुने हुये सदस्यों में एक विशेष प्रकार का भेद खड़ा कर दिया गया है जो पहले नहीं था। पहले राज्य सरकार ही केवल सभापति को रिमूव कर सकती थी, लेकिन अब दो प्रकार की श्रेणियाँ बना दी गयी हैं। जो सदस्य सरकार द्वारा नामजद किये गये हों भले ही वे सभापति हों या दूसरे सदस्य हों और जो सदस्य चुने गये हों, उनमें एक श्रेणी बना दी गई है। जो सदस्य नामजद हैं उनकी श्रेणी जरा ऊँची बना दी गई। उनके इस्तीफे को वह खुद मन्जूर नहीं कर सकते राज्य सरकार मन्जूर करेगी। वह बोर्ड की परिधि के बाहर है बोर्ड को केवल उसकी सूचना मिलेगी। खंड १२ का उपखंड (२) इसका सूचक है कि जो भेद इसका सूचक नहीं था जो नामजद और चुने सदस्यों के बीच में भेद नहीं था वह बनाया जा रहा है और एक झूठी, मिथ्या खाई सदस्यों के बीच में डाली गयी है और मैं समझता हूँ कि उससे बोर्ड के नित्यप्रति क कार्य में कोई सतूलियत होने वाली नहीं है।

इसके साथ-साथ, इसमें असेम्बली और कौंसिल के सदस्य जो जाते थे उनको भी स्थान नहीं दिया गया है। मैं यह नहीं कहता और मेरा ऐसा विचार भी नहीं है कि इस राज्य में बनने वाले प्रत्येक बोर्ड, प्रत्येक कमेटी में असेम्बली और कौंसिल के सदस्यों का रहना जरूरी है, लेकिन बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन में या भारतीय आधार पर जो चिकित्सा पद्धति है उसका जो बोर्ड हो। हम विधान में कोई ऐसी बात रख दें कि जिससे कोई मेम्बर जा नहीं पाये तो इसका क्या कारण है, ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। माननीय मन्त्री जी ने कह दिया कि हमने हटा दिया। क्या कारण है? क्यों हटा दिया? इस आदरणीय सदन में बहुत से ऐसे माननीय सदस्य को जानता हूँ मैं अपने लिये नहीं कहता, अपने साथियों के लिये नहीं कहता, लेकिन ऐसा जानता हूँ कि असेम्बली और कौंसिल में बहुत से माननीय सदस्य मौजूद हैं, जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्षों को आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा पद्धति में बिताया, यदि वे

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

व्यक्ति इस भवन में सदस्य हों और एक आध इस बोर्ड में चले जायं तो यह अत्युक्तिपूर्ण बात न होगी। एक तो आप बिना कारण के उसे हटा रहे हैं। फिर इसमें एक ऐसा संशोधन होने जा रहा है, जिससे मैं समझता हूँ कि आयुर्वेदिक जगत में विशेष प्रकार की हलचल मचनी चाहिये, मभव है मच भी गयी हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है और वह यह कि आप सर्जरी को हटा रहे हैं। इस विषयक मैं इसकी व्यवस्था थी कि आयुर्वेदिक सर्जन भी हो सकते हैं, लेकिन अब मालूम नहीं। मैं यह नहीं कहूँगा कि माननीय मन्त्री एलोपैथ्स के प्रभाव में आ गये जो सिफारिश सन् ३९ से लेकर कर आज तक आपकी कमेटी की थी, पेज २२० पर कि आयुर्वेद सर्जरी को वही महत्व दिया जाना चाहिये जो एलोपैथिक सर्जरी के सर्टिफिकेट को प्राप्त है उसको आज समाप्त किया जा रहा है। माननीय मन्त्री जी उस कमेटी के सदस्य हैं और कहां तो यह सिफारिश थी कि बराबरी का महत्व दिया जाना चाहिये था और अगर सर्जरी के बारे में बराबरी का मौका न भी दिया जाता तो कमसे कम उनको रिसर्च का मौका तो होता और पहले जिनको सर्जरी का सर्टिफिकेट मिल चुका है उनसे भी कहिये कि तुम्हें हम मान्यता नहीं देंगे। तो मैं यह समझता हूँ कि इस पर जरा पुनर्विचार की आवश्यकता है और मैं यह उचित नहीं समझता कि खेर कमेटी की सिफारिश के खिलाफ सर्जरी और मिडवाइफरी की जो उसमें परिभाषा दी हुई है कार्यवाही की जाय। इसके साथ ही साथ बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं इस पुराने विधेयक में जिनका स्पष्ट होना जरूरी था। श्रीमन्, आपकी कमेटी ने एक एक करके... ..।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूँ कि 'आपकी कमेटी' शब्द न कह कर 'खेर कमेटी' कहिये

श्री नारायणदत्त तिवारी—आप सम्मुख हैं, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष—मैं सम्मुख हूँ, अध्यक्ष के नाते और उक्त कमेटी से मैं इस समय कोई सम्बन्ध नहीं रखता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आपकी कमेटी से मेरा तात्पर्य खेर कमेटी से ही है, स्पीकर की कमेटी से नहीं है। मैं आपकी अनुमति से माननीय मन्त्री जी का ध्यान पेज ११८ की ओर दिलाना चाहता हूँ—

“Besides the changes indicated above, we would point out that the existing Act is very loosely drafted and contains some inherent defects which must be removed”.

ऊपर बताये गये परिवर्तनों के सिवा हम कुछ ऐसी भी बातें बतलाना चाहेंगे जिनके अनुसार इस प्रस्तुत अधिनियम में अनेक गलतियां रह गयी हैं। शब्दावली की गलतियां हैं और कुछ बुनियादी गलतियां भी हैं।

“For instance, the present Act does not specify the duties of the Chairman and the Vice-Chairman, the right of Board to call for any report from the Chairman, the circumstances in which a Chairman may be removed by Government, framing of the budget by the Board and its submission to Government, previous publication of the regulations framed by the Board under section 37 of the Act and their confirmation by Government, etc.”

मिसाल के लिये खेर कमेटी ने मिसाल दी कि इस अधिनियम में जो सन् ३९ का है, सभापति और उपसभापति के क्या कार्य हैं, ये नहीं बतलाये गये हैं।

बोर्ड किस हालत में चेयरमैन से रिपोर्ट मांग सकता है, यह नहीं बतलाया गया। चेयरमैन किस हालत में सरकार द्वारा हटाया जा सकता है, यह नहीं बतलाया गया। बोर्ड द्वारा बजट बनाये जाने के लिये गवर्नमेंट की तरफ से वॉट दिये जाने के सम्बन्ध में नहीं

बतलाया गया। धारा ३७ के अनुसार जो रेगुलेशंस बोर्ड के द्वारा बनाये जायेंगे, उनकी छपायी के लिये सरकार द्वारा स्वीकृति के सम्बन्ध में नहीं बतलाया गया है।

इतने सुझावों में जो खेर कमेटी की रिपोर्ट में दिये गये हैं, एक सुझाव केवल माना गया। वह आखिर वाला सुझाव है जिसमें यह धारा ३७ के अनुसार रेगुलेशंस को पहले छपवा दिया जायगा। लेकिन चेयरमैन के अधिकार क्या होंगे, वाइस। चेयरमैन के अधिकार क्या होंगे, बोर्ड बजट कैसे बनायेगा, चेयरमैन कब हटाया जायगा, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है। अगर सेलेक्ट कमेटी में जायगा तो स्पष्टीकरण का मौका मिल सकेगा। हम इस सम्बन्ध में पुनर्विचार कर सकेंगे। आगे चल कर श्रीमन्, आप देखें कि हम बोर्ड का वह अधिकार भी छीन रहे हैं इस विधेयक द्वारा, जिसमें कि बोर्ड को किसी विशेष प्रयोजन के लिये धारा २१ के अनुसार कोई ग्रांट मिल सकती। जब हमने यह मान लिया है कि बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन, आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों का सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड होगा तो उसको हम कभी कभी ऐसी ग्रांट दे सकते हैं, जिन कार्यों के जरिये कोई विशिष्ट प्रकार का कार्य फंक्लटी या एकेडेमी के जरिये बोर्ड करा सके। हमने उसके अधिकारों में लिख दिया कि बोर्ड फंड्स का प्रयोग करेगा। लेकिन फंड्स आयेगे कहां से? बोर्ड को राज्य सरकार जितनी ग्रांट दे सकती है। वह सब आपने समाप्त कर दी। उसके पास केवल एक ही प्रकार से फंड आ सकेगा, वह मेम्बरों की फीस द्वारा। और कोई तरीका वर्तमान संशोधन विधेयक में नहीं रखा गया है जिसके द्वारा बोर्ड के पास कहीं से धन आ सके। मैं जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी क्यों इस प्रकार चाहते हैं कि बोर्ड को जो सरकार विशेष कार्य के लिये भी ग्रांट दे सकती थी उसको आप क्यों छीनना चाहते हैं? बोर्ड को पहले यह भी अधिकार था कि भारतीय पद्धति के अनुसार पब्लिक हेल्थ की योजना वह बना सके। उसकी देखरेख को कार्यान्वित करा सके। जब आपन सभी श्रेणियों में बोर्ड को महत्व दिया है तो पब्लिक हेल्थ के मामले में किस प्रकार प्रिवेंटिव तरीकों से हम सार्वजनिक स्वास्थ्य की दशा को उन्नत कर सकें, यह किस प्रकार होने वाला है, बोर्ड का यह अधिकार भी हम छीन ले रहे हैं। यहाँ पर एक बात और कह देना चाहता हूँ। खेर कमेटी की सिफारिश में यह जरूर कहा गया था कि बोर्ड के अधिकार कम होने चाहिये। लेकिन कब कम होने चाहिये, इस कमेटी की सिफारिश में स्पष्ट था कि बोर्ड का केवल यह अधिकार रहना चाहिये कि इन चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन का कार्य किस प्रकार से हो। लेकिन किस हालत में? उस हालत में जब कि आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग का एक स्वतन्त्र डायरेक्टर का नियन्त्रण हो। उस हालत में जबकि आप स्टेट ऐलोपैथिक फंक्लटी की तरह आयुर्वेदिक और यूनानी फंक्लटी को स्वतन्त्र बनायें और उनको वही महत्व दें जो कि स्टेट ऐलोपैथिक फंक्लटी को दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आज आयुर्वेदिक विभाग के कार्य डायरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ के अधीन नहीं हैं? क्या आज जो डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद है, उनका नियन्त्रण डायरेक्टर के द्वारा नहीं होता है? क्या यह सही नहीं है कि खेर कमेटी ने अत्यन्त जोरदार शब्दों में, और इससे अधिक जोरदार शब्द नहीं हो सकते, कि अगर सरकार चाहती है कि आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग कुछ कार्य कर सके, कुछ इन्डियन मेडिसिन का काम कर सके, कुछ भी इस चिकित्सा पद्धति की उन्नति हो तो सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि एक स्वतन्त्र विभाग और एक स्वतन्त्र डायरेक्टर इसका होना चाहिये, जिस पर कि नियन्त्रण ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में विद्वान करने वाले डाक्टरों का न हो। इस पर पूरे चार पेज, श्रीमन्, खेर कमेटी में दिये गये हैं और सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश इस कमेटी की है। डायरेक्टर उसका अलग नहीं है। डायरेक्टर आयुर्वेद जो है वह डायरेक्टर मेडिकल एन्ड हेल्थ के मातहत है। खेर कमेटी का सुझाव यह भी था कि अगर डायरेक्टर आयुर्वेद और डायरेक्टर मेडिकल एन्ड हेल्थ के बीच में कोआ-डिनेशन की जरूरत हो तो हम लोग एक एडमिनिस्ट्रेटर जनरल की नियुक्ति कर सकते हैं। मैं उस ध्योरे में नहीं जाना चाहता। केवल इतना ही इशारा करना चाहता हूँ कि खेर कमेटी की रिपोर्ट में डायरेक्टर आयुर्वेद के बनाये जाने का, नियुक्त किये जाने का इतना अधिक

[श्री नारायणइत्त तिवारी]

महत्व समझा गया था कि कोआर्डिनेशन करने के लिये आयुर्वेद विभाग और मेडिकल हेल्थ विभाग के बीच में, उन्होंने एक ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल तक की नियुक्ति की सिफारिश की। तो यह तो आपने किया नहीं। डायरेक्टर आयुर्वेद तो आपने बनाया नहीं, उसकी अलग फ़ैकल्टी तो बनायी नहीं, एक परमानेंट कमेटी बना दी और इतना करने के बाद आपने बोर्ड के अधिकार समाप्त कर दिये। मैं यह समझता हूँ कि श्रीमन्, कि यह खेर कमेटी की मंशा नहीं थी और शायद आज यह आयुर्वेद चिकित्सा जगत और यूनानी चिकित्सा जगत की भी मंशा नहीं थी। इसी के साथ-साथ इस विधेयक में भी, जो संशोधन विधेयक है, अनेक गलतियाँ रह गई हैं, जिनको प्रवर समिति में भेजकर दूर करना है। जैसे मिसाल के लिये सर्जरी और मिडवाइफरी शब्द हटाये जरूर गये हैं, लेकिन अब भी आप मूल अधिनियम की धारा ३९, उपधारा (४) धारा ५० और ५१ को देखें तो उसमें वे शब्द मौजूद हैं। सर्जन और मिडवाइफ को तो आपने हटाया, लेकिन सर्जरी और मिडवाइफरी को नहीं हटाया। अब इसके लिये संशोधन विधेयक में गुंजायश नहीं हो सकती। इसके साथ-साथ शिड्यूल जो है, इसके अनुच्छेद के अन्त में इस १९३६ के अधिनियम के अन्त में, इसमें भी, परिवर्तन होना आवश्यक है। अब मैं एक ही मिसाल इसकी दूंगा। श्रीमन्, आप देखें कि शिड्यूल जो है, उसमें जो अनुच्छेद है इसका उपखंड (२) : "Vaidyas and H. o. kims who have passed the final examination held by the Board of Indian Medicine, U. P. or any other institution affiliated to the Board."

यानी वह वैद्य और हकीम जिसने कि बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन यू० पी० या उसके द्वारा सम्बद्ध किसी शिक्षा संस्था से वैद्य या हकीम की अन्तिम परीक्षा पास की हो, यह अनुच्छेद के उपखंड (२) में रखा गया है।

अब संशोधन तो इसका कर दिया कि परीक्षायें बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन द्वारा न होंगी, बल्कि फ़ैकल्टी द्वारा होंगी। संशोधन विधेयक में तो यह हमने कर दिया और शिड्यूल में लिखा है कि इंडियन मेडिसिन बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षायें पास हों। तो इतना अधिक कन्ट्रिडिक्शन इसमें मौजूद है। श्रीमन्, मैं एक चीज और आप के सामने रखूँ। संशोधन विधेयक के पेज पांच और छः को आप देखें, जहाँ कि फ़ैकल्टी के पावर्म और उसकी ड्यूटीज दी हुई हैं।

"To hold examinations of persons who shall have pursued a course of study in an educational institution affiliated to the Board."

यानी एग्जामिनेशन होल्ड करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन उन लोगों को रजिस्टर्ड किया जायगा जो कि इंडियन मेडिसिन बोर्ड के द्वारा परीक्षायें दिये हों। तो इस प्रकार की गलतियाँ इस संशोधन विधेयक में मौजूद हैं और इन गलतियों को हम इस संशोधन विधेयक में संशोधन करके ठीक नहीं कर सकते। इस संशोधन विधेयक में हम ऐसा संशोधन नहीं कर सकते। नियम हमारे ऐसे हैं। नया एक संशोधन ही जायगा। इसलिये इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, मैं ज्यादा समय न लेकर इतना ही कह कर समाप्त कर देना चाहता हूँ कि मैं यह नहीं कहता कि माननीय मन्त्री जीकोई मुझसे कम आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास में सहमत है, या कम विकास चाहते हैं, लेकिन ऐसा होते हुये भी अगर इस प्रकार का विधान आज सदन में आ रहा है जो अधूरा है, जो समय की पुकार की, आवश्यकताओं को पूरा करने वाला नहीं है, जो अत्युक्तिपूर्ण है, जो दोषपूर्ण है, जो विरोधाभास पूर्ण है, तो यही उचित है कि इस विधेयक को हम प्रवर समिति में ले जायें। इस समिति के जो माननीय अनुभवी सदस्य हैं वह खेर कमेटी की रिपोर्ट को भी देखें कि आया यह विधेयक उसकी मंशा को पूरा करता है या नहीं और जो ६०-७० संशोधन आये हैं, उन पर भी विचार

किया जाय और तब हम सब मिल कर इस विधान को पास करे, ताकि यह विधान व्यवहार रूप पाकर इस प्रदेश में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति को एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की महचगी होकर एक प्रतिद्वन्दी होकर नहीं, जनसेवा की सहचरी होकर, दोनों पद्धति जनता की सेवा कर सकें और जन स्वास्थ्य को एक लाभदायक स्थिति तक और प्रेरणास्पद स्थिति तक पहुँचा सकें ।

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फज्जाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे सामने इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक उपस्थित है और हमें एक अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें कि हम अपने विचार इस विधेयक के संबंध में प्रकट कर सकें । जहा तक सरकार का संबंध है वह तो उसकी नीति हमेशा रही है कि आयुर्वेद को ऊंचा उठाया जाय और उसका स्टैण्डर्ड पूरा किया जाय, लेकिन जो भी इस सबध में हमारे अनुभव हैं वे आज हमें माननीय मंत्री जी के सामने आपके द्वारा उपस्थित करने हैं ।

यह जो संशोधन हमारे सामने उपस्थित है, हम सुन रहे थे कि संशोधन उपस्थित होने वाला है, तो हम आशा करते थे कि इस विधेयक में कोई ऐसी विशेष बातें रख दी जायगी जिससे आयुर्वेद का और भी विकास और उन्नति होगी । लेकिन जब हम इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को देखते हैं तो उससे पता चलता है कि इस विधेयक में हमारा जो पुराना ऐक्ट था उसके स्कोप को और कार्यक्षेत्र को और भी कम कर दिया गया है । पहले ही संशोधन में ऐस. कलम चलायी गयी है कि जो पुराने अधिनियम के प्रिअम्बल के अन्दर एक कार्य—क्षेत्र था कि “टु रेगुलेट दि सेल आफ इंडियन ड्रग्स” देशी औषधियों की बिक्री को नियंत्रण करना, इसको निकाल दिया गया है । आज बहुत से लोगो को शिकायत है कि औषधियां अच्छी और शुद्ध रूप में नहीं प्राप्त होती हैं, लेकिन फिर भी इस अग को निकाल दिया है । मैं इसको उचित नहीं समझता । यदि सरकार का इरादा इस कमी को दूसरे विधेयक द्वारा पूरा करना है तो मैं इसका समर्थन करता हूँ । अन्यथा मैं इसका घोर विरोध करता हूँ क्योंकि आज औषधियों के शुद्ध रूप में प्राप्त न होने की बहुत ही शिकायत है । औषधियां आम तौर से क्रूड ड्रग्स के रूप में मिलती हैं या पेटेंट बनी हुई मिलती हैं । तो कम से कम जो मौलिक औषधियां हैं उनका नियन्त्रण करने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं है और इस नियन्त्रण को कर्मों भी समय शुरू किया जा सकता है । इसलिये हमारी यह निश्चित राय है कि इस विधेयक से जो औषधियों की बिक्री पर से नियन्त्रण को निकाला जा रहा है, उसको नहीं निकाला जाना चाहिये और अगर निकाला जाता है तो इसको किसी दूसरे विधेयक से पूरा करना चाहिये ।

दूसरी बात जो इस विधेयक में देखने में आती है वह यह है कि यह विधेयक पूरे उत्तर प्रदेश के लिये है, लेकिन पुराने कानून के अन्दर जौनसार बाबर और मिर्जापुर के भी कुछ क्षेत्र पृथक कर दिये गये हैं । हम सरकार से निवेदन करेंगे कि प्रथक किये गये क्षेत्रों में भी इस विधेयक को लागू कर बीजिये । इंडियन मेडिसिन बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के बाहर की सीमाओं में भी अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा लिया है और ग्वालियर आदि की शिक्षा संस्थाओं को भी बोर्ड से संबंधित कर दिया है जो कि हम समझते हैं कि उनके अधिकार के बाहर की चीज है । इस तरह से जो प्रस्तुत विधेयक है इसके कार्य क्षेत्र को सीमित और छोटा कर दिया गया है ।

इसके अलावा जो इस विधेयक के अन्दर सबसे बड़ी विशेषता है वह यह कि इसका नाम भी बदलने की कोशिश की गयी है । उसका इंडियन मेडिसिन ऐक्ट नाम था, लेकिन अब इसको आयुर्वेद और यूनानी तिब्बो नाम दिया जा रहा है । इस नाम परिवर्तन के संबंध में क्या आवश्यकता पड़ी ? यह तो सरकार के कथनानुसार ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी समय में गवर्नर जनरल साहब ने इस पर आपत्ति को इंडियन मेडिसिन ऐक्ट नाम अच्छा नहीं है । लेकिन जहां उस ऐक्ट के अन्दर इंडियन मेडिसिन की परिभाषा दी गयी थी उससे यह स्पष्ट होता था कि इसके अन्दर आयुर्वेद और यूनानी दोनों प्रकार की चिकित्सा सम्मिलित है । जहा तक आयुर्वेद का प्रश्न है संसार के किसी भी देश की मेडिकल हिस्ट्री को देखें,

[श्री मदन गोपाल वैद्य]
जहाँ पर चिकित्सा पद्धतियाँ का इतिहास है वहाँ पर आयुर्वेद पद्धति को इंग्लिश पद्धति कहा गया है। फिर भी इसके नाम को बदल गया है। खैर, नाम बदलने से कोई गति होगी लोगों को नहीं होने वाला है।

इसके अलावा सरकार ने इस विषय में एक अन्दर जो बहुत से काम किए हैं उनको करने के लिये जा परम तो यह है सरकारों अधिकार नियुक्त होते हैं उनके सम्बन्ध में पत्र समाज की हमेशा से एक मना हुई है और यह यह कि यह टेकिनकल शास्त्र है जिसका नाम है टेकिनकल आदमियों के जरिये जा सकता है। टेकिनकल आदमी इसको कार्यान्वित करने में कभी भी सफल नहीं हो सकते। अब भी हम सरकार से यह निवेदन करना चाहते हैं कि इस विधेयक के कार्यान्वित करने के संबंध में जा भी पदाधिकारी हों, चाहे यह प्रेसीडेन्ट हो जथवा रजिस्ट्रार हो अथवा मेम्बर पाहवान हों अथवा एकेडमी के कोई पदाधिकारी हों, उन सभी गज्जनों को आयुर्वेद और यूनानो का ज्ञाता होना चाहिये। इसके बगैर हमारी इन दोनों पद्धतियों का विकास हो ही नहीं सकता है। जो अजिनियम नम्बर ३९ में बना उसके अनुसार कार्य आज तक नहीं हो सका। इसका एक मात्र कारण यह है कि बोर्ड या एकेडमी के अन्दर कोई भी टेकिनकल आदमी नहीं था। तो फिर हमारी प्रगति कैसे हो? इसलिये हमारी सरकार से प्रार्थना है कि रजिस्ट्रार हों या जब इंटर रजिस्ट्रार हों तबको टेकिनकल और आयुर्वेद या यूनानो का ज्ञाता होना चाहिये। जब कि हम उस कार्य के लिये बैतनिक कर्मचारी या अब तनिक साम्य रखते हैं तो यह तो बिना पैसे और बिला खर्च का प्रश्न है। हम वहाँ पर टेकिनकल आदमी नियुक्त करें। कभी कभी रजिस्ट्रार की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार ने ऐसी बातें कही हैं कि उसका काम तो ज्यादातर शासन का काम होता है, वहाँ टेकिनकल आदमी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बोर्ड के कार्यकाल में जितनी गलतियाँ हुई हैं, शायद ही किसी टेकिनकल आदमी से ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं। अगर इन गलतियों को जो बोर्ड के जरिये टेकिनकल गलतियाँ हुई हैं, वे धार्मिक गलतियाँ हुई हैं, देखा जाय तो एक बहुत लम्बी सूची बन सकती है। इसलिये अगर कोई बड़ा इस स्थान पर रहा होता और ऐसी गलतियाँ हुई होतीं तो वह बड़ा हास्यास्पद होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो विशेषज्ञ अधिकारी नियुक्त थे, उन्होंने बड़ी गड़बड़ी की। बोर्ड का कार्यकाल तीन साल का था और आज ५ साल हो गये हैं और अभी तक चुनाव नहीं हो सका है। इसी प्रकार विधान सभा के जो सदस्य इस बोर्ड में काम करते हैं, पिछली मर्तबा तीन सदस्यों के स्थान पर केवल दो ही सदस्य चुने गये। इसी प्रकार की बहुत सी टेकिनकल गलतियाँ हुआ करती हैं। इसलिये हमारा विशेष निवेदन है कि इस बोर्ड के जो सदस्य या कर्मचारी हों, चाहे वह रजिस्ट्रार हो या कोई भी हो, सब टेकिनकल होने चाहिये। यह बोर्ड केवल वैद्य के रजिस्ट्रेशन का ही काम नहीं करता है बल्कि यह परीक्षा भी लेता है इसलिये और भी टेकिनकल आदमी की जरूरत है। यह सब बातें शिक्षा के संबंध में निवेदन करूंगा।

इस संशोधन विधेयक के अंदर जो सब से महत्वपूर्ण बात है वह बोर्ड के संगठन और फंक्ल्टी की स्थापना की है। मैं बोर्ड के संगठन के विषय में कहना चाहूंगा कि पिछले अधिनियम के अंदर इस बोर्ड के अंदर २७ सदस्य थे अब २१ ही रखे गये हैं। इसके सदस्य कितने हों यह कोई महत्व की बात नहीं है, बल्कि महत्व की बात तो यह है कि इसके अंदर सभी वैद्य या हकीम होने चाहिये। सरकार जितने आदमियों को नामजद करती है वह भी वैद्य या हकीम होने चाहिये। यह हमारी सैद्धान्तिक मांग है और मैं आशा करता हूँ कि सरकार इसको पूरा करेगी।

बोर्ड के संगठन के संबंध में दो रायें हो सकती हैं। कुछ लोगों को कहना है कि बोर्ड का अध्यक्ष सरकारी आदमी नहीं होना चाहिये। संशोधन विधेयक में ऐसा देखने में आया है कि नहीं रखा गया है। लेकिन अगर सरकार इसको मान लेती है कि बोर्ड के सभी सदस्य वैद्य या हकीम होंगे तो उसमें काफी मसला हल हो जाता है और संतोष की बात हो जाती है। इसमें विधान सभा तथा कौंसिल के सदस्य भी नहीं रहे। वह रहें या न रहें

इस संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मेरा कोई आग्रह नहीं है। अगर सरकार स्वीकार कर लेती है कि बोर्ड में सभी टेकिनिकल आदमी होंगे तो सबको संतोष हो सकता है।

बोर्ड का कार्यकाल कितना होगा। इस संबंध में एक विशेष परिस्थिति दिखाई पड़ती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ऐक्ट बनाया है उसमें तीन साल होम्योपैथिक बोर्ड का कार्यकाल रखा है। लेकिन इन्डियन मेडिसिन बोर्ड का कार्यकाल ५ साल का माना जाता है और ३१ दिसम्बर को ५ वर्ष पूरे हो जायेंगे और नये इलेक्शन का कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। इलेक्शन के संबंध में लोगों का ऐसा धारणा है कि अभी तक जो बोर्ड का प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुआ करता था वह आगे भी चुनाव के जरिये चुना जाय। लेकिन मौजूदा विधेयक में रखा गया है कि वह नामजद होगा। इस प्रजातंत्र के युग में चुनाव हुआ अध्यक्ष होना चाहिये और नामजद न किया जाय। एक शंका लोगों को और हा रहा है कि पहले के विधेयक में था कि बोर्ड का अध्यक्ष दो बार से अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन इस संशोधन विधेयक में ऐसा है कि बोर्ड का अध्यक्ष लगातार बना रहे तो यह वांछनीय नहीं है। मैं चाहूंगा कि ऐसी स्थिति पैदा न हो कि एक आदमी के हाथ में निरंतर ऐसा अधिकार बना रहे। इसलिए बोर्ड के अध्यक्ष को दो बार से अधिक कार्य करने का अवसर नहीं मिलना चाहिये।

इस बोर्ड की स्थापना के साथ ही साथ बोर्ड के अधिकारों और कर्तव्यों का भी प्रश्न उठता है। बोर्ड के अधिकार और कर्तव्य, जो पुराने अधिनियम के अंदर थे, उनके अंदर सरकार ने काफी कटौती की है। बोर्ड के पास रजिस्ट्रेशन का काम था। परीक्षा का काम तो यथापूर्व रखा गया है, लेकिन जो बोर्ड के दूसरे काम थे, वह जो अस्पतालों और विद्यालयों को सहायता दिया करता था, स्कालरशिप्स दिया करता था, इन सब को बोर्ड के हाथ से निकाल दिया गया है। मैं यह अवश्य मानता हूँ कि यह जो पुरस्कार और ग्राण्टें थीं इनको सरकार किसी न किसी रूप में दिया करेगी, लेकिन जिस कार्य को यह बोर्ड २० बरस से करता रहा है और यह मानना पड़ेगा कि २० वर्ष से बराबर यही कार्य करते रहने के कारण उसे इसमें काफी अनुभव भी प्राप्त हो गया होगा, काफी जानकारी हो चुकी होगी, उसके बाद उसके हाथ से इस कार्य को निकाल लेना कि वह ग्राण्ट का वितरण न कर सके, एक अनुचित सी बात मालूम पड़ती है। यह कहना कि यह ग्राण्ट सरकार द्वारा बांटी जायगी तो इसका अच्छा और सुन्दर वितरण होगा, ऐसा मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूँ क्योंकि इसके कारण है।

अभी इसी वर्ष सरकार की तरफ से एक घोषणा की गई कि कुछ डिस्पेंसरीज को कुछ सहायता दी जायगी और इस संबंध में सरकार ने १० डिस्पेंसरीज को सहायता दी। संकड़ों लोगों ने इस संबंध में प्रार्थना-पत्र दिये, लेकिन ऐसे एक नामुनासिब तरीके से इन बातों का निर्णय किया गया कि जिसकी हम किसी शासक से आशा नहीं कर सकते हैं। कितने ही प्रार्थना-पत्र आये, लेकिन उन पर कभी विचार नहीं किया गया। प्रार्थना-पत्र देने वालों की सूची भी नहीं बनाई गई और निर्णय हो गया कि कितने आदमियों को हमें डिस्पेंसरीज की ग्राण्ट देना है और कितना को नहीं। बाकी के प्रार्थना-पत्र डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ के यहाँ ही पड़े रह गये। उन पर न कोई रिपोर्ट आई और न उनके बारे में कोई निश्चय ही लिया गया और सरकार की तरफ से फैसला हो गया कि किन १० डिस्पेंसरीज को सहायता देनी है। यह ठीक है कि हम देखते हैं कि ग्राण्ट बांटने के संबंध में शिकायतें हुआ करती हैं, हो सकती हैं और होती रहेंगी, क्योंकि किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन जो कार्य बोर्ड करता रहा है स्कालरशिप देने का, पुरस्कार देने का यह सब काम उसके हाथ में रहने देना ही मुनासिब होगा। क्योंकि यह हमारी, बच्चों की एक संस्था है और उससे यह अधिकार लेना एक तरह की गबरदस्ती होगी।

इसके अलावा बोर्ड को जो अधिकार थे, धारा ३६ के अनुसार उप खंड १० से १४, १५ तक, वे सब छीन लिये गये हैं। मैं समझता हूँ कि जब हम आधुनिक यूनानी का विकास करने की बात करते हैं, उनकी उन्नति करने की बात करते हैं तो जो अधिकार उसको दिये गये

[श्री मदन गोपाल वैद्य]

के, उनको छान लेना कोई मुनासिब बात नहीं मालूम होती। विशेषकर उस समय जब कि सरकार उन संबंध में कोई विशेष व्यय भी नहीं कर रही है।

दूसरी विशेष बात जो सरकार ने इस सशोधन के द्वारा की है वह अपनी शिक्षा के सबंध में है। बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के जरिये सरकार आयुर्वेदिक और यूनानी की परीक्षाएँ लेती थी और उसके बाद जब विद्यार्थी उत्तीर्ण होते थे तो वह उनको प्रमाणपत्र देती थी। यह कार्य यह मस्था वर्षों से कर रही है, लेकिन अब इस कार्य को सरकार ने एक नयी मस्था फंकल्टी के जरिये कराना चाहा है। इसमें सरकार कोई नयी बात नहीं कर रही है। लेकिन उसको एक नया नाम दिया जा रहा है और उसका नया विज्ञापन किया जा रहा है। इस कार्य को बोर्ड पहले से करता चला आ रहा था। लेकिन इस कार्य के करने में जिस तरह से परीक्षाओं में आम तौर से अन्यत्र भी गड़बड़ियाँ सुनाई पड़ती हैं, इस बोर्ड की तरफ से भी वसी ही सुनाई पड़ी। इस कार्य को बोर्ड के २७ सदस्य मिल कर किया करते थे और अब इस कार्य को फंकल्टी के सुपुर्द किया जा रहा है। फंकल्टी के ६ सदस्य और एक अध्यक्ष, कुल ७ सदस्य मिल कर उस सारे काम को कर लेंगे, जो कि बोर्ड के २७ सदस्य किया करते थे। यह ६ सदस्य कैसे उस सारे कार्य को करेंगे, अगर इस बात पर विचार किया जाय तो यह एक बड़ी रहस्यमय बात दिखाई पड़ती है। उसमें ऐसे सदस्य हैं कि जो ३ कोंसेप्टी में काम करते हैं। ६ सदस्य स्वयं अध्यापक हैं, वह ६ सदस्य फंकल्टी के सदस्य हैं और वह ६ सदस्य स्वयं परीक्षक भी हैं। तो इस प्रकार से इसकी कोंसेप्टी तीन प्रकार की होगी और उसी में यह काम करेंगी। स्वयं अध्यापक का काम करेंगी, शासन का काम भी करेंगी और परीक्षा का काम भी वह करेंगी, फिर यह फंकल्टी इस तरह से काम करेगी।

उस बोर्ड में ९ मेम्बर चुनकर आते हैं। वह काफी व्यय करके उस बोर्ड के अन्दर चुनकर आते हैं, लेकिन उन ९ मेम्बरों में से कोई भी उस फंकल्टी के अन्दर घुस नहीं पाता है और दूसरे मेम्बरों की उसमें घुसने की गुंजायश नहीं है। इस फंकल्टी के अन्दर एक और भी तमाशा है। उसके अन्दर तीन मेम्बर कोआप्ट हो सकते हैं और उनके लिये यह व्यवस्था है कि चाहे जितने समय के लिये उनको कोआप्ट किया जा सकता है। जितनी अर्थात् के लिये उनको कोआप्ट किया गया है उसके बीच में भी उनको कहा जा सकता है कि तुमको निकाला जाता है। इस संशोधन को पढ़ने से यह भी मालूम हुआ कि किसी भी काम के लिये उनको कोआप्ट किया जा सकता है। किन्ती एक स्पेसिफिक काम के लिये भी उनको कोआप्ट किया जा सकता है। वे स्थायी नहीं रखे जायेंगे। उनके लिये यह भी नहीं होगा कि वह साल भर तक काम करेंगे या इतने समय तक काम करेंगे। उनको किन्ती एक निश्चित समय तक के लिये भी रखा जा सकता है। चाहे जब उनको बुलाकर कह दिया जा सकता है कि तुम्हारी अब आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से यह बोर्ड बनाया गया है। फंकल्टी के अन्दर एक्स आफिसियो मेम्बर होंगे। उसके साथ मेम्बरों को एक्सआफिसियो माना गया है। उसका आफिसियो कोई मेम्बर नहीं है। यह जो फंकल्टी का संगठन किया गया है, यह बहुत ही दोषयुक्त है। परीक्षा के अन्दर जो गड़बड़ी हुआ करती है उस गड़बड़ी को दूर करने की में आशा नहीं करता हूँ। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि फंकल्टी का संगठन जो है उसमें कोई अन्य परिवर्तन किया जाय। इतना ही नहीं फंकल्टी के सम्बन्ध में जो अधिकार हैं उनके सम्बन्ध में भी गड़बड़ी है। उसके क्या अधिकार हैं और बोर्ड के अधिकार किस प्रकार के हैं इस सम्बन्ध में जब कभी झगड़ा होगा उसका फसला बन्दर बांट की तरह से होगा। न बोर्ड कुछ काम कर पायेगा और न फंकल्टी कुछ काम कर पायेगी। वह सारा का सारा झगड़ा सरकार के पास आयेगा और इस तरह से हर काम में डिले हुआ करेगी। जो काम होगा वह बोर्ड उसको कर पायेगा या नहीं, इसमें सन्देह है। उसमें जो सदस्य रखे गये हैं उसमें ६ सदस्य रखे गये हैं। उन ६ सदस्यों में से ४ बैच्चों को रखा गया है और २ हकीमों को रखा गया है। इसका परिणाम यह होगा कि जिस तरह से वे चाहेंगे करेंगे। इन ६ के अलावा इसमें और किसी की गुंजायश नहीं है। तो इस फंकल्टी के अन्दर काफी दोष है। जिन सज्जनों

को बोर्ड की परीक्षा के संबंध में अनुभव हो, जो इस संबंध में काफी ज्ञान रखते हो, उनको इसमें रचने की आवश्यकता है, नहीं तो इस बोर्ड की परीक्षा की प्रणाली में सुधार नहीं होने वाला है। इनलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि फंकल्टी के अन्दर जो संगठन किया गया है उसको काफी सुधारने की आवश्यकता है। नहीं तो परीक्षा के अन्दर काफी धान्धली होने की गुंजायश है। फंकल्टी के अन्दर जिनने सदस्य हैं वे सब अध्यापक ही हैं और आज तक का भी यह अनुभव है कि बोर्ड का जिनना कार्य संचालन हुआ है उसके कार्य संचालन में भी हमेशा अध्यापकों का ही महत्व रहा है। तो अब इस फंकल्टी के जरिये अध्यापकों को सीमित क्षेत्र में एक ऐसा अधिकार प्राप्त होगा जिसका बहुत ही दुरुपयोग ही सकता है। इसलिये इस कारण से हम यह चाहते हैं कि इस फंकल्टी के संगठन में परिवर्तन किया जाय। तो यह जो फंकल्टी कायम करने की जरूरत है वह इस स्थिति में हुई और इसके अलावा और भी आयुर्वेदिक और यूनानी के संबंध में काफी काम हुआ है और सरकार ने इन संस्थाओं को काफी प्रथम दे रखा है। जैसा मैंने शिक्षा के सम्बन्ध में शुरू में कहा था यूनानी और आयुर्वेद की पढ़ाई के संबंध में वही व्यवस्था होनी चाहिये और वह हर संस्था में चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन जहां पर यूनानी और आयुर्वेद की पढ़ाई की व्यवस्था है वहां पर यदि क्रियात्मक प्रणाली के संबंध में व्यवस्था नहीं है तो उन शिक्षा संस्थाओं को कोई भी इमदाद नहीं मिलनी चाहिये।

जिन संस्थाओं के अंदर आयुर्वेदिक की पढ़ाई होती है, या जहां पर परीक्षा ली जाती है यदि वहां पर क्रियात्मक शिक्षा नहीं है तो उन संस्थाओं को सरकार की ओर से कोई मान्यता नहीं मिलनी चाहिये। इस शिड्यूल के मातहत सरकार ऐसी संस्थाओं को भी स्वीकार करती है जिनके अन्तर्गत प्रयोगात्मक शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। ऐसी शिक्षा संस्थायें इस शिड्यूल में शामिल नहीं होनी चाहिये क्योंकि ऐसी शिक्षा संस्थाओं से पूरा-पूरा लाभ होने की आशा नहीं की जा सकती। एक तरफ तो हम यह चाहते हैं कि ऐसी संस्थायें पनपे जिनके अंदर प्रयोगात्मक शिक्षा दी जाती हो और दूसरी ओर ऐसी संस्थाओं को भी मान्यता दे दी जाती है, जैसे हिन्दी साहित्य सम्मेलन और आयुर्वेदिक विद्यापीठ जिनके पास क्रियात्मक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां तक सरकार की इस नीति का संबंध है इसको हम उचित नहीं समझते और न इसमें कोई औचित्य ही मालूम पड़ता है। जो विद्यार्थी इन संस्थाओं में उपाधि प्राप्त करते हैं वे कभी भी उस स्तर के नहीं हो सकते, जो उन संस्थाओं से निकलते हैं जहां प्रयोगात्मक शिक्षा का प्रबंध है।

स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के संबंध में सरकार के इरादे बहुत पक्के हैं। सरकार उसको अच्छी तरह से चलाना चाहती है, लेकिन उस संस्था को चलाने में कई कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। इस संस्था को चलाने के लिये तिहेरी शासन की व्यवस्था की गयी है। एक शासन तो यूनिवर्सिटी का है, जिसमें वाइस-चांसलर आदि हैं, दूसरा शासन डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर का है और तीसरा शासन मेडिकल के सेक्रेटरी और मिनिस्टर महोदय का है। अब प्रत्येक कागज जो भी होता है उसको इन ३-३ और ६-६ जगहों से होकर जाना पड़ता है, जिसके कारण बड़ा भारी विलम्ब होता है। प्रिन्सिपल के विज्ञापन को ही ले लीजिये। उसी को भेजने में इतना विलम्ब हो गया है कि जो प्रिन्सिपल जुलाई में हो जाना चाहिये था उसका अप्वाइंटमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। हो सकता है कि कुछ कानूनी मजबूरियां भी ऐसे कामों में हों लेकिन सबसे अधिक तिहेरे शासन के कारण से ऐसा होता है। इसके अतिरिक्त फंकल्टी का आज तक निर्माण नहीं हुआ है। अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी के अन्दर स्टेट आयुर्वेदिक कालेज की फंकल्टी का निर्माण हुआ है तो उसकी बैठक आज तक नहीं बुलाई गयी। यह एक बहुत ही गंभीर बात है कि अगर कोई संस्था कायम भी हुई है तो उसकी आजतक कोई बैठक भी नहीं बुलाई गयी। इसी प्रकार से प्रिन्सिपल और डीन को भी मुकरंर नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार से इस काम में बहुत सी बाधाएँ पड़ी हुई हैं। अगर हम चाहते हैं कि यह संस्था अच्छी तरह से काम करे तो हमें इस फंकल्टी को जीवित करना चाहिये, उसको संगठित करना चाहिये तथा उसकी बैठक बुलाना चाहिये और उसके परामर्श के अनुसार कार्य होना चाहिये। इसके अतिरिक्त एक बात और है कि जो यह स्टेट आयुर्वेदिक कालेज खुल रहा है उसके लिये

[श्री मदन मोहन मालवीय]

कोई एक आदमी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। कभी तो डाइरेक्टर या उनकी जिम्मेदारी डांटी जाती है तो कभी डिप्टी डाइरेक्टर पर। किसी एक व्यक्ति पर उसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं डाली जाती।

(इस समय १ घण्टा १५ मिनट पर मना स्थगित हुआ और २ बजे २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरमोहन मदन की अध्यक्षता में मदन की कार्यवाही, पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री मदन मोहन मालवीय — माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं जो विवेदन कर रहा था कि आयुर्वेदिक और पूनर्जी शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार के पास, इस प्रकार के ढांचे हैं। एक तो यूनिवर्सिटी शिक्षा जो, दूसरे डॉक्टोरेट आफ इंटेग्रेट मेडिसिन की ओर से जो शिक्षा की व्यवस्था हो रही है वह और तीसरे वह व्यवस्था है जिसको सरकार रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स का कहती है और यही उस प्रकार की व्यवस्था जिड्यूल् में दी हुई है। स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के सम्बन्ध में मैं कह रहा था कि वहाँ की कैम्पटी कुछ नहीं कर रही है और उसका ठीक से मंठन ही हुआ है और उसके अधिकांश मरस्य यू० पी० के बाहर के हैं और उसको बैठक भी नहीं बुलाई जाती है, साथ ही कालेज के सफत मंजूरन के लिए वहाँ का प्रिन्सिपल उत्तरदायी होना चाहिए और उनका एक अंचा स्तर होना चाहिए, जो वर्तमान प्रिन्सिपल है डिप्टी डाइरेक्टर आफ आयुर्वेदिक का भार भी उन्हीं को सौंपा गया है। अगर इसका विकास करना है तो उनके पास इस तरह के और काम न होने चाहिए क्योंकि उनके पास बहुत काम है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि निकट भविष्य में प्रिन्सिपल के पद पर स्थायी नियुक्ति होगी और कैम्पटी की स्थापना होगी और तब उनका कोई जीत चुना जायगा तभी यह कार्य सफलतापूर्वक चल सकता है अन्य तब इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में हमारा कष्ट अनुभव रहा है।

पहले स्टेट आयुर्वेदिक कालेज — लखनऊ यूनिवर्सिटी से मना था और तबने जो नियुक्तियाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से की गई थीं और जिसका प्रारम्भ भी किया गया था वह जब चार्ज लेने आए तो वहाँ के प्रिन्सिपल ने उनसे कहा कि हम अपने पहाँ इस आयुर्वेदिक कालेज में नए चलने देने और आप को चार्ज ही देंगे। उनको एग्वाइंटमेंट लेटर भी दिखाया गया, लेकिन उन्होंने उनको चार्ज नहीं दिया वह वाइंग-चांसलर महोदय से भी मिले, लेकिन नया अधिकारियों के नियुक्तियों भी उनका चार्ज नहीं दिया गया और वह घर वापस लौट गए। मेरा विवेदन है कि ऐसे आयुर्वेदिक (बरापी लोगों का फव्वेली में स्थान न मिलना चाहिए, वह मेरी प्रदानित प्रार्थना सरकार से है। स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के अलावा अब दूसरी जो कैम्पटी की स्थापना डॉक्टोरेट आफ इंटेग्रेट मेडिसिन की ओर से की गई है उसके संयंत्र में मैं कहने को चाहता हूँ। और तीसरी व्यवस्था जो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स की ओर से की जाती है, जो सरकार ने वहाँ की स्थापना को अधिकार दिया है कि जो रजिस्ट्री के लिए स्वीकृति दे सकती है उससे जो प्रज्ञान की मरस्य है, एक तो वह है जो खुद आयुर्वेदिक शिक्षा देती है और पढ़ाई और क्रियात्मक शिक्षा का जिनमें प्रबन्ध है और दूसरी संस्थाएँ वह हैं जो केवल फीस लेकर परीक्षा ही लेती हैं और डिग्री बांटती हैं और उनके पास किसी प्रकार की क्रियात्मक या मौखिक शिक्षा आदि का कोई प्रबन्ध नहीं है, वह केवल पैसा लेकर डिग्रियाँ बाँटा करती हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस प्रकार की मान्यता को सरकार को रद्द कर देना चाहिए। अब यह दोनों प्रकार के ढांचे नहीं चल सकते। जहाँ बाकायदे ५ साल की सुव्यवस्थित पढ़ाई का प्रबन्ध है, और क्रियात्मक शिक्षा दी जाती है वही ठीक है अगर दूसरी तरफ इस तरह से वगैर किसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था के और वगैर क्रियात्मक शिक्षा के अगर मान्यता दी जाती रही तो कोई स्टेटडें उनका नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की मान्यता और डिग्रियाँ अमान्य होना चाहिए और उनको भविष्य में मान्यता नहीं मिलनी चाहिए।

इसके अलावा जो संस्थाएँ सरकार की तरफ से मान्यता के लिये स्वीकृत की जाती हैं, उनके सम्बन्ध में अभी बहुत से अनुभव हम लोगों को प्राप्त हुये हैं। आम तौर से यह सर्वमान्य

बात है कि जो संस्थायें मान्यता प्राप्त करने के लिये स्वीकृत की जाती हैं, उनके पास कम से कम निम्नलिखित संख्या में विद्यार्थी होने चाहिये, निम्नलिखित संख्या में अध्यापक होने चाहिये, उनके पास कुछ रिजर्वेशन और कुछ पूंजी होनी चाहिये, कुछ भूमि कुछ दूसरे साधन भी होने चाहिये। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ऐसी कोयल संस्थायें आज अपने प्रदेश के अन्दर काम कर रही हैं, उनको सरकार की तरफ से मान्यतायें भी प्राप्त हो चुकी हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से निवेदन करता हूँ कि अगर हमें आयुर्वेद के स्टैंडर्ड को ऊंचा करना है तो ऐसी संस्थाओं में प्रथम वर्ष जहाँ पर तीस से अधिक विद्यार्थी न हों ऐसी किसी संस्था को मान्यता न मिलनी चाहिये। जिन शिक्षा संस्था के अन्दर पांच भी स्थायी अध्यापक न हों उनको भी मान्यता नहीं मिलनी चाहिये। इसी तरह से जिनकी वार्षिक आय और व्यय ५० हजार के करीब इस महंगी के जमाने में भी न हो, ऐसी किसी संस्था को मान्यता नहीं मिलनी चाहिये और ऐसी शिक्षा संस्थाओं को मान्यता देना उपहास करना है।

अब तो स्थिति यह है कि कोई शिक्षा संस्था जिसमें लाख से अधिक व्यय हो, जिसकी वार्षिक आय और व्यय १० हजार के करीब हो, और जिसका वार्षिक व्यय ५० हजार के करीब हो सबकी एक बराबर कीमत मान लेना एक उपहास की बात होगी। ऐसी स्थिति में क्यों कोई ज्यादा प्रयत्न करे, क्यों कोई अधिक धन और अधिक साधन एकत्रित करे, जब कि १० हजार वार्षिक व्यय वाले को भी वही मान्यता मिलती और ५० हजार व्यय वाले को भी वही मान्यता मिलती है और इससे एक बड़ी चिन्ता की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आज जो संस्थाओं का विकास नहीं हो रहा है उसके अन्दर सबसे बड़ी बात यह है कि आज सरकार ने उन संस्थाओं को जो पैसा लेकर डिग्रियां वांटते हैं उन संस्थाओं को भी मान्यता दी है और इस कारण आज जो सरकार की तरफ से बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के अन्दर हमारे यहां जो आयुर्वेदिक कालेज चल रहे हैं उनमें विद्यार्थी नहीं प्राप्त होते हैं और इसका कारण यह है कि लोग समझते हैं कि जब हमें हिन्दा साहित्य-सम्मेलन से या आयुर्वेद विद्यापीठ से डिग्री मिल जाती है तो हम क्यों समझ प्रस्ताव करें और दूसरी तरफ दूसरी परीक्षा चाहे एम० एस-सी० और एम० बी० बी० एस० को पास कर लिया और घर बैठे आयुर्वेद की डिग्री बिना परीक्षा दिये पैसा देने पर मिल जाती है, तो क्यों कालेज में भरती हों। और इसलिये शिक्षा की नीति के सम्बन्ध में सरकार का यह मौलिक दृष्टिकोण और सिद्धान्त होना चाहिये कि जिन शिक्षा संस्थाओं के अन्दर पढ़ाई में क्रियात्मक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और जिनके पास समुचित मात्रा में पढ़ाई के साधन नहीं हैं, उनको मान्यता नहीं मिलनी चाहिये और उनको अपमान्य घोषित कर देना चाहिये। इसके लिये मैं एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूँ कि जो छोटी-छोटी बहुत सी संस्थायें आयुर्वेद की खूली हुई हैं और उन संस्थाओं को अमलग-मेट कर दिया जाय और उनके साधनों को एक में मिलाकर उनका उपयोग किया जाय तो बहुत सी कठिनाइयां इस सम्बन्ध में हल हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर लखनऊ में तीन युनानी की शिक्षा संस्थायें हैं। जो साधन उनके पास हैं उनको एकत्रित कर दिया जाय और प्रथम और द्वितीय वर्ष की पढ़ाई किसी एक शिक्षा संस्था में ही और तीसरे और चौथे वर्ष की दूसरे और पांचवें वर्ष की तीसरे में। इस प्रकार सब शिक्षा संस्थाओं के साधनों का उपयोग होगा और वे अच्छी तरह से हित साधन कर सकते हैं। इसी तरह से बनारस में चार पांच संस्थायें आयुर्वेद की हैं। उन सब के स्थान अलग-अलग हैं, उनके अपने साधन अलग-अलग हैं, उनके अध्यापक अलग-अलग, उनके विद्यार्थी अलग-अलग यदि इन पांचों के साधनों को, इनके विद्यार्थियों को, इन पांचों के अध्यापकों को, इन पांचों के साधनों को एकत्र कर लिया जाय तो एक बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड कालेज बन सकता है और उन पांचों के दानदाताओं के नाम से एक-एक के नाम से अलग-अलग पांच विभाग खोल दिये जाय तो उनके नाम को भी चिरस्थायी रखा जा सकता है। इस तरह से उनके स्टैंडर्ड को ऊंचा किया जा सकता है।

शिक्षा प्रणाली के बाद इस ऐक्ट के जरिये से जो आज विशेष काम होता है वह बच्चों की रजिस्ट्री का काम है। मैं रजिस्ट्री के सम्बन्ध में थोड़ा कहना चाहता हूँ। सरकार ने वर्तमान संस्थाओं की रजिस्ट्री पैरा ४ के जरिये से समाप्त कर दी है, यह खुशी की बात है।

[श्री मदन गोपाल वैद्य]

यो तो सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिये से भी पैरा ४ के अन्तर्गत जो रजिस्ट्री होती थी, जिसके पाम प्रमाणपत्र नहीं होते हैं ऐसे वैद्यों की रजिस्ट्री समाप्त हो गई थी। लेकिन अभी हाल ही में पैरा ४ के वैद्यों की रजिस्ट्री खोल दी गयी थी। लेकिन अब वह एकत्र से बन्द होने जा रहा है। इस समाचार को जान कर बड़ी खुशी होती है क्योंकि सरकार की तरफ से एक वैधानिक कदम उठाया जा रहा है, लेकिन फिर भी रजिस्ट्री के सम्बन्ध में सरकार ने मेरा फिर वही आग्रह और निवेदन है कि अब ऐसी संस्थाओं की रजिस्ट्री प्रामाणिक रूप में बन्द होनी चाहिये जिनके पास पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है या समुचित माधन पढ़ाई के नहीं हैं।

इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रिविलेज का आता है। जो अधिकार वैद्यों को प्रिविलेज के रूप में हासिल है उनके व्यवहार के सम्बन्ध में जो कठिनाइयाँ हैं, उनके सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यों तो कानून के अन्दर बहुत सी सुविधाएँ और प्रिविलेज वैद्यों और हकीमों को प्राप्त हैं, लेकिन दो सुविधाओं की ओर खास कर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक तो एग्जाइटेड के सम्बन्ध में और दूसरे मेडिकल सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में। मेडिकल सर्टिफिकेट का जहाँ तक सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों और जनता के बीच में बहुत सी गलत धारणाएँ हैं। उनका सम्बन्ध कुछ तो कानूनी दिक्कतों से है और कुछ व्यावहारिक दिक्कतों से है। आम तौर से ऐसा समझा जाता है कि यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट के मातहत जो सुविधाएँ प्राप्त हैं उसके जरिये से हम केवल उत्तर प्रदेश के राज कर्मचारियों को ही मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, केन्द्रीय सरकार के राज्य कर्मचारियों को मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। एक ऐसी धारणा समाज के अन्दर है। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेडिकल सर्टिफिकेट देने के सम्बन्ध में जो भी अधिकार संविधान के जरिये से किसी भी वैद्य, हकीम या डाक्टर को प्राप्त है वे अधिकार प्रदेशीय सरकार के अधिकारों के अन्दर आते हैं। संविधान के ६५ तम शेड्यूल की तीसरी लिस्ट के २६ वें आइटम पर लीगल मेडिकल एंड अदर प्राविजनस आता है। इस प्रकार से मेडिकल प्राविजन का जो अधिकार है वह कांकरेट लिस्ट के अन्दर आता है। वह प्रदेशीय सरकार को अधिकार सीमा के अन्दर में है। जो यू० पी० इंडियन मेडिकल ऐक्ट है या प्रदेशीय सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून है, उसके जरिये से जो अधिकार हमको मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिये प्राप्त है, उसके मातहत हम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं क्योंकि वे कांकरेट लिस्ट के अन्दर शामिल हैं। इसके अलावा जब सरकारी कर्मचारियों से कभी-कभी शिकायत मिलने का मौका आया कि बिजली विभाग या अमुक विभाग ने एक वैद्य का सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किया तो हमेशा सरकार की तरफ से यहाँ जवाब मिला कि वह केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है उस पर न हम कोई दबाव डाल सकते हैं और न भविष्य दे सकते हैं। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो केन्द्रीय सरकार के अधिकार कांकरेट या स्टेट लिस्ट के अन्दर है उनके अधिकारों को हम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से हम रोज देखते हैं कि उनके रेवेन्यू स्टैम्प लगाते हैं और केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी चाहे कि वह उस स्टैम्प को न लगाये तो वह ऐसा नहीं कर सकता। जो हमारे प्रदेशीय सरकार के अधिकार हैं उन अधिकारों को हम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू कर सकते हैं। इसी तरह से डाक्टर जो सर्टिफिकेट देते हैं उसे वे स्टेट लिस्ट के अन्दर कांकरेट लिस्ट के अधिकारों के अनुसार ही देते हैं।

यह सौभाग्य की बात है कि किसी भी डाक्टर को किसी भी कानून के जरिये से मेडिकल सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार तो वैद्यों को ही इंडियन मेडिकल ऐक्ट की धारा ३९ के अनुसार प्राप्त है। इस प्रकार का अधिकार इंडियन मेडिकल ऐक्ट में डाक्टरों को कहीं भी प्राप्त नहीं है। केवल हमें ही बहुत ही विशद रूप में ऐक्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट देने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन फिर भी इस सम्बन्ध में व्यवहार में ऐसी धारणा बन चुकी है कि हम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे सकते और असलियत

तो यह है कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से भी एक ऐसा सर्कुलर शायद हो चुका है कि रजिस्टर्ड हकीम या वेद्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं ? इस सम्बन्ध में दो चार लाइन पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ ।

यह केन्द्रीय सरकार का एक सर्कुलर है—

“Medical certificates issued by registered Ayurvedic or Unani practitioners, i. e. by registered Vaidis or Hakims, will also be accepted for purposes of Supplementary Rules 229 (a) and 212, provided that such certificates are accepted for the relevant purposes, in respect of its own employees, by the Government of the State in which the Central Government servant falls ill or to which he proceeds for treatment.”

इन तरह से केन्द्रीय सरकार का भी एक ऐसा सर्कुलर है कि उन्हें हर विभाग में वैद्यों और हकीमों के मेडिकल सर्टिफिकेट्स को भी मान्यता देनी चाहिए । लेकिन फिर भी ऐसी गलत धारणा सरकारी कर्मचारियों और जनता के अन्दर है कि हम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मेडिकल सर्टिफिकेट्स नहीं दे सकते हैं । यह धारणा बिल्कुल निर्मूल है और केन्द्रीय सरकार का सर्कुलर इस सम्बन्ध में स्पष्ट है । उसके अन्दर एक सीमा रखी गयी, जो कि मैंने केन्द्रीय सरकार का सर्कुलर अभी पढ़ा है । उसमें यह दिया हुआ है कि जिस सीमा तक उत्तर प्रदेश के राज कर्मचारियों के लिए वैद्यों और हकीमों के सर्टिफिकेट्स मान्य हैं उसी सीमा तक केन्द्रीय सरकार के राज्य कर्मचारियों के लिए वैद्यों और हकीमों के सर्टिफिकेट्स मान्य हैं । यह एक बन्धन केन्द्रीय सरकार की तरफ से रखा गया है । तो इसका परिणाम यह होता है कि जितने अधिकार हमें इंडियन मेडिसिन ऐक्ट की ३९ वीं धारा के अन्दर प्राप्त हैं उतने ही अधिकार इस सर्कुलर के जरिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मेडिकल सर्टिफिकेट्स देने के लिए प्रदान किये गये हैं । लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में जिस प्रकार आयुर्वेद और एलोपैथी में एक संघर्ष चल रहा है, समय-समय पर ऐसे सर्कुलर्स निकाल देती हैं कि जो अधिकार हमें ३९ वीं धारा में प्राप्त हैं उनको प्रदेशीय सरकार की तरफ से समय-समय पर सीमित कर दिया जाता है ।

मैं सरकार का ध्यान इस समय मेडिकल सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में जो नवीनतम जी० ओ० है, जी० ओ० नं० २००९/४६, तारीख २७ अक्टूबर, १९५० की तरफ दिलाना चाहता हूँ । जो मैंने अभी सर्कुलर पढ़ कर सुनाया है उसमें केन्द्रीय सरकार ने तो यह कहा है कि जिस सीमा तक प्रदेशीय सरकार अपने राज कर्मचारियों के लिए वैद्यों और हकीमों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट को मान्य समझती है उसी सीमा तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मान्य मानती है । तो फिर उन्होंने एक सीमा निर्धारित कर दी । अब यह देखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या सीमा निर्धारित की है । यह जो जी० ओ० मैंने २००९/४६ बताया उसके अनुसार सरकार ने परिवर्तन किये हैं, उससे जो धारा ३९ के अधीन हमें अधिकार प्राप्त हुए थे, उनके अन्दर बहुत कड़ी सीमा निर्धारित कर दी है । धारा ३९ के पढ़ने से मालूम होता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में कोई रोकटोक नहीं है । निर्वाध रूप से हर प्रकार के मेडिकल सर्टिफिकेट दिये जा सकते हैं । चाहे कितने समय के लिए छुट्टी दे सकते हैं । किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं चाहे वह गजटेड हो या नानगजटेड आफिसर हो । ऐसे विशद् अबाध अधिकार हमें धारा ३९ के जरिये प्राप्त हैं । लेकिन इस जी० ओ० के अन्दर प्रदेशीय सरकार ने तीन प्रतिबन्ध लगा रखे हैं । एक तो यह है कि केवल नानगजटेड राज कर्मचारियों को ही मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं । दूसरा यह है कि एक ही महीने की छुट्टी दे सकते हैं । इससे अधिक की छुट्टी यदि हम देना चाहें तो नहीं दे सकते । तीसरा प्रतिबन्ध यह लगाया गया है कि अगर किसी राज कर्मचारी की नियुक्ति का प्रश्न है और फिटनेस सर्टिफिकेट देना है तो सिर्फ ५० रु० बेलिक पे पान वाले को ही फिटनेस सर्टिफिकेट दे सकते हैं । इसलिए जो बहुत

हैं उस ढांचे के अगर कुछ कारनामों को देखें तो मालूम पड़ता है कि जो भी परिस्थिति हो जो भी कारण हो या जो भी जजबूरियां हों, किसी न किसी मजबूरी के कारण से ऐसा मालूम पड़ता है कि हर राज कर्मचारी एक उपेक्षा की दृष्टि से, बिल्कुल एक अनइन्टरस्टेड मालूम पड़ता है। उसमें ऐसा दिखाई पड़ता है और हर काम में हर बात के निर्णय में इतना विलम्ब होता है, जिससे मालूम पड़ता है कि किसी को कोई विलचस्पी ही नहीं है। एक मामला स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के प्रिंसिपल की नियुक्ति के सम्बन्ध में चल रहा है। कितने वर्षों से वह कालेज चल रहा है लेकिन उसके लिये आज तक एक प्रिंसिपल भी सरकार को नहीं भिला है। कितने-कितने सर्वे विज्ञापन होते हैं लेकिन फिर भी उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। इस तरह से बिल्कुल अनडिवाइडेड यह मामला चल रहा है। आखीर कालेज चलेगा तो किसी प्रिंसिपल की जरूरत भी है या नहीं है लेकिन चार-पांच वर्ष से कालेज चल रहा है और आज तक एक प्रिंसिपल सरकार को उस कालेज के लिये नहीं भिल रहा है। सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है कि किन योग्यता का प्रिंसिपल होना चाहिये, आखीर क्या हिन्दुस्तान के अन्दर कोई योग्य प्रिंसिपल है ही नहीं? तो ऐसी स्थिति सरकार को दिखाई पड़ती है, जो कि एक बड़ी अशोभनीय बात है। इससे मालूम पड़ता है कि इस सरकार को इससे कोई विलचस्पी नहीं है। निश्चय ही प्रिंसिपल के बगैर वह संस्था सफल नहीं हो सकती है और उसकी नियुक्ति में आज चार-पांच वर्ष लग जायें तब भी उसकी नियुक्ति न हो, इससे बढ़कर उपेक्षा की बात और क्या हो सकती है। इतना ही नहीं शासन का ढांचा भी किस तरह चलता है, यह भी जरा देखने की बात है। हर मामला हर पैपर शासन में चला करता है। शासन में डायरेक्टर का भी इखल आता है।

सरकार कहती तो है कि आयुर्वेद के मामले में, डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद ही प्रधान निर्णायक है, लेकिन व्यवहार में देखा जाता है कि उसमें डायरेक्टर भी आता है और किसी किसी मामले में डायरेक्टर का मत भी वाधा के रूप में सामने आ जाता है। अगर डिप्टी डायरेक्टर अपना कार्य करने में स्वतन्त्र हो तो मैं समझता हूँ कि जो कार्य कि विलम्ब से हुआ करते हैं या बहुत ही विषम परिस्थिति में हुआ करते हैं वह सब विषम परिस्थिति समाप्त हो करके काम सरलता से सीधे और कम समय में हो सकते हैं। अभी हमने आज ही कहा था कि शासन का एक ऐसा ढांचा है कि यहां डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद हेडक्वार्टर्स पर रहते हैं। उनके मातहत कुछ इन्स्पेक्टर हैं, दस, बारह, पन्द्रह, आयुर्वेद और यूनानी के, और उन इन्स्पेक्टरों के मातहत कुछ जिले हैं, चार-चार छः छः, जिले हर एक इन्स्पेक्टर के मातहत हैं। तो वह इन्स्पेक्टर जो इन्स्पेक्शन करते हैं या जो काम करते हैं उस सम्बन्ध में अब उनकी नवीन हुकूम हुआ है कि अब वह अपने-अपने डिवीजन के अन्दर रहें। अब तक वह हेडक्वार्टर्स पर रहते थे। वह गजटेंड आफिसर्स भी हो चुके हैं और वह कई-कई जिले के इन्चार्ज हैं लेकिन अब उनको यह आज्ञा दी गई है कि वह जाकर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर के नीचे काम करें। कहां तो वह पांच छः जिले के आफिसर हैं और कहां अब उनको हुकूम भिला है कि आप एक जिले के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर के मातहत काम करें और वहीं उसी के आफिस में कोई कमरा बगैरह मिल जाय तो वहीं रहिये। तो एक डिवीजनल आफिसर से यह कहा जाता है कि जाइये वहां डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर के दफ्तर में कोई कमरा लेकर अपना दफ्तर चलाइये। तो इस परिस्थिति में आयुर्वेद का कैसे उद्धार हो और कैसे उसकी उन्नति हो सकती है। दूसरी एक मिसाल हमने आज ही बतायी कि दस डिस्पेंसरियों को सरकार सब्सिडाइज्ड शकल में अनुदान देना चाहती। उसके सिलसिले में सरकार की तरफ से जो सक्थुलर छपा उस सक्थुलर में यह छपा था कि प्रार्थनापत्र डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर के पास था, यहां भेज दिया जाय। लोगों ने कहा कि लखनऊ कौन भेजे यहीं प्रार्थना-पत्र दे दिया जाय। तो वह उनके प्रार्थना-पत्र तो वहीं डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर के दफ्तर में ही पड़े-पड़े सड़ रहे हैं और यहां निर्णय हो चुका ...।

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास) — प्वाइन्ट आफ आर्डर। इस बिल के अन्दर तो इसके जो बुनियादी उसूल हैं उन पर ही विवाद होना

“श्री ब्रनाग्नी दाम”

चाहिये। माननीय सदस्य उसके मंचालन के बारे में जैसे बजट का डिस्कशन हो रहा हो। इस प्रकार बहुत से चीजे जिनका इस विधेयक में कोई सम्बन्ध नहीं है, कह रहे हैं। बेहतर होता अगर वह अपना भाषण इसी तक सीमित रखते।

श्री सदन गोपाल वैद्य—म इस इंडियन मेडिसिन ऐक्ट के मानहूत जो आयुर्वेद और यूनानी क्षेत्र का ज्ञान हो रहा है, उनके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर रहा है।

नॉ: डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ को आयुर्वेद और यूनानी से कोई भी प्रेम नहीं है। इस सम्बन्ध के जो कंगज उनके पास जाते हैं, जो काम उनको करना चाहिये, उन सम्बन्ध में उनकी बिल्कुल उदासीनता रहनी है और वह सब पेपर्स पढ़े रहते हैं और हर काम में बड़ा विलम्ब होता है।

इसलिये अभी तक जो डिस्पेंसरी के वैद्य हकीम हुआ करने थे उनका सम्बन्ध आयुर्वेद के डिवाजनल आफिसर के साथ था, लेकिन इस बीच में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ भी एक अधिकारी है, उनको भी अधिकार हासिल है, उनके कारण भी कार्य में काफी विलम्ब होता है और औषधियां भी मड गल कर खराब हो जाती है तब उनके पास पहुंच पाती है।

इसके अलावा सरकार की तरफ से जो सहायता अब तक वड्यों और हकीमों और डिस्पेंसरियों को मिलनी थी वह अब तक गवर्नमेन्ट से या डिप्टी डायरेक्टर के जरिये से और बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन की तरफ से मिला करती थी, लेकिन उस सम्बन्ध में अब सरकार ने बोर्ड के सारे अधिकार छीन लिये हैं और अब बोर्ड को वड्यों और डिस्पेंसरीज को, शिक्षा मंस्थाओं को घांट देने का अधिकार नहीं रह गया। तो यह जो अधिकार हर लिया है, मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि वह भी एक सरकार का डांचा था और भ्रम था उनके अधिकारों का छीना जाना वैद्य समाज के लिये एक असहनीय बात हो गयी है।

जिनकी अमेडमेन्ट अब तक आई है वह तो किसी प्रकार से विचारणीय थी, लेकिन सरकार ने इस ऐक्ट के अन्त में दो ऐसे संशोधन उपस्थित किये हैं इस संशोधन विधेयक के द्वारा और इतने असीमित अधिकार मांगे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं रह गई है। उसके जरिये से सरकार ने यह चाहा है कि सरकार को इतना अधिकार मिले कि अधिनियम में सरकार जो चाहे उसमें से घटा दे, बड़ा दे या निकाल दे, जो सरकार चाहे करे। अगर सरकार को अधिनियम के अन्दर कोई कठिनाई होनी है तो वह कठिनाई सरकार दूपरे संशोधन विधेयक के द्वारा विधान परिषद् में उपस्थित करती है और तब उसमें संशोधन होता है। अथवा ऐसी कोई घोर आवश्यकता पड़ जाय कि नुरन्त ही कोई कार्य करना होता है तो उस समय सरकार आर्डिनेंस के जरिये से कार्य करती है और बाद में वह विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इसमें अन्तिम धारा के जग्ये से सरकार ने इतने असीमित अधिकार मांगे हैं कि जब चाहे घटा दे या बड़ोत्तरी कर सकती है और इसके साथ ही साथ सरकार ने मूल अधिनियम के अन्दर एक ऐसी भी धारा रखी है कि सरकार के ऊपर कोई भी दावा किसी तरह का हो ही नहीं सकता। इस तरह से सरकार ने अपने हाथ इतने मजबूत कर रखे हैं कि और इतने असीमित अधिकार इस संशोधन के जरिये मांगे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं रह गयी है। उन्होंने विशेष प्रकार के अधिकार और राज्यपाल के अधिकार को भी अपने हाथ में लेने का यत्न किया है।

इन सब शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुई कर दे, ताकि इस पर अच्छे प्रकार से विचार करके हम अच्छे रूप में इस विधेयक को पास कर सकें।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अधिनियम इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, सन् १९५५, इस सदन के समक्ष माननीय रभ रचिव महोदय ने प्रस्तुत किया है, मैं उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अठमोडा)—समय या विरोध ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—सुनिये तो मालूम हो जायगा। श्रीमन्, यह प्रदेश देशी चिकित्सा पद्धति के लिये मश्रा अप्रणीय रहा ह। सब प्रथम इस प्रदेश ने एक बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन बनाकर आयुर्वेद आर यूनानी चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये प्रयत्न किया ओर उस

जम
यूनानी चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये प्रयत्न किया ओर सरकार ने उसके लिये भरसक नहायता दी। पिछली बार जब सन् १९३७ के बाद इस प्रदेश में शासन सत्ता कांग्रेस क हाथ में आई उस समय इस पद्धति के उत्थान के लिये ओर भी प्रयत्न किया गया ओर सन १९३९ में बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन ऐक्ट बनाया गया, जो इस सदन ने उस बोर्ड को ओर अधिक अधिकार प्रदान किये। उसके बाद जो उसमें त्रुटिया थी या समय-समय पर उसमें जो परिवर्तन करने की आवश्यकता थी, उसका अनुभव करते हुये सरकार ने एक आयुर्वेद ओर यूनानी पुन सगठन समिति सन् १९४७ में बनायी, जो काफी समय तक चली ओर जिसकी बहुत सी मीटिंगे होने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट सरकार को दी। जिस समय आयुर्वेद ओर यूनानी पुन सगठन समिति की कार्यवाही चल रही थी कि इस प्रदेश के देशी चिकित्सा पद्धति से प्रेम रखने वाले लोग ओर आयुर्वेद आर यूनानी चिकित्साक बड़ी उत्सुकता के साथ उस कमेटी की सिफारिशो पर ध्यान लगाये हुये थे कि सरकार इस १९३९ के इंडियन मेडिसिन ऐक्ट में एक आमल परिवर्तन करके इस पद्धति का विकास करेगी ओर इस प्रदेश में आयुर्वेद की उन्नति के लिये एक अच्छा मौका मिलेगा। उस आयुर्वेद आर यूनानी पुन सगठन समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिये बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन ने कई बार प्रस्ताव पास किये, वेद्य सभाओ ने कई बार सरकार को लिखा ओर वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज उस पुन सगठन समिति की रिपोर्ट के आधार पर सन् १९३९ के ऐक्ट में सशोधन के लिये यह विधेयक सामने आया है। आयुर्वेद समाज ओर उससे प्रेम रखने वाले लोग यह समझते थे कि जिस प्रगति के साथ हमारे इस देश ओर प्रदेश में सर्वतोमुखी उन्नति हो रही ह, उसी प्रकार देशी चिकित्सा प्रणाली को भी उन्नत करने के लिये सरकार का कोई क्रान्तिकारी कदम उठेगा। किन्तु जब इस सशोधन को देखा गया तो बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि इस सशोधन से इंडियन मेडिसिन बोर्ड जो इस प्रदेश में पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा था, उसको अधिक बलशाली बनाना, उसको ओर अधिक सत्ता देना तो अलग रहा, सरकार ने उसको आर सत्ताहीन कर दिया।

लोगो का विचार था कि इस प्रजातन्त्र के युग में सत्ता का विकेन्द्रीयकरण होगा, लकिन इस प्रस्तुत विधेयक को देखने से यह प्रतीत होता ह कि सरकार ने सत्ता का केन्द्रीयकरण किया ओर सारी की सारी सत्ता को अपने अधीन कर लिया। मैं इस सशोधन पर विशेष रूप से इसलिये भी कहना चाहता ह क्योंकि इस सशोधन का हमारे इस प्रदेश पर ही प्रभाव पड़ेगा ऐसी बात नहीं ह, हमारे सारे देश पर इसका प्रभाव पडता ह। सर्व प्रथम यह ऐक्ट इसी प्रदेश में लागू हुआ, बोर्ड भी सन प्रथम इसी प्रदेश में बनाया ओर इस देश के बहुत से अन्य प्रदेशो ने इसका अनुसरण किया। पिछली बार एक आल इंडिया आयुर्वेद कन्वेंशन हुआ था जिसमें तमाम प्रान्तो के मेम्बर आये थे। मैंने उनके द्वारा अन्य प्रान्तो में जो देशी चिकित्सा प्रणाली के उत्थान के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं उनको ओर जो नये बोर्ड स्थापित किये हैं उनके मिलमिले में जानकारी की तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात से कि सन् १९३९ का जो ऐक्ट इस प्रदेश में लागू था उसी के आधार पर अन्य प्रान्तो ने भी अपने यहा बोर्ड बनाये आर उसी के समतुल्य ऐक्ट बनाकर आयुर्वेद की उन्नति के लिये प्रयत्न किया। आज वे सारे ही प्रान्त, हमारे इस प्रदेश की ओर देख रहे ह। हमें बड़ा गर्व ह इस बात का कि हमने अपने इस प्रदेश में आयुर्वेद की जो कुछ उन्नति की है, उसका ओर प्रान्तो ने अनुसरण किया ह। समने सबसे पहले यहा बहुत से कालेजो की स्थापना की, स्टेट आयुर्वेद कालेज बनाया ओर जितने औषधालय इस प्रदेश की सरकार चला रही ह, उतने अन्य प्रान्तो में किसी जगह पर आयुर्वेद

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

और यूनानी औषधालय नहीं हैं। इन सारी चीजों से अन्य प्रान्तों पर जो एक बड़ा भारी प्रभाव पड़ा इस प्रदेश का जो इस स्वतन्त्रता के युग में, इस जनतन्त्र के युग में देशी चिकित्सा प्रणाली के उत्थान के लिये प्रयत्नशील है, संभवतः इस संशोधन विधेयक से वह कुछ कम होता, नजर आता है। इस प्रकार इस संशोधन के जरिये जो बोर्ड की स्थिति होगी और अन्य प्रान्तों के व्यक्ति इस स्थिति को जानेंगे तो अपने यहां भी उसी आधार पर परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे और जब हम इस प्रदेश के रहने वाले वैद्य लोग केंद्रीय सरकार पर इस बात का प्रभाव डालना चाहते हैं और बाध्य करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से आयुर्वेद चिकित्सा को भी एक उच्च स्थान दिया जाय तो इसको भारी ठेस लगेगी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यह संशोधित अधिनियम, जो इस समय यहां रखा गया है, इसको बनाने में और इस ऐक्ट को संशोधित करने में बोर्ड का कोई खास परामर्श नहीं लिया गया है और जो सुझाव उसने भेजे थे, वह भी स्वीकार नहीं किये गये हैं, मुझे तो इससे भी ज्यादा आश्चर्य इस बात पर होता है कि पिछले जून के महीने में स्टैंडिंग कमिटी में जो सुझाव आये थे, उनको यह कह कर कि अपूर्ण है टाल दिया गया अभी विचार नहीं किया जा सकता है, उनको काया खरे पास है। उनसे जो संशोधन थे वह भी हटा दिये गये हैं। इस प्रकार से बोर्ड आफ मेडिसिन को बिल्कुल ही सत्ताहीन कर दिया गया है। इस बोर्ड का अगर देखा जाय तो कोई कार्य ही नहीं रह जाता है।

एक कैंकटो बननेगी जो परीक्षा और शिक्षा का कार्य करेगी और पाठ्यक्रम बनायेगी। एक संशोधन द्वारा रजिस्ट्रेशन का पैरा ४ भी समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो ३६ हजार रुपये की सरकार सहायता देती थी। इसलिये कि ग्रामों में जो छोटे-छोटे चिकित्सालय या औषधालय हैं, उनको ५० या २०० रुपये देकर ग्रामीण जनता को सहायता दे सकें। वह भी सरकार ने इस संशोधन के जरिये बोर्ड को देना अस्वीकार कर दिया है। इस प्रकार से बोर्ड का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। सारी सत्ता सरकार ने किसी न किसी प्रकार से, जरीफ या उपरीफ में अपने अधीन कर ली है और सारा कार्य सरकार अपने शासन अन्तर्ग द्वारा चलाया चाहती है।

मुझे बड़ी प्रसन्नता होती यदि इस पद्धति का स्तर ऐसा होता जैसा कि मेडिकल कौंसिल का है। अगर इस स्तर पर यह पद्धति पहुंच गई होती और इसके बाद सरकार ने कड़ा नियन्त्रण किया होता तो मैं समझ सकता कि इससे कुछ सुधार हो सकेगा। जितना कार्य इस प्रदेश में हुआ है वह सरकार की सहायता और बोर्ड के प्रयत्न से हुआ है और आज भी इस बात की आवश्यकता है कि बोर्ड गैर सरकारी संस्था के रूप में रहे और वैद्य और हकीम जो पिछड़े हुये हैं, इस विज्ञान की चकावंध में, उनको अपना स्तर ऊंचा उठाने का अवसर मिले तो यह आवश्यक है कि इनका संगठन हो और उनकी जो त्रुटियां हैं, उनका सुधार किया जाय और उनका एक अच्छा स्टैन्डर्ड बनाया जाय और इस देश और प्रदेश की ८० प्रतिशत जनता जो इस सुलभ और सस्ती प्रणाली से लाभ उठाती है, उसको संगठित रूप दे दिया जाय।

सरकार ने ऐक्ट संशोधन करके बोर्ड के औषधि नियन्त्रण के महत्वपूर्ण अधिकार को छीन लिया है। सरकार का कहना है कि हम उसके लिये दूसरा ऐक्ट अलग से लायेंगे। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो सकती है और इस बात के लिये हाउस में कह सकती है कि हम इस सम्बन्ध में एक नया ऐक्ट लाकर त्रुटियों को दूर करेंगे। लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा सन्देह है। क्योंकि सरकार ने एक स्टेड आयुर्वेदिक कालेज खोल कर जिस प्रकार उसका प्रबन्ध किया वह एक शर्म की बात है। आज सरकार ने इस चिकित्सा पद्धति का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं बनाया है। उसे किन्हीं दूसरे लोगों के संरक्षण में चलना होता है, जिनका किसी न किसी कारण से मेल नहीं खाता और मैं नहीं समझता कि उसके क्या ऐसे कारण हो सकते हैं। जहां तक मुझे एक तरफ की बात मालूम है, उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि इस प्रदेश

का बंध समुदाय या वे चिकित्सक जो देशी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा करते हैं वह कभी यह कि हम किसी भी चिकित्सा प्रणाली की उपेक्षा करें या किसी चिकित्सा प्रणाली को नें या किसी चिकित्सा प्रणाली को अवैज्ञानिक बतायें। वह कभी ऐसा नहीं है कि वह जो यह चाहते हैं कि वे प्राच्य चिकित्सकों ने जो अन्वेषण किये हैं फायदा इस चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सक भी उठाये। वह जातीय फायदा उठाये जाय वह प्रह क इससे जा अधिकतर गरीब जनता शहरों में बड़ी-बड़ी दुकानों में जाकर जीवन का उद्योग करके प्राच्य चिकित्सा पद्धति का लाभ उठाये। और इसके लिये अपने वा बर्बाद करती

आज भल ही सरकार इस विचार को कर, लेकिन यह नहीं है कि जब इस बात पर सरकार को विचार करना पड़ेगा तो हमारे देश से बाहर जाती है और जिसके द्वारा औषधियाँ हमारे देश में बाहर से आती हैं और जिनका भार गरीब जनता को उल्टे कर्तक यह देश और अपना प्रदेश सहन कर सकता है। उनके पुत्र को नये अन्वेषण हुये हैं, उनसे जो मानवता के लिये लाभ पहुँचाने प्रयत्न किया जाय, उसका लाभ न उठाया जाय, किन्तु साथ ही साथ हमें देखना यह भी पड़ेगा कि यदि जीवन को बचाने के लिये यही एक मात्र उपाय रह गया है तब तो दूसरे उपाय हैं, जिनके द्वारा सरकार जनता को सस्ती और सुकम चिकित्सा दे सकता है। एक न एक दिन हम उस पर विचार करना पड़ेगा। आज तो जो प्राच्य चिकित्सक पहले अपने यहां अनुभव के आधार पर नुस्खे देते हैं और बुद्धि के प्रयोग से जो काम लेते थे, वह प्रणाली भी दूर होती जा रही है और जो बड़ी-बड़ी औषधियाँ विज्ञापन आते हैं उन्हीं के आधार पर उनकी चिकित्सा प्रणाली चली जा रही है और इस प्रकार से बाहर से आने वाली औषधियों पर अरबों रुपये का खर्च भज दिया जाता है। दूसरे जब देशी चिकित्सा पद्धति के अनुसार प्रत्येक रोगी पर पैसा प्रति रोगी खर्च है, तब हमें एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर दो आना, ढाई आ और तीन आना और अधिक भी प्रति रोगी पर खर्च करना पड़ता है। तो यदि हम इस दृष्टि से देखें तो उसी पैसे से हम कितने ही अधिक लोगों को लाभ पहुँचा सकते हैं। हमें इस दृष्टि से भी विचार करना पड़ेगा। किन्तु मुझे दुःख है कि आज हमारे इस देश के नेतागण, हमारे देश के शासक और हमारे इस प्रदेश के शासक इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस बात का विचार किया होता तो इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो २० करोड़ रुपये की धनराशि इस प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये रखी गयी है, क्या उसमें से सिर्फ ५५ लाख रुपये देशी चिकित्सा पद्धति के लिये रखा जाता यह तो एक मात्र इसकी उपेक्षा है। पिछली जनस्वास्थ्य की स्थायी समिति में हमारे सामने यह सुझाव था कि इस प्रदेश में जो आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय हैं, उनका स्तर ऊंचा किया जाय, किन्तु इस ओर भी उदासीनता है।

जब हम बाहर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, तो अपने प्रदेश की और अपने प्रदेश के स्वास्थ्य मन्त्री की प्रशंसा करते हैं जब से यह विभाग उनके पास आया है उनका कार्य सराहनीय है। इन कार्यों के साथ हम यह भी कहते हैं कि हमारा प्रदेश बहुत आगे है। किन्तु जब हम अपने घर में उसकी वास्तविकता को देखते हैं तो मुझे बड़ा दुःख होता है। कहने के लिये हमारे यहां ५३० आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सालय चल रहे हैं किन्तु उन चिकित्सालयों की जो स्थिति है, उसकी भी अवलोकन करना चाहिये। उन देहातों में चिकित्सालयों को खोला जाता है। जहाँ कोई डाक्टर जाने के लिये किसी स्थिति में भी पसन्द नहीं करता। वहाँ पर वह चिकित्सक जाता है और एक छोटे से मकान में जिसको चौपाल कहा जाता है या एक बैठक कह दी जाती है उसमें वह रहता है। उसी में उसका औषधालय भी रहता है और उसमें उसका सारा परिवार रहता है। इस प्रकार से यह ५३० औषधालय चलाये जा रहे हैं। वहाँ पर न रोगी के लिये स्थान है और न कम्पाउन्डर के लिये स्थान है

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

और न चिकित्सालय के लिये कोई स्थान है। आज इस प्रकार किसी प्रकार से इन चिकित्सालयों को ढकेला जा रहा है। यहां पर बाहर से आने वाले रोगियों के लिये भी स्थान नहीं है। पिछली बार स्थायी समिति में एक सुझाव था कि हम ५ रोगी शैया का प्रबन्ध प्रत्येक चिकित्सालय के साथ करें। ऐसे रोगी जो चिकित्सा के लिये आते हैं, यदि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उनको वहां में हटाया जा सके तो उनको वहां चिकित्सक २-४ दिन रखें और उनका चिकित्सा करें उसके बाद उनको जाने दें। इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार भी हुआ था और जहां तक मैं समझता हूँ कि उस समय इस प्रकार का आश्वासन भी दिया गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जितने हमारे चिकित्सालय हैं, जिनकी संख्या ५३० है उन सब में पांच वर्ष के अन्दर रोगी अध्याप्तों की व्यवस्था करेंगे। किन्तु मैं यह समझता हूँ कि उनके लिये कोई स्थान नहीं है। उस समय यह सोचा गया था कि हम सैनोटोरियम भी खोलें। आज सरकार क्षय रोग के लिये लाखों-करोड़ों रुपया खर्च कर रही है और कितने ही सैनोटोरियम खुले हुये हैं। मुझे यह कहने में जरा भी सन्देह नहीं है कि क्षय रोग का चिकित्सा के लिये आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भी अपना स्थान रखती है। इस प्रकार के चिकित्सालय खुले हुये हैं कि वहां पर मारी चिकित्सा आयुर्वेद ढंग पर की जाती है और वहां पर क्षय के रोगी पूर्णरूप से स्वास्थ्य लाभ करते हैं। इसी प्रकार का एक सैनोटोरियम बनाने के लिये बात रखी गयी थी और उसके लिये स्थान भी जहां तक मुझे याद पड़ता है सारनाथ का निश्चित किया गया था.....

श्री बनारसी दास—ज्वाइन्ट आफ आर्डर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बजट का जनरल डिस्क्शन नहीं है। यहां बिल पर जो यह प्रकाश डाल रहे हैं कि कितनी जरूरत पंचवर्षीय योजना में होगी, उसमें इस बिल का कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकार कितना खर्च कर रही है और कितना नहीं खर्च कर रही है इसका बजट से सम्बन्ध है और सैनोटोरियम कहाँ हो, शैया कितनी हों, इमारत कैसी हो इससे इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री उपाध्यक्ष—मैंने माननीय सदस्य को मौका दिया है, वह जो त्रुटि इस मौजूदा बिल के सम्बन्ध में है, उनकी बाबत कह सकते हैं।

श्री धर्म दत्त वैद्य—मैं उस ऐक्ट के बारे में कह रहा था कि जब हम इस प्रदेश के लिये ऐसा संशोधित ऐक्ट इस सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं तो सरकारी या गैर सरकारी तरीके पर जितनी इस चिकित्सा पद्धति में त्रुटियाँ हैं उन सब पर हम अपने विचार प्रकट करें और उनका अवलोकन करें और उसके बाद इस ऐक्ट का संशोधन करें, जिससे भविष्य के लिये हमारे सामने कोई कठिनाई न रह जाय। इसी दृष्टि से हम आज इस संशोधन विधेयक को देखते हैं और विचार करते हैं। यदि आज इसी रूप में यह पास कर दिया जाता है तो मैं यह कहता हूँ कि फिर जल्दी अवसर आने वाला नहीं है, क्योंकि यह अवसर सन् १९३९ के बाद ही आया है। फिर इस पर विचार नहीं हो सकता है। इसलिये आवश्यकता है कि सरकार उन सब बातों को इस विधेयक में रखे। जिन त्रुटियों के कारण से इस देशो चिकित्सा पद्धति को अवनति हुई है और हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बोर्ड के उन अधिकारों जिनको हमने छीना है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बोर्ड को पिछले ऐक्ट में यह अधिकार था कि वह इस प्रदेश में औषधियों के बनाने वालों और बेचने वाले लोगों पर नियन्त्रण रखे और उन्हें अच्छी औषधियों के बनाने के लिये बाध्य करे। आज हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में बहुत सी त्रुटियाँ हैं। जितनी भी फारमसी है वे भिन्न-भिन्न प्रकार से औषधियाँ बनाती हैं, जो भिन्न-भिन्न दामों की होती हैं। बोर्ड को यह अधिकार था और बोर्ड ने गत दो वर्षों में मॉटिंग्स करके यहां के औषधि बनाने वाले और उनको बेचने वाले लोगों को लाइसेंस दोगे और उन पर नियन्त्रण रख कर अच्छी औषधियाँ बेचने के लिये नियम बनाकर सरकार को भेजे थे, लेकिन इस नये ऐक्ट द्वारा उस अधिकार को वापिस ले लिया गया है।

सरकार का कहना है कि उनके लिये वह एक नया ऐक्ट लायेगी। ठीक है, हमारी इच्छा है कि यह कार्य नियमित रूप से हो। लेकिन हमें इसमें लदेह तीन चला गये हैं, लेकिन उत्तम आज तक कोई रिमूव नहीं हुई, गयी जो जनहित के लिये लाभदायक हो। हमने नहीं मान्य कि उनमें कोई विशेष अन्वेषण कार्य हुआ है, जिसमें वैद्य समाज अथवा जनता को लाभ पहुंचा है या यह पताया गया हो कि अमुक प्रकार से औषधि बनाना हितकर होगा और अमुक प्रकार से अहितकर।

हमने यह भी देखा कि सरकार का ओर से एक स्टेट आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना भी हुई है लेकिन पिछले तीन वर्षों से उसकी जो छीछालेवर हो रही है, उसकी इस प्रान्त में ही नहीं बल्कि प्रान्त के बाहर भी लोग उसका उपहास करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि सरकार का मशीनरी इस कार्य को करने की क्षमता नहीं रखती। जिस प्रकार से इस कार्य को संपादित किया गया है, उसके लिये सरकार को अधिकारी के रूप में अच्छे आदमी मिले, लेकिन जितने आदमी हैं, वे इतने कम हैं कि वे उस सारी की सारी चीजों को चलाने में किसी भी प्रकार से नजर्य नहीं है। इतलिये यह अगर बोर्ड के अधिकार में रहने दिया जाय तो बोर्ड उसकी अच्छा तरह से कर लेगा और सरकार को अधिक व्यय करने की आवश्यकता भी न होगी। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज देशी चिकित्सा पद्धति इस स्थिति में नहीं है कि उसके नियन्त्रण को बिल्कुल सरकारी रूप दे दिया गया। आपने फंक्शनी में लोगों के रखे जाने के अधिकार भी अपने ही हाथ में रखे हैं, वह भी सरकार की अनुमति से रखे जायेगे। इस प्रकार पूरे के पूरे अधिकार सरकार ने बोर्ड से छिन लिये हैं। मैं यह नहीं कहता कि पिछले काल में बोर्ड ने जो भी कार्य किया है वह अत्यन्त प्रशंसनीय रहा है, लेकिन इसमें भी सन्देह नहीं है कि पिछले सालों में बोर्ड ने जो कार्य किया है, उसके कारण प्रगति हुई है। इसमें जो भी रुकावट अथवा बाधा रही, वह इस कारण से है। रहीं कि उसके जो संचालक अथवा अधिकारी रहे, वे टेक्निकल आदमी नहीं थे। वहाँ एक ऐसे आदमी की आवश्यकता है जो अनुभवही और शासन को व्यवस्था को अच्छी तरह से चला सके, ऐसा सरकार का मत रहा लेकिन बोर्ड के सदस्य सबैव यह चाहते रहे कि कोई टेक्निकल आदमी रजिस्ट्रार के पद पर रहे, जिससे हमारे जो टेक्निकल मामले हैं, उनमें ओर सहायता मिल सके और बोर्ड अधिक प्रगति कर सके, किन्तु ऐसा नहीं हुआ। अगर उसका वैसे बोर्ड ने जहाँ तक भी हो सका देगी चिकित्सा-प्रणाली के लिये और उसकी शिक्षा के लिये काफी चेष्टा की और उसकी उन्नति की। हमारे जितने भी कालेज थे, उनके सम्बन्ध में जैसे-जैसे सरकार के आदेश प्राप्त हुये उनके अनुसार कड़ा नियन्त्रण किया गया और पिछले साल इसी कारण कई कालेजों को असम्बन्धित कर दिया गया, लेकिन फिर भी मुझे यह कहते हुये दुःख होता है कि एक ओर तो सरकार कहती है कि अच्छे वैद्य नहीं मिलते, योग्य चिकित्सक नहीं मिलते और दूसरी ओर जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इतनी बड़ी रकम स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये रखी गयी तो यहाँ के सरकारी कालेजों के अलावा जो संस्थाये चल रही थीं, उनका विशेष रूप से कोई ध्यान नहीं रखा गया। अच्छा होता कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यदि सरकार अच्छे वैद्य और स्नातक चाहती थी तो उनकी प्रोत्साहित करती, उनके लिये भी अच्छी रकम दी जाती, जिससे उन कालेजों और वहाँ के स्नातकों का स्तर ऊंचा होता और वहाँ से अच्छे वैद्य उपलब्ध हो सकते। लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के लिये जो रकम दी गई है, वह बहुत कम है और उसकी सुचारु व्यवस्था के बार में मेरे से पहले कई साथियों ने उन पर प्रकाश डाला है।

मेरा यह विश्वास है कि इसकी फंक्शनी उन लोगों के हाथ में है, जो हमारी इस प्रणाली से बुनियादी देख रखते हैं और जिसका प्रकाशन उन्होंने समय-समय पर अपने भाषणों द्वारा किया है। पिछले वर्ष जा मेडिकल कॉन्सिल की बैठक हुई थी, उस समय पब्लिक प्लेट फॉर्म से उन लोगों ने हमारी इस चिकित्सा-प्रणाली को अवैज्ञानिक बनाया था और उसकी खुले शब्दों में निन्दा की थी, इस समय मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता लेकिन वह चाहे भले ही इसकी अवैज्ञानिक कहे, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर कोई प्रणाली वैज्ञानिक

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

हैं नो; वह केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली ही है और उसका जो अन्वेषण, खोज है, वह इन्हीं में सिद्ध है कि वह किसी एक के स्वार्थ के लिये नहीं है और वह जनसमाज और मानव के कल्याण के लिये है और अपने स्वार्थ के लिये हमारे मुनियों ने अपने इस अन्वेषण को केवल अपने तक ही, अपने स्वार्थ के लिये सीमित नहीं रखा, उन्होंने अजवाइन के साथ घुइयाँ की तरकारी और गंगा जल में मेथी का संयोग बनाया जो जनसाधारण के हित के लिये था।

श्री उपाध्यक्ष—इस दिल में उसकी कोई निन्दा नहीं की गई है और उसके विरुद्ध उसमें कुछ नहीं कहा गया है।

श्री धर्मदत्त वैद्य—मैं यह कह रहा हूँ कि इस प्रकार में अवैज्ञानिक कह कर इस प्रणाली की उपेक्षा की जाती है। उन्होंने जो अन्वेषण किये हैं, वह केवल जनसमाज के हित के लिये किये हैं। इसलिये जो ऐसे विचार रखते हों, उनके हाथ में संचालन व्यवस्था देने से मुझे सन्देह है कि हम उसकी उन्नति कर सकें। इसलिये मैं चाहता था कि इस कालेज के सम्बन्ध में भी सरकार विचार करे। जो फ़ैकल्टी मेडिकल कालेज, लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ सम्बन्धित है, उसका डीन भी डाइरेक्टर हैं और प्रिंसिपल भी हैं, पिछली बार वहाँ विद्यार्थियों ने हड़ताल की थी, जो पढ़ने आये थे और उन्होंने नारा लगाया कि हम भी डाक्टरों पढ़ेंगे और दो वर्ष तक यही प्रथा चलती रही कि दो साल से विद्यार्थी मेडिकल कालेज में चले गये, इस तरह से सारी व्यवस्था और संचालन वहाँ का डाक्टरों के हाथ में है, वैसे चाहे किसी विशेष कारण से सरकार ने अधिकार हाथ में रखे हों और उन संचालकों के द्वारा वह उन पर अमल कराना चाहते हैं, तब किस प्रकार सँठीक तरीके से उनका सम्पादन हो सकता है, किस प्रकार में वे आयुर्वेदिक की उन्नति में सहायक हो सकते हैं, इसमें मुझे सन्देह है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ऐक्ट को संशोधित करते समय हम बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन की सिफारिशों को लेकर इस प्रदेश के जो आयुर्वेदिक कालेज हैं, उन सबके विचारों को जानें और इसलिये एक प्रवर समिति में इस विधेयक को रखने का जो सुझाव उदक के मामले आया है, मैं चाहता हूँ कि उसे स्वीकार किया जाय और उसके द्वारा जनता के विचारों को इस प्रदेश के और इस प्रदेश से बाहर के इस विज्ञान के जानने वालों के परामर्श से इस ऐक्ट को संशोधित किया जाय और वह इसलिये नहीं कि इस प्रदेश का इसमें हित है बल्कि मैं तो फिर यह कहना चाहता हूँ कि यह संशोधन ऐक्ट जो है, वह केवल इस प्रदेश को प्रकाश नहीं देगा बल्कि सारे देश के लाभ के लिये होगा क्योंकि हमारा पिछला इतिहास हमको बताता है कि जो कुछ भी उत्थान इस प्रदेश में आयुर्वेद ने किया है, वह किसी दूसरे प्रदेश ने नहीं किया है और दूसरों ने इसका अनुकरण किया है। इसी ने सबसे पहले इस ओर कदम बढ़ाया है। अपने प्रदेश की गरीबी और दरिद्रता को देखते हुए हमारा यह कर्तव्य है कि सरकार इस बात का प्रयत्न करे कि इस प्रदेश के रहने वाले निर्धन लोगों के लिये सुलभ तथा सस्ती चिकित्सा का प्रबन्ध किया जाय और यह आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति द्वारा ही किया जा सकता है। वह लोग जो देहातों में रहते हैं, जहाँ डाक्टरों जा भी नहीं सकते। इसलिये इस ऐक्ट में संशोधन के समय उन सारी स्थितियों का ज्ञान करके ही कोई कदम उठावे तो उचित होगा। इसलिये मदनगोपाल जी ने जो प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया है, उसका समर्थन करता हूँ और सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि एक प्रवर समिति बनाकर ठीक तरीके से इस ऐक्ट का संशोधन करे।

श्री दीन दयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मरे से पहले क दो वक्ताओं ने जो कि स्वयं वैद्य हैं, उन्होंने आज कल के प्रचलित प्रणाली पर बहुत प्रकाश डाला है। इस प्रदेश का जो रहने वाला है वह यह समझता है और जानता है कि इस एक ही विभाग में डाक्टर और वैद्य रहता है, किन्तु वैद्यों और डाक्टरों के साथ जो नीति बरती जाती है, उसमें बड़ी विषमता है लेकिन मेरी राय यह भी है कि इस विधेयक से उन बातों का सम्बन्ध ज्यादा नहीं है। वह तो संचालन की दृष्टि से

करा जा सकती है और उनको दूर किया जा सकता है। यह विधेयक मुख्यतः सन् १९४८ में बनाई गई कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है। उस कमेटी की तीन सिफारिशें थीं। पहली सिफारिश यह थी कि जो बोर्ड हैं, वह केवल रजिस्ट्रेशन के ज़िये रह जायें। दूसरी सिफारिश यह थी कि बोर्ड के स्थान पर एक फ़ैकल्टी बनाई जाय जो शिक्षण आदि का प्रबन्ध कर सके और तीसरी सिफारिश यह थी कि डाइरेक्टर आयुर्वेद स्वतन्त्र हों और इसकी अस्पतालों आदि के संचालन की जिम्मेदारी उस पर रहे। मैं जहाँ तक समझता हूँ इस विधेयक के पढ़ने से कि हमारी सरकार ने उन सिफारिशों को दृष्टिगत करके ही इस विधेयक का सृजन किया है, किन्तु मेरी राय यह भी है कि उन्होंने ऐसा करते समय यह गलती की है कि जो कमेटी ने सिफारिशें की थीं जिस ढंग से सिफारिश की गई थीं उनको उस ढंग से अमल में नहीं लाया गया। फ़ैकल्टी को आप विधेयक में देखेंगे कि वह नाममात्र को रह गई है। उसके जो मेम्बर्स हैं वह एक्स-ऑफिशियो हैं। इसलिये जो सिफारिशें कमेटी की थीं उनका कोई महत्व नहीं रहता है। मैं समझता हूँ कि यदि फ़ैकल्टी नियुक्त की जाय तो उसका स्वरूप और कुछ होना चाहिये, उसको कुछ अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिये। कमेटी की सिफारिशों में यह भी था कि आयुर्वेद का डाइरेक्टर स्वतन्त्र होना चाहिये। आज जो चीज चल रही है, वह यह है आयुर्वेद का एक डिप्टी डाइरेक्टर है और वह बड़े डाइरेक्टर की भातहती में है और मुख्य बातें जो इस सम्बन्ध में हैं उनका फैसला भी डाइरेक्टर ही करता है। यदि हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में आयुर्वेद को तरक्की मिले और उसको वैसा ही विकास मिले जैसा कि एलोपैथी आदि का विकास हो रहा है तो हमें उसको एक शक्तिमान पद देना चाहिये और इसको उसमें पृथक् कर देना चाहिये। यह हो सकता है मंत्री महोदय के अधीन जैसे डाइरेक्टर मेडिकल सर्विसेज का है वैसे ही एक डाइरेक्टर आयुर्वेद का भी हो। अगर इस प्रकार में करें तो निसन्देह बहुत सी बातें जो आयुर्वेद की कमियों के सम्बन्ध में कही जानी हैं, उनको दूर कर सकते हैं और इसीलिये मेरा कहना यह है कि जिस कमेटी ने तीन सिफारिशें की थीं, उनके आधार पर इस विधेयक को बनाया गया है, लेकिन इस विधेयक में जो सिफारिशें थीं उनके आधारभूत सिद्धान्तों को न मान कर उनको एकत्रित करके विशृंखल रूप में प्रकट किया गया है और उसको कम से कम जो सामर्थ्य प्राप्त होना चाहिये, वह नहीं रहने दी गई है। इसलिये मैं यह समझता हूँ कि यदि इस विधेयक को प्रवरसमिति के सुपुर्दे करे और इसमें जो खामियां उन सिफारिशों के आधार पर दिखलाई गई हैं, उन कमियों को दूर किया जा सके तो हम इस विधेयक को अधिक समर्थ और उपादेय बना सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

***श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)**—मान्यवर, वैसे तो अपनी जानकारी व्यक्तिगत तौर पर आयुर्वेद शास्त्र पर कुछ भी नहीं है, लेकिन अनुमानों और अनुभवों और कुछ घटनाओं का क्रमिक जो प्रभाव अपने दिल पर पड़ा है उसी के आधार पर मैं साहस कर सका हूँ कि मैं इस हाउस के सामने इस विधेयक पर अपने विचार आपके द्वारा रख सकूँ।

मान्यवर, यदि इस संशोधन विधेयक को देखा जाय तो इसकी धाराओं को पढ़ने से यह ज्ञात होगा कि हम संगठन और विकास के लिये ही यह आवश्यक समझते हैं कि हम ३९ के उस संशोधन विधेयक पर जिसकी नींव अंग्रेजी हुकूमत के काल में सन् २२ में पड़ी थी, संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत करें। जहाँ तक विकास और संगठन का संबंध है यदि विकास इसी को कहते हैं जो इस विधेयक के पढ़ने के बाद जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूँ जो ऐसा विकास हमारी सरकार के लिये मुबारक हो। इस विधेयक को श्रीमन्, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो बोर्ड बनेगा, उस बोर्ड का सभापति सरकार नामजद करेगी। सरकार के ५ नामजद सदस्य होंगे कि यदि यह विकास है तो सरकार ही इसे विकास समझे। यदि २७ की जगह २१ सदस्यों का बोर्ड बनेगा और यह विकास है तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उन आयुर्वेदिक कालेज में जो लड़के पढ़ने आये उनको हिन्दी और संस्कृत का ज्ञान न हो, यह अनोखी बात यह सरकार ही कर सकती है। अगर हम उन्हें सही शिक्षा देनी है तो हमारे लिए आवश्यक है कि संस्कृत विद्या का जानकार आदमी इसका शिक्षार्थी नियत किया जाय, भले ही वह अंग्रेजी क्यों न जानता हो। लेकिन केवल अंग्रेजी और साइंस का जानकार आयुर्वेदिक कालेज में भरनी कर लिया जाय तो उसको कैसे आयुर्वेदिक को सही जानकारों होगी? मेरा दावा है कि सरकार ने यूनानी और आयुर्वेदिक दवाखानों के साथ नीतेले बट की तरह व्यवहार किया है। अगर यह नहीं है तो हम देखें, जैसी कि चर्चा माननीय जेड जी ने की हमारे प्रदेश में केवल १५ आदमियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। हमारे प्रदेश में जो आयुर्वेदिक दवाखाने चल रहे हैं अधिकतर धर्मार्थ पर चल रहे हैं। ४०-५० रुपये पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आयुर्वेदिक अस्पताल काम कर रहे हैं।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जो कह रहे हैं कि यह भाषण बजट पर होना चाहिए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या व्यवस्था है इस विधेयक में कि हम उसको कंट्रोल कर सकें जो अस्पताल धर्मार्थ, चालीस-पचास रुपये की सहायता पर चल रहे हैं? आज आयुर्वेदिक अस्पतालों के आयुर्वेदिक दवाओं के स्थान पर कुनेन की टिकियां देते हैं क्योंकि सरकार उन्हें वही देती है। अगर सरकार समझती है कि यह भारतीय परम्परागत ऋषियों-मुनियों की देन है, जिसको बड़ी तपस्या के साथ उन्होंने संसार में सबसे पहली विधि के रूप में प्रस्थापित किया, यदि इसका विकास करना है, जिसका विकास आज अमेरिका की लेबोरेटरी में हो, हम में ही लेकिन हिन्दु-मान के स्कूलों में उसके अध्यापक और प्रिन्सिपल न हो तो सरकार को शर्म आनी चाहिये। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हम आयुर्वेद और यूनानी पद्धति का विकास करें और इसकी तमाम बुराई दूर करें और वैद्यों को बराबर का दर्जा देना होगा डाक्टर के बराबर। अभी आप देखेंगे कि एक विधेयक आयेगा जिसपर चर्चा होगी कि हमारी ओर आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाय। मान्यवर, एक तरफ तो स्तर को ऊंचा करने के लिये सरकार चिन्तित है और दूसरी तरफ वही सरकार यह नहीं आवश्यक समझती कि आयुर्वेद का विद्यार्थी ४० रुपये तनख्वाह पाये, और एक एम० बी०, बी० एस० का विद्यार्थी निकलता है तो वह ऊंची तनख्वाह पाये जबकि आयुर्वेद का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी में ४० रुपये की नौकरी करेगा। तो अगर आपको आयुर्वेद में लोगों की रुचि बढ़ानी है तो उनका आर्थिक स्तर समान करना होगा। इस कानून में यह व्यवस्था कहीं है? क्या व्यवस्था आपने की है? मान्यवर, आज आप देखेंगे गाड़ी जाती है डाक्टर मौजूद है और बेच रहा है आंख की दवाई, और सरकार ने छूट दे दी है, लखनऊ के चौराहों पर पोस्टल लटकें हुए हैं, ऊट पटांग दवा बेच रहे हैं। क्या व्यवस्था है?

मान्यवर, यदि हम आयुर्वेद का सचमुच सच्चा विकास करना चाहते हैं तो हमें औपडियों में रहने वाले लोगों से जानकारी प्राप्त करनी होगी, आयुर्वेद के मूल ग्रन्थों का जो संस्कृत में है। गहराई से अध्ययन करना होगा और उनके लिये ऐसी सहायता देनी पड़ेगी जिसके आधार पर वे अपना समय लगा कर ऐसी नई नई ही नहीं बल्कि चीजे खोजें जो कि ग्रन्थों में छिपी पड़ी है।

जहाँ तक इस विधेयक का प्रश्न है मान्यवर, इसमें आप देखेंगे एक व्यवस्था है फैंकल्टी बनाने की। फैंकल्टी बनेगी काभ क्या होगा? विकास के लिये ही बनेगी सरकार बहुत खुश है कि विकास इसका ही, इसलिये फैंकल्टी बनायी। लेकिन फैंकल्टी का काम क्या होगा? किसी को रिकग्नीशन नहीं देना चाहती न दे, ऐसा फैंकल्टी करेगी। मैं समझता हूँ सरकार को चाहिए कि जिस फैंकल्टी का सृजन वह कर रही है इस विधेयक के द्वारा इसमें अच्छा है वह न करे। सम्भावित उत्पत्ति होगी और साथ उसमें मेम्बर रहेंगे। तो फिर कैसे यह सम्भव हो सकता है कि फैंकल्टी स्वतन्त्र रूप में काम कर सके? कैसे यह सम्भव हो सकता है कि सरकार की इच्छा के विरुद्ध कोई कालेज स्टार्ट कर सके? तो सरकार विकास के नाम पर यह संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत करके अपने हाथ में पूरी ताकत ले रही है। और मान्यवर एक पद्धति है कि आज अगर किसी को किसी काम में किसी बदनामी से बचना है तो अन्तर्राष्ट्रीय खतरे का नारा दे दे और अपने देश में ही तो विकास का नारा दे दे उसकी, बाह्य में जाहे जो कुछ फारे. विकास के नाम पर किया जा सकता है या अन्तर्राष्ट्रीय खतरे के नाम से किया जाता है। कुछ

[श्री रामेश्वरलाल]

लोग साम्प्रदायिक नारा दे कर काम कर लेते हैं जैसा इस विधेयक में सरकार का नारा है। लेकिन है इसमें क्या? सरकार अपने हाथ में ताकत लेकर अपने अनुसार काम करेगी और मैं समझता हूँ कि जब तक यह चलता रहेगा तब तक आयुर्वेदिक की पद्धति का विकास नहीं होगा। चाहिये यह कि हम अधिक से अधिक पैसा दे, अनुसंधान करावें और उसमें आज जो वैज्ञानिक युग का आविष्कार या जो पुष्ट है उसको भी आयुर्वेद की पद्धति में शामिल कर तब इसका विकास हो सकेगा और तब हम कह सकेंगे कि हम आयुर्वेद के विकास की, संगठन की बात कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं नारायणदत्त जी और वैद्य जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री द्वारका प्रसादमौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की जो विदेशी शासन काल में सबसे बड़ी क्षति हुई है, मेरा अपना ख्याल है वह हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की ही हुई है। आयुर्वेद का हमारे देश में जो ऊंचा स्थान था किसी काल में, वह आज विदेशी काल में इस अवनति को प्राप्त हुआ और आज भी उसकी दशा में जो सुधार होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। आयुर्वेद के जानकार आज भी सबसे अधिक सेवा हमारे प्रदेश की कर रहे हैं। गांवों की गरीब जनता आज भी अधिक से अधिक लाभ उसी आयुर्वेद की पद्धति में और उन्हीं गांवों में रहने वालों वैद्यों और हकीमों से उठा रही है। डाक्टरों का स्थान जो विदेशी काल में इतना ऊंचा उठाया गया, आज भी उनका वहीं ऊंचा स्थान है और हमारी सरकार को भी आज जिस आयुर्वेदीय और यूनानी पद्धति को जितना ऊंचा उठाना चाहिए था वह न उठा करके आज भी उन्हीं डाक्टरों को इन चिकित्सा के कामों में विशेष तरजीह देना चाहती है। देहातों में जो दवाखाने खोले गए उनमें एलोपैथी के अस्पताल और इमारतें काफी बड़ी लागत पर बनायी गई हैं जब कि आयुर्वेद के जा अस्पताल खोले गए उनके लिए कहीं भी कोई इमारत अभी तक नहीं बनायी गई और वह हकीम और वैद्य बिलकुल एक उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते हैं। जब तक कि उनका आदर नहीं होगा उनको वह सुविधायें नहीं प्रदान की जावेंगी जो डाक्टरों को दी जाती है तब तक इस चिकित्सा पद्धति का भी स्थान ऊंचा नहीं होगा। जो मौजूदा विधेयक है उसे देखकर के मुझे इस सम्बन्ध में कोई भी आशा जो होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। इसमें तो केवल इतनी ही बात मेरी नजर में आयी कि पहले बोर्ड में २७ सदस्य थे अब १९ सदस्य रखे गए हैं। पहले सदस्यों के चुने जाने को और नामिनेट करने की कुछ और कड़ेगरी थी अब कुछ और कड़ेगरोज कर दी गई।

पहले इस विधान सभा के तीन सदस्य और कौंसिल के एक सदस्य चुने जाते थे इस बोर्ड में और अब वह निकाल दिए गए इसके अन्दर से और बोर्ड का जो काम था उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। अब एक फैंकल्टी बना दी गई जिसके जिम्मे परीक्षा वगैरह का काम सुपुर्द है और इसी बोर्ड के पांच सदस्य एक तो प्रेसीडेंट और चार और जो एलेक्टेड आयेंगे, उन्हीं को वह फैंकल्टी बना दी गई है परीक्षा के लिए। जो पहले सरकार कुछ रुपया बोर्ड को लम्प सम देती थी वह धारा भी इस संशोधन में निकाल दी गई है। यानी बोर्ड को अब सरकार किस रूप में सहायता करेगा फाइनेंशियली यह इस विधेयक से निकालकर पता नहीं किम रूप में सरकार अब उनको सहायता देगी?

जो रजिस्टर्ड वैद्य या हकीम हैं उनकी जो फीस थी वह बोर्ड की एक आमदनी थी, लेकिन अब वह साल भर के लिए प्रावीजन लगा दिया है कि जो पहले के वैद्य-हकीम हैं जिन्होंने किसी रिकग्नाइज्ड संस्था में परीक्षा नहीं पास की है, ऐसे लोगों को साल भर तक रजिस्टर्ड किया जायगा, फिर उसके बाद जो लोग पास होंगे उन्हीं को उस श्रेणी में रजिस्टर किया जायगा। तो वह केवल रजिस्ट्रेशन की फीस या जो परीक्षा में परीक्षार्थी बैठें उनसे जो शुल्क वगैरह लिया जाय उस आमदनी के अलावा और कोई आमदनी न बोर्ड की है, न फैंकल्टी की। जो बोर्ड को सरकार रुपया देती थी या जो और पैसा उसके पास हो उससे कुछ स्कालरशिप देने की और विदेश में भेजने का खर्चा देने की बात थी और जो संस्थाएं आयुर्वेदिक वगैरह की चल रही हैं प्रदेश के अन्दर, उनको कुछ रुपये-पैसे से मदद देने की व्यवस्था थी, वह सब इस विधेयक

से निकाल दी गयी। पता नहीं कि आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति को सरकार अब कैसे से किस प्रकार मदद देना चाहती है और इन संस्थाओं को वह किस प्रकार उन्नत करना चाहती है? ये संस्थाएं केवल पब्लिक के ही द्वारा चलेंगी, रिकग्नाइज्ड कर लेने, लेकिन उन संस्थाओं को चलाने में सरकार किसी की सहायता करेगी, इसकी कोई व्यवस्था इस संशोधन के जरिये से नहीं प्रकट हो रही है। जब तक सरकार अपने दृष्टिकोण को न बदले, इन वैद्यों और हकीमों की मर्यादा पुनः देश में प्रतिष्ठित न हो, तब तक आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का जीर्णोद्धार होना असम्भव है।

अभी माननीय मदनगोपाल जी ने बतलाया था कि मेडिकल सर्टिफिकेट देने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन उसकी कद्र यही रही कि पोस्ट आफिस में वह सर्टिफिकेट किसी ने दाखिल किया तो उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया और सरकार ने यह कह कर टाल दिया कि यह तो पोस्ट आफिस सेट्रल का विषय है। अगर वह रजिस्टर्ड वैद्य, हकीम के सर्टिफिकेट को नहीं मानते तो उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो इस प्रकार यह अगर वैद्य हकीमों के मेडिकल सर्टिफिकेट की उपेक्षा की जाय तो उनका स्तर किसी प्रकार ऊंचा नहीं उठ सकता। वैद्य, हकीम जिस लगन के साथ सेवा करते हैं मरीज को, मैंने देखा है देहातों में, उसकी जितनी सराहना की जाय कम है। इस खर्चीली दवा को विदेशों से मंगाने में हमारे देश के डाक्टरों का एक विलीक सा है। बाहर की कीमती-कीमती दवाएं यहां आती हैं, कमीशंस की आमदनी की जाती है। ये बड़े-बड़े जो दवाखाने हैं इनकी आमदनी इतनी ज्यादा विदेशी दवाइयों से होती है और इन डाक्टरों का जो स्टेट्स है वह इतना ऊंचा है कि उसने बड़े लोगों के दिमागों के ऊपर असर जमा रखा है और यह एक प्रोपैगेंडा काफी होता है अंग्रेजी दवाओं का, एलोपैथिक दवाओं का कि उसके सामने हमारी आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति का फूलना और पनपना बहुत ही कठिन जान पड़ता है। प्रोपैगेंडा और इश्तहारबाजी तो जिस किसी भी चीज की की जाय वही जनता के दिमाग पर एक जादू डालती है। मिनाल के तौर पर जैसे डालडा है। सिनेमाघरों में उसका इतना प्रचार होता है कि सरकार आज तक उस डालडा में जो रंग लगाने की बात है उसको पूरा करने में असमर्थ रही है। तो डालडा ने ऐसा असर जमाया कि दुनिया में उससे पौष्टिक पदार्थ कोई नहीं है! इस प्रकार का प्रोपैगेंडा होता है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य विधेयक के गुण-दोषों पर आये तो अच्छा हो।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमन्, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि जो ध्यान आज सरकार को इस आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों की ओर देना चाहिये वह इसलिये नहीं दे पा रही है, क्योंकि उसके दिमाग पर भी इन डाक्टरों और विदेशी चिकित्सा पद्धति का जादू पड़ा हुआ है। जो एक कल्चरल असर डाक्टरों का है वह आज भी हमारे दिमाग को अपने काबू में किये हुये हैं। मिसाल के लिये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अंग्रेजियत आज भी हमारे दिमाग से नहीं हट रही है और हिन्दी राष्ट्रभाषा हॉते हुये भी तड़प रही है अपनी जगह पर, उसी तरह से यह असर भी हमारे दिमाग पर जमा हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि जो कोई विदेशी दवा अच्छी हो उसका प्रयोग न किया जाय या जो नये ईजाद हो रहे हैं वे अमल में न लाये जायें, लेकिन जो हमारी प्राचीन काल की चिकित्सा पद्धति थी उसका गौरव काफी ऊंचा था। आज भी उसमें जो ग्रन्थ है और जिस तरह से उनमें हर एक वनस्पति के अलग-अलग गुण दिये हुये हैं वह कोई मामूली ज्ञान की बात नहीं है। जो विश्लेषण शरीर के रोगों का आज भी वैद्य करता है वह भी उस प्राचीन ज्ञान के बल पर है जिसको हम सामान्य नहीं कह सकते। लेकिन हालत यह है कि आज जो हमारी चिकित्सा पद्धति गिरी हुई है उसे उठाने के लिये सरकार को जितना ध्यान देना चाहिये उतना नहीं दे रही है।

मोजूदा विधेयक में कोई भी सुधार या तरक्की की बात नहीं की गई है। केवल एक अलग फैकल्टी जिसमें ४ एलेक्ट्रेड मेम्बर्स और एक प्रेसीडेंट की व्यवस्था की गई है जो परीक्षा लेगी। अगर फैकल्टी और बोर्ड दोनों के विचारों में अन्तर हो तो वह मामला सरकार

[श्री द्वारका प्रसाद नैर्य]

के पास आयेगा और सरकार उन पर अन्तिम निर्णय देगी। बजाय इनके कि बोर्ड का निर्णय अन्तिम हो सरकार ने उन अधिकार को अपने हाथ में ले लिया है। मैं नहीं मसझता कि इस परिवर्तन में कोई विशेष बात होगी। माननीय सभा-मन्त्रि ने कहा कि इस विधेयक के द्वारा पुराने हकीमों और वैद्यों को दवा-झरू करने में रोक नहीं गया है लेकिन इस विधेयक की धारा ५१ और ५२ में स्पष्ट है कि जो भी हकीम या वैद्य रजिस्टर्ड नहीं है वे दवा नहीं कर पायेंगे। वह इस प्रकार है :—

“51. No person other than a practitioner registered under Part II of the Act or a person whose name is entered in the list mentioned in section 50 shall practise or hold himself out, whether directly or by implication as practising or as being prepared to practise the Indian system of medicine surgery or midwifery.”

इसमें प्रोविजो है ।

“Provided that the Provincial Government may, by notification in the official Gazette, direct that the provisions of this section shall not apply to any class of persons or in a specified area.”

तो जो रजिस्टर्ड नहीं है वह कैसे कर सकेंगे ? गवर्नमेंट जब चाहे रोक सकती है। इसमें बचने के लिये धारा ५४ में कुछ बात रखी गई थी लेकिन उसको सरकार अब निकाल रही है। उसमें यह था कि :—

“Nothing in sections 51 and 52 shall apply to any person:—

- (a) who limits his practice to the art of dentistry or
- (b) who being a Nurse, Midwife or Health Visitor registered under the United Provinces Nurses, Midwives, Assistant Midwives and Health Visitors Registration Act, 1934, or a dabi, attends on a case of labour, or,
- (c) who is entitled to registration under section 53 of this Act.”

तो उनको ऐक्जैम्प्ट किया था जो एंटाइटिल्ड हैं सेक्शन ५३ में रजिस्ट्रेशन के, और जो दाइयां काम करती थीं या मिडवाइव्स और डेंटिस्ट्री को ऐक्जैम्प्ट किया था। अब धारा ५१ में यह है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है वह नहीं कर सकेंगे तो दाइयां जो ऐक्जैम्प्ट की गई थीं वह अब इस काम को नहीं कर सकेंगी जब तक कि उनका रजिस्ट्रेशन न हो जाय। देहातों में सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि लेबर के कामों या गर्भावस्था के समय, जो उनका पुस्तंती पेशा हो गया है, वह जानी है और न जाने कितनी सेवा करती है। अगर धारा ५४ निकाल दी जाती है तो ५१ के बमूजब वह डिबार हो जाती है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विधेयक के जरिये कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है और न आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा के बढ़ाने में योग दिया गया है, बल्कि जिस स्थान पर वह थी उसी स्थान पर उसको रखा गया है। अब जो सरकार पंसा देती है वह भी अगर बंद कर दिया जाय तो कैसे यह आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति तरक्की कर सकेंगी ?

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें काफी सुधार होने की गुंजायश है और माननीय नारायणदास जी के प्रस्ताव के अनुसार इसको प्रवर समिति में भेजना अत्यंत आवश्यक है। मैंने धर्मदास जी और मदनगोपाल जी ने अपनी दृष्टि से जो बातें कहीं हैं वे बहुत ही अहमियत रखती हैं और मैं उन लोगों के विचारों से पूर्ण सहमत हूँ और जो मार्मिक चित्र उन्होंने इसकी दुर्व्यवस्था और सरकार की उपेक्षा का खींचा है, उससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ।

(इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

में समझता हूँ कि सरकार इस दृष्टि में नहीं कि विधेयक आ गया है, किमी तरह से पाम हो जाय और जो बाने कही जा रही है वे केवल चलती हुई बातें समझ ली जाय। मैं विशेष जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अभी तक जितने मागनीय सदस्य इस पर बोलें हैं सभी ने यूनानी और आयुर्वेदिक पद्धति को बढ़ाने की ओर सरकार का ध्यान खींचा है। सरकार को विशेष रूप से ऐसा विधेयक लाना चाहिये और जो भी वेद या इकीम हों उनका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाय और जो अस्पताल खोले जा रहे हैं, उनमें सभी तरह की सुविधाएँ दी जाय। अगर इधर ध्यान नहीं दिया गया तो यह पद्धति आगे बढ़ने वाली नहीं है।

हमने देखा है कि आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पतालों में दवाएँ बहुत कम पैसों की दी जाती हैं और ऐलोपैथी पर बहुत खर्च होता है। यह बात जरूर है कि आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में कम दाम खर्च होता है। लेकिन अगर इन अस्पतालों की साज-सज्जा और रहन-सहन ऊंची दृष्टि का नहीं होगा तो उससे दिमाग पर असर पड़ता है। दिमाग पर यह असर पड़ता है कि वैद्य एक गरीब आदमी है, कम पैसों वाला है, एक फटी हालत का है, उसका अस्पताल टूटा-फूटा है, और डाक्टर एक बड़ा आदमी है, गान वाला है, मोटर वाला है, उसका बड़ा मकान है, बड़े अस्पताल में रहता है, उसकी दवाइयाँ इंडो क्रॉम की होती हैं। तो यह सब चीजें हमारे दिमाग को एक गलत रास्ते पर ले जाती हैं। जो योग्यता वैद्य को है उसका पूरा लाभ जिस तरह से देश को पहुंचाना चाहिये वह हम नहीं पहुंचा रहे हैं और जो रिमर्च वैद्यक में होना चाहिये उसके लिये सरकार को जो खर्च करना चाहिये, वह नहीं किया जा रहा है, कम खर्च किया जा रहा है। जितना पैसा आज जनता के लिये ऐलोपैथिक दवाइयों में खर्च किया जाता है उसका मुक़ाबिला अगर आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाय तो हम एक बड़ा भारी अंतर पाते हैं और देखते हैं कि इतना ही पैसा अगर इस चिकित्सा प्रणाली को अपनाने लिये किया जाय तो बहुत फायदा जनता को पहुंचाया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि हमें सस्ती दवाइयाँ जनता तक पहुंचाने के लिये कोई न कोई उपाय निकालना चाहिये।

भामूली मर्ज में जब एक वैद्य या हकीम दो-चार रुपये के नुस्खे में मर्ज अच्छा कर देना है उसी वक्त वह मर्ज डाक्टर को दवाइयों से सो-दो सो रुपये से अच्छा होता है। मुझे खुद एक ज़रतोज़ी है। जब मैं सभा सचिव था तो मेरा जुक़ाम बिगड़ गया और उसको अच्छा करने के लिये डाक्टरों की दवाइयाँ ७० रुपये की हुईं। वह रुपया सरकारी खजाने से जरूर आया इसलिये कि जितना खर्च हुआ उन दवाइयों के जो नुस्खे थे वह क़ायदे से बाद में मुझे उनका पैसा मिल गया, लेकिन जाने कितनी बार उस बिगड़े जुक़ाम की दवाई पंजारी के पास से मिली और वह अच्छा हुआ। साथे-साथे जुझादे और बनफ़शे से वह अच्छा हो गया था, लेकिन पहां उसी के लिये ७० रुपये लग गये। यह मैं नहीं कहता कि डाक्टरों में जो सर्जरी है या जो एक-दो वर्ग रहते हैं और उससे जनता को जो सुविधा पड़च रही है उसको हम न देखें, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे उचित फायदा उठाने हुए हमें अपना देशी चिकित्सा पद्धति की तरफ पूरा ध्यान रखना चाहिये और इससे फायदा उठाना चाहिये। मेरे गांव में एक आदमी था, जिसका पैर सड़ा जा रहा था। डाक्टर ने कहा कि बिना पैर काटे यह अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक गांव वाले ने उसे एक पेड़ की छाल इस्तेमाल करने की बताई और थोड़े दिनों के बाद वह आदमी अच्छी तरह से चलने लगा और खासा तन्दमस्त हो गया। तो यह कहना कि ऐलोपैथिक की दवा बहिश्त से आती है, ठीक नहीं। वह सब उन्हीं जड़ी-बूटियों से तैयार की जाती है और हमारे देश में जड़ी-बूटियों की इक़रात है। अगर उनका ठीक इस्तेमाल किया जाय और उधर ध्यान दिया जाय और दिमाग से जो डाक्टरों का एक जादू है वह हटा दिया जाय तो पूरा फायदा हम लोग आयुर्वेदिक और यूनानी में उठा सकते हैं। उससे हमारे देश का ज्यादा कल्याण हो सकता है। मैं तो कहूँगा कि अगर डाक्टरों का नामकरण ब्रैडों की उपाधि देकर कर दिया जाय तो डाक्टरों का जो हमारे दिमागों पर असर है वह दूर हो जायगा और उससे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। हर चीज का अपना देश की अवस्था के अनुकूल नामकरण भी हो जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि इस विधेयक में काफी त्रुटियाँ हैं और यह किसी हद तक आगे नहीं जाना और जो पहला ऐक्ट था उससे भी इसने कमी ही गई है और कोई लाभ नहीं पहुंचाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी प्रवर समिति के सुपर्व किया जाय ताकि हम उसे और सुधार सकें।

श्री नवलकिशोर (जिजा बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस संशोधन विधेयक को लाने की मंशा और उद्देश्य सरकार का यह है कि वह चाहती है कि हमारे प्रदेश में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति का जो संगठन है वह दृढ़ हो और उसका स्तर ऊँचा हो। यह सही है कि विदेशों से आने वाले इन पद्धतियों की काफी उपेक्षा की गई, जिम्मा परिणाम यह हुआ कि हमारे देश के बड़े बड़े वैद्य-हकीमों को वह मान नयादा और प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो सकी जो कि किसी समय में थी और आज-कल के पड़े-लिखे व्यक्ति उनको एक दकियानुसी क्रिस्म का सम्मान कर उनकी अवहेलना करने लगे। जब हमारे देश में राष्ट्रीय आन्दोलन हुआ तो हमारे नेताओं ने इस तरफ ध्यान दिया। उन्होंने यह कहा कि हमारे देश में जो आवश्यकता है और जो हमारी सांस्कृतिक भूमिका है उसके अनुरार यदि कोई उपयुक्त पद्धति है तो वह आयुर्वेदिक पद्धति है और यूनानी पद्धति है। जब हमारी सरकार बनी तो सरकार का ध्यान इस तरफ गया और मैं तो समझता हूँ कि हमारे प्रदेश की सरकार अवश्य बधाई की पात्र है और मैं उसकी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना काफी ध्यान इस तरफ दिया। चाहे उस मात्रा में वह नहीं प्रतीत होता जिस मात्रा में हम चाहते थे, लेकिन सन् १९३९ में यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट उसने बनाया और एक बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन की भी स्थापना हुई और प्रदेश में इस पद्धति के लिये कुछ काम भी शुरू हुआ। इसके बाद सरकार ने सन् १९४७ में एक कमेटी बनायी। उस कमेटी के टर्म्स आफ रिफरेंस में तो मैं जाना नहीं चाहता, किन्तु उसका मंशा यह था कि किस प्रकार से इन पद्धतियों के स्तर को ऊँचा किया जाय और क्या सम्भव इन पद्धतियों को अपने प्रदेश में हम पूरा पूरा प्रोत्साहन दें। इस कमेटी ने अपनी कुछ सिफारिशों का आर सरकार का यह कहना है कि उन्होंने उन सिफारिशों के आधार पर यह संशोधन विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है। हमको देखना यह है कि संशोधन का जो अभिप्राय होता है वह यह होता है कि पुराने ऐक्ट में कोई कमी हो तो उनको पूरा करने के लिए संशोधन लाये जाय उसमें संपादन करने में कुछ कठिनाई हो तो उनको दूर करने के लिये संशोधन लाये। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि इसमें दो मुख्य संशोधन किये गये हैं—एक तो जो मौजूदा बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन है उसके रखरखाव को बदला गया है और जो उसकी पावर है उसको कम किया गया है। इसके साथ-साथ एक फैक्ट्री की स्थापना की बात भी इसके अन्दर ही गयी है। एक चीज और है जो कि प्रियम्बल से साबित होती है और जिसकी तरफ हमारे कुछ साथियों ने ध्यान भी आकर्षित किया है। वह यह है कि यह जो मौजूदा संशोधन विधेयक है इसमें उस पुराने ऐक्ट के मुक़ाबले में स्कोप कुछ कम किया जा रहा है। इसमें से कंट्रोल आफ ड्रग्स का बात को हटा दिया गया है। शायद इस ख्याल से कि सरकार का यह विचार हो कि वह कोई दूसरा विधेयक इस सम्बन्ध में लाना चाहती है। जो भी हो मैं यह समझता हूँ कि यदि ऐसा विचार है तो ठीक है। इसमें मुझे अधिक कहना नहीं है, लेकिन मैं यह समझता हूँ कि सरकार इस बात को मानेगी कि ड्रग्स कंट्रोल का बहुत महत्व है। उन्होंने अंग्रेजी दवाइयों के सिलसिले में अडल्टेशन के खिलाफ काफी सख्त कानून पास किये हैं। इसी प्रकार से देशी दवाइयों के लिये भी ताकि उनकी प्योरिटी के लिये तथा शुद्ध रूप से वह दवाइयाँ मिल सकें, कंट्रोल होना बहुत आवश्यक था और रहे।

जब हम बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन को देखते हैं और जब उसके फार्मेशन की बात को देखते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ सरकार की ऐसा टेन्डेन्सी हो गई है और जाती जाती है कि हम नानआफिशियल एलिमेन्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता हटाते जाते हैं, और उनको जगह पर आफिशियल एलिमेन्ट्स को स्थान देते जाते हैं। इसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट नामजद हुआ करेगा। अभी तक जा बोर्ड था उसका प्रेसिडेंट उसके मेंबर स्वयं चुना करते थे। उसमें यह शर्त थी कि वह कांसिक्वूटिव टर्म से अधिक नहीं रह सकेगा। इसमें ऐसी शर्त नहीं है। जब सरकार नामजद करेगी तो इसमें इस बात की गुंजायश नहीं है कि सरकार किसी नानआफिशियल को प्रेसिडेंट बनायेगी। मेरा यह सन्देह है और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों चीजों में कमी की गयी। चुनाव में कमी की गयी और कांसिक्वूटिव टर्म की बात गयी। तो सन्देह यह पैदा होता है कि सरकार के विभाग में

हो सकता है—मे स्पष्ट जानता नहीं कि वह अपने विभाग के किसी कर्मचारी को उसके पद के साथ इन प्रेसिडेंटशिप को जाड़ देगा ताकि वह हमेशा के लिये परमानेंट रहे। मिमाल के तौर पर हो सकता है कि डाइरेक्टर या उसका डिप्टी डाइरेक्टर प्रेसिडेंट होगा। लिहाजाफिर उसमें ऐसा होगा कि जो भी डाइरेक्टर अथवा डिप्टी डाइरेक्टर होगा वह उसका प्रेसिडेंट हो जायगा। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात को स्पष्ट करे। यदि उसकी मंशा इसको सरकारी पद में जोड़ने की हो तो मैं उसका विरोध करता हूँ। हमारे वैद्य अथवा हकीम जिनको ख्याति अच्छी है उन्हीं को इसके लिये नामजद किया जाना चाहिये, गैर वैद्य या हकीम का कभी भी इतक लिये नामजद नहीं किया जाना चाहिये।

इससे पहले के ऐक्ट में यह था कि सरकार ५ आदमियों को नामजद करती थी। इन ५ आदमियों में एक वैद्य, एक हकीम और एक हरिजन होता था लेकिन इस प्रकार का कोई भी प्रावोजन इसमें नहीं रखा गया है। मुझे इसमें भी सन्देह है कि कहीं पांच के पांच आदमी आफिशियल ही नामनेट न कर दिये जाय। सरकार को इस बारे में भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है। स्पष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है बल्कि उसके स्थान पर ऐसा अमेंडमेंट आना चाहिये कि पांचों मेंबरान उन्हीं व्यक्तियों में से हों जो वैद्य या हकीम हो, जिनकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो, मान. मर्यादा, प्रतिष्ठा और ख्याति हों। यह बात मैंने इस बोर्ड के फारमेशन के बारे में कहीं लेकिन जहां तक इसकी शक्ति से सम्बन्ध है, ऐसा मालूम होता है कि बोर्ड की जो मौजूदा परजॉशन है वह सेक्रेटेरियेट के एक क्लर्क अथवा पोस्ट आफिस की सी मालूम होती है। उसके जो पांच काम थे वे यह थे कि वह स्नातकों को रजिस्टर करता था, यूनानी और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों की मदद करता था, शिक्षा संस्थाओं का संचालन करता था आदि। लेकिन अब उसकी शक्ति को २ हिस्सों में बांट दिया गया है। उसके जितने इन्स्पेक्टर थे, जो कि इन्स्पेक्शन का कार्य करते थे उनको फैकल्टी के अधीन कर दिया गया है। लाइसेंसिंग का शक्ति भी उसकी घटा दी गयी है। शेड्यूल के पैरा नम्बर ४ में यह था कि जो वैद्य या हकीम ऐसा हो जिसकी प्रैक्टिस १०-१२ साल की हो, चाहे उसके पास कोई डिग्री हो या न हो, वह भी रजिस्टर हो सकता था, उसको भी इसमें खत्म कर दिया गया है। इसको मैं समझता हूँ कि यह उचित ही किया गया है। क्योंकि इस तरह की शिकायतें हैं और यह सही है कि इसका उचित प्रयोग नहीं हुआ। इसमें बोर्ड की कुछ कठिनाइयां भी हो सकती हैं जैसे कि प्रमुख लोगों ने ऐसा लिख दिया हो। इस तरह की बातें जरूर हुई हैं और इसमें ऐसे लोग भी आ गये जिनका कि वैद्यक से कोई सम्बन्ध नहीं था मगर वह वैद्य या हकीम के तौर पर रजिस्टर हो गये।

जहां तक कि इसकी एजुकेशन का सम्बन्ध है, आपने इसके लिये फैकल्टी बनायी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि आप आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों की उन्नति चाहते हैं, उसकी शिक्षा को उन्नत करना चाहते हैं, और आजकल के वैज्ञानिक युग में जिस स्तर पर ऐलोपैथी है उस स्तर पर इसको भी लाना चाहते हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या इस तरफ हमने कोई कदम उठाया है? इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहां एक कालेज खोला गया है और लखनऊ विश्वविद्यालय में एक फैकल्टी क्रियेट की गयी है, फिर भी उस स्तर को प्राप्त करने के लिये सरकार का तरफ से जितना जोरदार प्रोत्साहन होना चाहिये, मेरा ऐसा विचार है कि वैसा इस फैकल्टी को प्राप्त नहीं हो पया है।

दूसरे जब हम इस फैकल्टी को देखते हैं तो सरकार कह सकती है कि इस फैकल्टी की स्थापना सन् ४७ की कमेटी की सिफारिश के आधार पर की जा रही है लेकिन उसकी सिफारिश थी कि एक स्वतन्त्र रूप से फैकल्टी बनाई जाय ताकि परीक्षाओं आदि का काम एक जगह और रजिस्ट्रेशन का कार्य दूसरी जगह हो जाय। जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमको तो कुछ ऐसा लगता है कि यह फैकल्टी बोर्ड की सब कमेटी सी बन जायेगी क्योंकि उसी में से उसमें ६ सदस्य लिये जायेगे। और दूसरी खास बात यह है कि जो नौ चुने हुये वैद्य और हकीम होंगे उनको उससे बंचित किया गया है। मैं यह नहीं कहता कि जो अध्यापक हों कालेज या यूनिवर्सिटी के उनको वह स्थान प्राप्त न हो, वह भी अपने-अपने विषय

[श्री नवलकिशोर]

के विवेक होने हैं यन् उक्त है ? लेकिन वेमा ही अधिकार औरों को भी होना चाहिये । अगर इन एका ही व्यक्ति के हाथ में सब तरह का कार्य सौंप देगे तो कुछ लोगों की एका ही पद्धति के विषय में नोबोपली हो सकती है और जो मुमकिन है कि आखिर में दुखदायी हो ।

मैं चाहता हूँ कि अगर फेकल्टी रखनी ही है तो ज़ेमा कि और माननीय सदस्यों ने और वृत्तियों एका-आफिसियों मेम्बर आदि की वताई, इस चीज को भी दूर करने का नामा निकालना चाहिये और मेम्बर वेद्य, हकीम, अध्यापक न होकर भी हो सके और वह शिक्षा और परीक्षा आदि के मामलों में भी पूरा भाग ले सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये । इसके साथ साथ एक यह बात भी कुछ कमों को मालूम होती है कि जिससे हमारा दृढ़ विचार है कि सरकार नान-आफिसियल एलामेंट को कम करना चाहता है कि अब तक ३ सदस्य यहाँ के यानी विधान मन्त्र के और १ माननीय सदस्य कौंसिल से और २ मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि के आने थे । लेकिन अब नयाबोर्ड जो बनेगा उसमें उनका कोई स्थान नहीं रखा गया है और जो यू० पी० के वेद्य सम्मेलन या तिब अन्जुमन में आने थे उनके लिये भी कोई स्थान नहीं रखा गया है और उनके बारे में जवाब दिया गया कि चूँकि उनसे बहुत पार्टीबाजी है इसलिये उनको हटा दिया है । मैं पार्टीबाजी की बात नहीं कहता, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रज्ञानत्र में चारों तरफ पार्टीबाजी होती है और अगर इसी आधार पर हटाना शुरू कर दिया जाय तो पता नहीं हम कहां पहुंच जायेंगे । मैं चाहता हूँ कि इस तरफ भी सरकार ध्यान दे कि अगर वह प्रतिनिधि भी जित्त प्रकार असम्बली, कौंसिल आदि में लिये जात थे वह वैसे ही लिये जाय, तब अधिक मुनासिब होगा । इससे अधिक डिटेल् में म जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हमारे २ प्रमुख माननीय सदस्यों ने जो वेद्य है काफी विचार इस पर प्रकट कर दिये हैं । एक बात में अवश्य कहूंगा कि यह जो टेन्डेन्सी दिखाई देती है कि हम शक्ति के बजाय विकेन्द्रीयकरण के केन्द्रीयकरण करने जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो सरकार अपने हाथ में शक्ति लेती जाती है वह आखिर में सरकारों कर्मचारियों के हाथ में, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहने हैं, पहुंचती जाती है । मैं यह भी जानता हूँ कि डेमोक्रेसी में ब्यूरो-क्रेसी होती है, लेकिन साथ ही मैं यह भी जानता हूँ कि अगर डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी ज्यादा डामिनेट कर जाती है तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाना है । इस चेतावनी के साथ मैं इस बिल को मेलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूँ ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बनारसी दास—माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में इस विधेयक पर जो बहस हो रही थी, उसमें कुछ ऐसा मालूम होता था कि सदन में कुछ सदस्यों को ऐसी भांति था कि मानो इन विधेयक के द्वारा आयुर्वेद और यूनानी को तुकसान पहुंचाया जा रहा है । और यह बहस पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाली और मोजूदा प्रणाली के बीच में हो रही है । और अब तक आयुर्वेद के लिये क्या किया गया है और दूसरी पद्धतियों के लिये क्या किया गया है इनका विक्रम बिस्तार के साथ किया गया है । जहाँ तक यहाँ पर किस प्रकार की प्रणाली चिकित्सा के लिये ही, आयुर्वेद को ही रखा जाय या यहाँ पर एलोपैथी या होमियोपैथी या दूसरी पद्धतियों को न रखा जाय, यदि सदन का ऐसा मत है तो यह एक भिन्न प्रस्ताव के द्वारा या जो भी तरीका उसके लिये उपयुक्त हो उसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता था और माननीय सौरी जी यदि यह समझते हैं, कि केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को ही इस प्रान्त में रखा जाय तो सदन ऐसा कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न पर बहस नहीं थी । प्रश्न यह है कि सन् १९३९ का जो ऐक्ट अब तक चल रहा था उसमें संशोधन किया जा रहा है तो अगर

अद्वयन वेद वेदों को मौजूदा न, कर्तव्य और उच्च प्रयोग के क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए उचित प्रांगणों पर अधिकार को और पूर्णतया पहचाना जा सके कि यह प्रयोग या उचित उपाय उचित होगा ? ना इस विषय में जो बोर्ड पर उचित प्रयोग करने के लिए है।

दूसरा उचित कार्य था शिक्षण संस्थाओं का काम बनाना और परीक्षाओं में अधिकार संचालन करना। तीसरा उचित कार्य था कि हमारे प्रदेश में उचित प्रयोग करने वाले उचित उपाय और उचित उपायों की डिप्लोमा है उनको प्राप्त इन एड देना, और उचित उपाय उचित प्रयोग करने वाले उपायों की डिप्लोमा और अध्यापकों का नियन्त्रण करना। खे-कमेटी जिन कार्य के लिए नियुक्त की गई उसने उन सब बातों पर जिनने उनसे विवेक से कदम चढ़ाने पर जान का निर्णय किया कि बोर्ड का कार्य जेमे कि इंडियन मेडिसिन कॉलेज और होमियोपथी का बोर्ड है उनी के अनुसार आधुनिक और यूनानी रेजुएट्स के रजिस्ट्रेशन का कार्य और बोर्ड के रजिस्ट्रेशन का कार्य इस बोर्ड का होना चाहिये। तो आप देखेंगे की इस मौजूदा ऐक्ट के द्वारा बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है। दूसरे खेर कमेटी की यह सिफारिश थी कि इसकी एक फंक्लटी अलग क्रिएट की जाय। इसमें कोई तर्क नहीं है कि खेर कमेटी की सिफारिश का मतलब जो को इन विधेयक के अन्दर रखा गया है। हा मकाना है कि उचित शब्दों को अक्षरशः इन विधेयक के अन्दर न रखा गया हो लेकिन उसको भावनाएं इसमें आ गयी है। कहा जाता है कि फंक्लटी के सदस्य एक्स आफिशियो होंगे। तामें पूछना चाहता है कि हमारे यहां यूनिवर्सिटी जिसमें आप आधुनिक और यूनानी की फंक्लटी है और हमारे यहां की जिनकी शिक्षण संस्थाएं हैं जो बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन से ऐफिलियेट होंगी उन्ही के द्वारा बोर्ड के सदस्य होंगे और वही तो फंक्लटी बनायेंगे। मैं यह पूछना चाहता है कि यदि आप स्वतन्त्र रूप से फंक्लटी बनाये तो उसका क्या विधान होता? यह विधान रखने कि यूनिवर्सिटी और जिनने ऐफिलियेटेड कालेज होंगे ये अपना प्रतिनिधि भेजे तो जब उनको एक्स-आफिशियो बना दिया गया तो उनकी मना पर क्या असर पड़ता है? सरकार की सिर्फ यह मंशा थी कि इस ऐक्ट के मातहत जो फंक्लटी बने उनको पूर्णतया अधिकार हो और उनकी सिफारिशों को बोर्ड के सामने रखा जाय मान्यता रखने का, मान्यता को हटा देने का और परीक्षा के कन्डक्ट करने का बोर्ड को अधिकार होता। दूसरे बच्चों और दूसरे लोगों का मत था कि उन सिफारिशों को एक समिति के सामने आ जाना चाहिये था ताकि शक्ति का केंद्रोकरण न हो जाय। सरकार को कोई मंशा सत्ता को अपने हाथ में लेने का नहीं थी। सरकार केवल यह चाहती थी कि उसका एकेडेमिक करेक्टर कायम रखा जाय। मान्यता का सवाल, स्तर का उंचा रखने का सवाल, यह सब सवाल उन्हीं लोगों के सुपुर्दे हो, जोकि शिक्षण संस्थाओं को चलाते हैं। इसलिये समझौते के रूप में उनकी भावनाओं को मानने के लिये ही सरकार ने इस विधेयक के अन्दर इस बात को मान लिया।

यदि किसी परिस्थिति में फंक्लटी की सिफारिशों का बोर्ड के द्वारा किसी भी प्रकार से मानना असंभव हो तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास उनको भेज दिया जाय तो इससे कैसे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि सरकार अपने हाथ में परीक्षाओं को लेना चाहती है, मान्यता देने की सत्ता लेना चाहती है? यदि बोर्ड, जिसका वह स्वयं अधिकार चाहता था उसको मान लेता है तो फिर फंक्लटी की सिफारिशों का सरकार के पास जाने का प्रश्न ही क्या रहता है? और अगर आप फंक्लटी अलग बना दें और फंक्लटी का कोई निर्णय गलत होता है तो आप देखेंगे कि सरकार ने यहां पर साफ कर दिया है कि बोर्ड अगर उनको रिजेक्ट करता है तो सरकार ने फंक्लटी की सिफारिशों के लिये यह मंशा का दिया है कि सरकार या तो बोर्ड को सिफारिशों को माने या फंक्लटी की सिफारिश का माने। मदन गोपाल जा और नवल किशोर जी द्वारा यह कहा गया है कि इस विधेयक के द्वारा ड्रग्स के कन्ट्रोल करने की शक्ति को बोर्ड से ले लिया गया है। मौजूदा कानून में जड़ी-बूटियों का कन्ट्रोल करने की शक्ति अब तक बोर्ड के पास थी, तो बोर्ड ने अपने कार्यकाल में जड़ी-बूटियों को नियन्त्रित करने के लिये कोई असली कदम नहीं उठाया। यह सवाल तो कि नहीं है, यह सवाल का गंभीर करने का है। बोर्ड के सदस्य जाकर इतने सारे जो अध्यापकों के भंडार हैं उनका परीक्षण नहीं करते, इसके लिये एक मशीनरी खड़ी करनी होगी। यह एक बड़ा अहम सवाल है।

‘श्री नारायणी दत्त’

आजकल जो मौजूदा नार्डन मेडिकल्स हैं, जो इंडियन मेडिकल कौन्सिल ऐक्ट हैं, उनके मुताबिक उनका नियन्त्रण नहीं चल पाता। हम देखते हैं कि एक पृथक् कानून द्वारा आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों और औषधियों का नियन्त्रण किया जाय, उनका अलग लडसेनिंग हो और उनका स्टैण्डर्डाइजेशन हो। इन सम्बन्ध में शीघ्र ही एक विधेयक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के नियन्त्रण के लिये और उनका स्टैण्डर्डाइजेशन के लिये सदन के सामने सरकार प्रस्तुत करना चाहती है। इसलिये बोर्ड की नाकन को कम नहीं किया गया है बल्कि आयुर्वेद की रक्षा के लिये औषधियों का स्टैण्डर्ड अंदा करने के लिये यह उचित समझा गया कि यदि यह हम विधेयक का अंग होता तो वह एक बोर्ड बन जाता। हम चाहते हैं कि औषधियों के नियन्त्रण को एक अलग स्थान दिया जाय, उसका अलग बोर्ड बनाया जाय। हो सकता है कि उन बोर्ड के सदस्य भी हमके सदस्य हों, उसका डायरेक्टोरेट हो, उसका इन्स्पेक्टोरेट हो, जो कि तपान प्रदेश में उसके प्रभु, उसके भंडार, का निरीक्षण कर सके। तो कोई बोर्ड की गति पर प्रहार करने की मंशा नहीं है। नारायण दत्त जी ने कहा कि इसमें सर्जरी का कोई स्थान नहीं है। जो एम० बी०, बी० एस० डाक्टर्स होते हैं क्या उनकी सर्जरी का रजिस्ट्रेशन आग होता है जो फिजिशियन होते हैं, वही सर्जन भी होते हैं। यदि हमारे कुछ डॉक्टरों का मतलब जराहीं में है जो केवल उस्तरे से आपरेशन करते हैं तब तो दूसरी बात है। इसलिये जहां तक सर्जरी का सम्बन्ध है पुराने कानून के मातहत जो खंड २ है, जहां पर हकीम और वैद्य की परिभाषा की गई है उसके अन्दर सर्जरी को भी इन्कलूड कर दिया जायगा। तो जो वैद्य और हकीम सर्जरी करना चाहते हैं इस विधेयक के द्वारा, उन्हें किसी तरह से सर्जरी करने में बाधित नहीं किया जायगा।

जहां तक मिडवाइज का सम्बन्ध है मौर्य जी को आशंका हुई कि मिडवाइफरी का कोई स्थान इसके अन्दर नहीं है। गांवों की दाइयां अपना काम नहीं कर पायेगी, तो उनको इस आर्गका के लिये इस विधेयक में कोई स्थान नहीं है। मिडवाइफरी का कानून अलग है। मिडवाइफरी के अन्दर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पाश्चात्य प्रणाली के अनुसार मिडवाइफरी करती है या देशी पद्धति के अनुसार, ऐसी कोई अलग-अलग चीजे नहीं हैं। उसके लिये अलग कानून है, अलग ट्रेनिंग होती है। गांवों की जो दाइयां हैं उनकी ट्रेनिंग के लिये अलग व्यवस्था कर दी है। आज जो भी गांवों में दाइयां काम करती हैं उनको किसी प्रकार की हांनि नहीं होगी इस कानून से, ओर ऐसी दाइयां जिनको आयुर्वेद का विशेषण दिया जा सके इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जब मिडवाइफरी और डेंटल सर्जन के लिये अलग से प्राविजन रक्खा था तो उनके मातहत डेंटल सर्जन आज तक आयुर्वेद में प्रोड्यूस नहीं हुये तो इस विधेयक में रखने से क्या लाभ होता ?

तो जैसी खेर कमेटी की सिफारिश थी, जैसा कि उन्होंने कहा था कि हमारे इस बोर्ड का कार्य इंडियन मेडिकल कौन्सिल के अनुसार हो, जहां पर आपने होम्योपैथिक बोर्ड को सज्जर किया वहां पर भी आपने इस उस्ल को माना। इसलिये अगर आप चाहते हैं कि आयुर्वेदिक का वही स्थान हो, जोकि एलोपैथी का है, तो इसमें इन्फीरियारिटी काम्प्लेक्स की कौन सी बात है ? उसको भी उसी स्तर पर लाये। जो इस समय बोर्ड का कार्य है उसमें तो रजिस्ट्रेशन के कार्य के अतिरिक्त यह भी रक्खा है कि आयुर्वेदिक और यूनानी मामलों में सलाह देगे, रिसर्च के मामले में सलाह देगे। सलाह मशविरे के जितने कार्य हो सकते हैं नीचे के संचालन से सम्बन्ध में रख सकते हैं, वे सारे अधिकार बोर्ड के हैं। माननीय नारायण दत्त जी और मौर्य जी को ज. आशंका हुई कि शायद धारा २१ को निकाल देने से जो पैसा उनको पहले मिलता था वह नहीं मिलेगा, और सारी संस्थाएँ एक साथ खत्म हो जायेंगी, शिक्षण संस्थाएँ कैसे चलेगी, क्या इस ३६ हजार रुपये से यह आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज चलती है ? सरकार लाखों रुपया आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज को अनुदान के रूप में देती है।

हमारे यहां जिनने भी आयुर्वेदिक कालेज ह, पील्सभिन, ऋषिकुल, बनारस या प्रयाग में आज भी सरकार उनकी अनुदान देती है। तो ३६ हजार रुपया बोर्ड भी तकसीम करे और वह कार्य सरकार भी करे, इसके बाद एक ओवर लैपिंग होनी थी। वेर-मेटी की रिपोर्ट थी कि अस्पतालों और डिस्पेंसरी को सहायता देना, शिक्षण संस्थाओं को सहायता देना यह कार्य बोर्ड को नहीं करना चाहिये। दो से निवेदन करता चाहता है कि जिस कार्य को सरकार करता है, उसका स्थान बोर्ड के बोर्ड को भी कार्य है और सरकार का भी कार्य है, यह उचित नहीं होगा। जैसी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली चलती है। उसको एक डायरेक्टरेट है और एक इंडियन मेडिकल कांसिल है। इंडियन मेडिकल कांसिल ने कभी भी यह मांग नहीं की कि सरकार अपना कार्य छोड़कर हमको सुपुर्दे कर दे। जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज है उनका एक विभाग है। जो इस सम्बन्ध में कार्य होगा, उनका संचालन संचालक मंडल के द्वारा किया जायगा। मैं जानना हूं कि खेन कमेटी ने सिफारिश की थी कि आयुर्वेदिक का संचालक स्वतन्त्र रूप से हो। लेकिन क्या वास्तविक रूप में उप-संचालक स्वतन्त्र नहीं है? जितनी भी उनकी रिपोर्ट्स आती हैं वे डायरेक्टर के थू नहीं आती हैं, सीधे सरकार के पास आती हैं। केवल डायरेक्टर का नियन्त्रण है, नियन्त्रण प्रशासन का है, प्रिबिलिगन का है। जहां तक आयुर्वेदिक और यूनानी कार्यों का सम्बन्ध है कोई नियन्त्रण डायरेक्टर का नहीं है। लेकिन यह एक मित्रान का मवाल है। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा, एलोपैथी का एक संचालक अलग हो, आयुर्वेदिक का संचालक एक अलग हो, यूनानी का एक संचालक अलग हो, होम्योपैथी का एक संचालक अलग, नचुरोपैथी का संचालक एक अलग हो और फिर उनके ऊपर एक ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल रखा जाय। तो फिर क्या मतलब हुआ? अगर आयुर्वेदिक का एक संचालक बना दे तो उसके ऊपर ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल रहेगा। तो क्या आपकी शिकायत दूर हो जायगी? ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल के मातहत अगर आपका डायरेक्टर होगा। तो उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नतीताल)—आयुर्वेदिक डिप्टी डायरेक्टर को आप डायरेक्टर बना सकेंगे, प्रमोशन कर सकेंगे?

श्री बनारसी दास—जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर अलग-अलग डायरेक्टर हों और उनके कोऑर्डिनेशन के लिये एक ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल बना दिया जाय, तो जैसे डायरेक्टर के मातहत वैसे ही ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल के मातहत। फिर उसमें आपकी परिस्थिति अंची नहीं होती। स्थिति ज्यों की त्यों रहती है। खर्चा आपका बढ़ जायगा। अगर आप यह कहे कि प्रेस्टिज का सवाल है। दूसरी चीज यह कही गयी कि अब तक इन्स्पेक्टरों जो थे, जिनकी जिलों के हेडक्वार्टर पर भेज दिया गया, अब वह डी० एम० ओ० एच० के मातहत काम करेंगे। आप यह देखिये कि कलेक्टर के मातहत जिले में फारेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कितने ही डिपार्टमेंट रहते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इन्स्पेक्टर को टुट्टी लेने के लिये लखनऊ आना चाहिये, टी० ए० बिल लेने के लिये लखनऊ आना चाहिये? इन्स्पेक्टर स्वतन्त्र होगा। इन्स्पेक्शन करेगा। अपने बच्चों के बारे में रिपोर्ट देगा। केवल उसकी छट्टी और टी० ए० आदि का ऐडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ के हाथ में रहेगा।

बुनियादी रूप में देखना चाहिये कि आयुर्वेद को इससे क्या हानि पहुंचेगी? तो इसलिये एक कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिये कि डी० एम० ओ० एच० के मातहत इन्स्पेक्टर और इन्स्पेक्टर के मातहत डी० एम० ओ० एच०। तो देखना यह होगा कि कार्य के अन्दर क्षमता किस प्रकार से आ सकती है? तो इस दृष्टि से आप देखेंगे इस एक्ट में विधेयक के द्वारा कोई हानि नहीं। कुछ मेरे माननीय सदस्यों को यह भय है इसमें तो नान-आफिशियल्स को कम किया जा रहा है और आफिशियल्स लोगों का प्राबल्य हो रहा है। आप गौर कीजियेगा कि ९ तो उसमें वैद्य और हकीम इलेक्ट हो कर आयेंगे और ३ यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि और ३ आपके जितनी शिक्षण संस्थायें हैं वे चुन कर भेजेगी। तो १५ चुनकर

प्रतिनिधि समिति द्वारा

प्रतिनिधि समिति और ५ जजों का नामजद करेगी। तो फिर इन ५ का प्रबन्ध कैसे होना चाहिए? आज जेना पानचीय सदस्यों ने गंका जाहिर की रिजर्वेशन के बारे में, मैं यहाँ यह प्रश्न उठा रहा हूँ कि सरकार का कोई मंशा इसके अन्दर नान-टेक्निकल आदमियों को लेने का नहीं है।

सरकार इस बात को मानने के लिये तैयार है कि बोर्ड के सदस्य हकीम और वैद्य हों जो रजिस्टर्ड हों। लेकिन जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है तो यह तो ऐसा अंत्र है जिसमें कोई हरिजन या बैकवर्ड का हिस्सा अलग नहीं है। सवाल यह है कि उनके अन्दर डिस्टिन्क्शन भी है, उसमें हरिजन भी आ सकता है, बैकवर्ड बलान के लोग आ सकते हैं, सरकार भी उनको नामीनेट कर सकती है। तो इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विधेयक के द्वारा सरकार का मंशा नान-टेक्निकल आदमियों को भरने का नहीं है। सरकार मानने के लिये तैयार है कि २१ के २१ आदमी ले लिये जायें लेकिन पूरे रजिस्टर्ड हकीम और वैद्य हों। यह आलोचना की गई है कि सरकार ने जब इन्फोर्मेड प्रेसीडेन्ट को हटाकर नामीनेट कर दिया है। सरकार ने कहीं नहीं लिखा है उसके अन्दर डिस्टिन्क्शन डायरेक्टर होगा या कोई सरकारी आदमी होगा? लेकिन साथ-साथ सरकार इस आदमी को भरने को कम्पिट नहीं करना चाहती। सरकारी नहीं होगा। गैर सरकारी हो सकता है, जो आयुर्वेद और यूनानी के हित के अन्दर होगा। लेकिन जब इस बात को मान लिया गया कि सारे आर्य रजिस्टर्ड वैद्य होंगे तो फिर गैर सरकारी और सरकारी का भेद क्यों खोजना चाहते हैं? आपका होम्योपैथिक का बोर्ड, हमारे यहाँ ५० पी० मेडिकल कॉलेज ने आज तक किसी मेम्बर ने आक्षेप नहीं किया क्यों यहाँ का डायरेक्टर ५० पी० मेडिकल कॉलेज का प्रेसीडेन्ट होता है? होम्योपैथिक बोर्ड ने कोई आक्षेप नहीं किया, यद्यपि उनका प्रेसीडेन्ट सरकार के द्वारा नामजद होगा। अब सवाल यह भी होता है कि दो बंधों की संस्था में हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है, दो हकीमों की अंजुमन में चल रहा है, तो किमको हम प्रतिनिधि संस्था माने। लिहाजा हमने तो ६ चुनकर हकीम और वैद्य थे उनको बढ़ा करके ९ कर दिया। तो इलेक्शन से हम भागते नहीं हैं। बहरहाल हकीम और वैद्य ९ आदमी चुनकर भेजेंगे, यूरोवसिटी भेजेंगी शिक्षण संस्थायें चुन करके भेजेंगी, तो दलबन्दी अगर होगी तो ही। लेकिन मैंने अर्ज किया कि जब रजिस्टर्ड वैद्यों का रजिस्टर मौजूद है और रजिस्टर्ड हकीम मौजूद है तो एक ऐसी संस्था के बारे में जिनके प्रतिनिधि के स्वरूप में, स्वयं वैद्यों और हकीमों में मतभेद हो तो उसे हम यहाँ पर क्यों स्थान दे। इसलिये मैं समझता हूँ कि हकीम और वैद्य इसका स्वागत करेंगे कि वैद्य सम्मेलन को हटा करके स्वयं उनको चुनने का अधिकार दे दिया ९ व्यक्तियों को, और जब २१ के २१ आदमी वैद्य और हकीम होंगे तो इस दृष्टि से क्या आपत्ति हो सकती है कि उनकी संख्या २१ हो? खेर कमेटी ने तो १५ आदमियों की सिफारिश की थी। हमने तो उसमें ६ का इजाफा कर दिया है। तो जहाँ तक इस सदन के प्रतिनिधित्व का सवाल है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, म्युनिसिपैलिटी के प्रतिनिधित्व का सवाल है, इससे कोई यह नहीं कि आयुर्वेद को बड़ा लाभ होगा। हम तो चाहते यह है कि एक परम्परा हम डालें आयुर्वेद और यूनानी जिम तरह का विषय है, जिस तरह का विज्ञान है उस विज्ञान के अन्दर केवल वैज्ञानिक लोग जायें। सदन का तो पूरे तौर से कन्ट्रोल है। सदन तो पूर्णतया सहायता करता है। तो यह कोई ज्यादा माने नहीं रखता, सदन अपने दो सदस्य भेजता है या चार सदस्य भेजता है। इसलिये आयुर्वेद के हित के अन्दर ही यह संशोधन किया गया है जैसा कि इंडियन मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथी या जैसा कि और प्रांतों में है। उसका कोई मंशा यह नहीं है कि सदन को या कॉलेज को किसी भी तरीके से प्रतिनिधित्व से वंचित रखा जाय। तो आप यह देखेंगे कि यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसमें बोर्ड की सत्ता छीनी नहीं बल्कि यह बचना चाहिये कि इस प्रणाली के हित में जो काम बोर्ड को करना चाहिये, बोर्ड को दे दिया है।

दूसरे यह शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने का कार्य यह फंक्लटी का है ही। तो आपकी सत्ता कौन सी छीन ली है? हाँ, ३६ हजार रुपये आपका तो जरूर ले लिया तो उससे क्या लाभ

होता था ? फिर भी सरकार लाखों रुपया देती थी । तो वह काम एक ही जगह हो ।
 अगर आपकी यह दलील हो कि संभालक या सरकार अनुदान देने का कार्य अच्छा नहीं कर
 सकते हैं तो यह एक प्रिन्सिपल का उदाहरण है । सरकार पर आपका नियन्त्रण है सरकार आपके
 प्रति उत्तरदायी है । तो जय और विभागों को सरकार देख सकती है, अनुदान दे सकती है,
 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को, म्युनिसिपैलिटीज को, तो इस कार्य को भी वह कर सकती है । और
 आज तक आपने यह बात नहीं की कि अनुदान देने का काम सरकार बोर्ड को दे दे । इसी
 लिये ओवर लैपिंग को बचाने के लिये यह किया गया है । नवनगोपाल जी की पहली शिका-
 यत यह थी कि अभी तक हमने शिड्यूल के द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन आदि संस्थाओं
 को मान्यता दे रखी है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कमेटी को पूर्ण अधिकार होगा
 बोर्ड को अधिकार होगा, यदि उनकी मान्यता छीन लें नवनगोपाल जी चाहें
 तो आसानी से यह किया जा सकता है । हम तो यह देखते हैं कि अगर किसी कमेटी ने कोई
 सिफारिश भी की कि किसी को मान्यता दी जाय तो हर प्रकार से यह फोर्शिश को
 जाती है कि वहाँ पर वह नस्था रहनी चाहिये, चाहे उसका स्टैंडर्ड ऊँचा हो या नीचा हो ।
 मैं यह नहीं समझ पाया कि नवनगोपाल जी का क्या मंशा है जब उन्होंने मौजूदा अधिनियम के
 खंड ३६ की ओर ध्यान दिलाया । उसमें तो आज भी यह व्यवस्था है कि वैद्य और हकीम
 आज भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं । तो फिर वह और क्या समझते हैं कि यदि मौजूदा कानून के
 होते हुये आज उनकी मान्यता नहीं है तो आज एक क्लोज और ओपेन दे तो क्या उससे उसकी
 मान्यता हो जायगी । यह कहा गया कि साहब सर्फ्यूलर निकाला सरकार ने सन् ५० में तो
 नै माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको द्वारा दलाना चाहता हूँ कि जहाँ वक गजटेड आफिसर्स
 का सम्बन्ध है उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देने का अधिकार सिविल सर्जन को भी नहीं है ।
 वे तो बोर्ड के सामने जाने हैं । यह गजटेड आफिसर्स की स्थिति है । इसलिये यह कहना
 कि वैद्य और हकीम को यह अधिकार हो कि वह फिटनेस सर्टिफिकेट गजटेड आफिसर्स को
 दे दें तो यह कहाँ तक उचित है ? यह भी आपको सोचना चाहिये कि आपने २२, २३ हजार
 वैद्यों को जो रजिस्टर्ड कर लिया उनमें बहुत से पंसारी लोग हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं ।
 हालांकि अब शिड्यूल के अन्दर वह चीज खत्म हो गयी है, लेकिन अब भी आपके रजिस्टर
 पर ऐसे लोग मौजूद हैं, जो जब तक वह रजिस्टर पर मौजूद हैं तब तक यह कहना कि उनको
 हर एक की फिटनेस देने का अधिकार दे दिया जाय, उचित नहीं मालूम होता । सर्टिफिकेट
 बहुत आसानी से मिल सकता है, मैं यह नहीं कहता कि डाक्टर लोग गलत सर्टिफिकेट नहीं देते,
 लेकिन उनकी तादाद जो जिनका शिड्यूल के चौथे भाग के मुताबिक रजिस्ट्रेशन हुआ
 है, जिनकी तादाद २२,००० वैद्य हैं और छः साढ़े छः हजार हकीम हैं, डाक्टरों से कहीं
 ज्यादा है । हर एक पंसारी वैद्य हकीम बन गया है । अब जब यह नस्ल खत्म हो जायगी
 और जिसकी कल्पना आप करते हैं, जब स्टैंडर्ड ऊँचा हो जायगा तो आप कोई सख्त कैंद
 लगाइये, ऐसा बोर्ड बनाने की फोर्शिश कीजिये, इससे कोई हानि नहीं है, तभी आपको सफलता
 होगी । इसलिये जबकि खेर कमेटी ने इतने विस्तार के साथ कार्य किया, जिसमें बड़े-बड़े
 विशेषज्ञ मौजूद थे, स्टैंडिंग कमेटी के सामने इस पर कार्य किया गया, तो मैं नहीं समझता हूँ कि
 प्रवर समिति के सामने इस विधेयक को भेजने में कोई अधिक लाभ होगा । इसमें काफी
 देरी हो गयी है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द नया बोर्ड बने और इसमें इस बात का प्रावीजन
 किया गया है कि तब तक यह बोर्ड चलता रहेगा । इसलिये मुझे बड़ा खेद है कि मैं अपने
 माननीय मित्र नारायणदत्त जी के संशोधन से सहमन नहीं हूँ और मैं निवेदन करूँगा कि उनसे
 नि जब यह विधेयक एक विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिश के बाद.....

श्री नारायणदत्त तिवारी—आठ साल बाद आ रहा है ।

श्री बनारसी दास—अगर देरी हुई तो अब जबकि यह आ गया है, आपको स्वागत
 करना चाहिये । अब अगर और देरी करें तो वह मुनासिब नहीं होगा । अगर सरकार ने
 देरी की तो कम से कम वह तो देरी करने की भूल न करें । तो नारायणदत्त जी से अपील
 करूँगा कि प्रवर समिति में भेजने से कोई इसकी भावना में तबदीली नहीं होगी, इसलिये वह

[श्री बनारसी दास]

अपना संशोधन वापस ले लें और इसी रूप में विधेयक को मंजूर करें। जहां तक संशोधनों का सवाल है तो जो आवश्यक होंगे उनको अवश्य स्वीकार किया जायगा। मैं आशा करता हूँ कि नारायणदत्त जी अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ को एक प्रश्न समिति के सम्मुख विचारार्थ भेजा जाय, जो १५ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित नतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७

विपक्ष में—६६)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) के प्रीएम्बुल में—

(क) शब्द "medicine" के बाद के कामा के स्थान पर शब्द "and" रख दिया जाय; और

(ख) शब्द "and to control the sale of medicinal herbs and drugs" निकाल दिये जाय।

श्री मदन गोपाल वैद्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि इस सम्बन्ध में अलग विधेयक बनाया जायगा, इसलिये मैं अपने संशोधन को उपस्थित नहीं करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—मूल अधिनियम में :—

(क) लम्बे शीर्षक में, प्रीएम्बुल में अथवा धारा १ और ४ के अतिरिक्त अन्य किसी भी धारा में, जहां जहां भी शब्द "Indian medicine" अथवा "Indian systems of medicine" आये हैं उनके स्थान पर शब्द "Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine" रख दिये जाय; ;

(ख) शब्द "Government" के स्थान पर शब्द "State Government" रख दिये जाय; ;

(ग) जहां कहीं भी शब्द "Chairman" आया है उसके स्थान पर शब्द "President" रख दिया जाय; और

(घ) जहां कहीं भी शब्द "Surgeon" "Surgeons" "mid-wife" या "mid-wives" आये हैं उन्हें निकाल दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट
१०, १९३९
के प्रीएम्बुल
का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट
१०, १९३९
में कुछ शब्दों
को स्थानापन्न
रूप में रखना
(Substitution)-

श्री गणेश-- ...
 (१) ...
 (२) ...
 (३) ...
 (४) ...

...
 ...
 ...

(१) श्री (२) ...
 ...

श्री अध्यक्ष-- ...
 करना चाहते हैं। यह तो ...
 ...
 ...

(उम्के जा. १२५ बज जगले दिन ११ ११ ११)

लखनऊ,
 १२ दिसम्बर, १९५१

सि. अन. ग. क.,
 मंत्रिव, नि. तान. मणाल,
 उत्तर प्रदेश।

नम्बरी 'क'

देविए नारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछेपृष्ठ ६ पर)

ग्राम नम्बरी ३ से संबंधित सूची

क्रम-संख्या	गांव का नाम	क्षति का कुल क्षेत्रफल (एकड़ों में)	गांव में कुल क्षति (आने में)	क्षतिग्रस्त मकानों की नम्बरी
१	उनचनी कलां	...	३२६	११३
२	उनचनी खुर्द	...	१८०	८०
३	कौलावर	...	१५५	९
४	रामपुर नही	...	५६०	१२१
५	ताजुद्दीनपुर	...	३९४	६८
६	ऊगापुर	...	१४०	३२
७	फत्तुपुर	...	२८५	९
८	महमदपुर	...	२००	१०
९	रुकुनपुर	...	८१	१८
१०	कटे तर	...	१४७	८३
११	केड़वारी	..	५९	५

नत्थी 'ख'

(देखिय तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)
प्रश्न-संख्या ४५ से संबंधित जिला देवरिया, कानूनगो सर्किल पड़रौना
के उन ग्रामों की सूची जो १९५४ में बाढ़ प्रस्त हुए

- १—धौरहरा आबाद केरी ।
- २—बिन्दवलिया ।
- ३—त्रिलोकपुर बुजुर्ग ।
- ४—बन्धु छपरा ।
- ५—त्रिलोकपुर खुर्द ।
- ६—गम्हानियां बुजुर्ग ।
- ७—सोहरौना ।
- ८—सिगापट्टी ।
- ९—चौड़िया ।
- १०—धरमपुर जंगल ।
- ११—कुर्माऊल उर्फ सोहनपुर ।
- १२—पडरी पीपर पांटी ।
- १३—सोनाबल ।
- १४—जुरवानियां ।
- १५—महुवा ।
- १६—मानीकोड़ा ।
- १७—खिरकिया ।
- १८—पछफेरा ।
- १९—लोगी छपरा ।
- २०—छैती मुसाहरी ।

- २१—बिशुनपुरा खुर्द ।
- २२—बबुइया हारपुर ।
- २३—मांघी कोटिलवाला ।
- २४—जरार ।
- २५—अरनेहवा ।
- २६—बाजूपट्टी ।
- २७—हरनही ।
- २८—पटेरा आबाद केरी ।
- २९—चिरहियावा ।
- ३०—बिशुनपुर बुजुर्ग ।
- ३१—सिसवा गोइटी ।
- ३२—मठिया भाफी ।
- ३३—पुरनहा मिसिर ।
- ३४—जामिन कटनौरा ।
- ३५—रामनगर मिसरोली ।
- ३६—जानकोनगर ।
- ३७—शाहपुर ।
- ३८—मुजाहिदा खास ।
- ३९—नरचौचवा ।

प्रश्न-संख्या ४५ से संबंधित
जिला देवरिया, कानूनगो सर्किल पड़रौना के उन ग्रामों की सूची जो
१९५५ में बाढ़ प्रस्त हुए

- १—धौरहरा आबाद केरी ।
- २—बिन्दवलिया ।
- ३—त्रिलोकपुर बुजुर्ग ।
- ४—बन्धु छपरा ।
- ५—त्रिलोकपुर खुर्द ।
- ६—गम्हानियां बुजुर्ग ।
- ७—सोहरौना ।
- ८—सिगापट्टी ।
- ९—चौड़िया ।
- १०—धरमपुर जंगल ।
- ११—कुर्माऊल उर्फ सोहनपुर ।
- १२—पडरी पीपर पांटी ।
- १३—सोनाबल ।
- १४—जुरवानियां ।
- १५—महुवा ।

- १६—मानीकोड़ा ।
- १७—मलहिया ।
- १८—पछफेरा ।
- १९—जोगी छपरा ।
- २०—छैती मुसाहरी ।
- २१—बिशुनपुरा खुर्द ।
- २२—बबुइया हारपुर ।
- २३—मांघी कोटिलवाला ।
- २४—जरार ।
- २५—अरनेहवा ।
- २६—बाजूपट्टी ।
- २७—मजाहिदा ।
- २८—पटेरा आबाद केरी ।
- २९—चिरहियावा ।

नत्थी ५

(देविपुर नत्थी संख्या ५४ का उत्तर पृष्ठ १६ पर)

प्रश्न - देविपुर में देविपुर माइन्स में निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के मजदूरों का काम के कोटेशन इत्यादि के विषय में सूचना मांगी जाती है कि -

क्र.सं.	विवरण	प्रकार	रेटिंग	कुल राशि
		रु.	रु.	रु.
१	पु. व. काम	...	२	...
२	५३	१,२००
३	१५	...
४	१००	...
५	५३	...
६	१३	१,२००
७	२५	...
८	गृह बनाने के लिए	...	८६	...
९	छात्र छात्राओं के लिए	...	८	०
१०	जानकारी के लिए	...	०	१,२००
कुल राशि				१,२००

नर्था 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ठ २५ पर)

उत्तर प्रदेश अन्न-कल्याण निधि विधेयक, १९५५

उत्तर प्रदेश में अन्निकों के कल्याण के लिये एक निधि की स्थापना करने के निमित्त

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य में अन्निकों के कल्याण के लिये तथा तत्संबंधी कार्यों का संचालन करने के निमित्त एक निधि की स्थापना की जाय;

अतएव भारतीय गणसंघ के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्न-कल्याण निधि अधिनियम, १९५५ कहलायेगा :

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा, जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थे निश्चित करे ।

२—विषय अथवा प्रसंग में किसी बात के प्रसिद्धक न होने पर, इस अधिनियम में :—

(१) "बोर्ड" (Board) का तात्पर्य धारा १० के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश अन्न कल्याण बोर्ड से है;

(२) "कर्मचारी" (employee) का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी औद्योगिक अधिष्ठान (industrial establishment) में कुशल, अथवा अकुशल (skilled or unskilled), हस्तश्रम (manual) अथवा लिपिक (clerical) संबंधी किसी काम के करने के निमित्त भाड़े (hire) अथवा पुरस्कार (reward) पर नियुक्त किया गया हो;

(३) "नियोजक" (employer) का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी औद्योगिक अधिष्ठान में स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा अपनी अथवा अन्य किसी व्यक्ति की ओर से एक अथवा अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करता हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(क) किसी फौजदारी में, ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे फौजदारी ऐक्ट, १९४८ की धारा 7 (i) (f) के अधीन सैनेजर बताया गया हो;

(ख) सरकार द्वारा अथवा उसके प्राधिकार (authority) के अधीन संचालित किसी औद्योगिक अधिष्ठान (establishment) में, कोई ऐसा व्यक्ति अथवा प्राधिकारी (authority), जिसे कर्मचारियों के निरीक्षण (supervision) तथा नियंत्रण (control) के लिये नियुक्त किया गया हो अथवा, जहां कोई व्यक्ति

संक्षिप्त शीर्ष-
नाम, प्रसार
तथा प्रारम्भ ॥

परिभाषाएं

ऐक्ट ६३,
१९४८

अथवा प्राधिकारी इस प्रकार नियुक्त न किया गया हो, वहाँ विभाग का अध्यक्ष (head of the department); और

- (ग) किसी अन्य औद्योगिक अधिष्ठान में, कोई ऐसा व्यक्ति, जो कर्मचारियों के निरीक्षण (supervision) तथा नियंत्रण अथवा मजदूरी (wages) का भुगतान करने के निमित्त स्वामी के प्रति उत्तरदायी हो;
- (४) "निधि" (fund) का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश औद्योगिक श्रम कल्याण निधि (Uttar Pradesh Industrial Labour Welfare Fund) से है;
- (५) "फैक्ट्री" का तात्पर्य फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ की धारा २ (m) में परिभाषित किसी फैक्ट्री से है;
- (६) "औद्योगिक अधिष्ठान" (Industrial establishment) का तात्पर्य किसी फैक्ट्री, बगीचे (plantation) अथवा अन्य किसी ऐसे अधिष्ठान से है, जिसे राज्य सरकार इस रूप में प्रख्यापित करे;
- (७) "निरीक्षक" (Inspector) का तात्पर्य धारा १५ के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षक से है;
- (८) "नियत" (prescribe) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निमित्त नियमों द्वारा नियत से है :-
- (९) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;
- (१०) "मजदूरी" (wages) का तात्पर्य उस समस्त पारिश्रमिक (remuneration) से है, जिसे धन के आंकड़ों में व्यक्त किया जा सके, और जो, यदि नियोजन (employment) की व्यक्त (expressed) अथवा उपलक्षित (implied) शर्तें पूरी हो जायं तो, नियुक्त व्यक्ति को, अपने नियोजन (employment) अथवा इस प्रकार के नियोजन में किये गये कार्य के संबंध में देय हों, परन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है—
- (क) निम्नलिखित का मूल्य :-
- (१) गृह आवास (House accommodation) बिजली तथा पानी की सप्लाई और चिकित्सा व्यवस्था; अथवा
 - (२) राज्य सरकार की सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा निष्पादित कोई अन्य सुविधा (amenity) अथवा सेवा;
- (ख) नियोजक द्वारा सेवा निवृत्ति निधि (pension fund) अथवा प्रावधायी निधि (provident fund) अथवा किसी सामाजिक बीमा योजना के लिये दिया गया कोई अंशदान (contribution);
- (ग) कोई यात्रा भत्ता अथवा यात्रा के लिये दी गयी किसी रियायत का मूल्य;

(घ) कोई ऐसी धनराशि, जो नियुक्त व्यक्ति के नियोजन (employment) के प्रकार (nature) के कारण उस पर होने वाले विशेष व्ययों की पूर्ति के लिये उसे दी जाय ;

(ङ) सेवा मुक्त (discharge) होने के समय देय कोई अनुग्रह धन (gratuity) ;

(११) “अदत्त संचय” (unpaid accumulation) का तात्पर्य उन समस्त भ्रजदूरियों (wages) से है जो किसी कर्मचारी को देय हों परन्तु उसे दी न गयी हों, इनमें निम्नलिखित सम्मिलित है :—

(क) प्रावधायी निधि (provident fund) में नियोजक का पूर्ण अथवा आंशिक अंशदान और ;

(ख) किसी सेवा मुक्त (discharged) कर्मचारी को देय कोई अनुग्रह धन (gratuity), तथा

(ग) किसी कर्मचारी को देय कोई बोनस ;

(१२) “कल्याण आयुक्त” (Welfare Commissioner) का तात्पर्य धारा १५ के अधीन नियुक्त कल्याण आयुक्त से है ।

३—(१) राज्य सरकार एक निधि की स्थापना करेगी जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक श्रम-कल्याण निधि कहलायेगी ।

(२) निधि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अथवा यदि राज्य सरकार किसी अनुसूचित (Scheduled) बैंक के नाम का निर्देशन कर देतो उस बैंक में रखी जायगी ।

(३) ऐसी समस्त धनराशियां, जो निधि के लिये प्राप्त की जायं या की जाने वाली हों अथवा उसके लिये या उसके निमित्त देय हों, नियत रीति से संग्राहक (Collecting) एजेंसियों द्वारा निधि के खाते (account) में जमा की जायंगी ।

(४) निधि के खाते में निम्नलिखित जमा होंगे :—

(क) पेशेंट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ के उपबन्धों के अधीन कर्म-चारियों से वसूल किये गये समस्त जुर्माने (fine) ;

(ख) समस्त अदत्त संचय ;

(ग) औद्योगिक अधिष्ठान में कल्याण खाते (welfare account) में जमा समस्त धनराशि ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायक अनुदान (grants-in-aid)

(ङ) स्वेच्छा से किये गये दान ; और

(च) धारा ८ के अधीन उधार ली गयी धनराशियां ;

(५) राज्य सरकार निधि में से किये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में समय-समय पर ऐसे आदेश (directions) देगी, जिन्हें वह उचित समझे ।

४—(१) निधि, किसी विधि के उपबन्धों के अधीन नियोजकों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से भिन्न ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में उपयोग में लायी जायगी जिन्हें राज्य सरकार औद्योगिक अधिष्ठानों में नियुक्त श्रमिकों के कल्याण के लिये समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

उत्तर प्रदेश
औद्योगिक
श्रम कल्याण
निधि की
स्थापना ।

निधि का
क्षेत्र विस्तार
(scope)

(२) उपधारा (१) की व्यापकता को बाधित न करते हुए, निधि की धरराशियाँ निम्नलिखित शर्तों पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिये भी उपयोग में लायी जायेंगी :—

- (क) सामुदायिक (Community) तथा समाज शिक्षा केन्द्र, जिनके अन्तर्गत बाबकालय तथा पुस्तकालय भी हैं ;
- (ख) सार्वजनिक स्वामन्वृह तथा धुलाई स्थल ;
- (ग) विक्रित्ता सहायता तथा आरोग्य गृह (Convalescent homes) ;
- (घ) सामुदायिक आवासकक्षाएँ ;
- (ङ) महिलाओं तथा बच्चों के लिये शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ ;
- (च) खेल-कूद ;
- (छ) पर्यटन (excursion), यात्राएँ (tours) तथा अवकाश-कामीन गृह (holiday homes) ;
- (ज) आसौद-प्रशोध तथा अन्य प्रकार के स्वतन्त्र व्यौरंजन ;
- (झ) महिलाओं और बयोवृद्धों के लिये गृह-उद्योग तथा सहायक उद्योग (subsidiary occupations) ;
- (ञ) अभिनियम के कार्यान्वित पर होने वाला व्यय जिसमें बोर्ड के सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा बोर्ड के सदस्यों के भत्ते भी सम्मिलित हैं ;
- (ट) सहकारी, वित्तव्यवस्था सम्बन्धी (thrift) ऋणदाता (credit) तथा बहुसंघी (multipurpose) समितियाँ ;
- (ठ) प्रामाणिक तथा सामाजिक प्रकार के सहयोग से किये जाने वाले कार्य (Corporate activities) ;
- (ड) खाद्य तथा सामानों (materials) को तैयार करने तथा उनकी अन्य रूप देने (processing) की सुविधाएँ ;
- (ढ) गृह योजनाएँ ; और
- (ण) अन्य ऐसे उद्देश्य, जिनसे औद्योगिक अधिष्ठानों में नियुक्त श्रमिकों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो तथा उनकी सामाजिक इच्छाओं में सुधार हो ।

(३) बोर्ड, राज्य सरकार के अनुमोदन से, किसी स्थानीय प्राधिकारी (local authority) को अथवा समाज-सेवा में संलग्न अन्य किसी संस्था को उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निविष्ट एक अथवा अधिक कार्यों (measures) के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित (approved) किसी योजना को सहायता पहुंचाने अथवा उपधारा (२) में निविष्ट उद्देश्यों के लिये निधि में से अनुदान दे सकता है ।

(४) यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न उठे कि कोई विशेष व्यय निधि के खाते में डाला जाय (debitable) अथवा नहीं, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को भेज दिया जायगा और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निश्चय अन्तिम होगा ।

५--निधि का प्रबन्ध, प्रशासन, नियंत्रण तथा सुरक्षा और उसका प्रयोग (application) तथा उससे ले भुगतान नियत रीति से होंगे ।

निधि का प्रशासन एवं प्रबन्ध ।

६--निधि के लेखों का परीक्षण (audit) प्रतिवर्ष किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायगा जिसे राज्य सरकार एतदर्थ नियुक्त करे और लक्षिकर्षक प्रस्तुतना (report) जो एक-एक प्रति राज्य सरकार तथा संस्था समिति (Advisory Committee) को भेजी जायगी ।

लेखों का परीक्षण (audit) ।

लेखा परीक्षण प्रस्तुतना (audit report) पर निधि का प्रबन्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायगा तथा उस पर की गई कार्यवाही की सूचना राज्य सरकार को ही जायगी ।

७--राज्य सरकार प्रतिवर्ष करवारी नाम से निधि की प्राप्ति तथा उससे ले होने वाले व्ययों के ताक्योद (estimates) तथा लेखों के विवरण और उस कार्य की प्रस्तुतना (report) पत्रों से प्रकाशित करेगी जिन्हें पूर्वगामी (previous) वर्ष से निधि के हिसाब से ले वित्तीय सहायता दी गयी हो ।

लेखों तथा व्ययों का प्रकाशन ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब प्रथम बार निधि की स्थापना होगी तो यह प्रकाशन निधि स्थापना के पश्चात् जायगी जून मास के अन्त तक, स्थगित किया जा सकता है ।

८--बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्ण स्वीकृति से, तथा इस अधिनियम के उपबन्धों तथा अन्य ऐसी शर्तों के अधीन रहेंगे, जिन्हें राज्य सरकार एतदर्थ निर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिये गृहण ले सकेगा ।

गृहण उपाह के संबंध में बोर्ड के अधिकार ।

९--परि निधि अथवा उसका कोई भाग, अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये शीघ्र ही (at an early date) प्रयोग से न रुका जा सके, तो बोर्ड उसे इंडियन ट्रस्ट ऐक्ट, १८८२ की धारा २० के खंड (ए) से (डी) तक तथा खंड (एक) से निर्दिष्ट किसी भी शिक्योरिटी से जमा करेगा ।

निधि को जमा करके

१०--(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् असाधारण एक बोर्ड की स्थापना करेगी, जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक श्रम कल्याण बोर्ड (Uttar Pradesh Labour Welfare Board) कहलायेगा ।

औद्योगिक श्रम कल्याण बोर्ड ।

(२) बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा --

- (क) एक सभापति (Chairman) जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित (nominate) किया जायगा;
- (ख) कर्मचारियों तथा नियोजनों के प्रतिनिधियों की ऐसी बराबर बराबर संख्या, जो नियत की जाय । ये प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे ;
- (ग) एक या अधिक महिला प्रतिनिधि जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायें ;
- (घ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसकी संख्या ५ से अधिक नहीं होगी ।

(३) राज्य सरकार के श्रम-विभाग का सचिव अथवा अन्य कोई अधिकारी, जिसे राज्य सरकार नाम निर्देशित करे, बोर्ड का पदेन (ex-officio) सेक्रेटरी होगा ।

(४) बोर्ड के सभापति तथा सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी सदस्य को, जिसे किसी आकस्मिक रिक्ति (casual vacancy) की पूर्ति के लिये नाम निर्देशित किया गया हो, पदावधि उसके पूर्वाधिकारी की, शेष पदावधि ही होगी।

बोर्ड के कृत्य

११—बोर्ड के कृत्य यह होंगे—

- (क) श्रमिकों के कल्याण के लिये योजनाओं पर विचार करना तथा उन्हें बनाना ;
- (ख) इस प्रकार बनायी गयी योजनाओं के निष्पादन (execution) के उपायों एवं साधनों को निश्चित करना,
- (ग) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निधि का प्रशासन करना; और
- (घ) ऐसे अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे सौंपे जायं।

बोर्ड द्वारा
लिपिकों
तथा अन्य
कर्मचारियों
की नियुक्ति।

१२—निधि में से जिन कार्यों को वित्तीय सहायता मिल रही है उनके संचालन एवं निरोक्षण के निमित्त बोर्ड को आवश्यक लिपिक तथा कार्यपालक कर्मचारियों (clerical and executive staff) नियुक्त करने का अधिकार होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई भी नियुक्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना न की जायगी, जिसके बारे में बोर्ड के एक तिहाई से अधिक सदस्य सहमत न हों।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि इस प्रकार नियुक्त किये गये कर्मचारियों पर किया जाने वाला व्यय निधि की वार्षिक आय के नियत प्रतिशत से किसी भी दशा में अधिक न होगा।

बोर्ड के
किसी कर्म-
चारी को
नियुक्त करने
अथवा हटाने
का राज्य
सरकार को
अधिकार।

१३—राज्य सरकार अनुपयुक्तता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बोर्ड की सेवा में विहित रीति से हटा सकती है। अधिकार होगा, जिसके विषय में बोर्ड के एक तिहाई से अधिक सदस्य एकमत नहीं हैं राज्य सरकार की होगी।

मंत्रणा
समिति का
संगठन।

१४—(१) इस अधिनियम अथवा निधि के प्रशासन से संबद्ध किसी विषय पर राज्य सरकार तथा बोर्ड को मंत्रणा देने के निमित्त राज्य सरकार एक मंत्रणा समिति (Advisory Committee) का संगठन करेगी।

(२) मंत्रणा समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी—

- (क) एक सभापति (Chairman) जिसे राज्य सरकार नाम निर्देशित करेगी ;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले कर्मचारियों तथा नियोजकों के प्रतिनिधियों की ऐसी बराबर बराबर संख्या, जो नियत की जाय ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले अन्य व्यक्ति ऐसी संख्या में जो नियत की जाय, किन्तु जो खंड (ख) में नियत सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक न हो ।

(३) मंत्रणा समिति के सदस्य संबद्ध संगठनों से परामर्श करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे ।

(४) श्रम-कल्याण आयुक्त (Labour Welfare Commissioner) अथवा ऐसा अन्य कोई अधिकारी जिसे राज्य सरकार नाम निर्देशित करे समिति का पदेन (ex-officio) सेक्रेटरी होगा ।

१५--(१) राज्य सरकार एक श्रम-कल्याण आयुक्त (Labour Welfare Commissioner) जो बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (Executive Officer) होगा, तथा निधि में से वित्तीय, सहायता प्राप्त कार्यों से संबद्ध अभिलेखों (accounts) की जांच और इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति करने के लिये आवश्यक संख्या में निरीक्षकों (Inspectors) नियुक्त करेगी ।

(२) इस प्रकार नियुक्त कोई भी व्यक्ति, ऐसे सहायकों के साथ, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, किसी भी उचित समय पर, किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है जिसके संबंध में उसका विचार हो कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उसका वहां प्रवेश करना आवश्यक है ।

१६--उस अधिनियम के अधीन हेय कोई भी धनराशि, वसूली के अन्य साधनों को बाधित किये बिना, मालगुजारी के बकाये के समान (as arrears of Land Revenue) बोर्ड की ओर से वसूल की जा सकेगी ।

१७--(१) राज्य सरकार समय-समय पर बोर्डों को ऐसे आदेश (directions) दे सकती है जो निधि में से किये जाने वाले व्ययों अथवा अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति के संबंध में उसकी राय में आवश्यक अथवा इष्टकर (expedient) हों ।

(२) बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार से प्राप्त आदेशों के अनुसार कार्य करे ।

१८--(१) यदि राज्य सरकार का सन्तोष हो जाय (is satisfied) कि बोर्ड ने अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन आरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में उपेक्षा की है अथवा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा बोर्ड का अवक्रमण (supersession) तथा धारा १० के अनुसार एक नये बोर्ड का पुनर्गठन कर सकेगी ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड की अवक्रमण संबंधी विज्ञप्ति को प्रकाशित करने के पूर्व राज्य सरकार बोर्ड को अवक्रमण सम्बन्धी कार्यवाही के विरुद्ध कारण दिखाने का उचित अवसर देगी और उसके स्पष्टीकरण तथा आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार भी करेगी ।

(२) बोर्ड के अवक्रमण के पश्चात् और जब तक नये बोर्ड का संगठन नहीं हो जाता तब तक, अधिनियम के अधीन बोर्ड के अधिकार, कर्तव्य तथा कार्य ऐसे अधिकारियों द्वारा सम्पन्न किये जायेंगे जिन्हें सरकार एतदर्थ नियुक्त करे ।

पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके अधिकार ।

निधि में से धनराशियों की वसूली की विधि ।

बोर्ड को राज्य सरकार के आदेश ।

कुछ मामलों में बोर्ड का अवक्रमण ।

बोर्ड के
सदस्य अथवा
कल्याण आयु-
क्त, निरीक्षक
तथा बोर्ड के
सदस्य अधि-
कारी और
कर्मचारी
सरकारी
की कार्यवाही ;
सब भाग के
कार्य कार्य
धरम के प्रति
सुरक्षितों की
आ ।

मुक्तिवां
(exemp-
tions)

कार्यों तथा
कार्यवाहियों
का मान्य
होना ।

एक्ट ४,
१९३६ की
धारा ८ का
संशोधन ।

नियम बनाने
का अधिकार ।

१९—बोर्ड के सदस्य अथवा कल्याण आयुक्त, निरीक्षक तथा बोर्ड के अन्य सरकारी अधिकारी और लेबर इंडियन वेल्फेयर कोड, १८६० की धारा २१ के अर्थ में पब्लिक सर्वेंट्स समझे जायेंगे ।

२०—यदि इन अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति ने सम्भव के साथ कोई कार्य किया है अथवा उसे ऐसा करना अभियोग है तो उसके विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोगना (prosecution) अथवा कोई अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जायगी ।

२१—राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अधीन जो उसमें निर्दिष्ट हों, किसी भी वर्ग (class) के साथ औद्योगिक अधिष्ठान को अधिनियम के समस्त अथवा किसी भी उपबन्धों से मुक्त कर सकती हैं ।

२२—बोर्ड का कोई कार्य अथवा कोई कार्यवाही, केवल इसीलिये असाम्य नहीं समझी जायगी कि बोर्ड में कोई स्थान रिक्त है अथवा उसके संगठन में कोई बृद्धि रह गयी है, और न इस कारण ही असाम्य समझी जायगी कि वाद में पता चलता है कि बोर्ड का कार्यवाही में कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित था, अथवा उसने मतदान किया, अथवा अन्य किसी प्रकार से उसमें भाग लिया, जिसे ऐसा करने का अधिकार न था ।

२३—पेनेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ की धारा ८ की उपधारा (८) में, अन्त में आने वाले पूर्ण विराम (fullstop) के स्थान पर लघु विराम (coma) रख दिया जाये और उसके पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

“But in the case of any factory or industrial establishment to which the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund Act, 1955 applies all such realizations shall be paid into the Fund constituted under the said Act. ”

२४—(१) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, तथा पूर्व प्रकाशन करके इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुए इस धारा के अधीन बनाये गये नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था हो सकेगी :—

- (१) निधि में से सहायक अनुदान (grants-in-aid) देने की प्रक्रिया ;
- (२) बोर्ड तथा मंत्रणा समिति के सदस्यों को देय भत्ते, यदि कोई हों ;
- (३) वह रीति जिससे बोर्ड अपना कार्य संचालन करेगा ;

(६) जो २००० - २००१ के बीच में जो नया कानून लागू हुआ है

15 - 12 - 2000
15 - 12 - 2000
15 - 12 - 2000

15 - 12 - 2000
15 - 12 - 2000
15 - 12 - 2000

15 - 12 - 2000
15 - 12 - 2000
15 - 12 - 2000

15 - 12 - 2000
15 - 12 - 2000
15 - 12 - 2000

उद्देश्य और कारण

विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से एक श्रम-कल्याण निधि स्थापित करने का प्रश्न बहुत समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। कामकरों से वसूल किये जाने वाले जुर्मानों के संबंध में पेमेंट आफ बेजेंज ऐक्ट, १९३६ में पहले से ही यह व्यवस्था है कि इस रूप से वसूल की गयी धनराशि का उपयोग ऐसे अनुमोदित प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो उनके लिए लाभप्रद हों। जुर्मानों के अतिरिक्त, अदा न की गयी मजदूरी, बोनस, अनुग्रह धन इत्यादि की धनराशियां भी नियोजकों के पास संचित पड़ी रहती हैं और उनका कोई उचित उपयोग नहीं किया जाता है। अतएव यह आवश्यक प्रतीत होता है कि श्रम कल्याणकारी कार्यों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से इन सब धनराशियों को एक में मिला कर एक निधि स्थापित की जाय। ये कार्य सरकार के नियंत्रण में एक बोर्ड द्वारा किये जायेंगे। यह भी समझा जाता है कि अन्य सम्भव साधनों, जैसे स्वेच्छा से किये गये दान, राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान, बोर्ड द्वारा लिये जाने वाले ऋण इत्यादि से भी उक्त बोर्ड के वित्त को अनुपूर्ति से पर्याप्त यागदान प्राप्त होगा और इसके द्वारा श्रमिकों के कल्याण में पर्याप्त वृद्धि होगी।

२—तदनुसार उक्त प्रयोजन को ध्यान में रख कर, उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि विधेयक, १९५५ प्रस्तुत किया जा रहा है।

जुगल किशोर,

श्रम-मंत्री।

न १०५

(देखिए पीठे पृष्ठ २५ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों-
सचिवों उप-मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों
और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विवेचक, १९५५,

सभा सचिवों को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों तथा विधान मंडल के
अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों और उप-मंत्रियों से सम्बद्ध कुछ विषयों की
व्यवस्था करने के लिये

विवेचक

सभा सचिवों (Parliamentary Secretaries) को दिये जाने वाले वेतन
और भत्तों की तथा विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों तथा मंत्रियों और
उप-मंत्रियों से सम्बद्ध आगे चलकर प्रवृत्त होने वाले कुछ विषयों की व्यवस्था
करना आवश्यक है।

अतएव भारतीय मंत्रालय के छोटे बर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया
जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों
और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा-सचिवों (के वेतन तथा भत्तों
और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में
“विधान मंडल के अधिकारी” का तात्पर्य अध्यक्ष (Speaker), सभापति
(Chairman), उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) और उप-सभापति
(Deputy Chairman) से है।

३—(१) प्रत्येक सभा सचिव (Parliamentary Secretary) को
₹६०० वरु मासिक वेतन दिया जायगा।

(२) प्रत्येक सभा सचिव अपने कार्यकाल की पूरी अवधि में, ऐसे
परिमाण में, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की
जायगी, सज्जित (furnished) लखनऊ में बिना किराया दिये एक निवास-
स्थान के उपयोग का अधिकारी होगा और ऐसे समय तक, जिसमें पूर्वोक्त
निवास स्थान की व्यवस्था न की जाय एक सौ रुपये मासिक प्रतिकर भत्ता
(Compensatory allowance) पाने का अधिकारी होगा।

४—(१) प्रत्येक सभा सचिव को एक सौ रुपये मासिक परिवहन भत्ता
(Conveyance allowance) दिया जायगा।

(२) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा नियत किये
जाने वाले प्रतिबन्धों और निरोधों (conditions and restrictions) के
अधीन प्रत्येक सभा सचिव, सार्वजनिक कार्य के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के लिये
निम्नलिखित के पाने का अधिकारी होगा :—

(क) विमान, रेल या सड़क से की गयी प्रत्येक यात्रा के लिये उन
दरों पर यात्रिक भत्ता (traveling allowance) जो

सक्षिप्त
शीर्षमन्त्रालय और
प्रारम्भ।

परिभाषाएं

सभासचिवों के
वेतन तथा
भत्ते।

यात्रिक भत्ता

सरकार की सेवा में कार्य करने वाले प्रथम श्रेणी के गजटेटेड आफिसर्स को प्राप्य हो, और

(ख) दैनिक भत्ता (daily allowance) जो मंदानों में दत्त रुपये तथा पहाड़ों पर पन्द्रह रुपये की दर से होगा।

मंत्रियों,
विधान मंडल
के अधिकारियों
उप-मंत्रियों
तथा सभा
सचिवों का
चिकित्सकीय
उपचार
(medical
treatment)

५—राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये किसी नियम को बाधित न करने हुए मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उप-सभापति, उपाध्यक्ष, उपमंत्री तथा सभा-सचिव और उनके परिवार के सदस्यों की सार्वजनिक व्यय पर चिकित्सा तथा राज्य-सरकार द्वारा पोषित अस्पतालों में निःशुल्क आवास (accommodation) पाने का अधिकार होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य संपादन से संबद्ध सेवा करने वाले प्रथम श्रेणी के गजटेटेड आफिसर्स को प्राप्य हो।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
१२, १९५२
का संशोधन।

६—उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों को उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ की

(१) धारा २ में शब्द “ड्यूटी (१ १/२)” के स्थान पर शब्द “दूना” रख दिया जाय; और

(२) धारा २ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा २-क के रूप में रख दिया जाय :—

“अन्तराल २-क—जब उत्तर प्रदेश विधान मंडल का कोई सदस्य की यात्राओं के लिये यात्रिक भत्ता।
उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं भी जाने के कारण विधान मंडल के सदन के सत्रकाल में अथवा उसकी किसी समिति के अधिवेशनकाल में दस दिन से कम के लिये अनुपस्थित हो तो उसे ऐसे स्थान की यात्रा पर जाने के लिये एवं वहाँ से वापस आने के लिये प्रत्येक यात्रा के सम्बन्ध में प्रथम श्रेणी का किराया मिलेगा, वह सदस्य चाहे जिस रीति से जाय अथवा चाहे जिस श्रेणी में यात्रा करे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यात्रा के उन भागों के लिये, जो ऐसे स्थानों के बीच की गयी हो, जो रेलवे द्वारा संयोजित नहीं हैं, उसे माइलेज भत्ता उस दर से मिलेगा जो प्रथम श्रेणी के गजटेटेड आफिसर्स को प्राप्य है।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसा यात्रिक भत्ता उस कुल दैनिक भत्ते से अधिक न होगा जो उक्त सदस्य को धारा २ (२) के अधीन अनुपस्थिति के दिनों के लिये मिलता यदि वह अनुपस्थित न होता।”

यू० पी०
लेजिस्लेटिव
चेम्बरस
(मेम्बरस
एमाल्युमेन्ट्स)
रुलस, १९४६
में किये गये
संशोधनों का
संघीकरण।

७—यू० पी० लेजिस्लेटिव चेम्बरस (मेम्बरस एमाल्युमेन्ट्स) ऐक्ट, १९३८ की धारा ५ द्वारा राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (U. P. State Legislature) के सदस्यों को देय यात्रिक तथा दैनिक भत्तों के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया था। तदनुसार राज्य सरकार ने विधायिका विभाग (Legislature Department) की विज्ञप्ति संख्या ३५२४/१७, दिनांक ९ फरवरी, १९५० ई० द्वारा यू० पी० लेजिस्लेटिव चेम्बरस (मेम्बरस एमाल्युमेन्ट्स) रुलस, १९४६ को संशोधित किया था, किन्तु भारत के संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् राज्य सरकार, के उक्त अधिकार के बने रहने के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया गया, अतएव सन्देहों के निवारण के लिये एतद्वारा

प्रस्थापित किया जाता है कि पूर्वोक्त विज्ञप्ति में किये गये संशोधन विधि की दृष्टि से ठीक और वैध हैं तथा सदा ठीक और वैध समझे जायेंगे मानों वे संविधान के अनुच्छेद १९५ के अधीन बनी विधि से अधिनियमित किये गये थे।

८—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों) अधिनियम, १९५२ ई० की—

(१) धारा ३ में शब्द “६ सौ रुपये” के स्थान पर शब्द “सात सौ पचास रुपये” रख दिए जायें ;

(२) धारा ४ के पश्चात् धारा ४-क के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः—

“उपाध्यक्ष और उपसभापति के लिए किराया मुक्त सुसज्जित निवास-स्थान (free furnished residences)”
 ४—क—उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) तथा उपसभापति (Deputy Chairman) में से प्रत्येक को उनकी पदावधि के पूरे कार्य काल पर्यन्त लखनऊ में, बिना किराया दिए हुए, ऐसे निवास-स्थान के प्रयोग का अधिकार होगा, जो ऐसे मापमान (scale) के अनुसार सुसज्जित होगा, (furnished) जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गए नियमों में की जायेगी और जब तक उपर्युक्त प्रकार के निवास-स्थान की व्यवस्था न हो सके तब तक उन्हें एक सौ रुपये मासिक, प्रतिकरात्मक भत्ता (Compensatory allowance) पाने का अधिकार होगा।”

तथा

(३) धारा ५ के पश्चात् नई धारा ५-क के रूप में निम्नलिखित बड़ा दिया जायः—

“उपाध्यक्ष और उप सभापति के लिये परिवहन भत्ता।
 ५-क—उपाध्यक्ष तथा उप सभापति में से प्रत्येक को एक सौ पचास रुपये मासिक परिवहन भत्ता (convyance allowance) दिया जायगा”

९—उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों के अधिनियम, १९५२ की धारा ३ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

“(२) प्रत्येक उपमंत्री अपने कार्यकाल की पूरी अवधि में, ऐसे परिमाण में, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गए नियमों में की जायेगी, सुसज्जित (furnished) लखनऊ में बिना किराया दिए एक निवास-स्थान के उपयोग का अधिकारी होगा और ऐसे समय तक जिसमें पूर्वोक्त निवास-स्थान की व्यवस्था न की जाय एक सौ रुपये मासिक प्रतिकर भत्ता (compensatory allowance) पाने का अधिकारी होगा।

१०—इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी मंत्री, उपाध्यक्ष, उप-सभापति और सभासचिव या उनके परिवार के किसी सदस्य के, राज्य सरकार द्वारा पोषित किसी अस्पताल में आवास के संबंध में या चिकित्सा के निमित्त किए गए या भुगतान किए गए सभी परिव्यय और उक्त प्रारम्भ से पूर्व धारा ६ में अभिविष्ट विज्ञप्ति के अनुसार यात्रिक भत्ते तथा दैनिक भत्ते के रूप में किसी सदस्य को दिये गए सभी भुगतान यथावत् किए गए (properly incurred), भुगतान किए गए और दिये गये समझे जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ९, १९५२ का संशोधन।

उ० प्र० अधिनियम १०, १९५२ की धारा ३ का संशोधन।

कतिपय भुगतानों का विनियमन।

नियमित
इत्यादि से
सम्बद्ध विज्ञप्ति
निश्चायक
प्रमाण होगी।

११—वह दिनांक जिस पर कोई व्यक्ति मंत्री, उपमंत्री या सभा-सचिव होगा या न रहेगा, सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा और कोई ऐसी विज्ञप्ति इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिये इस बात का निश्चायक प्रमाण होगी कि उक्त व्यक्ति उस दिनांक पर मंत्री, उपमंत्री या सभा-सचिव हो गया या न रहा।

नियम बनाने
का अधिकार।

१२—इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

उद्देश्य और कारण

सरकार के सभा-सचिवों को अभी तक वेतन और भत्ते प्रशासकीय आजाओं के अधीन मिलते रहे हैं। सरकार को परामर्श प्राप्त हुआ है कि सचिवों और उप-सचिवों की भांति इनका वेतन भी विधान मंडल के अधिनियम द्वारा अवधारित होना चाहिए। अतएव इस विधेयक द्वारा इसकी व्यवस्था की गयी है।

२—यह विचार किया गया है कि राज्य विधान मंडल के अधिष्ठाताओं (Presiding Officers) के उच्च पदों की प्रतिष्ठा के अनुरूप उपाध्यक्ष तथा उपसभापति को प्रस्थिति (status) वही होना चाहिये जो उपसचिवों की है और उन्हें वही वेतन और भत्ते दिए जाने चाहिये जो उपसचिवों को मिलते हैं। विधेयक में इसके लिये आवश्यक व्यवस्था कर दी गयी है।

३—रेलवे के विभिन्न दर्जों के पुनर्गठन को ध्यान में रख कर राज्य विधान मंडल के सदस्यों को दिये जाने वाले यात्रिक भत्तों को दूर भी पुनरीक्षित की गयी है।

४—इसके अतिरिक्त सचिवों, उपसचिवों तथा विधान मंडल के अधिकारियों को उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं के संबंध में होने वाली कुछ कठिनाइयों तथा उपसचिवों के विवाल स्थान संबंधी कठिनाई को भी दूर किया गया है। संवधान अनुच्छेद १६४ (५) तथा १८६ में क्रमशः व्यवस्था की गयी है कि सचिवों तथा राज्य विधान मंडल के अधिकारियों के वेतन और भत्ते वही होंगे, जिन्हें राज्य विधान मंडल अधि द्वारा अवधारित करे। तदनुसार यह आवश्यक समझा गया है कि सचिवों, उपसचिवों तथा राज्य विधान मंडल के अधिकारियों के लिये चिकित्सकीय सुविधाओं की व्यवस्था विधान मंडल द्वारा पारित तत्संबंधी विधि में कर दी जाय। अतएव विधेयक में इसकी व्यवस्था कर दी गयी है।

५—विधायिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३५२४/१७, दिनांक ९ फरवरी, १९५० द्वारा विधान मंडल के सदस्यों को मिलने वाले यात्रिक भत्ते के भुगतान की नियमावली में संशोधनों की वैधता पर यह शंका प्रकट की गयी है कि एता केवल विधान मंडल के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है। अतएव विधेयक नंबर ६ को विहित करने इसे भी निश्चित कर देना आवश्यक समझा गया।

यह विधेयक उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है।

सैयद अली जहीर,
न्याय मंत्री।

श्री कैलाश प्रकाश—सन् १९५२-५३ में सड़कों की मरम्मत के लिये दिये गए ३०,००० रु० के अनुदान के दुरुपयोग करने के सिलसिले में मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी, जालौन, ने जून, १९५५ में सरकार से श्री जी० बी० चतुर्वेदी, अध्यक्ष, नगरपालिका, कोंच के खिलाफ शिकायत की थी।

मगर चूंकि श्री चतुर्वेदी ने अपने खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के कारण इस्तीफा दे दिया था, इसलिये सरकार ने उक्त शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री बसन्तलाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में सड़कों की मरम्मत के लिये जो अनुदान दिया गया था उसका अभी तक कुछ भी उपयोग नहीं हुआ, इसका क्या कारण है ?

श्री कैलाश प्रकाश—क्योंकि वहां की नगरपालिका में आपस में कुछ मनमुटाव था, अविश्वास का प्रस्ताव इत्यादि की कार्यवाही चल रही थी, इसलिये वहां काम आगे चल नहीं पाया।

श्री बसन्त लाल—सन् १९५२-५३ में सड़कों की मरम्मत के लिये जो धनराशि दी गयी थी उसके दुरुपयोग की जो शिकायत आयी थी क्या माननीय मंत्री महोदय उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—जो शिकायत आयी थी उसकी जांच तो हो रही है।

श्री बसन्तलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जांच हो रही है वह किसके द्वारा हो रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जांच के लिये कलेक्टर इंचार्ज और कलेक्टर को चीजें भेजी जाती है उन्हीं के द्वारा जांच कराई जाती है।

सरकारी इश्तहार छापने वाले अखबार तथा रिसाले

*६१—श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार राज्य के अखबारों और रिसालों के नाम बतलायेगी, जिनको सरकारी इश्तहार मिलते हैं ?

सूचना मंत्री (श्री कलापति त्रिपाठी)—इस प्रकार की कोई निश्चित सूची नहीं रक्खी जाती है।

*६२—श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)—इस संबंध में क्या सरकार बतायेगी कि सरकारी इश्तहार किनको दिये जायें इस पर सरकार की नीति क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकारी विज्ञापन दैनिक समाचारपत्रों को ही दिये जाते हैं। पर अर्द्ध साप्ताहिक अथवा साप्ताहिक पत्रों को भी कभी-कभी दिये जाते हैं। इन समाचारपत्रों की वितरण संख्या कम से कम १,००० हो और इनका प्रकाशन नियमित रूप से होता हो तथा इनका प्रकाशन प्रारम्भ हुए ६ मास बीत गए हों। ऐसे समाचार-पत्रों को जो साम्प्रदायिकता, हिंसा अथवा सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न करने वाली भावनाओं को उत्तेजित करते हों, जो प्रायः भद्दे अथवा अश्लील लेख प्रकाशित करते हों, उनको सरकारी विज्ञापन पाने योग्य नहीं समझा जाता।

*६३—६५—श्री व्रज भूषण मिश्र—[२२ दिसम्बर, १९५५, के लिये प्रश्न ९—११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किए गए।]

*६६—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—[२३ दिसम्बर, १९५५, के लिये स्थगित किया गया।]

राजनारायण स्मारक भवन, लखीमपुर, पर व्यय

*६७—श्री प्रेम किशन खन्ना (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि राजनारायण स्मारक भवन, लखीमपुर-खीरी के निर्माण के लिये कितना धन कलेक्टिव सब्सक्रिप्शन (Collective Subscription) से दिया गया ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—राज नारायण स्मारक भवन के लिये कलेक्टिव-सब्सक्रिप्शनों (Collective Subscriptions) ने २५,००० रु० दिया गया ।

*६८—श्री प्रेम किशन खन्ना (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इसके निर्माण में कितना धन खर्च हो चुका है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—इस भवन के निर्माण में लगभग २८,००० रु० खर्च हो चुका है ।

*६९—श्री प्रेम किशन खन्ना (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो मोटर गैरेज तथा दूकाने राजनारायण स्मारक भवन के अहाते के अन्दर बनी हैं वह इसी स्वीकृत धन से बनी हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—मोटर गैरेज और दूकाने जो स्मारक भवन के अहाते में बनी हैं वह इसी स्वीकृत धन से राजनारायण स्मारक कमेटी की स्वीकृति से बनी हैं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—यह जो स्मारक बन रहा है तो इन्हीं राजनारायण जी का है या किसी दूसरे का ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—जी नहीं। स्वर्गीय राजनारायण जी, जो लखीमपुर-खीरी के हैं ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस स्मारक भवन में जो रुपया खर्च हुआ है इंजीनियर्स ने उसको सर्टीफाई कर दिया है या नहीं ?

श्री राममूर्ति—जी हां, इंजीनियर्स ने सर्टीफाई तो कर दिया है, लेकिन अभी व्यौरा नहीं आया है। हिदायत कर दी है कि जल्दी व्यौरा भेजें, गारंटीबन्ड जल्दी आ जायगा ।

श्री भगवान सहाय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस बिल्डिंग ने क्या काम लिया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह बिल्डिंग अभी बन रही है, यही काम लिया जा रहा है

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—कब तक पूरे रुपये के खर्च करने की अनुमति दी गई थी और चंदे का रुपया ही लगा है या और भी रुपया दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—कलेक्टिव सब्सक्रिप्शन का २५,००० रुपया था और इसमें २८ हजार रुपया लगा है और निकट-भविष्य में यह धन जायगा ।

श्री भगवान सहाय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो रुपया मिला है वह कहां से दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—मैंने अभी अर्ज किया कि कलेक्टिव, सब्सक्रिप्शन का २५ हजार रुपया था और इसमें तीन हजार रुपया इसके अलावा और लगा जो चंदे के जरिये जमा किया गया था ।

अतारांकित प्रश्न

गाजीपुर स्टीमर घाट पर पक्का पुल बनवाने की मांग

१—श्री भोला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर स्टीमर घाट (गंगा) पर वे पक्का पुल बनवाने का विचार कर रहे हैं ?

नोट—तारांकित प्रश्न ६७—६९ श्री भगवान सहाय ने पूछे ।

निर्माण मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जो नहीं।

२—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—[१४ दिसम्बर, १९५५, के लिये प्रश्न १ के उत्तर में स्थानान्तरित किया गया।]

मुरादाबाद जिल बोर्ड को सड़कों के लिए अनुदान

३—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या स्वयत्त शासन मन्त्री बताने को तैयार होंगे कि मुरादाबाद जिला बोर्ड की सड़कों के लिये गत तीन वर्षों में कुल कितनी धनराशि मरम्मत तथा कचरे में पक्की करने के लिये दी गई है ?

श्री सैयद अली जहीर—जिला बोर्ड, मुरादाबाद, का विगन तीन वर्षों में केवल कचरे सड़कों के रखरखाव के लिये सरकारी अनुदान स्वीकृत किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं:—

	रुपया
१९५२-५३	२०,२००
१९५३-५४	१६,६००
१९५४-५५	१६,६००
योग	५३,४००

कचरे, सड़कों को पक्का बनाने के लिये कोई अनुदान नहीं दिया गया।

अनेही तहसील जिला सुल्तानपुर, में बड़गांव और विश्वेश्वरगंज के बीच पक्के पुल की आवश्यकता

८—श्री रणजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह तहसील अनेही (जिला सुल्तानपुर) के बड़गांव और विश्वेश्वरगंज के बीच में कोई पक्का पुल बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जो नहीं।

५-६—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हनुमानगढ़)—[२७ दिसम्बर, १९५५, के लिये स्थगित किये गये।]

वादा जिले के बबरेल थाने में हुई ज्यादती के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री राजनारायण जी ने एक काभरेकी प्रस्ताव वादा जिले के बबरेल थाने में कुछ ज्यादती के सम्बन्ध में दिया था और जिला इन्स्पेक्टर, बबरेल थाने के स्थानाधिकारण सम्बन्ध में और इनके सरकार से कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, जिला स्थानाधिकारण ही उचित न्यायालय में करने का ही उससे सम्बन्ध है, इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं देना हूँ कि यह काभरेकी प्रस्ताव उपस्थित किया जाय। मैं इसको अर्थ में ध्यान देता हूँ।

१४ दिसम्बर, १९५५, का सूर्य-ग्रहण की छुट्टी के लिये प्रार्थना

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से जो कल होने वाले सूर्य-ग्रहण के सम्बन्ध में कहा गया था उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निश्चित किया। कल छुट्टी होगी या नहीं ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—मैंने, जनाबवाला, कल अर्ज कर दिया था लेकिन अब आप फिर से इस सवाल को उठाना चाहते हैं और इसलिये मैं समझता हूँ कि इस मामले में जरूर कुछ किया जाय। अगर मेम्बरान की इवाहिश है तो मुनासिब यह होगा कि कर २ बजे से हाउस हो और उससे पहले न हो। मुझे जो मालूम है वह यह कि सूर्य-ग्रहण फर्स्ट हाफ डे के अन्दर हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—सूर्य-ग्रहण ११ में ढाई बजे तक है। मैं समझता हूँ कि नेता सदन इसका पूरा हिसाब लगा लें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसका हिसाब मुझे खुद मालूम नहीं है। अगर ऐसा है कि जो मैं कह रहा हूँ वह सही नहीं है तो मैं यह भी फंसला करूँगा कि सारे दिन की छुट्टी रहे। लेकिन मुझे यह मालूम हुआ कि १ बजे तक सारा मामला खत्म हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—सही बात क्या है वह जानने के बाद अगर आप १ घंटे के बाद एनाउन्स-मट कर दें तो ठीक होगा। एक बजे आप कह दीजिये तो अच्छा होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—ठीक है, मैं कह दूँगा। अगर जरूरत हुई तो दिन भर की छुट्टी करूँगा और नहीं तो इतनी ही करूँगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों के लिये सप्ताह में एक दिन नियत करने का सुझाव

श्री राज नारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं इस संबंध में कि जो मेरे कामरोको प्रस्ताव पर आपकी रूनिंग हो गई उस पर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं आपके द्वारा इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ की हालत इतनी खराब हो गई है कि.....

श्री अध्यक्ष—ऐसे जो प्रस्ताव मैं आपके नामजूर करता हूँ कम से कम उसकी सूचना मैं माननीय मंत्री को भिजवा दूँगा और उसके बाद आप उनसे बात कर लें।

श्री राज नारायण—उनको तार वगैरह भी मैंने दिया.....

श्री अध्यक्ष—तो वह मौका हो सकता है लेकिन इसके ऊपर अब यहाँ चर्चा नहीं हो सकती।

श्री ब्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—ऐसे कामरोको प्रस्ताव रोज आते हैं तो उचित यह होगा कि हफ्ते में एक दिन नियत कर दिया जाय कि उस दिन सारे कामरोको प्रस्ताव आ जायें। यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—आप इसके लिये नियमों में परिवर्तन कर दें। जो नियमों की कमेटी बनी है वह शीघ्र अपना काम समाप्त करेगी और जब नियम सदन के सामने आ जायें तो उसमें जो आप तजवीज करना चाहें वह कर सकते हैं। सदन नियमों द्वारा यह कर सकता है कि कोई एक दिन कामरोको प्रस्ताव के लिये नियत हो जाय।

***उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५**

†खंड ३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—श्री मदनगोपाल जी, मैंने कल तीसरे खंड के संशोधन को उचित स्थान पर रख देने के विषय में आपसे कहा था।

*२१ नवम्बर, १९५५, की कार्यवाही में छपा है।

†१२ दिसम्बर, १९५५, की कार्यवाही में छपा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ वजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३०)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतर हुसैन खाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले
उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पान्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री

किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवर्लसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गौदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चन्द्रसिंह रावत, श्री
 चन्द्रजानु गुप्त, श्री
 चन्द्रवती, श्रीमती
 चन्द्रसिंह रावत, श्री
 चन्द्रदास, श्री
 चिरंजीलाल जाटव, श्री
 चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
 चून्नीलाल सगर, श्री
 छंडालाल चौधरी, श्री
 जगदीशप्रसाद, श्री
 जगनप्रसाद रावत, श्री
 जगन्नाथप्रसाद, श्री
 जगन्नाथबख्श दास, श्री
 जगन्नाथ मल्ल, श्री
 जगन्नाथसिंह, श्री
 जगपतिसिंह, श्री
 जगमोहनसिंह नगी, श्री
 जटाशकर शुक्ल, श्री
 जयपाल सिंह, श्री
 जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री
 जवाहरलाल, श्री
 जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
 जुगलकिशोर, आचार्य
 ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
 झारखंडेराय, श्री
 टीकाराम, श्री
 डल्लाराम, श्री
 डालचन्द, श्री
 ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
 तुलाराम, श्री
 तुलाराम रावत, श्री
 तेजप्रताप सिंह, श्री
 तेजबहादुर, श्री
 तेजासिंह, श्री
 त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
 दयाल दासभगत, श्री
 दर्शनराम, श्री
 दलबहादुर सिंह, श्री
 दाताराम, श्री
 दीनदयालु शर्मा, श्री
 दीनदयालु शास्त्री, श्री
 दीपनारायण वर्मा, श्री
 देवमूर्ति राम, श्री
 देवराम, श्री
 देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
 द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री

द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
 धनुषवारी पाण्डेय, श्री
 धर्मसिंह, श्री
 धर्मदत्त वैद्य, श्री
 नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
 नरदेव शास्त्री, श्री
 नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
 नरोत्तम सिंह, श्री
 नवलकिशोर, श्री
 नागेश्वर द्विवेदी, श्री
 नारायणदत्त तिवारी, श्री
 नारायण दास, श्री
 नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
 नेत्रपाल सिंह, श्री
 पद्मनाथ सिंह, श्री
 परमानन्द सिन्हा, श्री
 परमेश्वरी दयाल, श्री
 परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
 पहलवान सिंह चौधरी, श्री
 पातीराम, श्री
 पुतूलाल, श्री
 पुट्टनराम, श्री
 पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
 प्रकाशवती सूद, श्रीमती
 प्रतिपालसिंह, श्री
 प्रभाकर शुक्ल, श्री
 प्रभुदयाल, श्री
 फजलुल हक, श्री
 फतेहसिंह राणा, श्री
 बनारसीदास, श्री
 बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
 बलदेवसिंह आर्य, श्री
 बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
 बलवन्तसिंह, श्री
 बशीर अहमद हकीम, श्री
 बसन्तलाल, श्री
 बसन्तलाल शर्मा, श्री
 बाबूनन्दन, श्री
 बाबूलाल कुसुमेश, श्री
 बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
 विशम्बर सिंह, श्री
 बेचनराम, श्री
 बेचनराम गुप्त, श्री
 बेनीसिंह, श्री
 बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
 बैजराम, श्री

ब्रह्मरत्न दीक्षित, श्री
 नारायण प्रसाद दुबे, श्री
 नारायण प्रसाद शुक्ल, श्री
 अमरनाथदीन वाल्मीकि, श्री
 अश्वानसहाय, श्री
 अनन्तेन, श्री
 भुवनेश्वरी, श्री
 भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
 भौला सिंह यादव, श्री
 मंगलाप्रसाद, श्री
 मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
 मदनगोपाल वैद्य, श्री
 मदनमोहन उपाध्याय, श्री
 मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
 मलखानसिंह, श्री
 महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
 महादेवप्रसाद, श्री
 महाराजसिंह, श्री
 महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
 महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
 महावीरसिंह, श्री
 महीलाल, श्री
 मान्धाता सिंह, श्री
 मिजाजीलाल, श्री
 मिहरबान सिंह, श्री
 मुजफ्फर हसन, श्री
 मुन्नालाल, श्री
 मुरलीधर कुरील, श्री
 मुस्ताक अली खां, श्री
 मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
 मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
 मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
 मुहम्मद नबी, श्री
 मुहम्मद नसीर, श्री
 मुहम्मद मंजूरल नबी, श्री
 मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
 मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
 मोहनलाल, श्री
 मोहनलाल गौतम, श्री
 मोहनसिंह, श्री
 मोहनसिंह शाक्य, श्री
 यमुनासिंह, श्री
 यशोदादेवी, श्रीमती
 रघुनाथप्रसाद, श्री
 रघुराज सिंह, श्री
 रघुवीरसिंह, श्री

रतनलाल जैन, श्री
 रमेश वर्मा, श्री
 राजकिशोर राव, श्री
 राजकुमार शर्मा, श्री
 राजनारायण, श्री
 राजनारायण सिंह, श्री
 राजवंशी, श्री
 राजाराम शर्मा, श्री
 राजेन्द्र दत्त, श्री
 राजेश्वर सिंह, श्री
 राधाकृष्ण अप्पवाल, श्री
 राधामोहन सिंह, श्री
 रामअधर तिवारी, श्री
 रामअधीनसिंह यादव, श्री
 रामअनन्त पाण्डेय, श्री
 रामअवध सिंह, श्री
 रामकिंकर, श्री
 रामकुमार शास्त्री, श्री
 रामकृष्ण जैसवार, श्री
 रामगुलाम सिंह, श्री
 रामचन्द्र विकल, श्री
 रामजीलाल सहायक, श्री
 रामजी सहाय, श्री
 रामदुलारे मिश्र, श्री
 रामनरेश शुक्ल, श्री
 रामप्रसाद, श्री
 रामप्रसाद देशमुख, श्री
 रामप्रसाद नौटियाल, श्री
 रामप्रसाद सिंह, श्री
 रामबली मिश्र, श्री
 राममूर्ति, श्री
 रामरतन प्रसाद, श्री
 रामराज शुक्ल, श्री
 रामलखन, श्री
 रामलाल, श्री
 रामवचन यादव, श्री
 रामशंकर द्विवेदी, श्री
 रामसनेही भारतीय, श्री
 रामसहाय शर्मा, श्री
 रामसुन्दर पांडेय, श्री
 रामसुन्दर राम, श्री
 रामसुभग वर्मा, श्री
 रामसुमेर, श्री
 रामस्वरूप, श्री
 रामस्वरूप गुप्त, श्री
 रामस्वरूप भारतीय, श्री

रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
 रामहरख यादव, श्री
 रामहेत सिंह, श्री
 रामेश्वरप्रसाद, श्री
 रामेश्वरलाल, श्री
 लक्ष्मणराव कदम, श्री
 लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
 लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
 लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
 लताफत हुसन, श्री
 लालबहादुर सिंह, श्री
 लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
 लुत्फअली खां, श्री
 लेखराजसिंह, श्री
 वशीधर मिश्र, श्री
 वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
 वसी नकवी, श्री
 वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
 विजयशंकर प्रसाद, श्री
 विश्रामराय, श्री
 विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
 वीरसेन, श्री
 वीरेन्द्रशाह, राजा
 ब्रजभूषण मिश्र, श्री
 ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
 ब्रजवासीलाल, श्री
 ब्रजविहारी मिश्र, श्री
 ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
 शकरलाल, श्री
 शम्भुनाथ चतुर्वेदी, श्री
 शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
 शिवकुमार मिश्र, श्री
 शिवकुमार शर्मा, श्री
 शिवनारायण, श्री
 शिवपूजन राय, श्री
 शिवमंगल सिंह, श्री
 शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
 शिवराजबली सिंह, श्री
 शिवराम पांडेय, श्री
 शिवराम राय, श्री
 शिववर्धसिंह राठौर, श्री
 शिवस्वरूपसिंह, श्री

शुकदेवप्रसाद, श्री
 शुगनचन्द, श्री
 श्याममनोहर मिश्र, श्री
 श्यामलाल, श्री
 श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
 श्रीचन्द्र, श्री
 श्रीनाथ भार्गव, श्री
 श्रीनाथराम, श्री
 श्रीनिवास, श्री
 सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
 संग्रामसिंह, श्री
 सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
 सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
 सत्यनारायणदत्त, श्री
 सत्यसिंह राणा, श्री
 सावित्रीदेवी, श्रीमती
 सियाराम गंगवार, श्री
 सियाराम चौधरी, श्री
 सीताराम, डाक्टर
 सीताराम शुक्ल, श्री
 सुखीराम भारतीय, श्री
 सुन्दरदास, श्री दीवान
 सुन्दरलाल, श्री
 सुरजूराम, श्री
 सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
 सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
 सूर्यबली पांडेय, श्री
 सेवाराम, श्री
 हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
 हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
 हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
 हमीद खां, श्री
 हरगोविन्द पन्त, श्री
 हरगोविन्द सिंह, श्री
 हरदयाल सिंह पिपल, श्री
 हरदेव सिंह, श्री
 हरिप्रसाद, श्री
 हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
 हरिसिंह, श्री
 हुकुमसिंह, श्री
 हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजनीतिक पीड़ितों को शिक्षा-मुविधाये देने के लिए राजाज्ञा

**१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि ७ नवम्बर, १९४९, को उसकी ओर से कोई ऐसा आदेश जिलाधिकारियों को जारी किया गया था कि राजनीतिक पीड़ित और उनके आश्रितों की शिक्षा में बोर्डिंग और ट्यूशन फी माफ रहनी चाहिए ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—जी हां।

**श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. १५६ पर,)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को जानकारी इसकी है कि इस आदेश का पालन स्कूलों और कालेजों और विश्वविद्यालयों में नहीं हो रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं। इसका पालन हो रहा है।

श्री उमा शंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी इस सक्कुलर की खास-खास बातें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वह प्रश्नकर्ता महोदय की मेज पर रख दी गई है। वह कृपा करके देख लें।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन शर्तों के अनुसार किस कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा का तो मैंने कहा नहीं कि निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।

श्री उमा शंकर—क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि इस सक्कुलर की बार-बारों धारा (ए) और (बी) का पालन स्कूलों में नहीं किया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मेरे पास तो कोई ऐसी सूचना आयी नहीं क्योंकि उनको यह लिख दिया गया था, उसमें है कि जो ऐसे लड़के हों, जिनकी फीस वह माफ करे तो गवर्नमेन्ट उसको रीडम्बर्स करेगी।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १-२ श्री रामसुन्दर पाण्डेय ने पूछे।

श्री जगदीश प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या इस प्रश्न पर वह विचार कर रहे हैं कि हाई स्कूल की शिक्षा तक राजनीतिक पीड़ित विद्यार्थियों की शुल्क माफ कर दी जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हाई स्कूल तक ही नहीं, मैं तो आरम्भ से लेकर अन्त तक के आंकड़े इकट्ठा कर रहा हूँ कि अगर पोलिटिकल सफरर्स के कुल जितने डिपेंडेंट्स हैं, अगर उनकी सबकी फीस माफ कर दी जाय तो कितना धन उसके लिए आवश्यक होगा। इसके आंकड़े मैं इकट्ठा कर रहा हूँ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर राजनीतिक पीड़ितों के जो आश्रित हैं, उनकी व्याख्या साथ-साथ बतला देंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सर्क्युलर अंग्रेजी में है, इसलिए बताना मुश्किल है। 'डिपेंडेंट्स' उसमें डिफाइंड है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जबतक ये आंकड़े इकट्ठा हों तब तक सरकार राजनीतिक पीड़ितों के जो आश्रित हैं उनसे फीस नहीं लेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह तो स्पष्ट ही है कि जो आंकड़े मैं इकट्ठे कर रहा हूँ वह इस सर्क्युलर के उपरान्त हैं। इस सर्क्युलर में सब की फीस माफी का कोई कायदा नहीं है। मैं तो यह चाहता हूँ कि जान लूँ कि कितना धन उसके लिए आवश्यक होगा और उसका क्या प्रबन्ध हो, इसलिए आंकड़े इकट्ठा कर रहा हूँ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो आंकड़े इकट्ठा किये जा रहे हैं वह कब तक इकट्ठे कर लिये जायेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उसका विस्तार तो स्वयं माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि सारे प्रान्त के जिलों से इकट्ठे किये जा रहे हैं और पोलिटिकल सफरर्स के डिपेंडेंट्स की तादाद मालूम करना यह कोई आसान काम नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये आंकड़े किसके द्वारा इकट्ठा कराये जा रहे हैं और क्या इसके सम्बन्ध में विद्यार्थियों को कोई दरखास्त देने की सूचना भेज दी गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, विद्यार्थियों द्वारा दरखास्त देने की कोई बात नहीं की गयी है कि वह दें। यह शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा इकट्ठा किये जा रहे हैं।

वारांकित प्रश्न

बुलन्दशहर व अलीगढ़ जिलों में नल कूपों के स्थान पर मांट ब्रांच नहर से सिंचाई की मांग

*१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने बुलन्दशहर व अलीगढ़ जिले में कोई ऐसी जांच कराई है कि जन्ता मांट ब्रांच नहर व उसकी शाखाओं को खारिज चाहती है या ट्यूबवेल चाहती है ? यदि हाँ, तो जनता का मत क्या रहा ?

सिंचाई उप-मन्त्री (श्री राममूर्ति)—जी हां, गंगा नहर की माट शाखा से सम्बन्धित किसानों से इस सम्बन्ध में पूछ-ताछ की गई थी, जिससे पता चला कि सब किसान निम्नलिखित कारणों से नहर की शाखाओं को खारिज करा कर ट्यूबवेल की सिंचाई के पक्ष में नहीं हैं :—

(१) नलकूप से होने वाली सिंचाई की दर अधिक है।

(२) तालाबों और पोखरों को बिना मूल्य के नहरी पानी मिलने की सुविधा ट्यूब वेल्स से प्राप्त न हो सकेगी।

*२—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस जांच पर क्या व्यय हुआ है ?

श्री राम मूर्ति—जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई थी अतः इस सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह जो जांच कराई गई और यह पाया गया किसानों की तरफ से कि वह इसको खारिज करने के हक में नहीं है तो क्या इस पर विचार किया गया ?

श्री राम मूर्ति—मैंने अर्ज किया कि दो वजहों से वह चाहते थे कि शाखाएँ खारिज न की जायें। वह समझते थे कि नलकूपों के जरिये से जो पानी मिलेगा उसके चार्ज ज्यादा होंगे तो उनको डिपार्टमेंट की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है कि चार्ज ज्यादा नहीं होंगे और जो नहरों का रेट है वही लग जायगा। इस बात के होने पर उनको कोई एतराज नहीं है।

श्री राम चन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यदि उनकी कोई निश्चित योजना थी तब इस प्रकार की जांच क्यों आवश्यक समझी गई ?

श्री राम मूर्ति—योजना तो थी लेकिन पंचायतराज का जमाना है। मालूम कर लेना अच्छा होता है, इसीलिए यह जांच की गई।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह योजना किन कारणों के आधार पर आरम्भ की गई ?

श्री राम मूर्ति—इसका कारण यह है कि यह जो २४ मील है शुरू के यह भराव में जा रहे हैं तो इसकी वजह से नहर में झर्राई रहती है और पास-पड़ोस की जमीनों में वाटर लॉगिंग हो गई है। यह भी खयाल हुआ कि यह जमीने खराब हैं और मथुरा के हिस्से में पानी की बड़ी कमी रहती है। तो यह समझ कर कि अगर ट्यूबवेल लगा दें तो वाटर लेवल ऊंचा हो जायगा और उनको परेशानी भी नहीं होगी और मथुरा जिले को पानी भी मिल जायगा यह किया जा रहा है। तो यह कहना चाहिये कि एक ही पत्थर से दो चिड़ियां मारने का काम किया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सत्य है कि इस योजना से इस क्षेत्र के किसानों में असंतोष है ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री राम चन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जांच किन विभागीय अधिकारियों द्वारा कराई गई और कितने कर्मचारी इस काम पर लगे थे ?

श्री राममूर्ति—कर्मचारियों के नाम तो इस समय मेरे पास नहीं हैं लेकिन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, ओवरसियर और जिलेदार आदि ही यह काम करते हैं, और उन्हीं के जरिये यह काम कराया गया था।

श्री श्रीचन्द्र—क्या यह सही है कि इस मांट ब्रांच पर जितने पानी की जहरत है वह नहीं मिल रहा है ?

श्री राम मूर्ति—नेने अर्ज किया कि पानी ज्यादा मिलने का सत्राल नहीं है। पानी इतना ज्यादा मिल रहा है कि जिसको काइतकार नहीं चाहते ओर वहां वाटर लॉगिंग हो रही है इसलिये यह स्कीम चलाई गई है।

जिला जजों की नई अदालतों के सम्बन्ध में आज्ञा-पत्र

*३—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि प्रादेशिक वित्त विभाग ने इस वर्ष एक ऐसा आदेश जारी किया था कि नयी स्कीमें जो बजट द्वारा सदन में स्वीकृत हो जाती हैं उनके सम्बन्ध में आवश्यक आज्ञायें पहली अप्रैल के शीघ्र बाद ही जारी हो जाना चाहिये ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां।

*४—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में जो नये जिला जजों की अदालतें सरकार ने मंजूर कीं उनके आज्ञा-पत्र किस तिथि को जारी हुये ?

श्री सैयद अली जहीर—वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में जो जिला जजों की अदालतें सरकार ने मंजूर कीं उनके आज्ञा-पत्र दिनांक ९ जुलाई, १९५५, को जारी किये गये।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ही इस प्रकार का आदेश जारी हो चुका था तो फिर यह अदालतें देर से खुलने का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह बात हाईकोर्ट से पूछी गयी थी तो उन्होंने कहा कि उनके पास काफी तादाद में सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज नहीं थे। इस वजह से वह अभी तक नहीं कर सके। अब नये रिक्तमेंट से नये मुन्सिफों की भरती हो जायगी तो अब यह जल्दी हो तर्कवरी हो जायगी।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह आज्ञा-पत्र किन जिलों में अदालतों के खोलने का जारी किया गया और क्या वहां पर जजों ने मुकदमे सुनना आरम्भ कर दिया है ?

श्री सैयद अली जहीर—मुकदमे तो हर जिले में सुने जाते हैं, लेकिन इस वक्त सवाल बिजनौर, मुजफ्फरनगर और बलिया का है, जहां पर नयी जजी कायम की गयी हैं।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन कचहरियों में कई महोने से न्यायाधीश नहीं भेजा गया, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—न्यायाधीश जिले में तो थे नहीं पहले। जिन जिलों में १९५५-५६ में जजी कायम होना तय पाया था तो अभी वहां पर नहीं भजे जा सके।

हिण्डन बांध योजना के सम्बन्ध में पूछताछ

*५—श्री राम चन्द्र विक्रम—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हिण्डन बांध योजना समाप्त की जा चुकी है या नहीं ?

श्री राम मूर्ति—हिण्डन बांध योजना समाप्त तो नहीं की गयी है, पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप निर्णय होन के पूर्व यह नहीं कहा जा सकता कि उसे लिया जा सकेगा या नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना का अन्तिम रूप कब तक निश्चय हो जायगा ?

श्री राम मूर्ति—अब करीब-करीब निश्चय ही हो गया है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूँ कि शुरू में सिंचाई विभाग के लिये करीब ७०-७२ करोड़ रुपये की स्कीम बनायी गयी थी, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने उसको काट दिया और वह रुपया बहुत कम कर दिया। ऐसी स्थिति में यह कुछ मुनासिब नहीं मालूम पड़ रहा है और शायद यह मुमकिन नहीं हो सके कि यह योजना ली जा सके।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सत्य है कि जनता के सामने माननीय सिंचाई मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों ने यह आश्वासन दिया था कि यह योजना अब समाप्त कर दी गयी है ?

श्री राम मूर्ति—यह इन शब्दों में तो नहीं कहा गया कि खत्म कर दी गई बल्कि जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि जो उनकी तकलीफ है उनका खयाल किया जायगा।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह हिन्डन बांध योजना कब प्रारम्भ की गयी और क्यों ?

श्री अध्यक्ष—यह आप बहुत पुराना इतिहास पूछ रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करग कि हिन्डन बांध योजना पर कुल कितनी खर्च होनवाली रकम थी ?

श्री राम मूर्ति—लगभग दो करोड़ रुपया।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी ने जो यह आश्वासन यहाँ सदन में दिया उसको अन्तिम समझा जाय कि यह योजना बन्द कर दी जायगी ?

श्री राम मूर्ति—सरकार का कोई निर्णय अन्तिम तो नहीं समझना चाहिये, लेकिन कोशिश इस बात की की जायगी कि वहाँ के लोगों को तकलीफ न हो।

लखनऊ में हैवलक रोड व बशीरतगंज मुहल्ले के सरकारी क्वार्टर

*६—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शहर लखनऊ के हैवलक रोड व बशीरतगंज नामक मुहल्ले में सरकारी क्वार्टर बनव यदि हां, तो वे कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी हां, इन क्वार्टरों के ३१ दिसम्बर, सन् १९५५, तक तैयार हो जान की आशा है।

*७—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—ये क्वार्टर्स कितन कर्मचारियों के लिये तैयार किये जा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह क्वार्टर्स मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए हैं चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों अथवा न हों।

*८—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनका allotment किस विभाग द्वारा किया जायेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह क्वार्टर कितन रुपय की लागत के बनाय जा रहे ह और कितन ह ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय 'बी' टाइप क्वार्टर पर १०,२२५ रुपये प्रति क्वार्टर। 'सी' टाइप पर ८,३५० रुपये प्रति क्वार्टर और 'डी' टाइप क्वार्टर पर ४,८०० रुपये प्रति क्वार्टर हैं।

इनका प्रश्न माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि यह कितने हैं। उस कबल लखनऊ में जो बने हैं उसकी संख्या देता हूँ। हवलक रोड पर ८ 'बी' टाइप और २८ 'सी' टाइप मकान बने हैं और वशीरतांज में ८ 'डी' और १०८ 'डी' टाइप बन रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार यह बतायेगी कि इन क्वार्टरों का किराया किस प्रकार से निर्दिष्ट किया जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—लागत पर प्रायः ६ प्रतिशत।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—इन क्वार्टरों में कितने कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर अभी दिया जा चुका है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिस प्रकार से लखनऊ में क्वार्टर बनाये जा रहे हैं उसी प्रकार से हर जिले में क्वार्टर बनाय जायेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अभी उत्तर प्रदेश के ८ जिले लिये हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार यह बतायेगी कि वे कौन-कौन जिले हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वे जिले इस प्रकार हैं—कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, बनारस, देहरादून, मेरठ और लखनऊ।

श्री द्वारका प्रसाद सौर्य—क्या सरकार बतायेगी कि इन क्वार्टरों की क्या लाइफ होगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह तो कठिन मालूम पड़ता है, इसके बारे में तो ज्योतिषी ही ज्यादा कह सकता है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन जिलों को किस आधार पर चुना गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जिले नहीं बल्कि आठ बड़े शहर लिये गये हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार यह बतायेगी कि इन क्वार्टरों का अलाटमेंट किस आधार पर किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि कानपुर में कितने क्वार्टरों बनेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कानपुर में 'ए' टाइप ३, 'बी' टाइप ४, 'सी' टाइप ७ और 'डी' टाइप २६ क्वार्टरों बनेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद सौर्य—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अगर इन क्वार्टरों की लाइफ ज्योतिषी ही बता सकते हैं तो फिर सरकार न यह ६ प्रतिशत किराया किस आधार पर लगाया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह बर्च के लिहाज से रक्खा गया है।

श्री द्वारका प्रसाद सौर्य—अगर बर्च पर लगाया गया है तो ६ प्रतिशत लगाने के बजाय १ या २ प्रतिशत क्यों नहीं लगाया गया ?

श्री अध्यक्ष—राज्य मन्त्रालय है यह आद विचार कर रहे हैं।

श्री कुमारका इराडा—जिस जगह पर मेरे पृष्ठ के सम्बन्ध में यह है कि किस प्रकार पर रजिस्ट्रार के अन्तर्गत में लाने पर अथवा कितने दिन रजिस्ट्रार रहने वाला है अथवा और कोई भी आधार है ?

श्री लक्ष्मीरजण आचार्य—जो मूद देना पड़ता है, जो खर्चा होता है और जितने दिन वह चल सकेगा. इन आधारों पर किराया निर्धारित किया जाता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या इन क्वार्टर्स के निर्माण में केन्द्रीय सरकार ने भी कोई धन प्रान्तीय सरकार को दिया है ?

श्री लक्ष्मीरजण आचार्य—इन क्वार्टर्स में २५ लाख रुपये प्रदेशीय सरकार ने अपने ही पास से लगाया है।

गोंडा जिले में तुलसीपुर टाउन एरिया कमेटी का निर्माण

*२—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या स्वायत्त शामन मन्त्री कृपा कर के बतायेगे कि गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील में स्थित तुलसीपुर कस्बे में टाउन एरिया कमेटी का निर्माण तथा निर्वाचन वह कब कराने जा रहे हैं ?

स्वशासन उप-मन्त्री (श्री कैलाश प्रकाश)—तुलसीपुर टाउन एरिया के बनाये जाने की विज्ञप्ति २२ अगस्त, १९५५, को जारी हुई। ये विज्ञप्ति २७ अगस्त के सरकारी गजट में प्रकाशित हुई थी। सरकार ने यहां पर निर्वाचन कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ कर दी है और आशा है कि मई तक या इससे भी कुछ पहले यहां कमेटी बन जायगी।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेगे कि निर्वाचन के लिए नामजदगी के पर्व कब लिए जायेंगे और क्या तुलसीपुर में कोई वार्ड इस हेतु बनाए गए हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—अभी कार्यवाही चल रही है, कोई तारीख नियत नहीं की गई है।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर के बतायेगे कि जब तक वहां चुनाव सम्पादित नहीं होते तब तक के लिए वहां कोई एडमिनिस्ट्रेटर रखा जायगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—अभी तो ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तुलसीपुर टाउन एरिया का चुनाव अब तक क्यों रुक रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश—तुलसीपुर गांव पंचायत थी उसको टाउन एरिया बनाया गया है और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि गजट में विज्ञप्ति जारी हुई है और चुनाव कराने की कार्यवाही वहां चल रही है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि तुलसीपुर कस्बे की कितनी आबादी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—आबादी के आंकड़ों के लिए सूचना चाहिए।

तुलसीपुर, जिला गोंडा में टाउन एरिया निर्माण के कारण पंचायत की समाप्ति

*१०—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या मन्त्री महोदय कृपया बतायेगे कि आगामी पंचायत चुनाव में गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील में तुलसीपुर कस्बे को यह पंचायत चुनाव से अलग रखने का विचार रखते हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

तुलसीपुर में टाउन एरिया की स्थापना हो जाने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्र में पंचायत के चुनाव की कार्यवाही समाप्त कर दी गई है।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि पंचायत द्वारा एकत्र किया हुआ टैक्स का रुपया या धनराशि टाउन एरिया के काम में लाई जायगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—टाउन एरिया स्थापित होने के बाद वहां के असेट्स और लाय-बिलिटीज का निबटारा और निर्णय कर दिया जायगा।

पचपेड़वा, जिला गोंडा में चुनाव न होना

*११—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पचपेड़वा कस्बा, तहसील बलरामपुर, जिला गोंडा, में वे टाउन एरिया कमेटी का चुनाव करा देने का विचार रखते हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—पचपेड़वा टाउन एरिया नहीं है, अतः वहां टाउन एरिया कमेटी के चुनाव कराने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि पचपेड़वा कस्बे का रंग-रूप शहरी है, देहाती नहीं है ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, न ऐसी कोई सूचना वहां से आई है।

*१२—श्री शिव पूजन राय (जिला गाजीपुर)—[२७ दिसम्बर, १९५५, के लिये स्थगित किया गया।]

*१३-१४—श्री राजवंशी (जिला देवरिया)—[२७ दिसम्बर, १९५५, के लिये स्थगित किये गये।]

फतेहपुर जिले में मेटौरा तथा रायबरेली जिले में राहपुर में गंगा नदी पर पुलों की आवश्यकता

*१५—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर में मेटौरा और रायबरेली में राहपुर के सामने गंगा नदी में सरकार पुल बनाने हेतु कोई योजना बना रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं।

श्री गुप्तार सिंह—क्या सरकार फतेहपुर जिले और रायबरेली जिले, जो दोनों गंगा तट पर बसे हैं और दोनों गल्ले की मंडी के लिए मशहूर हैं और जहां गल्ले के यातायात के हेतु कोई रास्ता नहीं है, इसलिए क्या राहपुर के सामने सरकार पुल बनाने पर फिर विचार करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं, इसका कारण यह है कि इन दोनों जिलों के बीच में इस स्थान से ज्यादा इम्पार्टेंट दूसरा और स्थान भी है, जहां पर राजमार्ग गंगा नदी को पार करते हैं और जिला नियोजन समिति ने भी इस स्थान पर पुल बनाने की कोई सिफारिश नहीं की। इसके अतिरिक्त जिस स्थान पर यह पुल माननीय सदस्य द्वारा कहा गया है वह स्थान न तो प्रान्तीय राजमार्ग पर है और न राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। इन सब कारणों से इस स्थान पर पुल बनाने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि राजमार्ग से उनका क्या मंशा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रान्तीय राजमार्ग तो प्राविशियल हाईवेज कहलाते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज।

*१६-१७—श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—[१० जनवरी, १९५६, के लिये स्थगित किये गये।]

*१८—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—[१० जनवरी, १९५६, के लिये स्थगित किये गये।]

*१९-२१—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[१० जनवरी, १९५६, के लिये स्थगित किये गये।]

*२२-२३—श्री शिववक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)—[१० जनवरी, १९५६, के लिये स्थगित किये गये।]

*२४—श्री रामेश्वर लाल—[२७ दिसम्बर, १९५५, के लिए स्थगित किया गया।]

*२५—श्री रामेश्वर लाल—[२८ दिसम्बर, १९५५, के लिए प्रश्न १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बलिया जिले में गांवों की भूमि का स्तर ऊंचा करने का कार्य

*२६—श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी इस साल बाढ़ से रक्षार्थ जिला बलिया में कितने गांवों के भूमि स्तर (level) ऊंचा करने की योजना स्वीकार की गई है?

श्री राम मूर्ति—इस साल सरकार ने बलिया जिले में १७४ जलमग्न ग्रामों की भूमि के स्तर को ऊंचा करने की योजना स्वीकार की है।

*२७—श्री राधामोहन सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस सम्बन्ध में सरकारी आदेश कब जारी किए गए थे और कितने गांवों की भूमि-स्तर ऊंचा किया जा चुका है? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री राम मूर्ति—उक्त योजना पर कार्य आरम्भ करने के आदेश २४ अगस्त, १९५५, को जारी हुए थे।

इस साल अधिक वर्षा होने के कारण १७४ जलमग्न ग्रामों के स्तर को ऊंचा करने का कार्य वर्षा ऋतु के समाप्त होने के पूर्व प्रारम्भ नहीं किया जा सका। अब २५ ग्रामों में कार्य उन्नति पर है और बाकी ग्रामों पर कार्य हाथ में लिया जा रहा है।

*२८—श्री राधामोहन सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांवों के भूमि-स्तर ऊंचा करने का कार्य कब तक समाप्त हो जावेगा?

श्री राम मूर्ति—११० ग्रामों पर कार्य जून, १९५६, तक पूर्ण हो जावेगा और बाकी ६४ ग्रामों पर कार्य जून, १९५७, तक समाप्त होगा।

श्री राधामोहन सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन ग्रामों के स्तर को ऊंचा करने का कार्य ठेकेदारों द्वारा हो रहा है या ग्राम पंचायतों के द्वारा?

श्री राम मूर्ति—इस बात का खयाल रखा जाता है और आदेश इस बात के हैं कि जहां तक हो सके वहां तक ग्राम पंचायतों के जरिये से ही यह काम कराया जाय।

श्री राधामोहन सिंह—इस सरकार बनाने की कृपा करेगी कि बेरिया से आगे संसारकोशा तक सारे ग्रामों का स्तर नोचा है उनके ठीके काम कर से आरम्भ होने जा रहा है ?

श्री राम मूर्ति—अध्यक्ष महोदय, गांवों का विचार करके तो सवाल पूछे नहीं गए हैं। इसलिये उनके उत्तर भी नहीं आये हैं। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि कुछ ग्राम जो टोंस नदी के किनारे थे और उनमें स्तर ऊंचा करने का कार्य हो रहा था वह रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम मूर्ति—काम होते-होते अगर रोक दिया गया है तो उसके माने यह है कि पंचायत के लोग शायद काफी मजदूरों को नहीं पा रहे हैं, इसलिये काम रुक गया है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों के लिये भी गांवों को ऊंचा करने के आदेश भेजे गए हैं ?

श्री राम मूर्ति—जहां जरूरत है वहां सब जगह ऐसे आदेश जारी किए गए हैं।

आजमगढ़ जिला बोर्ड को बाढ़-पीड़ितों के लिए सहायता

*२९—श्री उमा शंकर—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पिछले तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने जिला बोर्ड, आजमगढ़, को कितना धन बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में खर्च करने को दिया ?

श्री कैलाश प्रकाश—सरकार ने पिछले वर्ष १९५४-५५ में ७५,००० रु० जिला बोर्ड, आजमगढ़, को बाढ़ से क्षतिग्रस्त बोर्ड की सड़कों और इमारतों की मरम्मत के लिये दिया था। इस वर्ष अभी इस हेतु कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

श्री उमा शंकर—क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि यह रुपया बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की सड़कों पर और इमारतों पर नहीं खर्च किया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—कई बार इस सदन में इसका उत्तर दिया जा चुका है कि सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में आजमगढ़ जिले में बाढ़ पीड़ित सड़कों और भवनों की मरम्मत के लिये सरकार कितना रुपया देने जा रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह प्रश्न अभी विचाराधीन है। कोई निर्णय अभी तक इस पर नहीं हुआ है।

श्री ब्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला बोर्ड ने १३ लाख रुपए की बाढ़ पीड़ित भवनों और सड़कों के निर्माण—हेतु मांग की है ?

श्री कैलाश प्रकाश—मांग अवश्य की है। कितने की मांग की है इसकी मुझे सूचना नहीं है। सब जगह से सूचना एकत्रित की जा रही है और उस सूचना के प्राप्त हो जाने पर इस बात का निर्णय होगा कि किस जगह को कितना-कितना अनुदान दिया जाय।

श्री ब्रज द्विहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि कब तक यह अंतिम निर्णय हो जायगा कि कितना रुपया इन जिला बोर्डों के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की पूर्ति के लिये दिया जायगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—मैंने निवेदन किया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। आशा यह है कि यह सूचना शीघ्र ही आ जायगी और तभी निर्णय कर दिया जायगा।

कालाढुंगी-नैनीताल आउटर रोड बनवाने के लिए नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड की मांग

*३०—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जी के पास नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड की यह मांग आई है कि कालाढुंगी-नैनीताल-आउटर रोड का निर्माण किया जावे ? अगर हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड की यह मांग निर्माण मंत्री के पास आई है।

सरकार ने यह निश्चय किया है कि जब तक जिले की अन्य महत्वपूर्ण सड़कें न बन जायं, इस सड़क का निर्माण सम्भव नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार यह बतलायेंगी कि जिले की अन्य कौन सी सड़कें हैं, जिनका निर्माण सरकार इस सड़क के निर्माण के पहले करना चाहती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि इस सड़क के निर्माण-हेतु जिला नियोजन समिति ने भी कोई सिफारिश सरकार के पास भेजी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, जिला नियोजन समिति ने भी इस बात की प्रार्थना की थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि अभी ग्रीष्म ऋतु में जिला नियोजन समिति को सम्बोधित करते हुए वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने स्वतः इस सड़क के निर्माण की आवश्यकता बतलाई थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसका ज्ञान मुझे नहीं है।

म्युनिसिपल बोर्ड, जालौन की वाटर वर्क्स के लिए मांग

*३१—श्री बसन्त लाल (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड, जालौन ने वाटर वर्क्स बनाने की सरकार से मांग की है ? अगर हां, तो सरकार की तरफ से इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, जालौन म्युनिसिपल बोर्ड ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग विभाग में जालौन में वाटर वर्क्स बनाने के बारे में पूछ-ताछ की थी। इसके उत्तर में बोर्ड से कहा गया था कि जालौन वाटर वर्क्स की लागत लगभग ३ लाख रुपए की होगी और वह detailed project बनाने की फीस तुरन्त जमा कर दे। परन्तु बोर्ड ने अभी तक यह फीस नहीं जमा की है। बोर्ड को सरकार ने भी हाल में यह आदेश दिया है कि वह Chief Engineer की फीस फौरन जमा कर दे जिससे कि detailed project शीघ्र बनाया जा सके।

श्री बसन्त लाल—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि वाटर वर्क्स का डिटेल्ड प्रोजेक्ट बनाने के लिये म्युनिसिपल बोर्ड, जालौन, को चीफ इंजीनियर के लिये कितनी फीस जमा करनी पड़ेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—उनसे कहा गया है कि ५ हजार रुपए जमा करें।

श्री बसन्त लाल—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि चीफ इंजीनियर की फीस जमा करने के लिये म्युनिसिपल बोर्ड, जालौन, को किस तिथि को नोटिस दिया गया था और वहां से क्या जवाब आया ?

श्री कैलाश प्रकाश—तिथि तो इस समय याद नहीं है। किन्तु जालौन म्युनिसिपल बोर्ड ने यह देखा कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिये अभी तक फीस जमा नहीं की।

श्री राम चन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि सरकार जालौन म्युनिसिपल बोर्ड के इस वाटर वर्क्स के लिये कुछ आर्थिक सहायता के देने के लिये भी विचार रखती है ?

श्री कैलाश प्रकाश—वाटर वर्क्स के लिये सरकार सहायता देती है और जालौन को भी दे सकती है, किन्तु उसे सहायता देने के पहले यह आवश्यक है कि डिटेल्ड एस्टिमेंट बन जाय। डिटेल्ड एस्टिमेंट बनने के बाद जब यह पब्लिक हेल्थ बोर्ड द्वारा स्वीकृत हो जाय तब सरकार सहायता या लोन देती है।

बाराबंकी जिले में गोमती नदी के नैपुरा घाट पर पुल निर्माण की स्वीकृति

*३२—श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—क्या यह सही है कि सरकार इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बाराबंकी जिले में तहसील हैदरगढ़ के गोमती नदी के नैपुराघाट व औसानेश्वर घाट पर पक्का पुल बनवाने जा रही है ? यदि हां, तो वह कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—नैपुराघाट के निकट पुल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। औसानेश्वर घाट पर पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। इस पुल के आगणन भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजे गए हैं। वह स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य आरम्भ किया जायगा।

श्री उमाशंकर मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि औसानेश्वर घाट रोड से, नैपुराघाट का जो पक्का पुल बन रहा है, दोनों रोडों को मिलाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां। इस पर तो विचार किया जा रहा है।

*३३—श्री उमा शंकर मिश्र—[२७ दिसम्बर, १९५५, के लिये स्थगित किया गया।]

लखनऊ—सुल्तानपुर रेलवे लाइन के कारण हैदरगढ़ झील के पानी से हानि

*३४—श्री उमाशंकर मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष नई रेलवे लाइन लखनऊ-सुल्तानपुर के स्टेशन हैदरगढ़ के निकट हैदरगढ़ झील के पास पुल न होने के कारण अति बृष्टि ने कई गांवों को बहा दिया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—रेलवे लाइन में पानी का ठीक निकास न होने के कारण झील के पानी से आस-पास के कुछ गांवों को नुकसान पहुंचा है।

श्री उमा शंकर मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त झील की बाढ़ में सरकारी पोस्ट आफिस, स्कूल और अस्पताल महीनों तक पानी से भरे रहे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सम्भव है जैसा माननीय सदस्य कहते हैं, किन्तु इसके लिये मुझे उत्तर देने के लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री उमा शंकर मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त झील का पानी निकालने के हेतु सरकार कोई उचित प्रबन्ध करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैंने तो उत्तर दिया, श्रीमान्, यह मड़क और रेलवे लाइन के बीच में यह झील है और इसका बहाव रेलवे लाइन की तरफ है। इसलिये इसका प्रबन्ध सेंट्रल रेलवे के अधिकारी कर सकेंगे। रेलवे अधिकारियों को इस संबंध में लिखा गया है।

*३५—३६—**श्री राम भजन (जिला खीरी)**—[१० जनवरी, १९५६, के लिये स्थगित किए गए।]

*३७—**श्री व्रज बिहारी मिश्र**—[३ जनवरी, १९५६, के लिये स्थगित किया गया।]

अयोध्या में सरयू पर पुल निर्माण का आयोजन

*३८—**श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फतेहाबाद) (अनुपस्थित)**—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या में सरयू नदी पर पुल बनाने की योजना के बारे में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—पुल बनाने के लिये नाप-जोख (सर्वे) हो चुका है तथा उसका लिये उचित स्थान तथा सड़कों के विषय में निश्चय किया जा चुका है। पुल से संबंधित सड़कों तथा नदी का बहाव ठीक करने के लिये एस्टीमेट तैयार किये जा चुके हैं तथा केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजे गए हैं। पुल का डिजाइन तथा एस्टीमेट विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो तैयार होने के बाद केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा जायगा।

*३९—**श्री राम नारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)**—इस योजना के खर्च का तख्तीना क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस योजना में १७८.५० लाख रुपया खर्च होने का अनुमान किया जाता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह पुल बनना कब से शुरू हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय डिजाइन इत्यादि तैयार किया जा रहा है। इसके पश्चात् सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा जायगा। जब वहां से स्वीकृत हो जायगा तब कार्य प्रारम्भ होगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अयोध्या के पुल निर्माण में केंद्रीय सरकार भी कुछ सहायता दे रही है? यदि हां, तो कितनी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस सम्पूर्ण व्यय रखरखाव के लिये और बनाने के लिये कन्द्रीय सरकार ही देगी क्योंकि यह नेशनल हाई वे पर पड़ता है।

श्री राम सुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका एस्टीमेट कब तक बनकर तैयार हो जायगा?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, उत्तर में ही आया है कि पुल से संबंधित सड़कें और नदी को ठीक आदि करने के एस्टीमेट बन चुके हैं।

सूचना विभाग की नई नियुक्तियों में अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के व्यक्ति

*४०—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष जनवरी, सन् १९५५ ई०, से अब तक सूचना विभाग में किन-किन पदों पर कितनी-कितनी नई नियुक्तियां हुई हैं और उनमें कितने अनुसूचित तथा कितने पिछड़ी जाति के हैं?

सूचना-मंत्री के सभा सचिव (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—वांछित सूचना संलग्न व्यौरे में दी हुई है।

(देखिए नत्थी “ख” आगे पृष्ठ १६४ पर)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—संलग्न सूची में नियुक्तियों की संख्या ७१ है। उनमें अनुसूचित जाति में एक पत्रकार है और निम्न श्रेणी में १ अनुसूचित जाति का है और २ पिछड़ी जाति के। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह केवल दो अनुसूचित और दो पिछड़ी जाति के ही लोग क्यों रखे गए ७१ में और यह चुनाव किसके द्वारा किया गया?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—इसमें कुछ तो ऐसे जगहें थीं, जहां विशिष्ट योग्यता की जरूरत थी। उसके लिये विज्ञापन हुआ और विज्ञापन के बाद उसकी कमेटी बनी। उससे चुनाव हुआ। कुछ जगहें ऐसी थीं। जहां पर कि पहले से दरखास्तें रहती हैं विभाग में, उन्हीं में से लोग चुन लिये गए। पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के लोग जो कम आये उसकी वजह यह है कि कुछ तो निर्धारित योग्यता जो थी, वहां तक लोग थे नहीं और कुछ लोग इम्तहान में शामिल नहीं हुए या कमेटी के सामने नहीं आ सके। इस वजह से नहीं हो सके।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—किसके द्वारा चुनाव हुआ, यह बता दिया जाय।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—पहले ही बता दिया कि जिन जगहों के लिये विज्ञापन हुआ था, उसके लिये एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के ही द्वारा हुआ, विभागीय कमेटी थी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या उस कमेटी को यह आदेश या यह सूचना दे दी गयी थी कि चुनाव के समय १८ फीसदी अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों को विशेष रूप से चुन जाने पर ध्यान दिया जाय, इस बात की सूचना क्या सरकार द्वारा दी गयी थी?

श्री राम मूर्ति—अध्यक्ष महोदय, सूचना विभाग में यह आदेश दे दिए गए हैं कि यदि बैंकवर्ड क्लासेज और ग्रेड्यूल्ड क्लासेज के लोग ज्यादा तादाद में आये और क्वालीफाइड हों तो जो निर्धारित जगह हैं, उनसे भी अधिक ले सकते हैं। लेकिन बड़ी बटकिस्मती की बात यह है कि उतने लोग आ नहीं पाते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी अगर ज्यादा में ज्यादा लोग आये और हम उनको लें।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सूची प्रस्तुत है माननीय सदस्य के सम्मुख और जिसका विज्ञापन किया गया, वे कौन-कौन से पद हैं सूचना विभाग के जिनके लिये विज्ञापन किया गया ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—निरीक्षक के लिये विज्ञापन किया गया, पत्रकार, न्यूज आफिसर, अतिस्टैंट फोटोग्राफर, अतिरिक्त रेडियो इंजीनियर, सहायक टेक्नोशियन, रेडियो इंस्पेक्टर।

श्री ब्रज भूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि इन पदों के लिये कितने अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के लोगों के आवेदन-पत्र आये थे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—निरीक्षक के लिये अनुसूचित आये ६ और पिछड़ी जाति के २। पत्रकार के लिये अनुसूचित २ और पिछड़ी जाति का कोई नहीं। बंडल लिफ्टर के लिये १ आया था पिछड़ी जाति का। सहायक के लिये १ अनुसूचित। टेक्नोशियन के लिए १ पिछड़ी जाति। रेडियो इंस्पेक्टर के लिये २ अनुसूचित और १ पिछड़ी जाति का। निम्न श्रेणी के लिये ६ अनुसूचित और ४ पिछड़ी जाति के।

श्री द्वारका प्रसाद सौर्य—जिन १८ पदों की क्रम-संख्या है तो जिन पर विज्ञापन नहीं जारी किया गया था, उसके चुनाव कैसे किए गए ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—पहले ही बता दिया गया कि कुछ दरखास्ते विभाग पहले ही से रख लिया करता है और उसमें से चुन करके कर दिया जाता है, जिनका विज्ञापन नहीं हुआ है, उन जगहों का।

*४१—**श्री शिव पूजन राय**—[२७ दिसम्बर, १९५५. के लिये स्थगित किया गया।]

*४२—**श्री ब्रज विहारी मेहरोत्रा** (जिला कानपुर)—[१० जनवरी, १९५६. के लिए स्थगित किए गए।]

*४५—**श्री रघुवीर सिंह** (जिला मेरठ)—[३ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

नजीबाबाद और सहारनपुर के बीच मालन नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति

*४६—**श्री रतन लाल जैन** (जिला बिजनौर)—क्या सरकार जिला बिजनौर में नजीबाबाद और सहारनपुर के बीच मालन नदी पर पुल बनाने का विचार करती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—नजीबाबाद-नागल मार्ग में मालन नदी पर पुल का निर्माण स्वीकृत हो चुका है।

श्री रतन लाल जैन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह पुल बनाना कब में शुरू हो जायगा और कितने असे में समाप्त हो जायगा ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—बहुत शीघ्र होने वाला है और प्रारम्भ होने के बाद जब तक समाप्त हो सकेगा तब तक समाप्त हो जायगा, यानी जल्दी ही जायगा।

श्री ब्रज भूयज मिश्र—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुल कितनी लागत है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कदल पुल नहीं बल्कि यह नदी का पुल है। पुल का निर्माण करने में लागत ९५ हजार रुपये खर्च होगा। इस पुल की लागत १० हजार की लागत का होगा।

हरद्वार से निकल गंगा नहर के चंडीरेज से कुलों के लिये जी विभाग

*४७—श्री दीन दयालु शास्त्री (जिन साहयगढ़)---क्या मंत्री जी कि गंगा नहर के हरद्वार से निकल दंड, रेज, ज अवधि में नहर विभाग के कुलों, पानी का काटे गए थे ?

श्री राम मूर्ति—जी नहीं। चंडी वन से थोड़े पेड़ उचिन स्वीकृति में निगल नहीं काटा गया।

*४८—श्री दीन दयालु शास्त्री—यदि हां, तो क्या सरकार बतलायेगी कि उन पेड़ों की संख्या कितनी थी और उनकी क्या कीमत थी ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न नहीं उठता।

*४९—श्री दीन दयालु शास्त्री—क्या सरकार बतलायेगी कि इसके लिये कान जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न नहीं उठता।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या माननीय मंत्री महोदय को ऐसी कोई रिपोर्ट मिली थी कि एक ओवरसियर ने कई सौ पेड़ गंगा नहर के जंगल में से बिना नहर विभाग की स्वीकृति के काटे हैं ?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी हो गई है। नहर विभाग का यह कायदा है कि चंडी के पास जो वन है, वह वर्षा ऋतु के पश्चात् उसमें कटान किया जाता है। पेड़ों का काटना क्योंकि जब बहुत घना जंगल हो जाता है तो पेड़ों का बचाव खर्च जाता है। इसलिये बीच बीच में पेड़ काटे दिए जाते हैं और जो पेड़ काटे जाते हैं वे नहर विभाग के कर्मचारियों के लिए एक निर्धारित कीमत पर बेच दिए जाते हैं।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सच है कि मंत्री महोदय पिछली बार जब हरद्वार गए थे तब उन्होंने चीफ इंजीनियर से इस मामले में पूछा था और इंजीनियर साहब ने कहा था कि उसे विभागीय दंड दे दिया गया है ?

श्री राम मूर्ति—इसकी तो इस वक्त मेरे पास कोई इत्तिला नहीं है। मैं इसके लिये सूचना चाहता हूँ। फिर बता दूंगा।

श्री दीन दयालु शास्त्री—क्या माननीय मंत्री महोदय मेरे इस प्रश्न को नोटिस समझकर उचित जांच द्वारा कर लेंगे ?

श्री राम मूर्ति—इसमें जांच का तो कोई प्रश्न नहीं है। मैंने कहा कि यह तो हरसाल काटा जाता है।

बरेली जिले में सिंचाई के कार्य में प्रगति

*५०--श्री नरथ सिंह (जिला बरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में कितने एकड़ जमीन पर लाइन होनी है और प्रथम पंचवर्षीय योजना में पहले कितने एकड़ जमीन पर सिंचाई का प्रयत्न है ?

श्री रामजीर्न--बरेली जिले में लगभग ७७८० एकड़ खेत योग्य भूमि है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में पहले सरकारी साधनों से २९३,४७४ एकड़ भूमि की सिंचाई प्रबन्ध में है।

*५१--श्री नरथ सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में बरेली जिले की कितने एकड़ नए रकबा की सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है? उसमें कितना खर्च करने का अनुमान है और कितना रकबा प्रबन्ध के लिये बाकी रह जायगा ?

श्री रामजीर्न--प्रथम पंचवर्षीय योजना में अन्तर्गत बरेली जिले में ४०,८५८ एकड़ उप क्षेत्र का सरकारी साधनों द्वारा सिंचाई का प्रबन्ध हो जायगा। इसके पश्चात् ५४,६६७ एकड़ क्षेत्र का सिंचाई का प्रबन्ध करने के लिये रह जायगा। बरेली जिले में सिंचाई साधनों पर खर्च का व्यय देना सम्भव नहीं है क्योंकि हिसाब प्रोजेक्टवार रखा जाता है, जिसेवार नहीं।

*५२--५३--श्री राज कुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--[२७ दिसम्बर, १९५७, के लिए स्थगित किए गए।]

*५४--५६--श्री मुहम्मद तकी खान (जिला मुरादाबाद)--[१० जनवरी, १९५८, के लिये स्थगित किए गए।]

सभापतिवार नामक क्षेत्र को बरेली नगरपालिका में मिलान के लिए प्रार्थना

*५७--श्री जगदीश नरन (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को विदित है कि बरेली नगर में लाइन पार एरिया जिम्मेदार सभापतिवार भी कहते हैं वहाँ के रहने वाले ने एरिया की अवस्था को दूर करने के निमित्त उनकी नगरपालिका के क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के लिये सभापतिवार में प्रार्थना की है ?

श्री कलश प्रकाश--जी हाँ।

*५८--श्री जगदीश नरन (अनुपस्थित)--यदि हाँ, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कलश प्रकाश--सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से उपाय (१) के अन्तर्गत सभापतिवार क्षेत्रों को नगरपालिका में सम्मिलित करने का प्रस्ताव विचारित किया जा रहा है और उक्त सभापतिवारों में प्रार्थना की जा रही है।

*५९--श्री जगदीश नरन (जिला बरेली)--क्या सरकार को बरेली कृषि क्षेत्र में प्रगति का अंदाजा है ?

श्री कलश प्रकाश--शीघ्र ही पूरा होने की आशा है।

श्री जगदीश नरन--क्या सरकार जनश्रेणी कि कितने दिनों से प्रथम फाइन प्रगति रही है ?

नोट--सारांकित प्रश्न ५७-५८ श्री धर्म दत्त वैद्य ने पूछे।

श्री कैलाश प्रकाश—फायल कितने दिनों से चल रही है यह तो माननीय सदस्य को मालूम होगा। एक तो वहां से मांग आई और फिर ऐतराजात लिये गए, रिपोर्ट मांगी गई, वह आई और उसका निरीक्षण किया जा रहा है, इस कारण देर लगी।

श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या इस वर्ष तक यह कार्य पूरा हो सकेगा ?

श्री सैयद अली जहीर—इसमें दिक्कतें यह हैं कि थोड़ा सा यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताल्लिक है और उन्हें भी राय देना है, इसलिये देर हो रही है। जैसे ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जवाब आ जायगा, कार्यवाही की जायगी।

कोंच नगरपालिका को प्रदत्त के अनुदान डुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायत

*५९—श्री चित्तर सिंह निरंजन (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नगरपालिका कोंच (जालौन) को सन् १९५२, ५३, ५४ और ५५ में किस मद में कितना अनुदान मिला है और क्या उक्त नगरपालिका ने उक्त अनुदानों की रकम का पूरा-पूरा उपयोग किया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—नगरपालिका, कोंच को सन् १९५२, ५३, ५४ और ५५ में दिए गए अनुदानों और उनके मदों का विवरण निम्नांकित है:—

सन् १९५२-५३ —		रु०
(१) गरानी भत्ता के लिए	९,७०३
(२) सड़कों की मरम्मत के लिए	३०,०००
(३) शिक्षा कार्य	१४,८१२
सन् १९५३-५४ —		
(१) गरानी भत्ता के लिए	८,९३४
(२) शिक्षा कार्य	१६,६२४
सन् १९५४-५५ —		
(१) गरानी भत्ता के लिए	८,८१६
(२) शिक्षा कार्य	१६,२३८
(३) सड़कों की मरम्मत के लिए	११,१००

उक्त अनुदानों में से गरानी भत्ता तथा शिक्षा कार्य के लिये दिए गए अनुदानों की रकम का पूरा-पूरा उपयोग किया जा चुका है।

सन् १९५२-५३ में सड़कों की मरम्मत के लिये ३०,००० रु० के लिए हुए अनुदान में से २३,९४० रु० व्यय किया जा चुका है और ६,०६० रु० बाकी है तथा १९५४-५५ में सड़कों की मरम्मत के लिये दिए गये अनुदान में से अभी कुछ भी उपयोग नहीं हुआ है।

*६०—श्री चित्तर सिंह निरंजन (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास उक्त बोर्ड के खिलाफ उक्त रकम के डुरुपयोग करने की शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ५९—६० श्री बसन्त लाल ने

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—मैं आपका आभारी हूँ। इसके साथ ही मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो क्रम-संख्या ३ पर मेरा संशोधन है उसको पहिले ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह खंड ३ के बाद में ही आयगा।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ३—अ

*श्री मदन गोपाल वैद्य—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ३ के बाद एक नया खंड ३-अ निम्न रूप में रख दिया जाय—

“३-अ—मूल अधिनियम की धारा (१) के भाग (ii) में से शब्द “Except the Jaunpur-Bawar pargana of Dehradun District and the portion of the Mirzapur district south of Kaimur Range.” निकाल दिये जायें। इस प्रस्ताव को पास करने से मूल अधिनियम का प्रवेश सारे प्रदेश में हो जायगा।

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो माननीय सदस्य ने पेश किया है इसकी आवश्यकता नहीं है। मूल अधिनियम के पार्ट ३ के खंड ४९ में जो विया हुआ है, उसमें प्रदेशीय सरकार को अधिकार है कि वह इस विधेयक के हिस्से को प्रदेश के किसी भाग में किसी खंड को लागू कर सकती है। इण्डियन अडप्टेशन ऐक्ट के मातहत प्रान्तीय सरकार को वह हक हासिल है। जहाँ तक इस पार्ट ३ का सवाल है वह हमारे प्रदेश के सारे हिस्सों में लागू नहीं है। जहाँ तक जौनसार-बावर का सवाल है वह पूरे अधिनियम को नहीं इसके किसी हिस्से को जौनसार-बावर में इण्डियन एडप्टेशन ऐक्ट के मातहत लागू कर दिया गया है। इसलिये यहाँ इस संशोधन का लाना अनावश्यक है। मैं माननीय सदस्य से दरखास्त करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री मदन गोपाल वैद्य—मैं इस संशोधन को वापस लेता हूँ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं माननीय वैद्य जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

श्री बनारसीदास—इसको वापस ले लिया गया है फिर बोलने की क्या आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—मैंने उनको बुलाया नहीं था इसके पहिले ही उन्होंने इसको वापस ले लिया वैसे दूसरे सदस्यों को इस पर बोलने का अधिकार तो है ही।

श्री नारायण दत्त तिवारी—इस संशोधन के मातहत इतना आवश्यक है कि जो मूल अधिनियम की धारा १ है उसको यह स्पष्ट कर देता है। तो यह सारे उत्तर प्रदेश में लागू रहेगा। माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है वह बड़ा धुमाव-फिराव वाला स्पष्टीकरण है। एक सीधे प्रकार का स्पष्टीकरण यहाँ दे दे और इसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

जौनसार-वाइर और मिर्जापुर जिलों के हिस्सों में भी लागू कर दें। मैं समझता हूँ कि यह इतना सीधा मवाल है कि न तो इसको माननीय वैद्य जी को ही वापस लेना चाहिये और न माननीय मंत्री जी को भी इसके संजूर करने से इनकार करना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने जिन धाराओं का हवाला दिया वह लागू नहीं होंगी जब तक धारा १ की उपधारा (१) में इस संशोधन को नहीं करते हैं।

श्री सदन गोपाल वैद्य—मैं इस संशोधन को वापस लेता हूँ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया।)

खंड ४

४—मूल अधिनियम की धारा २ में खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (iii-a) तथा (iii-b) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

“(iii-a) “State Government” means the Government of Uttar Pradesh;

“(iii-b) “Faculty” means “Faculty of Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine” constituted under section 36-A :

श्री सदन गोपाल वैद्य—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ४ के अन्त में नये उपखंड

(क), (ख) तथा (ग) निम्न रूप में बढ़ा दिये जायें—

“(क) मूल अधिनियम की धारा २ (x) के अन्त में शब्द “and surgery” बढ़ा दिए जायें।

(ख) मूल अधिनियम की धारा २ (xi) के अन्त में शब्द “and surgery” बढ़ा दिए जायें।

(ग) मूल अधिनियम की धारा २ की (उपधारा (xii) तथा (xiii) निकाल दी जायें।”

इन संशोधनों के द्वारा वैद्यों और हकीमों की परिभाषा को संशोधित किया गया है। जो सर्वत्र शब्द सरकार ने निकाल दिया था और उससे जो हानि होती थी उसकी यह संशोधन पूर्ति करता है। खंड (क) और (ख) पास हो जाने के बाद धारा (२) की उपधारा (१२) और (१३) की आवश्यकता नहीं रह जाती, इसलिये उनको निकालने का प्रस्ताव किया गया है। मैं आज्ञा करता हूँ कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी।

श्री कलारत्नी दाम—अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अजय—मैं यह कहना चाहता हूँ कि खंड ४ के अन्त में उपखंड का (क) (ख) और (ग) इस जगह में नहीं आयेगे, संशोधन यह दिया हुआ है कि खंड ३ के अन्त में नए उपखंड (क), (ख) तथा (ग) के रूप में बढ़ा दिए जायें। लेकिन वह (iii-c) (iii-d) तथा (iii-e) को शकल में आयेगे। इतना परिपक्वता में स्थय कर दूंगा।

(एक क्षण के अनंतर) अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ।

प्रश्न यह है कि खंड ४ के अन्त में नये उपखंड (iii-c), (iii-d) तथा (iii-e) निम्न रूप में बढ़ा दिए जायें—

“(iii-c) मूल अधिनियम की धारा २ (x) के अन्त में शब्द and surgery” बढ़ा दिए जायें।

((iii-d) मूल अधिनियम की धारा 2(xi) के अन्त में शब्द and surgery बढ़ा दिए जायें।

((iii-e) मूल अधिनियम की धारा २ की उपधारा (xii) तथा (xiii) निकाल दी जाय।”

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय :

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

५—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

“ 5. (1) The Board shall consist of the following members (including the President)—

- (i) a President to be nominated by the State Government ;
- (ii) five members to be nominated by the State Government ;
- (iii) one member elected in the prescribed manner by each of the Universities established by Law in Uttar Pradesh and having a Faculty of Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine ;
- (iv) two members representing Ayurvedic Educational Institutions of Uttar Pradesh to be elected, in the prescribed manner by the teachers of such Institutions as are affiliated to the Board ;
- (v) one member representing Unani Educational Institutions of Uttar Pradesh to be elected, in the prescribed manner, by the teachers of such institutions as are affiliated to the Board ; and
- (vi) nine members (6 Vaidas and 3 Hakims) to be elected, in the prescribed manner, by the registered Vaidas and Hakims, respectively, of Uttar Pradesh.

(2) the Board shall elect one of its members to be the Vice-President.”

(श्री तेजप्रताप सिंह के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—यह संशोधन तो जोरावर वर्मा के नाम में है . आपके नाम में नहीं है। वह नहीं है क्या उन्होंने आपको अधिकार दे दिया है ?

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—जी हां।

श्री पी०
कुंज १०,
१९५९ की
धारा ५ का
संशोधन।

[श्री तेजप्रताप सिंह]

(एक क्षण के अनन्तर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूँ कि खंड ५ निम्न रूप में रख दिया जाय :—

“ 5. (1) The Board shall consist of the following members :

(i) A President to be elected by the members of the Board from amongst its members.

(ii) Four members nominated by the State Government of whom one shall belong to a Scheduled Caste, one shall belong to a Backward Class, one shall be a Vaidya and one a Hakim, who have attained high distinction in the practice of their profession.

(iii) Two members elected by the State Legislative Assembly from amongst its members.

(iv) One member elected by the State Legislative Council from amongst its members.

(v) Two members elected by all the members of the District Boards of the State in the prescribed manner.

(vi) One member elected by all the members of the Municipal Boards of the State in the prescribed manner.

(vii) One member elected in the prescribed manner by each of the Universities established by Law in the State and having a Faculty of Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine.

(viii) Two members representing Ayurvedic Education and Institutions of the State to be elected in the prescribed manner by the teachers of such institutions as are affiliated to the Board.

(ix) One member representing Unani Education Institution of the State Government to be elected, in the prescribed manner, by the teachers of such institutions are affiliated to the Board.

(x) Seven members (4 Vaidys and 3 Hakims not in the service of the State Government or local bodies.

(2) The Board shall elect one of its members to be the Vice-President.”

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक के द्वारा हमारे इस बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन को रिफॉर्म किया गया है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि इस संशोधन विधेयक को लाने का खास मकसद एक तो बोर्ड को रिफॉर्म करना था और दूसरे आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा पद्धति की शिक्षा के लिये फैकल्टी क्रियेट करना था। बोर्ड को यहाँ रिफॉर्म किया गया है। आप देखेंगे कि खेर कमेटी जिसने सन् ४८ में रिपोर्ट दी थी उसने अपनी सिफारिशों में यह बतलाया है कि इस बोर्ड की पावर्स को कंट्रोल कर दिया जाय और जो बोर्ड रिफॉर्म किया जाय उसमें कौन-कौन से मेम्बर हों और किस प्रकार उसका संगठन हो। मैं एक-एक करके लेना चाहता हूँ। जो मैंने संशोधन रक्खा है वह किसलिये, किस आधार पर और क्यों रक्खा है? पहले आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट जो बोर्ड का एक विशेष पदाधिकारी होगा उसके लिये खेर कमेटी ने सिफारिश की थी कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, मेम्बर्स के द्वारा, लेकिन इस प्रस्तुत संशोधन विधेयक में बोर्ड के प्रेसी-

डेट को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नामिनेटेड रक्खा गया है। समझ में नहीं आता कि आखिर वे क्यों मे कारण हैं जिनके द्वारा गवर्नमेंट यह शक्ति चाहती है कि वह बोर्ड के प्रेसीडेंट को नामिनेट करे। जो हमारा बोर्ड अभी तक था वह किस तरह काम कर रहा था? क्या-क्या कामियां थीं? और यह जो कांस्टीट्यूशन बदल रहे हैं वह किस तरह से बदल रहे हैं? इसका क्या आधार है? ये सब बातें नहीं बतलाई गईं। आधार के लिये सबसे अच्छी बात यह एक हो सकती थी कि जो कमेटी बंठाई गई थी उसमें जो कांस्टीट्यूशन दिया गया था उसका आधार पर इस संशोधन विधेयक में व्यवस्था रख देते लेकिन उसे नहीं रक्खा गया है। तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या आधार है। फिर समझ में तो यही आता है कि विशेष प्रयोजन जो इस विधेयक को लाने का था वह यही था कि प्रेसीडेंट को गवर्नमेंट द्वारा नामिनेटेड रक्खें और मेम्बर्स को जो शक्ति दी थी कि उनके द्वारा इलेक्टेड हो वह छीन ली जाय। आपने जो तरमोम रक्खी है उसका भी कोई आधार होना चाहिये था। आखिर उसकी वकिंग में क्या डिफेक्ट था? क्या काम ठीक नहीं कर रहा था? अगर यह बताया जाता तो आधार समझ में भी आता। लेकिन यह बतलाया नहीं गया। मैं समझता हूँ कि जो रवैया चल पड़ा है जितनी भी पावर्स हों विभिन्न कामों के लिये या जो भी बोर्ड या कमेटी सेटअप करें उनमें हम सरकार का यह रवैया देखते हैं कि उन सब लोगों के हाथ से शक्ति को हटा लिया जाय और उस शक्ति को सरकार में केन्द्रीभूत किया जाय। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसी तरह आप देखेंगे कि यहाँ एक बिल पुनःस्थापित होने वाला है, "उत्तर प्रदेश महिला तथा बाल संस्था (नियंत्रण) विधेयक"। इसमें भी बोर्ड की स्थापना होने वाली है। इसमें भी आप देखेंगे कि उसका प्रेसीडेंट नामिनेटेड होगा। इसी प्रकार से जो शिक्षण संस्थायें हैं उनमें जो बोर्ड बनाने की बात रक्खी है, वहाँ भी यही बात सामने आती है कि वह गवर्नमेंट से नामिनेट हों। तो आखिर हम इस संस्था को स्वतंत्र रखना चाहते हैं या नहीं यह एक आधारभूत प्रश्न है। मैं नहीं समझता हूँ कि आखिर छोटे-मोटे कारणों से इन अधिकारों को बोर्ड्स के हाथों से खींचते जायें और किन्हीं और कारणों से सरकार यह शक्ति लेती जाय ताकि सरकार उनको नामिनेट कर सके—एक बोर्ड बना हुआ है, काम कर रहा है और ठीक से कार्य कर रहा है, तो आखिर जरूरत क्या पड़ी कि हम उसके प्रेसीडेंट को गवर्नमेंट के द्वारा नामजद कर। इससे बहुत सी शंकायें पैदा होती हैं। जब वह काम वैद्यों पर छोड़ दिया गया था कि वैद्य और हकीम अपना काम चलाएँ, अपने कार्य को समुन्नत बनायें, तो वह एक अच्छे तरीके से इस काम को कर सकत थे और कर रहे थे। लेकिन आपने वह पावर उनकी करटेल कर के यह काम ऐसा किया है जिसकी वजह से वह बोर्ड एक निर्जीव सा हो जायगा और आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा-पद्धति जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसको एक बड़ा धक्का लगेगा। अभी मुझे ऐसा मालूम हुआ कि पिछला बोर्ड जो कायम था उसके प्रेसीडेंट का चुनाव हुआ। उस चुनाव में जैसा कि चुनाव में हुआ करता है झंझट हुआ। वैद्य चाहते थे कि किसी एक प्रतिष्ठित वैद्य को चुना जाय। लेकिन कुछ और इंटरस्टेड लोग जिसमें सरकार के लोग थे चाहते थे कि नहीं दूसरा आदमी चुना जाय। खैर यह चुनाव होता है, कोई जीतता है, कोई हारता है। उससे कोई बात पैदा नहीं होती है। लेकिन उसमें गवर्नमेंट को अपनी पावर यूटिलाइज नहीं करनी चाहिए। हम बोर्ड के संगठन को इस प्रकार छिन्न-भिन्न कर दें या उसकी सारी पावर्स को सरकार के हाथों में सौंप दें उस तरीके से आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा-पद्धति को कोई बल नहीं मिलने वाला है बल्कि वैद्यों और हकीमों को एक ठेस लगने वाली है। इस पर विचार करने की बात है। मैं समझता हूँ कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य केवल बोर्ड के प्रेसीडेंट को नामिनेट करने का था। दूसरी जो भी सिफारिशें हमारी इस कमेटी ने की हैं कि किस तरह से भारतीय चिकित्सा पद्धति को समुन्नत किया जाय आदि—आदि, उनको ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर कमेटी ने जो अन्य सिफारिशें की हैं इन पर क्या किया गया है। उन्होंने जहाँ तक आयुर्वेदिक चिकित्सा की एजुकेशन के बारे में सिफारिशें की हैं

[श्री तेज प्रताप सिंह]

जैसे उसमें उन्होंने कहा कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहां रिसर्च हो सके। रिसर्च इंस्टीट्यूट में सरजता है कि न आपने कोई खोला है न आपका ऐसा कोई विचार है कि उसके द्वारा वैज्ञानिक खोज व अन्वेषण किया जाय। तो आखिर इनमें जो एक संस्था अपने उदायो है उसको भी हथियाना चाहते हैं, इन लेजिस्लेशन के द्वारा तो किस आधार पर? कोई आधार नहीं है। जिस कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसने भी इस बात की सिफारिश की है कि उनके प्रेसीडेंट को चुनाव द्वारा चुना जाय। लेकिन आपने उसको नामिनेट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि इनको गवर्नमेंट को स्वीकार करना चाहिये कि यह चुनाव मेम्बरों पर ही छोड़ा जाय और मेम्बरों हा प्रेसीडेंट का चुनाव करे। दूसरी बात मैंने अपने संशोधन में यह रखा है कि चार मेम्बर जो गवर्नमेंट के द्वारा नामिनेट हों उनमें एक तो शेड्यूल कास्ट का हो, और दूसरा बैंकवर्ड क्लासेज का हो और बाकी में एक वैद्य और एक हकीम। इस प्रकार मैंने हम चाहते हैं कि आप जो बोर्ड में नामिनेशन करें उसमें भी आपके हाथ बंधे हों कि चार वैद्यों और हकीमों को ही उसका मेम्बर बनायें। आखिर वह कोई आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों के लिये हैं। उसमें सबसे अच्छी सलाह और उसका संचालन वैद्य और हकीम ही कर सकते हैं। फिर आप ऐसी पावर क्यों लेना चाहते हैं कि पांच मेम्बर जिसको आप चाहें नामिनेट कर दें। मेरी समझ में यह चीज नहीं आती है। और इसीलिये यह संशोधन रखा है कि चार व्यक्ति ऐसे चुने जायें जिसमें एक वैद्य, एक हकीम, एक बैंकवर्ड क्लासेज का और एक शेड्यूल कास्ट का हो। इन दो क्लासेज के लिए खास तौर से प्राविजन रखा है। उसके विशेष कारण हैं।

आप देखेंगे कि जो यह आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति है वह सस्ती है और सरल है। इसमें ज्यादातर सम्बन्ध शेड्यूल कास्ट का और बैंकवर्ड क्लासेज का है जो देहात में रहते हैं। उनकी चिकित्सा आयुर्वेद और यूनानी पद्धति के मानने वाले लोग ही करते हैं। तो उनका भी रिप्रजेंटेशन हो सक, वे भी अपने इंटरैस्ट्स को देख सकें इस बोर्ड में रह कर। इसलिये अनिवार्य है कि य दो तबक उसमें रिप्रजेंटेटेड रहें। इसका अलावा पहले भी जो आपके बोर्ड का संगठन था जो मूल अग्रिनियम में व्यवस्था थी उसमें भी लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर्स थे। तो मैंने भी इसमें रखा है दो मेम्बर्स इस विधान सभा द्वारा चुने जायें। एक मेम्बर लेजिस्लेटिव काउन्सिल का हो। पिछले अधिनियम में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के मेम्बर्स द्वारा चुने हुए कुछ रिप्रजेंटेटिव थे। इसलिये मैंने यह भी रखा है कि दो मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरों द्वारा चुने हुए हों। एक मेम्बर म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरों द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। यह भी इसी आधार पर है। क्योंकि पहले म्युनिसिपल बोर्डों के मेम्बर्स द्वारा चुन हुए मेम्बर हुआ करते थे और फिर जो फैकल्टीज खुली हुई हैं इंडियन मेडिसिन्स की यूनिवर्सिटीज में उनका भी एक-एक रिप्रजेंटेटिव होना चाहिए। यह भी अनिवार्य है। यह तो आपने इस विधेयक में भी माना हुआ है।

दूसरे जो दो मेम्बर हम चाहते हैं स्टेट के तमाम आयुर्वेदिक एजुकेशन के देने वाले इंस्टीट्यूशन्स कौन्सिल द्वारा वे भी आवश्यक हैं, उनको भी रिप्रजेंटेशन मिलना ही चाहिए। वह भी मैंने रखा है। यूनानी सिस्टम में जो शिक्षा देते हैं उनका भी रिप्रजेंटेटिव होना चाहिए बोर्ड में, इसका भी ख्याल रखा गया है और ७ मेम्बर जो रखे हैं जिसमें ४ वैद्य होंगे और ३ हकीम होंगे वे स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बाडीज की सर्विस में से न हों। उन लोगों का रिप्रजेंटेशन होना चाहिए क्योंकि आखिर इतनी प्राइवेट डिस्पेंसरीज हैं उनका भी रिप्रजेंटेटिव बोर्ड में होना चाहिये जबकि उनकी देख-रेख व सहायता इस बोर्ड के अधीन है। तो इस प्रकार से करीब २३ मेम्बर्स इस बोर्ड के हो जाते हैं। आपने भी करीब २० या २१ मेम्बर्स रखे हैं इस बोर्ड के २३ मेम्बर्स हो जाते हैं और २३ में ये तमाम विभिन्न इंस्टीट्यूशन्स आ जाते हैं, इसको कवर अप करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिसको फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, वह यह है कि जो इसका प्रेसीडेंट होगा उसको चुना हुआ होना

चाहिये ! मुझे इतनी स्पीचेज हुईं यह नहीं बताया गया कि आखिर यह नामजद क्यों हों। और यह जो सरकार की नीति बराबर इधर चल रही है कि जितनी भी संस्थायें हों, जितनी भी कमेटीज हों, उनके प्रेसीडेंट नामजद हों, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस तरीके की केंद्रीकरण करने वाली व्यवस्था कहां तक ठीक है और कहां तक आप इन तमाम चीजों की इस प्रकार की नीति से उन्नति कर सकेंगे। इसलिये इन तमाम उपरोक्त कारणों से मैं चाहता हूँ कि यह जो कांस्टीट्यूशन है जिसका विधान मैंने संशोधन द्वारा पेश किया है इसको माननीय मंत्री जी जरूर स्वीकार करेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मान्यवर, माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है उसमें मैं कुछ संशोधन करना चाहता हूँ। वह यह है कि उनके संशोधन में से (v) व (vi), जोकि इस प्रकार हैं, निकाल दिये जायं:—

“(v) Two members elected by all the members of the District Boards of the State in the prescribed manner.

(vi) One member elected by all the members of the Municipal Boards of the State in the prescribed manner”.

और जितना है उसका मैं समर्थन करता हूँ इस संशोधन के साथ। श्रीमन् जहां तक कि सरकार न जो यह संशोधन पेश किया है उसके देखने से ऐसा मालूम होता है कि सरकार की जो नीति है कि जिस तरह स हो पावर अपने हाथ में लो, जो भी बोर्ड बने उसको एक पपेट बोर्ड बनाकर कर रखो। ऐसी सरकार की मंशा है क्योंकि जो ओरिजिनल ऐक्ट है उसमें ऐसा दिया हुआ है कि यह बोर्ड जो है खुद अपना चेयरमैन चुनेगा, लेकिन जो सरकार के पेश किये हुए संशोधन द्वारा सरकार यह अख्तियार बोर्ड से लेकर खुद चाहती है कि हम नामिनेट करें।

श्री अध्यक्ष—यह जो आपका संशोधन है इसको नोटिस नहीं है। यह आपको पहले भज देना चाहिये था। तो अब इसके लिये मैं सदन से पूछना चाहता हूँ कि किसी को आपत्ति तो नहीं है इनके संशोधन के पेश करने में ?

(एक क्षण बाद)

कोई आपत्ति नहीं है। तो आप पेश कर सकते हैं और आप मुझे उसके शब्द लिखित भेज देंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन् तो मैं कह रहा था

(नियोजन मंत्री) श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, क्या कोई आप नया संशोधन अब दे रहे हैं जो छपा नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—वह तो अब मैं पूछ चुका। उस वक्त आप खड़े नहीं हुए अब आपत्ति आप नहीं कर सकते।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं कह रहा था कि सरकार इस तरह से जबानी तो कहती है कि हम पावर को डिस्ट्रलाइज करने जा रहे हैं लेकिन जो मनोवृत्ति है जो सरकार कार्य कर रही है उस कार्य के अनुसार ऐसा मालूम होता है कि सरकार सारे पावर को अपन हाथ में लेना चाहती है। यहां तक कि जो एक छोटा सा बोर्ड है जो कि यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं के हकीम वगैरह को रजिस्टर करेगा, और उसकी देखभाल करेगा, उसका जो बोर्ड है उसकी भी सारी पावर सरकार ले लेना चाहती है। तो यह मेरी समझ में नहीं आया कि किस कारण सरकार यह अख्तियार अपन हाथ में लेना चाहती है कि प्रेसीडेंट का चुनाव बोर्ड न कर, वह सरकार नामिनेट करे। यह सरकार कहे कि यह करने से पार्टीवाजी कम होगी तो यह तो कोई समझन की चीज नहीं है कि अगर सरकार नामिनेट

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

करेगी तो पार्टीबाजी नहीं होगी और बोर्ड के लोग करेंगे तो पार्टीबाजी होगी यह तो कोई दलील नहीं है। माननीय मंत्री जी उठेंगे तो वह बतलायेंगे कि वह क्यों इसका अमेंडमेंट कर रहे हैं? फिर उसके बाद मुझे यह देखने को मिला। उसमें जो पिछला ऐक्ट है उसमें विधान सभा के सदस्य और कौंसिल के सदस्य भी थे। मैं यह नहीं कहता कि हम लोगों को उस बोर्ड में जाने का अख्तियार मिल जाय, लेकिन कारण क्या है कि इन सदस्यों को हटाया जा रहा है। विधान सभा और कौंसिल के मेम्बर न जायें इसका कारण क्या है? वैसे तो श्रीमन्, दो ही आदमी जायेंगे। उसमें अपोजीशन को तो कोई मौका है नहीं बोर्ड में जाने का क्योंकि दो आदमियों में हमारे आदमी जा नहीं सकेंगे। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि हमारे इस सदन के जो लोग.....

श्री अध्यक्ष—यह तो आपका कहना गलत है। समझौते से सब हो सकता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—तो हमारे सदन के जो लोग इसके जानकार हों उनको मौका रहना चाहिए कि वह भी जा सकें, उनको हम वहाँ भेज सकें ताकि वह अपनी ठीक-ठीक सलाह वहाँ दे सकें और वहाँ क्या गड़बड़ियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, वह वहाँ की दिक्कतों को आकर हम लोगों को बतला सकें ताकि उसके मुताबिक हम अपना कार्य इस विषय में अच्छी तरह से इस सदन में कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि यह अख्तियार नहीं लेना चाहिये सरकार को इस सदन का और इसी सदन के द्वारा अपने लोहे के डंडे के बल पर, अपने बहुमत के बल पर। श्रीमन्, मैं समझता हूँ कि इस सदन को यह अख्तियार होना चाहिये कि वह अपने नुमाइंदे को इस बोर्ड में भेज सके। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड का सवाल है, ठीक है। उसके भी नुमाइंदे होने तो चाहिए।

लेकिन श्रीमन्, उसके चुनाव में और चुनाव कराने में बड़ी ही दिक्कत होगी और बहुत ही व्यय होगा। इस कारण मैंने यह कहा कि यह चीज इसमें से निकाल देनी चाहिये, क्योंकि ५२ जिले हैं। नहीं, शायद ५० जिले हैं।

श्री अध्यक्ष—दोनों गलत है। ५१ है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—ठीक है, ५१ है। तो जितने म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं उनके जो मेम्बर हैं, उनसे चुनाव कराया जाय तो इसमें काफी खर्चा होगा। अगर उसमें कोई ऐसा आदमी है, तो सरकार उसे नामिनेट करे, लेकिन इस तरह से बोर्ड बनाने के लिये तमाम जगह एलेक्शन कराया जाय, यह तो अच्छा नहीं मालूम होता और इसमें काफी खर्चा होगा। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के जो नुमाइंदे हैं वह चुनाव करे, इस चीज को निकाल देना चाहिये। आपने जो संशोधन पेश किया था वह बहुत ठीक है और प्रेसीडेंट के चुनाव की बात वह भी ठीक है। लिहाजा यह दो धाराएं निकाल देने से यह ठीक हो जाता है

मैं नहीं समझता कि सरकार इस तरह का संशोधन क्यों लाई है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इस चीज को मान लेगी और माननीय तेज प्रताप मेरे इस अमेंडमेंट को मंजूर कर लेंगे इस वास्ते कि सभी लोग ऐसा न समझें कि यह सरकार बोर्ड को एक पपेट बोर्ड बनाना चाहती है और जितनी पावर है वह अपने हाथ में ले लेना चाहती है।

श्री अध्यक्ष—माननीय धर्म दत्त वैद्य, आप एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं। यह नया संशोधन है, अगर इसमें किसी को एतराज न हो तो मैं आपको इजाजत दूंगा। मैं उसे पढ़ कर सुनाये देता हूँ, वह इस प्रकार है—

खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) के सब-क्लाज (iii) को हटाकर, निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय—

“(iii) One member each from a University established by Law in Uttar Pradesh and having a Faculty concerned with the Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine to be elected in the manner prescribed by the Faculty.”

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे मंजूर है, इसकी भाषा अच्छी है।

श्री नवल किशोर—श्रीमन्, मैं इसे उपस्थित कर रहा हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ५ की धारा ५ की उपधारा (१) के सब-क्लाज (1.i) को हटाकर निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय—

“(iii) One member each from a University established by Law in Uttar Pradesh and having a Faculty concerned with the Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine to be elected in the manner prescribed by the Faculty.”

श्री नारायण दत्त तिवारी—यह क्या तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन पर संशोधन है? किस पर है?

श्री अध्यक्ष—वह तो नया संशोधन उपस्थित कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—पहले उस पर बहस हो जायगी तब दूसरा पेश हो सकता है?

श्री अध्यक्ष—ठीक है। (श्री नवल किशोर से) आप जरा रुक जायें।

(संशोधन पर विचार स्थगित किया गया।)

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र तेजप्रताप सिंह जी ने जो अमेंडमेंट पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूँ। अभी उस तरफ से मल्ल जी ने फरमाया कि सरकार उसको एक पपेट बोर्ड बनाना चाहती है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट किसी भी बोर्ड को पपेट नहीं बनाना चाहती है।

गवर्नमेंट अब यह चाहती है कि वहाँ न लेजिस्लेचर के मेम्बर रहें न म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर रहें। जब गवर्नमेंट हटती है तो ये उसमें इन होना चाहते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ बेस्ट मेडिकल मेन को न रखें, नान-मेडिकल मेन को नहीं जैसे कि एक प्रस्ताव आ रहा है कि वहाँ मेडिकल मेन रखे जायें और लेमेन को न रखा जाय। जोरावर वर्मा जी का जो छोटा-सा संशोधन है वह इस प्रकार है:—

‘The Board shall consist of....’

श्री अध्यक्ष—अब आप उसको दोहरायें नहीं।

श्री शिवनारायण—तो अध्यक्ष महोदय बोर्ड कोई म्युनिसिपल बोर्ड नहीं है न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या असेम्बली है कि प्रेसीडेंट मेम्बर चुने। वह तो एक छोटा सा बोर्ड है कि दवा-दारू का काम ठीक चले और सरकार एक मुनासिब आदमी को जो उस साइन्स का जानता हो नामिनेट करेगी। इसमें कौन सी पावर गवर्नमेंट अपने हाथ में छीने ले रही है जिससे मल्ल जी को बहुत परेशानी है। मल्ल जी कहते हैं कि विधान सभा के सदस्य उस बोर्ड में रहें। मैं तो विरोध करता हूँ कि न तो कोई विधान सभा का मेम्बर उसमें रहे और न म्युनिसिपल बोर्ड का और न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का। वहाँ वही आदमी रहे जो वाकई उस चीज को जानता हो, जो तिब्बी और आयुर्वेदिक में प्रवीण हो, जो मेडिकल कालेज का पढ़ा हो। वहाँ पर कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं बना है। बोर्ड तो इसलिये बनाया गया है कि सही माने

[श्री शिव नारायण]

में देश और समाज का कल्याण हो और देश में जितनी बीमारियां हैं उनको देखते हुए हम को एक सुयोग्य आदमी वहां रखना है, जिससे कम पैसे में लोगों का काम चल जाय। यह सीधी सी बात है, न कोई पावर लेने की बात है न देने की बात है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो दो संशोधन उपस्थित किए गए हैं मैं इन दोनों का विरोध करता हूँ। इन संशोधनों में प्रैक्टिकली वही रखा गया है कि जो सन् १९३९ के अधिनियम में था। जिस तरह से उसमें मेम्बर रखे गए थे उसी तरह से इनमें मेम्बर रखे गए हैं सिर्फ तादाद में अन्तर कर दिया गया है। जो

होंगे और ९ वैद्य और हकीमों में से चुने जायेंगे। यह कहीं अच्छा है बनिस्वत इसके कि लेजिस्लेचर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड से सदस्य जायें। यह एक टेक्निकल विषय है जिसको वैद्य और हकीम ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसमें लेजिस्लेचर्स पार्टी के, जो एक राजनीतिक संस्था है, सदस्य होने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यह भी सही है कि अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर रखे जायेंगे तो उनके चुनाव में बड़ी कठिनता होगी। इसलिये यह हिस्सा किसी तरह भी ठीक नहीं बठता।

सबसे बड़ा आक्षेप यह है कि प्रेसीडेंट पहले चुनाव से रखा गया था अब नामिनेशन से रखा गया है। यह आक्षेप किया गया कि सरकार सारी सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहती है इसलिये यह किया गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो आज सरकार है वह भी एलेक्टेड ह या नहीं। जिस तरह प्रजातंत्र राज्य चलता है उसमें जो दल बहुसंख्या में होता है उसी की सरकार होती है। इसीलिये यह चुनी हुई सरकार है। तो यह कहना कि यह डेमोक्रेसी के विरुद्ध है या सारी सत्ता गवर्नमेंट ले रही है यह गलत है। आज कांग्रेस दल हुकूमत में है मुमकिन है कि कल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का बहुमत हो और उनके हाथ में हुकूमत चली जाय। यह तो राजनीतिक दल है किसी के हाथ में हुकूमत जा सकती है और यह एक पद्धति है इसलिये इसको डेमोक्रेटिक मानना पड़ेगा।

एक चीज और कही गयी कि इस बोर्ड में एक शिड्यूल कास्ट का हो और एक पिछड़ी जाति का हो। तो यह ठीक नहीं है क्योंकि यह कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, बल्कि यह तो वैद्यों और हकीमों की संस्था है। आयुर्वेदिक चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा प्रणाली को उन्नत किया जाय यह इसका उद्देश्य है, इसलिये इसमें यह भेद करना कि एक हरिजन हो या एक पिछड़ी जाति का हो, इसको कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता है। इसलिये इन दोनों संशोधनों का, जो हमारे मित्रों ने उपस्थित किए हैं, मैं विरोध करता हूँ।

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जोरावर वर्मा और तेजप्रताप सिंह जी के संशोधनों का विरोध करता हूँ। वैद्य समाज की हमेशा से मांग रही है कि इंडियन मेडिसिन बोर्ड में वैद्यों और हकीमों के अतिरिक्त किसी और को स्थान नहीं होना चाहिये। हम लोग जानते हैं कि एलोपैथी बोर्ड में एलोपैथों के अलावा दूसरे सदस्यों को नहीं रखा जा सकता है, इसी प्रकार होम्योपैथिक बोर्ड में होम्योपैथों के अलावा किसी और को नहीं रखा जा सकता। इसी प्रकार इंडियन मेडिसिन बोर्ड में वैद्यों और हकीमों के अलावा और किसी को न रखा जाय। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार इस बात को मानने के लिये उत्सुक है। इस सिद्धांत के आधार पर मैं तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन का विरोध करता हूँ क्योंकि इसमें दूसरे लोगों की गुंजाइश है। यह तर्क इतना प्रबल है कि और किसी बात के कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने अगला संशोधन नंबर ५ पर रखा है, इसके द्वारा आशा की गई है कि बोर्ड के सभी सदस्य वैद्य और हकीम होंगे। सरकार की तरफ से भी २१ सदस्यों का प्रस्ताव है जिसमें १६ वैद्य या हकीम होंगे। केवल ६ अन्य सदस्य हैं जिनके लिये संशोधन है। अवश्य ही इसका प्रेसीडेंट वैद्य हो और ५

नामिनेटेड सदस्य होंगे वह भी वैद्य या हकीम ही रखे जायें। इसलिये हमें इस बात पर जोर देना है कि बोर्ड का संगठन ऐसा हो जिसमें सब वैद्य या हकीम हों। इन शब्दों के साथ मैं विरोध करता हूँ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि संशोधन के द्वारा इस बात के साबित करने की चेष्टा की गई है कि सरकार ऐसा बोर्ड बनाना चाहती है जिसमें उसका ही अधिकार रहे और जिस प्रकार से वह कार्य करना चाहती है उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा कराये जो बोर्ड के सदस्य होंगे। मैं नहीं जानता कि जो बोर्ड का प्रस्तावित विधान है, उससे कहा कोई ऐसी बात निकलती है। खेर कमेटी की डुहाई दी गई, मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि खेर कमेटी के द्वारा प्रस्तावित विधान की ओर ध्यान दे और जो इस विधेयक में विधान रखा गया है उसको गंभीरता से अध्ययन करे तो हमें पता चलेगा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार ने इस बोर्ड में वैद्य और हकीमों की अधिक संख्या सम्मिलित कर ली है और जहाँ तक खेर कमेटी ने वैद्यों और हकीमों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया था उससे कहीं अधिक संख्या में यह प्रस्तावित विधान वैद्यों और हकीमों को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्रदान कर रहा है। ऐसी अवस्था में इस बात का चर्चा करना कि सरकार अपना अधिकार स्वयं बोर्ड के ऊपर जमाना चाहती है, ऐसी बात है जिसमें न तो कोई मूल है और न जिसके पीछे कोई भावना छिपी हुई है। मैं इसलिये सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ आपके द्वारा कि इस प्रकार की निर्मूल भ्रांति को यदि वह अपने बीच में जगह देते हैं तो यह सही बात नहीं है। सरकार तो वही बात करना चाहती है जिसका जिक्र अभी माननीय मदन गोपाल जी वैद्य ने किया। वह स्वयं वैद्य सम्मेलन के सदस्य हैं और सदा इस सदन में वैद्यों की मांगों को उपस्थित करते रहते हैं। तो यदि आज वैद्य समाज की यह मांग है कि उनके बोर्ड में बाहर के आदमी न रहें तो यह एक उचित मांग है और सरकार ने उस उचित मांग को स्वीकार किया है क्योंकि जैसा अभी वैद्य जी ने स्वयं बताया कि एलोपैथस का जो बोर्ड है उसमें किन्हीं में कोई असेम्बली का सदस्य नहीं रखा गया है, न जिला बोर्डों से चुने हुए ही कोई व्यक्ति रखे गए हैं। उनमें डाक्टर ही है और अभी थोड़े दिन हुए जब इस सदन ने स्वयं होम्योपैथिक बोर्ड के सिलसिले में भी यह निर्धारित कर दिया है कि होम्योपैथिक बोर्ड का कोई आदमी बाहर का नहीं होगा, उसके सदस्य सिर्फ होम्योपैथस ही रह सकेंगे, तो मुझे नहीं मालूम देता कि क्यों माननीय सदस्य उस नीति में परिवर्तन करना चाहते हैं जिससे स्वयं इस सदन ने एलोपैथस के सिलसिले में और होम्योपैथस के सिलसिले में निर्धारित कर दिया है। मैं समझता हूँ कि इस बोर्ड को जैसे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को रखने का अधिकार है, जैसे प्रोफेशनल एटीकेट को निर्धारित करने का अधिकार है, उसमें बाहर के किन्हीं व्यक्तियों को अधिकार नहीं रहना चाहिये। जब खेर कमेटी की रिपोर्ट लिखी गई थी उसमें बोर्ड का निर्माण कई ढंगों से किया गया था और उसके सामने कदाचित्त उस समय के वैद्यों की मांग नहीं थी जोकि अब वैद्यों की मांग इस विधान में मंजूर की गई है और जिस मांग की तहत में प्रस्तावित धारा सरकार ने सदन के विचारार्थ उपस्थित की है। मैं समझता हूँ कि जो नीति हमने और सदन ने पिछले वर्षों में एलोपैथस के लिये और होम्योपैथिक के लिये मंजूर की है उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिये और हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिये कि वैद्य-हकीमों के बोर्ड में हमें अधिकांशतः वही सदस्य रखने चाहिये जोकि उस प्रोफेशन से संबंध रखते हों, उस रोजगार से संबंध रखते हों और जिन्हें उन विषयों की जानकारी हो जिन विषयों को सम्पन्न करने के लिये, पूरा करने के लिये, या निर्णय करने के लिये यह बोर्ड बनाया जाता है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ जिस संशोधन को अभी हमारे समक्ष विचार करने के लिये हमारे एक साथी ने उधर से उपस्थित किया है। सरकार ने खेर कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ जो सभापति को स्वयं मनोनीत करने की बात अपनायी है या मंजूर की है उसके पीछे भी कोई और भावना छिपी हुई नहीं है। वह भी उसी नीति की तहत में बात रखी गई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिव नारायण]

में देश और समाज का कल्याण हो और देश में जितनी बीमारियां हैं उनको देखते हुए हम को एक सुयोग्य आदमी वहां रखना है, जिससे कम पैसे में लोगों का काम चल जाय। यह सीधी सी बात है, न कोई पावर लेने की बात है न देने की बात है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो दो संशोधन उपस्थित किए गए हैं मैं इन दोनों का विरोध करता हूं। इन संशोधनों में प्रैक्टिकली वही रखा गया है कि जो सन् १९३९ के अधिनियम में था। जिस तरह से उसमें मेम्बर रखे गए थे उसी तरह से इनमें मेम्बर रखे गए हैं सिर्फ तादाद में अन्तर कर दिया गया है। जो अब विधेयक आया है वह उससे कहीं अच्छा है क्योंकि उसमें २१ सदस्यों में ५ को छोड़ कर बाकी सब वैद्य और हकीम होंगे। ३ यूनिवर्सिटी से होंगे और ३ जो और संस्थायें हैं उनसे होंगे और ९ वैद्य और हकीमों में से चुने जायेंगे। यह कहीं अच्छा है बनिस्बत इसके कि लेजिस्लेचर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड से सदस्य जायें। यह एक टेक्निकल विषय है जिसको वैद्य और हकीम ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसमें लेजिस्लेचर्स पार्टी के, जो एक राजनीतिक संस्था है, सदस्य होने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यह भी सही है कि अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर रखे जायेंगे तो उनके चुनाव में बड़ी कठिनता होगी। इसलिये यह हिस्सा किसी तरह भी ठीक नहीं बठता।

सबसे बड़ा आक्षेप यह है कि प्रेसीडेंट पहले चुनाव से रखा गया था अब नामिनेशन से रखा गया है। यह आक्षेप किया गया कि सरकार सारी सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहती है इसलिये यह किया गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो आज सरकार है वह भी एलेक्टेड है या नहीं। जिस तरह प्रजातंत्र राज्य चलता है उसमें जो दल बहुसंख्या में होता है उसी की सरकार होती है। इसीलिये यह चुनी हुई सरकार है। तो यह कहना कि यह डेमोक्रेसी के विरुद्ध है या सारी सत्ता गवर्नमेंट ले रही है यह गलत है। आज कांग्रेस दल हुकूमत में है मुमकिन है कि कल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का बहुमत हो और उनके हाथ में हुकूमत चली जाय। यह तो राजनीतिक दल है किसी के हाथ में हुकूमत जा सकती है और यह एक पद्धति है इसलिये इसको डेमोक्रेटिक मानना पड़ेगा।

एक चीज और कही गयी कि इस बोर्ड में एक शिड्यूल कास्ट का हो और एक पिछड़ी जाति का हो। तो यह ठीक नहीं है क्योंकि यह कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, बल्कि यह तो वैद्यों और हकीमों की संस्था है। आयुर्वेदिक चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा प्रणाली को उन्नत किया जाय यह इसका उद्देश्य है, इसलिये इसमें यह भेद करना कि एक हरिजन हो या एक पिछड़ी जाति का हो, इसको कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता है। इसलिये इन दोनों संशोधनों का, जो हमारे मित्रों ने उपस्थित किए हैं, मैं विरोध करता हूं।

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जोरावर वर्मा और तेजप्रताप सिंह जी के संशोधनों का विरोध करता हूं। वैद्य समाज की हमेशा से मांग रही है कि इंडियन मेडिसिन बोर्ड में वैद्यों और हकीमों के अतिरिक्त किसी और को स्थान नहीं होना चाहिये। हम लोग जानते हैं कि एलोपैथी बोर्ड में एलोपैथों के अलावा दूसरे सदस्यों को नहीं रखा जा सकता है, इसी प्रकार होम्योपैथिक बोर्ड में होम्योपैथों के अलावा किसी और को नहीं रखा जा सकता। इसी प्रकार इंडियन मेडिसिन बोर्ड में वैद्यों और हकीमों के अलावा और किसी को न रखा जाय। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार इस बात को मानने के लिये उत्सुक है। इस सिद्धांत के आधार पर मैं तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि इसमें दूसरे लोगों की गुंजाइश है। यह तर्क इतना प्रबल है कि और किसी बात के कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने अगला संशोधन नंबर ५ पर रखा है, इसके द्वारा आशा की गई है कि बोर्ड के सभी सदस्य वैद्य और हकीम होंगे। सरकार की तरफ से भी २१ सदस्यों का प्रस्ताव है जिसमें १६ वैद्य या हकीम होंगे। केवल ६ अन्य सदस्य हैं जिनके लिये संशोधन है। अवश्य ही इसका प्रेसीडेंट वैद्य हो और ५

नामिनेटेड सदस्य होंगे वह भी वैद्य या हकीम ही रखे जायें। इसलिये हमें इस बात पर जोर देना है कि बोर्ड का संगठन ऐसा हो जिसमें सब वैद्य या हकीम हों। इन शब्दों के साथ मैं विरोध करता हूँ।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि संशोधन के द्वारा इस बात के साबित करने की चेष्टा की गई है कि सरकार ऐसा बोर्ड बनाना चाहती है जिसमें उसका ही अधिकार रहे और जिस प्रकार से वह कार्य करना चाहती है उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा कराये जो बोर्ड के सदस्य होंगे। मैं नहीं जानता कि जो बोर्ड का प्रस्तावित विधान है, उससे कहां कोई ऐसी बात निकलती है। खेर कमेटी की दुहाई दी गई, मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि खेर कमेटी के द्वारा प्रस्तावित विधान की ओर ध्यान दे और जो इस विधेयक में विधान रखा गया है उसको गंभीरता से अध्ययन करे तो हमें पता चलेगा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार ने इस बोर्ड में वैद्य और हकीमों की अधिक संख्या सम्मिलित कर ली है और जहां तक खेर कमेटी ने वैद्यों और हकीमों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया था उससे कहीं अधिक संख्या में यह प्रस्तावित विधान वैद्यों और हकीमों को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्रदान कर रहा है। ऐसी अवस्था में इस बात का चर्चा करना कि सरकार अपना अधिकार स्वयं बोर्ड के ऊपर जमाना चाहती है, ऐसी बात है जिसमें न तो कोई मूल है और न जिसके पीछे कोई भावना छिपी हुई है। मैं इसलिये सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ आपके द्वारा कि इस प्रकार की निर्मूल भाति को यदि वह अपने बीच में जगह देते हैं तो यह सही बात नहीं है। सरकार तो वही बात करना चाहती है जिसका जिक्र अभी माननीय मदन गोपाल जी वैद्य ने किया। वह स्वयं वैद्य सम्मेलन के सदस्य हैं और सदा इस सदन में वैद्यों की मांगों को उपस्थित करते रहते हैं। तो यदि आज वैद्य समाज की यह मांग है कि उनके बोर्ड में बाहर के आदमी न रहे तो यह एक उचित मांग है और सरकार ने उस उचित मांग को स्वीकार किया है क्योंकि जैसा अभी वैद्य जी ने स्वयं बताया कि ऐलोपैथस का जो बोर्ड है उसमें किन्हीं में कोई असेम्बली का सदस्य नहीं रखा गया है, न जिला बोर्डों से चुने हुए ही कोई व्यक्ति रखे गए हैं। उनमें डाक्टर ही है और अभी थोड़े दिन हुए जब इस सदन ने स्वयं होम्योपैथिक बोर्ड के सिलसिले में भी यह निर्धारित कर दिया है कि होम्योपैथिक बोर्ड का कोई आदमी बाहर का नहीं होगा, उसके सदस्य सिर्फ होम्योपैथस ही रह सकेंगे, तो मुझे नहीं मालूम देता कि क्यों माननीय सदस्य उस नीति में परिवर्तन करना चाहते हैं जिसमें स्वयं इस सदन ने ऐलोपैथस के सिलसिले में और होम्योपैथस के सिलसिले में निर्धारित कर दिया है। मैं समझता हूँ कि इस बोर्ड को जैसे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को रखने का अधिकार है, जैसे प्रोफेशनल एटीकेट को निर्धारित करने का अधिकार है, उसमें बाहर के किन्हीं व्यक्तियों को अधिकार नहीं रहना चाहिये। जब खेर कमेटी की रिपोर्ट लिखी गई थी उसमें बोर्ड का निर्माण कई ढंगों से किया गया था और उसके सामने कदाचित्त उस समय के वैद्यों की मांग नहीं थी जोकि अब वैद्यों की मांग इस विधान में मंजूर की गई है और जिस मांग की तहत में प्रस्तावित धारा सरकार ने सदन के विचारार्थ उपस्थित की है। मैं समझता हूँ कि जो नीति हमने और सदन ने पिछले वर्षों में ऐलोपैथस के लिये और होम्योपैथिक के लिये मंजूर की है उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिये और हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिये कि वैद्य-हकीमों के बोर्ड में हमें अधिकांशतः वही सदस्य रखने चाहिये जोकि उस प्रोफेशन से संबंध रखते हों, उस रोजगार से संबंध रखते हों और जिन्हें उन विषयों की जानकारी हो जिन विषयों को सम्पन्न करने के लिये, पूरा करने के लिये, या निर्णय करने के लिये यह बोर्ड बनाया जाता है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ जिस संशोधन को अभी हमारे समक्ष विचार करने के लिये हमारे एक साथी ने उधर से उपस्थित किया है। सरकार ने खेर कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ जो सभापति को स्वयं मनोनीत करने की बात अपनायी है या मंजूर की है उसके पीछे भी कोई और भावना छिपी हुई नहीं है। वह भी उसी नीति की तहत में बात रखी गई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

ह जिस नीति को सरकार ने और इस सदन ने स्वतः एलोपैथम और होम्योपैथम के सिलसिले में मंजूर कर लिया है।

होम्योपैथिक बोर्ड का जब निर्माण इस सदन के द्वारा म्वीकृत हुआ तो उस समय भी जो उसके सभापति होने वाले हैं उसमें भी इस सदन ने उसी की सरकार द्वारा मनोनीति करने की आज्ञा प्रदान की है और विधान में उसी प्रकार का उसने परिवर्तन कराया है। एलोपैथिक बोर्ड के बारे में इन वर्षों में यही नीति इस सदन की चली आ रही है और आज भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो क्या कारण है कि जो ब्रेथ और हकीमों का बोर्ड बनेगा उसमें हम कोई दूसरी नीति निर्धारित करें? आखिर इन बोर्ड वगैरह में यही आवाज उठायी जाती है कि वैद्य और इकीमों के वही अधिकार होने चाहिये जोकि एलोपैथिक बोर्ड के हैं। तो जब वह अधिकार मांगने की बात उठती है तो जो प्रबन्ध एलोपैथिक के सिलसिले में है और होम्योपैथिक के सिलसिले में हम मंजूर कर चुके हैं तो उसी प्रकार का प्रबन्ध यदि हम पूतानी में हिकमत करने वाले तथा आयुर्वेद में वैद्यक करने वालों के ऊपर हम लगाने वाले हैं तो उसमें हम आपत्ति क्यों करें? इसमें कोई रेशनल काइटेग्रियन दिखाई नहीं पड़ता है। इसमें राजनीति की कोई जगह नहीं है। उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण में हम कोई बात खड़ी कर दें तो यह बात ठीक नहीं है और न यह सत्यता के नजदीक हमें ले जाने वाली है। आखिर यह तत्काल विधेयक जो सदन के सामने सभ्य-समय पर आयुर्वेद के संबंध में प्रस्तुत किए गए उनका क्या मंशा रहा? उनका मंशा तो यही रहा है कि हम आयुर्वेद के प्रसार के लिये ऐसी व्यवस्था बनायें जिससे आयुर्वेद विकसित हो, जिससे आयुर्वेद के लिये जो साधन मुहैया नहीं थे वह अधिक मात्रा में मुहैया किये जायें और आज क्या इस सदन का कोई ऐसा सदस्य है जो इन बातों को स्वीकार नहीं करेगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जहां तक आयुर्वेद का संबंध है उसके प्रसार के लिये इस प्रकार के कार्य किये हैं जो अन्य प्रदेशों में इस देश में अभी तक नहीं बरते गए हैं और न विकसित करने के लिये उम प्रकार के साधन मुहैया किए गए हैं। आखिर क्यों? क्या यह प्रदेश उन प्रदेशों में नहीं है जिसने पहली बार यह निर्णय किया हो कि हम एक आयुर्वेद की फकल्टी बनायें और एक आयुर्वेद का कालेज बनायें और आयुर्वेद की शिक्षा इस प्रकार से संचालित करने का प्रयास करें जिससे आयुर्वेद विकसित हो? क्या यह प्रदेश ऐसा नहीं है जिसने स्वतः बिना किसी जोन के अपनी इच्छा से यह निर्णय किया कि हम उन आयुर्वेद के पंडितों को जोकि विभिन्न विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करके निकलेंगे और नौकरी वगैरह सरकार की करेंगे उनको गजटेट स्टेटस प्रदान किया जाय। मैं जानना चाहता हूँ कि इस देश में कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसने ऐसा प्रयास किया हो कि वैद्यों को गजटेट स्टेटस प्रदान किया जाय? इसी वर्ष के बजट में हमने जो आयुर्वेद के इन्स्पेक्टर हैं उनको गजटेट स्टेटस प्रदान किया है। और हमारे जो ऐसे वैद्य थे जोकि हमारे बड़े-बड़े आयुर्वेदिक अस्पतालों में काम करते हैं और जो काफी सीनियर हैं उनको हमने गजटेट स्टेटस की मान्यता प्रदान की है। तो आज हमारी नीयत पर क्यों शक किया जाता है। बराबर प्रदेशीय सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिये वह नीति बरतती रही है जिससे आयुर्वेद का विकास हो और विकास होकर जो उसमें गुण हैं, जो अच्छाइयां हैं, वह इस प्रदेश के रहने वालों के बीच में पैदा की जायें, तब बार-बार सरकार की नीयत पर हमला करना कि सरकार यह इसलिये करना चाहती है कि वह अपने अधिकारों में वृद्धि करना चाहती है। मैं समझता हूँ कि यह अदूरदर्शिता की बातें हैं और इनका संबंध सरकार का कार्य रोजमर्रा आयुर्वेद के विकास के संबंध में कर रही है, उससे नहीं है। मैं सदन के समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हमने प्रेसीडेंट को नामजद करने की नीति को अपनाया है तो हमने उसको उसी नीति के तहत अपनाया है जिस नीति के तहत और जो चिकित्सा पद्धतियां हमारे प्रदेश में चल रही हैं उनके प्रेसीडेंट्स को नियत करने के

लिये अपनायी गयी है। मैं इसके सिलसिले में एक बात और कह देना चाहता हूँ कि आज आयुर्वेद का इन्तहा न है क्योंकि आयुर्वेद को एलोपैथी वाले अर्थात् वे लोग जोकि अपने को वैज्ञानिक मानते हैं, स्वीकार भी नहीं करते तो अगर कोई ऐसा बोर्ड बनाया जाता है जिसमें उनके सदस्य चुनाव के झगड़ों में लगे रहें और वे लोग उनका मजाक करे तो वह कोई नारीफ की बात न होगी उनके लिये जोकि इस आयुर्वेद पद्धति को विकसित करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कभी आयुर्वेद का मजाक उड़ाया जाय। इसीलिये हमने बोर्ड के लिये ऐसी परम्परा बनायी है। हम चाहते हैं कि बोर्ड में ऐसी परम्परायें स्थापित हों जिससे बोर्ड उत्तरोत्तर विकसित होसके और उसकी ट्रेडिशन उसी प्रकार की कायम हों जिस प्रकार मे और प्रोफेशनस की हो रही है। इसलिये हमने जानबूझ कर एलोपैथी और होमियोपैथी के लिये जो नियम बनाये हैं उसी प्रकार के नियम इनके लिये भी बनाये जिससे इन दोनों पद्धतियों के बोर्डों में कोई अन्तर दिखायी न पड़े। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने इस प्रकार के बोर्ड में हरिजनों के लिये अधिकार सुरक्षित नहीं रखे हैं। वह इसलिये नहीं रखता है कि हम समझते हैं कि इस प्रकार करने में कमजोरी आती है। ऐसा करने से उस बोर्ड की अर्हानियत कम होती है। आखिर हम चाहते हैं कि बोर्ड में उत्तम से उत्तम लोग चुन कर आएं जिससे वे लोग बोर्ड का मंचालन उत्तम से उत्तम रीति से कर सकें। उसमें ऐसे ही लोग आये जोकि अपने प्रोफेशन में एक ऊंचा स्थान रखते हों, अपने प्रोफेशन की ट्रेडिशन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हों। जब हम किसी बोर्ड को इस प्रकार का रखने का प्रयास करते हैं तो अगर उसमें यह खब देते हैं कि अमुक वर्ग के इतने व्यक्ति और अमुक वर्ग के इतने व्यक्ति आयेगे तो उसमें एक प्रकार से कमजोरी आ जाती है। वह बोर्ड के अन्दर एक कमजोरी पैदा कर देगी जिसको हम इन बोर्डों में देखना नहीं चाहते हैं। इसलिये इस बोर्ड के लिये हमने इस प्रकार की नीति अपनाये की बात कही है कि जिससे उसमें कोई कमजोर व्यक्ति न आने पाये। इससे आयुर्वेद और चिकित्सा का भला होने वाला भी नहीं था। और अगर हम इस संशोधन को न करते तो कदाचित्त हम उस स्तर को अपने बीच में कायम न रख सकते जिससे हम इस बोर्ड की रचना करके कायम करना चाहते हैं। हम तो इसमें केवल ऐसे व्यक्तियों को चाहते हैं कि जो एकेडेमीशियन्स हों, अपने प्रोफेशन में उच्च स्थान रखते हों, अपने प्रोफेशन में ओर बाहर भी मान्यता रखते हों। इसलिये आज यह कहा कि इस बोर्ड के निर्माण में जो ध्यान दिखायी हुई है सरकार को प्रभुत्व प्रदान करने वाली है। लेकिन मैं तो बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई ध्यान इसमें दिखायी हुई नहीं है। सरकार जो इस पद्धति को विकसित करने के लिये और इसकी सेवा करने के लिये ५-७ वर्षों से प्रयास कर रही है वही आज भी करने को उद्यत है और आगे भी उद्यत रहेगी।

१४ दिसम्बर, १९५५ को सूर्य-ग्रहण की छुट्टी के लिये प्रार्थना

श्री राजनारायण (जिला बनारस) —अध्यक्ष महोदय, कल की छुट्टी के बारे में अभी कुछ निर्णय नहीं हुआ था। आज के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष —अब मंचा २ बजे इस बारे में फैसला हो जायगा।

(इस समय १ बजे कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजे कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ (क्रमगत) . . .

श्री चन्द्रभानु गुप्त —उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि वे संशोधन जोकि बोर्ड के निर्माण के विषय में सदन के विचारार्थ माननीय सदस्यों ने उपस्थित किए हैं वे अनावश्यक हैं क्योंकि सरकार की नीयत के ऊपर हमला करने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा यह एक निरर्थक सी बात है। न यही ठीक बात है कि जहां कोई माने न

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

निकलते हो वहा गलत मान निकाले जायं। जैसा मैंने कहा कि इस सरकार का तो बराबर यह प्रयास रहा है कि हिक्मत और आयुर्वेद को पुनर्जीवित किया जाय और उसे प्रत्येक प्रकार से प्रोत्साहन देने की उसकी चेष्टा रही है और भविष्य में भी उसकी यह चेष्टा रहेगी। क्योंकि यह सरकार ऐसा महसूस करती है कि ऐसा विज्ञान जो अपने देश में सदियों से फेला रहा है उसको विकसित होने का अवसर मिलना चाहिये और यदि उस विज्ञान में कुछ तत्व की बातें हैं तो कोई कारण नहीं है कि जब उसे विकसित व होने का साधन मिलता हो, तो वह विकसित न हो सके। इसलिये हमने जो बोर्ड का विधान रखा है वह इसी भावना में प्रेरित होकर रखा है कि उममें योग्य वैद्य सम्मिलित हो सकें और जो उमका सभापति हो वह ऐसा व्यक्ति हो जो बिना किन्हीं झगड़ों के नियुक्त किया गया हो, बिना दौड़-धूप के नियत किया गया हो और ऐसा कार्य में समझता है कि सरकार कर सकती है जसा कि उसने ऐलोपैथी और होमियोपैथी के सिलमिले में किया है। इसलिये हमें इस बात पर जोर नहीं देना चाहिये कि सरकार को उसी व्यक्ति को सभापति बनाना चाहिये कि जो सदस्यों द्वारा चुना जावे हमने अनुभव किया है कि जहाँ चुनाव के पचड़े सबसे बड़े अधिकारी के लिये होते हैं वहा उस अधिकारी को कार्य संचालन में काफी कठिनाई का अनुभव करना पडता है और ऐसे बोर्ड के लिये जोकि उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग को अपनाना चाहता है यदि उसे इन पचड़ों से बचाना है तो वह तभी हो सकता है जब सरकार द्वारा मनोनीत ऐसे वैज्ञानिक या आयुर्वेद के पंडित उसके अध्यक्ष बनाये जायं जोकि उन सारे कार्यभारों को सभाल सकें जो इस बोर्ड का उत्तरदायित्व है और जिसे इस बोर्ड को निभाना है। मैं इसलिये नम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ उन सदस्यों से जिन्होंने अपने संशोधन इस विषय में सदन के विचारार्थ उपस्थित किए हैं कि वे अपने इन संशोधनों को उपस्थित न करे और उस संशोधन को मान लें जोकि शाब्दिक है और जिसके द्वारा हमने जो शब्द अब तक प्रस्तावित धारा में रखे हैं वह कानूनी हो जाते हैं। मैं इसलिए अधिक और न कहता हुआ फिर से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विधेयक का मंशा अपने प्रदेशों के चर्चों और हकीमों को बोर्ड में खड़ा होने की नीति की तरफ ले जाने वाला है जिसे कदाचित् आयुर्वेद और तिब्ब का भला हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूँ जोकि प्रस्तावित धारा के विरुद्ध उपस्थित किए गए हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिस नीति का विश्लेषण किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ और वैद्यों, हकीमों के प्रति जो सद्भावना उन्होंने इस माननीय सदन के सम्मुख प्रकट की है उसका भी स्वागत करता हूँ। लेकिन जो बातें इस प्रस्तुत संशोधन के विरोध में कही गयी हैं, जो कारण दिए गए हैं उनसे मैं अपने को इस बात में असमर्थ पा रहा हूँ कि पूरे तौर पर उन बातों का समर्थन कर सकूँ। मैं समझता हूँ कि बोर्ड का प्रेसीडेंट नामिनेटेड हो, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इलेक्टेड न हो यह बात मुझे अपनी छोटी सी सम्मति में उचित नहीं प्रतीत होती। उसका कारण यह दिया गया इससे पार्टीबन्दी होगी और इससे बोर्ड के काम में दिक्कत पैदा होगी। अगर यह बात मान ली जाय तो जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके ही मूल पर यह आघात पहुंचाती है। अगर इस दलील को हम मान लें तब तो फिर जहाँ-जहाँ भी चुन कर के प्रेसीडेंट या चेयरमैन होते हैं वहाँ-वहाँ सरकार अपने हाथ में यह अधिकार ले ले कि वे सब जगहें नामिनेटेड हों। गांव सभाओं में चुनाव हो रहे हैं, जो गांव सभाओं के सभापित होंगे वहाँ भी नामिनेशन की पालिसी अख्तियार की जाय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन और प्रेसीडेंट जो होते हैं उनको भी नामिनेटेड किया जाय और इस प्रकार से जहाँ-जहाँ भी चुनाव के जरिये से कोई प्रेसीडेंट या चेयरमैन हो झगड़ा बचाने के लिये गवर्नमेंट वहाँ नामिनेट करे, लेकिन यह सिद्धांत उचित नहीं प्रतीत होता। आज जनतंत्र में हम जनता के वोट से ही अपना शासन संचालित कर रहे हैं। हम अपने अधीनस्थ बहुत सी संस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं। यह दलील देना कि इंडियन बोर्ड आफ होमियोपैथी में जो बोर्ड है उसका चेयरमैन या प्रेसीडेंट

नामिनेटेड होता है यह तो कोई सिद्धांत की बात नहीं है क्योंकि जो मिसाल दी जाती है वह अगर अपनी जगह पर मुनासिबन हो तो उसका यह मतलब नहीं है कि जैसा हम किए हुए हैं वही करते रहें। हमको इस चीज को कंसीडर करना है और यदि हम समझते हैं कि यह चीज मुनासिब है कि बोर्ड अपने अन्दर से या बाहर से अपना चेयरमैन चुन ले तो फिर उसके अनुसार हम होम्योपैथी के बोर्ड से या और जगह जहां-जहां आवश्यक हो उस नीति का अनुसरण कर सकते हैं लेकिन यह कहना कि एक जगह जो हो चुका है, वही नीति हर जगह अपनाई जाय यह दलील कोई मानने वाली दलील नहीं है। मैं समझता हूँ कि पहले जो इंडियन मेडिसिन ऐक्ट था उसमें जो बात रखी गई थी वह अपनी जगह पर मुनासिब थी। उसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही था—

“The Chairman shall be elected by the members of the Board. Any member of the Board or outsider will be eligible for election or nomination as Chairman” .

चेयरमैन की जगह प्रेसीडेंट कर दिया, उसमें कोई एतराज की बात नहीं है। अब यह कहना कि अगर सरकार नामिनेट करेगी, वही काबिल होगा, वही अच्छी तरह संचालन कर सकेगा, यह बात भी अपनी जगह पर ठीक नहीं लगती। जो बोर्ड के सदस्य होंगे उसमें वैद्य और हकीम होंगे, पांच सरकार के नामिनेटेड रहेंगे। वह लोग अपना चेयरमैन अपने अन्दर से ही चुन ले और बाहर से अगर उनमें आपस में समझौता हो जाता है तो बाहर से चुन ले। व अच्छे से अच्छे आदमी को बोर्ड का प्रेसीडेंट चुन सकते हैं। यह तो सिद्धांत की बात है। अगर यह मूल सिद्धांत की बात न होती, तो मैं इस माननीय सदन का समय इस संबंध में लेना उचित न समझता। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि अगर माननीय मंत्री महोदय की यह दलील मान ली जाय तो धीरे-धीरे हम हर जगह से चुनाव की पद्धति को इलीमिनेट कर देंगे और जो चुनाव की मूलभूत व्यवस्था है उसको आघात पहुंचाने की तरफ हम कदम बढ़ाते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे, अनजान में भी हमारी गवर्नमेंट उसी तरफ खिसकती जा रही है। जहां पर कि उस प्रजातन्त्र के अधिकारों के अनुसार चुनाव के जरिये से जो अधिकार सदस्यों को होना चाहिये उसको धीरे-धीरे आघात पहुंच रहा है। पहली बात तो यह है कि जो संशोधन का प्रस्ताव आया है उसमें जहां तक इस चुनाव की बात है मैं उसका समर्थक हूँ।

दूसरी बात यह है कि कोई विशेष अन्तर जो संशोधन में आया है उसमें और जो मूल प्रस्ताव है, उसमें कोई विशेष अन्तर बोर्ड के कान्स्टीट्यूशन में नहीं है। दो-एक बातें अन्तर की हैं और मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने जो संशोधन रखा है उस मूल संशोधन में, उसको मानते हुए, मैं समझता हूँ कि वह तो अपनी जगह पर ठीक है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से चुन करके आये। उसकी कोई आवश्यकता इसमें प्रतीत नहीं होती। उसको मानते हुए बाकी जो बात रह जाती है उसमें और जो मूल संशोधन है उसमें केवल इतना ही अन्तर रहता है। उसमें दो विधान सभा के चुने हुए लोग चले जायें और एक कौंसिल से चला जाय। तादाद तो १९ की तब भी रह जाती है और १९ की तब भी। जो संशोधन है उसमें ९ मेम्बर की जगह जोकि रजिस्टर्ड वैद्य और हकीमों से चुने जायेंगे उनमें से सात संशोधन में कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार दो उसमें कम कर दिये गए। एक नामिनेटेड में कमी कर दी। यानी मूल विधेयक में पांच नामिनेटेड है, उसमें चार रखे, तो तीन की जो कमी है उसमें दो विधान सभा के और एक कौंसिल का, वह उधर की कमी इधर पूरी हो गयी। मैं समझता हूँ कि इस विधान सभा और कौंसिल के सदस्य बोर्ड में लेना जरूरी है। यह भी एक पूरे प्रदेश की नुमायंदगी करते हैं। वैसे तो हमारे अन्दर वैद्य और हकीम भी हैं। लेकिन अगर न भी हों तो भी इस सदन के माननीय सदस्यों की और सदन की जानकारी के लिये कि बोर्ड में क्या हो रहा है, उसकी क्या ऐक्टिविटीज है, उनके जरिये से इस सदन के माननीय सदस्यों को भी समय-समय पर प्रकाश पड़ता रहेगा। यहां के जो

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

मदम्य चुने हुए होंगे वे समय-समय पर, बोर्ड या फ़ैकल्टी में जो कार्यसंचालन हो रहा है, उमड़े ब्रास में प्रकाश अच्छी तरह से डाल सकेंगे। वरना हम अन्धकार में रहेंगे। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहता हूँ कि पांच जो नामिनेटेंड होंगे सरकार की तरफ से उसमें सरकार ने यह नहीं रखा है कि वह वैद्य और हकीम होंगे।

उनकी इच्छा यह है कि यह बोर्ड ऊंचे दर्जे का बोर्ड हो, ऊंचे वैद्य और हकीम हों। न, जहां न-न चुने हुए हैं उनके लिये व्यवस्था है लेकिन जो नामिनेट होंगे उनके लिये भी वैसा ही व्यवस्था होनी चाहिये और जो नामिनेटेंड प्रेसीडेन्ट होगा उसके लिए भी इसमें यह बात नहीं आयी है कि वह कोई वैद्य या हकीम होगा। संभव है कि माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात हो कि किसी व्यक्ति को जोकि ऊंचे दर्जे का वैद्य या हकीम है उसी को प्रेसीडेन्ट नामिनेट करें। लेकिन साथ ही साथ इसमें यह भी बात नहीं आयी कि कोई नान-आफिशियल होगा। तो इससे सरकार को खुला रास्ता है कि किसी आफिशियल को बोर्ड का प्रेसीडेन्ट नामिनेट करने का। मैं चाहता हूँ कि बोर्ड का प्रेसीडेन्ट आफिशियल न हो अगर अगर नामिनेट करेगा भी, जिसका मैं विरोधी हूँ, तो भी वह कोई आफिशियल नहीं होना चाहिये। नान-आफिशियल चेयरमैन होना चाहिये। क्योंकि ऐसी संस्थाओं पर जो उनकी जो स्वतन्त्र कार्य संचालन करने की जिम्मेदारी है अगर उसमें सरकार का कोई आफिशियल कर्मचारी प्रेसीडेन्ट होता है तो फिर उसकी स्वतन्त्र नीति बोर्ड की स्थापना में नहीं हो सकती है। माननीय मन्त्री ने यह कहा कि चुना हुआ जो प्रेसीडेन्ट होगा वह दलबन्दी में होगा, वह तमाम गड़बड़ी करेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रेसीडेन्ट आफिशियल होगा उसमें भी फिर एकतन्त्र होगा, वह बोर्ड के मेम्बरों की कोई परवाह नहीं करेगा और बोर्ड के सदस्यों का क्या मत है, वह क्या चाहते हैं उसकी उपेक्षा करेगा। आपके द्वारा मैं माननीय मन्त्री और सदस्यों को जानकारी के लिये एक उदाहरण के तौर पर यह बतला सकता हूँ कि इन्टरमीडियेट एजुकेशन बोर्ड है उसका प्रेसीडेन्ट डायरेक्टर आफ एजुकेशन है। डायरेक्टर के होने से अभी जो बोर्ड के सदस्यों में उनके प्रति एक असन्तोष फैला वह इलाहाबाद में जो बोर्ड की पिछली बैठक हुई थी उससे प्रकट है और इसी माननीय सदन के सदस्य श्री परिपूर्णानन्द वर्मा ने उनके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाने की बात कही थी। लेकिन वह नहीं आ सकी। माननीय उपाध्यक्ष, वह प्रस्ताव नहीं आ सका। क्योंकि वह आफिशियल कैम्पेन्टी डायरेक्टर की थी वह बोर्ड का प्रेसीडेन्ट है। अगर कोई चुना हुआ सदस्य होता तो बोर्ड के सदस्य ऐसा कर सकते, अगर वे देखते कि प्रेसीडेन्ट ठीक नहीं कर रहा है तो उसे हटाने। लेकिन उनकी सामर्थ्य के बाहर की चीज हो गयी और वह चीज जिसके लिये उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा रहा था वह नहीं लाया जा सका। वह चीज ऐसी थी कि जो माननीय सदन के सदस्य समय-समय पर जान भी चुके हैं। जौनपुर जिले में एक स्कूल, हिन्दू हायर सेकण्डरी स्कूल है उसका रिकगनीशन विदड़ा करने के लिये समय दिया गया पहली अक्टूबर तक कि बोर्ड अपनी खामियों को पहली अक्टूबर तक दूर करे और डम बीच में डायरेक्टर महोदय ने अपने विशेषाधिकार से एक दूसरे स्कूल को जो वहां पाठोबन्दी के आधार पर जुलाई में खोला गया तो अगस्त-सितम्बर दो महीने के बाद डायरेक्टर महोदय ने विशेषाधिकार से उसको मान्यता प्राप्त कर दी। यह बोर्ड के दूसरे सदस्यों के लिये बेचनी की बात हो गई जब एक दूसरा स्कूल चल रहा था उसका रिकगनीशन खतरा नहीं हुआ था और अक्टूबर उसके लिये समय था। रिकगनीशन न विदड़ा होते हुए दूसरे स्कूल को डायरेक्टर महोदय ने मान्यता प्रदान की जबकि जिसकी मान्यता प्रदान की गई विशेषाधिकार में, उसकी कोई शर्त पूरी नहीं थी। न तो ट्रेन्ड टीचर्स है और न जितनी क्रियाये होती है वे कुछ भी नहीं थीं। तो इस प्रकार जो गवर्नमेंट नामिनेटेंड प्रेसीडेन्ट डायरेक्टर.....

श्री शिवनारायण—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इंडियन मेडिसिन बिल पेश है और आप सारी एजुकेशन की बातें यहां कर रहे हैं, यह कहां तक ठीक है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरा यहाँ माननीय सदस्य जो बातें कह रहे हैं उनका ध्यान जो यह उद्देश्य है—वो है उम्मीद की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। उनकी बातें बहुत स्वतन्त्र हो जायगी यदि वे कृपा करके पावर्स ऐन्ड इण्टीज आफ दि फेकल्टी का प्रस्ताव कर लें तो मारी बहम जितनी वह कर रहे हैं वह निरर्थक सिद्ध होती क्योंकि यह प्रस्ताव देना तो फेकल्टी का कार्य है और फेकल्टी में सारे वह व्यक्ति होंगे जोकि विद्वान्-विद्वान् में आयेंगे और जो प्रविनिधि होंगे शिक्षा मन्त्रियों के। इसलिये जितनी मारी बातें उन्होंने कही, वह सब निरर्थक है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फेकल्टी का भी प्रेसीडेन्ट वही होगा माननीय मन्त्री महोदय ने जो बात कही वह सही है कि फेकल्टी को रिकग्नीशन देने का अधिकार होगा लेकिन जो प्रेसीडेन्ट बोर्ड का नामिनेटेड होगा वही प्रेसीडेन्ट फेकल्टी का भी होगा और फेकल्टी में और बोर्ड में आपस में मतभेद जब नहीं होगा तो उस समय वह प्रश्न मन्त्रियों के पास भेजा जायगा। तो बोर्ड का भी प्रेसीडेन्ट और फेकल्टी का भी प्रेसीडेन्ट वह नामिनेटेड ही, मैं इन दोनों ही का विरोध करता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो चुना हुआ व्यक्ति बोर्ड का प्रेसीडेन्ट हो वही फेकल्टी का भी प्रेसीडेन्ट हो।

मैं उस उदाहरण के तौर पर एक बात उपस्थित कर रहा था। मालूम होता है कि माननीय शिव नारायण जी ने उसकी सुनकर समझने की कोशिश नहीं की। अपनी जगह पर मैं समझता हूँ कि वह मियाल सही है। इस प्रकार मैं जो एजुकेशन डेपार्टमेंट बोर्ड के प्रेसीडेन्ट हूँ, डायरेक्टर महोदय उन्होंने जो कुछ किया उसमें बोर्ड के सदस्यों को कोई भी अधिकार नहीं चल सका और मैं तब कि उनके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव भी नहीं लाया जा सका। इसी तरह अगर कोई धाधली बोर्ड का नामिनेटेड प्रेसीडेन्ट करे तो फिर उसके लिये बोर्ड के सदस्यों के पास कोई चारा नहीं है मैं अभी निवेदन कर रहा हूँ कि बोर्ड का जो प्रेसीडेन्ट हो वह नामिनेटेड न हो। जो मूल विधेयक था उस मूल विधेयक में प्रेसीडेन्ट चुनने का अधिकार बोर्ड के सदस्यों को दिया गया था वह अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और मैं समझता हूँ कि वह कायम रहना चाहिये। माननीय माननीय मन्त्री महोदय ने यह कही कि बोर्ड में कोई पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति का सदस्य नामजद किया जाय यह बात मुनासिब नहीं है। लेकिन मूल विधेयक में यह उल्लेख था कि नामिनेटेड में से एक सदस्य अनुसूचित जाति का हुआ करेगा। पता नहीं उस समय जो नीति निर्धारित की गई थी माननीय मन्त्री महोदय ने की थी, उसमें कौन सी नीति पायी गयी, क्या उससे बोर्ड का स्तर गिर गया, क्यों उन्होंने अपनी दलील में कहा कि इनके बोर्ड का स्तर गिर जायगा? किन्तु महदूद दायरे के अन्दर बाधना किसी बोर्ड के सदस्यों के लिये कि वह अनुसूचित या बैकवर्ड जाति का हो, यह वह मुनासिब नहीं समझ रहे हैं लेकिन यह भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक नीति का प्रश्न है। मैं माननीय मन्त्री महोदय में बहुत नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार की तरफ से ऐसा कदम उठाया भी जाता है तो सरकार के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के द्वारा जिस प्रकार वह नीति व्यवहार में आती है उसका बहुत जुरा परिणाम हम देख रहे हैं। उससे अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के अन्दर अमन्तोष बढ़ता जा रहा है। आज ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि स्थाना विभाग में ७१ मुन्नाजिम भरी किये गये और उसमें अनुसूचित जाति के दो निम्न श्रेणी में और बैकवर्ड के दो जो सबसे निम्न श्रेणी के कर्मचारी होते हैं उन्हें रखे गये। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सारे प्रदेश में मुन्नाजिम विभाग के लिये कोई अनुसूचित जाति का और बैकवर्ड जाति का कोई योग्य व्यक्ति मिला ही नहीं। यह चीज होती है। सरकार जानती है। सबाली में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी सरकारी कर्मचारी सरकार की नीति की उपेक्षा करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि सरकार अपनी नीति में पीछे रहना चाहती है। सरकार चाहती है १८ फीसदी अनुसूचित जातियों की भर्ती हो जाय, सरकार चाहती है पिछड़ी जातियों का लिहाज किया जाय।

[श्री द्वारका प्रसाद सोर्य]

अप्वाइन्टमेंट डिपार्टमेंट से खास तौर से एक सूची भेज दी गयी, लेकिन सरकार की नीति होते हुये भी उसकी अवहेलना सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाती है। अगर सरकार बोर्ड के जो नामजद सदस्य हैं, यह व्यवस्था जो पहले थी उसे भी निकाल देती है, मान लिया कि बैंकवर्ड के नहीं थे, उसे न बढ़ाइये, लेकिन जो पहले से व्यवस्था थी उसको निकालने का यह अर्थ होगा कि फिर ऐसा वातावरण पैदा होता है जिसमें अनुसूचित जातियों की तरफ से सरकारी कर्मचारियों की दृष्टि हटती चली जाय। बोर्ड के अन्दर सारे प्रदेश में, ऐसा हम मानने को तैयार नहीं हैं कि अनुसूचित जाति का एक भी आदमी अच्छा कहीं न मिला। मैं समझता हूँ कि अगर इस चीज को सरकार अपने नामिनेशन में करती है अनुसूचित और बैंकवर्ड के लिये, तो नीति पर इसका असर पड़गा और जो तमान प्रदेश में आज अनुसूचित और बैंकवर्ड जाति के साथ उपेक्षा की दृष्टि की जाती है और जिस तरह की व्यवस्था हो रही है और जिस तरह से हमको उमझा दिया जाता है इस माननीय सदन के सामने कि कोई योग्य व्यक्ति मिला नहीं, ऐसी दरखास्त नहीं आई, ऐसी बात ही गयी, यह सब जो समझा दिया जाता है उससे लिहाज इसके कि जो नसोस कर बैठ जायं, लेकिन यह बात कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि सूचना विभाग के लिये कोई उभयुक्त आदमी अनुसूचित जाति में से नहीं मिला सकता था, कोई जिम्मेदार नहीं मिल सकता था। इसलिये मैं कहूँगा कि सरकार अपनी इस नीति को बदले और इन बैंकवर्ड और पिछड़ी जातियों का एक एक सदस्य नामिनेट करे। उस नामिनेशन में इस बोर्ड की महत्ता घटेगी नहीं, बल्कि बढ़ेगी और उममे सब का, एक समावेश ही जायगा। संभव है कि उसमें एलेक्टेड भी आ जायं, संभव है कि कोई न आवे तो फिर अगर नामिनेशन से रहता है तो वह बोर्ड एकांगी न होकर सर्वांगी होगा, इसलिये उसका रहना भी बहुत आवश्यक है।

मैं समझता हूँ कि इस संशोधन को जो माननीय तेज प्रताप सिंह ने रखा है और उसमें श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने जो संशोधन रखा है उसके साथ स्वीकार होना चाहिये, क्योंकि जैसा मैंने कहा उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। जहाँ तक सदस्यों की वाबत है तो इस सदन के दो माननीय सदस्य और कौंसिल के एक सदस्य वहाँ जायें तो उममे हमारे सदन का महत्व बढ़ता है और सदन की जानकारी के लिये भी यह आवश्यक है। साथ ही एलेक्टेड होकर अगर सदस्य आवें तो अच्छा है, सरकार जो यह हर जगह प्रेसीडेंट को नामिनेटेड करती चली जा रही है मैं इसका समर्थन करने से मजबूर हूँ। मैं समझता हूँ कि वह इस संशोधन की अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

श्री शिव नारायण — मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—श्री राजनारायण जी की स्पीच होने के बाद।

*श्री राज नारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं दिल से यह इच्छा करता था कि माननीय गुप्ता जी का जो विधेयक प्रस्तुत है उसकी कहीं से ताईद करूँ, मगर जब कतव्य में बाध्य होता हूँ और समुचित बुद्धि का उपयोग किया जाता है तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि इसके विरोध में आवाज बुलन्द होनी चाहिये।

श्रीमन्, जहाँ तक माननीय गुप्ता जी की भावना है, उनकी इच्छा उनका इन्टेंशन है, मैं पहले भी आपके द्वारा कह चुका हूँ और आज भी उन्हें बताना चाहता हूँ उस पर अटेक करने का मेरा मकसद नहीं है। हो सकता है, गुप्ता जी की भावना बड़ी पवित्र हो, उनकी जैसी पवित्र भावना हो वैसी हमारी भी न हो। इसीलिये श्रीमन्, मैं जब सैद्धान्तिक वाद-विवाद हो, बराबर इस सदन में निवेदन करता रहा हूँ कि इन्टेंशन और मोटिव का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये। इन्टेंशन अच्छा है, इन्टेंशन शान्ति स्थापित करने का है, सारे प्रदेश में अशान्ति व्यापित है, इन्टेंशन कोई यह नहीं कह सकता कि इस सरकार का है कि अहिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़े लेकिन अहिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, किसी को यह कहने का शायद साहस नहीं होगा कि सरकार का भाव है कि अराजकता व्यापित हो, मगर अराजकता व्यापित ही रही है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो मैं उही उदाहरण देने हुये श्रीमन् चाहता हूँ कि इस सदन के सम्मानित सदस्य जो पहले कानून लाने या उसकी धारा को देखें और जो माननीय गुप्ता जी ने प्रस्तुत किया है उसका अन्वेषण करें और उसमें जो संशोधन प्रस्तुत है उनको देखें, तीनों बातों को देखें। जो मूल अधिनियम या इसमें अगर बोर्ड के कान्स्टीट्यूशन को देखें तो "The chairman shall be elected by the members of the Board" चेयरमैन का चुनाव बोर्ड के मम्बरों के द्वारा होगा। दूसरा यह है "Five members nominated by the Provincial Government of whom one shall belong to a scheduled caste, one shall be a Vaidya and one a hakim who have high distinction in the practice of their profession".

पहले के अधिनियम में सरकार को इन धाराओं के अन्दर एक रोशन दी गयी थी। सरकार यदि नामिनेट भी करने का अधिकार रखती थी ५ मम्बरों को तो सरकार के लिये एक घेरा बना दिया गया था, एक मर्यादा सुरक्षित की गयी थी। वह घेरा यह था कि "who have attained high distinction in the practice of their profession". जो अपने चिकित्सा करने के कायम निपुण हों ऐसे लोगों में से ही सरकार ५ व्यक्तियों को नामिनेट करेगी। मगर जब वर्तमान विधेयक, जो प्रस्तुत है, उसको देखा जाता है तो यह बातें उसमें नहीं हैं। श्रीमन्, मैं समय बचाने की दृष्टि से पहले उसको कह दूँ फिर अपने तर्कों के समर्थन में जो सरकार के द्वारा प्रस्तुत विधेयक है और जो संशोधन प्रस्तुत है उन पर आक्रमण। तीसरा क्लोज देखा जाय श्रीमन् तो उसमें है :--

"Three members elected by the United Provinces Legislative Assembly from amongst its members by single transferable vote."

इस असेम्बली को भी अधिकार प्राप्त था कि सिंगल ट्रान्सफरैबिल वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को उस बोर्ड में भेजें। सदन के सम्मानित सदस्य जब माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार करने लगे तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करूँगा कि वे अपने अधिकार को भी ज़रा ध्यान में रखें। इसके बाद चौथा तो श्रीमन्, इसी तरह से है लजिम्बेटिव कौंसिल के लिये। ५वाँ क्लोज देखा जाय तो उसमें है :

"Three members elected by all the members of the District Boards of the United Provinces in the prescribed manner by single transferable vote."

इसी प्रकार से म्युनिसिपल बोर्डों के लिये भी है कि सिंगल ट्रान्सफरैबिल वोटों के द्वारा चुनाव होने की बात थी। श्रीमन् जब मैं पहले जिस धारा में कान्स्टीट्यूशन आफ बोर्ड का निर्माण होता था उसको देखता हूँ, तो सहज और स्वाभाविक बुद्धि से इसी नतीजे पर आता हूँ कि पहले जनतन्त्र प्रणाली को अख्तियार करने की बात दिमाग में रहती थी और हम इस बात के अभ्यस्त नहीं थे कि सारी शक्ति को अपने हाथ में लेकर काम करें। क्या कारण है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और इन दिक्कतों को सामने रखते हुये आज माननीय मन्त्री जी के द्वारा जो प्रस्तुत विधेयक है तो मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि गुप्ता जी की सद्बिच्छा हो, इन्टेन्शन बढ़िया हो, लेकिन इसके बाद जिस व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता चली जाती है तो वह निरंकुश हो सकता है।

अब यह विवाद हिन्दुस्तान में उठाया जाय। आज की सरकार को छोड़ दीजिये। पहले के भी उदाहरण हैं श्रीमन्, राम एक राजा थे लेकिन राम राज्य की कल्पना सब करते हैं, और गांधी जी भी राम राज्य स्थापित करने का निरन्तर ऐलान करते रहे। मगर यह कह दिया जाय कि राम की प्रतिभा सब में ही ऐसी बात नहीं है। एक डिक्टेटर भी यदि संतुलित बुद्धि का है, न्याययुक्त बुद्धि का है, वह बढ़िया काम कर सकता है। यह कोई नहीं कह सकता कि डिक्टेटर हमेशा बुरा काम करेगा। उनके द्वारा अच्छा काम भी हो सकता है। लेकिन इसके माने यह नहीं होंगे कि डिक्टेटरशिप की प्रणाली अख्तियार की जाय, तानाशाही

[श्री राजनारायण]

की प्रणाली को अख्तियार किया जाय और जनतन्त्र प्रणाली को छोड़ कर हिटलरशाही और जारशाही प्रणाली को अख्तियार किया जाय !

हमारा मंत्री जी से निवेदन है और वह यह है कि वह कृपा करके अपना इन्टेन्शन, नीति और मनोवृत्ति को हम लोगों के सामने न रखे क्योंकि उनकी नीति, मनोवृत्ति और इच्छा के अच्छे होते हुये भी इस विधेयक के अन्दर जो ताकत और शक्ति ली जा रही है वह प्रत्येक जनतन्त्र प्रणाली के विरुद्ध है और उसका विरोध हर एक सचेत जनतन्त्र के प्रेमी को करना चाहिये। श्रीमन्, मैं समझता क्योंकि कभी-कभी गुप्ता जी के कार्य से हमें ऐसा लगता है कि सेंट्रलाइज सत्ता के विरुद्ध आवाज बूलन्द करते हैं, कभी-कभी झलक आती है और जब गुप्ता जी के द्वारा विधेयक प्रस्तुत हो और सेंट्रलाइज सत्ता के अख्तियार करने की बात हो तो काम कैसे चलेगा और फिर कुछ प्रमाण भी पेश करने पड़ते हैं।

इस प्रकार से श्रीमन्, आप देखेंगे कि यह मनोवृत्ति चाहे वह सरकार का विषय हो या चाहे राजनीतिक पार्टी का विषय हो, हर जगह सेंट्रलाइज करने की प्रवृत्ति होगी। सत्ता के डिसेन्ट्रलाइजेशन के लिये आज रिवोल्ट करना चाहिये। मैं तो अपने कांग्रेसी दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ कि जो सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति के विरुद्ध रिवोल्ट करने के लिये आगे बढ़ते हैं। श्रीमन्, जब मैं इस विधेयक की धाराओं को एक-एक करके आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करता हूँ कि जो संशोधन अच्छे हैं उनको मानने की कृपा करें।

“A President to be nominated by the state Government,, क्यों? क्यों स्टेट गवर्नमेंट नामिनेट करे? पहले मैं क्या दोष था? पहला तरीका क्यों नहीं चलाया गया? क्या खामी थी? और श्रीमन्, मैं क्या बताऊँ, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन पर ब्लैक स्पॉट है। माननीय गुप्त जी नहीं थे, मैंने उनको फोन किया था और फिर मैंने उनको बताया कि यहाँ की क्या हालत है। जो सरकार के विभाग में दवाइयाँ बनती हैं वहाँ कितना गबन होता है, सामान का कितना दुरुपयोग होता है, कहां से सोना आता है, कहां से मोती आता है और कैसे जाता है? मैंने जाकर माननीय मुख्य मन्त्री जी से बयान किया कि आप हमको एक आदमी भेजिये और चलकर सारी की सारी फ़ाइलें पकड़ लीजिये और देख लीजिये कि किस तरह से सारी कार्यवाही हो रही है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसमें एक भुक्तभोगी भी है, वह बराबर पत्र लिखता रहता है और मैं उसकी कापियाँ करवा करवा कर बराबर भेजता रहा हूँ, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बेचारा डर के मार लखनऊ छोड़कर दूसरी जगह भी चला गया। डायरेक्टर की चिट्ठी उसके पास है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख कर्मचारियों के पत्र मैंने अपनी आँखों से देखे हैं कि तुम अपनी शिकायत लिखकर दो। लेकिन जब कोई ऐसा मामला आ जाता है, शिकायत आ जाती है तो उसमें चूँकि डिप्टी डायरेक्टर फंसते हैं, डायरेक्टर फंसते हैं तो इसलिये सारा मामला ठप कर दिया जाता है। मैं माननीय गुप्त जी से फिर कहना चाहता हूँ कि हालांकि मैं सदन में सारी बात नहीं रखना चाहता, मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी से सारी बातें कही, और जब मैंने कहा कि हमारे साथ आदमी भेजिये तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह हमारे साथ आदमी भेजत क्योंकि वहाँ मामला पकड़ जाने वाला था और सारा जाल बट्टा साबित हो जान वाला था। फिर मैं यह भी कहने का साहस नहीं करता कि डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर सभी एक से होते हैं। सभी एक से नहीं होते। मनुष्यों में भी विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन ऐसी प्रणाली ही क्यों अपनायी जाय कि जिसके अन्दर ऐसी गुन्जायिश हो? अगर आदमी अच्छा है तो वह अच्छा काम करेगा और अगर बुरा है तो वह बुरा काम करेगा। तो जो सारी पाबन्दी बुरे आदमियों के लिये होनी चाहिये थी इसमें नहीं है। वही कभी इसमें पायी जा रही है और माननीय गुप्त जी चाहें कितने ही कर्मठ क्यों न हों, वह सारी प्रतिभा के बाद भी असमर्थ होंगे जब नामिनेशन करने की बात आयेंगी। उस समय पचीसी तरह के कंसोडरशन्स उनके सामने आयेंगे, सरकार के सामने

बातें आयेंगी, और यह कहना कि अगर चुनाव की प्रणाली रहेगी तो उसमें गड़बड़ी रहेगी और अगर नामिनेशन की प्रणाली रहेगी तो उसमें गड़बड़ी नहीं रहेगी, ऐसी बात नहीं है। चुनाव की प्रणाली में भी यदि गड़बड़ी हो तो हो सकती है। नामिनेशन की प्रणाली में भी यदि गड़बड़ी हो, तो हो सकती है। इसलिये हमको जो अच्छा मार्ग हो, जो बढ़िया मार्ग हो, जिसमें सत्ता बांट कर चलने की बात हो उसकी ओर ही कदम उठाना चाहिये। दूसरे किसी प्रकार के तर्क पर नहीं जाना चाहिये। उस तर्क पर जाने से अनर्थ होगा। ओर श्रीमन्, आगे मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मन्त्री जी से ओर माननीय मल्ल जी से। मैं समझ नहीं पाया कि जो माननीय मल्ल जी ने अपनी तक्रार के दौरान में यह बात कह दी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड से चुनाव कराने में कुछ दिक्कत होगी। मगर मैं यह कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह अधिकार होना चाहिये, कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जरिये जो सिगिल ट्रान्सफरेबिल वोट की प्रणाली थी उसके जरिये प्रतिनिधि चुने जाने चाहिये, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास बहुत सी आयुर्वेद की शाखाएँ हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अच्छा होता है तो यह अपने ढंग पर चिकित्सा की प्रणाली को करता है। तो तमाम प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रतिनिधि हों उनके जरिये से उन लोगों पर अंकुश रहेगा, आचार-विचार का आदान-प्रदान होगा और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी उनके विचारों से अवगत होते रहेंगे। इसलिये मैं मल्ल जी से निवेदन करूँगा कि तेजप्रताप सिंह जी का जो संशोधन है वह उसका विरोध न करे। और मल्ल जी का विरोध केवल सिद्धान्त के रूप में नहीं था। जहाँ तक कि मैंने उनकी बात को सुना था उन्होंने व्यावहारिक दृष्टि से कहा था। मैं उनसे यह कहूँगा कि यह व्यावहारिक दृष्टि से पहले भी था। पहले भी चुनाव होता था उसी तरह से अब भी होगा। हमारी असेम्बली के जो मेम्बरान थे उनके लिये क्यों नहीं बढ़ाया गया? अब जो बोर्ड बनेगा उसमें विधान सभा के जो पहले कानून के अन्तर्गत सिगिल ट्रान्सफरेबिल वोट के जरिये से प्रतिनिधि भेजने का तरीका था अब वह नहीं है। हम चाहते हैं कि जो विधान सभा के सम्मानित सदस्य यहाँ पर एकत्रित हुये हैं उनको यह हक होना चाहिये ताकि वह भी यह देखें कि आयुर्वेद कैसे विकसित होगा? जो पुरानी पद्धति यूनानी सिस्टम की है वह किस प्रकार से विकसित होगी और उसमें क्या बुराई है। उसमें ऐसे प्रतिनिधि चुनकर भेजे जायें जिनके द्वारा अपनी भावना को, अपने विचार को और अपने तर्क को वह मेम्बरों के सामने रख सके।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी नामिनेशन प्रणाली सरकार द्वारा रखी गयी है उसमें कमी हो। अगर माननीय मन्त्री जी चाहते हैं कि कुछ नामिनेशन के अधिकार सरकार के हाथ में रहें तो इस प्रकार का नामिनेशन का तरीका रखे जिससे पहले अधिनियम के अन्दर जो मर्यादा सुरक्षित रखी थी तो वह जरूर वहाँ होनी चाहिये। मैंने तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन को देखा और उस संशोधन से मुझे यह बात नहीं मालूम हुई कि वह किस तरीके से चाहते हैं कि इन लोगों का चुनाव हो? चुनाव में सिड्यूल कास्ट या और कोई दल के उसमें रहने की आवश्यकता है या कुछ दूसरे लोगों के रहने की आवश्यकता है? मगर उनके लिये कुछ मर्यादा हो कि उनको इस प्रणाली से जानकारी है। आयुर्वेद के बारे में उनकी दक्षता हो, यूनानी चिकित्सा पद्धति में उनकी दक्षता हो। ऐसे लोगों को उसके लिये नामजद करे। ऐसा न हो कि इधर-उधर से लोग उसमें आ सकें। अब मैं नहीं कह सकता कि पावर पालिटिक्स के प्रेशर से उसमें काम हो सकता है। मैं समझता हूँ कि गुप्ता जी इस प्रकार से वहाँ नहीं करेंगे। वैसे पावर पालिटिक्स के आधार पर बहुत से नामिनेशन होत हैं। अतः सरकार को स्वतः अपने को बचाने के लिये खुद चाहिये कि वह ऐसी व्यवस्था करे, ऐसा ढाँचा बनाये जिसमें जनता की भी जिम्मेदारी हो और जनता के प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी हो। अगर कोई गड़बड़ हो तो वह खुद भी सोवें और उसके लिये सुधार करके अपने को वह आगे बढ़ावें। मगर सरकार यह कहेगी कि पहले की कुछ गड़बड़ी है अब उन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिये और

[श्री राजनारायण]

सुधार करने के लिये प्रेसीडेंट को नामजद कर रहे हैं तो यह हमारे लिये बहुत दूषित है और यह हमारे लिये बड़ा खतरनाक रास्ता है जिस रास्ते पर चलने से संघर्ष होकर डिक्टेटरशिप बढ़ेगी। मैं गुप्ता जी की एक बात को मानता हूँ जो उन्होंने अपनी दौराने तकरीर में कही थी कि यह एक विभाग ऐसा है स्वास्थ्य का जिसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं है। इसको कांग्रेस का विश्वासी भी होना चाहिये, सोशलिस्ट का भी विश्वासी होना चाहिये, प्रजासोशलिस्ट का भी विश्वासी होना चाहिये और कम्युनिस्ट का भी विश्वासी होना चाहिये। जितने भी लोग हैं उनको तन्दुरुस्ती अच्छी होनी चाहिये। जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो राजनीति भी अच्छी हो सकती है। इसलिये मेरा कहना है कि जब गुप्ता जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि गुप्ता जी सरकार के हाथ में सारी शक्ति रख तो उसक लिये कोई दूसरी वजह होती और उसके लिये सरकार कुछ तर्क देती किन्तु जिस विभाग में राजनीति नहीं होनी चाहिये उस विभाग में भी सरकार ऐसे अधिकार अपने हाथ में रखे और ऐसा विधेयक पेश करे, अच्छी मनोवृत्ति के होते हुये भी बहुत खतरनाक है। इसमें संशोधन होना चाहिये और मैं माननीय गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि अगर जल्दी में अथवा किसी जिद्द के कारण उन्होंने पहले इस अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं किया तो इसको आगे बढ़ा दें और अगर हमारे संशोधन को स्वीकार न करें तो किसी कांग्रेसी से वैसा संशोधन रखवा दें जिसमें यह बात आ जायें। हाँ इतना प्रतिबन्ध उसमें आ जाय, जिससे क्वैक्स न आने पायें।

यों तो इसमें बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं और इस पर हमारे सम्मानित सदस्य अपने ख्यालात को प्रकट कर चुके हैं। मैं थोड़े में इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूँ कि माननीय गुप्ता जी ने इस विधेयक के समर्थन में एक तथ्य यह रखा कि एलोपैथस के लिये भी उन्होंने ऐसा ही विधेयक रखा है। मैं माननाय गुप्ता जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि उस समय भी इसका विरोध हुआ था और उस समय भी इन्हीं भावनाओं को प्रकट किया गया था और कहा गया था कि सरकार को इस प्रकार को ताकत नहीं लेनी चाहिये। अगर सरकार यह ताकत अपने हाथ में लेगी तो सब कुछ होते हुये गड़बड़ होगा, समुचित प्रबन्ध नहीं हो पायगा और न आयुर्वेद की उन्नति ही हो पायेगी। श्रीमान्, सन् ४६ से आज तक ९ वर्ष हो गये इस हुकूमत को। यह ९ वर्ष का समय कोई मामूली समय नहीं है। समय द्रुतगति से जा रहा है मगर काशी विश्वविद्यालय को जहाँ पर आयुर्वेद की पढ़ाई होती है और दवाइयाँ भी बनायी जाती हैं उसके लिये सरकार ने कुछ नहीं किया है! माननीय मन्त्री जी भी वहाँ पर गये थे और जब वहाँ पर आचार्य नरेन्द्रदेव वायस-चान्सलर थे उन्होंने सरकारको तरफ से उसको कुछ दिलाने का वायदा भी किया था। आज मैं यह कहने के लिये तयार हूँ कि काशी विश्वविद्यालय के विकास की जो व्यवस्था होनी चाहिय थी वह अभी तक नहीं हुई है। मौजूदा हालत यह है कि आयुर्वेद की जो पढ़ाई होती है उसके कोसज भी बदलत रहते हैं। विद्यार्थी से आरम्भ में कहा जाता है कि फलां-फलां पुस्तकें पढ़ायी जायगी लेकिन साल के दौरान में ही वह कोसज बदल दिया जात है और कहा जाता है कि अब यह कोसज नहीं दूसरे कोसज पढ़ाये जायगा। बराबर आयुर्वेद के विद्यार्थी हमारे पास ऐसी शिकायतें लेकर आत रहते हैं। कभी डायरेक्टर साहब और कभी डिप्टी डायरेक्टर साहब को फोन करना पड़ता है। कभी माननीय गुप्ता जी से भी निवेदन करने का साहस करना पड़ता है मगर अकसर वह फोन पर भी नहीं मिलत, वह बड़ बिच्ची रहत हैं, उनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटीज भी बड़ी लम्बी-चौड़ी हैं, पार्टी का भी उनको काम करना होता है, समय उनको कम मिलता होगा। तो भी आज जो व्यवस्था है वह वर्तमान बोर्ड के हौन पर और भी गड़बड़ हो जायगी। अतः इसको बुनियादी तौर पर तब्दील किया जाना चाहिये। पहले ऐक्ट में जो दोष थे और जो दोष इस विधेयक में हैं वह सब दूर किये जान चाहिये। श्री जोरावर जी के नाम में जो संशोधन माननीय तजप्रताप सिंह ने प्रस्तुत किया है उसकी बहुत सी बातें

अच्छी हैं। यदि गौर से देखा जाय तो उसमें सब बातें आ जाती हैं। एक चीज और कह देना चाहता हूँ उसको माननीय मन्त्री जी अपनी ओर से रखें कि उस बोर्ड के अन्दर ऐसा कोई भी व्यक्ति न आने पाये जो मूल अधिनियम की धारा में बताया गया है, उगके विरुद्ध हो। उसमें कहा गया था, “हाई डिस्टिंक्शन इन दी प्रैक्टिस आफ हिज प्रोफेशन”। अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस में उनकी ख्याति और प्रतिभा हो, उनके द्वारा समाज की भलाई हुई हो और उनकी दवा की प्रणाली से लोग लाभान्वित हुये हों। यह बात जरूर उसमें आना चाहिये और जब तक यह बात नहीं आवेगी तब तक बिल अधूरा रह जाता है।

एक बात मैं और निवेदन करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट के बारे में। हमारे माननीय मित्र जब कभी शिड्यूल्ड कास्ट की बात आती है तो चिहुंक जाते हैं, लेकिन अब उनको यह चिहुंक्ने की आदत छोड़नी चाहिये और जब बैंकवर्ड और शिड्यूल्ड कास्ट की बात आये तो वह उसमें क्वालिफिकेशन की बात न सोचें। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यगण स्वयं इस बात को मानेंगे कि शिड्यूल्ड कास्ट के भी वही व्यक्ति लिये जायें जो चिकित्सा प्रणाली में निपुण हों जिनको अच्छी जानकारी हो, अगर वह शिड्यूल्ड कास्ट के मिलते हों तो उनको अवश्य लेना चाहिये और उसको यहां गुन्जायश होनी चाहिये कि जब तक वह मिलते हैं दूसरों को न लें। हमारे देश का यह मर्ज जो पहले सुमुप्तावस्था में था वह अब प्रकट हो चुका है, उसको आज कोई चाहे कितना ही दबाये लेकिन आज जो उनकी मांग है, चाहे वह शिक्षा विभाग में हो, चिकित्सा विभाग में हो या ऐडमिनिस्ट्रेशन में हो, सब जगह उनकी मांग होगी और उसको दबाते चलना अब मैं समझता हूँ कि सरकार के लिये असंभव हो जायगा। हमारे पास सबूत है कि इन्हीं बैंकवर्ड क्लासेज और शिड्यूल्ड कास्ट को लेकर सारे देश में मारपीट हुई है और वही पुरानी दकियानसी नीति को अपनाकर, वही वेस्टेड इन्टररेस्ट्स के लोग पुलिस, एजुकेशन और चिकित्सा विभाग में जाते हैं। इसलिये मैं सरकार से कहता हूँ कि वह अपने ऊपर जिम्मेदारी ले और जहां तक हो सके अपनी ओर से सही मानों में जो बैंकवर्ड लोग हैं उनको लाने की कोशिश करें। जब तक सरकार इस मनोवृत्ति से चलेगी, समाज उससे छिन्न-भिन्न होगा और द्वेष की भावना बढ़ेगी। इसलिये सरकार को विभिन्न विभागों में निम्नवर्ग के लोगों को उन्नित स्थान देना होगा। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अब अपनी उस तंग मनोवृत्ति की ओर न जायें। मैं कहना चाहता हूँ कि इस बिल से तो एक खतरा पैदा होगा, इससे जो ढांचा बनेगा और जो अधिकार लोगों के हाथ में जायेंगे उस खतरे को देखते हुये मैं उनसे अपील करूंगा कि अगर माननीय मन्त्री जी को जनतन्त्र प्रणाली में विश्वास है तो वह इस बिल में आमूल परिवर्तन करें और ऐसा प्रयास करें, जिससे सही मानों में आयुर्वेद और यूनानी पद्धति को प्रोत्साहन मिले।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—(जिला अलीगढ़) उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा हो अगर आप अपना डिस्क्रीशन इस्तेमाल करें क्योंकि यह बहुत जरूरी मसला है और इस पर थोड़ी बहस और होने दें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इस पर श्रीमन्, काफी बहस हो चुकी है और पहले भी प्रश्न उपस्थित किया जा चुका है और आप समय दे चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूँ कि इस क्लोज पर काफी बहस हो चुकी है और बार प्रश्न उपस्थित करने की अनुमति मांगी जा चुकी है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अगर आप इसके उद्देश्य को देखेंगे तो इसके उद्देश्य और कारणों में जो लिखा है उसके अनुसार यही क्लोज इस बिल का प्राण है। तो जो प्राण हो उस पर हम समझते हैं कि काफी समय होना चाहिये और माननीय गौतम जी ने इसीलिये कहा है कि ऐसा मौका देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—बार बार सदस्यों की मांग रही है और जबरन कहता है इमालिये में अब जबरन हूँ ।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लेजिस्लेचर सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं अपने उन माननीय मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे इस संशोधन का समर्थन किया है और जिन्होंने उन सिद्धांतों पर जो इसमें सन्निहित हैं प्रकाश डाला है । साथ ही साथ जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया है उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और कुछ चन्द बातें उनसे मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ । सबसे पहले हमारे माननीय मित्र खदनगोपाल जी वैद्य ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुये यह कहा कि जिस बोर्ड का संगठन आपने अपने इस प्रस्ताव के द्वारा किया है उसमें इस बात का ख्याल नहीं रखा है कि वैद्य और हकीम ही केवल उस बोर्ड के सदस्य हो सकें । मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने खुद ही अपने एक संशोधन द्वारा जोकि इस कार्यसूची में नम्बर २० पर अंकित है प्रस्ताव किया

कि क्या इस प्रकार वैद्य हकीम ही यहाँ पर चुने जायेंगे ? क्या इसमें कोई ऐसा प्रतिबन्ध रक्खा है कि हमारा लेजिस्लेचर केवल वैद्यों को उस बोर्ड में भेजने के लिये चुने ? मैं समझता हूँ कि उन्होंने परस्पर विरोधी बातें हमारे सामने रखी हैं । यद्यपि मैं उनकी भावनाओं से पूर्णतया सहमत हूँ उनकी भावना यही है कि इस बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन्स में केवल वैद्य और हकीम ही मनोनीत किये जाने चाहिये ।

दूसरी चर्चा मेरे मित्र जैन साहब ने की कि हर जगह चुनाव की बात कही जाती है । जिस बोर्ड का संगठन करना हो उसमें चुनाव की बात कहते हैं और चुनाव एक ऐसी खराब पद्धति है जिसके द्वारा कोई काम ठीक से चल नहीं पाता । हमारे कुछ अन्य मित्रों ने भी कहा कि चुनाव के कारण तमाम गड़बड़ियाँ पैदा होती हैं और इसके जरिये अयोग्य व्यक्ति बोर्ड में आने की चेष्टा करेंगे । इसीलिये यह कहा गया कि केवल उन्हीं आदमियों को आना चाहिये जो योग्य हों । और योग्य व्यक्ति आये कैसे ? बोर्ड में उसका इलाज बतलाया गया कि सरकार उनको नामजद करे तभी योग्य व्यक्ति आ सकते हैं । मेरी समझ में यह तर्क आया नहीं । या तो फिर हम इसको ऐसा मान लें कि जो सरकार करेगी वहाँ कोई गलती होने वाली नहीं है । जो भी नामजदी करेगी वह हमेशा ठीक होगी और यदि गलती हो सकती है तो फिर बड़ी भयंकर भूल भी हो सकती है, जिसका इलाज नहीं । फिर जो यह विधेयक रक्खा गया है उसमें कहीं यह भी नहीं रक्खा है कि केवल वैद्य या हकीम को ही सरकार नामिनेट करेगी । उस भावना का भी कहीं संरक्षण नहीं होता कि केवल वैद्य या हकीम या जो आयुर्वेद और यूनानी पद्धति से सम्बन्धित हैं या जो लोग इस पद्धति के जानकार हैं वे इससे दिलचस्पी रखते हैं वही इस बोर्ड में आ सकें । तब मैं समझता हूँ कि हर तरीके से जो यह धारा विधेयक में रक्खी गयी है वह अपूर्ण है और हमें आगे ले जाने वाली नहीं है ।

अभी हमारे जैन साहब ने चुनाव के सम्बन्ध में जो बुराई बतलाई उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी बहुत सी संस्थायें हैं, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, सिटी और विलेज लेविल्स पर, तो फिर अगर हम इस सिद्धांत को मानते हैं कि चुनाव खराब है तो हमें उन सारी संस्थाओं के पदाधिकारियों को नामजदगी द्वारा रखना चाहिये और अगर उसी तरीके को हम और आगे बढ़ा ले जायें तो हमारे इस लेजिस्लेचर की भी वही दशा होने वाली है और हमें यह मानना होगा कि जो तमाम दलबन्धियों से खराबी आती है वह इस हाउस में भी आ जाती है क्योंकि दलबन्दी पर यहाँ भी चुनाव होता है लिहाजा इसका भी संगठन नामजदगी द्वारा हो । सारे हिन्दुस्तान का केवल एक प्रेसीडेंट का चुनाव कर लिया

जाया करे हर चार या पांच साल बाद और वह प्रेसीडेंट सारे लेजिस्लेचर्स को, कॅबिनेट्स को नामिनेट कर दिया करे और सारी चीजें नामिनेशन के जरिये होने लगे। यह तर्क हमें कोई आगे नहीं ले जाता। लोकल कन्डीशंस को देखते हुये हम चुनाव की पद्धति को स्वीकार करते हैं कि वहां से ठीक ते रिप्रेजेंटेशन हो सके क्योंकि लोकल कन्डीशंस को वहां का लोकल आदमी ही ज्यादा अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है। किसी उद्योग विशेष की उन्नति व पुनरुद्धार कुछ दे विशेष व्यक्ति ही कर सकते हैं जिन्हें उससे दिलचस्पी हो व जानकारी हो। तब तो इस सदन को मानना होगा कि उसी उद्योग या उस काम में लगे हुये लोगों को उसके संबालनार्थ बोर्ड में रखा जाय। वे ही उसके संबालक बने। मैं समझता हूँ कि यही एक तरीका है, जो हमें आगे ले जाता है। वही ठीक है। माननीय राजनारायण जी ने एक शंका पैदा की। आप आखिर नामिनेशन द्वारा क्यों प्रेसीडेंट को रखना चाहते हैं? जब मूल अधिनियम में हमने ऐसी व्यवस्था रखी थी कि प्रेसीडेंट एलेक्टेड हो तो उसमें क्या खामी देखी जिसकी वजह से हम अब इस संशोधित विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था कर रहे हैं कि वह नामिनेटेड हो। मैं विनम्रता पूर्वक उनसे संदर्भ सहित इसके कारणों को बतलाना चाहूंगा १ जनवरी, १९५१ में जब इस बोर्ड का चुनाव हुआ अर्थात् बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन का, तो काफी सरगर्मी रही। दो माननीय मित्र खड़े हुए थे। एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैद्य थे और एक कोई अन्य माननीय सज्जन थे जो कोई वैद्य नहीं थे, उनकी काफी कनवेंसिंग चली, काफ़ी जोर-शोर हुआ, जैसा कि चुनाव में संभव और स्वाभाविक है। लेकिन इस चुनाव में गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड हो गयी। मुझे ऐसा पता है कि गवर्नमेंट ने काफी दबाव डाला उस चुनाव में और जिस व्यक्ति से इंटरेस्टेड थी गवर्नमेंट, उसकी जीत उस बोर्ड क प्रेसीडेंट के कास्टिंग वोट द्वारा करवा सकी। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है। तो गवर्नमेंट इतना दबाव डालती है और ऐसी बातें हो जाती ह। चुनाव में सरकार दखल देने लग जाती है। जब मुझे मालूम हुआ कि बड़ी कठिनाई से याने कास्टिंग वोट से जीत हो सकी तब मुझे संदेह हुआ कि यह विधेयक, जो कि खैर कमेटी की तमाम रिपोर्ट पर आधारित बताया जाता है और जिसमें उन्होंने यह सिफारिश की है कि प्रेसीडेंट एलेक्टेड हो, किसी खास मकसद से लाया गया है आपने उसकी सिफारिश को न मान करके नामिनेशन की व्यवस्था क्यों रखी? वहां पर मुझे संदेह हुआ और विशेषतः उस कार्यशैली से जो कि १९५१ में बरती गयी।

श्री बनारसीदास—प्वार्ट आफ़ आर्डर, माननीय सदस्य यह जवाब दे रहे हैं और वह अपने भाव पहले रख ही चुके हैं। जो कि भाषण दिए गए हैं, उनका उत्तर केवल होना चाहिये। न कि कोई दलील या अपने संशोधन का प्रतिपादन करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—हां, जहां तक हो, उत्तर ही के रूप में कहें।

श्री तेजप्रताप सिंह—आदेश है आपका कोई? जिन तर्कों को यहां उपस्थित किया गया था उन्हीं का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ भले ही कुछ मित्रों को अरुचि हो उससे। लेकिन मैं तो उन्हीं तर्कों का उत्तर दे रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, तो गवर्नमेंट दबाव डाले और उसमें दिलचस्पी ले यह चीज अच्छी नहीं है। और इसीलिये मैंने अपना संदेह प्रगट किया कि यह नामिनेशन की व्यवस्था उस कटु अनुभव पर आधारित हुई है। वह जो अनुभव हुआ उस पर आधारित हो कर हमारा यह विधेयक लाया गया ताकि बोर्ड को किसी तरहसे सरकार का कैप्टिव व पिट्टू किया जाय। उसमें जो व्यवस्था आपने रखी है कि नामिनेटेड हो तो उसकी क्वालिफिकेशन्स भी नहीं रखी गयीं। कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा गया। विलकुल छूट है गवर्नमेंट को, जिसको चाहे गवर्नमेंट नामिनेट कर सकती है। यह चीजें हमें आगे नहीं ले जाने वाली हैं। हमें वैद्य और हकीमों पर विश्वास करना चाहिये। उन पर ही छोड़ देना चाहिये कि वह अपनी इस पद्धति को किस तरह से समुन्नत करें। उन पर हमें विश्वास रखना चाहिये और इस प्रेसीडेंट के पद को खासतौर से जिसका पद एक महत्वपूर्ण पद है उसको एलेक्शन द्वारा ही रखना चाहिये। हमारे

• [श्री तेजप्रताप सिंह]

मल्ल जी ने एक सुझाव दिया था कि डिस्ट्रिक्ट जोर्ड के मेम्बरों द्वारा ओर म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरों द्वारा जो चुनाव हों, इस बोर्ड के सदस्यों के लिये वह व्यवस्था न रखी जाय। उसमें उन्होंने कतिपय कठिनाइयाँ प्रस्तुत की कि चुनाव द्वारा देर लग सकती है, खर्चा बढ़ेगा। यह सारी दलीलें उन्होंने दी। वैसे जब मैंने यह संशोधन रखा था और इस पर विचार किया था, तो यह चीज ख्याल में थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के अधीन बहुत से चिकित्सालय हैं और बहुत से वैद्य और हकीम उनमें काम करते हैं उनका भी संरक्षण होना चाहिये। वह वास्तव में तभी अनुप्राणित हो सकते हैं जैसा राजनारायण जी ने कहा। मैं इस तक में बल समझता हूँ कि अगर उसका भी रिप्रेजेंटेटिव उसमें यदि आजाता है तो वे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे और जो चिकित्सालय यूनानी और आयुर्वेद के चलते हैं उनकी सुरक्षा हो सकेगी उनकी उन्नति हो सकेगी। तो इसलिये मैं तो समझता हूँ कि जो मेरा प्रस्ताव था वह पूर्ण है।

दूसरे शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेज के बारे में भी

श्री उपाध्यक्ष—संशोधन पर संशोधन माननीय सदस्य स्वीकार करते हैं या नहीं ?

श्री तेजप्रताप सिंह—मैं धीरे-धीरे उसी पर आ रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन पहले रखा गया था वह भी किसी नीतिवश रखा गया होगा। अब तो हम समझते हैं ऐसी व्यवस्था है कि बैकवर्ड क्लासेज का भी एक रिप्रेजेंटेटिव हो। हाँ एक बात जरूर मानने की है कि वे लोग भी क्वालिफाइड वैद्य या हकीम हों। मैं समझता हूँ कि इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये और मैंने यह जो दूसरे नम्बर पर ४ नामिनेशन्स के बारे में रखा है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसमें यह बात आ जाती है। उसमें लिखा हुआ है यह चारों आदमी कैसे होंगे :

“Who have attained high distinction in the practice of their profession.”

जो लोग हिकमत और वैद्यक से परिचित हों, और परिचित ही न हों बल्कि जिसमें उन्होंने हाई डिस्टिक्शन प्राप्त किया हो, वही लोग इसमें लाये जायें। आप जानते हैं कि अमीरों को छोड़कर गरीब ही ज्यादातर इस पद्धति से संबंधित हैं। इस चिकित्सा प्रणाली द्वारा ज्यादातर उन्हीं का फायदा होता है। जैसा कि खर कमेटी की रिपोर्ट में दिया गया है, दो टाउन्स में सेन्सस लिया गया था। उसके अनुसार ५० और ६० प्रतिशत जनता वहाँ की आयुर्वेद और यूनानी पद्धति से चिकित्सा पाती है और मदद पाती है। इसलिये मैं समझता हूँ कि इस ख्याल से भी बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव रखना जरूरी है। मैं मल्ल जी के संशोधन को मानने के लिये तैयार हूँ क्योंकि उन्होंने बतलाया कि उसमें खर्चा अधिक होगा, और फिर यदि स्टेट लेजिस्लेचर के उसमें मेम्बर्स रहते हैं तो वह सारी कमियाँ दूर हो जाती हैं। मैं उनका संशोधन मानने को तैयार हूँ। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस संशोधन पर फिर से जोर देता हूँ।

श्री बनारसीदास—उपाध्यक्ष महोदय, यह खंड ५ के संबंध में जो बहस की गई है, सरकार का कभी कोई ऐसा मंशा नहीं कि चुनाव की प्रणाली को खत्म किया जाय, और यदि मौजूदा विधेयक के अनुसार गौर से देखा जाय जिस प्रकार से बोर्ड का संगठन किया जा रहा है, उसमें १५ आदमी चुने हुये होंगे। सरकार केवल ५ आदमियों को नामजद करना चाहती है और अगर कल इस सदन में माननीय तेजप्रताप सिंह जी और राज नारायण जी होते तो उनकी मालूम होना चाहिये कि कल आम वाद-विवाद के समय जो शंका उनकी मदनगोपाल जी के संबंध में हुई वह न पैदा होती। कल जब यह प्रश्न उपस्थित किया गया था तो यह मान लिया गया कि बोर्ड का संगठन केवल हकीमों और वैद्यों से ही होगा और सरकार की तरफ से कोई नामजद प्रेसीडेंट या सदस्य ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि रजिस्टर्ड हकीम या वैद्य न हो। कल जब यह कह दिया गया तो उसके

ब्राह्म माननीय नरिय जी या तेजप्रताप सिंह जी की तरफ से यह गंका उपस्थित करना अनुचित नहीं मालूम पड़ता। आज इस खंड के संबंध में जो बहस हुई ऐसा मालूम होता है कि जो इस विधेयक का पहला वाचन हुआ, आम बहस शुरू की गई लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में उसमें और खंड के अनुसार जो बहस चल रही है उसमें कोई अंतर नहीं है। बार-बार उत्तरी राज्य नीति के संबंध में कहना कहां तक मुनासिब है। जनरल डिस्कशन तो होता ही इसलिए है कि विधेयक का लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है उसके बारे में हम लोग बहस करें और यदि एक खंड को लेकर के तमाम बिल को डिस्कस करने लगे तो फिर वह जै हनारी नियमावली है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर तो एक ही तथ्य में बहुत हो, न खंड पर अलग-अलग विचार करने की जरूरत है न आम बहस करने की जरूरत है। तो खेर कमेटी मुकर्रर की गई थी। आप देखेंगे खेर कमेटी ने बोर्ड के संबंध में अपनी जो सिफारिशें की थीं, उनमें लिखा था—केवल एक ऐसी सिफारिश है, जिसे गवर्नमेंट ने नहीं माना—

“ President to be elected by the members ”. दूसरी सिफारिश यह है—
“ 2 members to be nominated by the Government.

1 representative to be elected by the Executive Council of every chartered University which has got a Faculty of Indian Medicines”.

तो यह हमने माना। जहां तक सरकार के नामिनेटेड सदस्यों का सवाल है अब तक पांच थे, हमने पांच ही रखा। एक सिफारिश यह थी:—

2 Members of the United Provinces Vaidya Sammelan.

1 representative of the United Provinces Anjumane-Tibiya.

4 members of registered Vaidyas and Hakims not in the service of Government or local bodies.

Two Members elected by the registered Vaidyas and Hakims who are in the service of Government and local bodies.

तो इस तरह खेर कमेटी ने नौ वैद्यों की सिफारिश की थी, जिनका चुनाव दो का वैद्य सम्मेलन के द्वारा और एक का हकीमों के संगठन के द्वारा, चार का रजिस्टर्ड वैद्यों और हकीमों के द्वारा, और दो ऐसे वैद्य और हकीम जो कि गवर्नमेंट या लोकल बाडीज की सर्विस में हों, उनका द्वारा चुन हुए। इस तरह कुल मिलाकर नौ होते हैं। हमने इस विधेयक में नौ का नौ ही रखा है। हम नहीं चाहते कि इसमें सरकारी आदमियों का प्राबल्य हो। खेर कमेटी ने तो यह सिफारिश की थी कि दो वैद्य और हकीम सरकारी कर्मचारी भी हों। हम उस सिफारिश को नहीं मानते। नौ के नौ गैर सरकारी हकीम और वैद्य चुनाव के द्वारा आयेंगे। एक प्रश्न असंगत यह पैदा किया गया, मैं समझता हूँ शायद मौर्य जी को कहीं और अवसर नहीं मिला जौनपुर की एक शिकायत उपस्थित करने का तो उसे उन्होंने यहां उपस्थित कर दिया इस बिल के संबंध में। श्रीमन्, एजुकेशन ऐक्ट के मातहत तो डाइरेक्टर को अख्तियार था लेकिन यहां मान लीजिए कि आपका प्रेसीडेंट एलेक्ट है ही हो, या यही मान लीजिए कि नामिनेटेड ही हो तो प्रेसीडेंट को इसमें अख्तियार क्या दिया गया है? बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडिएट एजुकेशन के प्रेसीडेंट को तो कुछ अख्तियार है, उसमें उसको कुछ पावर है, लेकिन यहां प्रेसीडेंट को क्या अख्तियार है? आखिर क्या कार्य है बोर्ड का? बोर्ड का कार्य तो मुख्यतः रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा कार्य यह है कि आयुर्वेद के संबंध में रिसर्च के बारे में सलाह देना, फैंकल्टी के लिये फंड एलाट करना। और फिर यह कहा गया कि फैंकल्टी का भी वही प्रेसीडेंट होगा! तो अगर यह मान लिया जाय कि एक प्रेसीडेंट बराबर होता है चुने हुए छः सदस्यों के, तब

[श्री बनारसीदास]

तो मौर्य जी की गणित ठीक हो सकती है। जब चुने हुए छः आदमी आयेंगे तो प्रेसीडेंट को अकेले क्या अधिकार रहेगा ? प्रेसीडेंट अपना एक मत दे सकता है, और मान लीजिए फंकल्टी के निर्णय को बोर्ड न माने अगर बोर्ड मान ले तब तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता, लेकिन अगर बोर्ड न माने तो प्रेसीडेंट का निर्णय नहीं बल्कि फंकल्टी का निर्णय सरकार के सामने आयेगा। मैंने कल भी कहा था कि सरकार चाहती है कि फंकल्टी का निर्णय अंतिम हो। मैं नहीं समझ सका, मौर्य जी को कहां से शंका पैदा हो गई कि इसमें उन्होंने डाइरेक्टर और इंटरमीडियट बोर्ड की बात ला दी। यह हो सकता है जौनपुर की कोई शिकायत थी, उसको वह रखना चाहते थे, और उसे यहां उन्होंने रख दिया। वरना इस अवसर पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। यह भी कहा गया कि इसमें हरिजन या बकवड ब्लासज का प्रतिनिधित्व था। तमाम सूबे की इस नीति का भी उन्होंने एक साथ सिंहावलोकन कर डाला। आप यह देखेंगे कि आखिर रिजर्वेशन होता है किसी मकसद को लेकर। रिजर्वेशन का मकसद तो यह होता है कि किसी विशेष वर्ग के हित सुरक्षित रहें। तो पहले बोर्ड में इसकी बात क्यों रखी गयी थी ? आप देखेंगे कि शेड्यूल ४ में जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता था, उसमें यह था—

“ Vaidyas and Hakims who in the opinion of the Board are of sufficient standing, reputation and ability, and are known for their skill in the profession and who fulfil the condition imposed by rules as to the length of their practice.”

यानी यह शेड्यूल के अन्दर जो ४ दलाज रखी गयी है उसके अनुसार इस तरह के वैद्यों और हकीमों का रजिस्ट्रेशन हो सकता था, जिन्होंने नियमानुसार किसी शिक्षण संस्था में ५ साल तक ट्रेनिंग न पाई हो, किन्तु केवल अपने अनुभव के आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इसलिये यह उपाय लिया कि काफी शेड्यूलड कास्ट को लोग भी ऐसे वैद्य हो सकते हैं, उनके अनुभव के आधार पर बोर्ड से उनके हितों को संरक्षित ठीक हो सक इसलिये एक प्रतिनिधित्व रखा गया। आजकल हमारे प्रदेश में जब से नूतन विनियम के तीसरे खंड को लागू किया गया है तो शेड्यूल का पड़ चोया हिस्सा अमल में नहीं रहा। आज कोई ऐसा हकीम और वैद्य, चाहे वह हरिजन हो या नान हरिजन हो, रजिस्टर नहीं हो सकता, जिसने किसी प्रमाणित शिक्षण संस्था में तालीम हासिल न की हो। तो क्या प्रश्न पैदा होता है कि हरिजन आये या नान हरिजन आये ? अगर वह हरिजन है और उसके पास डिप्लोमा है तो रजिस्ट्रेशन से कौन इन्कार कर सकता है ? तो कौन से उसमें हित के संरक्षण की आवश्यकता थी ? उसमें काम क्या है ? लिखा है कि सरकार को सलाह देना आयुर्वेद और तिब्ब की तरक्की के बारे में और रिसर्च क बार में, और दूसरे कार्य जिनकी बोर्ड इस ऐक्ट के द्वारा उनके सुपुर्दे करे। तो यह तो एक विशेषज्ञ समिति का कार्य है। जब यह मान लिया गया कि पांचों सरकार के नामजद किए हुए अनुभवी हकीम और वैद्य होंगे तो क्या इसके अंदर ऐसी कोई धारा लागू की गयी है कि हरिजनों को सरकार नाभिनेट नहीं करेगी ? तो पांचों में से हरिजन भी हो सकता है। तो हर जगह एक विशेषज्ञ कौंसिल के अन्दर भी विशेष प्रतिनिधित्व के एलिमेंट का संरक्षण द्वारा लाया जाना, मुनासिब नहीं मालूम पड़ता। इसलिये इसकी यहां जरूरत नहीं है। खेर कमेटी ने बोर्ड के अन्दर लेजिस्लेचर के प्रतिनिधि नहीं रखे। क्यों नहीं रखे ? इंडियन मेडिकल कौंसिल में नहीं, साइंस की कांग्रेस में नहीं, हिस्टरी की कांग्रेस में नहीं, तो यह भी एक विशेषज्ञ बाडी है। लेजिस्लेचर तो सुप्रीम बाडी है, उसका कंट्रोल तो ही है। मौर्य जी ने कहा कि बोर्ड के दो सदस्य लेजिस्लेचर के लिये जायं। मैं नहीं समझता हूं कि मौर्य जी शायद इस बात को जानते होंगे कि जो यहां के प्रतिनिधि यूनिवर्सिटीज में जाते हैं वह शायद सदन को अपनी कोई रिपोर्ट अलग से भेजते हों जिसमें मौर्य जी को पता रहता हो कि आगरे की सिनट में क्या कहा और इलाहाबाद में जाकर क्या कहा हमारे सदस्यों ने ! बोर्ड की रिपोर्ट तो आपको सामन आयेगी। आपको दो सदस्य नहीं, आपको तो २१ सदस्यों की रिपोर्ट आपको सन्मुख प्रस्तुत होगी।

अब केवल एक प्रश्न यह रह जाता है कि प्रेसीडेंट नामिनेटेड हो या एलेक्टेड, जिसमें सारी डेमोक्रेसी को एक खतरा पैदा हो गया है। आप देखिये कि प्रेसीडेंट को कोई एक्जीक्यूटिव अधिकार नहीं और फिर वह नामिनेटेड प्रेसीडेंट भी तो कोई ऊंची शिक्षा प्राप्त किया हुआ हकीम या वैद्य होगा। और फिर २० के २० सदस्य जो उस बोर्ड के होंगे वे भी हकीम या वैद्य होंगे, तो ऐसी हालत में अगर प्रेसीडेंट नामिनेटेड ही हो तो कौन सा धक्का डेमोक्रेसी को लग जायगा ? वह तो सिर्फ इसलिये रखा गया है कि एक ऐसा आदमी बाड़ी में हो, जैसे अभी तेज प्रताप सिंह जी कहते थे कि अगर वहां चुनाव हो किसी व्यक्ति के बारे में, तो चुनाव कोई बुरी चीज नहीं है। चुनाव डेमोक्रेसी के अन्दर आयेंगे। लेकिन जहां दलबन्दी की जरूरत नहीं है अगर हम उसको बचा सकते हैं तो बचाना चाहिये यह कह देना कि अगर ऐसा नहीं होगा तो एक साथ डिक्टेटरशिप आ जायेगी यह भी मैं समझता हूँ कि एक किस्म की स्लेबरी है, यह कोई डेमोक्रेटिक स्पिरिट नहीं है। नामिनेशन इसलिये रखा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जिससे बोर्ड को लाभ हो, भजा जा सक और फिर वह नामिनेटेड व्यक्ति ऊंची शिक्षा प्राप्त होगा। सरकार ने यह नहीं कहा कि वह डायरेक्टर होगा या वह सरकारी आदमी होगा। फिर आपको पूरा अवसर है, अगर आप समझते हैं कि सरकार नामिनेशन में गलती करती है तो आप सरकार की आलोचना इस सदन में कर सकते हैं। तो नामिनेशन करने की मन्शा आयुर्वेद और यूनानी साइंस के हित में है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि प्रशासन का कार्य तेजी के साथ चले और उसकी रिजर्व की स्पिरिट हो। जहां तक इरतहान लेने वाला बाड़ी का सवाल है वह तो फैंकल्टी होगी। इसलिये यह कोई ऐसी सिद्धांत की चीज नहीं है। जिसको राजनारायण जी कहते हैं। उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी को मान नहीं। अगर प्रेसीडेंट को आप एलेक्टेड भी कर दें तो बनारस यूनिवर्सिटी जी कपड़े को सरकार के गले क्यों मढ़ते हैं ? राज नारायण जी जानते हैं कि बनारस यूनिवर्सिटी का ऐक्ट अलग है, उनकी फैंकल्टी अलग है, वहां पर कोई कमी है तो उसको जिम्मेदारों सरकार पर करें। आप तो आदमी को बड़े पक्षपाती हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि सरकार बनारस यूनिवर्सिटी में इडल दे ? अगर आचार्य नरेन्द्रदेव जी के समय में भी वहां गुबार नहीं हो सका तो सरकार की इतने क्या गलती ?

श्री राजनारायण—सरकार रुपया तो दे सकती है।

श्री बनारसीदास—बनारस यूनिवर्सिटी को रुपया काफी दिया गया है, और अगर आप पिछले ९ सालों को देखें तो इस तरह की शिक्षण संस्थाओं को दिया गया सरकार का अनुदान बढ़ता चला गया है। इसलिये खेर कमेटी की सिफारिश के अनुसार सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है और जब कि सरकार अब पूरी तरह से इस बात को मानने के लिये तैयार है कि इस बोर्ड के अन्दर केवल हकीम और वैद्य ही होंगे, जो रजिस्टर्ड हों, मैं समझता हूँ कि तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। खेर कमेटीज तो केवल १५ आदमियों के बोर्ड का प्रस्ताव किया था, हमने तो उसमें हकीमों और वैद्यों की तादाद बढ़ाई है। मैं आशा करता हूँ कि तेजप्रताप जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ निम्न रूप में रख दिया जाय—

5. (1) The Board shall consist of the following members :

(i) A President to be elected by the members of the Board from amongst its members.

(ii) Four members nominated by the State Government of whom one shall belong to a Scheduled Caste, one shall belong to a Backward Class, one shall be a Vaidya and one a Hakim, who have attained high distinction in the practice of their profession.

(v) उपाध्यक्ष ।

iii) Two members elected by the State Legislative Assembly from amongst its members.

(iv) One member elected by the State Legislative Council from amongst its members. —

(v) One member elected in the prescribed manner by each of the Universities established by Law in the State and having a Faculty of Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine.

(vi) Two members representing Ayurvedic Education and Institutions of the State to be elected in the prescribed manner by the teachers of such institutions as are affiliated to the Board.

(vii) One member representing Unani Education Institution of the State Government to be elected, in the prescribed manner, by the teachers of such institutions as are affiliated to the Board.

(viii) Seven members (4 Vaidis and 3 Hakims) not in the service of the State Government or local bodies.

(2) The Board shall elect one of its members to be the Vice-President."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मदनगोपाल वैद्य—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) की पंक्ति २ के कोष्ठक में शब्द "President" के बाद शब्द "whose name must be on the register" बढ़ा दिए जायें।

बोर्ड के संगठन के संबंध में यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया है कि इस सब सदस्य वैद्य या हकीम होने चाहिये। इसी आशय की पूर्ति के लिये यह रखा गया है और यह इससे सिद्ध हो जाता है और इसी आशय के खंड ३ में और दो संशोधन नंबर ९ और १२ पर हैं। इस संशोधन के मान लेने पर अलग-अलग रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि यह स्वीकार किया जायगा।

श्री बनारसीदास—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मदनगोपाल जी ने जो संशोधन रखा है, उससे आगे भी जो संशोधन है उसमें है प्रेसिडेंट कौन हो। इसलिये कोष्ठक में रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा संशोधन तेजप्रताप सिंह जी का है, जिसमें इलेक्ट्रेड के बारे में है। इसलिये कोष्ठक की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि इसको वह वापस ले लें।

श्री मदनगोपाल वैद्य—कोष्ठक में रखने की बात इसमें नहीं है।

श्री बनारसीदास—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोष्ठक में नीचे लिखा हुआ है कि "Whose name must be on the register" मदन गोपाल जी के संशोधन में है।

‡ श्री मोहन लाल गौतम (जिला अलीगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, अभी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जितने मेम्बर्स बोर्ड के होंगे वह सब वैद्य होंगे, तो कोई ऐसा संशोधन हो, जिसमें वैद्य सब जगह आ जायें, इन्क्लूडिंग प्रेसिडेंट, तो वह पूरा हो जायगा और इधर-उधर जो इलेक्शन या नामीनेशन होगा तो वह वैद्य का ही होगा। यह कहाँ आयगा यह मालूम हो जाय, तो आसानी होगी।

‡ बक्ता ने भाषण का पुनर्वाक्य नहीं किया।

श्री बनारसीदास—उपाध्यक्ष महोदय, सदनमें एक संशोधन जो जो दूसरा संशोधन है "whose names on the register." बड़ा दिया जाय, यह और श्री तेजप्रताप सिंह का संशोधन है जो यह दोनों संशोधन देखिल कर दिए गए हैं और सरकार को मानने में कोई गारंटी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—यह अभी वापस नहीं हुआ है। माननीय सदस्य यदि इनको देखते हुए वापस लेना चाहें, तो दूसरी बात है।

श्री अब्दुल क़दिर खाँ (जिला दस्तो)—यह एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। श्रीमान्, एक संशोधन सदन में उपस्थित हो चुका है। उसका माननीय नभा सचिव की ओर से उत्तर हो चुका है और अब उस पर बहुत समाप्त हो चुकी है। वह वापस ले लिया उन्होंने। तो अब किसो माननीय सदस्य को उसपर बोलने का अधिकार किस कूल के अधीन हो यह ज्ञानना चाहता हूँ?

श्री उपाध्यक्ष—अगर वह वापस ले चुके ह तो बोलने का अधिकार किसी को नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आज ही उपाध्यक्ष जी न डर पर खालीग दी है कि वापस लेने के बाद भी अधिकार बोलने का है।

श्री जगन्नाथ शर्मा—हम लोग प्रश्न कर सकते हैं कि संशोधन वापस न किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आप इसको वोट के द्वारा भी कर सकते हैं। मैं इसको सदन के सामने उपस्थित कर देता हूँ।

प्रश्न यह है कि सदन इस संशोधन को वापस लेने की अनुमति देता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, नंबर १० पर जो सदन गोपाल जी वैद्य का संशोधन है उसे मैं पेश करना चाहता हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ (१) के भाग (१) के अंत में शब्द "whose name is on the register" बड़ा दिये जायें।

यह बहुत छोटा सा संशोधन है और मुझे आशा है कि यह स्वीकार किया जायगा।

श्री बनारसीदास—उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

श्री मोहनलाल गौतम—इसको बढ़ाने के पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। इसी के उपखंड (iv) में दिया हुआ है कि—

"two members representing Ayurvedic Educational Institutions of Uttar Pradesh to be elected, in the prescribed manner by the teachers of such Institutions as are affiliated to the Board."

तो यह दो मेम्बर्स चुनेगा कौन यह तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं है कि वे वैद्य ही हों। इसी तरह से नम्बर (iii) में:—

"One member elected in the prescribed manner by each of the Universities established by Law in Uttar Pradesh and having a Faculty of Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine;"

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वाक्य नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

इस भाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को भी चुना जा सकता है। इसमें उस व्यक्ति के वैद्य होने की शर्त नहीं है इसलिये इसको यहां न रख कर ऐसी जगह रखना चाहिये कि जो सब को कवर करे। मैं समझता हूं कि यह सारे के बाद में रखा जाय तो अच्छा होगा। अगर यह एक दो में करेंगे तो यह उन्हीं व्यक्तियों को कवर करेगा और सारे आदमियों को कवर नहीं करेगा। तो इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर गौर कर लिया जाय कि यह क्वालीफिकेशन्स सब के लिये हों। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि जो चुन जायेंगे, वह वैद्य होंगे, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसको यहां न मंजूर करके किसी दूसरी मुनासिब जगह जहां से यह सब को कवर करता हो, रखा जाय।

श्री बनारसीदास—माननीय गौतम जी ने जो आपत्ति पेश की है उस संबंध में यदि वह खंड ५ का उपखंड (३) देखें तो उसमें लिखा है कि—

“ One member elected in the prescribed manner by each of the Universities established by Law in Uttar Pradesh and having a Faculty of Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine ; ”

तो यह एक संशोधन तो आयेगा ही कि चुनाव कौन करेगा। फैंकल्टी चुनाव करेगी। तो कल भी मैंने जनरल डिस्कशन के समय कहा था कि यूनिवर्सिटी जो प्रतिनिधि भेजेगी वह उसकी फैंकल्टी चुन कर भेजेगी। तो माननीय गौतम जी को आतून होना चाहिये कि फ़कल्टी आयुर्वेदी और यूनानी की होगी, और उसमें वही लोग ही सकते हैं कि जो हकीम और वैद्य हैं और फैंकल्टी के अन्दर कोई दूसरा आदमी नहीं होता है। अब उनको फैंकल्टी चुनेगी। उसके अन्दर साफ तौर से लिखा है कि

“ One member each of the Universities established by Law in Uttar Pradesh ”.

तो उसके लिये फिर आगे चलकर जहां तक ९ मेम्बरों के चुनाव का सवाल है उसका तरीका बतलाया गया है। उसमें ६ वैद्य और ३ हकीम होंगे, जिनको रजिस्टर्ड हकीम और वैद्य ही चुनकर भेजेंगे। यह हकीम और वैद्य ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक और मेम्बरों का सवाल है वह भी दो मेम्बर रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन भेजेंगे और उसमें जो टीचर रहेंगे, वह चुनाव करेंगे। उसमें यह अलफ़ाज लिखे हुए हैं कि—

“ two members representing Ayurvedic Educational Institutions of Uttar Pradesh to be elected in the prescribed manner by the teachers of such Institutions as are affiliated to the Board,

(one member representing Unani Educational Institutions of Uttar Pradesh.....)

[nine members (6 Vaids and 3 Hakims) to be elected in the prescribed manner]”

जो लोग वैद्य और हकीम नहीं हैं, वह इसमें कैसे आ सकते हैं? इनका चुनाव तो हकीम और वैद्य ही करेंगे, तो वह हकीम और वैद्य का ही करेंगे। इस वजह से दूसरे आदमी का प्रश्न आने का पैदा नहीं होता।

श्री मोहनलाल गौतम—अभी बनारसी दास जी ने तो यह बताया कि कौन चुनेगा? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव होकर जो लोग आयेंगे, उनके लिये यह लाजिमी नहीं है कि वह वैद्य या हकीम ही हों। आज हम देखते हैं कि अपर हाउस में मेम्बर आते हैं वह संविधान में लोकल बाडीज के लिये दिया गया है कि वह भेजें, लेकिन यह उनक लिये जरूरी नहीं है कि वह आदमी लोकल बाडीज के ही आयें। लोकल बाडीज के अलावा दूसरे लोग भी आते हैं। यही बात यहां पर है कि यह जरूरी नहीं है

कि वह वैद्य और हकीम ही हों। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अगर इस कमी को ना में पूरा कर दिया जाय तो अच्छा होगा, क्योंकि वह उसी स्ट्रिप के अनुकूल होगा, जिसको अभी पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी साहब ने बयान किया। अपर हाउस के लिये रजिस्टर्ड ग्रेजुएट को अधिकार है कि वह एक नुमायन्दा भेजे लेकिन उनके लिये यह जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट ही खड़ा हो। उसमें वह नहीं आते हैं। उनके लिये यह भी कोई रुकावट नहीं है कि दूसरा न आये। इस उसूल को गवर्नमेन्ट मानती है। और पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी साहब ने उसको अभी बयान किया है कि हकीम और वैद्य उसमें आयें। उसके अनुसार यह अच्छा होगा अगर इसको साफ कर दिया जाय। अगर यह साफ हो जाय तो इसमें आगे कोई दिक्कत नहीं होगी।

(इस समय ४ बजकर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

†श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, जो उपखंड (iii) के बारे में यह कंफ्यूजन आज सब को हो गया है वह इसके बाद जब वह अमेंडमेंट उस उपखंड (iii) में पास हो जायगा तो जो भी यह कंफ्यूजन लोगों को है वह खत्म हो जायगा। उसका क्या तरीका होगा वह फैंकल्टी प्रेसक्राइब करेगी और उसको नियमों के अन्तर्गत तय कर दिया जायगा कि किस तरह से वे चुनाव किये जायें। मैं समझता हूँ कि जिस समय वह धर्मदत्त जी का संशोधन पास हो जायगा, तो यह कंफ्यूजन दूर हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—क्या कोई अभी उपखंड (iii) पर संशोधन बाकी है ?

श्री नवलकिशोर—जी हाँ, वह सचेरे स्थिति कर दिया गया था।

श्री मदनगोपाल वैद्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह सिद्धांत तो स्वीकार कर लिया है कि बोर्ड के जितने सदस्य होंगे, वह वैद्य या हकीम होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि खंड ५ के जो ३, ४, ५ उपखंड हैं मैं उनकी वास्तविकता सरकार को बताना चाहता हूँ। सरकार की यदि यह धारणा हो कि फैंकल्टी में जो लोग चुने हुए आते हैं वह वैद्य या हकीम ही होते हैं वह बात सही नहीं है। फैंकल्टी में दूसरे सदस्य भी होते हैं वह चुनकर आ सकते हैं। फैंकल्टी के अलावा जो आयुर्वेदिक एजुकेशनल इंस्टी-ट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी एक सूची होती है जो बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन की तरफ से तैयार की जाती है, वह रजिस्टर्ड टीचर कहे जाते हैं.....।

श्री अब्दुल मुईज खाँ—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। माननीय वैद्य जी ने यह संशोधन उपस्थित किया था और माननीय सभा-सचिव ने इसको स्वीकार कर लिया है। उसी पर सदन में बहस चल रही है, दूसरे सदस्यगण इस पर और बोलना चाहते हैं। तो क्या माननीय मदनगोपाल जी वैद्य के बोलने से यह समझा जाय कि डिबेट समाप्त हो चुकी है ?

श्री अध्यक्ष—इसको माननीय नवल किशोर जी ने पेश किया था, इसलिये इस पर बहस जारी रह सकती है।

श्री मोहनलाल गौतम—यह संशोधन माननीय नवल किशोर जी ने पेश किया था और सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन हाउस को इसमें कुछ दिक्कत है, इसलिये इस दिक्कत पर वह बहस हो रही है।

श्री अध्यक्ष—वह संशोधन की मेरिट पर भी बोल सकते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, गौतम जी ने एक सुझाव रक्खा था, उस पर विचार करके मैं एक सुझाव रखना चाहता हूँ।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—रहले माननीय सदस्य गोपाल जी जोल नें तब आप अपना सुझाव रखें।

श्री जदूनगोपाल वैद्य—मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार का यह ख्याल है कि इन धाराओं के तहत नैद्य और हकीम ही चुनकर आयेंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है, क्योंकि फैंकल्टी में वैद्य और हकीमों के प्रतिरित और दूसरे लोग भी होते हैं, जैसे रजिस्ट्रार और वाइस-चांसलर आदि पदाधिकारी। इससे अतिरिक्त जो आयुर्वेदिक इंटीग्रेशन के टीचर्स हैं उनसे भी एलोकेशन होते हैं, उनको भी वहां बोट देने का अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि वहां से जो प्रतिनिधि चुनकर आये वह वैद्य या हकीम ही हो, वह डाक्टर भी हो सकता है। लेकिन सरकार की मंशा यह है कि वैद्य या हकीम ही चुनकर आना चाहिये। यूनानी संस्थाओं में भी जो अध्यापक हैं, उनमें डाक्टर लोग भी हैं, जहां से भी वे चुनकर आ सकते हैं। इसलिये इन धाराओं के संबंध में सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो मंशा माननीय सदस्यों की थी और जो सरकार ने मंजूर कर ली..

श्री जगन्नाथ मल्ल—ऑन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। क्या माननीय मंत्री जी को तीन बार बोलने का अधिकार है?

श्री अध्यक्ष—उन्हें भाषण नहीं देना है, उनको केवल एक सुझाव देना है।

†श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं ऐसा सुझाव रखना चाहता हूं कि जो भाषा इस विधेयक में है अथवा संशोधन में है उससे कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन यदि हम दफा ५ में इस प्रकार से शब्दों को रख दें, तो वह दिक्कत और शंका मिट सकती है, जो कि मौजूदा भाषा से कदाचित उत्पन्न हो सकती है। वह इस प्रकार है:—

“The Board shall consist of the following members (including the President) from amongst the Vaidis and Hakims whose name appear in the Register :”

†श्री नारायण दत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक यह इशारा करना है बस बहस सारे खंड पर ही चालू है लेकिन इस समय माननीय लेख प्रताप सिंह का संशोधन धारा ५ (१) (i) के मुतालिक है और नवल किशोर जी का भी संशोधन इसी पर है। इस समय उस पर ही बहस चल रही है लेकिन क्योंकि वहां तक बहस सीमित थी और अब नया सुझाव जो आया है वह सीमित नहीं है बल्कि वह तो सारे खंड तक जाता है। या तो पहले माननीय नवलकिशोर जी का संशोधन स्वीकार कर लिया जाय और बाद में गुप्ता जी या गौतम जी का संशोधन लिया जाय। या यह हो कि श्री नवलकिशोर जी वापस ले लें और सरकार स्थगित करके बहस रिड्राफ्ट होने के बाद करावे। इस तरह से तो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं भी जरा समझ लूं, उसका जो तरीका होगा उस पर विचार कर के मैं अभी बताऊंगा। यह तो मान ही लिया है कि जो वैद्य और हकीम होंगे वहां मेम्बर्स में शामिल होंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं समझता हूं कि अब सदन की मंशा भी व्यक्त हो चुकी है और मैंने भी अपने विचार सदन को बता दिए हैं इसलिये यदि सदन को आपत्ति न हो तो दूसरे दिन अपने लॉ आफिसर से बातचीत करके इसकी भाषा को जैसे सिद्धांत अभी स्वीकार किया है उसके अनुसार ठीक करके लाया जाय तो मुनासिब होगा और अभी आगे की कार्यवाही ले ली जाय, जो आगे खंड है। परसों इसको रिड्राफ्ट करके उपस्थित कर दिया जायगा और अभी आगे का खंड ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—यही ठीक है, यही तरीका है, पांचवां खंड स्थगित किया जाता है।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(एक अप के उत्तर)

(श्री तेजप्रताप सिंह से) क्या आपके संशोधन पर वोटिंग हो चुकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उस पर बहस हो चुकी, वोटिंग हो चुकी है और वह नेगेटिव हो चुका है। लेकिन हम आज इसकी भाषा में कुछ परिवर्तन करके ठीक करना चाहते हैं और यह तो हम स्वीकार ही कर चुके हैं कि जोर्ड के सदस्य वैद्य और हकीमों में से होंगे।

श्री तेजप्रताप सिंह—मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो खंड ५ की रिड्राफिटिंग होगी, उसमें वह चीजें जो प्रस्तुत हो चुकीं क्या वह खत्म हो गयीं ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने केवल यह सिद्धांत मान लिया है कि उसमें वैद्य और हकीम होंगे और उसके आधार पर रिड्राफिटिंग होगा। बस इतनी ही बात है।

श्री तेजप्रताप सिंह—रिड्राफिटिंग में तो १ से लेकर ५ तक सब में प्राविजो लगा कर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। मेरा मतलब केवल यह था कि पांचवां खंड फिर से रिड्राफ्ट होगा और बहस फिर से जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष—बहस नहीं जारी है, खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) में ही तो रिड्राफिटिंग होगा।

श्री तेजप्रताप सिंह—नम्बर ५ और १, और उसके नीचे सब-क्लाज (१) जहां तक हमारा आ चुका है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है आपका आ चुका है, लेकिन आगे और भी अमेंडमेंट्स आने वाले हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह—वह तो बड़ी आसानी से खत्म किये जा सकते हैं एक एक क्लाज को लेकर।

श्री अध्यक्ष—तो क्या आप पोस्टपोनमेंट का विरोध करते हैं ?

श्री तेजप्रताप सिंह—अगर पोस्टपोन करते हैं तो सिर्फ नम्बर १ के सब-क्लाज (१) तक आ चुका है तो यहां से खत्म कर दिया जायगा या फिर से नम्बर ५ से शुरू होगा।

श्री अध्यक्ष—एक तो आपका संशोधन जनरल क्लाज ५ पर था सब्स्टीट्यूट करने वाला, वह तो खत्म हो चुका वह रीओपेन नहीं हो सकता। जो आपने पांच का अमेंडमेंट आज सबेरे दिया था वह फिर से नहीं आ सकता। अब इसके जितने अमेंडमेंट्स ५ (१) के रह गये हैं और जहां से वे संशोधन शुरू होते हैं वहां से लिया जायगा।

श्री तेजप्रताप सिंह—जो टेकअप हो गये हैं उनको रिड्राफ्ट करके फिर से पेश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—आपका तो खत्म हो चुका, उसके बारे में तो नहीं हो सकता।

श्री तेजप्रताप सिंह—वह तो ठीक है लेकिन जो और टेकअप हो चुके हैं उनको क्या लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—लेकिन वह अगर हो भी चुके हैं तब भी वोट अभी उन पर नहीं लिये गये हैं, और जब वोट नहीं लिये गये तो सदन की अनुमति से उसको फिर से रिड्राफ्ट करने के लिये मैं इजाजत देता हूँ कि सदन की यह इच्छा है कि उसको रिड्राफ्ट करके मंत्री जी पेश करें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह तो निवेदन हम लोगों ने किया था, आरम्भ में ही, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसको उस वक्त स्थगित कर दिया। वह स्थिति खैर अब वाद में आयी। मैं अब केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जब रिज़ॉल्यूटिंग होकर आयेगी तो उसका असर इस पूरे कलाज पर पड़ेगा, तो फिर अगर हम उसका समझते हैं कि वह हानिकारक है तो क्या हमको उस समय अपनी सम्मति व्यक्त करने का अधिकार होगा ?

श्री अध्यक्ष—क्यों नहीं होगा ?

श्री राजनारायण—नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि हम अजेडे के १० वें आइटम तक आ चुके हैं। तेजप्रताप सिंह जी का संशोधन तो रिजेक्ट हो चुका है, उस पर विचार नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—उस पर उनको आपत्ति नहीं है। रिज़ॉल्यूटिंग जिस विषय पर होकर आयेगा उसी विषय के बाद से शुरु होगा और उसके पहले की जो चीज है उस पर बहस नहीं होगी।

(इसके उपरान्त खण्ड ५ पर विचार स्थगित हुआ।)

खण्ड ६

य० पी० ऐक्ट
१०, १९३९ की
धारा १० का
संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the President or any member nominated under sub-section (1) of section 5 shall be removable by the State Government alone."

श्री जगन्नाथ मल्ला—श्रीमन्, इसमें कुछ शब्द छूट गये हैं उनको जोड़कर मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश कर रहा हूँ कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (२) को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the President shall only be removed when a vote of no-confidence has been passed against him by the Board :

Provided that the no-confidence motion is carried by more than half the members of the Board."

श्रीमन्, पहले जो मूल अधिनियम में था वह इस प्रकार था—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) a Chairman may be removed by the Provincial Government only."

उसमें यह था कि स्टेट गवर्नमेंट ही चाहे तो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है, लेकिन अब जो यह संशोधन विधेयक आया है इसके द्वारा सरकार अपने पावर को और बढ़ाना चाहती है। इसमें है—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the President or any member nominated under sub-section (1) of section 5 shall be removable by the State Government alone."

श्रीमन्, पहले जो वाली प्रेसीडेंट के ही रिम्बल का सवाल था, लेकिन अब तो जितने नामिनेट मेम्बर हैं उनके भी रिम्बल का अधिकार सरकार अपने हाथ में ले रही है। पहले जो धारण है उनके अनुसार यह अधिकार बोर्ड को ही था जोर उसमें कुछ गतिविधि दिखे गये थे कि कोई मेम्बर ऐसा करना है तो बोर्ड उसको हटा सकता है। लेकिन अब जितने नामिनेट मेम्बर हैं उनको हटाने का अधिकार सरकार अपने हाथ में ले रही है और जितने इन्वेस्टेड हैं उनके लिए बोर्ड को अधिकार होगा कि हटा दे। मैं समझता हूँ कि इस तरह से मेम्बरों को जो तरह से डीट करना उचित नहीं होगा। इसलिए कि जो मेम्बर एक बफा नामिनेट होगा वही मेम्बर होगा और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन रखे तो बहुत उचित बात नहीं होगी। मैं तो यह भी चाहता था कि प्रेसीडेंट भी इलेक्ट किया जाय लेकिन हाउस ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अब उनको हटाने का अधिकार भी बोर्ड से सरकार ले रही है और अगर बोर्ड को उनको हटाने का अधिकार नहीं होगा तो प्रेसीडेंट बोर्ड को कुछ नहीं समझेगा। बोर्ड एक लिमिटेड मात्र रह जायेगा और सरकार जो है एक प्रेसीडेंट को नामिनेट करके जिस तरह से चाहें, उस तरह से मनमाना काम सकती है। इसलिये श्रीमन्, मैंने यह संशोधन पेश किया कि जो मेम्बर हैं उनको कम से कम यह अधिकार दिया जाय, क्योंकि कठपुतली बना कर आप किसी भी संस्था को ठीक रूप से चला नहीं सकते। आज विश्वास रखिये, इतना तो आपको मानना होगा कि जो लोग उत्तम आयेगे वे कुछ चुने हुए लोग आयेगे और कुछ आप नामिनेट करेंगे। वे कोई पागल नहीं होंगे। अगर आप भी पागलों को नामिनेट करते हों तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता बल्कि ऐसे लोगों को जिनको आप नामिनेट करेंगे या जो लोग चुनकर आयेगे, उनको यह अधिकार होना चाहिये कि अगर प्रेसीडेंट किसी किस्म की गलती करता है, या किसी किस्म का हस्तक्षेप करता है जिससे बोर्ड के काम में दिक्कत होती हो या जिससे इस ऐक्ट की मंशा की पूर्ति न होती हो तो ऐसी हालत में बोर्ड को यह अधिकार होना चाहिये कि वह प्रेसीडेंट को हटा सके। सरकार का अपने हाथ में लेना यह अधिकार कुछ उचित नहीं मालूम होता। नामिनेशन की बात तो ठीक है क्योंकि आप उस अधिकार को अपने हाथ में खुद ले रहे हैं, साथ ही उसको हटाने का अधिकार भी अगर आप अपने हाथ में लेते हैं तो यह मुनासिब न होगा। यही नहीं, श्रीमन्, पहले तो मेम्बरों को जो नामिनेट किये जाते हैं, उनको भी हटाने का अधिकार बोर्ड को था। वह अधिकार भी अब सरकार अपने हाथ में ले रही है। इस तरह से अधिकारों को हाथ में ले लेकर किसी संस्था को कठपुतली बना देना कुछ उचित न होगा। इसलिये श्रीमन्, मैं समझता हूँ कि जरा बोर्डों को आजद रहने दिया जाय। हर जगह बोर्ड बनते हैं और उनको अधिकार रहते हैं। जैसे युनिसिपल बोर्ड हैं उसके मेम्बरों को अधिकार है कि यदि चेयरमैन ठीक से काम नहीं कर रहा है या प्रेसीडेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है और वह कोई ऐसी गड़बड़ी पैदा करता है जिससे बोर्ड ठीक से नहीं चल पा रहा है, एम्बेजिलमेंट करता है या और कोई काम करता है जो जनता के हित के लिये ठीक नहीं है तो वहां पर बोर्ड को यह अधिकार है कि वे अपने प्रेसीडेंट को हटा दें। तो श्रीमन्, मैं यह समझता हूँ कि चाहे कोई भी बोर्ड हो जब तक यह अधिकार उसके मेम्बरों को नहीं मिलता वह बोर्ड ठीक से नहीं चल सकता। काम तो मेम्बरों को करना है, सारे इस्ताव उनको पास करने हैं और उसको हटाने का अधिकार सरकार ले ले तो वह मनमानी करेगा। अगर प्रेसीडेंट आकर खाली गलत काम किया करे और मेम्बरों को ठुकराये, कुछ करवाह नहीं। फिर कुछ नहीं कर सकते। कठपुतली बन जायेंगे। इसलिए यह अधिकार मेम्बरों को होना चाहिए कि चेयरमैन को हटा सकें या किसी भी मेम्बर को हटा सकें। और उसके लिए इसमें धाराएं दी गई हैं कि वह यह काम अगर करता है तो वह हटाया जा सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही उचित होगा कि हमारे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय क्योंकि इसके स्वीकार करने से ही बोर्ड ठीक ढंग से काम कर सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ।

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन पेश किया गया है, पहले जो सदन ने निर्णय किया है उसी के स्ट्रिट के खिलाफ है। अगर आपका संशोधन गान भी लिया जाय कि बोर्ड को यह अधिकार दिया जाय कि वोट ऑफ नो कांफीडेंस पास करे, लेकिन फिर जो स्थान होगा, उसकी पूर्ति सरकार ही करेगी, नामिनेशन द्वारा होगा। तो यह दोनों चीजें परस्पर विरोधी हैं। जब इस उनूल को सदन ने मान लिया कि प्रेसीडेंट का नामिनेशन सरकार द्वारा होगा, तो फिर यह भी अपने आप कारोलीरी हो जाती है कि प्रेसीडेंट को अलग भी सरकार द्वारा किया जायगा। बोर्ड और स्युनिवर्सिटी का यह उदाहरण देना ठीक नहीं बैठता। वह तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव बाडीज हैं, वह राजनैतिक दकाइया है, यह कोई राजनैतिक दल या राजनैतिक संस्था नहीं है। यह तो एक विशेष ताल्ल की प्रगति और विकास के लिए है। तो सदन ने जब यह मान लिया कि प्रेसीडेंट नामिनेटेड होगा तो वह वोट ऑफ नो कांफीडेंस वाला तर्क देना सदन के उस निर्णय के विरुद्ध मालूम पड़ता है, इसलिये मुझे बड़ा खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जो संशोधन प्रस्तुत है जगन्नाथमल्ल जी का मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। एक ही बात, श्रीमन्, आज सरकारी पक्ष से बार-बार दोहराया जा रही है और जब आप यहां नहीं थे तो मैंने निवेदन किया था कि बार-बार इंटेंशन, मनोवृत्ति की दुहाई क्यों दी जाती है? हमको यहां पर यह देखना है कि जिस तरह का विधेयक है इससे कैंसी-कैंसी कार्यवाहियां हो सकेंगी। इसी दृष्टिकोण से हमें विधेयक पर विचार करना है। हम बार-बार यह मान चुके हैं कि सरकार की मनोवृत्ति बढ़िया है। लेकिन अगर बढ़िया मनोवृत्ति से काम खराब हो तो उस बढ़िया मनोवृत्ति को लेकर क्या करें? इसलिये फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वह सरकार की मनोवृत्ति और सदिच्छा की बात न रखा करे। एक ही बात माननीय बनारसी दास जी ने अपने तर्क में कही। यह बात असंगत मालूम होती है कि सरकार तो नामिनेट करे और उस पर अविश्वास का प्रस्ताव बोर्ड करे तब वह हटाया जाय। यह असंगत किस मांष्टक का द्योतक है? मैं माननीय बनारसी दास जी से निवेदन करूंगा कि जरा वह इस पर गंभीरता से विचार करें। यह सरकार की ओर से कहा नहीं जा सकता कि इसे सर्वसम्मति से सदन ने पास किया है। हमारी जितनी ताकत थी, उसको लेकर हमने विरोध किया। हमने नामिनेशन का भी विरोध किया कि नामिनेशन नहीं होना चाहिये। बल्कि जो पुराना कानून था उसमें नामिनेशन नहीं था। उसमें एलेक्शन था। तमाम मेम्बरान चैयरमैन को चुनते थे। यह दसवीं धारा देखी जाय, जिसको सरकार संशोधित करना चाहती है। उसमें कई एक कायदे की बातें थीं कि कब वह डिसक्वालीफाइड समझा जायगा या कब मेम्बरी से अलग हो जायगा, मैं सबको पढ़ना नहीं चाहता। एक-एक लाइन करके बता देना चाहता हूँ। अगर वह लगातार तीन मीटिंगों में बिना उचित कारणों के अनुपस्थित रहे या उसमें जो सातवीं धारा में डिसक्वालिफिकेशन बताया गया है उसकी भी लम्बी लिस्ट है, उसके मुताबिक अयोग्य माना जाय, या कोई लीगल प्रेक्टीशन हो, जैसे वकील हो और कुछ हो या वह किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या सूट में लगा हो या गवर्नमेन्ट की किसी सर्विस में। ऐसे लोगों के लिये बहुत सी डिसक्वालिफिकेशन थी कि ऐसे लोग मेम्बर होते हुए भी वहां से अलग कर दिये जायेंगे। अब सरकार चैयरमैन के बारे में एक अधिकार लेना चाहती है कि वह जब चाहे तब उनको हटा दे, रिमूव कर दे। मैं सदन के सम्मानित सदस्यों की सद्बुद्धि पर छोड़ रहा हूँ, एक बार सरकार ने नामिनेट कर दिया, सरकार यह अधिकार लेने के लिये तैयार थी उसने यह अधिकार ले लिया, फिर भी सरकार क्यों चाहती है कि जब भी सरकार चाहे तभी हटा दे। जब सरकार चाहे तब हटा देने की शक्ति सरकार के पास रहे तो बराबर वह व्यक्ति सरकार के इशारे पर काम करता रहेगा चाहे उसका काम अच्छा हो, जनता के हित में या अहित में हो इसकी उसे कोई परवाह नहीं रहेगी। वह तो बराबर यह चाहेगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री या सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है यह बराबर हमसे प्रसन्न रहे। जैसा कि हमने श्रीमन्, यहां पर

उदाहरण उपस्थित किये थे कि ऐसे २ सबूत हमारे पास मौजूद थे और अब भी वे साबित हो सकते हैं। श्रीमन्, जो उसके बारे में आवाज उठाने वाला व्यक्ति था उसको यहां से उठा करके फेंक दिया गया, उस बेचारे को अपनी रोजी चलाने के लिये दूसरी जगह जाना पड़ा। आयुर्वेद विभाग में दवाइयां बनती हैं सरकार की। श्रीमन्, सोना आता है कितना आता है? कितने का आता है? कैसे और कितनी उसकी भस्म बनती है? इसकी कहीं सफ़ाई नहीं है। माननीय नख्त्य मंत्री जी की सेवा में जा कर हमने जो फाइल उपस्थित की और हमने कहा कि आप अपने आदमी दीजिए सारे रजिस्टर पकड़वा दें और सब चार्ज साबित करने के लिये तैयार हैं.....

श्री बनारसी दास—आन ए प्वाइंट आफ़ आर्डर। माननीय सदस्य अभी खंड ५ के संबंध में जो कह रहे थे, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—अगर आपने कहा था तो मैं समझता हूं कि दुबारा न कहें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, उस समय मैंने डिटेल में कहा था अब रिफ़रेस के लिए कह रहा हूं। तो मैं इतना ही माननीय बनारसी दास जी से जानना चाहता हूं कि वह डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर जो इस समय मेडिसिन बोर्ड के हैं वे सरकार के कृपापात्र बन करके रहेंगे या जन-सेवक बन करके रहेंगे? वे जनता के लिये लाभकारी काम करेंगे या माननीय मंत्री जी और उपमंत्री जी और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की जी हुजूरी करके सारा अपना कारोबार चलावा चाहेंगे। अगर श्रीमन्, उनको हटाने का अधिकार सरकार का रहेगा, तो वे सरकार को हर तरह से खुश करने की कोशिश करेंगे चाहे जनहित का काम हो या न हो। इसलिये मैं सरकार के हाथ में उन्हें हटाने का अधिकार देने का घोर विरोधी हूं। मैं चाहता हूं कि जब राज्य सरकार के लिये यह उचित है कि नामिनेशन का अधिकार उसने ले लिया तो कम से कम अब एक बार तो वह ऐसा काम करे जिससे कि सरकार ही के ऊपर बराबर मुनहसिर रह कर, लालायित न रह कर वह प्रेसीडेंट बोर्ड के तमाम सम्मानित सदस्यों पर, सरकार ने जो नियम बनाया है या बनायेगी जिसके अनुसार बोर्ड बनेगा, उन पर क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है कि वे मेम्बर उस प्रेसीडेंट के कार्य को देखें। अगर उसका कार्य खराब होता है तो बोर्ड के मेम्बर बैठ करके उसपर विचार करें, उनके ऊपर बाकायदा नोटिस दें, अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना दे करके उसको सफ़ाई का मौका दें। और मौका मिलने के बाद यदि मेम्बर संतुष्ट नहीं होते तो मेम्बर जैसा मल्ल जी ने लिखा है कि सारे बोर्ड के आधे मेम्बर बैठ कर के उनके ऊपर अगर अविश्वास का प्रस्ताव पास करना चाहें तो कर दें। इतना तर्क तो हम मानने के लिये तैयार हैं अगर सरकार चाहे तो मैजारिटी को दो तिहाई कर दे, मल्ल जी ने आधे का रक्खा है, तो हम उनसे कह सकते हैं कि बहुत जगह दो तिहाई की मैजारिटी से प्रेसीडेंट को निकालने की प्रथा है यहां पर भी वही कर दें। मगर यह बराबर कहना कि अगर उसके निकालने का अधिकार सरकार के हाथ में नहीं होगा तो बड़ा गड़बड़ होगा क्या गड़बड़ होगा? कोई बात तो बतायें। खाली एक संज्ञा का सरकार प्रयोग कर बेती है कि उससे गड़बड़ होगा, असंगति होगी। श्रीमन्, न तो कहीं असंगति है और न कहीं गड़बड़ है। फिर मैं उन्हीं शब्दों को दोहराना चाहता हूं कि सरकार अपनी इच्छा के बारे में चाहे जो कुछ कहे मगर जितना काम यह सरकार कर रही है वह सारा काम उसकी तानाशाही की मनोवृत्ति को सूचित करता है और यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि यह स्वास्थ्य विभाग है इसमें राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिये। कौन इसको राजनीति का अखाड़ा बना रहा है, यह सरकार बना रही है या जगन्नाथ मल्ल जी बना रहे हैं? मैं कहता हूं कि सरकार बना रही है इसको राजनीति का अखाड़ा और अगर वह राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहती तो माननीय जगन्नाथ मल्ल जी का संशोधन क्यों न माना जाय। सरकार के द्वारा सरकार के बनाये हुए कानून के द्वारा बोर्ड का निर्माण होगा, बोर्ड के आधे मेम्बर या दो तिहाई मेम्बर चैयरमैन के कामों को बराबर देखकर उसके

[श्री राजनारायण]

प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पेश करना चाहे तो पेश कर सकते हैं। ऐसे संशोधन को मान लेने में क्या सरकार को आपत्ति है? सही माने में यह राजनीति का अखाड़ा नहीं होना चाहिये इसमें दो रायें नहीं होनी चाहिये। मगर मैं देख रहा हूँ श्रीमन्, इसमें दो रायें हैं। तो जो आज की कॉलिंग पार्टी है वह जीवन की किसी क्षेत्र को भी राजनीति से अछूता नहीं रखना चाहती। कोई भी क्षेत्र चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, हर क्षेत्र में राजनीतिक दृष्टिकोण को, राजनीतिक नुक्तेनजर को रखना चाहती है। मैं उसका जबर्दस्त विरोधी हूँ और कहना चाहता हूँ कि केवल यह कह देने मात्र से कि "इसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए", "राजनीति इसमें नहीं आती हो", ऐसी बात नहीं है। राजनीति इसमें आ जाती है। सरकार को अगर जनता के विकास के लिए, उसके स्वास्थ्य के विकास के लिए बोर्ड का निर्माण करना है, आयुर्वेद को विकसित कराना है, यूनानी पद्धति को तरक्की देनी है, तो इस तरह का बोर्ड बनाना चाहिये, जो बोर्ड या बोर्ड का पदाधिकारी हर बार हर समय उस प्रणाली और उस व्यवस्था से अपने को संचालित करता हुआ ले चले और कहीं भी ऐसी शक्ति सरकार के हाथ में नहीं रहनी चाहिये कि अब तो यह चेयरमैन या प्रेसीडेंट खराब हो गया, इसको निकाल दो या अब यह अच्छा हो गया इसको रख दो। यह भी नहीं है इसमें कि एक बार का निकाला हुआ या रिमूव किया हुआ दूसरी बार फिर नहीं रक्खा जा सकता। यह भी कहीं नहीं है। यानी यह भी अधिकार सरकार के पास है कि एक बार किसी को रिमूव किया और आगे चल कर 'जस्ट लाइक ए गुड ब्वाय' उसने सरकार को संतुष्ट कर दिया कि अब वह सरकार के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करेगा, तो फिर उसको वह नियुक्त कर दे। तो कहीं भी जनमत को पाबन्दी होगी? श्रीमन्, अगर देखा जाय तो पहले का जो ऐक्ट था उस पहले के के मुताबिक सरकार समय-समय पर चेतती थी और चेक्स थे, ऐसी रुकावटें थीं, कि सरकार निरंकुश होकर के जितनी दूर पौड़ना चाहे नहीं पौड़ सकती थी

श्री अध्यक्ष—अब मैं समझता हूँ आप दोहरा रहे हैं।

श्री राजनारायण—जी नहीं, श्रीमन्, मैं अभी समाप्त करता हूँ।

तो पहले तो इसमें रखा गया था कि हाईली डिस्टिंक्शन प्राप्त किया हुआ व्यक्ति

श्री बनारसी दास—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मैं श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या लिबरल क्लेसन का क्लेब क्या होगा इसके बारे में अभी आपने निर्णय किया है। यह फ्रेंसला हुआ है कि पांचवीं क्लेब को स्थगित किया जाता है। माननीय सदस्य फिर उसी को दोहरा रहे हैं और इस संशोधन से तो इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री जगन्नाथमल्ल—श्रीमन्, बड़ा कुछ है कि माननीय पार्लियामेंटी सेक्रेटरी को यह भी नहीं मालूम है कि प्वाइंट आफ आर्डर क्या होता है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके जरा उन्हें जोश न दिलाइए।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय बनारसी दास जी से यह कहना चाहता हूँ कि अगर वह हमारी बात मान लें तो हम माननीय बनारसी दास जी को प्रतिभा सम्पन्न और हर विषय का जानकार व्यक्ति घोषित करने के लिये तयार हैं, अगर वह इस संशोधन को मान लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं माननीय जगन्नाथमल्ल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इसकी शब्दावली में थोड़ा हेर-फेर किया जा सकता है। लेकिन इसका भाव बिल्कुल सही है और उसके साथ ही साथ श्रीमन्, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन कारणों से आपने खंड ५ का विचार आज स्थगित किया है और सरकार ने इस मुझाव को माना है उन्हीं कारणों से इस खंड ६ को भी आज स्थगित कर दिया जाय।

श्रीमन् ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप अगर श्रीमन्, मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (१) देखेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जायगा कि इस खंड पर विचार होना स्थगित होना क्यों आवश्यक है। खंड ५ में यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया है कि वह कोई प्रेसीडेंट या मेम्बर केवल वैद्य या हकीम ही हो सकता है, चाहे फैंकल्टी की ओर से आये, चाहे नामिनेट होकर आये, चाहे वह एलेक्ट होकर आये। हर हालत में हकीम या वैद्य ही होंगे। अब अगर धारा १० को चाहे वह पुरानी हो और चाहे जो संशोधन आज प्रस्तुत किया गया है उसके आधार पर उस सिद्धांत की कसौटी में कसें तो यह धारा आमूल-मूल बदलनी चाहिए। अब विधेयक में धारा १० के प्रस्तुत संशोधन को देखे तो आप देखेंगे कि सदस्यों को दो प्रकार से बांट दिया गया है। एक तो वह जो सरकार द्वारा नामजद होते हैं और दूसरे वह सदस्य जिनका चुनाव होता है। दोनों प्रकार के सदस्य वैद्य हकीम होंगे। लेकिन फ़र्क यह कर दिया गया है कि जो नामजद होंगे उनको तो केवल राज्य सरकार हटा सकती, लेकिन जो चुने हुए होंगे उनके लिये उपधारा (१) है। उसी को आप देखिए कि किस प्रकार है? अगर कोई मेम्बर तीन मीटिंगों में लगातार नहीं आता है और कोई उचित कारण नहीं देता है तो वह हटा दिया जायगा। अब श्रीमन्, बनाइए कि चुने हुए को तो हटायें और नामजद के लिये कह दें कि राज्य सरकार हटायेंगी, यह कितना गलत है? नामजद वैद्य और चुने हुए में डिस्टिंक्शन उचित नहीं है। अगर तीन बार नामजद सदस्य भी नहीं आता है, प्रेसीडेंट नहीं आता है तो क्यों सदस्य या सभापति रहेगा? तो यह नामजद और ग्रैर-नामजद के लिये भी लागू होता है। इसी प्रकार धारा ७ में अगर कोई डिस्कवालिफ़िकेशन हो गयी है, दिवालिया हो गया हो, तो अगर नामजद दिवालिया हो गया है तो बोर्ड नहीं हटा सकता है, लेकिन चुने हुए का दिवाला हो गया तो बोर्ड हटा सकता है। ऐसे ही अगर कोई रागल हो गया है तो नामजद को बोर्ड नहीं हटा सकता। अगर कोई मारेल टरपीट्यूड की बात है या रजिस्टर से रिमूवल कर दिया गया है या बोर्ड का एम्प्लोई हो गया है तो यह चीजें नामजद और चुने हुए दोनों पर लागू होती हैं। अब आप (सी) खंड को देखें—

“ Being a legal practitioner, appears in any suit or proceeding, civil or criminal against the Board.”

जहां आपने सिद्धांत मान लिया कि वैद्य और हकीम ही होगा, वहां इसमें है कि वकील लोग भी होंगे। तो वकील तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिये मेहरबानी करके इस खंड १० पर फिर विचार किया जाय, यह अव्यावहारिक है। मैं समझता हूँ कि बिना मतलब के वैद्य हकीमों में फ़र्क कर दिया गया है। नामजद सदस्य कह सकता है कि हमको बोर्ड क्या हटायेंगा, हम नामजद हैं, हम चाहे दिवालिया हों, हमारा दिमाग खराब हो, सरकार ही हटा सकती है। चुने हुए कहेंगे कि हमको बोर्ड भी हटा सकता है। तो इस तरह से नकली दीवार खड़ी करना, मैं समझता हूँ कि एक अनुपयुक्त वस्तु है।

अब दूसरी बात सभापित के बारे में है। मान लिया थोड़ी देर के लिये कि सभापित नामजद हो, लेकिन प्रश्न तो यह है कि ऐसा सभापति क्यों रक्खा जाय जिसके ऊपर बोर्ड के भारी बहुमत का अविश्वास है? यह आज तक किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चाहे कोई बोर्ड हो, कमेटी हो या कमीशन हो, जहां पर एक बार सभापित के प्रति सदस्यों का अविश्वास होता है, स्थायी रूप से होता है। आखिर बोर्ड में सदस्य जिम्मेदार व्यक्ति ही होंगे। उस सभापति से सदस्य कम जिम्मेदार नहीं होंगे। सभी प्रकार के सदस्य होंगे। नामजद भी होंगे, चुने हुए भी होंगे, फैंकल्टीज से आये हुए बड़े-बड़े विद्वान भी होंगे। तो जहां ऐसे विद्वानों की संस्था हो, वहां अव्वल तो कोई ऐसी स्थिति आयेगी ही नहीं। वहां तो पारस्परिक सहयोग, प्रेम और सोहार्द से ही काम चलेगा। लेकिन अगर बदकिस्मती से कोई सभापति बोर्ड का विश्वास प्राप्त न कर सकें और बोर्ड यह चाहे कि यह हमारे सभापति न रहें तो उसका एक तरीका है—अविश्वास का प्रस्ताव—जो आज म्युनिसिपल बोर्ड में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में चलने वाला है। तो यह अविश्वास के प्रस्ताव वाला

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सिद्धांत प्रजातांत्रिक संस्थाओं में आज से नहीं बहुत समय से चलता चला आ रहा है। अब जिस प्रकार सरकार ने व्यवस्था की है उसके आधार पर बोर्ड में खामखाह एक जिच्च रहेगी। अगर बोर्ड के सभापति में उसके मेम्बरों का विश्वास नहीं है, तो वे सरकार के पास रेप्रेजेंट करेंगे कि बोर्ड का सभापति यह कर रहा है, वह कर रहा है, और बोर्ड का प्रेसीडेंट चूंकि सरकार का नामजद है इसीलिये वह और निरंकुश होता जायगा। बजाय बोर्ड का विश्वास प्राप्त करने के उसकी निरंतर चेष्टा यह रहेगी कि वह सरकार के उच्चाधिकारियों का विश्वास प्राप्त करे। यह मनुष्य मात्र के स्वभाव में स्वाभाविक है। इसलिये मेरा निवेदन है कि खंड ५ में सिद्धांत बदल चुका है, जो पुराना सिद्धांत था उसको हमने हटा दिया है और पुराने खंड ५ के आधार पर यह खंड १० लिखा गया था। इसलिये श्रीमन्, मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप सरकार को सलाह दे इस खंड पर विचार स्थगित करें।

श्री बनारसीदास—दसवीं धारा का तो डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। यह तो खंड ६ चल रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं मूल अधिनियम की धारा १० को कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मालूम होता है कि माननीय सभा मंचिब जी ने मेरी बात को ठीक सुना नहीं। वह कहते हैं कि अधिनियम की धारा ६ पर विवाद हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—आप उनकी बात सुनते क्यों हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप असंगत हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको पढ़ने की चेष्टा करें और अधिनियम की धारा १० और प्रस्तुत विधेयक के खंड ६ पर विचार स्थगित करें या फिर इस संशोधन को मान लें। नहीं तो ठीक है, फिर वकील लोग भी बोर्ड के सदस्य हो सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में जरा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जहां तक इसमें अन्तर किया गया है धारा १० की उपधारा (१) में और जो डिसक्वालिफिकेशन दी हुई है ७ में, तो यह जो आक्षेप नारायणदत्त जी ने किया है, तो अन्तर रहते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता है इस संशोधन से। इस संशोधन का केवल इतना मतलब है कि निकालने वाला कौन होगा? बोर्ड उनको निकालेगा जो कि डिसक्वालिफाइड होंगे और जिन पर डिसएबिलिटीज होंगी, और चूंकि वे डिसएबिलिटीज और डिसक्वालिफिकेशन नामजद आदमियों के लिये भी लागू होंगी इस कारण उनको निकालने का अधिकार केवल सरकार का होगा। इतना अन्तर उन्होंने किया है शायद नामजदगी की दृष्टि से। कुछ लोग चुनाव से सदस्य हैं उन्हें निकालने का इसलिये बोर्ड को अधिकार दे दिया है और कुछ लोगों की नामजदगी होना है इसलिये सरकार को उन्हें निकालने का अधिकार दे दिया है। लेकिन एक बात नारायणदत्त जी की सही मालूम होती है कि धारा १०(१) में जब यह है कि—

“ Being a legal practitioner, appears in any suit or proceeding, civil or criminal against the Board.” जब सरकार ने स्वीकार किया कि बोर्ड में सिर्फ वेंच और हकीम होंगे तो फिर लीगल प्रैक्टिशनर्स कैसे होंगे, यह प्रश्न कैसे सुलझाया जायगा? तो यद्यपि इसके रहने से कोई असर नहीं पड़ेगा अमल करने में तो भी यह हिस्सा इनएप्लीकेबिल रहेगा। वह रिडंडेंट हो जायगा और लोग हंसेंगे। इस बात पर मैं

समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी विचार करके खण्ड १० (१) में इतना परिवर्तन करेंगे। जब परमों आये तो खंड ५ दुहस्त करके आये और उससे जो कांसीक्वेशन नतीजा निकलता है, यानी यह अनावश्यक सा हिस्सा निकाल दिया जायगा, जो इस प्रकार है:—

'Being a legal practitioner', तो इतना मैं समझता हूँ कि नारायणदत्त जी का कहना बजबू है। लेकिन इसकी वजह से यह कोई आवश्यक नहीं है कि यह संशोधन जो उपस्थित हुआ है, उस पर विचार न किया जाय। क्योंकि वह निकल जायगा तो भी संशोधन कायम नहूँ करना है लेकिन यदि माननीय सदस्य मेरिट्स पर यह तय करते हैं कि बोर्ड से यह अधिकार हटा ले तो जगन्नाथमल्ल जी का संशोधन म न लें। लेकिन यदि वे मानते हैं कि चुने हुये और नामजद सदस्यों को निकालने के अधिकार में अन्तर होना चाहिये तो सरकार के कथन के अनुसार कार्य होगा और यह संशोधन फल ही जायगा। लेकिन हमारे आगे बढ़ने में इनमें कोई बाधा नहीं है। इसका यह कहना चाहता हूँ कि १० (१) का संशोधन परमों मंत्री जी ले जायें।

श्री वनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, जब यह मान लिया गया है तो धारा १० (१) में आवश्यक परिवर्तन हो जायगा। इससे कोई असर नहीं पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—हां तो यह जारी रहेगा। मैंने निर्णय दे दिया, अब इस पर कोई बहस नहीं होगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस संशोधन के सम्बन्ध में एक बात पर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जैसा कि आपने स्वयं कहा कि जब अगले दिन धारा ५ संशोधित रूप में उपस्थित की जाय तो धारा १० (१) का जो कांसीक्वेशन रूप हो उसके उपस्थित करने की कृपा करें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो संशोधन है उसमें न तो सोशलिस्ट पार्टी का सवाल है और न कांग्रेस पार्टी का सवाल है बल्कि सवाल यह है कि बोर्ड का प्रेसीडेंट किस रूप में हटाया जाय? अगर गवर्नमेन्ट नामिनेट करती है तो वह फिर नामिनेट करेगी या उसका हटाने वाला कोई ऐसा नियम हो, कोई ऐसी बात पैदा हो कि जिससे गवर्नमेन्ट हटाने के लिये बाध्य हो तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेन्ट इस बात पर निश्चित राय रखती है कि बोर्ड का प्रेसीडेंट नामिनेटेड हो तो मैं निवेदन करूंगा कि

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण, मैं समझता हूँ कि दूसरे रोज जारी रखेंगे क्योंकि अब पांच बजने वाले हैं।

सूर्य-ग्रहण के उपलक्ष्य में छुट्टी की सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को इतनी सूचना देना चाहता हूँ कि कल सदन सूर्य-ग्रहण के कारण नहीं बैठेगा और परसों बैठेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे बृहस्पतिवार, १५ दिसम्बर, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
१३ दिसम्बर, १९५५।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देविघे अहसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१ पर)

No. A-2142 XV—3124-1947

FROM

DR. I. R. KHAN, PH. D. (LONDON),
JOINT SECRETARY TO GOVERNMENT,
UNITED PROVINCES,

TO

THE DIRECTOR OF EDUCATION,
UNITED PROVINCES,

Dated Lucknow, November 1945

SIR,

EDUCATION
(A)
DEPT.

WITH reference to the correspondence resting with your letter no. F(2)/6733/IV—62, dated October 5, 1948, I am directed to convey the sanction of the Governor to the enclosed scheme granting concessions to the political sufferers and their dependents who took part in the struggle for national freedom of 1942.

2. I am to point out that while the scholarships mentioned in paragraphs 13 and 14 of the scheme will be available for all the children and dependents covered by the scheme, the scholarships mentioned in paragraphs 15, 16, 17, 18 and 19 of the scheme will be awarded on merit. I am also to say that expenditure in this connexion should in no case, exceed the allotment made in the budget.

3. I am to request that the scheme may be circulated among all educational institutions and given publicity through the Press by issuing a Press Note giving in brief the gist of the scheme and inviting applications from deserving candidates in accordance with the prescribed procedure.

4. The charge will be debited to the head "37 - Education—E—General Charges—(c) Scholarships—Men—

In Arts Colleges—For others.

In Secondary Schools—For others.

In Primary Schools—For others."

Yours faithfully

I. R. KHAN

Joint Secretary.

No. A-2142(i) XV—3124-1947

COPY forwarded for information to—

- 1) All Commissioners of Divisions, United Provinces.
- 2) All District Officers, United Provinces.
- 3) All Regional Deputy Directors of Education, United Provinces.
- 4) All Regional Inspectresses of Girls Schools, United Provinces.
- 5) All District Inspectors of Schools, United Provinces.
- 6) All Assistant Inspectresses of Girls Schools, United Provinces.
- 7) All Chairmen, Municipal Boards, United Provinces.
- 8) All Presidents, District Boards, United Provinces.
- 9) All Presidents, District Congress Committees, United Provinces.
- 10) All Presidents, City Congress Committees, United Provinces.

By order,

I. R. KHAN,

*Joint Secretary to Government,
United Provinces.*

FINANCE DEPARTMENT

No. A-2142(ii)/XV—3124-1947

COPY forwarded for information to the Accountant General,
United Provinces, Allahabad.

By order,

N. C. RAY,

*Assistant Secretary to Government,
United Provinces*

Scheme for the grant of stipends and educational facilities to the political sufferers and their dependents

Preamble

SEVERAL representations have been made to Government by persons who took part in the struggle for national freedom, for educational facilities for themselves and for their dependents in the shape of stipends, freeships and aid. Government considers that their cases stand on par with the soldiers of Great War of 1914—18 and the World War of 1939—45 as the personnel of struggle for national freedom has equally suffered and in many cases has lost his/her property and means of livelihood and deserves educational facilities on lines similar to those as have been provided for the soldiers of war in the scheme promulgated with Government Resolution no. 1860/XV—121-A-1917 and G.O. no. A-770/XV—197-1941, dated December 9, 1918, and March 15, 1942, respectively. Accordingly the following scheme has been prepared to provide educational facilities to the political sufferers for themselves and for their dependents who have their homes or domicile in the United Provinces. The restriction of residence or domicile in the United Provinces shall not apply to *bona fide* Hindu and Sikh refugees from Pakistan.

2. The term "Political Sufferers" should be taken to mean only those persons who have undergone continuous imprisonment or detention of not less than six months or who lost part or whole of their property, jobs or means of livelihood as a result of their participation in the "Struggle" and to *their dependents*. It also covers the children and dependents of such sufferers who have died in prison or detention, who have been killed in action, were awarded capital punishment, sentenced to transportation for life or have become permanently incapacitated for example, due to firing, *lathi* charge, etc. on account of their taking part in the struggle for national freedom launched by the Congress. The sufferers of 1921, 1931 and 1942 movement are also regarded as soldiers of national freedom and will be entitled to all the benefits of this Scheme.

3. The term "Dependent" will mean to include legitimate children, step-children, a deceased son's children, fatherless nephew or niece and orphan brothers and sisters only.

Scheme

4. The scheme will apply only to the persons concerned and their dependents who have their homes or domicile in the United Provinces or are *bona fide* Hindu and Sikh refugees from Pakistan and will be applicable so long as they continue their studies satisfactorily.

5. All dependents of the political sufferers as defined in foregoing paragraph 2 who have died in prison or detention, killed in action, were awarded capital punishment, sentenced to transportation for life or have become permanently incapacitated due, for example, to firing, *lathi* charge, etc. shall be entitled to the benefits irrespective of their

and shall be given preference over the dependents of other political sufferers. In other words the afore-said kind of dependents will be allowed benefit first and if any benefit remains vacant after providing for them, it will be allowed to other political sufferers or their dependents in accordance with the conditions laid down hereinafter.

6. Every person claiming the benefits under this Scheme for himself or for his/her dependents shall apply every year by July 20 to the Collector of the district on the prescribed Form 'A' attached to this Scheme with full particulars duly filled in. The Collector shall thereupon verify from the President, District or City Congress Committee, as the case may be, that the applicant is eligible for the stipend and shall thereupon grant a certificate in Form 'B' attached to this Scheme by August 15.

7. The applicant shall be required to produce the certificate in Form 'B' granted under the preceding paragraph along with the application in Form 'A' to the head of the educational institution to which he/she seeks his/her or his/her dependent's admission or in which admission has already been made, by August 31. The head of the institution shall forward all cases with necessary recommendations on each to the authority mentioned in paragraphs 24 and 25 for decision by September 10.

8. The Collector, the head of institution and the authorities mentioned in paragraphs 24 and 25 will in no case entertain any application after July 20, August 31 and September 10 respectively (except during the current year)

9. The stipends and concessions shall positively be awarded by the authorities mentioned in paragraphs 23, 24 and 25 by September 30.

10. The prescribed application Form 'A' will be available from the officers of the District Inspector of Schools and the Assistant Inspectress of Girls' Schools of each district.

11. Copies of this Scheme shall be sent to the Collectors of the districts, the District Inspector of Schools, the Assistant Inspectresses of Girls' Schools, the heads of all institutions. —Schools, Colleges and Universities. Presidents of District and City Congress Committees, President of the Provincial Congress Committee, Regional Deputy Directors of Education, Regional Inspectresses of Girls' Schools and Principals, Training Colleges for taking actions as required under this scheme.

12. (a) All political sufferers and their dependents mentioned in paragraph 4 shall be given special consideration in the matter of admissions and award of freeships and half freeships by all recognised Primary Basic Schools and Junior High Schools. All losses to schools on account of such freeships and half freeships will be supplemented by the Education Department. These fee-concessions will be over and above the limits prescribed in paragraphs 113, 114, 115 and 116 of the Educational Code.

(b) All political sufferers and their dependents shall be entitled to free seats in the hostels attached to the recognised Schools, Colleges or Universities and the loss of fee on this account shall be *supplemented* by the Education Department.

13. Thirty stipends of the value of Rs.5 per mensem each and tenable for a maximum period of *five years* (July to June) will be awarded annually to scholars reading in classes *I to V* of a recognised *Primary Basic Schools*.

14. Thirty stipends of the value of Rs.8 per mensem each and tenable for a maximum period of *3 years* (July—June) will be awarded annually to scholars reading in classes *VI to VIII* to the recognised *Junior High Schools* (and in middle sections or middle schools so long as the old nomenclature continues).

15. Twenty stipends of the value of Rs.12 per mensem each and tenable for a maximum period of *2 years* (July—June) will be awarded annually to scholars who pass in all subjects and secure an aggregate mark of not less than 45 per cent. in the examination of Class *VIII* of the recognised *Junior High Schools* (or middle sections or middle schools so long as these continue and are studying in *classes IX and X* of a recognised *High Schools or Higher Technical Schools* (or the old High Schools and Intermediate Colleges or Intermediate Sections of Degree Colleges).

16. Thirty stipends of a value of Rs.20 per mensem each and tenable for a maximum period of *2 years* (July—June) will be awarded annually to scholars who pass in all subjects and secure an aggregate mark of not less than 45 per cent. in the examination of class *X* of a recognized Higher Secondary School (or High School Examination so long as it continues) and are studying in classes *XI and XII* of a recognized Higher Secondary School (or Intermediate College of Degree Colleges).

17. Twenty-five stipends of the value of Rs.30 per mensem each will be awarded annually in order of merit to scholars who pass the public examination at the end of the Higher Secondary School or Higher Technical School course or the Intermediate Examination or an equivalent examination recognised by the Board of High School and Intermediate Education, United Provinces or the Director of Education, United Provinces and will be tenable for a maximum period of *2 years* (July—June) in the B. A., B. Com., B. Ag., B. Sc., or equivalent classes of the recognised Universities or Technical Institutes or Technical Universities in the United Provinces teaching Arts, Science or Technical subjects.

18. Fifteen stipends of a value of Rs.35 per mensem each will be awarded annually in order of merit to scholars who pass the examination of B. A., B. Com, B. Sc., B. Ag. or equivalent classes of the recognised Universities or Technical Institutes or Technical Universities in the province teaching Arts, Science or technical subjects and will be tenable for a maximum period of *2 years* (July : June) in Post-Degree classes of the above mentioned institutions.

19. Three stipends of a value of Rs.50 per mensem each will be awarded annually in order of merit to scholars who pass the examination of M. A., M. Com., M. Sc. or equivalent classes of the recognized Universities or Technical Institutions or Technical Universities in the province teaching Arts, Science or technical subjects and will be tenable for a maximum period of 2 years (July—June) to such students who carry on research in any special subject in the abovementioned institutions.

20. Deserving students will also be allowed non-recurring grant for books, stationery and payment of examination fees, etc. at the rate of Rs.100, Rs.50, Rs.40, Rs.30, Rs.20, Rs.10 and Rs.5 in a year in Post-graduate, degree and classes XI and XII, IX, and X, VI to VIII, IV and V and I to III, respectively. This assistance will be admissible on consideration of pecuniary circumstances and poverty.

21. Holders of stipends under this Scheme will not be debarred from holding any other scholarship or stipend tenable in the class in which they may be reading and awarded to them under any other scheme or by any other authority.

22. A concession or stipend under this Scheme may be withdrawn, if in the opinion of the awarding authority the progress of the scholar is inadequate or his/her conduct unsatisfactory.

23. Admissions and fee concessions admissible under this Scheme will be made and granted by the heads of the institutions under the rules in force for admission and grant of fee concession for their institutions.

24. Stipends under paragraphs 13, 14 and 15 and non-recurring grant under paragraph 20* up to class XII of this Scheme will be awarded by the District Inspector of Schools or the Regional Inspectresses of Girls Schools or the Principals, Training Colleges, United Provinces as the case may be on the recommendation of the head of the institution. Monthly stipend bills in respect of the above awards will also be countersigned by the aforesaid officers. Copies of all the awards will be forwarded to the Director of Education, United Provinces for watching the expenditure and maintaining the progressive expenditure under each paragraph

25. Stipends under paragraphs 16 to 19 and non-recurring grant under paragraph 20* above up to class XII will be awarded by the Director of Education, United Provinces and monthly stipends bills relating thereto will be countersigned by him or by an officer authorised by him.

26. The District Inspector of Schools, the Regional Inspectresses of Girls' Schools and the Principals of Training Colleges shall submit every year by September 30, paragraphwise list of all stipend holders and grantees of aid under paragraph 20* who may be continuing their studies in the next class, to the Director of Education, United Provinces for maintaining and watching the expenditure every year.

* *Vide* G. O. no, A-182/XV—3124-47, dated January 11, 1950.

Application Form 'A'

1. Name of Scholar.
2. Name of father.
3. Guardian's particulars :
 - (a) Name.
 - (b) Occupation.
 - (c) Relationship to scholar.
4. Particulars of the Soldier of National Freedom.
 - (a) Name.
 - (b) Occupation.
 - (c) Relationship to scholar.
 - (d) Monthly income from all sources.
5. Nature of loss suffered with date and year as defined in paragraph 2 of the scheme.
6. Institution and class last attended.
7. (a) Institution and class in which reading.
 - (b) Whether or not resides in hostel.
8. Name and result of last examination with the year of passing it.
9. Age of Scholar.
10. Roll number of High School, Inter. or Degree Examination with the year of passing the same or percentage of marks obtained in class VIII or as the case may be.
11. Residence with full address.
12. Length of residence in the United Provinces. If refugee mention the fact and quote registered number.
13. Special circumstances, if any.
14. Concession desired :
 - (a) Stipends.
 - (b) Cost of books.

Signature of Guardian.
Date of application.

Signature of Scholar.

Recommendation by the Head of the institution in which studying.

Certificate Form B

Certificate and recommendation of the District Magistrate

CERTIFIED that (Scholar) aged _____ is the legitimate child/step child/deceased son's child, fatherless nephew or niece orphan brother or orphan sister of _____) who is was political sufferer as he underwent continuous imprisonment/detention for _____ years/months in the year 19____ to 19____ or died in prison or detention/killed in action/sentenced to capital punishment/transported for life in 19____ or became incapacitated due, for example, to firing, lathi charge etc. has suffered loss of property for participation in the struggle for National Freedom launched by the Congress

(Certified also that the said scholar is a resident of _____ district in the United Provinces since birth domiciled in the United Provinces. Registered Refugee from _____)

The said scholar may be/may not be —

- (a) Awarded stipend.
- (b) Non-recurring assistance for books, stationery, etc.

Dated

*Signature of District Magistrate
and seal of Court.*

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १०४ पर)

संलग्न व्योरा

क्रम- संख्या	पद का नाम	निवृत्तियों की संख्या	संख्या अनुसूचित जाति	संख्या पिछड़ी जाति
१	उच्च श्रेणी सहायक	...	१	०
२	निरीक्षक	...	४	०
३	अनुवादक	...	२	०
४	पत्रकार	...	५	१
५	न्युज आफिसर	...	१	०
६	लघु श्रेणी सहायक	...	१६	०
७	बन्डल लिफ्टर	...	१	०
८	कैमरा असिस्टेंट	...	१	०
९	असिस्टेंट फोटोग्राफर	...	१	०
१०	सिनेम आपरेटर	...	१	०
११	आर्टिस्ट	...	१	०
१२	सम्पादक	...	१	०
१३	ज़िला सूचना अधिकारी	...	११	०
१४	अतिरिक्त रेडियो इंजीनियर	...	१	०
१५	सहायक रेडियो इंजीनियर	...	५	०
१६	टेक्नीशियन	...	१	०
१७	रेडियो इन्सपेक्टर	...	६	०
१८	निम्न श्रेणी कर्मचारी	...	१२	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १५ दिसम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२१)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज्जा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्न
गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री

केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
ख्याली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री

छेदालाल चौधरी, श्री
 जगतनारायण, श्री
 जगदीश प्रसाद, श्री
 जगदीश सरन, श्री
 जगन प्रसाद रावत, श्री
 जगन्नाथ प्रसाद, श्री
 जगन्नाथ बख्श दास, श्री
 जगन्नाथ मल्ल, श्री
 जगन्नाथ सिंह, श्री
 जगपति सिंह, श्री
 जगमोहन सिंह नेगी, श्री
 जगशंकर शुक्ल, श्री
 जयपाल सिंह, श्री
 जजेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
 जवाहरलाल, श्री
 जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
 जुगलकिशोर, आचार्य
 जोरावर वर्मा, श्री
 झारखंडे राय, श्री
 टीकाराम, श्री
 डल्लाराम, श्री
 डालचन्द, श्री
 ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
 तुलाराम, श्री
 तुलाराम रावत, श्री
 तेजप्रताप सिंह, श्री
 तेजबहादुर, श्री
 तेजा सिंह, श्री
 त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
 दयालदास भगत, श्री
 दर्शनराम, श्री
 दलबहादुर सिंह, श्री
 दाताराम, श्री
 दीनदयालु शर्मा, श्री
 दीनदयालु शास्त्री, श्री
 दीपनारायण वर्मा, श्री
 देवकीनन्दन विभव, श्री
 देवदत्त मिश्र, श्री
 देवदत्त शर्मा, श्री
 देवमूर्ति राम, श्री
 देवराम, श्री
 देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
 द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
 द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
 धनुषधारी पांडेय, श्री
 धर्म सिंह, श्री

नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
 नरदेव शास्त्री, श्री
 नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
 नरोत्तम सिंह, श्री
 नवलकिशोर, श्री
 नागेश्वर द्विवेदी, श्री
 नारायणदत्त तिवारी, श्री
 नारायण दास, श्री
 नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
 नेकराम शर्मा, श्री
 नेत्रपाल सिंह, श्री
 पद्मनाथ सिंह, श्री
 परमानन्द सिन्हा, श्री
 परमेश्वरी दयाल, श्री
 परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
 पातीराम, श्री
 पुत्तलाल, श्री
 पुद्दनराम, श्री
 पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
 प्रकाशवती सूद, श्रीमती
 प्रतिपाल सिंह, श्री
 प्रभाकर शुक्ल, श्री
 प्रभुदयाल, श्री
 फजलूल हक, श्री
 फतेहसिंह राणा, श्री
 बनारसीदास, श्री
 बलदेव सिंह, श्री (गोडा)
 बलदेव सिंह, श्री (बनारस)
 बलदेव सिंह आर्य, श्री
 बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
 बलवन्त सिंह, श्री
 बसन्तलाल, श्री
 बसन्तलाल शर्मा, श्री
 बाबू नन्दन, श्री
 बाबू लाल कुसुमेश, श्री
 बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
 बिशम्बर सिंह, श्री
 बेचनराम, श्री
 बेचनराम गुप्त, श्री
 बेनी सिंह श्री
 बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
 बैजूराम, श्री
 ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
 भगवतीदीन तिवारी, श्री
 भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
 भगवतीप्रसाद द्विवे, श्री

भगवान सहाय, श्री
 भीमसेन श्री
 भुवरजी. श्री
 भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
 भोला सिंह यादव, श्री
 मंगाला प्रसाद, श्री
 मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
 मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
 मदनगोपाल वैद्य, श्री
 मदन मोहन उपाध्याय, श्री
 मन्नीलाल गुह्रदेव, श्री
 मलखान सिंह, श्री
 महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
 महाराज सिंह, श्री
 महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
 महावीर. सिंह, श्री
 महीलाल, श्री
 मान्धाता सिंह, श्री
 मिजाजी लाल, श्री
 मिहरबान सिंह, श्री
 मुजफ्फर हसन, श्री
 मुन्नालाल, श्री
 मुरलीधर कुरील, श्री
 मुस्ताक अली खां, श्री
 मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
 मुहम्मद नबी, श्री
 मुहम्मद नसीर, श्री
 मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
 मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
 मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
 मोहनलाल, श्री
 मोहनलाल गौतम, श्री
 मोहन सिंह, श्री
 मोहन सिंह शाक्य, श्री
 यमुना सिंह, श्री
 यशोदा देवी, श्रीमती
 रघुनाथ प्रसाद, श्री
 रघुराज सिंह, श्री
 रघुवीर सिंह, श्री
 रतनलाल जैन, श्री
 रमेश वर्मा, श्री
 राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
 राजकिशोर राव, श्री
 राजकुमार शर्मा, श्री
 राजनारायण, श्री
 राजनारायण सिंह, श्री

राजा राम मिश्र, श्री
 राजा राम शर्मा, श्री
 राजेन्द्र दत्त, श्री
 राजेश्वर सिंह, श्री
 राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
 रावामोहन सिंह, श्री
 रामअधार तिवारी, श्री
 रामअधीन सिंह यादव, श्री
 राम अनन्त पांडेय, श्री
 रामअवध सिंह, श्री
 रामकिंकर, श्री
 रामकुमार शास्त्री, श्री
 रामकृष्ण जैसवार, श्री
 रामगुलाम सिंह, श्री
 रामचन्द्र विकल, श्री
 रामजीलाल सहायक, श्री
 रामजी सहाय, श्री
 रामदास आर्य, श्री
 रामडुलारे मिश्र, श्री
 रामनरेश शुक्ल, श्री
 रामप्रसाद देशमुख, श्री
 रामप्रसाद नौटियाल, श्री
 रामप्रसाद सिंह, श्री
 रामबली मिश्र, श्री
 राम भजन, श्री
 राममूर्ति, श्री
 रामरतन प्रसाद, श्री
 रामराज शुक्ल, श्री
 रामलाल, श्री
 रामशंकर द्विवेदी, श्री
 रामसनेही भारतीय, श्री
 रामसहाय शर्मा, श्री
 रामसुन्दर पांडेय, श्री
 रामसुन्दर राम, श्री
 रामसुभग वर्मा, श्री
 रामसुमेर, श्री
 रामस्वरूप, श्री
 रामस्वरूप गुप्त, श्री
 रामस्वरूप भारतीय, श्री
 रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
 रामहरख यादव, श्री
 रामहेत सिंह, श्री
 रामेश्वर प्रसाद, श्री
 रामेश्वर लाल, श्री
 लक्ष्मणराव कदम, श्री
 लक्ष्मीदेवी, श्रीमती

लालबहादुर सिंह, श्री
 लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
 लीलाधर अष्ठाना, श्री
 लुत्फअली खां, श्री
 लेखराज सिंह, श्री
 वंशीदास धनगर, श्री
 वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
 वसी नकवी, श्री
 वामुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
 विजयशंकर प्रसाद, श्री
 विश्राम राय, श्री
 विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
 वीरसेन, श्री
 वीरेन्द्रशाह, राजा
 व्रजभूषण मिश्र, श्री
 व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
 व्रजवासीलाल, श्री
 व्रजविहारी मिश्र, श्री
 व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
 शंकरलाल, श्री
 शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
 शिवकुमार मिश्र, श्री
 शिवकुमार शर्मा, श्री
 शिवदान सिंह, श्री
 शिवनारायण, श्री
 शिवपूजन राय, श्री
 शिवमंगल सिंह, श्री
 शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
 शिवराजबली सिंह, श्री
 शिवराम पांडेय, श्री
 शिवराम राय, श्री
 शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
 शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
 शिवस्वरूप सिंह, श्री
 शुकदेवप्रसाद श्री
 शुगनचन्द, श्री
 श्याममनोहर मिश्र, श्री
 श्यामलाल, श्री

श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
 श्रीचन्द्र, श्री
 श्रीनाथराम, श्री
 श्रीनिवास, श्री
 श्रीपतिसहाय, श्री
 सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
 संग्राम सिंह, श्री
 सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
 सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
 सत्यनारायण दत्त, श्री
 सत्य सिंह राणा, श्री
 सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
 सावित्री देवी, श्रीमती
 सियाराम गंगवार, श्री
 सियाराम चौधरी, श्री
 सीताराम शुक्ल, श्री
 सुखीराम भारतीय, श्री
 सुन्दरदास, श्री दीवान
 सुन्दरलाल, श्री
 सुरजूराम, श्री
 सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
 सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
 सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
 सूर्यबली पांडेय, श्री
 सेवाराम, श्री
 हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
 हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
 हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
 हमीद खां, श्री
 हरगोविन्द पन्त, श्री
 हरगोविन्द सिंह, श्री
 हरदयाल सिंह पिपल, श्री
 हरदेव सिंह, श्री
 हरसहाय गुप्त, श्री
 हरिप्रसाद, श्री
 हरि सिंह, श्री
 हनुमत्सिंह, श्री
 हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री बलदेव सिंह (गोंडा) ने शपथ ग्रहण की।

प्रश्नात्तर

बृहस्पतिवार, १५ दिसम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

*१—३—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर) — [२८ दिसम्बर, १९५५ के लिए प्रश्न ६६-६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किए गए।]

इलाहाबाद में जुए के मामले

*४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) — क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद नगर में अगस्त, १९५४ से सितम्बर, १९५५ तक कितने जुए पकड़े गए ?

पुलिस उप-मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत) — १६२।

*५—श्री कल्याण चन्द मोहिले — क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १ अगस्त, १९५४ से सितम्बर, १९५५ तक पकड़े गए कितने जुआड़ियों की जमानत कोतवाली से हुई और कितनी के चालान कचहरी भेजे गए ?

श्री जगनप्रसाद रावत — कोतवाली पुलिस ने कुल ४७४ जुआड़ियों को पकड़ा जिनमें से २१३ को जमानत पर छोड़ दिया और बाकी २६१ को हिरासत में मैजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित किया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले — क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि १६२ जुओं से कितनी आदमी पकड़ गए ?

श्री जगनप्रसाद रावत — प्रश्न ५ के उत्तर में बताया गया है कि ४७४ आदमी पकड़े गए।

श्री कल्याणचन्द मोहिले — यह संख्या, जो आपने बतलाई है, वह केवल कोतवाली की बतलाई है, परन्तु जो संख्या आपने दी है वह १६२ नगर की संख्या है।

श्री जगन प्रसाद रावत — सारे शहर की संख्या के लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले — क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि दिवाली के त्योहार पर कितने जुए पकड़े गए और उसके अलावा शहर में साल भर में कितने जुए पकड़े गए ?

श्री जगनप्रसाद रावत — इस तफसील के लिये भी नोटिस की जरूरत है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले — क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि कुछ लोगों की कोतवाली में जमानत न हो कर अदालत में जमानत की गई, ऐसा क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह जुए का अपराध ऐसा ही है जिसमें जमानत ली जा सकती है। तो जिन अभियुक्तों ने कोतवाली में जमानत जमा कर दी उनकी जमानत वहां ले ली जाती है और जिन्होंने वहां नहीं दी वह मैजिस्ट्रेट के सामने भेज दिए गए।

मानसिंह डाकू के परिवार के लोगों की गिरफ्तारी

*६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि मानसिंह डाकू के परिवार के कितने आदमी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और कितने आदमी जान से मारे गए ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मानसिंह तथा उसका पुत्र सूबेदार सिंह जान से मारे जा चुके हैं। उसका पुत्र तहसीलदार सिंह तथा प्रपौत्र जरनेल सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बतलायेगी कि मानसिंह के परिवार के किन-किन लोगों के नाम वारंट हैं और किन की गिरफ्तारी के लिये कितना-कितना इनाम छापा गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उनके परिवार में एक भारत सिंह और है। उसके मुतल्लिक कहा जाता है कि यह भी गंग में शामिल हो गया है और उसके परिवार में और किसी को बाबत सूचना नहीं है।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि मानसिंह कब और किस स्थान पर मारा गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मानसिंह को लगभग ३ १/२ महीना हुआ कि वह मध्यभारत के एक स्थान पर मारे गए।

श्री राज नारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मानसिंह और सूबेदार सिंह एक ही स्थान पर नहीं मारे गए ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सरकार के पास सूचना यह है कि वह एक ही स्थान पर मारे गए।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि क्या यह सही है कि मानसिंह गोली से नहीं मारे गए बल्कि उनको जहर दिया गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जहां तक जांच कराने पर पता लगा है उससे माननीय सदस्य को यह इत्तिला सही नहीं है। सरकार को यह पता है कि वह गोली से मारे गए हैं।

गाजीपुर बिजली कम्पनी के विरुद्ध शिकायतें

*७—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हुमीरपुर)—क्या सरकार के पास गाजीपुर बिजली कम्पनी के विरुद्ध कुछ शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्म सिंह)—जी हां, गाजीपुर बिजली कम्पनी के विरुद्ध, जो शिकायतें सरकार के पास आई हैं, उनकी एक सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३६-२४० पर)

*८—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन शिकायतों पर वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री धर्म सिंह—इन शिकायतों पर सरकार ने जो कार्यवाही की है वह भी संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३६-२४० पर)

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब हाई-डल सप्लाई के पहिले यह शिकायत सरकार के पास पहुंच चुकी थी तो सरकार ने हाईडल स बिजली सप्लाई क्यों कराई, स्वयं बिजली कम्पनी का संचालन क्यों नहीं किया ?

श्री धर्म सिंह—जब सरकार के पास शिकायत आयी थी तभी पता लगा था कि वहां पर बिजली की कमी है, उसके बाद वहां पर बिजली सप्लाई की गयी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह बात सत्य है कि जिन उपभोक्ताओं के यहां मीटर नहीं लगा है उनसे एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ली जाती है, अगर हां तो वह किस प्रकार से ली जाती है और क्या उससे सरकार को कुछ आर्थिक हानि भी होती है ?

श्री अध्यक्ष—यह तीन सवाल आप एक बार ही कर दें हैं। अलग अलग करके पूछिए।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—जिन उपभोक्ताओं के पास मीटर नहीं है उनसे एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ली जाती है ?

श्री धर्म सिंह—इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। सूचना की आवश्यकता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सही है कि कम्पनी से जो वार सरचार्ज लिया जाता है उसको समाप्त करके सरकार साधारण दर को बढ़ाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्म सिंह—यह तो इन के उत्तर में कह दिया गया कि कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही होने पर कुछ निर्णय किया जायगा।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि हाईडल से सप्लाई मिल जाने पर बिजली की दर में कमी की जायगी ?

श्री धर्म सिंह—जी नहीं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार हाईडल से किस दर पर बिजली कम्पनी को सप्लाई करती है ?

श्री धर्म सिंह—मेरे पास इस समय इसके आंकड़े नहीं हैं। माननीय सदस्य चाहेंगे तो बाद में बतला दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजली कम्पनी के विरुद्ध कौन-कौन शिकायतें हैं ?

श्री धर्म सिंह—बहुत सी शिकायतें हैं, वहां बिजली की कमी थी, जो इंजीनियर वर्ग रखे गए थे वे क्वालीफाइड नहीं थे, वहां पर आडिट वर्ग भी नहीं हुआ था, इस प्रकार की बहुत सी शिकायतें थीं।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि गाजीपुर जिले में ७० किलोवाट बिजली मऊ से दे दी गयी है उसके बावजूद भी २४ घंटे में तीन बार बिजली फेल हो जाती है ?

श्री धर्म सिंह—ऐसी सूचना तो कोई नहीं है, क्योंकि जो कमी पारसाल थी उसमें काफी सुधार हो गया है, लेकिन अगर अब भी किसी प्रकार की कमी पायी जायगी तो कार्यवाही की जायगी।

कानपुर में जूही थाने के अन्तर्गत नृशंस हत्याओं के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां

*९—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में जूही थाने के अन्तर्गत जो नृशंस हत्याएँ हुई हैं, पुलिस उनका पता लगाने में सफल हुई है? यदि हाँ, तो उस संबंध में अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हाँ, इस सम्बन्ध में अब तक दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

*१०—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (अनुपस्थित)—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस घृणित कांड की जांच कराने के लिये किसी उच्चाधिकारी को नियुक्त किया है?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हाँ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस हत्याकांड का पता लगाने में क्या सफलता प्राप्त हुई है?

श्री जगन प्रसाद रावत—मैंने निवेदन किया कि दो व्यक्ति, जिनका संबंध इस घटना से बतलाया जाता है, गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्न के उत्तर में आपने कहा है कि हत्याकांड का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई है, तो क्या पता लगा है, यह प्रश्न है?

श्री जगन प्रसाद रावत—जो हत्याकांड हुआ है उसके संबंध में ही दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं।

श्री देवदत्त मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—यह मैं थोड़े ही उनको बतला सकता हूँ कि कैसा वे जवाब दें; जो जवाब मिला है उससे आप समझ लें या दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो दो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनका क्या नाम है और कहां के रहने वाले हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—एक का नाम तो रामबहादुर सिंह जो रायबरेली का रहने वाला है और दूसरे का नाम इस समय मेरे सामने नहीं है।

श्री हमीद खां (जिला कानपुर)—क्या सरकार को पता है कि जूही में जो घटना हुई और कार से की गई वह कार किसकी थी?

श्री जगन प्रसाद रावत—वह कार स्वदेशी हाउस, जैपुरिया की थी।

श्री हमीद खां—जिनकी कार थी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री जगन प्रसाद रावत—कार अभी हिरासत में है, कार से नहीं बल्कि हत्या से उनका क्या संबंध था, इस संबंध में कोई ऐसी बात मालूम नहीं हुई जिससे कोई कार्यवाही की जाय।

नोट—तारांकित प्रश्न ९—११ श्री देवदत्त मिश्र ने पूछे।

श्री नेक राम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि इन्हीं जैपुरिया ब्रदर्स ने अपने ड्राइवर को लाइसेंस दिलाया और खुद रुपया बन्दूक के लायसेंस की कीमत चेक से दिया ?

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह मामला अदालत के सिपुर्द है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—अभी इन्वेस्टीगेशन स्टेज में है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार को पता है कि इन्हीं जैपुरिया ब्रदर्स ने अपने ड्राइवर को लायसेंस दिलाया और खुद रुपया बन्दूक के लायसेंस की कीमत चेक से दिया ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री राम कुमार शास्त्री—इस घटना की जांच कौन अधिकारी कर रहे हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसकी जांच एक हमारे एस० पी० सी० आई० डी० और एक काफ़ी सीनियर डी० एस० पी० कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेंगी कि इस संबंध में किसी गवाह के द्वारा जैपुरिया का जिक्र आया ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूँ कि यह तो आप अदालती कार्यवाही कर रहे हैं और इसका असर यदि अदालत में मामला गया तो उस पर पड़ेगा। व्यक्तिगत प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिनका कत्ल हुआ उनमें किसी का दूर दराज का संबंध जैपुरिया ब्रदर्स से है ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूँ। आप किसी व्यक्ति पर प्रश्न न कर। मैं समझता हूँ कि जिन प्रश्नों के द्वारा अदालती कार्यवाही पर असर पड़ने वाला हो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हत्या में जो बन्दूक काम में लायी गई है, वह पकड़ी गई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हाँ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह बन्दूक किसकी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जो बन्दूक हासिल हुई है वह चंद्रिका सिंह ड्राइवर की बताई जाती है।

श्री अध्यक्ष—मैं सिर्फ माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूँ कि जो मामला आगे चल कर अदालत के सिपुर्द होगा तो उसके संबंध में इस सदन का यह कार्य नहीं है कि इस सदन को ही अदालत बना दें और यह भी नहीं समझना चाहिये कि गवर्नमेंट डार्क में है कि उसको इस दृष्टि से क्रास इक्जामिनेशन करें ऐसा कि जैसे उसका ही कोई प्रत्यक्ष कसूर है। इन दोनों बातों को एवायड करना चाहिये। सवालियों का यह तरीका नहीं है कि जिससे कोई व्यक्ति जो यहां अनुपस्थित है उसके मामले पर असर पड़े। इन बातों को एवायड कर आप सवाल करें।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह इन्क्वायरी कब स चल रही है और कब तक चलेगी और क्या स्काटलैण्ड यार्ड से किसी व्यक्ति को बुलाकर इसकी जांच कराने का इरादा है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इस घटनाको हुए ५ महीने हो गए। तभी से इसकी जांच हो रही है और अभी इन्क्वायरी में कितना समय लगेगा यह कहा नहीं जा सकता। स्काट-लैंड यार्ड का जहाँ तक संबंध है उसके लिये मुझे यही कहना है कि अब अंग्रेजी हुकूमत चली गई और अब हम वहाँ से किसी को बुलाने वाले नहीं हैं।

अष्टाचार विरोधी समितियों का पुनर्संगठन

*११—श्री ब्रह्मादत्त दीक्षित (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐटी-करप्शन कमेटीज का संगठन किन-किन जिलों में हो चुका है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—संबद्ध सूची में उल्लिखित २५ जिलों में अष्टाचार विरोधी समितियों का पुनर्संगठन हो चुका है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४१ पर)

तहसीली खजानों में तहसीलदारों से काम लेना

*१२—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने अन्य विभागों की तरह तहसीलों में भी अपने खजांची न रखकर सदर खजांची द्वारा नियुक्त तहसीलदारों से काम लेने का तरीका केवल तहसीलों में ही क्यों कायम रखा है ?

श्री धर्म सिंह—विभागीय कार्यालयों के रोकड़ संबंधी काम में और तहसीलों के रोकड़ संबंधी काम में, जहाँ पर मातहत खजाने के साथ सब करेंसी चेस्ट रखने पड़ते हैं, कोई समानता नहीं है। चूंकि मातहत खजानों का जिले के खजानों से निकट संबंध रहता है इसलिये स्पष्टतः खजाने और उसके मातहत खजानों के रोकड़ संबंधी काम के लिये एक ही आदमी अर्थात् सरकारी खजांची को जिम्मेदार ठहराना वांछनीय है और इस जिम्मेदारी को वह तभी उठा सकता है जबकि उसे अपने विश्वास-पात्र व्यक्तियों को नियुक्त करने की इजाजत दी जाय।

*१३—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार को पता है कि अन्य प्रान्तों ने इस तरीके को बन्द करके तहसीलों में अपन खजांची नियुक्त कर दिए हैं ?

श्री धर्म सिंह—सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे अन्य प्रदेशों से उक्त सूचना प्राप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्म सिंह—ऐसी कोई आवश्यकता तो प्रतीत नहीं होती यदि माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो कार्यवाही की जायगी।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह तहसीलदार का तरीका कब से चला आ रहा है ?

श्री धर्म सिंह—यह सन् १९२७ से चला आ रहा है।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रान्त में तहसीलदारों की संख्या कितनी है ?

श्री धर्म सिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

सेक्रेटेरियट की अपर डिब्रीजन परीक्षा में सफल व्यक्तियों की नियुक्ति में विलम्ब

*१४—श्री व्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर, सन् १९५४ में लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई अपर डिब्रीजन असिस्टेंट्स सेक्रेटेरियट प्रतियोगिता में सफल होने वाले प्रतियोगियों को नियुक्ति-पत्र अभी तक भेजा गया या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उन्हें नियुक्ति-पत्र दे दिया जायेगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नियुक्ति-पत्र भेजने का कार्य जारी है। सफल प्रतियोगियों में से कुछ को नियुक्ति-पत्र भेजे जा चुके हैं तथा बाकी के नाम नियुक्ति-पत्र शीघ्र ही भेजे जायेंगे।

श्री व्रज भूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करगो कि इन नियुक्ति-पत्रों को भेजने में देरी क्यों हुई, कितनों को भेजा गया और कितने अभी बाकी हैं?

श्री धर्म सिंह—जून, १९५५ में पब्लिक सर्विस कमीशन से हमारे पास सूचना आयी। उसके बाद का कायदा यह है कि फाइनल डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, तीनों आपस में यह तय करते हैं कि कितने-कितने आदमी किस-किस विभाग में रक्खे जायेंगे। उनके कॅरेक्टर इत्यादि के बारे में रिपोर्ट जिले से मंगवानी पड़ती है। इस सारी कार्यवाही के बाद नियुक्ति-पत्र भेजे जाते हैं। कितने आदमियों को नियुक्ति-पत्र दिये जा चुके हैं, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री व्रज भूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेगे कि कितने को भेजना बाकी है?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है कि उन्हें अभी उनकी संख्या नहीं मालूम है।

— गाजीपुर जिले में सुलेमापुर निवासी बुद्धराम का वध

*१५—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में मरदह थाने के क्षेत्र के अन्दर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में कोई कत्ल हो गया? यदि हाँ, तो किस ग्राम में?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी नहीं।

*१६—श्री यमुना सिंह—इस विषय पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री जगन प्रसाद रावत—प्रश्न नहीं उठता।

श्री यमुना सिंह—क्या यह सही है कि गाजीपुर जिले के मरदह थाने के अन्तर्गत सुलेमापुर में पंचायत करते समय बुद्धराम लाठी से मारा गया और जिसकी मृत्यु हास्पिटल में हो गई?

— श्री जगन प्रसाद रावत—यह घटना सितम्बर में हुई, अक्टूबर में नहीं हुई।

पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सरकारी नियुक्तियों के संबंध में डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार

*१७—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट के भाग दो, पैराग्राफ १७ की सरकारी नियुक्तियों से संबंधित सिफारिशों को लागू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह मामला अभी सरकार के विनाराधीन है।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी की सिफारिशों को सरकार ने किस तिथि से स्वीकार किया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किस तिथि से स्वीकार किया यह तो इस वक्त में नहीं बता सकता।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस मामले का कब तक फैसला हो जयागा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस मामले का फैसला करने में तो देर लगेगी, इसलिये कि यह जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है उसमें कई बड़े सवाल सिद्धांत के आते हैं, कमेटी का कहना यह था कि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो चुनाव होते हैं वह ठीक नहीं होते क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक खास तरह के लोग होते हैं और जिन प्रकार के यह लोग स्वयं होते हैं उसी प्रकार के लोग चुनते हैं और दूसरे शासन को चाहे वह उपयोगी हों या न हों उन्हीं से काम लेना पड़ता है और शासन चलाने की कोई जिम्मेदारी पब्लिक सर्विस कमीशन पर नहीं होती, इसलिये शासन चलाने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर नहीं है उनको यह पूरा अधिकार रहे या मिनिस्टरी वगैरह के हाथ में यह जिम्मेदारी रहे यह सब सिद्धांत के प्रश्न हैं, इसलिये सरकार जल्दी इसका फैसला नहीं कर सकती, कई सिद्धांत की बातों पर पहले विचार करना होगा।

श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सचिवालय कर्माचारी असोसियेशन ने इस संबंध में सरकार को कुछ लिखा है? यदि हां, तो क्या?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सम्भवतः लिखा है लेकिन इस समय यह खयाल नहीं कि क्या लिखा था।

श्री राज नारायण—माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसके अनुसार क्या सरकार के यह प्रश्न भी विचाराधीन हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र तो संविधान में है और उसको हम नहीं बदल सकते, इसलिये अगर हम ऐसा करे तो यह और भी लम्बा सवाल हो जायगा।

*१८—२०—श्री राम लखन (जिला बनारस)—[५ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किए गए।]

लीसा पैदा करने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में टरपेन्टाइन फैक्टरी खोलने की मांग

*२१—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में टरपेन्टाइन निकालने के लिये कितना-कितना लीसा किन किन स्थानों से एकत्रित होता है? क्या सरकार लीसा इकट्ठा कराने के लिये ठेका देने पर विचार कर रही है? यदि नहीं तो क्यों?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—इस प्रदेश में टरपेंटाइन निकालने के लिये एकत्रित किये जाने वाले लीसा का व्योरा एक सूची में दिया है जो मेज पर रखी है। लीसा इकट्ठा कराने के लिये ठेका देने के प्रश्न पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४० पर)

२२—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सरकार रानीखेत या उन पहाड़ी स्थानों पर जहां स यह लीसा इकट्ठा किया जाता है टरपेंटाइन फैक्टरी खोलने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—पहले भाग के प्रश्न का उत्तर "जी नहीं" है। दूसरे भाग के प्रश्न नहीं उठते।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार लीसा इकट्ठा करने की क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वह सरकारी जरिये से विभाग द्वारा इकट्ठा होता है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या यह सच है कि व्यवस्थित ढंग से एकत्रित न होने के कारण सैकड़ों मन लीसा खराब हो जाता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—नहीं, यह सूचना गलत है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—कितने मन लीसा वहां निकलता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—तीन लाख २४ हजार ५० मन।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि चीड़ के पेड़ों से भी बहुत ज्यादा रेजिन निकाला जा सकता है और वह इसलिये नहीं निकाला जाता है कि सरकार के पास कोई ऐसी बड़ी फैक्टरी नहीं है जहां वह ऋश हो सके?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह सही है कि लीसा और अधिक मात्रा में निकाला जा सकता है लेकिन जितना निकाला जा रहा है उसकी खपत बरेली टरपेंटाइन फैक्टरी कर रही है।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला देहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार को विदित है कि इस सदन की स्टैंडिंग कमेटी ने अभी हाल ही में मथुरा में सर्वसम्मति से यह निश्चय किया था कि एक टरपेंटाइन फैक्टरी ऋषीकेश में खोल दी जाय?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां, किया था।

श्री सत्य सिंह राणा—तो सरकार उस निश्चय पर कब तक कार्य शुरू कर देगी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अभी उस पर विचार नहीं हुआ। अभी तो उस निश्चय को लिये केवल एक ही महीना हुआ और समय पर ही उस पर विचार किया जा सकेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे जिनके कारण और टरपेंटाइन फैक्टरी खोलने के संबंध में सरकार विचार नहीं कर रही है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अभी तक तो जैसा मैंने कहा कि बरेली टरपेंटाइन फैक्टरी ही इस लीसे की खपत कर रही है। अगर आवश्यकता हुई तो भागे विचार किया जायगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सेक्रेटरी फाइव ईयर प्लान में जो इस पहाड़ी प्रदेश में काटेज इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी उनको डेवलप करने के लिये क्या सरकार कोआपरेटिव सोसाइटीज को रेजिन देने पर विचार कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इस वक्त तो दे रही है। आगे को देखा जायगा। इस वक्त तो जितनी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको दिया ही जा रहा है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ठेकेदारों के द्वारा लीसा इकट्ठा कराने में क्या आपत्ति है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—असल में कुछ खास तौर पर चीड़ के पेड़ों पर घाव लगाया जाता है जिससे लीसा निकलता है। अगर वे गैरजानकार होते हैं तो सारे पेड़ों को खराब कर देते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार को यह मालूम है कि सोमेश्वर आदि कई स्थानों पर कई टरपेंटाइन की फैक्ट्रियां काम कर रही हैं और वे सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रही हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इस एक इंडिविजुअल को दिया गया था मगर गवर्न-मेंट की आम तौर पर नीति कोआपरेटिव सोसाइटीज को प्रोत्साहित करने की रही है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीयमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि टरपेंटाइन कितना कितना किन किन देशों को एक्सपोर्ट होता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो सारे देश का प्रश्न है भारतवर्ष भर का, लेकिन हमारे बरेली का जहां तक ताल्लुक है वह सबसे उम्दा किस्म का माना जाता है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—यह जो लीसा निकलता है उससे से कितना बरेली टरपेंटाइन को दिया जाता है और कितना कोआपरेटिव सोसाइटीज को ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह लगभग सभी बरेली फैक्टरी को जाता है। पन्द्रह-बीस हजार मन के करीब कोआपरेटिव सोसाइटीज को जाता है।

जहान सिंह डाकू की गिरफ्तारी के लिए प्रयास

*२३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या यह सच है कि कुख्यात डाकू जहान सिंह अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा ? यदि हां, तो सम्बन्धित क्षेत्रों के अधिकारियों की कोई सम्मिलित योजना तैयार करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां। जहान सिंह अभी तक नहीं पकड़ा गया। सरकार इस काम के लिये किसी सम्मिलित योजना की आवश्यकता नहीं समझती। रेंज डी० आई० जी० तथा पुलिस इस विषय में प्रयत्नशील हैं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि अलीगढ़-बुलन्दशहर जिलों के अन्दर यह डकैत रहता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—हां, काफी अरसे तक इन जिलों में रहता है, लेकिन और जिलों में भी इसके जाने की सूचना है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस डकैत पर वारन्ट कब से जारी है और सका इश्तिहार वारन्ट का कितना है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—गिरपतारी की रकम तो इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—क्या गवर्नमेन्ट को मालूम है कि दूसरे डाकुओं के गैंग के जो बाकी आदमी थे वे और जहान सिंह मिलकर उस इलाके में इतना आतंक मचा रहे हैं कि वहां जनता की जान व माल खतरे में है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जहान सिंह का जो गैंग था उसमें से अधिकतर लोग मारे जा चुके हैं। थोड़े से आदमी रह गये हैं। अभी मेरे पास सूचना आई है कि तीन महीने से कोई घटना नहीं हुई है और हमारा सूबा छोड़ कर भी वह भाग गया है।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जहान सिंह द्वारा अभी हाल में गुडगांव और राजस्थान से मिले हुए मथुरा जिले की तहसील छाता और मथुरा में डाके डाले गये ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मथुरा जिले में कोई घटना हुई है, इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जहान सिंह डाकू कब से फरार है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—काफी असें से फरार है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जहान सिंह गैंग के कौन-कौन व्यक्ति मारे गये हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—कुछ दिन हुए, उसके गिरोह के तीन खास आदमी पूरण, जयदेव और भूपत मारे गये थे और कुछ आदमी पहले भी मारे जा चुके हैं।

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जहान सिंह डाकू को मारने और उसको पकड़ने के लिये कुछ इनाम घोषित कर रक्खा है, यदि हां तो कितना ?

श्री जगन प्रसाद रावत—हां, इनाम घोषित कर रक्खा है।

सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में इन्वेण्टरी बनाने के आदेश

*२४—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने सरकारी कर्मचारियों के विषय कोई इन्वेण्टरी बनाने के आदेश निकाले हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

श्री नेकराम शर्मा—माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आदेश निकाला है क्या उसे इस सदन के सामने पढ़ कर वे सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उसमें से कुछ खास बात जो हो उसे पढ़ दें, पूरा पढ़ने का कष्ट न करें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसका आशय ही बतलाये देता हूं। १८ अगस्त, १९५४ ई० को आर्डर जारी हुआ था कि अगर कोई भी सरकारी नौकरी में नियुक्त हो तो पहले-पहल और फिर हर पांचवें वर्ष उसे एक लिस्ट बनवा देनी पड़ती है कि उसके पास कितनी इम्पूव-बिल प्रापर्टी है, कितने शेयर्स हैं, कितनी सेक्योरिटीज हैं, सेविंग्स बैंक में कितना है और पोस्ट आफिस में कितना जमा है। इसके लिये बहुत लम्बा-चौड़ा दो पेज का फार्म दिया हुआ है जिसके खानों में यह सब भरना पड़ता है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कोई विशेष व्यक्ति इसकी जांच कर रहा है या कोई कमेटी सरकार ने इसकी जांच करने के लिये बनाई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी जांच की कोई जरूरत नहीं है। अलग-अलग हजारों सरकारी कर्मचारी प्रदेश में हर एक केस में जरूरत नहीं होती है, किसी में होती है तो सम्बन्धित अथारिटी के पास भेज दिया जाता है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी इन्वेन्टरी के लिये क्या-क्या खास-खास कालम रखे हैं ?

श्री अध्यक्ष—इसके दो सफे हैं। आप माननीय मुख्य मंत्री से अकेले में पूछ लें।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या किसी अधिकारी के खिलाफ माननीय मुख्य मंत्री के पास शिकायत आई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई।

श्री राज नारायण—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह प्रश्न विचाराधीन है कि मिनिस्टर्स और विधान सभा के सदस्यों के लिये इन्वेन्टरी तैयार की जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राज नारायण—अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—हर मजाक के सवाल का जवाब नहीं दिया जाता।

श्री राज नारायण—लेकिन यह तो बड़ा महत्त्वपूर्ण सवाल है ?

श्री अध्यक्ष—केवल आप ही तो ऐसा समझते हैं।

*२५-२६—श्री नेकराम शर्मा—[२२ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

अमरोहा तहसील में घटित वारदातें

[५]

*२७—श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतान की कृपा करेगी कि अमरोहा, जिला मुरादाबाद में सितम्बर व अक्टूबर, १९५५ ई० में चोरी, नकबजबी और ताला तोड़ने की कितनी वारदातें हुईं, कितनी दर्ज रजिस्टर हुईं और उनमें से कितनी वारदातों में अमरोहा पुलिस को कामयाबी हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी हुई सूचना संलग्न नक्शे में दी हुई है।
(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २४३ पर)।

कुशीनगर में लगने वाली बिजली को स्थायी रखने की मांग

५

२८—श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कसिया (कुशीनगर) में मार्च, १९५६ तक जो बिजली लगने जा रही है, उस दिशा में खैब तक क्या प्रगति हुई ?

श्री धर्म सिंह—११ के० बी० की लाइन, २ मील लम्बी, कसिया (कुशीनगर) तक बन चुकी है।

श्री राम सुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कसिया (कुशीनगर) को बिजली कहां से देन जा रहे हैं ?

श्री धरम सिंह—जहां से भी नजदीक होगा, वहां से दी जायगी।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि कुशीनगर में जब बिजली दी जायगी तो जनता की मांग का भी ध्यान रखा जायगा ?

श्री धर्म सिंह—अभी तक तो इतनी बिजली नहीं है। जो वहाँ पर जयन्ती हो रही है उसी के लिये व्यवस्था की जा रही है। अगर बिजली बाद में उपलब्ध हो गयी तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री राम सुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह बिजली जो लगायी जा रही है यह स्थायी रूप से लगायी जा रही है या अस्थायी रूप से ?

श्री धर्म सिंह—वह तो टेम्परेरी तरीके से लगेगी। बाद में जैसा कि मैंने अर्ज किया, अगर उपलब्ध हो सकेगी तो परमानेंट करने पर विचार किया जायगा।

*२९—३०—श्री ब्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—[२९ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*३१—३३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—[२९ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

गत तीन वर्षों में मुजफ्फरनगर जिले में कत्ल और डकैतियाँ

*३४—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फर-नगर में १९५२-५३ व १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में कत्ल और डाके कितने-कितने हुये और कहाँ-कहाँ हुये ?

*३५—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि किन-किन कत्ल तथा डकैतियों का पता अब तक पुलिस नहीं लगा सकी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—सन् १९५२-५३ में २० कत्ल तथा ११ डकैती, सन् १९५३-५४ में २५ कत्ल तथा १३ डकैती और १९५४-५५ में ३३ कत्ल तथा १५ डकैती के अपराध हुए। अन्य विवरण सदस्य महोदय मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

*३६—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम परसौली तथा ग्राम फतेहपुर थाना कांघला की डकैतियों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—सन् १९५२ में परसौली ग्राम में एक डकैती का मामला हुआ था जिसका पुलिस ने चालान कर दिया था, किन्तु अभियुक्त अदालत से छूट गए। ग्राम फतेहपुर में अप्रैल, १९५२ ई० से अब तक डकैती की कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कुल कत्ल और डकैतियाँ कितनी ऐसी है जिनके कातिलों का और डाकुओं का पुलिस अब तक पता नहीं लगा सकी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसकी तादाद तो इस समय मैं गिन के नहीं बता सकता।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितने कत्ल के मुकदमे और डकैती के मुकदमे छूटे और कितनों को सजा हुई ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसके लिए भी सूचना की आवश्यकता है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि परसौली डकैती में जो एक डकैत मारा गया था वह कहाँ का रहने वाला था ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

*३७—३९—श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)—[२९ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले में कसया हवालात में जगह की कमी की शिकायत

*४०—श्री राजवंशी (जिला देवरिया)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कसया (देवरिया) हवालात में कितने कैदी के रहने की जगह है और कितने कैदी रहते हैं ?

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—सौ कैदियों के रहने की जगह है तथा लगभग ८० हवालाती रहते हैं।

*४१—श्री राजवंशी—क्या यह सही है कि वहां जेल लाकअप बनवाने का विचार है, अगर है तो वह कब तक बन जायेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—ऐसा विचार जल्द है, लेकिन आर्थिक कठिनाई के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि वहां कब तक सब-जेल बन जाएगा।

श्री राजवंशी—इस वक्त मौजूदा हालत में कितने कैदी वहां रह रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैंने प्रश्न संख्या ४० में इसका जवाब दे दिया है।

श्री राज नारायण—क्या सरकार को अच्छी तरह से पता है कि आज से १ हफ्ते पहले वहां १५० के करीब कैदी थे ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं।

श्री राज नारायण—क्या सरकार इसका पुनः पता लगाने की कोशिश करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—सरकार ने पता लगा कर ही जवाब दिया है।

१९४२ के आन्दोलन में शहीद, हरिद्वार निवासी, श्री जगदीश

प्रसाद के पिता को पेंशन

*४२—श्री महमूद अली खां (जिला सहारनपुर)—क्या हरिद्वार, जिला सहारनपुर में सन् १९४२ ई० के आन्दोलन में श्री जगदीश प्रसाद की कांग्रेस का झन्डा लगाते समय पुलिस की गोली से मृत्यु हुई थी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां।

*४३—श्री महमूद अली खां—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि उनके कुटुम्ब में कौन-कौन आदमी हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—पिता, एक छोटा भाई, दो विवाहित तथा एक अविवाहित बहिन।

*४४—श्री महमूद अली खां—क्या सरकार यह कृपा कर यह बतायेगी कि उनके कुटुम्ब के किस-किस आदमी की अब तक क्या-क्या सहायता की गई ?

श्री जगन प्रसाद रावत—पिता को ३० रु० मासिक पेंशन १ जुलाई, १९४८ ई० से दी गई है।

बस्ती जिले के चिल्हिया थाने के अन्तर्गत घटित चोरियां व डकैतियां

*४५—श्री मथुराप्रसाद पांडे (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि बस्ती जिले के चिल्हिया थाने में विगत दो वर्षों से अब तक कितनी चोरियां व डकैतियां हुईं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—चोरियां ६२ और डकैतियां ३।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ३ डकैतियां हुई हैं किन-किन गांवों में हुई हैं और कब-कब हुई हैं और उन पर क्या कार्य-वाही हुई ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन डकैतियों में कुल कितने रुपये की डकैती हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो बहुत लम्बा प्रश्न है। किसी खास डकैती के बारे में आप कहें तो मैं इत्तला मंगाकर आपको बता दूँ।

*४६—४७—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)—[५ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये]

टनकपुर क्षेत्र, जिला नैनीताल में हाथियों द्वारा उत्पात

*४८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास शिकायतें आई हैं कि टनकपुर क्षेत्र, जिला नैनीताल के देहात में जंगली हाथियों तथा अन्य हिंसक पशुओं ने इस वर्ष भारी नुकसान कर दिया है ? अगर हाँ, तो सरकार भविष्य में ऐसे नुकसान की पुनरावृत्ति रोकने के हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—टनकपुर क्षेत्र से तो कोई शिकायत नहीं आई, परन्तु कन्सर्वेटर फारेस्ट्स, पश्चिमी वृत्त से यह सूचना अवश्य प्राप्त हुई है कि कालागढ़ डिवीजन के डिकाला स्थान में और उसके निकट जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया जिससे बंगले के फर्नीचर और प्लान्टेशन्स को नुकसान पहुंचा। सरकार जंगली हाथियों को पकड़ने के लिए Kheda operations या दूसरे तरीकों से शीघ्र शुरु करने का विचार कर रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार मेरे इस प्रश्न को सूचना मानकर टनकपुर क्षेत्र में जंगली हाथियों के उत्पात के सम्बन्ध में जांच कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी अच्छा, करा ली जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जंगली हाथियों को पकड़ने के लिये खेदा आपरेशन्स के अलावा दूसरे तरीके क्या-क्या हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—खेदा के अलावा एक पिट मैथड और है, मगर इस गड्डे वाले तरीके को अमानुषिक कहा जाय तो ठीक रहेगा, क्योंकि वह तो इतने बड़े भीमकाय पशुओं के लिये बहुत ही कष्टदायक होता है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूँ कि अगर आप उत्तर देना उचित समझें तो ऐसा उत्तर दें जो प्लेन्स वाले भी समझ सकें।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—तो इसके लिये एक तो खेदा होता है जिसमें एक बहुत बड़ा बाड़ा होता है और जंगली हाथियों को हाँक करके उसके अन्दर कर दिया जाता है और दूसरा तरीका नक्ली गड्डे बनाकर उन पर घास बिछा दी जाती है जिससे हाथी उस गड्डे को नहीं देख पाता है और गिर जाता है गड्डे में, ऐसे पकड़ लिया जाता है।

*४९—श्री नारायण दत्त तिवारी—[५ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

तारांकित प्रश्न सहरा ५०-५२ का स्थगन

श्री झारखंडे राय—अध्यक्ष महोदय, जो आज की कार्य सूची है उसमें जो इबारत छपी है वह जो प्रश्नोत्तर मुझ मिला है उसके इबारत से बिल्कुल भिन्न है। दोनों में फर्क है और मैं समझता हूँ कि इसी से इस प्रश्न का उत्तर भी गलत मिला है। इसमें जो लिखा है वह यह है कि क्या सरकार बतायेगी कि सरकार को बस्ती जिलाधीश, जिला पुलिस कप्तान और कप्तानगंज पुलिस थाना, (जिला बस्ती) की पुलिस के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

जबकि प्रश्न यह था कि क्या सरकार बतायेगी कि बस्ती जिलाधीश, जिला पुलिस कप्तान और सरकार को कप्तानगंज पुलिस थाना (जिला बस्ती) की पुलिस के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है। तो इन दोनों में बहुत फर्क है और उसमें डी० एम० और एस० पी० के विरुद्ध शिकायतें भी शामिल हो गईं, इसीलिए शायद जवाब नहीं मिला है क्योंकि मेरे पास डू कापीज है जोकि सरकार को आयी है और मैंने खुद अपने हाथ में भी भेजी है। इसलिए ऐसा जवाब तो सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूँ कि इसकी मुझे इन्क्वायरी करानी पड़ेगी। दोनों प्रश्नों में अन्तर तो मालूम पड़ता है।

श्री झारखंडे राय—अगर आप चाहे तो उसकी कापी आप भी देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—नहीं, मेरे पास भी वह मौजूद है। जो जवाब की कापी मेरे पास आयी है उसमें जो है और यह जो प्रिंटेड है इन दोनों में फर्क है। तो मैं उसकी इन्क्वायरी करके सही प्रश्न जो है वह किसी दूसरे दिन रख दूंगा।

श्री झारखंडे राय—अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहें तो जो शिकायतें आयी हैं उनका कापी मैं भन्न सकता हूँ। मेरे पास उसकी डू कापीज मौजूद है।

श्री अध्यक्ष—नहीं। शिकायतों से कोई मतलब नहीं है। मैं इन्क्वायरी करा के फिर रख दूंगा।

[प्रश्न ५०—५२ तदोपरान्त स्थगित किये गये।]

भ्रष्टाचार विरोधी समिति, हमीरपुर द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव

*५३—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५४ तथा ५५ में भ्रष्टाचार विरोधी समिति, हमीरपुर ने क्या-क्या प्रस्ताव जिले में फैले हुये भ्रष्टाचार तथा कचहरियों में रिश्वतखोरी के सम्बन्ध में पास किये और उन पर क्या अमल हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन प्रस्तावों की सूची संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ २४४-२४७ पर)।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेगे कि तालिका के पृष्ठ १ व २ के बीच में जो १० सितम्बर, १९५४ और ६ अप्रैल, १९५५ के बीच में कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है तो क्या समिति की मीटिंग ही नहीं हुई या कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो कुछ नया सा प्रश्न मालूम पड़ता है। सूचना पान पर मैं इसका जवाब दे सकता हूँ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि सरकारी आदेश संख्या ए-५८६/२५- सी -एक्स, दिनांक २६ फरवरी, १९५४ पर जिलाधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की है ?

श्री अध्यक्ष—यह किससे पैदा हुआ ?

श्री जोरावर वर्मा—पेज २ पर है, प्रस्ताव नम्बर ५ के ऊपर। जो सदस्य कमेटी का अगर शिकायत करे तो सम्बन्धित अधिकारी जो इन्क्वायरी करे वह सदस्य को भी साथ में ले ले। तो क्या सरकार को इस विषय में जानकारी है कि सम्बन्धित अधिकारियों ने इस प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बुझको तो यह सूचना है कि २६ फरवरी के सरकारी आदेश द्वारा वैभाषिक अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिये जा चुके हैं। अगर किसी खास अधिकारी ने किसी खास जगह पर किसी निर्देश का पालन नहीं किया तो बगैर सूचना के मैं नहीं कह सकता।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में जांच करवायेंगे कि ३० नवम्बर, १९५५ को जिला समिति ने फिर इस प्रस्ताव को दोहराया है कि इस प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बहुत अच्छा कौन सी तारीख बतायी आप ने ?

श्री जोरावर वर्मा—३० नवम्बर, १९५५।

देवरिया जेल से कैदी को विलम्ब से छोड़ने पर आपत्ति

*५४—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नारीब २१ सितम्बर, १९५५ ई० को तारांकित प्रश्न १६—१८ के उत्तर के सम्बन्ध में सरकार ने इस बात का पता लगाया कि कैदी के ३ दिन बाद जेल से छूटने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी ? यदि हां, तो उस अधिकारी को क्या दंड दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—कैदी को देर से छोड़े जाने की जिम्मेदारी किसी जेल अधिकारी की नहीं थी अतः उसको किसी प्रकार के दंड दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न था कि किस अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि वह कैदी तीन दिन के बाद छोड़ा गया ? तो जवाब दिया गया कि किसी जज के अधिकारी की नहीं थी। तो मुझे यह बतनाया जाय कि किस अधिकारी की जिम्मेदारी थी ? प्रश्न के अनुरूप ही जवाब होना चाहिये।

श्री मुजफ्फर हसन—वह तो गलती किसी पैरोकार की मालूम होती है, किसी अधिकारी को तो मालूम नहीं होती।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलायेगी कि जब अदालत ने उसे छोड़ने का आदेश दिया तो उसके बाद वह तीन दिन जेल में पड़ा रहा, यह जिस पैरोकार या अथारिटी की बजह से हुआ उसके सम्बन्ध में कोई जानकारी है या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह जानकारी तो नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को जानकारी है कि जेल के अन्दर रिहाई के आदेश लाने के तीन दिन बाद वह छोड़ा गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, जो जवाब पिछले सवाल के सिलसिले में दिया गया था उसमें यह है कि वह आदेश नियम के खिलाफ वहां पहुंचा, जब जेल बन्द हो चुकी थी और किसी रजिस्टर पर चढ़ कर नहीं गया, किसी सरकारी प्युन के जरिये नहीं गया, तो वह उसी दिन लौटा दिया गया था।

श्री राज नारायण—क्या सरकार को पता है कि जब वह आदेश नियम के विरुद्ध था तो किसी जेल के अधिकारी ने आदेश देने वाले अधिकारी से शिकायत की कि यह नियम के विरुद्ध है ?

श्री मुजफ्फर हसन—वह तो शिकायत का सवाल नहीं था। वह तो उसी अदालत को फिर लौटा दिया गया ताकि वह कायदे में आये।

श्री शिव नारायण—क्या यह सही है कि जेल पर कोई सरकारी अधिकारी आर्डर लेकर गया था ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं, कोई सरकारी चपरासी नहीं गया था, बल्कि जो कान्स्टेबिल हवालातियों को लेकर गया था उसकी मार्फत वह आर्डर वहां पहुंचा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि वह नियम विरुद्ध आदेश किसकी गलती से हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन—आदेश तो नियम विरुद्ध नहीं था, वह तो सही था।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, सरकार की ओर से अभी बताया गया कि आदेश नियम विरुद्ध था, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर जो आदेश जेल के गेट पर गया, कहीं उसकी जल में एंट्री है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जेल के अधिकारियों की यह ड्यूटी नहीं है कि जो कागज भी उनके पास आये, चाहे गलत हो, उसकी हर एक में शिकायत करें। एक कागज उनके पास पहुंचा, जो कि कहा जा सकता है कि किसी जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत से आया कि फलां कैदी छोड़ दिया जाय। एक पुलिस कान्स्टेबिल उसको लेकर गया था, सरकारी चपरासी लेकर नहीं गया और वह कागज शाम को पहुंचा जबकि उनकी ड्यूटी खत्म हो गयी। यह सही है कि या तो यह किसी पैरोकार की गलती रही होगी जिस से नहीं छोड़ा गया या किसी और की। यह २ तारीख की बात थी। ५ तारीख को वह कागज पहुंचा और जैसे ही वह पहुंचा, वह छोड़ दिया गया।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पैरोकार से सरकार का क्या मतलब है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह अक्सर होता रहता है और हम इस प्रथा को बन्द करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दस्तूर-सा जाने कब से चला हुआ था कि जिस आदमी का मुकदमा होता था उस की तरफ से जो पैरवी करता था उसको अदालत की तरफ से रिहाई का हुक्म मिल जाता था। ऐसा पहले बहुत दिनों से चला आता है, उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जो को ज्ञात है कि जिस जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के यहां से उस कैदी का छूटकारा हुआ था उन्होंने वहां के एस० पी० के खिलाफ लिखा है कि उन्हें देर से छोड़ने की जिम्मेदारी एस० पी० की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी तो कोई इत्तला हमको है नहीं।

बस्ती जिले के कुछ थानों के क्षेत्रों में परिवर्तन करने का आश्वासन

*५५—श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती जिले के बांसी, उस्का, चिल्हिया, लोटन थानों के जो क्षेत्र बने हैं उनमें ऐसी गड़बड़ी है कि कई गांवों के चारों तरफ दूसरे थाने के गांव हैं और बीच-बीच में दूसरे थाने के गांव हैं और एक थाने के क्षेत्र के ज्यादातर गांव दूसरे थाने के पुलिस स्टेशन से बहुत करीब हैं और अपने थाने के पुलिस स्टेशन से बहुत दूर हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इन थानों के क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, परन्तु ऐसा नहीं है कि एक थाने के क्षेत्र के अधिकतर ग्राम दूसरे थानों के बहुत निकट हैं तथा अपन थानों से बहुत दूर हैं।

*५६—श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या सरकार उक्त थानों के क्षेत्रों को फिर से सुधारने का विचार करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां, इस मामले में उचित कार्यवाही हो रही है और आज्ञा है कि शीघ्र ही क्षेत्रों में सुधार हो जायगा।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या सरकार को पता है कि बांसी थाने में करीब सोनखर आदि २५ गांव, जोकि उसका थाने में है, वे उसका से १६ मील पड़ते हैं और बांसी में करीब एक ही मील पड़ते हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—मैंने अभी निवेदन किया है कि कुछ गांवों की बाबत ऐमा जरूर कहा जाता है और उसके लिये सुधार करने की कोशिश हो रही है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए वह प्रदेश के अन्य थानों के क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के प्रश्न पर विचार करेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत—उसकी भी व्यवस्था हो रही है।

सहकारिता तथा कृषि विभाग के कामदारों का समान वेतन करने की मांग

*५७—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार सहकारिता विभाग के कामदारों का वेतन, महुंगाई भत्ता तथा वार्षिक वेतन-वृद्धि कृषि विभाग के कामदारों के बराबर करने जा रही है?

वित्त मंत्री श्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जी नहीं। इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*५८—श्री राम नारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जिले में घटित वारदातों से सम्बन्धित कार्यवाहियां

*५९—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि लखनऊ जिला में सन् १९५५ में कितने कत्ल, डकैती और चोरी की घटनाये हुई ?

*६०—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन केसों में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मांगी हुई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २४८ पर)

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १,८०२ चोरियों में से १,२०५ का पता नहीं चला तो क्या इन चोरियों के सम्बन्ध में कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है या जांच अभी जारी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस समय तो जांच जारी नहीं है, लेकिन ये मामले कभी समाप्त नहीं होते। कभी भी अगर उनकी बाबत कोई नयी इत्तला मिलती है तो फिर जांच शुरू हो जाती है।

श्री रामचन्द्र विकल—१,८०२ चोरियों में से १,७३२ की ही जांच कराई गयी, तो क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि शेष की जांच क्यों नहीं कराई गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—क्योंकि रिपोर्ट करने वालों ने कोई ऐसा मसाला नहीं दिया कि जिमसे जांच प्रारम्भ हो सके।

*६१—६२—श्री यमनासिंह—[२२ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न ३१-३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

फांसी के कैदी का चलती ट्रेन से कूद जाना

*६३—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला मथुरा)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करें कि अक्टूबर, १९५५ के प्रथम सप्ताह में एक कैदी दलपतपुर और मुरादाबाद स्टेशनों के बीच स्वयं को अपने रक्षकों से छुड़ा कर और अपनी हथकड़ी तोड़ कर चलती रेल से कूद कर भाग गया, जिसे कि मृत्यु दण्ड दिये जाये—निमित्त बरेली से सहारनपुर ले जाया जा रहा था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—८ अक्टूबर, सन् १९५५ को एक कैदी, जिसे मृत्यु दण्ड का निर्णय मिल चुका था, रेलगाड़ी द्वारा बरेली से सहारनपुर ले जाया जा रहा था। वह रेलवे स्टेशन मुंढापांडे और मुरादाबाद के बीच कहीं बेड़ियों सहित गाड़ी से उतर कर भाग गया और अपनी हथकड़ियों को ठीक दशा में उतार कर डिब्बे में छोड़ गया।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कैदी दोबारा पकड़ में आया या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अभी तक तो उसके पकड़े जाने की सूचना नहीं है।

विलीन रियासतों तथा प्रदेश के राजनीतिक पीड़ितों को समान सुविधाये

*६४—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में विलीन देशी रियासतों—रामपुर, देहरी तथा बनारस में वहाँ की जनता के द्वारा सम्बन्धित शासनों के विरुद्ध जन-स्वातन्त्र्य निमित्त खलासे गये जन-आन्दोलनों के फलस्वरूप पीड़ित व्यक्तियों को प्रदेश के अन्य राजनैतिक के समकक्ष मानने के विषय में सरकार की क्या नीति है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उनको भी प्रदेश के अन्य राजनैतिक पीड़ितों के समकक्ष माना जाता है और उपयुक्त मामलों में आर्थिक सहायता दी जाती है।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर, देहरी और बनारस के जिन जन आन्दोलनों को वह राष्ट्रीय स्वीकार करती है उनमें सम्बन्धित व्यक्तियों को वह राजनैतिक पीड़ित मानती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जितने भी आन्दोलन स्वतन्त्रता संग्राम के लिये जहाँ कहीं भी हुये, उनको राजनीतिक आन्दोलन मानती है।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार रामपुर के शिया—मुन्नी आन्दोलन को भी राष्ट्रीय आन्दोलन मानती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—प्रश्न से स्पष्ट ही है कि प्राथमिक आन्दोलनों को राष्ट्रीय आन्दोलन नहीं माना जाता है।

नीलामी के बाद पडरौना चीनी मिल की बन्दी के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मरे पास एक फागरोकी प्रस्ताव श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने भेजा है। उन्हें फोन द्वारा यह सूचना मिली, जिसके आधार पर उन्होंने यह भेजा है। “इसमें कहा गया है कि पडरौना चीनी मिल के नीलाम खरीदने वालों को सरकार द्वारा चार्ज न दिखाने के कारण

श्रीशामी के बाद पडरोना चीनी मिल की बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव १८९
की सूचना

लगभग १,६०० मजदूरों को नौकरी से अलग करने के लिये नोटिस दिया गया है और यह भी कहा गया है कि इस वर्ष मिल नहीं चलेगी। ऐसी हालत में लगभग २०,००० ईख उत्पादकों की ईख बरबाद हो रही है और होगी। अतः इस विषय पर परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।”

इसकी मैं अवैध इसलिये करार देता हूँ कि यह अनिश्चित है। उन्होंने इसमें लिखा है कि फोन द्वारा सूचना मिली है। अब इसका साधारण रीति से मैं यह मतलब समझता हूँ कि कोई पत्र-व्यवहार नहीं हुआ है कि ऐसी परिस्थिति है या नहीं। सिर्फ सूचना फोन से मिल जाने पर बात निश्चित हो जाती है ऐसा मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूँ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मेरे पास अब सारी सूचना आ गई है।

श्री अध्यक्ष—आपको सूचना मिली है, ठीक है। आप इसको कल भी दे सकते थे सारी सामग्री इकट्ठा करके। लेकिन एक फोन आ जाय तो उस पर इस तरह का कामरोको प्रस्ताव आ जाय, मैं इस प्रथा को बन्द करना चाहता हूँ। कल की एक शिकायत आ जाय और उसको निश्चित मान लिया जाय और उसके सम्बन्ध में कोई सामग्री इकट्ठी न करके यहाँ प्रश्न उपस्थित किया जाय। मैं इसको उचित नहीं समझता। मैंने इसीलिये आपको कोई तकलीफ नहीं दी कि आप इस पर कुछ प्रकाश डालें।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, यदि आप इसके बाद मुझे आज्ञा देंगे तो मैं इस विषय से कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा करूँगा जिससे कि

श्री अध्यक्ष—यह कार्य आप दफ्तर में करें उनके बुलाकर, तो ज्यादा अच्छा होगा।

कानपुर जिले में ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में कथित अनियमितताओं
विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री राज नारायण जी का है। कानपुर जिले में ग्राम पंचायतों के चुनाव में जो बेउम्मानियां वह समझते हैं, हो रही हैं, उस सिलसिले में वह कामरोको प्रस्ताव उस प्रश्न पर विचार करने के लिये दे रहे हैं और उन्होंने बहुत सी बातों का जिक्र उसमें किया है। मैं एक मर्तवा सदन में यह कह चुका हूँ कि यह चुनाव का विषय बाद में एलेक्शन पिटीशन का विषय हो सकता है और इसलिये इस सदन में कामरोको प्रस्ताव के द्वारा उस पर बहस नहीं की जा सकती। यह तरीका बहस करने का इस विषय पर नहीं हो सकता। यह विषय ही कामरोको प्रस्ताव का नहीं है, इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूँ।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)—मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ इस विषय में। हमने जो प्रश्न उठाया था वह उस प्रस्ताव के अन्त के शब्दों में है कि उससे वहाँ पर अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है और ऐसी अव्यवस्था मारपीट की पैदा हो रही है, जिसका इन्तजाम होना चाहिये और उसी पर हम विचार करना चाहते हैं। जो वहाँ पर गलत बातें हो रही हैं उनके बारे में तो एलेक्शन पिटीशन होगा ही।

श्री अध्यक्ष—आपका जो प्रस्ताव है उसमें सब बातें लिखी हैं जो चुनाव के बारे में हो रही हैं। आपने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि फर्ला जगह कत्ल हुआ। आपने सब कुछ उसमें लिखा है और वे सब बातें पिटीशन में सामने आ जायेंगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—नियम ६८ के अनुसार क्या किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर, जिसके लिये कार्य स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, इसके अतिरिक्त इस प्रकार के विषय पर सरकार से पत्र-व्यवहार होना आवश्यक है ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, इतना जरूर है कि यदि किसी प्रश्न का साधारण शासन से सम्बन्ध हो तो वह विषय कामरोको प्रस्ताव का नहीं हो सकता। लेकिन उससे ऊपर

[श्री अध्यक्ष]

उठना चाहिये उस विषय को जिससे कि सरकार का कोई न कोई सम्बन्ध आ जाय। चूंकि प्रस्ताव में स्थानीय शासन का प्रश्न आप ले लेते हैं तो आपको तो प्रश्न उठाने में सहूलियत हो जाती है। पर साधारण बातों पर कामरोको प्रस्ताव नहीं उठ सकता। यदि आप प्रश्न से सरकार का सम्बन्ध जोड़ते हैं, और यह जुड़ता हो तो मौका दूंगा, वैसे मैं यह समझकर कि साधारण शासन का प्रश्न है उसको यहाँ पर मैं पेश भी नहीं होने दूंगा। माननीय सदस्यों को सहूलियत देने की गरज से मैं प्रस्ताव पढ़कर पूछ लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। वैसे मैं इन्कार कर सकता हूँ यह कहकर कि यह साधारण शासन का प्रश्न है और ऐसे महत्व का नहीं है जोकि साधारण शासन से उपक्रा निराकरण नहीं हो सकता। यह बात कह कर ही उसे मैं खत्म कर सकता हूँ। यह भी मौका इसलिये देता हूँ कि आप उसका सरकार से सम्बन्ध बता सकें, तो साधारण शासन से वह ऊपर उठ जाकर कामरोको प्रस्ताव का विषय संभव है कि बन जाय, इसलिये यह सहूलियत दे देता हूँ। यह तरीका है।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की अधिकता को रोकने की दृष्टि से अल्पसूचित प्रश्नों के सम्बन्ध में अधिक सुविधायें देने का सुझाव

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा) — श्रीमान्, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ और वह इस सिलसिले में है कि इस सदन में बहुत से कामरोको प्रस्ताव आ जाते हैं, जिससे कि हमारे कामरोको प्रस्ताव का महत्व कुछ कम होता जाता है। मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्नों का ज्यादा मौका दें जो इस समय ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये कामरोको प्रस्ताव इस हाउस में आकर उन कामरोको प्रस्तावों को, जो महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आते हैं, कम महत्व कर देते हैं। तो उनके लिये कुछ सहूलियत हो जायगी। इसलिये मैं यह प्रार्थना करूँगा कि आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ सुविधा प्रदान करें जिससे यहाँ जो कामरोको प्रस्ताव आ जाते हैं और महत्व के होते हैं, और वह कम महत्व के प्रश्न समझे जाते हैं, क्योंकि रोज आते हैं उनका कुछ महत्व रह जाय और इस सदन की मर्यादा भी रह जावे।

श्री अध्यक्ष — मैं समझता हूँ कि यह सुझाव बहुत अच्छा है और इस तरफ सदन का ध्यान हमेशा ही मैंने दिलाया है। मैंने कभी-कभी बीच में यह कह दिया कि अगर महत्व का विषय किसी शासकीय विषय के सम्बन्ध में आता है तो अल्प सूचित प्रश्न आप कर दें। मैं समझता हूँ कि सरकार भी इस विषय में सदन की जो भावना है उसका ख्याल करके ऐसे विषयों के ऊपर अल्प सूचित प्रश्न स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं उठायेगी। मैं जानता हूँ कि वह जवाब देने के लिये तैयार होती है जितनी भी शीघ्रतापूर्वक वह दे सकती है, क्योंकि मुझमें और नेता सदन से इस विषय में बातचीत हो चुकी है। उनका कहना है कि ऐसे विषयों पर प्रश्न देकर पूछ लेना ठीक है और शार्ट नोटिस प्रश्न देने पर वह सूचना देने के लिये तैयार हैं। यों ऐसे प्रश्नों पर उत्तर में अधिक देर होना अच्छा नहीं है। कम से कम एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन भी स्वीकृत हो जाय तो महत्व के प्रश्न पर प्रकाश पड़ सकता है। उसके बाद सदस्यों को समाधान कारक जवाब नहीं मिले तो वे आधा घंटा बहस कर सकते हैं। कामरोको प्रस्ताव पर तो आप दूसरे तरीके से बहस नहीं कर सकते हैं, उसके लिये ३५-३६ सदस्यों की संख्या होना संभव भी नहीं है, यदि आप उसके लिये अनुमति पर जोर दें। अल्प सूचित प्रश्नों का तरीका अधिक अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि इस तरीके में जितनी सहूलियत मैं दे सकता हूँ, दूंगा और सरकार को अगर उसके लिये मालूमात हासिल करने में देर लगना अनिवाय ही तो लाजारी है, मगर साधारणतया शीघ्र जवाब दे सकती है तो ऐसे प्रश्नों को स्वीकृत करेगी। और उत्तर तत्काल दे सकती है तो किसी को भी ऐतराज बाकी नहीं रहेगा।

कार्य अलग प्रस्तावों की अधिकता को रोकने की दृष्टि में अल्पसूचित प्रश्नों के सम्बन्ध में अधिक सुविधायें देने का सुझाव १९१

श्री गेदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात को पसन्द करता हूँ कि कम से कम कामरोको प्रस्ताव इस सभा में आ सके, लेकिन मजबूरी विरोधी दल की भी होनी है और सरकार को उसे एग्जीस्यूट करना चाहिये। ऐसे प्रश्न आते हैं कि जिनमें किमी भी हालत में हम इगनोर नहीं कर सकते और वैसी स्थिति में हमारे लिये कोई चारा नहीं रह जाना है अतिरिक्त इसके कि हम कामरोको प्रस्ताव उपस्थित करे। भले ही वह व्यक्तियों की, सदस्यों की संख्या के अभाव से गिर जाय लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है और जनता के प्रति अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने के लिये ही हम कामरोको प्रस्ताव लाने हैं। मैं आपसे यह शिकायत करना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से अल्पसूचित नारांकित प्रश्नों के उत्तर देने में देरी की जाती है, जिनका उत्तर केवल कार्यालय की देखरेख में दिया जा सकता है उनका भी उत्तर नहीं दिया जाता है, इसके लिये मैं कोई नाम रखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना अवश्य कह देना चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री के ऐसे उत्तरदायित्व पद पर रहते हुये भी, जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि जिनमें उत्तर प्रदेश की सरकार निहित है, उन्होंने भी उत्तर देने से इंकार कर दिया। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि वे कृपा करके इस बान की व्यवस्था करें कि विरोधीदल भी अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह मके। अगर हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकेंगे तो हम अवश्य इस बात की कोशिश करेंगे कि कम से कम कामरोको प्रस्ताव उपस्थित हों और केवल ऐसे ही कामरोको प्रस्ताव उपस्थित करें जिनमें सदन को कोई कठिनाई न हो। मैं स्पष्ट कर दूँ कि यह सारी कठिनाई सरकार के उत्तर न देने या देरी करने की वजह से ही पैदा होती है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूँ कि जो बात अभी उपाध्याय जी ने उठाई वह सिद्धांत की बात है। जिस वक्त एक सिद्धांत अच्छा मालूम होता है और उसे सब स्वीकार करते हों तो उस वक्त शिकायत की कोई चीज बाकी नहीं रहती। ऐसे समय यह कहना कि सरकार ने जिम्मेदारी महसूस नहीं की, उत्तर नहीं दिया, इस कारण से अब तक ऐसा हुआ। इन प्रश्नों पर हम इस वक्त ज्यादा जोर नहीं दे सकते। यदि सदन ऐसा तरीका अख्तियार करे और विरोधीदल को भी उसमें अमानी मालूम पड़े, तो सरकार को भी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर सदन के सामने चर्चा करने में कोई कठिनाई न होनी चाहिये। यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी को इस सुझाव के बारे में कुछ कहना हो तो कहें।

†मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपाध्याय जी के सुझाव का स्वागत करता हूँ। जैसा माननीय गेदासिंह जी ने कहा संभव है कभी किसी मौके पर ऐसा हो गया हो, किसी सवाल के जवाब देने में देरी हो गयी हो या जैसा कि आपने कहा इंकार कर दिया गया हो, मैं नहीं जानता कौन कौन सी ऐसी चीजें आपके सामने हैं परन्तु निदान्ततः ऐसा नहीं होना चाहिये। ऐसे कोई माननीय मन्त्री नहीं हैं जो इस बात को पसन्द करते हों।

कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिनपर सरकार की ओर से भी यह इच्छा होती है कि वह जनता के सामने उसकी जानकारी रखे क्योंकि हर बार यह संभव नहीं होता कि सरकार अपनी ओर से कोई स्टेटमेंट दे। कामरोको प्रस्तावों के आने से वह चीज हाउस के सामने नहीं आ पाती क्योंकि उनमें कोई न कोई खराबी होती है और उसी आधार पर उसका विरोध होता है और इस प्रकार से वही चीज वहीं खत्म हो जाती है तथा उस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता। शार्ट नोटिस क्वेश्चन से सरकार को कुछ कहने का मौका मिल जायगा। जब तक कि कोई खास कारण न हो सरकार उसका कुछ न कुछ जवाब अवश्य देगी। यदि यह प्रयोग चल गया तो कार्य भी अधिक होगा और सदन की मर्यादा भी बढ़ेगी।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, इसमें दो विषय हैं। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि माननीय सदन मोहन जी ने अपनी ओर से नयी उठायी हो, आपकी स्वयं की व्यवस्था पहले से ही ऐसी है। आप इस सदन से स्वतः अपनी ओर से कह चुके हैं

†वक्ताओं ने भाषण का पुनर्बीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

कि लोग शार्ट नोटिस क्वेश्चन दे दिया करें, लेकिन मैं अपने कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि ...

श्री अध्यक्ष—मैं तो उस प्रस्ताव या सुझाव को मान लिया, अब कुछ अधिक कहने का मौका नहीं है।

श्री राजनारायण—वह तो हम परिणत कर सकते हैं लेकिन जो कामरोको प्रस्ताव का अर्थ है उसको समझते हुये मैं चाहता हूँ कि हमें यह अधिकार होना चाहिये ...

श्री अध्यक्ष—आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा है, जो रास्ता आप नियमों के अनुसार अख्तयार करना चाहें वह अख्तयार कर सकते हैं। वह उन को भी बाध्य नहीं करता, अगर कोई भी सदस्य बाध्य नहीं होते तो इसक प्रयोग में जो रिस्क है उसे आप उठा लें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह बाध्य होने का सवाल नहीं है, वैसे आपके निर्णय से हम वो डाउन होंगे लेकिन हमारा जो अधिकार है वह ...

श्री अध्यक्ष—हमको ऐसी चीज पर अमल करने के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये, नियमों के अनुसार वैसे कोई सदस्य भी कोई प्रस्ताव लायेगा तो मैं उसे रोकूंगा नहीं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ ...

श्री अध्यक्ष—अब आप बैठ जायं, १५ मिनट हो गये, अब आप कल इस प्रश्न को उठा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५

खण्ड ६ (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—मैं इस विषय में माननीय स्वास्थ्य मन्त्री से जानना चाहूंगा कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा १० की जो उपधारा (२) है उसमें जो संशोधन आया है वह आप रखना चाहते हैं या नहीं ?

श्री नियोजन मन्त्री के सभा-सचिव (श्री बनारसीदास)—श्रीमन्, यह संशोधन खंड ५ में पेश करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—यह जो संशोधन है इसको आप स्वीकार करते हैं या नहीं ? वह वैसे ही कायम रहेगा ?

श्री बनारसीदास—वह तो मैं निवेदन कर चुका था कि यह जगन्नाथ भल्ल जी का संशोधन जिस तरह से पेश है वह मान्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष—इस समय यह जो खंड ६ का (२) है इस पर बहस जारी रहे और उसके बाद मैं ६(१) ले लूंगा, भाषण समाप्त होने के बाद।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, खंड ५ में जो स्थगित किया गया था उस का परिवर्तित स्वरूप यदि आ जाता तो हम उसके विषय में विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—अब श्री मौर्य जी का भाषण हो जाय उसके बाद वह ले लेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—(जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, एजेंडा की क्रम संख्या २२ पर जो संशोधन छपा है मैं उस पर कल अपने विचार व्यक्त कर रहा था और मैं यह कह रहा था कि इस संशोधन का किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं है जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने अपने कल के भाषण में कहा था कि सोशलिस्ट पार्टी का ऐसा मत है। यह एक विचारणीय बात है कि जो एक बार चेंबरमैन नामिनेट हो जाय फिर उसको हटाने की प्रणाली क्या होगी। क्या यह मुनासिब है कि उस नामिनेटेड चेंबरमैन को भी जिस समय चाहे हटाकर उसकी जगह दूसरा चेंबरमैन नामिनेट कर दिया जाय।

*२१ नवम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

†१३ दिसम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

या उसके हटाने के लिये कोई कारण उत्पन्न हो। इस संशोधन का जो अर्थ निकलता है वह यह है कि जब चेयरमैन हटाया जाय तब उसके खिलाफ जब बोर्ड का अविश्वास का प्रस्ताव पास हो तभी वह हटाया जाय। तो यह बात बिल्कुल मुनासिब मालूम होती है। जब तक वह बोर्ड का कान्फिडेंस गेन किये हुये है तब तक वह नामिनेटेड चेयरमैन हटाया न जाय। अधिनियम में दिया हुआ है कि बोर्ड का प्रेसीडेन्ट तीन साल के लिये होगा। सरकार ने जब नामजद कर दिया तो वह तीन वर्ष तक बना रहेगा, लेकिन उसके बाद यह न रहे कि सरकार जब चाहे उसे हटा सके और दूसरा नामिनेट कर दे। इसलिये मेरा सूक्ष्म में इतना निवेदन है कि सरकार इस प्रकार का कोई संशोधन जो जरूरी समझे करे और यह संशोधन इसी आशय का मालूम होता है। इसमें कोई खामी नहीं मालूम होती। इसमें है कि बोर्ड का प्रेसीडेन्ट तभी हटाया जाय जब बोर्ड उसके प्रति अविश्वास प्रकट करे और जब तक वह प्रकट न हो तब तक वह बना रहे और फिर दूसरा सरकार तब तक उसकी जगह पर नामजद न करे जब तक उसे बोर्ड का विश्वास प्राप्त है।

श्री अध्यक्ष—सदन में बातें बहुत हो रही हैं। कृपया माननीय सदस्य शान्ति रखें।

(एक क्षण के अनन्तर)

एक सुझाव मेरे पास आया है। माननीय मन्त्री जी ने खंड ५ को फिर से बदल कर और सुधार करके पेश करने का वादा किया था। मैं समझता हूँ कि यह उचित होगा कि इसी वक्त क्योंकि ६ पर भी उसका असर पड़ेगा, इसलिये ५ को हम पहले ले लें और ६ को अभी स्थगित कर दें। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है ?

(एक क्षण ठहर कर)

तो कृपा करके माननीय मन्त्री जी उसे उपस्थित करें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, सदन में शोर बहुत हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—मैंने माननीय सदस्यों से शान्त रहने को कहा है। अभी सदन का कार्यक्रम जारी है। ऐसी अवस्था में वह आपस में बातचीत न करें। अगर किसी को बातें करनी हैं तो वह लाबी में जाकर हो सकती हैं।

खंड ५ (क्रमागत)

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

“5. (1) The Board shall consist of the following members (including the President) :

(i) A President to be nominated by the State Government,
(ii) Five members to be nominated by the State Government,

(iii) One member each from a University established by Law in Uttar Pradesh and having a Faculty concerned with the Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine, in the manner prescribed by the Faculty,

(iv) Two members representing Ayurvedic Educational Institutions of Uttar Pradesh, to be elected, in the prescribed manner, by the teachers of such Institutions as are affiliated to the Board.

(v) One member representing Unani Educational Institutions of Uttar Pradesh, to be elected, in the prescribed manner, by the teachers of such Institutions as are affiliated to the Board, and

[श्री बनारसी दास]

(vi) Nine members (6 Vaidis and 3 Hakims) to be elected in the prescribed manner, by the registered Vaidis and Hakims respectively, of Uttar Pradesh:

Provided that the President and every member to be elected or nominated, as the case may be, under clauses (ii), (iv) and (v) shall be from amongst the registered practitioners.

(2) The Board shall elect one of its members to be the Vice-President."

श्री अध्यक्ष—उस रोज नवल किशोर जी का ५ (१) के ऊपर संशोधन हो चुका था और अभी और संशोधन बाकी है। नवल किशोर जी का संशोधन जो ५ (१) पर था वह जारी रहेगा और वे चाहें तो उसे जारी रख सकते हैं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—मैं यह समझता हूँ कि अभी सरकार की तरफ से जो संशोधित धारा ५ पेश की गई है उसमें वह चीज कवर हो जाती है। इसलिये मैं इसको वापस लेता हूँ।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हवीरपुर)—यह जो अभी संशोधित रूप इस खंड का रक्खा है वह हमें मिला नहीं है।

श्री अध्यक्ष—पहले आप समझ लें। मैं बतलाये देता हूँ फिर आपके पास आ जायगा। विधेयक में खंड ५ का जो रूप था पूरा का पूरा वही रूप रहा सिर्फ उस खंड ५ में सब-क्लाज (३) जो है उसके शब्द इस प्रकार हो जायेंगे—

"One member each from a University established by Law in Uttar Pradesh and having a Faculty concerned with the Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine, in the manner prescribed by the Faculty."

इस तरह से १, २, ४, ५ और ६ जैसे इसमें थे वैसे ही रहेंगे। लेकिन चूंकि उस रोज सदन में यह इच्छा प्रकट की गयी थी कि सभी वैद्य या हकीम होने चाहिये, इसलिये यह ६ (१) के बाद प्रोवाइजो और लगा दिया गया है—

"Provided that the President and every member to be elected or nominated, as the case may be, under clauses (ii) to (v) shall be from amongst the registered practitioners."

सब-क्लाज (२) वैसा का वैसा ही रहा, जैसा कि अभी मौजूद है। इसलिये सदन को कुछ दिक्कत भी नहीं है। जितने संशोधन इसके बाद आये हैं वे एक एक करके मैं ले लेता हूँ।

श्री तेज प्रताप सिंह—दूसरा प्रश्न यह था कि जैसा मैंने निवेदन किया था कि ५ को फिर से संशोधित किया जा रहा है। उसका रूप फिर से स्थिर किया जा रहा है। तो क्या फिर उसमें हम अमेंडमेंट रख सकेंगे। पूरे ५ खंड पर?

श्री अध्यक्ष—पूरा खंड चूंकि सबसीडीट्यूट नहीं हुआ है, इसलिये नया संशोधन नहीं आयेगा। सब-क्लाज (१) ही समाप्त हुआ है और इस सब-क्लाज पर जितने अमेंडमेंट आ चुके हैं वे वैसे के वैसे ही रहेंगे उसके ऊपर नये अमेंडमेंट नहीं लिये जायेंगे।

श्री तेजप्रताप सिंह—लेकिन जिस वक्त डिस्कशन चल रहा था तभी उसका फिर से रूप स्थिर करने के लिये उसको स्थगित कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष—लेकिन उसका रूप तो वही का वही रहा।

श्री तेजप्रताप सिंह—रूप चाहे जो कुछ हो, लेकिन यह अधिकार होगा हर माननीय सदस्य को कि सब-क्लाज (१) में वह अमेंडमेंट दे सके।

श्री अध्यक्ष—जमेडमेट तो चल ही रहे हैं उनके ऊपर। आप और क्या अमेडमेट चाहने हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह—पै उसी पर आ रहा हूँ। मैंने सब-क्लाज (१) में एक अमेडमेट दिया था "A President to be elected by the members of the Board."

श्री अध्यक्ष—इसमें तो आपको (सरकार को) आपत्ति नहीं होगी। आप पेश कर दें।

श्री बनारसी दास—एक बात मुझे निवेदन करना है। उन रोज माननीय सदस्य ने जो पत्रे क्लोज के जारे में अपना नया संशोधन पेश किया था उसमें शुद्ध में यह भी था "A President to be elected by the members of the Board" और मदन उनके रिजेक्ट कर चुका है।

श्री अध्यक्ष—यह उसका मनलव नहीं निकलता। जब कोई सब्सिडीयूशन का संशोधन हाता है उसके नामजूर होने के बाद भी मदन को एक एक सब क्लोज लेने का अधिकार बाकी रहना है और कोई भी सदस्य किसी सब-क्लाज का ही केवल संशोधन पृथक दे सकता है। इसलिये वह भी दे सकने हैं। चूंकि आपने संशोधन करके खंड को उपस्थित किया है शार्ट नोटिस पर, इसलिये वह यह चाहते हैं कि उन्हें भी अधिकार इस बात का होना चाहिये कि वे सब-क्लाज के संशोधन को प्रेस कर सकें। मैं समझता हूँ कि आप तो आपत्ति नहीं करनी चाहिये। ऐसे संशोधन केवल एक ही दो होंगे ?

(श्री तेज प्रताप सिंह से) तो आप उपस्थित कर सकेंगे।

मैं और लोगों से पूछ लूँ जिन्होंने इस पर संशोधन दिये हैं कि वे पेश करना चाहते हैं या नहीं।

श्री नवल किशोर—मैं आपसे एक बात और कहना चाहता था। अभी जो सरकार की तरफ से संशोधन पेश हुआ है इसके अन्दर हम अपना संशोधन पेश कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—वही तो मैं कह रहा हूँ। आप बराबर पेश कर सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

(श्री नवल किशोर से) आप अपना संशोधन नहीं प्रेस करना चाहते हैं ?

श्री नवल किशोर—जी नहीं। मैं उसको वापस लेता हूँ।

(मदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—धर्मिन, जरा मेरे अमेडमेट में एक बात छूट गयी है आप की आज्ञा से मैं उसको बढ़ाना चाहता हूँ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—प्वाइन्ट आफ आर्डर। माननीय तेज प्रताप सिंह जी का जो संशोधन है वह पूरे खंड का है और जो आप संशोधन कर रहे हैं वह खंड के अन्त में कर रहे हैं। मेरी समझ में पहले जो शुरू से है पहले वह आना चाहिये। उसके बाद उनका संशोधन उपस्थित हो सकेगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—अगरचे उनका संशोधन मान लिया गया तो उसमें भी मुझको रखने का अखिरतार हो जायगा। इसलिये वह पहले पेश कर लें।

श्री अध्यक्ष—श्री जगन्नाथ मल्ल अंत में संशोधन करना चाहते हैं, उनका संशोधन पहले नहीं आयेगा। श्री तेज प्रताप सिंह पहले उपस्थित कर दें।

श्री तेज प्रताप सिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष—(श्री जगन्नाथ मल्ल से) आपके संशोधन में है :

"President to be nominated by the State Government from the elected members."

श्री जगन्नाथ मल्ल—“amongst” छूट गया है ।

श्री तेज प्रताप सिंह—मैं आपकी आज्ञा से खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) का भाग (i) निम्नरूप में रखना चाहता हूँ —

“a President to be elected by the members of the Board.”

पिछले दिन में इस खंड ५ के पूरे रूप को बदलना चाहता था । उस पर बहस भी हुई थी । परन्तु कतिपय कारणों से हमारे मन्त्री जी उसको स्वीकार नहीं कर सके । अब मैं फिर चाहता हूँ और केवल एक बात की ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वह है क्लज (१) की तरफ जिसमें प्रेसीडेंट के नामजद करने की बात रखी गयी है और मैं आशा यही करूंगा कि मेरे कारणों को सुनकर मन्त्री जी जिस तरीके से उन्होंने खंड ५ के पूरे रूप को फिर से संशोधित कर दिया है । उसी प्रकार क्लज (१) को भी संशोधित करने की कृपा करेंगे । मेरा मन्तव्य केवल अब इतना ही है कि बोर्ड के संगठन.....

श्री अब्दुल मुईज खाँ (जिला बस्ती)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर । श्रीमन्, माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है वह बोर्ड के मेम्बर्स द्वारा चुने जाने के विषय में है “A President to be elected by the members of the Board.” और इस खंड को श्रीमन्, देखेंगे तो उसका ओपनिंग, “गवर्निंग क्लज जो है “The Board shall consist of the following members (including the President.)”

तो मेम्बर्स की बात कही जाती है और इस प्रकार से बोर्ड के मेम्बर्स चुने जायेंगे और पहले ही क्लज इसका यह है कि एक प्रेसीडेंट होगा गवर्नमेंट का नामिनेट होगा । आप कह रहे हैं कि बोर्ड का निर्वाचन होगा । तो अभी बोर्ड कान्स्टीट्यूट हुआ ही नहीं.....

श्री अध्यक्ष—तो आप कान्स्टीट्यूट यहां थोड़े ही कर रहे हैं ।

श्री अब्दुल मुईज खाँ—नहीं, नहीं, अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो कहते हैं कि क्लज (१) उसमें मेम्बर की बात कही जाती है और जब तक उस क्लज (१) के मातहत जो मेम्बर आयेगा उस बोर्ड में वह आ नहीं जाता तब तक बोर्ड कम्पलीट नहीं होता, उसका चुनाव कम्पलीट नहीं हो सकेगा It will be putting the cart before the horse.

श्री अध्यक्ष—यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है । आप कृपा करके बैठ जायें ।

श्री तेज प्रताप सिंह—तो मैं यह कह रहा था कि जिस प्रकार से सरकार ने इस खंड ५ के रूप को फिर से संशोधित करने की कृपा की है मैं समझता हूँ उसी उदारता से इस क्लज (१) को भी.....

श्री अध्यक्ष—आप अपना संशोधन दोहरा दें ।

श्री तेज प्रताप सिंह—“A President to be elected by the members of the Board.”

बैसे मैंने और भी कुछ शब्द रखे थे, लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो छठवां क्लज रखा हुआ है वह कवरअप कर लेता है और रजिस्टर्ड बैंक और हकीम ही प्रेसीडेंट या मेम्बर हो सकेंगे, चाहे नामजदगी से हो या किसी तरह । इसलिये मैंने उसको हटा दिया है । तो मेरा निवेदन केवल मात्र इतना है कि जिस उदारता से हमारी सरकार ने सारे बोर्ड के संगठन को फिर से सुनिश्चित किया है, जिसमें कि केवल हकीम और बैंक ही आ सकेंगे उसी उदारता से इस सिद्धांत को भी मानने की कृपा करेगी कि प्रेसीडेंट

जो बोर्ड का हो वह नामजद सरकार द्वारा न किया जाय बल्कि उन मेम्बर्स पर ही यह छोड़ दिया जाय कि वे अपने प्रेसीडेन्ट को चुन लें। इस सिद्धांत की चर्चा हो चुकी है, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता और उसके उत्तर में भी कहा जा चुका है, लेकिन जहां आप इस सिद्धांत को मान लेते हैं कि बोर्ड के सदस्य केवल वैद्य और हकीम हों क्योंकि वैद्य और हकीम ही ज्यादा अपनी इस पद्धति को समोन्नत बना सकते हैं, उसकी तरक्की कर सकते हैं। वहां पर उसी सिद्धांत के अनुसार उनका जो संचालक होगा, प्रेसीडेन्ट होगा वह भी अगर उन्हीं की राय से मनोनीत होगा तो वे और भी अच्छी तरह से अपनी पद्धति में सुधार कर सकेंगे और उसको अग्रसर कर सकेंगे। चुनाव के बारे में जैसा कि पिछली मर्तबा कहा गया था कि चुनाव से तमाम अनावश्यक लोग अपना प्रयास करेंगे कि वह बोर्ड के प्रेसीडेन्ट बन सकें तो वहां उसके उत्तर में यह भी कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट जब नामिनेशन का अख्तियार अपने में निहित करेगी तो फिर उसमें बहुत सी अनावश्यक बातें भी पैदा हो सकती हैं। लोग कोशिश करेंगे माननीय मन्त्री जी को और सरकार को परेशान करेंगे क्योंकि

और मनोमालिन्य पैदा होते हैं उससे ज्यादा खराबी इस पद्धति से होगी नामजदगी के दौरान में जो वह उपयोग में लायेंगे और इस बात को स्वीकार ही करना चाहिये। मैंने आगे भी एक संशोधन रखा है, जिसके द्वारा मैंने यह इच्छा प्रकट की है कि सरकार प्रेसीडेन्ट के टर्म को केवल एक ही बार रखे। मेम्बर का और प्रेसीडेन्ट का टर्म केवल तीन साल का है। मैंने आगे अपना एक सुझाव रखा है कि प्रेसीडेन्ट भी मानोपलाइज न कर सके। वह केवल एक ही टर्म तक रह सके। तो वह जब संशोधन आयेगा तो उसको पेश करूंगा ही। अभी केवल इतना ही निवेदन है कि इस बोर्ड के प्रेसीडेन्ट को भी मेम्बरों की इच्छा पर छोड़ दिया जाय। जो वैद्य और हकीम आयें वह अपना प्रेसीडेन्ट चुन सकें और इसी में उस बोर्ड का कल्याण होगा और इस भारतीय चिकित्सा पद्धति का भी कल्याण होगा। यह जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिये।

†श्री अब्दुल मुईज खां—माननीय अध्यक्ष महोदय, बर्दाकिस्मती से अपने प्वाइन्ट आफ आर्डर में जो बात कहने की कोशिश मैंने की थी शायद वह साफ न कह सका। मेरे कहने का आशय यह था कि.....

श्री अध्यक्ष—अब तो आप विरोध कर सकते हैं। प्वाइन्ट आफ आर्डर की सफाई नहीं दे सकते।

श्री अब्दुल मुईज खां—जी हां, वह तो मैंने रिफर किया। मैं विरोध में ही यह कह रहा था कि इस क्लज का ओपनिंग सेंटेंस जो है वह यह है कि दि बोर्ड शैल कन्सिस्ट आफ दि फालोइंग मेम्बर्स (इंक्लूडिंग दि प्रेसीडेन्ट)। मतलब यह है कि प्रेसीडेन्ट भी एक मेम्बर होगा और नीचे दिये तरीकों से वह मेम्बर्स आयेंगे। अब यह है कि उसमें एक प्रेसीडेन्ट होगा जो नामिनेट हो या एलेक्ट हो, लेकिन वह भी एक मेम्बर होगा उस बोर्ड का और उसके बाद और बकीया मेम्बर्स क्लज दो, तीन, चार के मातहत आयेंगे। इस तरह से आप मान लें कि १२ मेम्बर्स कुल होंगे, जिनमें से एक मेम्बर जो होगा वह बोर्ड का प्रेसीडेन्ट होगा। तो यह १२ मेम्बर्स जब कम्प्लीट हो जाते हैं तब बोर्ड कांस्टीट्यूट हुआ। जब तक यह १२ मेम्बर्स कम्प्लीट नहीं हो जाते और उन्हीं में प्रेसीडेन्ट भी एक है तब तक बोर्ड कांस्टीट्यूट नहीं होता और जब तक बोर्ड कांस्टीट्यूट नहीं होता तब तक बोर्ड के मेम्बरों द्वारा चुनाव भी मुमकिन नहीं है। आपने कहा कि बोर्ड के मेम्बरों द्वारा चुना गया प्रेसीडेन्ट होगा। तो उसमें कांस्ट्रिडिक्शन हो जाता है कि क्लज वन जिस मेम्बर के विषय में कहता है कि वह प्रेसीडेन्ट भी होगा, वह चुना जायगा तो चुनने की बात पहले कैसे आ जाती है। जो विधेयक में है उससे तो साफ जाहिर है कि एक गवर्नमेंट द्वारा मनोनीत प्रेसीडेन्ट होगा और बकीया मेम्बर्स होंगे और वह प्रेसीडेन्ट भी मेम्बर्स की हैसियत रखेगा।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वाञ्छन नहीं किया।

[श्री अब्दुल मुईज खां]

तो १२ मेम्बर्स होंगे। वह १२ मिलकर तेरहवें का चुनाव करें तो यह तो समझ में आ सकता है लेकिन वह १२ मिलकर बारह में से एक का चुनाव करे तो यह संभव नहीं है। इसलिये जिन शब्दों के साथ आपने अपना यह रखा है संशोधन का प्रस्ताव यह मेरा ख्याल है उस बोर्ड के उद्देश्य के ही खिलाफ पड़ता है और मेरा ख्याल है इसे वापस करने या परिवर्तित रूप में रखें तो ज्यादा अच्छा है।

*श्री मोहन लाल गौतम (जिला अलीगढ़) —माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुईज खां साहब का एतराज है उसमें एक फैलेसी यह भी है कि यह नहीं है कि इस संशोधन में कि वह उनमें से ही होगा। अगर प्रेसीडेन्ट मेम्बर होगा तो यह हो सकता है कि नान मेम्बर चुना जाय प्रेसीडेन्ट और प्रेसीडेन्ट चुन जाने के बाद उसको मेम्बर की हैसियत भी हासिल हो जाय। इसलिये जरूरी नहीं है कि वह मेम्बर भी हो। अब दूसरी दिक्कत यह है कि इस वक्त यह संशोधन न लिया जाय तो बाद में तो आयेगा नहीं? अगर यह हिस्सा पास हो गया। इसलिये अगर यह हो और स्पीकर महोदय अगर आपकी यह राय हो कि पहले बोर्ड के मेम्बर आ जाय और उसके बाद प्रेसीडेन्ट को चुनने की बात आये। तो यह तो ऐजस्टमेंट की बात होगी, जिसको आप स्वयं कर देंगे और इसको आप छठवीं, सातवीं जगह पर रख दीजिये। यह तो ऐजस्टमेंट की बात है। बहस यह है कि प्रेसीडेन्ट नामिनेटेड हो या एलेक्टेड हो। मैं बहुत अदब से यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह मसला जरूर ऐसा है जिस पर कि सरकार को और ज्यादा गौर करना चाहिये। क्योंकि जो दलीले नामिनेशन के हक में दी गयी हैं वह सिर्फ यहीं तक नहीं रहतीं कि इंडियन बोर्ड आफ मेडिसिन का कांस्टीट्यूशन क्या हो, बल्कि बहुत दूर तक जाती हैं। जहाँ कि खराबियाँ ऐसी जगह पर हैं जहाँ के चेयरमैन को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं हासिल हैं तो यह खराबियाँ कई गुना ज्यादा मिलेंगी जहाँ इस चेयरमैन को ज्यादा अधिकार दूसरी जगह है। हमने स्वराज्य मिलने के बाद पूरे तौर से जितने भी ज्यादा से ज्यादा प्रजातन्त्रात्मक तरीके हो सकते थे अपनाये। हमने वह तरीका अपनाया जो बड़े बड़े मुल्कों में जहाँ कि डिमाक्रेसी की तारीफ होती है, उन्होंने सैकड़ों वर्ष बाद अपनाये। स्विटजरलैंड की तारीफ थी कि वहाँ की डिमाक्रेसी सब से अच्छी है, वहाँ औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। हमने शुरू से ही यह अधिकार औरतों को दिया। हमने जहाँ तक हुआ, सारी चीजों में एक डिमाक्रेटिक सेट-अप को पूरे तौर से लाने की कोशिश की। कांस्टीट्यूशन बना, उसके बाद दूसरी चीजें संशोधित हुईं। म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट संशोधित हुआ, उसमें तीन आदमियों को नामिनेशन करने का अधिकार था, वह हटा दिया गया। उसी तरह से जगह जगह कोशिश की जा रही है। गांव सभाएं बना दी गयीं। पहले ३६ हजार थीं। अब ७५ हजार से ज्यादा हैं। इतनी गांव सभाओं के प्रेसीडेन्ट चुने हुए होंगे। यह सारा जो सेट-अप बना दिया गया, उन अनपढ़ गांव वालों को अधिकार दिया गया कि वह चुन लें। म्युनिसिपैलिटीज़ को अधिकार दिया कि उनमें से भी नामिनेशन हटा दिया गया, कांस्टीट्यूशन में पूरे तरीके से चुनने का अधिकार दिया गया। असेम्बली में एक आदमी नामजद किया है, इसलिए कि शायद वह इंटरेस्ट सेफगार्ड न रहे अगर नामजदगी न हो। इसलिए हमने जहाँ जहाँ नामिनेशन की चीजें थीं स्वराज्य मिलने के बाद और विधान बनने पर चुनाव की तरफ हम चल रहे हैं। अब अगर सरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि चुनाव में खराबियाँ हैं और वह खराबियाँ गन्दगी पैदा करती हैं, इसलिए नामजदगी हो, तो यह चीज हमको कहां ले जायगी, यह विचार करने की बात है। क्या अगर ये खराबियाँ दूसरी जगह नजर आयें तो वहाँ नामजदगी शुरू हो जायगी? मैं अदब से कहना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि जितनी असेम्बली के एलेक्शन में गन्दगी होती है उससे सौवां हिस्सा भी प्रेसीडेन्ट के एलेक्शन में गन्दगी नहीं होगी। जितनी खराबियाँ असेम्बली के मेम्बरों के और मार्लियामेंट के मेम्बरों के चुनने के सिलसिले में होती हैं, जगह जगह म्युनिसिपैलिटीज़ में और लोकल बाडीज में होती हैं तो इस बेचारे चेयरमैन के चुन जाने में क्या गन्दगी होगी? क्या इन गन्दगियों के कारण उन चुनाव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्बीक्षण नहीं किया।

की पद्धतियों को हटाकर नामिनेशन की तरफ ले जायेंगे या नहीं, इस मसले पर बहुत गौरव करने की जरूरत है। मेरी राय है कि इस मुल्क ने सही या गलत और मैं कहता हूँ कि सही एक तरीका अख्तियार किया है। डिमांडेटिक सेट-अप हम इस मुल्क में कायम रखना चाहते हैं। उसमें बहुत सी कमजोरियाँ हो सकती हैं, शुरू में खराबियाँ हो सकती हैं उनको दूर करने का भी हमने फैसला कर लिया है। इसलिए उस रास्ते को हटाकर दूसरे रास्ते पर इस पीछे के दरवाजे से इस विचारधारा को आगे न ले जाने दिया जाय, यह मेरी प्रार्थना है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि नामिनेशन का तरीका गवर्नमेंट अपनाये नहीं, यह गलत होगा। क्योंकि अगर एक जगह शुरू कर दिया और हमन वह दलीलें सब गवर्नमेंट की मान लीं कि इसमें ये ये खराबियाँ होती ह तो फिर हम कहाँ जायेंगे? क्या इसको दूसरी जगह अमल में लायेंगे? इसलिए इस तरीके को मैं समझता हूँ कि अख्तियार न किया जाय और नामिनेशन की जगह एलेक्शन रखा जाय।

एक तरीका इसमें और भी है। एक दिक्कत यह है कि अगर शुरू में नामिनेशन होता तो उसमें इतना नुकसान नहीं था। अब मुसीबत यह हो गयी है कि जो इस वक्त ला है उसमें एलेक्शन है। जो पहले नामिनेशन का स्टेज था वह खत्म हो चुका और एलेक्शन का जब स्टेज आया तो हम एलेक्शन को हटा कर नामिनेशन कर रहे हैं। यह नहीं कि एक नया बोर्ड बनने-वाला है और उसमें हमने सोचा कि नामिनेशन रखा जाय बल्कि एक कानून बना हुआ है उसमें पहले टर्म में चेयरमैन का एलेक्शन हुआ और अब नय टर्म में हम कहते हैं कि नामिनेशन हो। मुझ याद नहीं है कि एलेक्टेड चेयरमैन की खराबियाँ कभी हमारे सामने आयी हों, मुझे याद नहीं है कि इसकी शिकायत हमारे सामने आयी हो कि बंधों में बहुत ज्यादा खराबी है, जोकि हम पोलिटिकल पार्टीज में ह। उनको खराबियाँ हमने देखीं नहीं। इसलिये एलेक्शन की जगह नामिनेशन रखने से लोगों में ज्यादा गलतफहमी होगी, ज्यादा लोग हमसे नाराज होंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरफ हम जाना चाहते हैं वह तरीका नहीं है, उसको रोका जाय और जिस तरह से एलेक्शन था वही रहे, नामिनेशन न हो। गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ पहले ही हैं और जिसकी जिम्मेदारी होती है उसकी बदनामी भी होती है, उसको लोग सही और गलत तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। अब हर जगह ही अगर हम नामिनेशन करने लगे तो हमारा बोझ बहुत बढ़ जायगा। इसलिये गवर्नमेंट इस जिम्मेदारी को न ले तो अच्छा है क्योंकि हमें बहुत से काम करने हैं और जब नामिनेशन करेंगे तो जरूर है कि लोग नुक्ताचीनी करेंगे। और फिर क्या गारंटी है कि हमेशा अच्छे ही आदमी गवर्नमेंट में रहेंगे। आज मिनिस्टर साहब अच्छे हैं, माकूल हैं, लेकिन अगर कभी गलत मिनिस्टर आ जाय, चाहे इस पार्टी के हों चाहे दूसरी पार्टी के इससे मेरा मतलब नहीं है, और वह गलत नामिनेशन करने लगे तो इसके लिये क्या रुकावट है, क्योंकि नामिनेटेड मेम्बर को फिर आगे चल कर आप यह कह रहे हैं कि उसको सिर्फ गवर्नमेंट ही रिमूव कर सकती है चाहे वह बोर्ड के तमाम मेम्बरों का विश्वास खो चुका हो, चाहे वे बंध यह देख रहे हों कि इसके कार्यकाल में कार्य ठीक तरह से नहीं चल सकता लेकिन फिर भी, वे उसको हटा नहीं सकते जब तक गवर्नमेंट यह समझे कि वह आदमी माकूल है। तो सारे बंधों के नुमायन्दे एक तरफ और गवर्नमेंट का नामिनेटेड प्रेसीडेंट एक तरफ। नामिनेशन करने से जो हम यह एक ढांचा बना रहे हैं और चाहते हैं कि यह सिस्टम फले फूले वह नहीं हो सकेगा। इसको बहुत सी मुसीबतों का मुकाबला करना है। एलोपैथिक सिस्टम के पास पैसा काफी है, उसको अंप्रेषी सरकार ने बढ़ाया था, हम भी बढ़ा रहे हैं, हम भी उससे इलाज कराते हैं। इन तमाम दिक्कतों का मुकाबला करके यह आयुर्वेदिक सिस्टम कुछ जिन्दा रह पाया है और अब अगर और मुसीबतें पैदा होंगी तो यह सिस्टम बहुत कमजोर हो जायगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस पर गवर्नमेंट अच्छी तरह से विचार कर ले और नामिनेशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, माननीय तेज प्रताप जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं उस दिन नहीं था जब यहाँ नामिनेटेड प्रेसीडेंट के बारे में दलीलें दी गयी होंगी। इस सम्बन्ध में कि नामिनेशन से क्या खराबियाँ हो सकती हैं उसे माननीय गौतमजी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। यह बिल सन् ३९ में बना था और उस समय अंग्रेजी सरकार थी। (एक आवाज—कांग्रेस सरकार ही थी।) तब तो उस गवर्नमेंट ने जो काम किया उसको इस गवर्नमेंट को अपनाना चाहिये। उस समय के जो चेयरमैन थे वे एलेक्टेड होते थे और मैं समझता हूँ कि उस समय की कुछ दिनों की गवर्नमेंट ने जो एक उदाहरण पेश किया उसको हमारी इस समय की गवर्नमेंट को जो कई साल एलेक्टेड प्रेसीडेंट के अनुभव को प्राप्त कर चुकी है मान लेना चाहिये। और यह कमेटी की रिपोर्ट जो इस संबंध में नियुक्त की गई थी और सम्भवतः जिसका चेयरमैन होने का सौभाग्य आप प्राप्त कर चुके हैं अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी ने सिफारिश की है कि चेयरमैन एलेक्टेड हो। अगर कमेटी नियुक्ति की जाती है और उन पर रुपया तथा समय बरबाद किया जाता है तो गवर्नमेंट के लिये यह अत्यावश्यक है कि जहाँ तक हो सके उनकी सिफारिशों को माना जाय। मैं और अधिक न कहकर इस संशोधन का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि जनतांत्रिक प्रणाली के परिपोषण के लिये यह आवश्यक है जहाँ तक नामिनेशन की प्रथा को हटाया जाय वह बहुत ही अच्छा है। इसलिये जो सुझाव माननीय सदस्य ने रखा है वह बहुत ही उचित है और स्वीकृत हो जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जो तेजप्रताप सिंह जी ने संशोधन रखा है मैं चाहता था कि तेजप्रताप जी और गौतम जी के सुनने के बाद मंत्री जी स्वतः खड़े होकर कहें कि हम इसको स्वीकार करते हैं।

श्री अध्यक्ष—आपके सुनने के बाद तक शायद वह रास्ता देखें।

श्री राज नारायण—अब मैं गोसाईं तुलसीदास जी की वाणी को दुहराता हूँ कि “रसरी आवत जातते सिल पर होत निशान।” यानी अगर किसी बात को ठीक तरह से बराबर कहा जाय तो सख्त से सख्त आदमी भी सोचने के लिये बाध्य होगा तो मैं गुप्ता जी से निवेदन करूँगा कि इसमें इतना वजन है कि इसको ठुकराया नहीं जाना चाहिये। माननीय मोईज खां ने जो तर्क रखा, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई सैद्धान्तिक बात नहीं रखी बल्कि एक कानूनी बारीकी को सामने रखा तो वह बारीकी कहीं रास्ते में सामने नहीं आती है और अगर आती तो मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित होने के बाद वह स्वतः संशोधन करने की बात कहते। यह जो :—

“The Board shall consist of the following members (including the President) to be elected by the Board”

अगर यह संशोधन हो जाता है बाईं दी स्टेट गवर्नमेंट तो यह समझ में नहीं आया कि कहां से मोईज खां को भ्रम पैदा हो गया कि इसमें व्यतिक्रम हो जाता है, कहीं नहीं है। यह बिल्कुल ठीक संशोधन है तो हमें इसके सैद्धान्तिक पहलू पर जोर देना चाहिये। आया सरकार सही माने में—अब हम तो इन शब्दों के प्रयोग में ऐसे अभ्यस्त हैं कि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है और भरसक कोशिश करता रहा और कभी कभी तो अध्यक्ष जी की भी भूकृति टेढ़ी हो जाती है और मैं उनके क्रोध का भाजन भी होता हूँ, लेकिन मैं अपना कर्तव्य पालन करने के लिये बाध्य होता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमें शब्दों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिये। अगर सरकार सही माने में जनतंत्र मानती है और जनतंत्र का जो विकेन्द्रीयकरण का उसूल है उसको सरकार चाहती है या नहीं, यदि नहीं चाहती है तो हमेशा के लिये सदन के वाद-विवाद की परिस्थिति बंद कर दी जाय और सरकार की ओर से कह दिया जाय कि हम विकेन्द्रीयकरण की ओर काम करेंगे तो केन्द्रीयकरण का मामला हो जाता है और हम लोग सोचेंगे कि जब जनमत तैयार नहीं होगा और जनचेतना नहीं होगी और सिवाय इसके सरकार

के हटाय बिना काम नहीं चलने वाला है । अब मैं ऐसा समझता हूँ जैसा कि मैंने कल भी संकेत किया । आज एक तो अच्छी बात माननीय गौतम जी ने कही कि विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन और उप निर्वाचन में भी बड़ी धांधली होती है और धांधली ज्यादातर बढ़ती जाती है सरकारी पक्ष की ओर से । यही वाक्य है जो कि माननीय गौतम जी ने कहा । हाँ, एक बात माननीय गौतम जी ने और संकेत में कही कि कांग्रेस के खिलाफ भी धांधली होती है । अगर कांग्रेस के खिलाफ धांधली करने वाले वहाँ होंगे जो कांग्रेस से हटे होंगे ।

श्री अध्यक्ष—यहाँ आप असंगत हो रहे हैं ।

श्री राज नारायण—ठीक है, मैं उधर जाना नहीं चाहता था । अगर श्रीमन्, एक सैद्धांतिक प्रश्न उठता है कि धांधली कौन कर सकता है ? धांधली वही करेगा श्रीमन्.....

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा । धांधली कह दें तो ठीक है, लेकिन धांधली क्यों होती है, वह कौन करता है, यह सब कहना हजार दास्तान है ।

श्री राज नारायण—श्रीमन्, मैं यही कह रहा हूँ कि धांधली वही करेगा कि जिसके पास सत्ता होगी । अब सत्ता अपने हाथ में रख कर सरकार को जब नामिनेशन करने की बात आयेगी तो सरकार की ओर से धांधली होगी और अगर सत्ता में मदांध सरकार है तो उस धांधली की मात्रा और बढ़ती जायगी और अब मैं बिल्कुल अबाध और निर्भीकता के साथ कहना चाहता हूँ, यद्यपि मुझ को डर छू नहीं गया है, निर्भीकता का शब्द तो केवल परिपाटी के लिये कहता है, कि सरकार हर मर्यादा को तोड़ रही है । तो जब सरकार की ओर से जनतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है तो ऐसी हालत में सरकार के हाथ में नामिनेशन का अधिकार दिया जाय बोर्ड के प्रेसिडेंट का, क्योंकि प्रेसिडेंट का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है, मैं उचित नहीं समझता । प्रेसिडेंट बहुत कार्यवाहियों को चलाता है और अब तो श्रीमन्, ऐसे ऐसे भी प्रेसिडेंट हम को देखने में मिले हैं कि जो बिल्कुल ही गलत रूलिंग दिया करते हैं और जब एक बार वह गलत रूलिंग दे देंगे तो हम चाहे उसके लिये लड़ें या और कोई व्यवस्था करें उससे पच्चीसों तरह की अव्यवस्थायें पैदा होंगी । तो मैं हर तरह से निवेदन करूंगा माननीय गुप्त जी से । अगर वह यह बात कह दें कि अब हमारा विश्वास नहीं रह गया है जनतांत्रिक प्रणाली में, सरकार का विश्वास नहीं रह गया है सत्ता के विकेन्द्रीयकरण में, तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन वैसे सरकार के ऊपर प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार के ऊपर प्रान्त के लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने की जिम्मेदारी है । सरकार जिस तरह से चाहेगी बोर्ड को बनायेगी, जिस तरह से चाहेगी जनता के स्वास्थ्य को सुधरवायेगी, चाहे सारे प्रान्त की जनता का स्वास्थ्य जहन्नुम में चला जाय ; यह सही है कि वह नामिनेशन की जिम्मेदारी ले ले, लेकिन इसके साथ ही लोगों को मालूम हो जाना चाहिये और जनता को यह समझ लेना चाहिये कि सरकार की मंशा क्या है । माननीय गुप्त जी से ही मैं निवेदन करूंगा और दूसरे सदस्यों को कष्ट नहीं दूंगा कि जो पहले का यूनाइटेड प्रॉविसेज इंडियन मेडिसिन ऐक्ट है उसमें एलेक्ट्रेड मेम्बर की व्यवस्था थी कि चेयरमैन शैल बी एलेक्ट्रेड बाई दि मेम्बर्स आफ दि बोर्ड । जो चेयरमैन होगा बोर्ड का वह बोर्ड के सदस्यों द्वारा चुना जायगा । इस व्यवस्था को आज परिवर्तित करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है सरकार को । सरकार की ओर से हमारे सामने, इस सदन के सामने कोई ऐसी बात आनी चाहिये थी जिससे कि सदन यह समझ सकता कि एलेक्ट्रेड मेम्बर और नामिनेटेड मेम्बर के कर्तव्य में इतना बड़ा अन्तर होगा कि जिससे अब यह सुविधा होगी और यह असुविधा होगी । मैं कल भी निवेदन कर चुका हूँ और आज भी निवेदन करना चाहता हूँ माननीय गुप्त जी से कि वह तेज प्रताप सिंह जी के संशोधन को मान लें । नामिनेशन की कानून के अंदर गुन्जाइश होने से, चाहे सरकार कितनी ही साधू हो, गड़बड़ होगी इसलिये वह अधिकार ही इतना निरंकुश और अनियंत्रित है । इससे बाधा होगी, दिक्कत होगी और जिस तरह से सरकार चाहेगी बोर्ड को अपने ढंग पर और अपने तरीके पर काम करने के लिये बाध्य करेगी । अपन नामिनेटेड मेम्बरों के जरिये और अपने नामिनेटेड प्रेसिडेंट के जरिये सरकार मनमानी कराना चाहती है । मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता, मगर यहाँ पर संकेत

[श्री राज नारायण]

कर देता हूँ कि पहले भी बहुत गड़बड़ी हुई है और वह गड़बड़ी इसलिये हुई है कि व्यक्ति विशेष सरकार के नजदीक रहते हैं और वह सत्ता के करीब रहते हैं। तो जब एलेक्ट्रेड होने पर व्यक्ति विशेष सत्ता के नजदीक रहने पर मनमाने तरीके पर काम करता है तो जब नामिनेट का अधिकार सरकार को ही जायगा तब तो वह और सत्ता बिलकुल एक में मिल जायेंगे और वह धांधली करेंगे। माननीय मंत्री जी उदारता बरत सकते हैं और सदन को यह आश्वासन दे सकते हैं यदि उनके सामने प्रेसिडेंट की शिकायत करें तो वह कह सकते हैं कि हम जांच करें। मगर यह अधिकार ही क्यों दिया जाय। हमें बराबर यह सरकार की तरफ से बताया जाता है कि जनता भी अपने कर्त्तव्य का पालन करे किन्तु मेरा कहना यह है कि जनता के कर्त्तव्य और अधिकार दोनों होते हैं। जब जनता से सरकार कर्त्तव्य पालन की बात करती है तो सरकार को अधिकार भी जनता को देना चाहिये। जब सरकार अधिकार नहीं रखती है तो उस सरकार से अधिकार लेने के लिये जनता का काम केवल कर्त्तव्य पालन करना नहीं है बल्कि अधिकार प्राप्त करना भी है। इसलिये इस इंडियन मेडिसिन बोर्ड का जो गठन हो रहा है जिस तह से सरकार व्यवस्था कर रही है मैं उसका सख्त विरोधी हूँ कि किसी तरह से भी सरकार प्रेसिडेंट या चेयरमैन को नामिनेट करे। प्रेसिडेंट का एक बोर्ड होगा जिसमें करीब २० सदस्य होंगे। उसमें चेयरमैन को मिलाकर २१ सदस्य होंगे। उस बोर्ड में वेंच चुनकर आयेंगे जो कि अच्छे अच्छे वेंच होंगे। उनको यह अधिकार क्यों न दिया जाय कि जो उनमें प्रतिभाशाली हो उसको वह चेयरमैन बना दें। यह अधिकार उनको न देना जनतन्त्र के अधिकारों का हनन करना है।

इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अपना निवेदन करना चाहता हूँ कि तेज प्रताप सिंह जी के संशोधन को आप अवश्य स्वीकार करें और यदि इस संशोधन को नहीं मानते हैं तो जनतन्त्र प्रणाली पर चलनेवाली इस सरकार को कहना बिलकुल निरर्थक है। जनता को भी अधिकार देने की जरूरत है जिससे वह लाभ उठाये। २१ आदमियों के हाथ में इस अधिकार को देने की जरूरत है। अपने सदर का चुनाव करने का अधिकार देने की सुविधा पूरी पूरी उनको होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक की धारा का विरोध करता हूँ और तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूँ।

† श्री चन्द्रभानु गुप्त (नियोजन मंत्री)—मुझे दुख है कि जो तरीका इस सदन में हमारे साथियों ने सभापति के चुनने के विषय में रखा है मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। इसलिये नहीं कि मैं चाहता हूँ कि सरकार के हाथ में सत्ता रहे बल्कि इसलिये कि मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो आयुर्वेद और तिब्ब को देश में और प्रदेश में उसका स्थान प्रदान कराना चाहते हैं। १९३९ से १९५५ की यदि तुलना की जाय तो मैं यह कह सकता हूँ कि कदाचित् सन् १९३९ से जहाँ तक आयुर्वेद और तिब्ब का सम्बन्ध था और जिस वातावरण में हम उसको रखना चाहते थे आज १९५५ में वह वातावरण बदला है। ५-६ वर्षों में जो प्रगति उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद और तिब्ब ने की है, आज सदन का कोई माननीय सदस्य ऐसा न होगा जो उस प्रगति को मानने के लिये तैयार न हो। वह संभव कैसे हुआ? वह संभव तभी हुआ जब इस सरकार ने इन पद्धतियों को आदर और मान्यता प्रदान करने के लिये वे सब कार्य किये जिससे उनका उत्तरोत्तर आदर और मान्यता बढ़ने लगी। जब सरकार आज इस विधेयक में कोई संशोधन उपस्थित करती है तो यह अनुमान लगाना कि सरकार आयुर्वेद और तिब्ब का विरोध करती है, इसलिये वह संशोधन उपस्थित कर रही है, यह भ्रान्ति किन्हीं सदस्यों के मन में है तो मैं बहुत ही नम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह भ्रान्ति माननीय सदस्यों को अपने मन से दूर कर देनी चाहिये और एक अच्छी चीज के गलत माने न लगाने चाहिये। मैंने कल यह निवेदन किया था कि हमारा उद्देश्य इन तीनों पद्धतियों में, जो आज हमारे प्रदेश में चालू हैं, समानता लाने का है तथा इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करना है कि जिससे उत्तरोत्तर विभिन्न पद्धतियों की मान्यता बढ़ती जाय। अपने

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपस्थित किये हैं वे भी इसी मंशा से भरे हुए हैं। उसी प्रवृत्ति के पीछे हमें ले जाने वाले हैं। प्रदेश में इस सदन के द्वारा एलोपैथी के सिलसिले में एक कौंसिल की स्थापना की गयी है जिसमें एलोपैथी के अतिरिक्त डायरेक्टर आफ हेल्थ सर्विसेज उसके सभापति हैं लेकिन फिर भी वहाँ से आज तक कोई शिकायत इस बात की नहीं आयी कि सरकार ने उस मेडिकल कौंसिल के साथ कोई दुर्व्यवहार, ज्यादाती या अनधिकार चेष्टा की हो या उसके कार्य में हस्तक्षेप किया हो। हाँ, अगर आवश्यकता पड़ती है तो सरकार स्वतः अपने उस सभापति के द्वारा अपने सुझावों को कौंसिल तक पहुंचा देती है। इसी प्रकार होमियोपैथी के बोर्ड का भी निर्माण अभी थोड़े दिन ही हुए हुआ है यद्यपि अभी अपने प्रदेश में होमियोपैथी का विकास भली प्रकार से नहीं हो पाया जितना कि आयुर्वेद और तिब्ब का हो रहा है। इसलिये अगर हमने उसके विकास के लिये भी वही पद्धति अपनाई है तो क्या ज्यादाती की जा रही है। इससे कभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि हम कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं कि जिससे आयुर्वेद के विकास में कोई रुकावट उत्पन्न होगी। आज जो भी कुछ यह सरकार कर रही है वह इसी दृष्टिकोण से कर रही है कि आयुर्वेद और तिब्ब के लिये उत्तरोत्तर मान्यता विज्ञान के क्षेत्र में बढ़े। यह सत्य है कि आयुर्वेद और तिब्ब का आज वह स्थान नहीं है जो आयुर्वेद और तिब्ब के जानने वाले उसको दिलाना चाहते हैं। आज उस स्थान को दिलाने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि हम यह कार्य करें जिसकी मखौल मेडीकल कौंसिल आफ इंडिया न उड़ा सके जिससे वैज्ञानिक कहाने वाले लोग मजाक न उड़ा सकें और इस प्रकार से हम उसकी उत्तरोत्तर प्रगति करना चाहते हैं। यह बात सही नहीं है कि वह आज चुनाव के झमेले में पड़ जाय और प्रत्येक जगह जनतंत्र शासन की पद्धति को चलाया जाय। मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर नियुक्त होता है सारे देश के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की रचना होती है और उन में लोग मनोनीत किए जाते हैं, इसलिए नहीं कि जो लोग आज शिक्षा के क्षेत्र को विस्तृत करना चाहते हैं, जो उसका विकास करना चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष—अभी आप क्या अधिक समय लेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ, अभी तो थोड़ा समय और लूंगा।

श्री अध्यक्ष—तो अब हम उठते हैं, सवा दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आधुनिक ट्रेन्ड ऐसी समस्याओं में जिनका शिक्षा से संबंध रहता है, जिनका संबंध उसके इम्तिहान से और उसके स्टैण्डर्ड इत्यादि से रहता है, उसमें बहुत ज्यादा चुनाव की पद्धति को रखने की तरफ नहीं है। मैं अभी जिक्र कर रहा था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के विषय में अभी केन्द्रीय सरकार ने एक विधेयक के द्वारा ग्रांट्स कमीशन की नियुक्ति के संबंध में पार्लियामेंट के समक्ष यह उपस्थित किया कि उसमें जो उस कमीशन का अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति उसके हाथ में ही रहे यद्यपि यह ग्रांट्स कमीशन ऐटानामस बाड़ी होगा, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं और अन्वेषण और अनुसंधान करने वाली संस्थाओं को वह सहायता प्रदान करेगा। इसी तरह से यह भी जो संस्था हमारे बीच में निर्मित होने जा रही है और उत्तरोत्तर हम उसके स्तर को ऊंचा करने के निमित्त ऐसी कार्यवाही करने जा रहे हैं जिसमें इसके हाथ में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के विषय में निर्णय करने और सलाह देने की बातें हों और इम्तिहान इत्यादि की बातें जो अब तक भी थी, लेकिन उसके स्तर को ऊंचा करने के लिये ऐसे व्यक्ति को यदि हम आज उस ऊंचे स्थान पर बैठायें जब कि एक तरफ इस पद्धति का बाल्यकाल है तो हमें ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिये जिससे उसके स्तर को ऊंचा करने में कोई रुकावट पैदा हो जाय। आप चुने हुये सभापति के लिये कहते हैं कि सदस्यगण सभापति को चुनें। अब इस संस्था को इम्तिहान लेना होगा, शिक्षकों को और इम्तिहान लेनेवालों को नियुक्त करना होगा। ऐसा व्यक्ति जो चुनकर आये उसे बहुत से साथियों को कभी कभी सहायता देनी पड़ती है, उनकी मांगों को स्वीकार करना पड़ता है तो हम समझते हैं कि इसके प्रारम्भिक काल में हमें कोई ऐसी चीज नहीं करनी

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

चाहिये जिससे इसमें कोई बुरी बात उत्पन्न हो जाय। हम जब जसा कि हम विदित कर चुके हैं यह चाहते हैं कि आयुर्वेद और तिब्ब का विकास हो तो हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं हो सकती है जिससे कि ऐसा करने में कोई बाधा पड़े। इसीलिये हमने नम्रता में निवेदन किया कि हम उसी प्रकार से कार्य करना चाहते हैं जिस प्रकार से अब तक बीस पचीस वर्षों में मेडिकल कॉमिशन जो एलोपैथस के लिये नियुक्त किया गया है उसमें कार्य करते हैं। उसमें बहुत ऐसी बातें हैं जिनका सम्बन्ध प्रशिक्षण से होता है और इस संस्था का भी सम्बन्ध आयुर्वेद और तिब्ब के प्रशिक्षण से होगा तो कोई कारण नहीं है कि अगर वहाँ डाइरेक्टर आफ मेडिकल ऐंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज़ अच्छा कार्य कर सकता है तो अपने यहाँ जो डिप्टी डाइरेक्टर आयुर्वेद जो एक वृद्ध होगा उनको यदि नियुक्त कर देगा तो क्या उससे नुकसान हो जायगा। मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी मंशा तो विदित है उन बातों से जो अब तक हम पांच वर्षों से आयुर्वेद के सम्बन्ध में इस प्रदेश में करते रहे हैं या जिन्हें उत्तरोत्तर हम करना चाहते हैं। आगिर को, हमारे वृद्ध लोग चाहते हैं और यह स्वाभाविक है कि उनका स्तर भी अन्य पद्धतियों के बराबर हो जाय। तो जब ऐसी बातें हैं तो किसी इन्फोरियारिटी कम्प्लैक्स में नहीं आना चाहिये और ऐसे विषय में लम्बे लम्बे भाषण जनतंत्रात्मक पद्धति इत्यादि के विषय में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विकास के लिये उसकी प्रगति के लिये हमें यदि कोई ऐसा कदम उठाना पड़ा है तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं करना चाहिये।

मुझे इस बात का दुःख है कि माननीय गौतम जी ने चुनाव पद्धति के सम्बन्ध में कुछ अपने सुझाव यहाँ उपस्थित किये और अपने विचार प्रस्तुत किये, यद्यपि एक मंत्री के नाते उनके समक्ष ऐसे अवसर आये हैं जबकि उन्हें ऐसे कार्य करने पड़े जिनमें उन्होंने चुनाव पद्धति को तोड़ कर अपने प्रदेश में नियुक्तियाँ भी कीं, ऐडमिनिस्ट्रेटर्स भी नियुक्त किये। इसलिये नहीं कि वे सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते थे बल्कि इसलिये कि समय की मांग थी, कार्य करने की ओर प्रगति की मांग थी। हमारे प्रदेश में बहुत से कबाल टाउन्स हैं, जहाँ कि आज ऐडमिनिस्ट्रेटर्स कार्य का संचालन कर रहे हैं। इसलिये कार्य कर रहे हैं कि वहाँ उनके द्वारा हम अधिक मात्रा में इस विकास के कार्य को कर लें जिससे जनता को अधिक लाभ पहुंचे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब हम इस पद्धति को कि सभापति सरकार द्वारा मनोनीत किया जाय मंजूर कर रहे हैं तो कदाचित् इस भावना से मंजूर कर रहे हैं कि डिप्टी डाइरेक्टर आफ आयुर्वेद—जिस प्रकार कि डाइरेक्टर आफ मेडिकल हेल्थ सर्विसेज़ की नियुक्ति करते हैं—उसी प्रकार नियुक्त कर दें तो जो जिम्मेदारियाँ इन संस्थाओं पर डाल रहे हैं कदाचित् वे अच्छी तरह से निभाई जा सकेंगी और आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो यह कहने को उद्यत हो कि आज आयुर्वेद या तिब्ब का विकास बिना सरकार की मदद के हो सकता है बिना सरकार के अनुदानों के हो सकता है, बिना सरकार की सलाह के हो सकता है। सरकार के पास ही ऐसे साधन हैं, सरकार के पास ही वे विशेषज्ञ आसानी से मुहइया हो सकते हैं जो इन तमाम कार्यों का संचालन ठीक तरह से कर सकते हैं। इसके ये मानी नहीं हैं कि सरकार के बाहर हमारे जो आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वे उत्तरोत्तर प्रगति नहीं करते जा रहे हैं। मैं इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें जनतंत्रात्मक प्रणाली के विषय को उठा देना कोई बहुत दूरदर्शिता की बात नहीं है और न कोई आवश्यकता की बात है। जरूरत का आज तकाजा यह है कि हम इस तरह से इस संस्था को निर्मित करें जिससे कोई कुरीति उत्पन्न न होने पाये, जिससे कार्यभार और कार्य संचालन सुगमता से चलता रहे। इसीलिये हमने इसमें सभापति के मनोनीत करने की नीति को अपनाते की बात रखी है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार ऐसी कार्यवाहियों में जिनका सम्बन्ध आयुर्वेद के विकास से है, उसकी प्रगति से है, जब तक कि वह कार्य उस पद्धति में रोड़ा अटकाने वाला नहीं है न कोई हस्तक्षेप करना चाहती है न आयुर्वेद करेगी और न कभी किया है। उसका एक ही ध्यान इन ५-७ वर्षों में रहा है कि हम इस विज्ञान को किसी न किसी प्रकार उस समता तक पहुंचाने में समर्थ हो सकें जिस समता का प्रदर्शन वे व्यक्ति करते हैं जो इस विज्ञान से थोड़ा बहुत परिचित हैं, जो इसी सिस्टम के हैं और जो इसको विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। मेरी सारी मंशा इस विषयक को इस सदन के समक्ष उपस्थित करने की यही है। यदि हमने भिन्न-भिन्न संशोधन

उपस्थित किये हं वे भी इसी मंशा से भरे हुए हैं। उसी प्रवृत्ति के पीछे हमें ले जाने वाले हैं। मैं इसलिये नम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव की पद्धति के तिलसिले में जो प्रश्न उठाया गया है, वह यहां न उठाया जाय और जो सरकार ने विधेयक में संशोधन करके विचार करने के हेतु चीज रखी है उसे सदन को स्वीकार करनी चाहिये क्योंकि उसी के द्वारा हम कश्चित् आयुर्वेद का विकास कर सकेंगे और उसको उस स्तर तक पहुंचाने में समर्थ हो सकेंगे, जहां हम में से हर एक उसे पहुंचाने की चेष्टा करना चाहता है। मैं इन चन्द शब्दों के साथ उस संशोधन का विरोध करता हूं जो श्री तेज प्रताप सिंह जी ने सदन के विचारार्थ उपस्थित किया है।

श्री तेज प्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय गौतम जी ने और माननीय राजनारायण सिंह जी ने और हमारे भाई जोरावर जी वर्मा ने काफी प्रकाश डाल दिया है और काफी इस चुनाव पद्धति के बारे में समझाने की चेष्टा की है। मैं इस विषय में ज्यादा समय इस सदन का लेना नहीं चाहता हूं।

हमारे अब्दुल भोईज साहब ने एक प्रश्न उठाया था कि हमारा यह संशोधन तो लाया ही नहीं जा सकता है क्योंकि बोर्ड को जिस तरीके से संगठित किया गया है उसमें प्रेसीडेंट को अलग से हम चुनाव के द्वारा नहीं ला सकते हैं। मेरी समझ में उनकी इलील नहीं आयी क्योंकि जैसी कि व्यवस्था चुनाव द्वारा होने जा रही है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई बन्धन नहीं है कि बोर्ड के तमाम सदस्य अपने उस प्रेसीडेंट को न चुन सकें। वह प्रेसीडेंट बाहर का भी हो सकता है और मेम्बरों में से भी एक हो सकता है। इसलिए बोर्ड के संगठन में कोई त्रुटि नहीं पैदा होती है। रहा, जहां तक सिद्धांत की बात है माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया कि ग्रान्ट्स कमेटी और भी भिन्न कमेटियां, जैसे मेडिकल काउंसिल है, उन सब में पद्धति जो रखी गयी है वह नामजदगी की रखी गयी है और केवल इसीलिए इस बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन में भी इसी पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। दूसरी यह बात कही कि एलोपैथ्स या जो पाश्चात्य पद्धति पर विक्रित्सा करते हैं, वे लोग हमारे वैद्यों और हकीमों का मखौल उड़ाते हैं। मेरा ख्याल है कि मखौल तो उड़ाते हैं यों कह कर कि यह पद्धति अनसाइंटिफिक है। पुराने ढर्रे पर चली आ रही है। इनमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारी यह पद्धति बहुत ही वैज्ञानिक है और हमारे सभी माननीय मित्र स्वीकार करते हैं कि हमारी पद्धति चाहे वह यूनानी हो या आयुर्वेदिक हो वह वैज्ञानिक आधार पर ही आधारित है। हां, एक बात जरूर है जैसा कि मंत्री जी कहते हैं कि हमने इस पद्धति को समुन्नत करने के लिए काफी कदम उठाये हैं। १९४७ से आज तक बराबर ऐसे कदम उठाते रहे हैं जिससे यह सम्मुनत हो सके और प्रतिष्ठा पा सके। मैं समझता हूं कि केवल विधेयक लाकर या बोर्ड के संगठन को एक खास रूप दे कर के हम इस पद्धति की कोई विशेष उन्नति नहीं कर सकते हैं। उसकी उन्नति के लिए तो हमें एक अच्छे ढंग से उसमें पैसा लगाना होगा। आप देखते हैं कि पाश्चात्य पद्धति, यानी एलोपैथिक पद्धति साइंटिफिक इसलिए है कि उसके अन्वेषण चलते हैं। क्या आयुर्वेद और यूनानी पद्धति के लिए आपने पैसा खर्च करके कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला है। इसका उत्तर है—नहीं खोला गया है। इसकी बहुत आवश्यकता थी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बहुत बड़ा खोला है। सारी इंडियन मेडिसिन्स पर रिसर्च कर रहा है।

श्री तेज प्रताप सिंह—वह तो ड्रग्स के लिए है। उसमें जड़ी बूटियों की रिसर्च की जाती है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह बहुत बड़ी चीज है।

श्री तेज प्रताप सिंह—वह बड़ी चीज जरूर है। लेकिन साथ साथ इसकी महत्ता नहीं घटती है, जिस प्रकार किंग जार्ज मेडिकल कालेज के साथ में असोशिएटेड हास्पिटल है, उस प्रकार से आपको आयुर्वेद का कालेज खोलना चाहिए था और उसके साथ-साथ एक हास्पिटल भी एसोसियेट करना चाहिये था, जिसमें कि मरीजों पर वैद्यक और

[श्री तेज प्रताप सिंह]

हिकमत के जरिये से उन पर अन्वेषण किये जाते और छानबीन की जाती कि कौन सी दवा किस प्रकार से कारगर होती है। यह चीज अभी तक नहीं खोली गयी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आयुर्वेद का एक कालेज खोला गया है।

श्री तेज प्रताप सिंह—वह जो कालेज खोला गया है उसकी ऐसी बुद्धि है कि उसके शिक्षार्थी एम० बी०, बी० एस० उपाइन करना चाहते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब इसका हम क्या करें। यह तो विद्यार्थियों पर निर्भर करता है।

श्री तेज प्रताप सिंह—यह तो नेताओं का मे समझता हूँ दोष है, नवजवानों का नहीं है अगर मुझे इजाजत दी जाय। आपने उस प्रणाली यानी एलोपैथिक को इतनी महत्ता दे रखी है, उनका मान है, प्रतिष्ठा है। लेकिन जो हमारे ऐसे नवयुवक हैं वे वास्तव में नहीं समझ पाते हैं, हम मान किस तरह पायेंगे। आयुर्वेदाचार्य ही जायें तो उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि कुछ गजटेट पोस्ट कर दी गई। इससे पद्धति को क्या फायदा हो गया। तो मे समझता हूँ कि खैर कमेटी ने जो नाम बानें रखी थीं, इस पद्धति की उन्नति के लिये उनमें से एक केवल इतना संशोधन लाये हैं कि हम बोर्ड को रीकास्टीट्यूट कर दें और फैकल्टी क्रीयेट कर दें। निर्फ यह दो संशोधन उसमें आये पास तौर से। बाकी उसके लिये फंड्स का कोई एलाटमेंट अलग से नहीं है, इस मात्रा में जिससे कि उसकी तरक्की अच्छे तरीके से हो सके।

अब रहा इस संशोधन की ओर मे ध्यान जरूर दिलाया चाहता हूँ फिर से कि हम प्रेसीडेन्ट को नामजदगी के द्वारा न करें, नामिनेट न करें, बल्कि उसे बोर्ड के सदस्यों के ऊपर छोड़ दें ताकि वे अपना प्रेसीडेन्ट चुन सकें जिस पर उनका विश्वास है, जिसकी वे समझते हैं कि वह इस पद्धति के बारे में अच्छा ज्ञान रखता है और उसको भली भाँति आगे बढ़ा सकता है। आजकल सभी चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार हम सत्ता को प्राप्त कर सकें, जबकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमने स्वीकार कर लिया है तो सभी की इच्छा स्वभावतः हो जाती है कि वह अधिकार प्राप्त कर सके। आप मनोनीत जब करेंगे तो उससे यह दिक्कत पैदा होगी, लोग जब किसी प्रकार से उस पद पर नहीं पहुँच सकेंगे तो चाहेंगे कि सरकार ही बदल दी जाय और बराबर उनका यह प्रयास रहेगा कि केवल लेजिस्लेचर में पहुँच करके ही हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। उचित यह था कि छोटे छोटे दायरे में ऐसी जो संस्थायें हैं, जो बोर्ड्स हैं, उनको चुनाव के द्वारा ही संगठित करने की बात छोड़ देनी चाहिये थी, उनका दायरा भी सीमित हो जाता, वह अपना चुनाव करतीं और उनका दायरा सीमित हो जाता और उनकी दिलचस्पी इस ओर न जाती कि इस बड़ी सत्ता को हम हथिया लें। आप इन सब चीजों को नामजदगी के द्वारा करेंगे तो लोग एक ही इलाज ढूँढ़ेंगे, सारे प्रदेश में यह भावना फैलेगी कि हम अब केवल मूल सत्ता पर पहुँचें। जब तक हम उस असली सत्ता को प्राप्त नहीं करते हैं

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उसमें कमी नहीं है वह आज भी है।

श्री तेज प्रताप सिंह—नहीं। छोटे छोटे बोर्डों में, जिनका दायरा सीमित है, चाहे होम्योपैथी का बोर्ड हो, चाहे आयुर्वेद का हो, इनमें क्यों हम राजनीति को पहुँचायें। वे लोग सन्तुष्ट हो सकते थे, अपना काम ठीक तरह से चलाते। उसमें गवर्नमेंट इन्टरफीयर न करे। लेकिन जब इन्टरफीयर करने लगेंगी तो बराबर उनका ध्यान इस ओर जायगा कि जा करके हम लेजिस्लेचर में अपना बहुमत प्राप्त करें और तभी हम आयुर्वेद या यूनानी पद्धति को बढ़ा सकते हैं, समुन्नत कर सकते हैं। यह एक विशेष कारण है जिससे मे समझता हूँ कि हमें इस बोर्ड के प्रेसीडेन्ट को चुनाव द्वारा ही मनोनीत करना चाहिये।

में समझता हूँ कि हमारे मन्त्री जी इन सब बातों को सुन करके अवश्य ही हमारे तर्क स्वीकार करेंगे और जैसा कि मैंने संशोधन रखा है उसको जरूर स्वीकार करेंगे।

श्री इन्द्राणी—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है इस सम्बन्ध में और न माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने कोई नयी क्लील ही दी है, सिवाय इसके कि

चुनाव हो, यह तो नहीं हो सकता। बहरहाल, विधान के अन्दर भी कुछ सीमा रखी गयी है, चुनाव कमीशन होगा। जुडिशियरी होगी। इस तरह से चुनाव का एक अपना महत्व है। एक रिडकुलर एण्ड तक उसको खींचना मुनासिब नहीं मालूम होता। उमोक्रेसी कोई मजहब नहीं है कि उसको एक जगह खींचने की कोशिश की जाय। तो जैसा कि अभी स्वास्थ्य मन्त्री जी ने बतलाया कि अगर कोई विशेषज्ञ है और उसकी वहाँ जरूरत है तो उसको नामिनेट कर दिया प्रेसीडेन्ट। इस तरह से इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। मुझे खेद है कि माननीय तेज प्रताप सिंह जी को संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) के भाग (i) को निम्नरूप में रख दिया जाय :—

“a President to be elected by the members of the Board”.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री नारायण दत्त तिवारी—(जिला नैनीताल)—श्रीमन्, एक संशोधन में प्रस्तावित करना चाहता हूँ। और वह यह कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य में “to be elected or nominated as the case may be” के स्थान पर शब्द “to be nominated under clauses (ii), (iv) and (v).” रख दिये जायें।

श्री उपाध्यक्ष—यह सूचना आप दे चुके हैं या नहीं।

श्री मदन गोगाळ वैद्य (जिला फैजाबाद)—इस प्रस्ताव पर सूचना मेरे नाम से है।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो संशोधन पर संशोधन है।

श्री जगन्नाथ शर्मा—इस वक्त तो क्लॉज ५ चल रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—तो खंड ५ ही में तो मैं भी रख रहा हूँ। श्रीमन्, आप धवस्था कर दें तो ज्यादा उपयुक्त हो।

श्री उपाध्यक्ष—आप एक बार उसको और पढ़ें जरा।

श्री जगन्नाथ शर्मा—वह आपके पास उसकी एक कापी तो है। क्यों नहीं उसे ले कर पढ़ लेते।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे आज्ञा दी जाय इस प्रस्ताव को पेश करने की।

श्री उपाध्यक्ष—इनासी वाक्य जी, जो नाम ने कुछ संशोधन आये है और उनके बाद में शायद यह लिया जा सकता है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—यह पांचवें खंड के अंदर में भी तो संशोधन पेश कर चुका हूँ। माननीय नारायण दत्त जी का संशोधन तो उसी पर है और वह संशोधन जो उन्होंने पेश किया है, वह उसी सिलसिले में है। मैं समझता हूँ उसको तो लिया जाना चाहिये था ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वाक्य नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय नारायण दत्त जी पेश करें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्,

(कई आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय बनारसी दास जी, क्या अपना संशोधन पेश कर चुके हैं?

श्री बनारसी दास—जी हां, मैं तो पहले ही पेश कर चुका हूँ, अध्यक्ष महोदय के सामने । उस पर तो माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने अपना संशोधन पेश किया । अब माननीय नारायण दत्त जी पेश कर रहे हैं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मुझे एक चीज कहनी है । आप बिल को देखें तो जो संशोधन चल रहा था, वह उपखंड (१) में चल रहा था, प्रेसीडेंट के बारे में । जब वह खत्म हो जायगा, तो यह आ सकता है । अभी प्रेसीडेंट वाला तो खत्म ही नहीं हुआ, श्रीमन् ।

श्री उपाध्यक्ष—इस तरह तो आपका संशोधन आना चाहिये ।

श्री बनारसी दास—मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जबकि सदन ने अभी तेज प्रताप जी के संशोधन को नहीं माना है तो जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन पर यहाँ बहस नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह उसको दूसरे शब्दों में रखकर पेश करना चाहते हैं । यह लिखा है, "फ्राम दि एलेक्टेड मेम्बर्स" ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैं समझता हूँ कि उसमें एक शब्द छूट गया है "एमंग" अब, यह इस तरह है कि "फ्राम एमंग दि एलेक्टेड मेम्बर्स" । मैं यह कहाँ कहता हूँ कि चुना जायगा बल्कि जो चुनकर आयें उनमें से नामिनेट करें ।

श्री उपाध्यक्ष—आप पेश कीजिये ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैं पेश करता हूँ कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) के भाग (i) के अन्त में शब्द "from amongst the elected members" बढ़ा दिये जायें ।

श्रीमन्, मेरा यह जो संशोधन है, यह तो हाउस ने रिजेक्ट कर दिया । मैं तो इस राय का था कि जो चैयरमैन या प्रेसीडेंट होना चाहिये वह चुना हुआ होना चाहिये, लेकिन इस सदन ने उसको नामन्जूर कर दिया और अब सदन सरकार को यह अख्तियार देने जा रहा है कि नहीं वह नामिनेटेड हो । तो ठीक है, नामिनेटेड हो, लेकिन सरकार जो लोग चुनकर आवे, जैसे कि ३, ४, ५, ६ जो इसकी उपधारयें हैं, उनमें से जो लोग चुनकर आवें, उन्हीं में से नामिनेट करे, किसी बाहरी व्यक्ति को नामिनेट न करे । इससे मतलब यह है कि जितने लोग आयें उन्हीं में से लिया जाय तो कम से कम चुना हुआ व्यक्ति तो रहे । उसमें सब लोग होशियार रहेंगे, कोई यनिवर्सिटी से आयेंगा, कोई किसी मेडिकल संस्था से आयेंगा, अच्छे-अच्छे वैद्यों और हकीमों में से आयेंगे, तो इसमें सरकार को न मानने की कोई बात समझ में नहीं आती । और अगर सरकार इसको मान लेगी तो एक चीज यह हो जायगी कि वहाँ लोगों को सन्तोष रहेगा कि हम में से जो कि चुनकर आये है, चयनमान बनाया गया । दूसरी बात यह है कि सरकार ने इस सिद्धांत को अपने अधिनियम में मान लिया कि जब गांव सभाओं के चेयरमैन चुन लिये जायेंगे तो सरकार की तरफ से जो न्याय पंचायत बनेगी वह उन्हीं चुने हुए लोगों में से नामिनेट किये हुये लोगों की बनेगी । तो मैं नहीं समझता कि इसके मानने में क्या हर्ज होगा । मैं आज्ञा करता हूँ कि माननीय मन्त्री जी मेरे इस संशोधन को जरूर मान लेंगे ।

श्री बनारसी दास—उपाध्यक्ष महोदय, जबकि पहले इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि ५ सदस्यों को सरकार भी नामिनेट करेगी, तो उसमें यह कहना कि एलेक्टेड सदस्यों में से सरकार किसी को प्रेसीडेंट नामिनेट करे, तो यह कोई न्यायसंगत नहीं मालूम पड़ता है ।

तो पहले ही इस विषय पर काफी विस्तार के साथ कहा जा चुका है कि यहां कोई अधिकारों के लेने का प्रश्न नहीं है। देखना यह है कि इस पद्धति की प्रगति किस प्रकार से हो सकती है। तो यदि किमी नामिनेटेड व्यक्ति के द्वारा इस विज्ञान की प्रगति हो सकती है तो इस समय इस विधेयक में इसको नीमित करना ज्यादा उचित नहीं मालूम पड़ता है। इसलिये मुझे बड़ा खेद है कि इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थता मालूम होती है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख है कि सरकार इस संशोधन को भी नहीं मानती। श्रीमन् आप देखे कि एक संशोधन आया हुआ है वहां सरकार डिस्ट्रिक्टमिनेशन कर रही है। तो मैंने कहा कि शायद सरकार की यह पगलिसी हो तो चलो हम भी डिस्ट्रिक्टमिनेशन कर दे, यहां। अगला मेरा संशोधन पेश हो चुका है इस सदन के समक्ष

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, माननीय सदस्य से आशा यह की जाती है कि जो मैंने कहा उसका वह उत्तर दे। क्या अगला संशोधन है उस पर फिर विवाद चलेगा इस समय उस पर विवाद करने की आवश्यकता नहीं मालूम होती।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैं जवाब ही तो दे रहा हूं और मैं कर क्या रहा हूं। उन्होंने तर्क यह पेश किया कि डिस्ट्रिक्टमिनेशन नहीं करना चाहिये। ठीक है, हम भी नहीं चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्टमिनेशन हो। लेकिन यह सरकार ही डिस्ट्रिक्टमिनेशन करती है और करती कैसे है कि आगे चढ़ कर जो कि एक मेरा संशोधन उपस्थित किया गया है उसमें सरकार यह चाहती है कि जो एलेक्टेड मम्बर हों, उनको तो बोर्ड अलाहिदा करे और जो नामिनेटेड मम्बर हों उनको सरकार अलाहिदा करे। तो यह डिस्ट्रिक्टमिनेशन तो सरकार ही करती है। अगर आप ऐसा कह दें कि "from amongst its members elected or nominated" तो हमको उसको भी मानने में कोई एतराज नहीं है, हम तैयार हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार कम से कम एक सिद्धांत पर तो चले। वह तो जहां जैसा हिसाब बैठ रहा है वहां वैसा सिद्धांत खट से बना लेती है। कहीं डिस्ट्रिक्टमिनेशन का सिद्धांत बना लेती हैं और कहीं कहती हैं कि डिस्ट्रिक्टमिनेशन नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि जरा इसकी सफाई माननीय मन्त्री जी करें। अगर सरकार एलेक्टेड और नामिनेटेड दोनों चाहती है तो यह उन्हीं मम्बरों में से होना चाहिये। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार इसको स्वीचेगी और मेरे संशोधन को स्वीकार करेगी।

श्री बनारसी दास—जैसा मैंने कहा आगे भी कोई डिस्ट्रिक्टमिनेशन का सवाल नहीं है। जब उस खंड पर विचार होगा उस वक्त मैं निवेदन करूंगा। जहां तक माननीय मल्ल साहब इसको मानने के लिये तैयार हैं कि इसमें नामिनेटेड या एलेक्टेड रख दिया जाय तो उससे उनका प्वाइंट पूरा नहीं होता। मान लीजिये अगर सरकार किसी को बनाना चाहती है तो नामिनेटेड में उनको रख सकती है। तो इससे तो बोर्ड और सीमित हो जायगा। इसलिये ज्यादा उचित यही मालूम पड़ता है कि जिस प्रकार से सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है, प्रेसीडेंट की नियुक्ति के बारे में उसको उसी रूप में स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) के भाग (i) के अन्त में शब्द "from amongst the elected members" बढ़ा दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सदन गोपाल वैद्य—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) के प्रतिबंधात्मक वाक्य में शब्द "Under clause (ii) to (v)" के स्थान पर "Under clauses (ii), (iv) and (v)" रख दिया जाय।

[श्री मदन गोपाल वैद्य]

जो संशोधन माननीय मन्त्री जी की ओर से आया है मैं उसका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने सिद्धांत मान लिया है कि बोर्ड में हकीम या वैद्य ही आने चाहिये। लेकिन कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के आधार पर मैं यह संशोधन उपस्थित कर रहा हूँ। जिन यूनिवर्सिटीज के अन्दर आयुर्वेद की फ़ैकल्टी है, उसमें से दो यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, जो केन्द्रीय सरकार के मातहत हैं और प्रांत का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है और कहीं-कहीं यूनिवर्सिटीज में ऐसी परम्परा है कि वहाँ हर एक फ़ैकल्टी के नुमाइन्दे चुनते हैं और जब रिप्रिजेंट करना होता है तो वे करते हैं। इस तरीके से उसमें और उनमें असंगति आ जाती है।

इसके अलावा यूनिफारमिटी की बात है और जो नुमाइन्दे बोर्ड आफ मेडिसिन में जाते हैं उनका फ़ैकल्टी से चुनाव न होकर कौंसिल से होता है। इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि वह डाक्टर ही हों। इसी प्रकार से इंडियन मेडिकल ऐक्ट में जो नुमाइन्दे जाते हैं उसमें प्रतिबन्ध नहीं है इसलिये एकरूपता लाने के लिये और व्य व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूँ।

श्री बनारसी दास—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) में प्रतिबन्धात्मक वाक्य में शब्द “under clauses (ii) to (v)” के स्थान पर “under clauses (ii), (iv) and (v)” रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन पेश कर चुका हूँ और इसके बारे में निवेदन भी कर चुका हूँ। अब मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

“5. (1) The Board shall consist of the following members (including the President):—

(i) A President to be nominated by the State Government,
(ii) Five members to be nominated by the State Government,
(iii) One member each from a University established by Law in Uttar Pradesh and having a Faculty concerned with the Ayurvedic or Unani Tibbi System of Medicine, in the manner prescribed by the Faculty,

(iv) Two members representing Ayurvedic Educational Institutions of Uttar Pradesh, to be elected, in the prescribed manner, by the teachers of such Institutions as are affiliated to the Board,

(v) One member representing Unani Educational Institutions of Uttar Pradesh, to be elected, in the prescribed manner, by the teachers of such institutions as are affiliated to the Board, and

(vi) Nine members (6 Vaidas and 3 Hakims) to be elected in the prescribed manner, by the registered Vaidas and Hakims respectively of Uttar Pradesh:

Provided that the President and every member to be elected or nominated, as the case may be, under clauses (ii), (iv) and (v) shall be from amongst the registered practitioners.

(2) The Board shall elect one of its members to be the Vice-President.”

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, इस खंड ५ में अभी बहुत से अमेंडमेंट हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह तो पास हो गया।

श्री बनारसी दास—इसमें जो अमेंडमेंट थे, वह पहली धारा पर थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जब यह संशोधित धारा ५ पेश कर दी गई तो उस संशोधित धारा ५ में जो अमेंडमेंट आ सकते थे, वही लिये जा सकते थे और पुरानी धारा ५ पर, जो अमेंडमेंट थे वह तो अपने आप उस धारा के नये सिरे पर पेश हो जाने की वजह से खत्म हो गये। अब चूंकि नई संशोधित धारा ५ इस विधेयक का अंग बन गई है, इसलिये किसी संशोधन को लेने की आवश्यकता नहीं रही।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूँ। धारा ५ पास हो गयी है तो ठीक है लेकिन हम लोगों के संशोधन कहां जायेंगे। हबहू वही चीज हुई है और खाली प्राविजो बड़ा दिया गया है। सारे पहले के संशोधन इसमें आ सकते हैं और वह सब इस धारा के मातहत है। माननीय पार्लियामेन्टी सेक्रेटरी जी बतला दें कि कौन ऐसा अमेंडमेंट है कि जो इसमें फिट नहीं करता।

श्री बनारसी दास—यदि कोई ऐसी आपत्ति माननीय सदस्य को थी तो जिस समय प्रश्न उपस्थित किया जा रहा था उसी समय उसको उपस्थित किया जाना चाहिये था। लेकिन अब तो वह खंड ले लिया गया और इसलिये अब कोई संशोधन नहीं आ सकता। माननीय सदस्यों को इस प्रकार की आपत्ति उठाने का ख्याल खंड पास हो जाने के बाद आया।

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि यह खंड अब पास हो चुका है इसलिये अब इममें किसी संशोधन के लिये स्थान नहीं है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं आपसे इतनी ही दरखास्त करूंगा कि अगर आप ध्यान पूर्वक आदेश देने की कृपा करें, तो अच्छा होगा। जब हमारा संशोधन था तो आपने कह दिया कि नया खंड ५ आ जाना चाहिये और जब नया खंड आ गया तो आपने व्यवस्था दी कि हमारे सारे संशोधन समाप्त कर दिये गये।

श्री उपाध्यक्ष—पहले मुझे कहा गया कि संशोधन उपस्थित नहीं किया गया है। जब मुझे मालूम हुआ कि यह संशोधन आ गया है तो मैं आपके संशोधन की इजाजत कैसे दे सकता हूँ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आपने हमारे संशोधन की इजाजत नहीं दी।

श्री उपाध्यक्ष—आपने कहा था कि माननीय मदनगोपाल जी का और मेरा संशोधन एक है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो संशोधन मैंने पेश नहीं किया वह कसे पेश हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष—ऐसा समझा गया कि उससे यह ठीक हो जायगा और इसलिये उसकी इजाजत दे दी गयी थी और उसके लिये कोई एतराज नहीं लिया गया।

श्री बनारसी दास—मैं खंड ६ में अपना एक संशोधन पेश करना चाहता हूँ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, इसमें मेरा संशोधन पेश किया जा चुका है। यह उसक बाद ही आना चाहिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्बोध नहीं किया।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि मेरा एक संशोधन खंड ५ में है।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो समाप्त हो चुका है।

श्रीमती चंद्रवती—मेरा संशोधन बड़ी अहमियत का था और उसको आपने एलाउ नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—अब क्या किया जा सकता है। आपने पहले कोई एतराज नहीं किया।

खंड ६ (क्रमागत)

श्री बनारसी दास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड

श्री जगन्नाथ मल्ल—प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। जब मेरा संशोधन पेश हो चुका है तो पहले उस पर बहस होनी चाहिये। खंड ६ में मेरा संशोधन जो पेश है उस पर बिना बहस हुय और बिना उस पर वोट लिये नये संशोधन को आप कैसे ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—पहले उसका लेना निश्चय हो चुका है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मेरे संशोधन पर बहस जारी है, उस पर बहस खत्म हो जाय तो दूसरा लिया जा सकता है।

श्री बनारसी दास—पहले यह आदेश दिया गया था आज नया खंड ५ पेश होगा और उसके बाद जो दूसरे कांसिक्वेशियल अमेंडमेंट्स हैं, वह पेश किये जायेंगे। सुबह जिस समय माननीय मौर्य जी बोल रहे थे तो, उनके दौराने तफरीर में माननीय अध्यक्ष ने यह आदेश दिया था कि पहले ५वां खंड पेश होगा और उसके बाद जो कांसिक्वेशियल अमेंडमेंट होंगे वह पेश होंगे। इसलिये मैं इसको पेश कर रहा हूँ। इसके बाद जो ६ का हिस्सा है वह पेश होगा, तब उस पर बहस हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—जो अमेंडमेंट जगन्नाथ मल्ल जी का है उस पर बाद को विचार हो जायगा। इस अमेंडमेंट के आ जाने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अध्यक्ष महोदय इस व्यवस्था को कर चुके हैं।

श्री बनारसी दास—यह व्यवस्था कल की जा चुकी है और आज भी यह व्यवस्था हुई है, जबकि ५ पर विचार हो रहा था। अगर ५ खंड पास हो गया तो उसके बाद कांसिक्वेशियल अमेंडमेंट नहीं आ सकते। तो यह ५वीं धारा का कांसिक्वेशियल अमेंडमेंट है जो आ नहीं सकता है। उसके बाद दूसरा संशोधन जिस पर मौर्य जी बोल रहे थे, उसके लिये कहा था कि इसको बाद में लिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय अपना निर्णय दे चुके हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—प्वाइन्ट आफ आर्डर, मेरा यह कहना है कि आपका जो संशोधन है वह ६-ए में है और मेरा संशोधन ६ में है, तो जब तक ६ खत्म नहीं होगा, तब तक ६-ए नहीं आ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूँ जिस प्रकार की व्यवस्था हो चुकी है, उसका पालन करना ठीक होगा। उनको इजाजत दे दी गयी है तो पहले उनका संशोधन पेश होगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—सहूलियत के लिये दोनों संशोधन पर बहस न हो तो मेरा निवेदन यह है कि पहले आपका संशोधन आ जाय और उस पर बहस हो जाय और उसके बाद बनारसी दास जी के संशोधन पर बहस हो जाय। दोनों साथ-साथ तो नहीं लिये जा सकते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बनारसी दास—उनको संशोधन पेश करने में दिक्कत होगी। पहले यह संशोधन पेश हो जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय का निर्णय हो चुका है, जबकि मौर्य जी बोल रहे थे। ५ खंड पर उनका निर्णय हो चुका है। तो वही ६-ए के विषय में भी लागू है। पहले यह हो जाय तो बाद को मल्ल जी के ६ पर बहस हो सकती है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या दोनों पर साथ-साथ बहस हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—दोनों पर नहीं हो सकती है।

श्री बनारसी दास—फिर भी इसके लिहाज से पहले इसको लेना आवश्यक है, क्योंकि इसके संशोधन बाद को आयग। ऐसा निर्णय हो चुका है कि कांसिक्वेशियल जो होंगे वह बाद को आयग। सबरे यह निर्णय हो गया है। मौर्य जी की बहस भी उस पर पूरी नहीं हुई थी। तो उसी क्रम से आना चाहिये। पहले मैं पेश कर दता हूँ फिर वही बहस का सिलमिला जारी रह सकता है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं माननीय बनारसी दास जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस समय चेअर के हाथ मजबूत करें और अपने संशोधन को थोड़ी देर के बाद प्रस्तुत करें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैं ममज्ञता हूँ माननीय सदस्य को इसके पेश किये जाने में कोई आपत्ति न होगी और जैसा पहले से चल रहा है वैसा ही चले।

श्री बनारसी दास—जैसा आपका आदेश हो।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, इस पर बोलते हुये माननीय मन्त्री जी ने केवल एक सिद्धांत रक्खा

श्री बनारसी दास—उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य अपना जवाब दे रहे हैं?

श्री जगन्नाथ मल्ल—जी हाँ, जब कोई बोलने खड़ा नहीं हुआ तो मैं जवाब दे रहा हूँ।

श्रीमन्, उन्होंने एक ही सिद्धांत रक्खा कि जो जिसके द्वारा चुना जाता है वह उसी के द्वारा हटाया जाना चाहिये। तो सरकार का जो अमेंडमेंट है वह इस प्रकार है कि प्रेसीडेंट केवल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही हटाया जाना चाहिये। और इसमें जो मेरा संशोधन है वह इस प्रकार से है कि प्रेसीडेंट के खिलाफ नो कानफीडेन्स का मोशन पास होना चाहिये और वह भी इस प्रकार से होना चाहिये कि उसके पक्ष में आधे से अधिक मेंबर हों। उसी समय नो कानफीडेन्स का मोशन पास हुआ माना जायगा। लेकिन सरकार ने केवल एक ही चीज और एक ही सिद्धांत बताया। सरकार की ऐसी हमेशा से आदत है कि जैसा वह चाहती है उसी प्रकार से सिद्धांत को बताती है। तो इस समय एक ही सिद्धांत पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जो जिसके द्वारा चुना जाय उसी को यह अधिकार होना चाहिये कि वह उसको हटाये। अगर वे इस सिद्धांत को हमेशा के लिये ऐसे ही मान लें तो मैं अपने संशोधन को वापिस लेने के लिये तैयार हूँ और सरकार के संशोधन को मैं मान लूँगा, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपल ऐक्ट में सरकार ने प्रेसीडेंट या बोर्ड को हटाने के लिये अपने ही हाथ में पावर ले रखी है। क्यों साहब, उनको यह पावर कहाँ से आ गयी? उनको चुनन वाली ताँ जनता है फिर हटाने वाले वे कौन हो गये। वहाँ पर क्यों वे इस सिद्धांत को मानत ह? हर कानून में सरकार अपने हाथ में पावर लेने की सोचती है और जहाँ जैसा बैठता है वैसा ही सिद्धांत खड़ा कर देती है। पिछले ऐक्ट में भी यह साबित हो चुका है कि जो लोग चुनत हैं उन्हीं को हटाने का अधिकार नहीं है। पिछला जो ओरीजनल ऐक्ट है अगर आप उसको देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसमें चेअरमैन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

चुना जाता था और हटाने का अधिकार सरकार को था। उस समय माननीय मन्त्री-जी का सिद्धांत कहा गया? श्रीमन्, इसी तरह से उनके दो किस्म के सिद्धांत हैं। ओरीजनल ऐक्ट में दिया हुआ है कि बोर्ड के चुने हुये प्रेसीडेंट को हटाने का अधिकार सरकार को होगा यहां पर उसी पुराने ऐक्ट में दिया है। यहां तो सरकार हमेशा अपने सिद्धांत को मनवाने का प्रयत्न करती है और एक-एक बात करती है। मैं समझता हूं कि अगर बोर्ड की मर्यादा को रखना है और अगर यह आशा वह करते हैं कि उससे काम लिया जाय तो आप यह अधिकार उसको दें वरना मेम्बरों का चेयरमैन कोई ख्याल ही न करे। और मनमानी करे और तमाम झगड़े फिस्ताद पैदा होंगे। जब उसको भी मेम्बरों का डर होता है तो काम ठीक होता है और और जब डर नहीं होता है तो वह जो चाहे करेगा और मेम्बर उसका कुछ नहीं कर सकेंगे, जैसे यहां पर सरकार है, उसको डर नहीं है। उसकी इतनी मेजरिटी है वह समझते हैं कि ४ मेम्बर अगर नाराज हो गये तो हो जानें दो, जैसे चले होंके जाओ। यहां भी यही होगा। इसलिये मैं कहता हूं कि मन्त्री जी ख्याल करें कि अगर उन्हें बोर्ड को ठीक से चलाना है तो यह पावर आप उनको दीजिये। अगर उनके द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन आय तो आप हटा सकते हैं, लेकिन उसके बिना ही सरकार द्वारा हटाना उचित न होगा। इन बातों में मैं समझता हूं कि मन्त्री जी के दिमाग को सफाई हो गई होगी और मैं समझता हूं कि वह हमारी बात मान लेंगे।

श्री बनारसी दास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मल्ल जी ने इस बिल को और मूल ऐक्ट को ध्यान से नहीं पढ़ा। सरकार ने इस खंड द्वारा कोई ताकत अपने हाथ में मेम्बरस और प्रेसीडेंट को रिमूव करने की नहीं रखी है, बल्कि इस क्लॉज के द्वारा जो मूल अधिनियम की धारा है उसमें जो कुछ शर्तें दी हुई हैं जिनमें प्रेसीडेंट हटाया जाता है या मेम्बर हटा सकते हैं जैसे वह गैर हाजिर हो जाय या कोई डिस्कवालिफिकेशन धारा ७ में हो जाय, या वह लीगल प्रैक्टिशनर हो या नौकरी कर ले आदि बातें उसमें हैं तो इनके लिये उसमें लिखा है कि “बोर्ड सदस्यता से प्रथक कर सकता है।” पहले भी इस प्रकार का प्रतिबन्ध था कि इन तमाम डिस्कवालिफिकेशन्स के बावजूद भी चेयरमैन को बिना सरकार की स्वीकृति के नहीं हटाया जा सकता, तो इसमें अब सरकार को नई शक्ति दी जा रही है, ऐसी बात नहीं है। यह जो प्रतिबन्ध है कि यदि १०-७ में यह स्थित पैदा हो जाय तो बोर्ड उस समय भी नहीं हटा सकता था और सरकार ही हटा सकती थी। अगर माननीय मल्ल जी धारा ११ को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि—

“Any member removed by the Board under the provisions of section 10, may within ninety days from the date of his removal appeal to the Provincial Government and the order of the Provincial Government on any such appeal shall be final.”

इस धारा के अनुसार कोई मेम्बर अलग भी हो जाय तो भी सरकार के पास अपील आवेगी और सरकार का ही निर्णय अन्तिम होगा। हमने केवल इतना बढ़ाया है कि सरकार के नामिनेटेड जो मेम्बरस हैं उनको बोर्ड न हटायें और सरकार ही हटायें। वह अपील तो कर ही सकता है और सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। इसलिये यह अच्छा न होगा कि बोर्ड उनको हटा दे और फिर सरकार उनको रिइन्स्टेट करे। इसलिये बोर्ड की प्रेसटीज रखने के लिये और समय को बचाने की भाँति से ऐसा किया गया है। इसलिये यह बात कहना ठीक नहीं है कि हम डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं और सरकार का यह एस्टिबलिशड उसूल है कि सरकार जिसकी नियुक्ति करती है उसको वही हटा सकती है, इसलिये सरकार द्वारा नामिनेटेड मेम्बरस को अगर उसकी कोई संवार्डिनेट अथारिटी हटा दे तो यह सरकार की नीति और मानें हुये सिद्धांत के विरुद्ध है? और यह कहना कि डेमोक्रेसी में यह नहीं है, और साहब, आपके लेजिस्लेचर का भंग कर सकता है प्रेसीडेंट, पार्लियामेंट को भंग कर सकता है प्रेसीडेंट, तो इसमें जब लोकतन्त्र का नाश नहीं होता और फिर जब इस सिद्धांत को मान लिया कि राज्य सरकार भंग कर

सकती है इस तरीके से, यदि लोकल बाडीज को और अपन मातहत बाडीज को आपने कौन सी किताब से पढ़ लिया जो जनतन्त्र का जनाजा निकल गया। यह तो आपके विधान में मौजूद है। इसलिये यह संशोधन जो माननीय मल्ल साहब ने पेश किया है वह किसी भ्रान्ति की वजह से है और मैं आशा करता हूँ कि वे अपने संशोधन को वापस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (२) को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय :

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the President shall only be removed when a vote of no-confidence has been passed against him by the Board:

Provided that the no-confidence motion is carried by more than half the members of the Board."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से खंड ६ में

श्री जगन्नाथ मल्ल—इसकी सूचना नहीं थी, मैं इसका विरोध करता हूँ कि यह पेश हो।

श्री बनारसी दास—इसके लिये तो पहले ही परसों माननीय अध्यक्ष महोदय से इजाजत मिल चुकी थी।

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, होना यह नहीं चाहिये, अभी जब पाचवा खंड रखा गया था उसमें संशोधन भी हो सकते थे और आपने संशोधन पेश नहीं करने दिया और यह सबरे निर्णय हो चुका था, लेकिन वह नहीं आ सका, इसलिये उसी आधार पर यह भी नहीं होना चाहिये क्योंकि यह नया रखा गया है।

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय की रूलिंग के बाद यह विवाद तो नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूँ कि जब रूलिंग हो चुकी तो उसके लिये स्वीकृति देनी ही पड़ेगी।

श्री बनारसी दास—तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्न संशोधन पेश कर रहा था। खंड ६ में एक नया उपखंड ६-ए निम्नलिखित जोड़ा जाय और वर्तमान खंड ६ को उपखंड ६-बी में परिवर्तित कर दिया जाय :—

"६-ए—मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (१) का खंड (c) निकाल दिया जाय।"

श्रीमन्, चूंकि पहले मान लिया गया कि हकीम और वैद्य हो सकते हैं, इसलिये यह उसका कांसेक्वेंशनल है। इसके अन्दर (सी) में लिखा हुआ है :—

(c) being a legal practitioner, appears in any suit or proceeding, civil or criminal, against the Board; or"

यह आवश्यक नहीं है। इस वजह से इसको निकाला जा रहा है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तावित संशोधन का मैं विरोध करता हूँ और इस कारण विरोध करता हूँ कि इसमें है कि कोई लीगल प्रैक्टिशनर जो कि बोर्ड के खिलाफ किसी सूट में एपियर हो सके उसको हटाया जा रहा है। यह ठीक है कि यह सिद्धांत मान लिया गया है कि वैद्य ही रहेंगे, लेकिन क्या कोई लीगल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड वैद्य नहीं हो सकता है। इस बोर्ड में कोई वकील हो सकता है, जो लीगल प्रैक्टिशनर हो और साथ-साथ वैद्य भी हो, रजिस्टर्ड।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तो ला है कि लीगल प्रैक्टिशनर दूसरा प्रोफेशन नहीं कर सकता है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—प्रोफेशन का सवाल नहीं है, वैद्य वह हो सकता है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वकालत चाहे पास उसने कर लिया हो, लेकिन लीगल प्रैक्टिशनर तो वही होगा जो प्रैक्टिश करेता हो ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं जानता हूँ कि बहुत से लीगल प्रैक्टिशनर हैं, जो होम्योपथी की दवाये बांटते हैं तो मैं इसलिये कहूँगा कि माननीय मन्त्री जी इसको ऐसा ही रहने दें, शायद कोई कमी आ जाय तो उसके खिलाफ न रखें ।

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, माननीय मल्ल साहब जो कह रहे हैं कोई विरोध नहीं है । वह समझने की बात है जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोई आदमी वकला हो और दवाइयाँ होम्योपैथी की बेचता है, इसके मानी यह है कि कानून का वह उल्लंघन करता है और जब कोई आदमी जो लीगल प्रैक्टिशनर है, वह वैद्य नहीं हो सकता, ऐसी हालत में इसको हटाना आवश्यक हो गया है ।

श्री मदनगोपाल वैद्य—जो संशोधन उपस्थित हुआ था उसके अनुसार मूल अधिनियम की धारा १० (सी) निकाल दी जाय लेकिन माननीय उपाध्यक्ष, देखेंगे कि मूल अधिनियम की धारा १० में डिस्एबिलिटीज का भी वर्णन है । १० (सी) में यह है कि अगर बोर्ड का कोई मेम्बर बोर्ड पर दावा करता है तो वह डिस्एबिलिटी मानी जायगी । लिहाजा सिर्फ इसमें से लीगल शब्द निकल जाना चाहिये और बाकी ज्यों का त्यों रहना चाहिये, क्योंकि बोर्ड का कोई मेम्बर बोर्ड पर दावा कर दे तो मेम्बर नहीं रह सकता । इसका इलाज सिर्फ यह है कि लीगल निकल जाना चाहिये और प्रैक्टिशनर के क्या मानी है, इसकी डेफिनीशन इसमें दी हुई है । इसलिये लीगल शब्द निकल जाना चाहिये ।

श्री बनारसी दास—माननीय मदनगोपाल जी ने इसे गलत समझा । यह १० (सी) जो है, उसके यह मानी नहीं है कि वह दावा करे, बल्कि यह है कि कोई बोर्ड का दावा हो, उसमें कोई कोई मेम्बर वकील की हैसियत से सिविल या क्रिमिनल हो, उसमें एपियर होता है तो डिस्क्वालिफिकेशन होगी ।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जब आपने त्रिशविद्यालयों में इस बात की इजाजत दे दी है कि विश्वविद्यालय जो फैकल्टीज हैं उनमें किन्हीं व्यक्तियों को भेज सकते हैं तो हो सकता है कि उस फैकल्टी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आयुर्वेद में बहुत दिल-चस्पी रखता हो और अगर उसे विश्वविद्यालय ने चुन कर भेज दिया और वह उसका सदस्य बन गया तो मैं समझता हूँ कि यह जो मौजूदा चीज है वह बनी रहे, तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है और माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने जो बात रक्खी है उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये कि जैसा है वैसा ही रहे और जो संशोधन इधर से उपस्थित किया गया है उसको न माना जाय । मैं समझता हूँ कि संशोधन को वापस ले लिया जायगा और माननीय मल्ल जी जो कह रहे हैं, उसे मान लिया जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—मैं आपकी अनुमति से यह जो संशोधन दिया गया है इसको इस रूप में रखना चाहता हूँ कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा १० की उपधारा २ की पंक्ति ३ में अंक "५" के बाद "shall" और "be" के बीच में "after such notice as may be prescribed" रख दिया जाय ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इसको लिख कर ठीक से पढ़ें।

श्री जगन्नाथ मल्ल—कोई नया संशोधन है ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं नहीं जानता कि नया है या क्या है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को ठीक से लिख कर पढ़ तो अच्छा होगा।

श्री जोरावर वर्मा—प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूँ कि अभी आपके सामने प्रस्ताव नहीं आया है। उन्होंने मुझसे श्री रामलखन मिश्र के प्रस्ताव को पेश करने की इजाजत मांगी। मैं नहीं जानता कि किस रूप में वह दे रहे हैं।

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूँ। मैं यह पूछना चाहता था, हालांकि आप मुझे माफ करेंगे, पूछना तो आपको चाहिए था कि उनका यह संशोधन नहीं है, वह कैसे पेश कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—मैंने आपको बतलाया कि मैंने श्री रामलखन मिश्र का नाम पुकारा। उसके बदले मैं उन्होंने इस संशोधन को पेश करने की आज्ञा मांगी और मैंने उनको आज्ञा दे दी। लेकिन जो रामलखन मिश्र जी का प्रस्ताव है उसमें वह कुछ हेर-फेर करना चाहते हैं। मैंने इसलिए उनसे कहा कि वह अपने शब्द पूरे तौर से लिख कर पढ़ें ताकि मैं निश्चित कर सकूँ कि प्रस्ताव नया है या नहीं।

*श्री ब्रजभूषण मिश्र—मैं इस रूप में इसको पेश करना चाहता हूँ—

खंड ६ में प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में अंक और शब्द "5 shall" के बाद और "be" के पहले "after such notice as may be prescribed" बढ़ा दिये जायें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—६ नहीं ६ (बी) कहिए। वह बदल गया है।

— श्री बनारसीदास—यह संशोधन स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में अंक और शब्द "5 shall" के बाद और "be" के पहले "after such notice as may be prescribed." बढ़ा दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—(श्री रामेश्वरलाल से) आपका संशोधन यह नहीं माना जायगा कि खंड ६ निकाल दिया जाय। आप इसका विरोध कर सकते हैं।

*श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, यदि आप मूल अधिनियम को ध्यान से देखें तो मूल अधिनियम में जो पावर्स बोर्ड को मिले हुए थे यह संशोधन रखने के बाद सरकार उस पावर को छीनने जा रही है। मूल अधिनियम में था कि जो चेयरमैन था उसको निकालने का अधिकार था प्रोविन्शियल गवर्नमेंट को और जो नामिनेटड मेम्बर्स नियुक्त होते थे या जो होंगे उनको निकालने का अधिकार बोर्ड को था कि चाहे नामिनेटड हो या इलेक्टेड हो अगर वह मेम्बर किसी भी तरह ३ मीटिंगों में नहीं आता है या और कोई मालप्रैक्टिस करता है, गबन होता है, इस पर बोर्ड को अधिकार था कि उन तमाम मेम्बर्स को नो कानफीडेंस मोशन द्वारा निकाल सकता था। लेकिन अब सरकार यह अपने हाथ में ताकत लेने जा रही है कि वह जो प्रेसीडेंट होगा और जो नामिनेटड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्बीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वरलाल]

५ मेम्बर्स होंगे, इन ५ को बोर्ड नहीं निकाल सकेगा, बल्कि सरकार निकालेगी। मैं यह समझता हूँ कि यह एक काम जो है, सफाई कितनी भी माननीय मंत्री जी की ओर से दी जाय, ठीक नहीं है। श्रीमन्, यदि विधान आप देखेंगे कि जो पालता है वह मारता नहीं। बिल्कुल एक विधान सा है चाहे उसको आप दैनिक जीवनचर्या में प्रतिवादित कीजिये, चाहे विस्तार कर देखिये। आप यही पायेंगे कि जो पालता है उसे मारने की हिम्मत नहीं पड़ती। तो फिर सरकार जिन लोगों को नामिनेट करेगी, यह सही है कि सरकार के वे खास आदमी होंगे, चाहे सरकार उनको क्वालिफिकेशन्स की वजह से खास आदमी समझे या बहुत नजदीक होने की वजह से, जैसे भी हों, मैं उस पर कोई बहुत शंका प्रकट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन यह सर्वमान्य है कि उन्हीं को न.मीनेट करेगी जिनको वह समझेगी कि सरकार के हितों की रक्षा करेंगे। अब प्रश्न यह है कि किन हितों की रक्षा के लिये ये लोग भेजे जायेंगे। पूरे विधान के पढ़ जाने के बाद आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि बोर्ड जो बनेगा उसके बन जाने के बाद रजिस्ट्रार की नियुक्ति होगी और फिर कुछ सर्वेन्ट्स नियुक्त होंगे। तो नामिनेटेड मेम्बर्स और प्रेसीडेंट जिनकी कल्पना इस अधिनियम द्वारा सरकार ने की है वे सिर्फ सरकार के हितों की रक्षा के लिये जायेंगे जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में बताया कि वे विकास चाहते हैं, आयुर्वेद का। और इसलिये वे चाहते हैं कि कुछ अधिकार उनके हाथ में जायें। मान्यवर, यह शंका की बात है। सरकार के हाथ में यह ताकत जा रही है प्रेसीडेंट के निकालने की, यह पास हो चुका है। लेकिन अब उसके बाद जैसा पुराने ऐक्ट में था कि नामिनेटेड मेम्बर्स भी बोर्ड द्वारा निकाले जा सकते हैं तो उसको बना रहने देना चाहिये। उसमें कोई जनता के हितों की रक्षा की बात नहीं हो रही है। इसलिये मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूँ कि खंड ६ की आवश्यकता नहीं, इसको निकाल दिया जाय।

श्री बनारसी दास—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में पहले ही मैं निवेदन कर चुका हूँ कि इसमें थोड़ा भ्रम मालूम पड़ता है। सरकार ने इस खंड के द्वारा कोई पावर अपने हाथ में चेयरमैन या सदस्यों को हटाने की नहीं ली। केवल इतनी बात कही है कि खंड १० के अनुसार यदि कोई अयोग्यता किसी सदस्य पर जो नामिनेटेड है या प्रेसीडेंट है, आती है तो बोर्ड उसको निकाल नहीं पायेगा, केवल सरकार ही निकालेगी। तो माननीय सदस्य ने इसका अर्थ यह लगा लिया कि सरकार ने निकालने का अधिकार ले लिया। मैं कहता हूँ कि बोर्ड के निकालने के अधिकार को केवल इस खंड के द्वारा सीमित कर दिया गया है, चेयरमैन का पहले ही था और जैसा मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि मूल अधिनियम की धारा ११ के अनुसार प्रत्येक सदस्य को अधिकार था कि तीन महीने के अन्दर अपील कर सके। सरकार का निर्णय अंतिम होता था। तो इसलिये उस डेरी से बचने के लिये यह किया गया। मूल अधिनियम में दी हुई शक्ति को कम कर दिया गया। यह तो कहीं भी बात फिट नहीं होती। मूल अधिनियम में जो शक्ति दी गई, उसको बिल्कुल कम नहीं किया गया, अक्षुण्ण किया गया। केवल उसमें जो प्रोसीजर में डिले होती, उसको ही केवल हटा दिया गया है। तो इसलिए जो माननीय सदस्य का विरोध है वह तो समझ में नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

७—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Resignation
of a member
or President.

“12. (1) Any elected member may at any time resign his office by a letter addressed to the President. Such resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the Board.

(2) A President or a member nominated under sub-section (1) of section 5 wishing to resign may tender his resignation to the State Government under intimation to the Board. Such resignation when accepted shall be published in the official Gazette and shall take effect from the date notified therein.”

यू० पी०
एक्ट १०,
१९३९ की
धारा १२
का संशोधन

*श्री ब्रजभूषण मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा १२ (१) की पंक्ति ३ में शब्द “resignation” के बाद शब्द “after due verification” बढ़ा दिये जाय।

यह एक साधारण सा संशोधन है जोकि भाव की पुष्टि करता है। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, यह स्वीकार है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, हमें भी यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा १२ (१) की पंक्ति ३ में शब्द “resignation” के बाद शब्द “after due verification” बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, खंड ७ का जब हम अध्ययन करते हैं और नई धारा १२ का विश्लेषण करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि हम दो प्रकार के वर्गों को बोर्ड के अन्दर यहाँ पर प्रभुत्व दे रहे हैं। एक तो बोर्ड के सदस्यों का वह वर्ग है जो कि चुना हुआ है और उसके त्यागपत्र को केवल बोर्ड ही स्वीकार कर सकती है और दूसरा वह वर्ग है जिसके सदस्यों के त्यागपत्र को केवल सरकार स्वीकार कर सकती है। इस प्रकार के दो वर्ग बोर्ड में बना देने से अत्यन्त विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था पहले चेयरमैन के लिए थी, लेकिन अब सभापति और सदस्य दोनों के लिए हो गई। इस प्रकार की स्थिति अगर रहने दी गई तो उसका अन्ततोगत्वा यह नतीजा होगा कि जब बोर्ड में ऐसे सदस्य हैं, जिनका केवल सरकार इस्तीफा मंजूर कर सकती है वह एक प्रकार से अर्थ का अनर्थ कर अपने को कुछ विशिष्ट या कुछ अधिक महत्वपूर्ण समझ कर मनोवैज्ञानिक रूप से या वैधानिक रूप से जो दूसरे सदस्य हैं बोर्ड के जो कि चुने हुए हैं उन पर दबाव डाल सकते हैं। तो इसलिए मैं तो माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि वह जरा इस पर पुनर्विचार करें। या अगर उनकी इच्छा हो सभापति के सम्बन्ध में तो सभापति के लिए यह अधिकार रह सकता है लेकिन सदस्यों में भी एक अनैतिक विभाजन कर देना, अनावश्यक विभाजन कर देना, अनीतिपूर्ण विभाजन कर देना, यह युक्ति-युक्त प्रतीत नहीं होता। मैं तो यह चाहता हूँ कि सभापति बोर्ड के ही प्रति उत्तरदायी रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वाक्य नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

और बोर्ड को ही यह अधिकार हो कि वह उसका इस्तीफा मंजूर करे। लेकिन अगर सभापति के बारे में पुरानी व्यवस्था रहने भी दी जाती है तो कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि नामजद सदस्यों के लिए इस्तीफा सरकार मंजूर करे और चुने हुए के लिए बोर्ड इस्तीफा मंजूर करे। इसलिए बेकार का एक द्वेष खड़ा होगा, बेकार का मतभेद खड़ा होगा। मैं माननीय गुप्ता जी से विशेष रूप से निवेदन करूंगा जिस प्रकार उन्होंने माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के कहने पर इस पर पुनर्विचार किया इसी प्रकार वह इस खंड ७ के सम्बन्ध में भी पुनर्विचार करें और इसको अधिक न्यायसंगत बनाने की चेष्टा करें।

श्री बनारसी दास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इसको इतना निर्दोष समझता था कि नारायणदत्त जी को आपत्ति का मौका नहीं होगा। इसमें लिखा यह है कि यदि कोई नामिनेटड मेम्बर रिजाइन करना चाहे तो इसमें क्या बात हो गयी कि वह रेजिगनेशन बोर्ड को न देकर सरकार को दे दे, जबकि फिर सरकार को ही नामिनेट करना है। तो बजाय इसके कि बोर्ड उसको ऐक्सेप्ट करे, फिर सरकार को सूचना दे कि स्थान रिक्त हो गया तो वह तो चाहते हैं कि कार्य में रेडटेपिज्म न हो, सीधा अगर सरकार के पास आ जाय तो इसमें क्या हानि है? रेजिगनेशन देने को तो कोई मजबूर नहीं करता है। तो यह तो केवल प्रोसीड्योर की बात थी, कोई सिद्धान्त का सवाल नहीं था। इसलिए मुझे बड़ा खेद है कि श्री नारायण दत्त जी ने इस निर्दोष खंड का भी विरोध किया।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

यू०पी० ऐक्ट ८—मूल अधिनियम की धारा १४ का द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल
१०, १९३९ दिया जाय।
की धारा १४
का संशोधन

श्री उपाध्यक्ष—क्या श्री जगन्नाथ मल्ल इस खंड ८ के विरोध में बोलना चाहेंगे ?

श्री जगन्नाथ मल्ल—जी नहीं, मैं सदन का टाइम बरबाद नहीं करूंगा।

श्री मदनगोपाल वैद्य—इसमें जो प्रतिबन्धात्मक खंड लिखा है यह द्वितीय नहीं है तृतीय है। आखिर मंत्री महोदय का अभिप्राय किससे है ?

श्री बनारसी दास—जबकि लेजिस्लेचर के सदस्य नहीं रखे तो उसी के सम्बन्ध में यह भी है। यह तो अपने आप ही हो जाता है, इसीलिए जगन्नाथ मल्ल जी ने विरोध नहीं किया।

श्री मदनगोपाल वैद्य—फरवरी, १९५५ में जो संशोधन हुआ है, उसके अनुसार यह तृतीय हो जाता है।

श्री बनारसी दास—मैं तो पहले निवेदन कर चुका हूँ, धारा १४ का दूसरा प्रतिबन्धात्मक यही है, मैं समझ नहीं पाया कि श्री मदनगोपाल वैद्य का क्या मतलब है ?

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

१—मूल अधिनियम की धारा १५ का प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय।

यू०पी० ऐक्ट
१०, १९३९
की धारा १५
का संशोधन

श्री तेज प्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूँ कि खंड ९ को निम्न रूप में रख दिया जाय—

“१—मूल अधिनियम की धारा १५ के प्रतिबन्धात्मक खंड को हटा कर निम्न रूप में रख दिया जाय—

“Provided that no person shall hold office as President of the Board for more than one term.”

आगे के शब्द हट जायेंगे।

अब इसमें अर्थ यह हो जाता है कि प्रेसीडेंट को जब नामिनेटिड आदमी में रखा तो उस पर बन्धन टर्म का भी रखिये। जो प्रतिबन्धात्मक वाक्य था, मूल अधिनियम, जिसके द्वारा दो टर्म तक ही प्रेसीडेंट रह सकता था, उसको भी आप हटाना चाहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि आप प्रेसीडेंट को नामजद करना चाहते हैं, और नामजद ही नहीं उसको अनादि काल तक, अनन्त काल तक, जब तक उसकी जीवनी हो, जीवन-पर्यन्त उसको प्रेसीडेंट रखना चाहते हैं। तो सन् १९३९ वाले ऐक्ट में जो प्रतिबन्ध था वह अच्छा था कि ज्यादा से ज्यादा दो टर्म के लिए प्रेसीडेंट रह सकेगा। परन्तु अब नामिनेटिड प्रेसीडेंट की व्यवस्था कर रखी है, इसलिए अब हम चाहते हैं कि उसका टर्म एक ही रखा जाय। एक टर्म से ज्यादा प्रेसीडेंट न रह सके। एक टर्म तीन साल की होती है, तीन साल ही वह प्रेसीडेंट रह सके, इतना बन्धन तो स्वीकार कर लें। मैं समझता हूँ कि मेरा जो अभिप्राय है उसे माननीय मंत्री जी मान लेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपाध्यक्ष महोदय, कदाचित् माननीय सदस्य मेरे उस भाषण के तात्पर्य को समझ न सके जो मैंने इससे पूर्व प्रेसीडेंट के विषय में दिया था। कदाचित् मैंने ऐसा संकेत किया था कि ऐसा सम्भव हो सकता है कि जो आयुर्वेद के अध्यक्ष प्रदेशीय सरकार द्वारा नियुक्त किये हुये व्यक्ति प्रदेश में कार्य करते हों वहीं इसके सभापति रहें, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे व्यक्ति के लिये तीन वर्ष के प्रतिबन्ध की बात अभी रखी जाय। हो सकता है आगे चल कर तजुर्बा यह बतलये तो हम ऐसे व्यक्ति को हटा कर दूसरे व्यक्ति को रख सकते हैं। इसका जो मैं विरोध करता हूँ उसके पीछे यह भावना छिपी हुई है कि जो सरकारी विभाग का अध्यक्ष होगा जिसको आयुर्वेद का संचालन करना होगा वह तीन वर्ष से अधिक भी रह सकता है और दो मर्तबा वह सभापति का कार्य कर सकता है। इस कारण से मैं मुनासिब नहीं समझता कि कोई इन प्रकार का प्रतिबन्ध इस चीज में इस समय लगाया जाय। इन कारणों से मैं इसका विरोध करता हूँ और आशा करता हूँ कि यदि उन्होंने मेरे भाषण के अभिप्राय को समझ लिया है तो वे इस पर आग्रह न करेंगे कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध रखा जाय।

श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मूल अधिनियम की जिस धारा को बदला जा रहा है, वह इस प्रकार है :

“Provided that no person shall hold office as Chairman of the Board consecutively for more than two terms.”

इसके अनुसार ६ साल तक इस बोर्ड का अध्यक्ष हो सकता है। लेकिन इसको हटाया जा रहा है जिसका तात्पर्य यह हो सकता है कि वह किसी भी टाइम हटाया जा सकता है और कभी नहीं हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार विधान में समय की कोई अवधि न रखना मैं

[श्री जोरावर वर्मा]

समझता हूँ, अभी तक जितने विधेयक इस सदन में आये सम्भवतः किसी भी विधेयक में ऐसी कोई धारा नहीं रखी गयी है। इसलिये मैं कहूँगा कि जो संशोधन रखा गया है वह बहुत ही उचित है। या तो पुराना रहे क्योंकि उसमें दो ही टर्म के लिये हो सकता है, लेकिन उसके निकाल देने से तो समय की कोई सीमा ही नहीं रहती है। ऐसा किसी कानून में रखना उचित नहीं है क्योंकि टर्म आफ आफिस सब में दिया हुआ है। इस प्रकार का विधेयक लाना म समझता हूँ कि वैसे ही है जैसे किंगडिप की थ्योरी कि जो पैदा राजा हुआ है, वह राजा रहेगा ही चाहे कुछ ही। मैं समझता हूँ कि यह प्रजातांत्रिक प्रणाली के बहुत ही विपरीत है। इसलिये तेज प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन रखा है, यह बहुत उचित है और इसे मान लेना चाहिये।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं माननीय तेज प्रताप सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ? मुझे श्रीमन्, यह जान कर जरा दुःख हुआ कि माननीय मंत्री जी ने अभी से यह निश्चित कर लिया है कि इस बोर्ड के प्रेसीडेंट विभाग के अध्यक्ष होंगे।

मेरे विचार से बोर्ड आफ मेडिसिन के निर्माण की यह मंशा केवल नहीं है कि विभाग के अधीन वह कार्य करे। मेरे विचार से जो विभाग के अध्यक्ष है जो सीधे गवर्नमेन्ट के ऐक्जीक्यूटिव कंट्रोल में जो आयुर्वेद के डायरेक्टर होंगे अगर वही इस बोर्ड के अध्यक्ष हो जायेंगे तो फिर बोर्ड किसी प्रकार से अपने को सरकार से मुक्त नहीं रह सकता। आखिर जो विभिन्न प्रकार के बोर्ड होते हैं, चाहे एलोपैथी के हों, चाहे होम्योपैथी के हों, चाहे आयुर्वेद के हों या और कोई भी बोर्ड हों, कुछ मानी में उनको आटोनामी होती है, कुछ विशिष्ट अधिकार होते हैं। अगर बोर्ड का काम केवल रजिस्ट्रेशन करने का है, तब तो डायरेक्टर आफ आयुर्वेद खुद कर सकते हैं या फिर डिप्टी डायरेक्टर चार क्लर्क रख लें और रजिस्ट्रेशन होता रहे। अगर यह बोर्ड केवल रजिस्ट्रेशन करने के लिये, कुछ संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिये या डिप्लोमा बांटने के लिये बनाये जा रहे हैं और डायरेक्टर आफ आयुर्वेद उसके अध्यक्ष बनाय जा रहे हैं तो फिर खेर कमेटी की मंशा पूरी होने वाली नहीं है।

इसलिये मैं माननीय तेज प्रताप सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूँ और माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि वह अपने निर्णय पर पुनः विचार करे। अगर इस ऐक्ट को पास करने का यही मंशा है कि इस बोर्ड के अध्यक्ष डायरेक्टर हों तो इसको पास करने से कोई फायदा नहीं है। स्पष्टतः मैं उस समय उपस्थित नहीं था, बाहर था नहीं तो मैं पहले ही इसका विरोध करता कि यह नहीं होना चाहिये। इस लिये जहाँ एक ओर डायरेक्टर अध्यक्ष न हो और दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि तेज प्रताप सिंह जी का संशोधन आ जाय, एक बार से अधिक कोई प्रेसीडेंट द्वारा चुना न जाय और अगर उसके द्वारा या तिवारी चुने जाने की गुंजायश है तो फिर वह गुटबाजी की चेष्टा करता है और अपने आपको सरकार के गुडबुक में रखने की चेष्टा करता है या दफ्तर के कहने के मुताबिक चल सकता है।

अगर प्रेसीडेंट को यह मालूम हो जायगा कि मैं द्वारा चुनकर नहीं आ सकता तो फिर वह इन बातों की चेष्टा नहीं करेगा और स्वतंत्र मस्तक से कार्य सम्पन्न करेगा। जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों में हमने कुलपति के लिये रखा है या और जगह व्यवस्था की है उसी प्रकार से इसमें भी होना चाहिये नहीं तो निष्कण्टक रूप में इसका कार्य सम्पन्न होने में बाधा पड़ेगी। इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि मंत्री जी अपने निर्णय पर पुनः विचार करे और डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद इसके अध्यक्ष न हों और इसी के साथ तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन को भी स्वीकार करे।

श्री तेज प्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी अपना भाव प्रकट कर दिया कि डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। अब तो उनका ऐसा अभिप्राय मालूम पड़ता है कि यह जो बोर्ड है बिल्कुल एक गवर्नमेन्ट बाडी होगा। सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जेना चाहेगी वैसा बोर्ड में करायेगी। अभी तक इस धारा से यद्यपि यह बात सुनिश्चित नहीं है कि डिप्टी डाइरेक्टर ही इसका अध्यक्ष होगा, सरकार जिसको चाहे उसको नामजद कर सकती है। ऐसा मान भी लें कि किसी एक नाम आफिशल को नामजद सरकार करती है तो कुछ आशयों कि वह इस पद्धति की उन्नति के लिये गवर्नमेंट से सलाह किया करता और उसकी उन्नति के लिये कार्य कर सकता था लेकिन अब तो अभिप्राय ऐसा माना जाता है कि एक आफिशल ही इस बोर्ड का अध्यक्ष रखा जायगा और उसका भी कोई कार्यकाल नहीं होगा। अगर मेरा संशोधन आप मान लेते हैं कि तीन साल से ज्यादा कोई अध्यक्ष रहेगा ही नहीं तब भी इस बंधन में आ जाती है, सरकार कि कोई आफिशल भी तीन साल से ज्यादा नहीं रह सकता है। लेकिन आपका मंशा तो हमेशा डिप्टी डाइरेक्टर को ही इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही घातक है। यह बोर्ड एक खिलौना मात्र बन जायगा, रबर स्टाम्प लगाने वाला होगा और बोर्ड अपना काम ठीक से नहीं कर सकेगा। आपका यह आयुर्वेद का विभाग गवर्नमेंट के नीचे काम करता है, ऐसा होने पर जो आपकी नीति नीति होगी वह उसी को प्रतिपादन करेगा और चलायेगा और आपकी जो यह भावना है कि यह पद्धति सम्मानित हो, इसकी तरफकी हो यह तो अच्छी है लेकिन उसके लिये आप जो व्यवस्था करने जा रहे हैं उसकी तरफकी के लिये वह ठीक से चल नहीं सकती। इसलिये मैं फिर अनुरोध करूंगा मंत्री जी से कि इस संशोधन को उनको मान लेना चाहिये अपने इस विचार को बिल्कुल ही बदल देना चाहिये कि डिप्टी डाइरेक्टर इस बोर्ड का प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाय।

श्री बनारसीदास—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संबंध में और कुछ नहीं कहना है, इसलिये कि उन्होंने कोई नई दलील नहीं दी है और उसी बात को दोहराया है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ को निम्न रूप में रख दिया जाय :—

९—मूल अधिनियम की धारा १५ के प्रतिबन्धात्मक खंड को हटा कर निम्न रूप में रख दिया जाय :—

“Provided that no person shall hold office as President of the Board for more than one term.”

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

१०—मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

यू० पी० ऐक्ट
१०, १९३९
की धारा १८
का संशोधन
Quorum for a
meeting of the
Board.

“18. The quorum of the Board shall be 8 members, but subject thereto the Board may act notwithstanding any vacancy in their number :

Provided that at an adjourned meeting all business postponed at the original meeting for want of quorum may be transacted if not less than five members are present.”

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ११

यू० पी० ऐक्ट
१०, १९३९
की धारा २१
का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा २१ निकाल दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

यू० पी० ऐक्ट
१०, १९३९
की धारा २२
का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (१) से शब्द "not exceeding the allowances payable to the members of the State Legislature" "निकाल दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १३

यू० पी० ऐक्ट
१०, १९३९
की धारा २५
का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की धारा २५ में शब्द "Board" के स्थान पर शब्द "Registrar" और "Vaidyas" शब्द के बाद के कामा के स्थान पर शब्द "and" रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४

यू० पी० ऐक्ट
१०, १९३९
की धारा २७
का संशोधन।

१४—वर्तमान धारा २७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय --

persons entitled to be registered

"27. (1) Every person possessing the qualifications mentioned in the Schedule shall, subject to the provisions contained in or made under this Act and upon payment of such fees, whether in a lump sum or periodically, as may be prescribed, be entitled on an application made to the Registrar, to have his name entered in the register. When the name of a person has been registered in accordance with the provision aforesaid he shall be granted a certificate in the prescribed form.

(2) Any person aggrieved by the order of the Registrar refusing to enter his name in the register or to make any entry therein may, within ninety days of such refusal, appeal to the Board.

3) The appeal shall be heard and decided by the Board in the prescribed manner.

4) The Board may, on its own motion or on the application of any person cancel or alter any entry in the register or order any entry in the register if in the opinion of the Board such an entry was fraudulently or incorrectly made or obtained or an application was wrongfully refused."

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूँ कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा २७ की उपधारा (१) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :--

Provided that an application for entry in the register made by a person whose case is not clearly governed by the provisions of this Act or by the rules and regulations made thereunder shall be referred to the Board for such decision as it may deem fit."

श्रीमन्, यह जो पहले का ऐक्ट था उसमें यह प्राविजन था कि जो लोग ऐक्ट के मातहत बने नियमों के मुताबिक योग्यता न रखते हों यानी जिस योग्यता की हस्तियत से नाम रजिस्टर में दर्ज होना चाहिये और अगरचे वह अच्छे लोग हैं तो उनके प्राथना-पत्रको बोर्ड के पास भजा जाय। बोर्ड अगर ठीक समझे तो उन वैद्य या हकीम को वह रजिस्टर्ड कर ले। यह एक ऐसी धारा पुराने ऐक्ट में थी जिसके कारण बहुतसे पुराने वैद्य लोग हैं और जो डिग्री होल्डर वैद्य से भी ज्यादा होशियार हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाता था। लेकिन इस विधेयक में उस अधिकार को छीन लेना कि उनको रजिस्टर्ड नहीं किया जायगा कुछ अच्छा नहीं है। इसलिये यह प्राविजन रहना चाहिये कि बोर्ड अगर ठीक समझे कि वह आदमी बहुत काबिल है और इसके पास ऐक्ट के मुताबिक जो डिग्री होनी चाहिये वह नहीं है और बोर्ड ठीक समझता है तो उसको रजिस्टर्ड कर ले। यह ऐसी धारा थी जिससे बहुत से लोगों का फायदा होता था, खासतौर से उन लोगों का जो अपने धर पर पड़ते थे और इस्तहान नहीं देते थे, लेकिन डिग्री होल्डर से काबिल होते थे तो उनको रजिस्टर्ड पहले करने का हक था, वह अब भी होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी को इसको कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको रखा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे काफ़ी लोगों का फायदा होगा।

श्री मदन गोपाल वैद्य--मैं जगन्नाथ मल्ल जी के प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि कल जो हम आयुर्वेद के लिये प्रगति करन जा रहे हैं, उसमें किस प्रकार के वैद्यों को प्रोत्साहन दे। एक समय था जब कि आयुर्वेद के लिये परीक्षा या शिक्षा का प्रबन्ध नहीं था। उस समय हमारे समाज के अन्दर बहुत वैद्य थे, जो अपनी प्रक्टिस अच्छे तरीके से आज तक करते चले आ रहे थे। उनका रजिस्ट्रेशन ३९ से ५५ तक १६ वर्ष तक होता रहा। लेकिन अब सरकार न वैज्ञानिक कदम उठाया है तो उस वैज्ञानिक कदम में ऐसे वैद्यों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिये जिनको विधिवत् शिक्षा प्राप्त न हो तो उनको भी रजिस्टर्ड किया जाय। जब सरकार वैज्ञानिक कदम उठाने जा रही है और जब हमने उन वैद्यों को १६ वर्ष का समय दिया और जो चिकित्सा करने वाले थे, उन्होंने इन पिछले १६ वर्षों में अपने को रजिस्टर्ड करा लिया है तो आगे अब ऐसे वैद्यों को अबसर नहीं देना चाहिये, जिनके पास कांई प्रमाणपत्र नहीं है। इसलिये हम जगन्नाथ मल्ल जी के इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि जिस प्रकार से सरकार न इसको बदला है कि प्रमाणित शिक्षित और योग्य वैद्यों को रजिस्टर्ड किया जाय तो उनको ही रजिस्टर्ड होना चाहिये। लेकिन सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव किया गया है जो कि प्रस्तावित धारा २७ में २ और ३ उपखंड रखे गये हैं, वह अब आवश्यक नहीं रह गये हैं। इस तरफ से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

*श्री रामेश्वर लाल—मान्यवर, प्रश्न बहुत विवाद का है। वैद्य जी के भाषण को सुनने के बाद मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें दो हितों का प्रश्न है। एक तो वैद्य समाज के हित का और दूसरा राज्य में रहने वाली जनता के हित का। वैद्य समाज के हित के बारे में तो वैद्य जी ने बताया कि १६ वर्ष से सरकार ने उनको मौका दे रखा था, जिन लोगों ने रजिस्टर्ड करा लिया, ठीक है, लेकिन अब आगे मौका नहीं होना चाहिये। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूँगा कि अंग्रेजों के बराबर प्रयास के बावजूद और एलोपैथी के युग में अगर किसी ने आयुर्वेद की रक्षा की है तो वह परम्परा से काम करने वाले वैद्य लोगों ने ही की है। और मान्यवर भी इससे अवश्य सहमत होंगे कि यह सरकार जो वैद्यक को उठाना चाहती है वह सन् ३९ से है लेकिन अभी तो उसने इस ओर कोई कदम उठाया है, दिखायी नहीं पड़ता। जो कमेटी इस सम्बन्ध में सन् ३९ में डिप्युट की गयी थी उसने सजेस्ट किया था कि क्षय रोग के सम्बन्ध में वैद्यक अन्वेषणशालायें और चिकित्सालय खोल जान चाहिये, लेकिन उसका प्रतिपादन भी नहीं हुआ है। अब सरकार प्रयत्न करने का वायदा करती है तो यह सदन देखेगा कि सरकार के प्रयत्न कितने सफल होते हैं। लेकिन इन लोगों ने, जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में भी उस वैद्यक की रक्षा की है, उन परम्परा से पेश करने वालों को अवश्य ही सहूलियत दी जानी चाहिये।

(इस समय ४ बजकर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

आज भी, जैसा कि जगन्नाथ मल्ल जी ने बताया बहुत से ऐसे वैद्य भी पड़े हुये हैं जो क्वाली-फाइड लोगों से बहुत अच्छे हैं तथा जिनकी नालेज वास्ट है, लेकिन वे रजिस्टर्ड वैद्य नहीं हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों को वे अवश्य सुविधा दें जो परम्परा से इस काम को करते आते हैं तथा वैसी योग्यता वे रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्रीजी इस पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री बनारसीदास—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मदन गोपाल जी ने कहा कि आज प्रश्न यह है कि किस प्रकार से वैद्यक के स्तर को ऊंचा किया जाय। मूल अधिनियम में शिड्यूल ४ इसलिये रखा गया था कि अनुभव के आधार पर जो लोग अभी तक हिकमत या वैद्यक कर रहे हैं वे अपने को रजिस्टर करा सकें। खंड ३ में लिखा हुआ है कि खंड १ और २ के रहते हुये भी किसी समय भी खंड ३ लागू किया जा सकता है और इस समय भी स्थिति यह है कि खंड ३ अमल में है और उसके अमल में होने की वजह से अनुसूची का खंड ४ आज भी अमल में नहीं है। यदि हम उसको वैसे ही मान लें तो इस वक्त जो हमारे प्रदेश में अमल है वह भी खत्म हो जायगा और तमाम उन लोगों को जो पसारी आदि का काम करते हैं, उनके हाथ में जनता की जानों को खेलने का मौका हम दे देंगे और कोई आदमी जो यह सर्टिफिकेट ले लेगा कि वह ५ साल से हिकमत करता है, उसको हकीम बना दिया जायगा और श्रीमन्, यह स्थिति कभी खत्म न होगी और आयुर्वेद और हिकमत कभी भी विज्ञान के सामने खड़े न हो पायेंगे। और यदि वही लोग यह कहें कि उनको सर्टिफिकेट देने का अधिकार न दिया जाय तो मैं समझता हूँ कि उनको इस एतराज को रोकना नामुमकिन हो जायगा, यदि वह योग्यता का सर्टिफिकेट दें, तो उनको उसका स्टैन्डर्ड ऊंचा करना होगा। अब भी २६,००० वैद्यों की तादाद है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनमें से काफी ऐसे लोगों की संख्या भी है यद्यपि उन का रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन उनको सही मानों में वद्य नहीं कहा जा सकता है। हम तो आशा करते हैं कि वह इसमें सरकार का साथ देंगे और अच्छा होता कि वह यह प्रतिबन्ध न लाते क्योंकि इसका न होना ही जनता और वैद्य समाज के हित में है। जनता का हित इसी में है कि अच्छे सर्टिफाइड रजिस्टर्ड वैद्यों द्वारा उसकी सेवा हो, इसलिये मुझे यह कहते हुये खेद है कि ऐसा प्रतिबन्ध रखना जनता के स्वास्थ्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये घानक और हानिकारक होगा और वह आयुर्वेद की ही उन्नति में रोड़ा बनेगा और अहितकर होगा। इसलिये मुझे खेद है कि सरकार इसको स्वीकार करने में असमर्थ है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, जो दलील उस तरफ से पेश की गई है, मैं उसमें कोई नत्वा नहीं पाता हूँ और वह इसलिए कि जो बोर्ड बनेगा वह बेवकूफों का नहीं बनेगा, वह तो जो काफी अच्छे केलिबर के वैद्य हकीम होंगे, रजिस्टर्ड होंगे और यूनिवर्सिटीज और इन्स्टी-ट्यूशन से आवेंगे, उसके द्वारा यह बोर्ड बनाया जायगा तो फिर यह दलील देना कि अगर यह प्राविजोर होगा तो बहुत से ऐसे लोग आ जायेंगे जोकि जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करेंगे, न मालूम पंसारों कैसे उसमें चले आवेंगे। प्राविजो में तो कहा ही गया है कि ऐसे लोगों की जो अजियां आवेंगी वह बोर्ड के सामने पेश होंगी, वह उन पर विचार करेगा और जैसा उचित समझेगा वह उन पर आज्ञा देगा, तो मैं नहीं समझता कि अगर सरकार को उस बोर्ड पर विश्वास है तो वह कैसे ऐसे पंसारियों को सर्टिफिकेट दे दगा अगर विश्वास नहीं है तो हटाइय बोर्ड एमें को फिर उसका क्या लाभ। आप अपने बनाये हुये ही बोर्ड पर विश्वास न करें और कहें कि वह अच्छे लोग नहीं भेजेगा, उसमें भी आपने संशोधन के अनुसार रखा है कि हकीम वैद्य आ सकते हैं, अगर कोई अर्जी आवेगी तो वह उसकी परीक्षा ले सकत है और जानकारी करा सकते हैं कि वह पंसारों ही तो नहीं है और जनता के जीवन से खिलवाड़ करन वाला तो नहीं है। यह सब देखकर ही तो बोर्ड रजिस्टरी करगा, अगर एमा होगा तो कैसे आयुर्वेद रसातल को चला जायगा और यूनानी वाल लोग रसातल को चले जायगे और न जानें क्या क्या हो जायगा। इसलिये जैसा डर मन्त्री जी ने बताया इस तरह की कोई बात नहीं है। हम बोर्ड को ही तो अधिकार दे रहे हैं कि वह ऐसी अजियों पर विचार करके आज्ञा दे और इसमें मैं समझता हूँ कि यूनानी या आयुर्वेद को किसी प्रकार क खतरे का प्रश्न नहीं है और न जनता के जीवन के खतरे की कोई बात इससे आती है। बोर्ड में अच्छे होशियार, अच्छे केलिबर के लोग ही तो होंगे, उनको अधिकार होगा कि अगर कोई कैंडीडट ठीक नहीं है तो वह नियमों के अनुसार उसको रिजेक्ट कर दे। इसलिये मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वह पुनः इस पर विचार करें और मेरे संशोधन को मान लें।

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, मुझे केवल यही कहना है कि यह तो ठीक है कि बोर्ड निणय करेगा, लेकिन वह नियम बनायेगा और वह प्रतिबन्ध रखेगा, उसके अनुसार प्राथना-पत्र भी आवेंगे और अवधि भी उसमें ठीक होगी तो जब सब ठीक होगा तो बोर्ड क सामन सिवाय सर्टिफिकेट देने के कोई चारा न होगा। इसके अलावा जिनकी रजिस्ट्री न भी हुई होगी, उनको हम प्रैक्टिस से रोक नहीं रहे हैं, इसलिये उनक अनरजिस्टर्ड रहने से इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता है। अतः हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा २७ की उपधारा (१) क बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :—

“Provided that an application for entry in the register made by a person whose case is not clearly governed by the provisions of this Act or by the rules and regulations made thereunder shall be referred to the Board for such decision as it may deem fit.”

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५, १६ तथा १७

यू० पी० ऐक्ट
१०, १९३९
की धारा २८
का संशोधन ।

१५—मूल अधिनियम की धारा २८ के खंड (a) में शब्द 'medicine surgery or mid-wifery or' के स्थान पर शब्द 'Ayurvedic or Unani Tibi system of medicine, or' रख दिये जायें ।

यू० पी० ऐक्ट
१०, १९३९
की धारा
३० का
संशोधन ।

१६—मूल अधिनियम की धारा ३० में शब्द "Board" के स्थान पर शब्द "Registrar" और शब्द "Vaidyas" के बाद के कामों के स्थान पर शब्द 'or' रख दिये जायें ।

यू० पी० ऐक्ट
१०, १९३९
की धारा
३३ का
संशोधन ।

१७—मूल अधिनियम की धारा ३३ में शब्द "With fine which may extend to two hundred rupees" के स्थान पर शब्द "with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to two hundred rupees or with both" रख दिये जायें ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५, १६ तथा १७ इस विधेयक के अग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी और माननीय बालेन्दु शाह जी की रजामन्दी से यह प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि कल जो नान आफिशियल डे है उसका बजाय आफिशियल डे उसको मानकर इस विधेयक पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—कल जो नान आफिशियल डे है वह जो नान आफिशियल डे पहले कट गया था, उसके एवज में सरकार से पूछकर रखा गया था । अगर सदन की न रखने की राय है, तो नहीं रखा जायगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—इस पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बातचीत हुई थी, उसका एक अंश माननीय मन्त्री जी भूल गये कि हमको इसकी जगह पर एक दूसरा असरकारी दिन मिल जाय ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, मैं वह कहना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, यह बात सही है कि आप दूसरा रोज दे देंगे । तो कल असरकारी दिन नहीं रहेगा और सरकारी दिन रहेगा ।

नया खंड १७—अ

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड १७ के बाद एक नया खंड १७—अ इस प्रकार बढ़ा दिया जाय :—

"१७—अ—मूल अधिनियम की धारा ३५ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य निकाल दिये जायें ।"

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि धारा ३५ मूल अधिनियम की जो है, उसको कहीं इस अधिनियम में टच नहीं किया गया है, इसलिये यह संशोधन नहीं आ सकता ।

श्री अध्यक्ष—देखना यह कि यह कनेक्टेड है या नहीं ? यह उस दायरे में आता है या नहीं ?

श्री बनारसीदास—यह प्रवेशकों के उत्तरदाताओं को मना सकता है कि स्वीकार कर लिया जाय, जो उचित होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी ने पूछे हुए प्रश्न।

श्री अध्यक्ष—आइए प्रश्न का उत्तर दें कि यह जो न देखेंगे नूँ न मानते हूँ, उसके बारे में जो कमेंट करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ।

(थोड़ा देर के बाद)

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमान्, आप देखें जो कमी हमने खंड १४ पान किया है उनमें हमने धारा २७ को बदल दिया है। जो नई धारा २७ है इसकी उपधारा (१) के अन्त में आप देखेंगे कि एक लाइन है।

“When the name of a person has been registered in accordance with the provision of said section he shall be granted a certificate in the prescribed form.”

पहले जो अधिनियम था उसके अनुसार केंद्रों रजिस्टर में इंटी होती थी, सर्टीफिकेट नहीं मिलता था, लेकिन नई धारा के अनुसार प्रत्येक इंटी के होने पर एक सर्टीफिकेट मिल जायगा। प्रतिबन्धात्मक वाक्य में संशोधन करने का जो अर्थ है उसके अनुसार जब रिस्ट गजट में पवित्र हो जायगी, तो उसके अनुसार भी सर्टीफिकेट इसमें किया जायगा। तो यह कांति-वैधानिक है, क्योंकि हर एक केस में सर्टीफिकेट इसमें होगा।

श्री अध्यक्ष—आपका संशोधन इस ऑर्डर में है। आप जारी रखें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—खंड १७ में प्रत्येक इंटी जो रजिस्टर में होगी, वैद्यों या हकीमों के बारे में उसके लिये सर्टीफिकेट इसमें होगा। अथ नया सर्टीफिकेट इसमें करना बेकार होगा। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह मेरा संशोधन, जो धारा ३५ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य को निरालने का है, मंजूर कर लिया जाय।

श्री बनारसीदास—श्रीमान्, स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ के बाद नया खंड १७-अ निम्न प्रकार से बढ़ा दिया जायः—

“१७—(अ)—यह अधिनियम की धारा ३५ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य निराल दिये जायें।”

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नया खंड १७ अ-विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खंड १८

१८—यह अधिनियम की धारा ३६ के स्थान पर निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाय—

यू० पी० ऐक्ट
१०, १९३९
की धारा ३६
का संशोधन।

“36. The Board shall have the following powers and duties, namely:—

Powers
and duties
of the
Board.

(1) to advise the State Government in matters relating to Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine including research and post-graduate education ;

विश्वता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(2) to accord, suspend or withdraw recognition or affiliation to Ayurvedic or Unani Educational Institutions of the State on the recommendations of the Faculty ;

(3) to publish the results of the examinations conducted by the Faculty ;

(4) to grant degrees or diplomas to candidates who are successful at the Board's examination ;

(5) to levy fees laid down in regulations for admission to Board's examinations;

(6) to allot adequate funds to the Faculty for carrying out its duties;

(7) to perform such other functions for the development of Ayurvedic and Unani Education as may be consistent with the provisions of the Act; and

(8) to exercise such other powers as may be specified by or under this Act."

†श्री नवल किशोर—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६ की उपधारा (२) की पंक्ति २ में से शब्द "of the State" निकाल दिए जायें। इस संशोधन के बाद उपधारा (२) इस प्रकार हो जायगी :—

"to accord, suspend or withdraw recognition or affiliation to Ayurvedic or Unani Educational Institutions on the recommendations of the Faculty."

यह बहुत छोटा सा संशोधन है। इसका अभिप्राय यह है कि अगर 'आफ दी स्टेट' रहता था तो जो संस्थायें प्रदेश के बाहर थीं, उन पर कोई अधिकार नहीं रहता था। इसलिए यह संशोधन मने रक्खा है 'आफ दी स्टेट' अगर निकाल दिया जायगा, तो उन इन्स्टीट्यूशंस के बारे में भी अधिकार हो जायेंगे जो स्टेट के बाहर हैं।

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, यह भी स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६ की उपधारा (२) की पंक्ति २ में से शब्द "of the State" निकाल दिया जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६ की उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय—

"Provided that no such action shall be taken without affording the Committee of Management of such institution an opportunity of making such representation as it may deem fit."

केवल आशय यह है कि जब बोर्ड किसी इन्स्टीट्यूशन का रिकग्नीशन सस्पेंड करे तो जिस इन्स्टीट्यूशन को सस्पेंड किया जाय, उसकी रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार होना चाहिये। अगर माननीय मन्त्री जो इस बात का आश्वासन दे दें कि उनको किसी नियम से या किसी रेगुलेशन से यह अधिकार रहेगा कि बिना उनके रिप्रेजेंटेशन को सुने उनके एफिलियेशन को सस्पेंड या कैंसिल न किया जाय, तो मुझे कोई आपत्ति न होगी, लेकिन उनको अधिकार मिलना चाहिये अपनी बात को रिप्रेजेंट करने का तब फायनल आर्डर हो।

श्री जगन्नाथ मल्ल—सदन में कोरम नहीं है।

†बक्ता ने भाषण का पुनर्वाक्षण नहीं किया।

(जो ब्रह्म ई गई और कोरस पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बनारसी दास— श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि इसमें बोर्ड को अधिकार दिया गया है मूल अधिनियम की धारा ३७ में कि क्लस और रगुलेन्स को बनाने का और सरकार को भी अधिकार है। मूल अधिनियम की धारा ४२ में, क्लस बनाने का नो क्लसी को बंधना देना या मान्यता छीनना यह आबिट्रेरिली तो होता नहीं। उसके लिये नियम हीने हैं। इसलिये नियम के अनुसार यह सारा कार्य हीगा। इसलिये एक्ट यहां ब्रह्म की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि माननीय मौर्य जी अपने संशोधन को वापस लें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जो आश्चर्यजनक दिया गया है उसको देखने हुये मैं समझता हूँ कि आप आज्ञा दें कि मैं इस संशोधन को वापस ले लूँ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६ की उपधारा (४) के बाद निम्न वाक्य-समूह बढ़ा दिया जाय—

“And to grant scholarships and medals to such students of institutions affiliated to recognised by the Board who may be poor and deserving or industrious, and with the sanction of Government to grant to students domiciled in this Province scholarship for research or special study in any medical institution that the Board may think fit whether in India or abroad, and to endow chairs of Ayurvedic and Unani Tibbi system of medicine in institutions affiliated to the Board.”

श्रीमन्, जो नयी धारा ३६ है, खंड १८ के द्वारा जो बनायी जा रही है, इसमें आयुर्वेदिक और यूनानी शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने या उनको सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में अधिकार बोर्ड को दिया गया है। साथ साथ जो परीक्षाएँ होती हैं, उनका नतीजा प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया है, और डिग्री, डिप्लोमा ग्रांट करने का, चेंबर एंडाऊ करने का भी अधिकार दिया गया है। आगे चलकर जो फैकल्टी को अधिकार दिये गये हैं, उनमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, जिसके अनुसार स्कालरशिप या मेडल देने के सम्बन्ध में वह रखी गयी हो। मूल अधिनियम की धारा ३६(४) में पहले जो शब्दावली थी, उसको श्रीमन्, देख लें, उसकी भाषा को मैंने सुद्ध कर दिया है अपने दृष्टिकोण से और उपधारा (४) का फिर समावेश खंड १८ में इस प्रकार किया है। मुझे आशा है कि चूंकि बोर्ड को एक शक्ति होने की चाहिये स्कालरशिप देने की, मेडल देने की और चेंबर एंडाऊ करने की ताकि कुछ रिसर्च वर्क हो सके या विशेष शिक्षा के लिये बाहर विद्यार्थियों को भेजना पड़े, इसलिये यह संशोधन अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमन्, नं० ४१ पर मेरा एक संशोधन है। उसका भी यही आशय है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उसको पेश कर दूँ।

श्री अध्यक्ष—आप उपस्थित कर दें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६ की उपधारा (६) के बाद निम्न नये भाग जोड़ दिये जाय :—

“(a) to grant scholarship and medals to such students of institutions affiliated to the Board who may be poor and deserving or meritorious and with the sanction of State Government, to grant to

। वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

students domiciled in this Province scholarship, for research or special study in any medical institution that the Board may think fit, whether in India or abroad, and to endow chairs of Indian medicine and Surgery in institution affiliated to the Board;

(b) to establish and finance dispensaries, hospitals and educational institutions of Indian systems of medicine and subject to rules framed by Government to distribute grants out of the funds at the disposal of the Board to such dispensaries, hospitals and educational institution in the State;

(c) to suspend or withdraw the grants to a dispensary or educational institution of Indian system of medicine, provided that no such action will be taken without affording the institution an opportunity to explain."

सिर्फ मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सारे अधिकार बोर्ड को पहले के ऐक्ट में दिये गये थे। मौजूदा विधेयक में जितने अधिकार दिये गये हैं उनमें यह नहीं रखा गया है, हालां कि यह आवश्यक है। और माननीय नारायण दत्त जी ने जो संशोधन किया है वह मेरे संशोधन के केवल एक अंश से सम्बन्धित है, यानी (a) से, लेकिन मेरे संशोधन में थोड़े से लफ्जों का अन्तर है, जैसे कि मैंने आखिर में 'मेडिसिन' और 'सर्जरी' भी रखे तो सर्जरी भी वैद्य और हकीम का काम है ही। नारायण दत्त जी ने नहीं रखा है। मैं समझता हूँ मेरा (a) बिल्कुल उनके आशय से तो मिलता-जुलता है, शब्दों में पुराने ऐक्ट के अनुरूप है। (b) (c) भी बोर्ड के ही पहले फंक्शंस में थे और यह तीनों फंक्शंस बोर्ड के जरूरी हैं, उसको मिलने चाहिये। तो मैं समझता हूँ कि यह जो मेरा संशोधन है स्वीकार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—(माननीय नारायण दत्त जी से) आप भी अपना संशोधन जो क्रम संख्या ४० पर है उसको पेश कर दें तो एकदम सब पर विचार हो जाय क्योंकि द्वारका प्रसाद जी ने अपना क्रम संख्या ४१ पर दिया हुआ संशोधन पेश कर दिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है माननीय मन्त्री जी को मानने में दिक्कत हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—मैं अलग-अलग वोट ले लूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६ की उपधारा (5) के अन्त में सेमीकोलन (;) के बाद निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं—

"and to appoint, with the previous sanction of the Provincial Government inspectors for the inspection of recognised or affiliated institutions."

श्रीमन्, आप देखेंगे कि जो फैंकल्टी आगे चलकर बनायी गई है उसके अधिकार देने के सम्बन्ध में जो उपधारा (e) है ३६ (b) की "to cause inspection of affiliated institutions of the Board; and" तो-इंस्पेक्शन करने के लिये इंस्पेक्टरों की नियुक्ति आवश्यक है और बोर्ड इस बात की कामना कर सकता है कि बोर्ड की ओर से आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज के इंस्पेक्शन हों, इन्स्टीट्यूशंस का इंस्पेक्शन हो। पहले भी इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उपधारा (१०) थी। अब मैंने जो पहले आयुर्वेद, यूनानी डिस्पेंसरीज शब्द रखे थे, उसे हटा दिया क्योंकि खैर कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि डायरेक्टर आयुर्वेद अगर बना दिया जायगा तो यह

† वक्ताने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम डायरेक्टर आयुर्वेद को ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिये । लेकिन अब मन्त्री जी कहत हैं कि डायरेक्टर आयुर्वेद को ही बोर्ड का अध्यक्ष बनायेंगे । तो अगर डायरेक्टर अध्यक्ष हो जायगा तो इन्स्पेक्टर का बोर्ड के अधीन रहना अधिक अच्छा होगा । इसलिये मैं चाहूंगा कि इन्स्पेक्टर की नियुक्ति प्रान्तीय सरकार की सहमति से बोर्ड के ही द्वारा होनी चाहिये । तो मैं आशा करूंगा कि मन्त्री जी इस महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकार करेंगे । विशेषकर जबकि फैंकल्टी को अधिकार नहीं दिया गया है इन्स्पेक्टर नियुक्त करने का तो बोर्ड इन्स्पेक्टर नियुक्त करे और बोर्ड और फैंकल्टी जब उचित समझे तो इन्स्पेक्टर के द्वारा इन्स्पेक्शन करायें ।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, अभी जो संशोधन नारायण दत्त जी ने पेश किया और श्री द्वारका प्रसाद मौर्य ने अपना संशोधन पेश किया, उसमें अगर वे मेरा यह संशोधन मान लें तो मुझे इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं । जैसा मौर्य जी ने कहा "to grant scholarship and medals to such students" तो "such" को हटा दिया जाय और यहां "deserving" बढ़ा दिया जाय और "who may be poor and deserving or meritorious" निकाल दिया जाय । तो मेरा मंशा यह है कि मैं चाहता हूँ कि 'पूअर' 'मैरीटोरियस' जब एक साथ रखेंगे तो अगर कोई गरीब लड़का है 'मैरीटोरियस' और 'डिजरविंग' नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा । 'डिजरविंग' जरा कमप्रीहेन्सिव है, उसमें सब आ जानें, तो इसलिये मुझे इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं, अगर "such" को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "deserving" रख दिया जाय और "who may be poor and deserving or meritorious" निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—“institutions affiliated to the Board” ये शब्द रहेंगे ।

श्री बनारसीदास—“to grant scholarship and medals to deserving students of institutions affiliated to the Board and with the sanction of State Government, to grant to students domiciled in this province scholarship, for research or special study in any Medical Institution that the Board may think fit, whether in India or abroad, and to endow chairs of Indian Medicine and Surgery in Institution affiliated to the Board.”

श्री नारायण दत्त तिवारी—और इंडियन मेडिसिन ऐन्ड सर्जरी के स्थान पर आयुर्वेदिक ऐन्ड यूनानी तिब्बी सिस्टम भी कर दीजिये ।

श्री बनारसीदास—वह तो आ जायगा सभी जगह ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—माननीय मन्त्री जी ने मुझे जो सुझाव अभी दिया है उनको मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । केवल एक ही सुझाव और देना चाहता हूँ कि 'एफिलियेटेड टु ऐन्ड रिकग्नाइज्ड बाई' भी जोड़ लें तो क्या बुराई है ?

श्री बनारसी दास—यह तो शाब्दिक है ? माननीय अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, यह शाब्दिक नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मान लीजिये न, एफिलियेटेड टु ऐन्ड रिकग्नाइज्ड बाई ?

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, इसमें जब एफिलियेटेड शब्द है तो मैं समझता हूँ कि इससे मंशा पूरी हो जाती है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—ऐसे भी हो सकते हैं जो रिकग्नाइज्ड हों, लेकिन एफिलियेटेड न हों । इसलिये ऐसी व्यवस्था कर दें, तो अच्छा है । पहले ऐसी व्यवस्था थी ।

श्री बनारसी दास—उसकी अध्यक्ष महोदय, मंशा बिल्कुल साफ है। एफिलियेटेड और रिकग्नाइज्ड दोनों में अन्तर है। लेकिन हम चाहते हैं उसके क्षेत्र को केवल एफिलियेटेड तक ही सीमित रखना ताकि जो एफिलियेटेड इन्स्टीट्यूशन्स हों, उन्हीं के लड़कों को बोर्ड स्कालरशिप दे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—खैर, जो भी शब्द हों। मैं एफिलियेटेड वालों को भी वंचित नहीं रखना चाहता।

श्री अध्यक्ष—आपने 'बी' और 'सी' के बारे में नहीं बतलाया।

श्री बनारसी दास—जहां तक 'बी' और 'सी' का सवाल है तो 'बी' के बारे में पहले ही मैं निवेदन कर चुका हूँ कि जहां तक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज का सवाल है तो उनके बारे में तो मैंने बताया अभी भी केवल ३६ हजार रुपया दिया जाता था, कुछ गवर्नमेंट एड दे देती थी, कुछ उनसे मिलता था। लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता था। इसलिये 'बी' को मानने में असमर्थता है और जहां तक 'सी' का सवाल है "टु सस्पेंड आर विथड्रावी ग्रांट्स टु ए डिस्पेंसरी आर एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स," तो यह तो उससे सम्बन्धित है। डिस्पेंसरीज का तो सवाल नहीं होता। अब एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स का सवाल है तो उनको भी सरकार सहायता देती है और देगी तो जब 'बी' को नहीं मानते तो 'सी' का पोर्शन भी निकल जाता है। इसलिये नारायण दत्त जी के संशोधन का जहां तक सवाल है—

"and to appoint, with the previous sanction of the Provincial Government inspectors for the inspection of recognized or affiliated institutions."

श्रीमन्, आप जानते हैं यूनिवर्सिटी किसी कालेज को मान्यता देती है तो इन्सपेक्टरों को रखे जाते नहीं। उसके लिये स्वयं यूनिवर्सिटी सदस्यों को नियुक्त कर देती है और अभी भी जिनको मान्यता दी जाती है इन्सपेक्टरों की जरूरत अब भी नहीं होती। बोर्ड अपन सदस्य मुकर्रर करती है और फिर आप देखेंगे मूल अधिनियम की धारा २४ में उसकी उपधारा (३) के अन्दर दिया हुआ है—

"The Board may appoint such other officers as may be necessary for carrying out the purposes of the Act."

तो आवश्यकता होगी तो मूल अधिनियम की धारा २४ के अनुसार बोर्ड अपन कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा। इसलिये श्री नारायणदत्त जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं समझता हूँ कि वह अनावश्यक है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, जो संशोधन माननीय नारायणदत्त जी और माननीय मौर्य जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है मैं उन दोनों का समर्थन करना चाहता हूँ। माननीय मन्त्री जी ने एक संशोधन मान लिया, जिसमें कि जो डिजर्विंग कैंडीडेट होंगे उनको स्कालरशिप या मेडल वगैरह देने की व्यवस्था है। लेकिन उसमें भी खाली एक ही अंश उन्होंने माना। वह सोचते हैं कि जो एफिलियेटेड इन्स्टीट्यूशन्स हैं उन्हीं के लड़के तेज होंगे और जो रिकग्नाइज्ड हैं उनमें लड़के तेज नहीं निकलेंगे। यह उनका सोचना भ्रम है। अगरचें वहां भी कोई लड़का अच्छा निकलता है तो कोई बजह नहीं माननीय मन्त्री जी ने बताया कि उनको भी स्कालरशिप या मेडल क्यों न दिया जाय। तो इस तरह से विनाता ऐसा व्यवहार करना यह कुछ ठीक शायद नहीं जंचता है। मैं तो कहूंगा कि उधर माननीय मन्त्री जी ध्यान दें और हो सकता है कि जो लड़के उसमें डिजर्विंग हों, जो बहुत हाई कैलिबर के हों उनको भी मेडल या स्कालरशिप इस किस्म की चीजे दी जाय ताकि उनको भी प्रोत्साहन मिल सके और ऐसे लड़के जो किसी रिकग्नाइज्ड इन्स्टीट्यूशन में पढ़ते हैं तो उ को भी यह महसूस हो सके कि हमको भी यह मिल सकता है। तो इसका

अर्थ यह होगा कि रिकग्नाइज्ड इन्स्टीट्यूशन में इस कारण कि वहां स्कालरशिप वगैरा नहीं निकल सकने हैं, वहां लड़क नहीं जायेंगे और माननीय मन्त्री जी के अफिलियेटेड जो इन्स्टीट्यूशन हैं, वहां जिनकी सीटे होंगी वह सब भर जायगी, तो इस किस्म क जो लड़क होंगे उनके लिये बड़ी दिक्कत हो जायगी। इसलिये मे सोचना है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस को चाहेंगे, जो होशियार और डिजविंग होगा उसको बोर्ड देगा।

श्री अध्यक्ष—आपको मालूम है कि अफिलिएशन और रिकग्नीशन क लिये कोई डेफिनीशन किन में है? जरा आप उस पर भी प्रकाश डाल दीजिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल—बाद में बतला दूंगा। तो यह बात थीं जिनको उन्होंने मान लिया। जहां तक नारायण दत्त जी का दूसरा संशोधन है, बोर्ड को यह भी पावर होनी चाहिये कि वह इन्सपेक्टर सुकरर कर सके ताकि जो इन्स्टीट्यूशन है उनका इन्सपेक्शन ही सके। मैं समझता हूं कि जब आफिसर सुकरर कर सकता है और इन ऐक्ट में भी वह बात रखी गयी थी तो यहां रख देने में मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत होगी और उसमें किसी किस्म की शकल बदल जायगी।

दूसरी चीज यह है कि जो माननीय मंत्री जी का संशोधन है कि गवर्नमेन्ट जो है वह उन इन्स्टीट्यूशन को बोर्ड क डिम्पोजल पर देगी और वह उन लोगों को एड वगैरा दिया करेगा, तो उनको भी रहन दीजिये। आप यह न सोचिये कि हम ही एड दिया करें। बोर्ड को भी अख्तियार दीजिये एड देने का ताकि वह भी अपनी रेस्पॉसिबिलिटी समझे कि हम भी इन्स्टीट्यूशन को ग्रांट इन एड देते हैं। इससे बोर्ड की मर्यादा बढ़ेगी। आप तो सबको एड देने ही हैं। इन चन्द शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि आप इसको स्वीकार करेंगे और इसको मन्जूर करने की कृपा करेंगे।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट ने जो यह मन्जूर किया है कि डिजविंग कन्डीशेंट को स्कालरशिप दग, लेकिन रिकग्नाइज्ड और अफिलियेटेड में यह अन्तर है कि अफिलियेटेड में तो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे और कायदे से पढ़ेंगे, इन्स्टीट्यूशन नियन्त्रण में रहेंगे और जिनको रिकग्नीशन देंगे तो उन पर कोई कन्ट्रोल नहीं होगा, किसी को वे पकने हैं, यह हमारे अन्दर नहीं होंगे, वह अपने यहां रखे रहेंगे, उनका हक मारा जायगा जोकि यूनिवर्सिटी में हमारे लड़के आये और मेहनत करें। इसलिये मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट ने जो 'पूअर' शब्द तो निकाल दिया है, लेकिन 'डिजविंग' रखा है, उससे यह सिद्ध होता है कि सरकार की नीयत बुरस्त है और वह उन विद्यार्थियों की मददगार है और उन विद्यार्थियों और उसकी इच्छाओं में कोई अन्तर नहीं है। मैं समझता हूं कि यह सरकार ने जो रखा है उनको मान लेना चाहिये और यह संशोधन वापस होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने मेरे प्रथम संशोधन को तो स्वीकार किया है, लेकिन उसमें उन्होंने एक शर्त लगा दी कि जो स्कालरशिप या मेडल दिये जायेंगे वह केवल अफिलियेटेड इन्स्टीट्यूशन से संबन्धित संस्थाओं के विद्यार्थियों को दिये जायेंगे। आपने जो प्रश्न उठाया था उसके सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान नयी धारा ३६, जो कि खंड १८ के द्वारा बताया गयी उसकी उपधारा (२) की ओर दिलाना चाहता हूं।

“to accord, suspend or withdraw recognition or affiliation to Ayurvedic or Unani Educational Institutions of the State on the recommendations of the Faculty.”

यह तो रिकग्नीशन और अफिलियेशन को अलग कर दिया है। पहले ऐसा नहीं था। पहल जो शब्दावली थी, मैं इधर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि धारा ३६ की नकल कर दी है कि:—

The Board shall have the following powers, namely :

(1) to establish or recognise educational or instructional institutions of Indian system of medicines for purposes of affiliation.”

श्रवता ने भाषण का पुनर्वाक्य नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

पहले रिकग्नीशन अफीलियेशन होने के लिये होता था। इसमें कोई फर्क नहीं था। इस-लिये प्रत्येक विद्यार्थी को स्कालरशिप मिल सकता था। लेकिन अब नई धारा के अनुसार फर्क कर दिया गया है। इसलिये मैं चाहता था कि रिकग्नाइज्ड और अफीलियेटेड दोनों के विद्यार्थियों को पुराने दृष्टिकोण के अनुसार स्कालरशिप मिल जाय। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं आशा करता हूँ कि मन्त्री जी दुबारा इस पर विचार करेंगे और इसको स्वीकार कर लेंगे और स्वीकार किये हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधित रूप मन्त्री जी ने उपस्थित किया है वह मुझे स्वीकार है और मैं समझता हूँ कि मेरा जो संशोधन था उसमें जो (ए) म सरजरी है वह भी ठीक है, बाकी 'बी' और 'सी' को मैं वापस लेना चाहता हूँ। है।

श्री अध्यक्ष—अब तो वह समय नहीं है। बात यह है कि जवाब हो चुका है।

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, नारायण दत्त जी ने कहा है उसक लिये मैं उनका ध्यान मूल अधिनियम की धारा ३६ (४) की ओर दिलाना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि:-

“(4) to grant scholarships and medals to such students, or institutions affiliated to the Board who may be poor and deserving, or meritorious; and with the sanction of Government, to grant to students domiciled in this Province, scholarships, for research or special study in any medical institution that the Board may think fit, whether in India or abroad, and to endow Chairs of Indian Medicine and surgery in institutions affiliated to the Board.”

लिहाजा यहाँ इसमें यह भी लिखा है कि जहाँ परपज आफ अफीलियेशन है तो यह नहीं है कि रिकग्नीशन अफीलियेशन भी हो गया। बहुत से ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स हैं जैसे साहित्य-सम्मेलन आदि जो इन्तहान कंडक्ट करते हैं। हमने उनको रिकग्नाइज कर लिया है, लेकिन अफीलियेटेड नहीं हैं। इसलिये जैसा कि माननीय मौर्य जी ने माना है, मैं समझता हूँ कि माननीय नारायण दत्त जी भी उसको मान लेंगे। जहाँ तक मल्ल जी कह रहे थे कि ३६ के मातहत यह क्यों नहीं रखा। कि बोर्ड को अख्तियार होगा और कैसे कार्यान्वित किया जायगा, इसके लिये विधेयक में अधिनियम में धारा मौजूद है। इसलिये इन्सपेक्टर्स को मुकर्रर करना संगत नहीं है। जैसा मैं कह चुका हूँ कि बोर्ड कर्मचारी रख सकता है जो ताकत उसको दी गई है उसको कार्यान्वित करने के लिये और वह रेगुलेशन भी बना सकता है। इन्सपेक्टर्स को मुकर्रर किया जाना उचित नहीं होगा और यह बोर्ड की प्रतिष्ठा के विरुद्ध होगा। इसलिये मौर्य जी की तरह श्री नारायण दत्त जी भी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—इसको आप ४ के बाद बढ़ाना चाहते हैं ?

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि शब्द 'Such' निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—म समझता हूँ कि अगर इसको (॥) के बजाय उपधारा (९) कर दिया जाय. उपधारा (८) के बाद, तो ठीक होगा।

(कुछ ठहर कर) अब मैं एक एक को ले लेता हूँ। पहले मैं श्री नारायणदत्त जी के संशोधन को लूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं अपना संशोधन जो आइटम ३९ पर है, वापस लेना चाहता हूँ।

(सदन की अमूमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—दूसरा संशोधन नारायणदत्त जी का यह है आइटम ४० पर।

प्रश्न यह है कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६ की उपधारा (५) के अन्त में सेमीकोलन (;) के बाद निम्न शब्द बढ़ा दिये जाय—

“and to appoint, with the previous sanction of the Provincial Government inspectors for the inspection of recognised or affiliated institutions.”

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री द्वारका प्रसाद जी द्वारा उपस्थित संशोधन को कि निम्न भाग (b) और (c) जोड़े जाय, वापस लेने की अनुमति दी जाय।

“(b) to establish and finance dispensaries, hospitals and educational institutions of Indian systems of medicine and subject to rules framed by Government to distribute grants out of the funds at the disposal of the Board to such dispensaries, hospitals and educational institution in the State;

(c) to suspend or withdraw the grants to a dispensary or educational institution of Indian system of medicine, provided that no such action will be taken without affording the institution an opportunity to explain.”

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६ की उपधारा ८ के बाद निम्न नई उपधारा (९) जोड़ दी जाय —

“(९) to grant scholarship and medals to deserving students of institutions affiliated to the Board and with the sanction of State Government, to grant to students domiciled in this Province scholarship, for research or special study in any Medical Institution that the Board may think fit, whether in India or abroad, and to endow chairs of Indian Medicine and Surgery in Institution affiliated to the Board.”

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं एक बात जानना चाहता हूँ श्री धर्मदत्त वैद्य के संशोधन के सिलसिले में। जहाँ मूल नियम अंग्रेजी में है वहाँ हिन्दी में संशोधन किन-किन स्थितियों में आ सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—वह तो उपस्थित नहीं हुआ। उसके लिये मैं अपने कमरे में अपनी राय अलग दे दूंगा। उसके लिये इस समय सदन का समय नहीं देने दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—चूंकि यह प्रश्न सामने आ गया है, इसलिये आप अपनी राय कल दे दें।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्दीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में आ कर पूछ सकते हैं ।
अब समय नहीं है । (श्री जगन्नाथ मल्ल से) आप अपना संशोधन अगले दिन पेश करियेगा ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ;
१५ दिसम्बर, १९५५ ई० ।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश ।

नस्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७-८ के उत्तर पीछे पृष्ठ १७०-१७१ पर)
गाजीपुर बिजली सप्लाई कम्पनी के विरुद्ध शिकायतों की सूची

- | | | | |
|----|--|-----|--|
| १ | घीमी रोशनी | ... | बिजली सप्लाई कम्पनी, गाजीपुर को हाईडिल से बिजली मिल जाने के बाद से स्थिति में काफी सुधार हो गया है। २९ सितम्बर, १९५५ से २४ घण्टें बिजली मिलती है। |
| २ | बिजली का बार बार भंग हो जाना | | |
| ३ | निश्चित घण्टों की सप्लाई | | |
| ४ | जनरेटिंग सेट को चालू रखने के लिए डीजल आइल में ० ए० द्वारा कम दिया जाता है और जैसे ही यह समाप्त होता है बिजली की सप्लाई बन्द हो जाती है | | |
| ५ | नये बिजली के कनेक्शनों के लिये बिजली की कमी | | |
| ६ | स्टैंडर्ड एग्रीमेन्ट फार्म में एक नये क्लाज का बढ़ाना | | आदेशानुसार बिजली कं० ने नए क्लाज को अब निकाल दिया है। |
| ७ | बिजली के कुछ उपभोक्ताओं को बिना मीटर के बिजली का प्रयोग करने देना | | बिजली कम्पनी को मीटर लगाने के लिये आदेश दे दिया गया है, परन्तु अभी कुछ मीटर लगाना बाकी है। |
| ८ | बिजली के कुछ उपभोक्ताओं से मिनी-मम चार्ज अधिक लिया जा रहा है | | कम्पनी ने आदेशानुसार इस त्रुटि को सुधार लिया है। |
| ९ | कुछ उपभोक्ताओं के एग्रीमेन्ट फार्म अभी तक पूरे नहीं हुए हैं | | एग्रीमेन्ट फार्म पूरे हो गये हैं। |
| १० | बिजली सप्लाई कम्पनी मीटर की भी सिक्युरिटी लेती है और उस पर व्याज नहीं देती है | | एक उपभोक्ता के झगड़े के सम्बन्ध में इस विषय पर आदेश दिया जा चुका है परन्तु कम्पनी ने कोर्ट की शरण ली है। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। |
| ११ | १०० फीट के अन्दर के सर्ვის लाइन चार्ज भी बिजली उपभोक्ताओं को देने पड़ते हैं | | इस विषय में इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के शेड्यूल की क्लाज ६ (३) के अनुसार उपभोक्ता इलेक्ट्रिक इन्सपेक्टर से निर्णय करा सकता है, इस प्रकार के जो झगड़े इलेक्ट्रिक इन्सपेक्टर को भेजे गये थे, उनका फैसला हो गया है। |
| १२ | बिजली के बिल रुपया जमा करने के बाद भी उपभोक्ताओं को वापिस नहीं किये जाते हैं | | इस सम्बन्ध में बिजली कम्पनी को आदेश दे दिया गया था। अब वह बिल उपभोक्ताओं को भेज देती है। |
| १३ | बिजली की दरें बहुत अधिक हैं | | गाजीपुर में बिजली की दरें स्केल आफ चार्ज के अनुसार हैं। |
| १४ | वार कास्ट सरचार्ज अभी तक लागू है | | इसे खत्म कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। |
| १५ | साधारण अयोग्यता आदि | | एक योग्य रेजिडेन्ट इन्जीनियर को सप्लाई कम्पनी, गाजीपुर में नियुक्त करने के लिये सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं और कम्पनी इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर रही है। |
| १६ | बिजली सप्लाई कम्पनी, गाजीपुर के कर्मचारी योग्य नहीं हैं | | |

- १७ बिजली सप्लाई कम्पनी, गाजीपुर सरकार को आडिटेड एकाउन्ट्स नियमानुसार नहीं भेज रही हैं कम्पनी को लिखा गया है कि वह दो मास के भीतर आडिटेड एकाउन्ट्स सरकार को भेजे ।
- १८ बिजली सप्लाई कम्पनी गाजीपुर ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का रुपया भी सरकारी कोष में जमा नहीं किया था सरकार के लिखने पर अब जमा कर दिया गया है ।
-

नस्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७४ पर)

भ्रष्टाचार विरोधी समितियां जिन जिलों में पुनस्संगठित हो चुकी हैं
उनकी तालिका

१	बांदा	१४	लखीमपुर-खीरी
२	मुरादाबाद	१५	अलीगढ़
३	बाराबंकी	१६	बलिया
४	कानपुर	१७	हरदोई
५	गोंडा	१८	दिहरी-गढ़वाल
६	जालौन	१९	रायबरेली
७	बहराइच	२०	हमीरपुर
८	मैनपुरी	२१	उन्नाव
९	देवरिया	२२	मुल्तानपुर
१०	इलाहाबाद	२३	इटावा
११	सहारनपुर	२४	पीलीभीत
१२	देहरादून	२५	बनारस
१३	सीतापुर		

नत्थी 'ग'
(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७७ पर)

सूची

इस प्रदेश में टरपेन्टाइन निकालने के लिये एकत्रित किये जाने वाले लीसे का व्योरा

रिजर्व्ड फारेस्ट्स		मन	सिविल और पंचायत फारेस्ट्स मन
वेस्ट अल्मोड़ा	..	१,००,२९०	२८,९५०
नैनीताल	..	२८,४५०	३,९६०
ईस्ट अल्मोड़ा	..	६०,१७०	५,७००
गढ़वाल	..	३१,५५०	३,४८०
योग		२,२०,४६०	४१,५९०
<hr/>			
टिहरी-गढ़वाल			
टिहरी	...	२५,०००	
उत्तरकाशी	...	३७ ०००	
योग		६२,०००	
<hr/>			
पूर्ण योग		..	३,२४,०५०

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

अमरोहा, जिला मुरादाबाद में सितम्बर व अक्तूबर सन् १९५५ में हुई चोरी, नकबजनी और ताला तोड़ने की घटनाओं का विवरण

अपराध	दर्ज हुये	जांच हुई	चालान हुये	जांच हो रही है	अदालत में चल रहे हैं	जांच नहीं हुई	फाइनल रिपोर्ट लगी	
१	२	३	४	५	६	७	८	
चोरी	...	८	६	२	१	२	१	४
नकबजनी	...	३	२	१	१	१	...	१
ताला तोड़ना	...	४	३	...	१	३

नस्थी 'ड'

(देखिये ताराकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८४ पर)

सन् १९५४ तथा १९५५ में जिला भ्रष्टाचार विरोधी समिति, हमीरपुर द्वारा पास किये गये प्रस्तावों तथा उनपर जो कार्यवाही हुई उसकी तालिका

क्रम- संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही का विवरण
१	हमीरपुर, राठ और मौदहा तहसीलों में भ्रष्टाचार विरोधी कार्य की प्रगति पर सोच-विचार। निश्चय किया गया कि हमीरपुर तहसील उप-समिति को सूचित किया जाय कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी खाद्य पदार्थों में भ्रष्टाचार के निवारणार्थ आवश्यक प्रयत्न कर रहे हैं।	तदनुसार सम्बन्धित उप-समिति को लिखा गया।
२	निश्चय किया गया कि हाकिम परगना को लिखा जाय कि भ्रष्टाचार विरोधी उप-समितियों की बैठक नियमित रूप से की जाय और कार्यवाही का विवरण जिला समिति के पास सूचनार्थ भेजा जाय।	तदनुसार सम्बन्धित हाकिम परगना को लिखा गया।
३	थाना बेवर और सुमेरपुर के थानेदारों तथा थानेदार खन्ना के विरुद्ध शिकायतों की जांच के सम्बन्ध में सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से स्थिति मालूम करने का सुझाव स्वीकृत हुआ।	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की जांच से पता लगा कि एक मामले में लगभग सभी गवाहों के बयान हो चुके एवं किसी गवाह के बिगड़ने की संभावना नहीं पायी गई तथा थानेदार खन्ना का प्रत्यावर्तन और तबादला हो गया।
४	भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम के सिंहावलोकन के सिलसिले में यह निश्चय किया गया कि भ्रष्टाचार विरोधी उप-समितियों को आदेश दिये जाय कि वे भ्रष्टाचार के निश्चित मामले पर्याप्त सबूत के साथ जिला समिति को भेजें ताकि उन पर उपयुक्त कार्यवाही हो सके और भ्रष्ट कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ने का प्रबन्ध किया जा सके।	तदनुसार सम्बन्धित परगना अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी किये गये।

क्रम- संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही का विवरण
५	निश्चय किया गया कि समिति के सदस्य द्वारा जो भ्रष्टाचार के निश्चित मामले पेश किये जायं, उनमें वैभागीक अधिकारी जांच के दौरान में उक्त सदस्य का सहयोग प्राप्त करें	सरकारी आदेश सं० ए-५८६-२५/सी-एक्स, दिनांक २६ फरवरी, १९५४ द्वारा वैभागीक अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिये जा चुके हैं ।
६	निश्चय किया गया कि प्रत्येक तहसील उप-समिति को शिकायती बक्स प्रदान किये जायं	तदनुसार शिकायती बक्सों का प्रबन्ध कर दिया गया ।
७	निश्चय किया गया कि समिति के सामने जो चार शिकायतें पुलिस के विरुद्ध आई हैं उन्हें सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास जांच के लिये भेजा जाय	तदनुसार शिकायतें सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को आवश्यक जांच हेतु भेजी गईं । जांच द्वारा तीन शिकायतें निराधार पाई गईं तथा एक मामले में अदालती कार्यवाही के कारण जांच करना उपर्युक्त न समझा गया । समिति ने अगली बैठक में सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की रिपोर्ट स्वीकृत की ।
८	भ्रष्टाचार विरोधी उप-समितियों की कार्यवाही पर सोच-विचार । सुझाव स्वीकृत हुआ कि उक्त समितियों को नियमित रूप से बैठक करने तथा कार्यवाही जिला समिति की सूचनार्थ भर्जन के लिये पुनः आदेश भेजे जायं	तदनुसार सम्बन्धित परगना अधिकारियों को आदेश जारी किये गये ।
९	निश्चय किया गया कि तहसील उप-समितियों को, जो शिकायती बक्स दिये गये हैं, उन्हें प्रतिदिन तहसीलदार स्वयं खोलें और शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही करें	तदनुसार आदेश जारी किये गये ।
१०	भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के सम्बन्ध में सुझाव स्वीकृत हुआ कि ऐसी शिकायतों की तत्काल और मौके पर जांच की जाय, शिकायत करने वाले को सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाय और उसे जांच का नतीजा बताया जाय तथा प्राथमिक जांच की कार्यवाही अभियुक्त के समक्ष न की जाय	जिलाधीश तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने अधीनस्थ अधिकारियों को तदनुसार आदेश जारी कर दिये ।

क्रम संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही का विवरण
११	अष्टाचार निवारण सम्बन्धी प्रचार के सम्बन्ध में सुझाव स्वीकृत हुआ कि इस विषय पर पोस्टर तथा अन्य प्रकाशन आदि सूचना विभाग से मंगाकर प्रसारित किये जायं	तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हो रही है।
१२	समिति के समक्ष सदस्यों द्वारा लायी गयी तथा माल और पुलिस विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में निश्चय किया गया कि उन्हें जिलाधीश के पास जांच तथा रिपोर्ट के हेतु भेजा जाय	तदनुसार जिलाधीश को सूचित किया गया। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित हा किम परगना को जांच करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किये गये।
१३	समिति के सामने प्रस्तुत की गयी ग्राम समाज अधिकारी तथा पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में निश्चय किया गया कि उन्हें क्रमशः जिलाधीश तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास जांच एवं रिपोर्ट हेतु भेजा जाय	तदनुसार कार्यवाही के उद्घरण जिलाधीश तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को आवश्यक जांच के लिए भेजे गये।
१४	यह सुझाव स्वीकृत हुआ कि समिति के सदस्य, सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें लिखित रूप में दें, जिसमें सम्बन्धित कर्मचारी का तथा साक्षियों का पूर्ण विवरण हो ताकि जांच में सुविधा हो। निश्चय किया गया कि सभी सदस्यों को इससे अवगत कराया जाय	सभी सदस्यों को प्रस्ताव की प्रतिलिपि भेजी गयी।
१५	निश्चय किया गया कि मौदहा तहसील उप-समिति के समक्ष लायी गयी मौदहा खाने के अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास जांच तथा रिपोर्ट हेतु भेजी जाय	तदनुसार कार्यवाही का उद्घरण सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास जांच एवं रिपोर्ट हेतु भेजा गया।
१६	निश्चय किया गया कि जिला अष्टाचार विरोधी समिति के विधान के नियम ५ के अन्तर्गत समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी शिकायतों के जांच के सम्बन्ध में, जो निर्देश सरकार ने किये हैं उनकी ओर सभी स्थानीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाय	अष्टाचार विरोधी समिति के विधान के नियम ५ का उद्घरण प्रत्येक स्थानीय वैसायिक अधिकारियों के पास भेजा गया।

क्रम- सख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही का विवरण
१७	जांच के सिलसिले में लोगों के थाने पर अनावश्यक बुलाये जाने के संबंध में निश्चय किया गया कि यह प्रथा भ्रष्टाचार का कारण बन रही है, अतः सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से अनुरोध किया जाय कि थानेदारों को आदेश जारी कर दें कि केवल विशेष आवश्यकता होने पर ही व्यक्तियों को थाने पर बुलाया और तब भी सफीना द्वारा ही ऐसा किया जाय	प्रस्ताव की प्रतिलिपि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गयी।
१८	समिति के समक्ष पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी शिकायतों को सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास जांच तथा रिपोर्ट हेतु भेजने का सुझाव स्वीकृत हुआ	तदनुसार शिकायतें सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गयीं।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९-६० के उत्तर पीछे पृष्ठ १८७ पर)

ज़िला लखनऊ में सन् १९५५ में ३० नवम्बर तक हुए कत्ल, डकैती तथा चोरी और इन पर की गयी कार्यवाही का विवरण—

नाम अपराध	कुल संख्या	जांच की गई	चालान हुआ	सजायाब	छूट गया	अदालत में जारी	जांच जारी	जांच नहीं की गई	पता नहीं चला
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
कत्ल ...	४०	४०	२७	३	५	१९	५	...	६
डकैती ...	१८	१८	१३	१	...	१२	२	...	३
चोरी ...	१,८०२	१,७३२	४१९	२०४	३२	१८३	१०८	७०	१,२०५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

विधान सभा को बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष,
श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२५)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
श्रीकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्न
गुर, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री

कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवर्लसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूर्बसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती

चन्द्रसिंह रावत, श्री
 चन्द्रहास, श्री
 चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
 चिरंजीलाल जाटव, श्री
 चिरन्जीलाल पालीवाल, श्री
 चुन्नीलाल सगर, श्री
 छेदालाल, श्री
 छेदालाल चौधरी, श्री
 जगतनारायण, श्री
 जगदीशप्रसाद, श्री
 जगदीशसरन, श्री
 जगन्नाथप्रसाद, श्री
 जगन्नाथमल्ल, श्री
 जगन्नाथ सिंह, श्री
 जगपतिसिंह, श्री
 जगमोहनसिंह नेगी, श्री
 जटाशंकर शुक्ल, श्री
 जयपालसिंह, श्री
 जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
 जवाहरलाल, श्री
 जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
 जुगलकिशोर, आचार्य
 जोरावर वर्मा, श्री
 झारखंडे राय, श्री
 टीकाराम, श्री
 डल्लाराम, श्री
 डालचन्द, श्री
 ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
 तुलाराम, श्री
 तुलाराम रावत, श्री
 तेजप्रतापसिंह, श्री
 तेजबहादुर, श्री
 तेजासिंह, श्री
 त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
 दयालदास भगत, श्री
 दर्शनराम, श्री
 दलबहादुरसिंह, श्री
 दात्राराम, श्री
 दीनदयाल शर्मा, श्री
 दीनदयाल झास्त्री, श्री
 दीपनारायण वर्मा, श्री
 देवकीनन्दन विभव, श्री
 देवदत्त मिश्र, श्री
 देवदत्त शर्मा, श्री
 देवनन्दन शुक्ल, श्री
 देवमूर्तिराम, श्री

देवराम, श्री
 देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
 द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
 द्वारकाप्रसाद नौर्य, श्री
 द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
 धनुषधारी पाण्डेय, श्री
 धर्मसिंह, श्री
 नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
 नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
 नरोत्तमसिंह, श्री
 नवलकिशोर, श्री
 नागेश्वर द्विवेदी, श्री
 नारायणवत्त तिवारी, श्री
 नारायणदास, श्री
 नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
 नेकराम शर्मा, श्री
 नेत्रपालसिंह, श्री
 परमानन्द सिन्हा, श्री
 परमेश्वरीदयाल, श्री
 परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
 पातीराम, श्री
 पुत्तूलाल, श्री
 पुद्देनराम, श्री
 पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
 प्रकाशवती सूद, श्रीमती
 प्रतिपालसिंह, श्री
 प्रभाकर शुक्ल, श्री
 प्रभुदयाल, श्री
 फजलुल हक, श्री
 फतेहसिंह राणा, श्री
 फूलसिंह, श्री
 बद्रोनाारायण मिश्र, श्री
 बनारसीदास, श्री
 बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
 बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
 बलदेवसिंह आर्य, श्री
 बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
 बलवन्तसिंह, श्री
 बसन्तलाल, श्री
 बाबूनन्दन, श्री
 विशम्बरसिंह, श्री
 बेचनराम, श्री
 बेचनराम गुप्त, श्री
 बेनीसिंह, श्री
 बजनाथप्रसाद सिंह, श्री
 बजूराम, श्री

ब्रह्मदत्तदीक्षित, श्री
 भगवतीदीन तिवारी, श्री
 भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
 भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
 भगवानसहाय, श्री
 भीमसेन, श्री
 भूवरजी, श्री
 भोलासिंह यादव, श्री
 मंगलाप्रसाद, श्री
 मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
 मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
 मदनगोपाल वैद्य, श्री
 मदनमोहन उपाध्याय, श्री
 मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
 मलखानसिंह, श्री
 महमूदअली खां, श्री
 (सहारनपुर)
 महाराजसिंह, श्री
 महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
 महावीरसिंह, श्री
 महोलाल, श्री
 मान्धातासिंह, श्री
 मिजाजीलाल, श्री
 मिहरबानसिंह, श्री
 मुजफ्फर हसन, श्री
 मुझलाल, श्री
 मुरलीधर कुरील, श्री
 मुश्ताक अली खां, श्री
 मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
 मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
 मुहम्मद नबी, श्री
 मुहम्मद नसीर, श्री
 मुहम्मद मंज़ूरुल नबी, श्री
 मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
 मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
 मोहनलाल, श्री
 मोहनलाल गौतम, श्री
 मोहनसिंह, श्री
 मोहनसिंह शाक्य, श्री
 यमुनासिंह, श्री
 यशोदादेवी, श्रीमती
 रघुनाथप्रसाद, श्री
 रघुराजसिंह, श्री
 रघुवीरसिंह, श्री
 रणञ्जयसिंह, श्री
 रतनलाल जैन, श्री

रमेश वर्मा, श्री
 राजकिशोर राव, श्री
 राजकुमार शर्मा, श्री
 राजनारायण, श्री
 राजनारायणसिंह, श्री
 राजवंशी, श्री
 राजाराम, श्री
 राजाराम मिश्र, श्री
 राजाराम शर्मा, श्री
 राजेन्द्रदत्त, श्री
 राजेश्वर सिंह, श्री
 राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
 राधामोहन सिंह, श्री
 रामअधीन सिंह यादव, श्री
 रामअनन्त पाण्डेय, श्री
 रामअवधसिंह, श्री
 रामकिंकर, श्री
 रामकुमार शास्त्री, श्री
 रामकृष्ण जैसवार, श्री
 रामगुलाम सिंह, श्री
 रामचन्द्र विकल, श्री
 रामजीलाल सहायक, श्री
 रामजीसहाय, श्री
 रामदास आर्य, श्री
 रामदुलारे मिश्र, श्री
 रामनरेश शुक्ल, श्री
 रामप्रसाद देशमुख, श्री
 रामप्रसाद नौटियाल, श्री
 रामप्रसादसिंह, श्री
 रामबली मिश्र, श्री
 रामभजन, श्री
 राममूर्ति, श्री
 रामरतन प्रसाद, श्री
 रामराज शुक्ल, श्री
 रामलखन मिश्र, श्री
 रामलाल, श्री
 रामसनेही भारतीय, श्री
 रामसहाय शर्मा, श्री
 रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
 रामसुन्दरराम, श्री
 रामसुभग वर्मा, श्री
 रामसुमेर, श्री
 रामस्वरूप, श्री
 रामस्वरूप गुप्त, श्री
 रामस्वरूप भारतीय, श्री
 रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री

रामहरण यादव, श्री
 रामहर्तिसिंह, श्री
 रामेश्वरप्रसाद, श्री
 रामेश्वरलाल, श्री
 लक्ष्मणराव कदम, श्री
 लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
 लालबहादुरसिंह, श्री
 लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
 लीलाधर अष्टाना, श्री
 लुत्फ अली खां, श्री
 लखराराजसिंह, श्री
 बंशीदास घनगर, श्री
 बशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
 बसो नक्कवी, श्री
 बासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
 विजयशंकर प्रसाद, श्री
 विद्यावती राठौर, श्रीमती
 विश्राम राय, श्री
 विष्णुदयाल वर्मा, श्री
 विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
 वीरसेन, श्री
 वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
 वीरेन्द्रशाह, राजा
 व्रजभूषण, मिश्र, श्री
 व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
 व्रजवासीलाल, श्री
 व्रजबिहारी भिहरोत्रा, श्री
 शंकरलाल, श्री
 शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
 शिवकुमार मिश्र, श्री
 शिवकुमार शर्मा, श्री
 शिवबानसिंह, श्री
 शिवनारायण, श्री
 शिवपूजन राय, श्री
 शिवमंगलसिंह, श्री
 शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
 शिवराजबलीसिंह, श्री
 शिवराज सिंह यादव, श्री
 शिवराम पाण्डेय, श्री
 शिववर्धसिंह राठौर, श्री
 शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री

शिवस्वरूप सिंह, श्री
 शुक्रदेवप्रसाद, श्री
 शुभनचन्द, श्री
 श्याममनोहर मिश्र, श्री
 श्यामलाल, श्री
 श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
 श्रीचन्द्र, श्री
 श्रीनिवास, श्री
 श्रीपति सहाय, श्री
 सईद जहां मखफ्री शेरवानी, श्रीमती
 संग्रामसिंह, श्री
 सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
 सज्जनदेवी महनीत, श्रीमती
 सत्यनारायण दत्त, श्री
 सत्यसिंह राणा, श्री
 सावित्रीदेवी, श्रीमती
 सियाराम गंगवार, श्री
 सियाराम चौधरी, श्री
 सीताराम, डाक्टर
 सीताराम शुक्ल, श्री
 सुखीराम भारतीय, श्री
 सुन्दरदास, श्री दीवान
 सुन्दरलाल, श्री
 सुहृजूराम, श्री
 सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
 सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
 सूर्यबली पाण्डेय, श्री
 सवाराम, श्री
 हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
 हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
 हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
 हमीद खां, श्री
 हरगोविन्द पन्त, श्री
 हरगोविन्दसिंह, श्री
 हरदयालसिंह पिपल, श्री
 हरदेवसिंह, श्री
 हरसहाय गुप्त, श्री
 हरिप्रसाद, श्री
 हरिश्चन्द्र अष्टाना, श्री
 हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

अल्प मूचित तारांकित प्रश्न

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में विद्यार्थियों की फीस की मुआफी

**१--श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों की फीस मुआफी के संबंध में नवम्बर, सन् ५५ तक प्रत्येक जिले को अलग-अलग कितना-कितना रुपया प्रदान किया गया ?

शिक्षा उप-मंत्री (डाक्टर सीताराम)—बाढ़-पीड़ित जिलों के क्षेत्रों को फीस-मुआफी के सम्बन्ध में प्रत्येक जिले में नवम्बर, सन् ५५ तक निम्नलिखित धन स्वीकार किया गया है—

जिला	रु०
फंजाबाद	७०,०००
बस्ती	७०,०००
आजमगढ़	१,५०,०००
सुल्तानपुर	५०,०००
गोरखपुर	१,१०,०००
जौनपुर	१,३०,०००
बहराइच	५५,०००
गोंडा	५०,०००
प्रतापगढ़	९०,०००
इलाहाबाद	२५,०००
बाराबंकी	२५,०००
देवरिया	७५,०००
बलिया	६०,०००
रायबरेली	१५,०००
गाजीपुर	१०,०००
बनारस	१५,०००
योग	१०,००,०००

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में जो बाढ़ आयी तो वहाँ के बाढ़-पीड़ित छात्रों को क्यों नहीं फीस में मुआफी दी गयी ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—यह पहली बाढ़ के बारे में पूछा गया था वह बता दिया गया है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह १६ जिलों को जो रकम दी गयी है इन जिलों से कुल कितने रुपए की मांग आयी थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—अभी तक पूरी मांग नहीं आयी जितनी मांग आयेगी उतना रुपया दिया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रकम जो प्रदान की गयी है यह किस महीने तक की फीस के लिये है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह अगस्त से लेकर ५ महीने तक के लिये है ।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो फीस में माफी दी गयी वह बोकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये भी है या केवल जनरल एजुकेशनल में ?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में जितने इंस्टीट्यूशन हैं उन सब के लिए है ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या सरकार को पता है कि जौनपुर जिले में शिक्षा अधिकारियों ने बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के छात्रों से फीस रियलाइज कर ली थी और उसके विरोध में वहां पर जन-आन्दोलन खड़ा हो गया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं, वहां कोई फीस नहीं रियलाइज की गयी थी। हां, वहां के सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे वह एक आन्दोलन करना चाहते थे उसके लिए उन्होंने झूठमूठ यह लिख दिया कि यहां फीस ली गयी ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को यह पता कि बाकायदा सरकार को नोटिस दी गयी थी कि यहां विद्यार्थियों से फीस ली गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं, नोटिस की बाबत जहां तक मैंने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक प्रेस वाले को कोई काम नहीं दिया गया रोज छापने का, इसलिये सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से सत्याग्रह हुआ लेकिन जब बाद में उसको कोई पब्लिक कोआपरेशन नहीं मिला तो उन्होंने फीस लेने की बाबत कहा। न कोई आन्दोलन हुआ और न कोई नोटिस हुआ ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि जिस समय यहां पर कामरोको प्रस्ताव आया था और जिसके लिये माननीय अध्यक्ष ने रोशनी डालने की बात कही थी तो उसमें स्पष्टतः उस तारीख को यह कहा गया था कि वहां सरकारी कर्मचारियों ने फीस ली जिससे वहां के विद्यार्थियों में उत्तेजना है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—कहा गया होगा लेकिन शायद वह एडजर्नमेंट मोशन के लिये कहा गया होगा। वाक्या यह नहीं था ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री जी पता लगायेंगे कि आजमगढ़, जौनपुर और बलिया और दूसरे जिलों में जो फीस माफी दी गयी थी वहां के अध्यापक फीस माफी उसको न मान कर स्कूलों में फीस वसूल किए हैं और न देने पर वहां विद्यार्थियों के नाम खारिज हो गए हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—ऐसा तो नहीं हुआ है, फीस में माफी दी जा रही है ।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह फीन की माफी कब से कब तक की बाढ़ के लिये है ?

डाक्टर सीताराम—अगस्त, सन् ५५ में नवम्बर तक दी गई है और दिसम्बर की दी जाने वाली है।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि पश्चिमी जिलों में भी पिछली बरसात में बाढ़ आई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां, आई है।

श्री बलवन्तसिंह—तो पश्चिमी जिलों में विद्यार्थियों को फीस माफी क्यों नहीं दी गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसका उत्तर में इस समय नहीं दे सकता, क्योंकि यह रुपया रेवेन्यू विभाग से मिलना है, जिन जिलों के लिये मिला उनको बांट दिया गया।

श्री मदननोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह बात सही नहीं है कि वहां के अधिकारियों के दिमाग में यह बात है कि जितना रुपया उनको आज तक दिया गया है वही फीन माफी के लिये है और इससे ज्यादा नहीं मिनट सकेगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—वहां के अधिकारियों के दिमाग में यह बान हो या न हो इसकी बाबत मैं नहीं कह सकता। लेकिन यहां से सरकुलर गया था कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में जितने धन की जरूरत हो और वह मांगे, वह दिया जायगा।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पश्चिमी जिलों से ऐसी सहायता के लिये मांग आई थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि फैजाबाद और आजमगढ़ को एक-एक लाख रुपया दिया गया है और बस्ती को केवल ७० हजार ही दिया गया है, इस फर्क का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसमें फर्क का कोई सवाल नहीं है, जहां से जितनी मांग आई वहां उतना दिया जा रहा है।

गांव-सभा तथा भूमि-प्रबन्धक-समिति के सेक्रेटरियों को मिलाने का विचार

**२—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि गांव सभा के सेक्रेटरियों और भूमि-प्रबन्धक-समिति के सेक्रेटरियों को एक में मिला देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माल उप-मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—यह विषय सरकार के विचाराधीन है। अतः योजना का कोई रूप नहीं दिया जा सकता।

श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह विषय कब से सरकार के विचाराधीन है और वह कब तक कार्य रूप में परिणत हो जायगा ?

चतुर्भुज शर्मा—यह कई महीने से विचाराधीन है और शीघ्र ही उसका निर्णय हो जाने की आशा है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के अलग-अलग सेक्रेटरी होने के कारण कार्य-संचालन में बड़ी परेशानी हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ था, तभी इस पर विचार हो रहा है।

* * ३-५—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—
[स्थगित किए गये]।

बनारस जिलान्तर्गत भदोही, रामनगर, चकिया तहसीलों में जमींदारी मुआविजा बांड मिलने में विलम्ब

* * ६—श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि भदोही, रामनगर, चकिया, जिला बनारस में जमींदारी उन्मूलन कब हुआ और वहाँ के जमींदारों को अंतिम मुआविजा या फाइनल बाण्ड दिया गया या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक दिया जायेगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला बनारस की भदोही, रामनगर तथा चकिया तहसीलों में १-७-१९५३ को जमींदारी उन्मूलन हुआ। वहाँ के जमींदारों को जिनका अंतिम (final) मुआविजा ५० रु० तक है, उनको वह नकद दिया गया और दिया जा रहा है। बांडो का वितरण रुका हुआ है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मौजूदा बांड, जिनमें निहित होने की तिथि १-७-५२ लिखी हुई है, जारी नहीं किए जा सकते और नए बांड जिनमें निहित होने की तिथि १-७-५३ होगी, इंडिया सिक्क्योरिटी प्रेस, नासिक रोड से छपवाये जा रहे हैं। जैसे ही वे प्राप्त होंगे, उनका वितरण किया जायेगा। तब तक नियमानुसार अंतरिम (interim) मुआविजा दिया जा रहा है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार यह बता सकती है कि यह इंडिया सिक्क्योरिटी प्रेस, नासिक में कब तक छप जायेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उम्मीद है जल्दी आयेंगे क्योंकि लिखा गया है कि वह जल्दी से भेजें।

श्री राजनारायण—क्या सरकार के पास वहाँ के लोगों ने अपना कोई मेमो-रेंडम भी दिया है कि किस तरीके से उनको मुआविजा मिलने में दिक्कत हो रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या चकिया, बनारस जिले में जो जमींदारी उन्मूलन हुआ है वहाँ पर जो किसी मंदिर या मठ के संरक्षक थे उनको भी यह मुआविजा दिया जा रहा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मुआविजा जो ऐसे इंस्टीट्यूशन्स का होता है वह उनको ऐनुअल ऐनुइटी दी जाती है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जो कृपा करके बतायेंगे कि जिस तरह से जमींदारी उन्मूलन कानून यू० पी० के अन्य हिस्सों में भी लागू है उसी तरह से भदोही में भी लागू है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हाँ, वही जमींदारी उन्मूलन कानून लागू है।

तारांकित प्रश्न

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रानीपुर, आजमगढ़ को प्लानिंग योजना के अन्तर्गत अनुदान

*१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष ५३-५४ में आजमगढ़ जिले के किस स्कूल को प्लानिंग योजना के अन्तर्गत अनुदान दिया गया तथा इस वर्ष उस स्कूल का व्यय कितना था ?

डॉक्टर सीताराम --जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रानीपुर, आजम-गढ़—

			र०	आ०	पा०
आवर्त्तक व्यय	१३,६४०	१५	३
अनावर्त्तक	१,१०२	०	०

योग .. १४,७४२ १५ ३

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर जो दिया गया है उसमें हमने पूछा था कि ५३-५४ में उस स्कूल में कितना व्यय हुआ था। यह जो सरकार ने बताया है आवर्त्तक और अनावर्त्तक तो यह तो अनुदान हुआ। सरकार ने उस स्कूल का खर्चा नहीं बताया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—आपके प्रश्न में तो पहले भाग के उत्तर में स्कूल का नाम पूछा गया था वह बता दिया गया और खर्च आवर्त्तक और अनावर्त्तक बता दिया गया। अब और क्या चाहते हैं ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—श्रीमन्, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि यह जवाब बिलकुल गलत है।

श्री अध्यक्ष—आप राय दे रहे हैं। सवाल पूछिए।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस स्कूल को ५३-५४ में कितना अनुदान प्लानिंग विभाग से दिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—१५ हजार के करीब होता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस स्कूल को यह अनुदान किस आधार पर दिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—चूँकि यह स्कूल था।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि यह १५ हजार रुपए को ग्राण्ट इस स्कूल को प्लानिंग विभाग द्वारा दी गई थी या गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो हमारे स्कूलों को हर जिले में कुछ दिया जाता है उस ग्राण्ट में से यह रुपया दिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—वही ग्राण्ट है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार बतलायेगी कि जब यह ग्राण्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया से आई तो जिला प्लानिंग कमेटी की कोई राय इस सिलसिले में इस स्कूल को देने के लिये ली गई थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—अमूमन राय तो नहीं ली जाती।

*२—३—श्री रामसुन्दर पांडेय—[स्थगित किए गए।

*४—५—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—[स्थगित किए गए।]

*६—७—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—[स्थगित किए गए।]

*८—१०—श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[स्थगित किए गए।]

*११—१२—श्री रामेश्वरलाल—[स्थगित किए गए।]

*१३—१४—श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—[स्थगित किए गए।]

*१५—१६—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[स्थगित किए गए।]

*१७—१९—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—[स्थगित किए गए।]

महिला—मङ्गल योजना की ट्रेनिङ्ग के लिए जौनपुर जिले से प्रार्थना-पत्र

∴

*२०—श्री बाबुनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले से कितनी महिलाओं ने महिला-मङ्गल योजना के अन्तर्गत ट्रेनिङ्ग प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है और उसमें कोई हरिजन महिला भी है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—महिला-मङ्गल योजना के अन्तर्गत ट्रेनिङ्ग प्राप्त करने के लिये जौनपुर जिले से इस वर्ष आठ महिलाओं ने प्रार्थना-पत्र दिए थे, परन्तु उनमें कोई हरिजन महिला नहीं थी।

*२१—श्री बाबुनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त ट्रेनिङ्ग के लिए क्या योग्यता रखी गयी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—ग्राम-सेविकाओं की ट्रेनिङ्ग के लिये निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता रखी गई है—

- (१) जूनियर हाई स्कूल तथा समकक्ष परीक्षा
- (२) विद्याविनोदिनी
- (३) आठवीं कक्षा पास तथा अपर मिडिल

अन्य योग्यतायें इस प्रकार हैं—

- (१) आयु १८ से ३० वर्ष के बीच
- (२) ग्रामीण वातावरण का ज्ञान और ग्राम में कार्य करने की रचि
- (३) अच्छा स्वास्थ्य।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो महिलाये ट्रेड हो गई हैं उनको कार्यभार दे दिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जैसे-जैसे ट्रेनिंग पाती जाती है उनको पोस्ट कर दिया जाता है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि उनका कार्य-क्षेत्र कितना रक्खा गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—एक ग्राम-सेविका तीन ग्रामों में काम करती है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको कार्य-क्षेत्र में रहना पड़ता है या हेडक्वार्टर पर ?

आचार्य जुगलकिशोर—ग्रामों में रहना पड़ता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि इस महिला-मंगल योजना में लड़कियों को जी ट्रेनिंग दी जा रही है वे ज्यादातर गांवों में ही काम करेंगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि गांवों में आजकल ज्यादा शिक्षा पाई हुई लड़कियां नहीं मिलती है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह विचार करेगी कि कम योग्यता की लड़कियां भी इस ट्रेनिंग में ले ली जायं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जो योग्यता रखी गई है वह इतनी कम है कि इससे कम रखने से कोई फायदा नहीं होगा।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह महिला-मंगल योजना जो है वह केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत है या प्रान्तीय सरकार के अन्तर्गत है ?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रान्तीय सरकार के अन्तर्गत।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि महिला मंगल-योजना के अन्तर्गत जो लड़कियां काम करती हैं गांवों में उनको गांवों में रहने के लिये घर का बन्दोबस्त भी सरकार करती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—उनके रहने के लिये इंतजाम वहा होता है और उनका खर्चा भी दिया जाता है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या यह सही है कि महिला-मंगल योजना के अन्तर्गत काम करने वाली लड़कियों की रिहायश के लिये कोई भत्ता दिया जाता है ?

आचार्य जुगलकिशोर—रिहायश का भत्ता तो नहीं दिया जाता, जहां तक मुझे खयाल है।

महिला-मंगल योजना में वार्षिक व्यय

२२—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि महिला-मंगल योजना में वार्षिक व्यय क्या होता है ?

आचार्य जुगलकिशोर—१९५३-५४ तथा १९५४-५५ वित्तीय वर्षों में महिला-मंगल योजना में क्रमानुसार २,४१,०१८ तथा ३,१६,०२० रुपया व्यय हुआ था।

श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस व्यय में वार्षिक भत्ता भी सम्मिलित है ?

आचार्य जुगलकिशोर—सभी व्यय इसमें शामिल हैं।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रान्त के किन-किन जिलों में यह महिला-मंगल योजना चल रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—मेरे पास इस वक्त यह सूचना तो है नहीं, लेकिन मैं इतना बतला सकता हूँ कि तीस जिलों में इस वक्त है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर महिला-मंगल-योजना दो तरह से चलायी जाती है, एक तो हमारे राज्य के खर्च से और दूसरी गवर्नमेंट आफ इंडिया की है जिसमें श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, उसकी प्रेसीडेंट है, उसका भी रुपया इस प्रदेश के अन्दर खर्च होता है, तो दोनों विभागों से अलग-अलग रुपया खर्च होता है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं। उसका रुपया इसमें शामिल नहीं है।

श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इसमें यात्रा के भत्ते की मद कितनी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसके लिये तो मुझे सूचना चाहिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्कीम, जिसका मैंने जिक्र किया, उसका रुपया इस प्रदेश के अन्दर खर्च होता है और इस गवर्नमेंट की महिला-मंगल-योजना से उसका क्या सम्बन्ध है ?

आचार्य जुगलकिशोर—दोनों अलग-अलग योजनायें हैं। दोनों का वैधानिक रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार के पास कोई पुरुष-मंगल-योजना भी चल रही है ?

(हंसी—कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)—क्या सरकार केन्द्र द्वारा संचालित महिला-मंगल-योजना और प्रदेश द्वारा संचालित महिला-मंगल-योजना को कोआर्डिनेट करने के लिये कोई एजेंसी स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—स्टेट वेलफेयर बोर्ड है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी प्रतिनिधि होते हैं। उसके जरिये से कोआर्डिनेशन होता है।

श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार इस योजना के अन्तर्गत राजनीतिक पीड़ितों के खानदान की स्त्रियों के लिये कुछ सुविधा क्वालिफिकेशन में देने पर तैयार है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जो क्वालिफिकेशन्स रखी गयी हैं वह इतनी कम हैं कि उसमें मैं समझता हूँ कि यह जो राजनीतिक पीड़ित स्त्रियाँ हैं वह भी इसमें शामिल हो सकती हैं ?

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार प्रान्त के हर जिले में महिला-मंगल योजना को लाने के लिये तैयार है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसका प्रयत्न किया जा रहा है। अभी ३० जिलों में है और अगले वर्ष में यदि रुपया हुआ तो उसे बढ़ाया जायगा।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—इस समय प्रदेश में तीन योजनायें महिलाओं के मंगल के लिये चल रही हैं, क्या कृपा करके मंत्री जी बतलायेंगे कि इन तीनों में आपस में संबंध स्थापित करने के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—मुझे मालूम नहीं। कौन से तीन का वह जिक्र कर रहे हैं।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—तीसरी योजना अर्द्ध सरकारी है, लेकिन सरकार भी सहायता दे रही है, जिसकी संचालिका श्रीमती लीलावती मुंशी हैं।

आचार्य जुगलकिशोर—वह तो शहर की स्त्रियों के लिये है। ग्रामीण स्त्रियों के लिये विशेष तौर से वह योजना नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे यह सारी जितनी भी सोशल ऐक्टिविटीज हैं उनको एक साथ कोऑर्डिनेट किया जा सके ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसके लिये एक स्टेट ऐडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है। आशा है इसके द्वारा कोऑर्डिनेशन हो जायगा।

*२३—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—[स्थगित किया गया।]

*२४—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)—[स्थगित किया गया।]

*२५—२६—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—[स्थगित किए गए।]

देवरिया जिले के दुधही में बेंत के घरेलू उद्योग को चलाने का विचार

*२७—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार दुधही स्टेशन, ग्राम मिश्रौली (देवरिया) के बेंत के काम करने वाले हरिजनों को आर्थिक सहायता देकर बेंत के घरेलू उद्योग को बढ़ाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—जिला नियोजन अधिकारी देवरिया की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि दुधही में बेंत का काम कुछ वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था, परन्तु बेंत अच्छी किस्म की न होने के कारण तथा अधिक लागत व बिक्री की असुविधा के कारण यह काम नहीं चला, तथापि इस धंधे को फिर से चलाने का विचार जिलाधीश कर रहे हैं।

*२८— श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार वहां पर इस तरह का कोई ट्रेनिंग स्कूल खोलने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—सरकार के पास अभी तक कोई ऐसी योजना प्रस्तुत नहीं की गई है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वहां हरिजनों का बेंत का काम करने का पेशा है। यदि हां, तो वहां के बेंत के काम करने वाले पेशेवर हरिजनों को कुछ आर्थिक सहायता देंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—हां, यह तो विचार है। लेकिन बेंत का काम कोई ऐसा नहीं कि इसके करने वाले कोई दूसरा काम न कर सक, कर सकते हैं दूसरा काम। चूंकि बेंत का पहले काम वहां था वह चल न सका, इसलिये अगर यह देखा गया कि बेंत का काम चल सकता है तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि देवरिया की प्लानिंग कमेटी ने भी इसकी सिफारिश की थी कि यहां कोई बेंत की योजना चलाई जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह—अभी तक तो सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं आई है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि दुधही के उस इलाके में बेंत की पैदावार बहुत होती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसकी इत्तिला तो मुझे नहीं है।

*२९-३१—श्री गंगाधर जाटव (जिला आगरा)—[स्थगित किये गये।]

*३२—श्री देवराम (जिला गाजीपुर)—[स्थगित किया गया।]

स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के इमरजेन्सी पावर्स के नियम

*३३—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार स्कूलों को मान्यता प्रदान करने से सम्बन्धित इमरजेन्सी पावर्स के नियमों की एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—केवल मान्यता प्रदान करने से सम्बन्धित ऐसी कोई पावर्स नहीं हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार को मालूम है कि जौनपुर जिले में सार्वजनिक हायर सेकेन्डरी स्कूल को विशेषाधिकार से मान्यता प्रदान की गई ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री हरगोविन्दसिंह—वह पावर ऐक्ट में है। उसमें एक नियम ९ है और एक नियम ११ है उसके अन्तर्गत।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जिस ऐक्ट का मंत्री जी ने हवाला दिया है उसके अनुसार जो विशेषाधिकार से मान्यता प्रदान की जाती है वह किन शर्तों में प्रदान की जाती है ?

श्री अध्यक्ष—आप स्वयं ऐक्ट देख सकते हैं।

*३४-३५—श्री जोरावर वर्मा—[स्थगित किये गये।]

*३६—श्री नारायणदत्त तिवारी—[स्थगित किया गया।]

*३७-३८—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—[स्थगित किये गये।]

*३९-४१—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—[स्थगित किये गये।]

*४२—श्री मिहिरबान सिंह (जिला इटावा)—[स्थगित किया गया।]

*४३-४५—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[स्थगित किये गये।]

*४६—श्री राम किकर (जिला प्रतापगढ़)—[स्थगित किया गया।]

इण्टरमीडियेट क्लासेज के मिलिटरी साइन्स लेक्चरर के कम वेतन की शिकायत

*४७—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Military Science के Lecturers जो Intermediate Classes को Military Science पढ़ाते हैं उनकी तनखाह का वेतन दर क्या है ?

डाक्टर सीताराम—१०-६-१६८-३० री०-८-२०० ह० अराजकीय महायता प्राप्त मंत्र्याओं में।

४८—श्री भगवानसहाय—क्या सरकार के पास कोई ऐसी शिकायतें आई हैं कि बहुत से Intermediate Colleges में Military Science के Lecturer को निर्धारित वेतन नहीं दिया जा रहा है?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

श्री भगवानसहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की तकलीफ करेगे कि मिलिटरी साइन्स के लेक्चरर का जो ग्रेड है वह दूसरे विषय पढ़ाने वालों के ग्रेड से कम है? क्या यह बात सही है?

डाक्टर सीताराम—जी हां, सही है।

श्री भगवानसहाय—क्या माननीय मंत्री जी कोई बजह बतला सकते हैं कि यह दोनों में फर्क क्यों है?

डाक्टर सीताराम—चूंकि और विषयों के जो पढ़ाने वाले होते हैं उनकी योग्यता एम० ए० होती है और एल० टी० होती है और मिलिटरी साइन्स पढ़ाने वालों की योग्यता सिर्फ बी० ए० होती है। इसलिए उनको बी० ए० का ग्रेड १२० से २०० ह० का दिया गया है।

श्री भगवानसहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अगर कोई एम० ए० पास मिलिटरी साइन्स पढ़ाने वाला हो तो उसको एम० ए० वाला ग्रेड दिया जायगा?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूँ कि यह विवाद है।

श्री भगवानसहाय—क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि मिलिटरी साइन्स पढ़ाने वालों के भी वही वेतनक्रम उसी हिसाब से कर दिया जाय जिस हिसाब से और विषय पढ़ाने वालों का है?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं।

राजकीय इण्टर कालेज, मिर्जापुर पर विद्यार्थियों द्वारा आक्रमण

*४९—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात हुआ है कि १५ अगस्त के गोआ गोली कांड तथा उसके पूर्व पटना छात्र गोली कांड से उत्तेजित छात्रों का एक बहुत बड़ा मजूह राजकीय इण्टर कालेज, मिर्जापुर पर आक्रमणशील हुआ और क्रुद्ध होकर ईंट-पत्थर की वर्षा करके नये सुन्दर भवन के शीशों तथा दरवाजों को चकना चूर कर डाला?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*५०—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस छात्र-उपद्रव से स्कूल भवन की कितने रुपयों की क्षति हुई? साथ ही क्या सरकार जांच करके पता लगायेगी कि किस-किस स्कूल के छात्र इस उद्दण्डता में सम्मिलित थे और क्या सम्बन्धित स्कूलों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने की सोच रही है?

डाक्टर सीताराम—लगभग २०० रुपया की क्षति हुई है।

बी० एल० जे० इण्टर कालेज, मिर्जापुर के छात्रों का ही मुख्य भाग था।

राजकीय स्कूल की क्षति की पूर्ति बी० एल० जे० इण्टर कालेज से कराई गई। इस बीच विद्यालय का अनुदान भी रुका रहा है।

*५१—श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार यह बतायेगी कि छात्र-जगत में इस बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को समाप्त करने के सम्बन्ध में सरकार कोई खास उपाय करन जा रही है? यदि हां, तो वह क्या है?

डाक्टर सीताराम—अनुशासनहीनता किसी एक खास उपाय से नहीं रोकी जा सकती। चरित्र-निर्माण के सभी साधनों पर जोर दिया जा रहा है और विशेष अनुशासन-हीनता पर उचित दंड दिया जाता है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बी० एल० ज० के छात्रों के सम्बन्ध में जांच हो गई है, उसका अनुदान जारी कर दिया जायगा?

श्री हरगोविन्दसिंह—हां, अनुदान तो जारी कर दिया गया।

बलदेवप्रसाद, अध्यापक से सम्बन्धित कागजों का जिलाधीश, हरदोई के आफिस से गायब होना

*५२—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एडिशनल डाइरेक्टर महोदय, शिक्षा निरीक्षण विभाग, इलाहाबाद ने श्री बलदेव प्रसाद अध्यापक, जिला बोर्ड के हटायें जाने के सम्बन्ध में कुछ कागजात वास्ते समुचित कायवाही जिलाधीश, हरदोई के पास २९ सितम्बर, १९५४ को भेजे थे जो भेजे जान के कुछ दिनों बाद आफिस से गायब हो गये? यदि गायब हो जाना सत्य है, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब उक्त मामले पर इस समय कोई कार्यवाही चल रही है?

डाक्टर सीताराम—कार्यवाही तो कमिश्नर करेंगे। सरकार का उससे कोई सम्बन्ध नहीं।

जे० टी० सी०, सी० टी० व बी० टी० सी० अध्यापकों का वेतन-क्रम

*५३—श्री महीलाल—क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि ऐसे जे० टी० सी० व सी० टी० अध्यापकों के वेतन-क्रम एक ही है जोकि डि० बो० के स्कूलों में कार्य कर रहे हैं?

डाक्टर सीताराम—सदस्य जी का प्रश्न स्पष्ट नहीं है। जिला परिषद् के साधारणतः प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल होते हैं। इनमें सी० टी० अध्यापकों का वेतन-क्रम रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। परिषद् द्वारा स्थापित हायर सेकेन्डरी स्कूलों में जे० टी० सी० व सी० टी० अध्यापकों के वेतन-क्रम भिन्न-भिन्न हैं। जे० टी० सी० अध्यापक इस समय ४५—२—६५—३० री० ३—८० रुपया और सी० टी० अध्यापक ७५—५—११०—३० री० ६—१४०—३० री० ७—१७५ रू० वेतन-क्रम पाते हैं।

*५४—श्री महीलाल—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे बी० टी० सी० व जे० टी० सी० अध्यापकों के ग्रेड अलग-अलग हैं जोकि हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट परीक्षायें पास हैं?

डाक्टर सीताराम—जी हां, १ जुलाई, १९५५ से अलग-अलग कर दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में राजाज्ञा निकल रही है।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि जिला परिषद् के विद्यालयों में अंग्रेजी अध्यापक भी नियुक्त किये जाते हैं जो सी० टी० और बी० टी० सी० होते हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—हां, होते होंगे।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एक ही प्रकार का अध्यापन कार्य करने वाले अध्यापकों को एक सा ग्रेड क्यों नहीं दिया जाता?

श्री हरगोविन्दसिंह—किन अध्यापकों को पूछते हैं? जो शिक्षा देते हैं, टीचर तो सभी होते हैं। लेकिन सब को तो तनखाह एक नहीं दी जाती है। यूनिवर्सिटी में दूसरी तनखाह दी जाती है, कालेजेज में दूसरी दी जाती है। काम तो सब लोग पढ़ाने का ही करते हैं। इसलिए जरा स्पष्ट पूछिए।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् के विद्यालयों में जो इंग्लिश टीचर होते हैं उन सबका वेतन-क्रम एक नहीं है? उनको एक करने की कृपा करेंगे?

श्री हरगोविन्दसिंह—सी० टी० का तो बता दिया गया कि वेतन-क्रम अलग है और जे० टी० सी० का अलग है योग्यता के अनुसार।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे सी० टी० अध्यापक जो इंटरमीडिएट पास होते हैं और दो साल की ट्रेनिंग हासिल करते हैं उनको वह ग्रेड क्यों नहीं दिया जाता जो केवल एक वर्ष की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जे० टी० सी० वाले अध्यापकों को दिया जाता है?

श्री हरगोविन्दसिंह—आपने तो जे० टी० सी० और सी० टी० का वेतन पूछा था ग्रेड से वेतन निर्धारित होता है। जिस ग्रेड में जो रहता है, उससे अपनी योग्यता के कारण प्रमोट होगा दूसरे ग्रेड में तो उसको वैसा वेतन मिलता है। एक ही ग्रेड में अगर योग्यता भिन्न है तो सब का वेतन भिन्न-भिन्न हो, ऐसा तो नहीं है।

आजमगढ़ जिले में दस जूनियर हाई स्कूलों में जनरल साइन्स पढ़ाने की व्यवस्था

*५५—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजम-गढ़ जिला परिषद् को जिन १० जूनियर हाई स्कूलों में जनरल साइन्स खोलने के लिये सरकार ने गत वर्ष आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान दिया है क्या उन स्कूलों में अभी तक अध्यापकों एवं सामानों की नितान्त कमी है?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं। परिषद् ने सब स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति कर दी है और केवल दो स्कूलों के जहां बाढ़ से रास्ता खराब हो जाने के कारण कुछ भारी सामान (बड़े मेज, अलमारी इत्यादि) नहीं भेजा जा सका है। अन्य सभी स्कूलों को सामान पूर्णतया दे दिया गया है।

*५६—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—यदि हां, तो ऐसा क्यों?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न नहीं उठता।

*५७—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चाल् वित्तीय वर्ष में उपर्युक्त जिला परिषद् के किन-किन जूनियर हाई स्कूलों को जनरल साइन्स के लिये आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान दिया जायेगा?

डाक्टर सीताराम—चालू वित्तीय वर्ष में जूनियर हाई स्कूलों में जनरल साइंस खोलने की कोई योजना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह दो कौन-कौन स्कूल हैं जिनका रास्ता बाढ़ के कारण खराब था और वहां सामान नहीं पहुंच सका?

डाक्टर सीताराम—सिर्फ दो स्कूलों में सामान नहीं पहुंच सका।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री जी उन दो स्कूलों का नाम बताने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सीताराम—एक है चिरैयाकोट और दूसरा है महनाजपुर।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री जी इसकी जानकारी फिर से करायेंगे कि चिरैयाकोट और महनाजपुर के स्कूलों में बाढ़ के कारण रास्ता खराब नहीं है और वहां आने-जाने का रास्ता प्रशस्त रहता है?

श्री हरगोविन्दसिंह—अब इसका ज्ञान तो आपको ही अधिक होगा। हमारे अधिकारियों को मालूम हुआ कि बाढ़ का वह रास्ता है और ये चीजें नहीं जा सकतीं। पानी रस गया, कच्ची सड़क है। गाड़ी में चीजें नहीं जा सकती होंगी, यह सब दिक्कत सकती हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी रामसुन्दर पाण्डेय के ज्ञान का लाभ उठा करके फिर इस बात की जांच करायेंगे कि उनके अधिकारियों ने जो सूचना दी है वह गलत है?

श्री हरगोविन्दसिंह—मुझे एतराज तो नहीं था, लेकिन उनका ज्ञान ही हमारे लिए जरा ऐसा नहीं है जिसको हम ग्रहण कर लें।

श्री गेंदासिंह—क्या शिक्षा मंत्री जी इस हमारे सुझाव को स्वीकार करेंगे कि जो कुछ भी इत्तला दी है रामसुन्दर पाण्डेय जी ने उस इत्तला की भी जांच करावें कि उनकी इत्तला सही है या गलत है?

श्री हरगोविन्दसिंह—हां, अगर वह फिर सवाल पूछेंगे तो उसकी जांच भी हो जायगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन स्कूलों को जो जनरल साइन्स के सामान दिये गये हैं तो वह कितने-कितने रुपये के दिये गये हैं और कितने दिये गये हैं?

डाक्टर सीताराम—इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री जी फिर से इसका पता लगायेंगे कि जिन स्कूलों को जो रुपया दिया गया है उनमें पूरा सामान और अध्यापक तक नहीं रखे गये हैं अब तक?

श्री हरगोविन्दसिंह—हमारे पास तो इत्तला यह है कि वह रखे गये हैं १० स्कूलों में। अगर आपको इत्तला इसके विपरीत है तो वीजिए, मैं जांच करा लूंगा।

अतारांकित प्रश्न

बख्शी तालाब ट्रेनिंग सेन्टर से उत्तीर्ण शिक्षार्थी

१—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतायेगी कि बस्ती जिले में बख्शी के तालाब से कितने शिक्षार्थी सन् १९५२ से सन् १९५५ तक ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—१९।

गोडा जिले में अपराधशील जातियों का बसाने के लिये 'गांधी ग्राम' तथा 'जगन्नाथपुर' वस्तियां

२—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोडा के भूतपूर्व अपराधशील जातियों को बसाने के लिये सरकार ने कोई बस्ती बसाई है? यदि हां, तो उसके लिए कितने एकड़ जमीन ली है, बस्ती का नाम क्या है, कितनी लागत से बस्ती बनाई गई है और उसमें कितने घर हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां। २१३ एकड़ जमीन ली गई है। बस्ती का नाम 'गांधी ग्राम' तथा 'जगन्नाथपुर' है और २१,४१६ रु० की लागत में बनाई गई है। उसमें कुल ४३ घर हैं।

३—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व अपराधशील जातियों के कितने लोग उक्त बस्ती में बसाये गये हैं और कुल कितने एकड़ जमीन प्रत्येक परिवार को दी गई है तथा जमीन की किस्म क्या है?

श्री हरगोविन्दसिंह—४३ घर बसाये थे। प्रत्येक परिवार को चार एकड़ जमीन दी गई थी। कुछ जमीन रेहार है और कुछ कृषि योग्य है।

४—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार को पता है कि सिचाई के साधन न होने के कारण वहां सिर्फ एक ही फसल खरीफ की होती है?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां।

५—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष जुलाई और अगस्त, सन् १९५५ ई० में अति वृष्टि के कारण अधिकांश मकान ध्वस्त हो गये हैं? ऐसे मकानों की संख्या क्या है?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां। २२ घरों का कुछ भाग गिर गया है और शेष घरों को भी कुछ क्षति हुई है।

कामरोको प्रस्ताव का स्थगन

श्री अध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) आप अभी नहीं लायेंगे, सोमवार को लायेंगे?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—सोमवार को तो मैं आऊंगा नहीं, इसलिये मंगल को सही और यहां मैं किसी को भी इस सदन में चाहे गेदासिंह जी चाहें तो उनको या और किसी को अधिकार दे सकता हूं क्योंकि यह बहुत आवश्यक मामला है।

श्री अध्यक्ष—तो सोमवार या मंगल को रख लें।

श्री राजनारायण—बहुत अच्छा।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

*श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने कामरोको प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें मैंने कहा था कि जमींदारी उन्मूलन की दफा २३२ और २२० के अनुसार रेवेन्यू बोर्ड और हाई कोर्ट ने सरकार की मन्दा के खिलाफ फैसले कर दिए हैं जिसकी वजह से लाखों अधिवासी किसान बेदखल होने वाले हैं। उस पर आपने यह रूलिंग दे दी कि इसको पेश नहीं कर सकते और फिर आपने कहा कि प्रश्न कीजिये, सरकार उत्तर देगी। हमने स्वीकार कर लिया और शार्ट नोटिस क्वेश्चन किया। बाद में आपके विभाग से पता लगाया तो मालूम हुआ कि आपकी ओर से दिन मुकरंद था मगर सरकार ने उत्तर नहीं दिया। तो हम बड़े परेशान हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण.....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्बीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—कहीं ह इस कार्यक्रम में क्या ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—आपने आज का दिन मुकर्रर किया था, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। मेरा खयाल यह है कि जो कल सदन में सरकार की ओर से आवासन दिया गया था उसको आज ही सरकार ने तोड़ दिया और ऐसे महत्त्वपूर्ण तारांकित प्रश्न का जवाब नहीं दिया, टालमटोल कर दिया।

श्री अध्यक्ष—पहले में समझ तो लूं कि क्या बात है। आपके पास मेरे दफ्तर से यह जवाब पहुंचा है या नहीं कि सरकार उसको अल्पसूचित तारांकित प्रश्न स्वीकार नहीं करती।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—आपने कहा था कि मैंने इसको शार्ट नोटिस क्वेश्चन स्वीकार कर लिया है।

श्री अध्यक्ष—तो आप मुझसे मेरे कमरे में पूछें। यहां मेरे पास फाइल तो नहीं है। वहा देख कर आपको बता दूंगा।

प्रश्नों का गलत उत्तर देने पर आपत्ति

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—दूसरे यह कि आज मेरे प्रश्न का जो उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री ने दिया मैं उसको अपनी समझ से बहुत गलत समझता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं इसके लिए टाइम नहीं देता हूं कि आप सदन को बतायें कि सरकारी उत्तर को आप गलत समझते हैं या सही। इसके लिए अगर आपको कुछ आपत्ति हो तो मुझे लिख कर भेजें।

श्री राजनारायण द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमान्, मैंने जो माननीय मुख्य मंत्री के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के बारे में लिखा था तो आपके दफ्तर से लिख कर मुझे यह जवाब आया कि मैंने नियम ५५ और ५८ का पालन नहीं किया। फिर मैंने पूछा कि ५५ नियम का क्या पालन नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ५५ गलती से लिख गया केवल ५८ नियम का पालन नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—यह यहां की बात नहीं है। जो आपने लिख कर दिया उसका उत्तर आप मेरे कमरे में पूछ सकते हैं, यहां नहीं पूछ सकते हैं। मैं यहां जवाब देने को तैयार नहीं हूं क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि क्या जवाब उन्होंने दिया और फाइल भी मेरे पास यहां नहीं है।

श्री राजनारायण—मेरा निवेदन यह है कि मैंने आपके द्वारा बार-बार इस सदन में समाचार-पत्रों के जो प्रतिनिधि बैठते हैं उनके सम्बन्ध में

श्री अध्यक्ष—मेरे पास आपका कोई लिखित प्रश्न अब उपस्थित नहीं है। आप नया प्रश्न उठाना चाहते हैं। तो मेरे पास लिख कर भेजिये।

श्री राजनारायण—श्रीमान्, मैं आपको नोटिस दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—मुझे नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे कमरे में पूछ सकते हैं।

श्री राजनारायण—अर्ज यह है कि अगर उस पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठेगा तो मैं उसको उठाऊंगा क्योंकि मैंने कई बार निवेदन कर दिया है और आज भी अगर आप पत्र देखेंगे तो मेरा जो वर्जन था कामरोको प्रस्ताव के बारे में, वह बिल्कुल गलत छप गया है।

श्री अध्यक्ष—तो आपकी नोटिस हो गई, आप मेरे पाम लिख कर भेज दें। अब उत्तर प्रदेश इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर विचार जारी होगा।

असरकारी दिवस में सरकारी कार्य करने के विरोध स्वरूप श्री राजनारायण द्वारा सभा-त्याग

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, आज तो असरकारी दिवस था।

श्री अध्यक्ष—यह तो कल तय हो गया था कि आज असरकारी दिवस नहीं रहेगा।

श्री राजनारायण—लेकिन यह तो बहुत गलत है।

श्री अध्यक्ष—आप सदन के निर्णय के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते।

श्री राजनारायण—यह मेरा विरोध है।

श्री अध्यक्ष—आप अनियमित बात कर रहे हैं। सदन ने इसका निर्णय किया है।

श्री राजनारायण—सदन ने एक कमेटी बनाई है वह तीन दिन पहले सदन को बता दिया करेगी कि क्या प्रोग्राम है।

श्री अध्यक्ष—आप मौजूद नहीं थे। सदन का निर्णय यह था कि आज गैर सरकारी दिन नहीं होगा बल्कि इसके एवज में कोई और दूसरा दिन दे दिया जायगा। यह निर्णय हो चुका है।

श्री राजनारायण—मगर इसमें अव्यवस्था तो होती है।

श्री अध्यक्ष—आप सदन के ऊपर, उसके निर्णय के ऊपर कोई टीका नहीं कर सकते। आप कृपा कर बैठ जायं। मैं आपको निवेदन करने नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप सुनिये तो।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठ जायं।

श्री राजनारायण—मैं बैठ गया हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष—मुझे लाचारी से कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी। आप कह चुके, लेकिन सदन के निर्णय के ऊपर आप और बात नहीं कर सकते।

श्री राजनारायण—मैं निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह से डाटते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री राजनारायण—मैं बैठ गया हूँ, लेकिन मैं निवेदन करूँगा।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। आप कृपा कर बैठ जायं। मुझे कहने का अधिकार है कि आप बैठ जायं।

श्री राजनारायण—कहने का अधिकार है लेकिन।

श्री अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर विचार जारी होगा। इसमें श्री जगन्नाथ मल्ल जो का संशोधन पेश होने वाला था।

श्री राजनारायण—मैं आपको इस व्यवस्था के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—आप जाना चाहते हैं तो जायं। मैंने दूसरे सदस्य को बोलने के लिये कहा है।

श्री राजनारायण—आज गैर सरकारी दिवस था और सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष ने मिल कर इसको सरकारी दिवस में परिवर्तित किया।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—प्वार्ट आफ आर्डर। आपकी आज्ञा के बाद खड़े होना हाउस का अपमान है।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये आप सवाल रोज करे तो सवाल आ सकता है। प्वार्ट आफ आर्डर नहीं आ सकता।

श्री राजनारायण—तो इसलिये मैं आज सदन का त्याग करता हूँ।

*उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५
खण्ड १८ (क्रमगत)

†श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया) —मेरे छपे हुए संशोधन में दो धाराएँ हैं। इनमें मैं ९ वीं तो पेश नहीं करूंगा क्योंकि वह सदन के द्वारा नामंजूर हो चुकी है। दूसरी १०वीं धारा मैं पेश करता हूँ।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६ की उपधारा (९) के बाद उपधारा (१०) इस प्रकार रख दी जाय:-

“(10) to establish or aid teaching or research institution of Indian Medicine, and Surgery and Pharmaceutical laboratories and her trainees to encourage the manufacture or production of medicines of herbs used in that system.”

श्रीमन्, अगर आप मूल अधिनियम को देखेंगे तो उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि बोर्ड को यह अख्तियार होगा कि वह या तो खुद खोले या एड दे उन संस्थाओं को जोकि या तो इस प्रकार की देशी दवाइयाँ बनाती हैं या उसको बनाने की शिक्षा देती हैं या सर्जरी की शिक्षा देती हैं और उनका जो प्रोडक्शन है उसको इंफ्रीज करें। पिछला जो मूल अधिनियम था उसमें यह धारा थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि सरकार ने इस धारा को क्यों निकालने का प्रयत्न किया है। मैं समझता हूँ कि बोर्ड को यह अख्तियार होना चाहिये कि भारत में जो जड़ी-बूटियाँ हैं उनकी रिसर्च के लिए संस्थायें खोले, रिसर्च इंस्टीट्यूशन खोले और अगर कोई संस्था इस प्रकार का काम करती है तो उसको कुछ धन की सहायता दें ताकि यह काम आगे को बढ़ सके। यह एक ऐसी धारा है कि जो बोर्ड के हाथ में जरूर रहनी चाहिये और बोर्ड को पावर होनी चाहिये कि वह इस किस्म की संस्था को बनाये और इस तरह की संस्था जो इस काम में लगी हुई है उनको प्रोत्साहन दे ताकि हमारे देश में जड़ी-बूटी की दवाइयों का काम आगे बढ़ सके। हिन्दुस्तान में जो दवाइयों का काम है वह हमारे यहाँ बहुत पहले से चला आ रहा है और उसमें काफी प्रगति की गुंजाइश है ताकि सस्ती से सस्ती दवाई हमारे देश में गरीबों को मिल सके। अंग्रेजी दवाई बहुत कीमती होती है उनको वह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए यह जो धारा निकालने का प्रयत्न सरकार कर रही है यह उचित नहीं है। मैं समझता हूँ माननीय मंत्री जी को इस धारा को इसमें रखने में कोई विवकत नहीं होनी चाहिये और बोर्ड को यह पावर देनी चाहिये कि वह इस किस्म की दवाइयों के लिये संस्थायें खोल सके और इसकी तरक्की कराये और ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार की दवाई पैदा की जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस संशोधन को सदन के सन्मुख पेश करता हूँ।

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)—श्रीमन्, यह संशोधन जो मल्ल जी की तरफ से पेश किया गया है, यहाँ आम विवाद के समय पहले इस पर काफी रोशनी डाल दी गयी थी कि बोर्ड का मकसद रजिस्ट्रेशन करना या सरकार को सलाह देना है। अभी तक

*२१ नवम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

†१५ दिसम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

बोर्ड ने अपने कार्य—काल में किसी भी शिक्षण संस्था को कायम नहीं किया और न बोर्ड की अपनी शिक्षण संस्था हो सकती है, जिससे वह अनुसन्धानशाला या कोई शिक्षण संस्था या इस प्रकार का कालेज खोल सके। जिस काम को बोर्ड अपने जीवन-काल में नहीं कर पाया तो फिर आगे इसकी क्या सम्भावना हो सकती है। इसलिये व्यावहारिक दृष्टि से यह उचित नहीं समझा गया कि इसको रखा जाय।

जहाँ तक ड्रग्स और हर्ब्स के मैन्युफैक्चर का सवाल है इस विधेयक के पहले जो मूल अधिनियम था उसके प्रियम्बल में था, उसको निकाल दिया गया है। उसके लिये पहले ही सदन के अन्दर कहा जा चुका है कि हर्ब्स और ड्रग्स के कंट्रोल करने के लिये सरकार एक विधेयक लाना चाहती है, जिससे उनका स्टैण्डर्ड, उनका कंट्रोल, रेगुलेशन्स और मैन्युफैक्चर किया जा सके। इस लिये मल्ल जी का जो संशोधन है उसकी यहाँ पर गुंजाइश नहीं है और मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता पाता हूँ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, जो दलील माननीय मंत्री जी ने दी है वह दलील कुछ मेरी समझ में नहीं आई। अगरचे बोर्ड के हाथ में यह अख्तियार रहता है कि वह इस प्रकार की संस्थाओं को खोले या उनको एड दे तो मैं नहीं समझता कि सरकार की कौन सी हानि हो जायगी। यह तो एक ऐसी संस्था है कि जो यह काम कर सकती है। सरकार को सारी चीज अपने ही हाथ में नहीं लेना चाहिये। मैंने पिछली दफा बोलते हुए कहा था कि आप सारी चीजे अपने ही हाथ में मत लीजिए। अपने नौकरशाही से ही सारा कार्य न कराइए। जो रिप्रेजेंटेटिव बाड़ी है उनको अख्तियार दीजिए कि वह कुछ काम करें। यह सारा काम आप चाहते हैं कि अपने डिपार्टमेंट से करायें तो यह ठीक नहीं है। जितना रुपया डिपार्टमेंट को दिया जाता है तो उससे आधा रुपया गायब हो जाता है। अगर देश की उन्नति करनी है तो जनता से काम लेना जरूरी है। आप नौकरशाही से काम करा कर कभी भी सफलीभूत नहीं हो सकते। सरकार ने कोई काम तजबीज किया और उसके लिये डाइरेक्टर मुर्करर कर दिया और सारा काम हो गया, इससे मैं यह समझता हूँ कि हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है लेकिन यहाँ की सरकार की तो यह मनोवृत्ति हो गयी है कि वह जो भी काम करना चाहती है वह अपने अधिकारियों के द्वारा, वह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा कोई कार्य नहीं कराना चाहती है। जब कि वह ठीक काम कर सकते हैं, फिर भी वह अपने हाथ में ही पावर रखना चाहती हैं। यह मनोवृत्ति देश को गढ़े में डालने वाली है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह ऐसी मनोवृत्ति को छोड़ दें और इस तरह का काम बोर्ड को ही देना चाहिये। बोर्ड का काम क्या केवल मंत्री जी को सलामी देना ही होगा या उसके जिम्मे कोई काम भी होगा। बोर्ड को आप एक तमाशा न बनाइए, इसका अर्थ यह है कि आप बोर्ड को एक खिलवाड़ बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बोर्ड को इस तरह का अधिकार दे कर उसे आप को प्रोत्साहित करना चाहिये। यह कौन सी दलील है कि इतने दिन की जिन्दगी में बोर्ड ने कुछ नहीं किया, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार पर ही है, अगर ऐसा ही था तो सरकार ने बोर्ड से क्यों जवाब तलब नहीं किया और क्यों उसने ऐसे प्रोजेक्ट को निकाल बाहर नहीं किया और क्यों नहीं कहा कि जिन कार्यों का प्रावीजन है वह उसने क्यों नहीं किए? हमारे पास बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जब बोर्ड ने एक काम करना चाहा और सरकारी अधिकारियों ने उसमें अड़गेबाजी की। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर बोर्ड ने काम नहीं किया तो इतने दिन तक आप ने उसको कायम क्यों रक्खा? अगर आप ने उससे काम नहीं लिया तो यह आप की गलती है, अगर बोर्ड ठीक काम नहीं करता था तो आपको उसके चेयरमैन को हटाना चाहिये था। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रेस करता हूँ और जो दलील मंत्री जी ने दी है वह समझ में आने लायक नहीं है। आशा करता कि वह संशोधन को मान लेंगे।

श्री जनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई नई बात इस संबंध में नहीं कहने के मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि बोर्ड ने कुछ नहीं किया। जिस कदर शिक्षण बोर्ड से एफिलिएटेड हैं उनको ही ठीक कर दिया जाय तो ज्यादा शिक्षा संस्थाओं को खोलने की जरूरत नहीं है। माडर्न साइंसेज के जितने कालेज है वह यूनिवर्सिटी के ओर से है और सरकार उनको फेवल ग्रांट इन एड देती है इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है कि बोर्ड जिस अधिकार को काम में नहीं ला सकता उसको वह अधिकार दिया जाय। बोर्ड के पास एफिलिएशन और संभालन का अधिकार मौजूद है। हमारे सूबे में किन्हीं संस्थायें मौजूद हैं यदि वह ठीक ले चलाई जायें तो इतना ही उनको तरक्की के लिए काफी होगा। इसलिये मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है और इसीलिये हम मूल अधिनियम के प्रिस्क्रिबल से निकाल कर पहले ही मंजूर कर लिया है। इसमें मैं आशा करता हूँ कि अब वह अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६ की उपधारा (९) के बाद निम्नलिखित नयी उपधारा (१०) रख दी जाय—

“(10) to establish or aid teaching or research institutions in Indian Medicine and Surgery and Pharmaceutical laboratories and her trainees to encourage the manufacture or production of medicines of herbs use that system.”

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १८ इस विधेयक का अंग बन जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६

१९—मूल अधिनियम की धारा ३६ के बाद निम्नलिखित नयी धाराएं 36-A, 36-B, तथा 36-C के रूप में बढ़ा दी जायें—

यू० पी०
एक्ट १०,
१९३९ में
नयी धाराएं
३६-ए,
३६-बी तथा
३६-सी का
रक्खा जाना।

36-A. (1) For the proper discharge of its duties the Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine and functions as teaching and examining body in the Board shall appoint a Faculty of Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine which shall consist of the following:

(i) The President of the Board who shall be *ex officio* Chairman of the Faculty; and

(ii) Members of the Board elected under clauses (iii), (iv) and (v) of sub-section (1) of section 5, who shall be *ex officio* members of the Faculty.

(2) The Faculty may, with the previous approval of or at the requisition of the State Government, co-opt not more than three members for a specified duration and a specific purpose.

3) The Faculty shall elect a Vice-Chairman from amongst its members.

4. A person shall cease to be member of the Faculty upon his ceasing to be a member of the Board."

36-B. The Faculty shall have the following powers and duties:

"Powers and duties of the Faculty.

(a) to prescribe courses of study in Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine for imparting instructions in educational institutions affiliated to the Board ;

(b) to hold examinations of persons who shall have pursued a course of study in an educational institution affiliated to the Board ;

(c) to exercise general supervision over the residential and disciplinary arrangements made by the educational institutions affiliated to the Board and to make arrangement for promoting the health and general welfare of their students ;

(d) to appoint examiners ;

(e) to cause inspections of affiliated institutions of the Board ; and

(f) to make recommendations to the Board for the affiliation or recognition or for suspension or withdrawal of recognition or affiliation of Ayurvedic and Unani institutions."

36-C. In the event of disagreement between the Faculty and the Board on any matter relating to Ayurvedic or Unani Education a reference shall be made by the Board to the State Government and the decision of the State Government shall be final."

"Disagreement between the Faculty and the Board.

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फंजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 36-A की उपधारा (1) की 'पंक्ति २ के स्थान पर 'पंक्ति ३' और 'पंक्ति ३' के स्थान पर 'पंक्ति २' रख दी जाय।

यह छपने की गलती थी उसी के संबंध में यह संशोधन है और मैं आशा करता हूँ कि सरकार इसे स्वीकार करेगी।

श्री बनारसी दास—यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 36-A की उपधारा (1) की पंक्ति २ के स्थान पर पंक्ति ३ और पंक्ति ३ के स्थान पर पंक्ति २ रख दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 36-A की उपधारा (1) के भाग (ii) के बाद निम्नलिखित नया भाग (i-a) डाल दिया जाय :

(I-A) One member to be elected by the members of the Board from amongst themselves."

श्री मदन गोपाल वैद्य—जो माननीय मंत्री जी न अभी यह प्रस्ताव को उपस्थित किया है, वह फैकल्टी के संगठन के संबंध में मुख्य प्रस्ताव नहीं है। यह जहाँ के सदस्यों के चुनाव की बात है वहाँ पर आना चाहिये। मेरी प्रार्थना है कि सदस्यों के सम्मेलन में जो मुख्य प्रस्ताव है वहाँ पर इसको उपस्थित किया जाय तो अधिक अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—इसको आप कहां पर चाहते हैं ?

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—इसको ३६ के उपखंड (i) सब-क्लाज (ii) के बाद चाहता हूँ।

श्री बनारसी दास—मैं समझता हूँ कि इसमें मदनगोपाल जी को कुछ अवश्य है। जब हम वहाँ संशोधन करेंगे तो वहाँ तो अपने आप आ जायगा।

श्री अध्यक्ष—आप चाहते हैं कि इसको 36-A के भाग (i) के बाद न रख कर इसको भाग (ii) के बाद रख दिया जाय। इसमें आपको कोई आपत्ति है ?

श्री बनारसी दास—जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आया। माननीय मंत्री जी जो संशोधन है वह तो यह है कि एक सम्बर बोर्ड के सदस्यों में से ही चुना जाएगा। तो इस प्रकार तो फैकल्टी में जो चुने जायेंगे वह तो करीब-करीब बोर्ड के सभी सदस्य आ जायेंगे सिवाय उनके जो पाँच नामिनेटेड होंगे वही रह जायेंगे। जैसा कि आप देखेंगे कि जो 36-A का (1) का दूसरा खंड है वह इस प्रकार है :—

“Member of the Board elected under clauses (iii), (iv) and (v) of sub-section (1) of section 5, who shall be *ex officio* members of the Faculty.” तो फैकल्टी को इतना बोर्ड बनाने से क्या मतलब है; सरकारी तो उसको छोटी बाड़ी बनाना चाहती है। वह तो पूरा बोर्ड आ जाता है। चार आठ बचते हैं तो उन चार आवसियों को भी बोर्ड में ले लेंगे। इसलिये मैं समझता हूँ कि कुछ उचित नहीं मालूम होता। हाँ वैसे कोई खास बात हो तो मंत्री जी समझेंगे वैसे समझ में नहीं आता कि क्या जरूरत पड़ गई। बोर्ड के सभी सदस्य आ जाते हैं पाँच जो नामिनेटेड है वे ही बोर्ड में नहीं आते।

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, जगन्नाथ मल्ल जी को इसमें कुछ कल हो गया है। इसमें लिखा है “members of the Board to be elected under clause (iii), (iv) & (v)”।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 36-A की धारा (1) के भाग (ii) के बाद निम्नलिखित नया भाग (1-a) बढ़ा दिया जाय.....।

श्री मदन गोपाल वैद्य—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। आगे की जो धारा है इसके संबंध में माननीय मंत्री जी न परिवर्तन किया है। इसके परिणाम स्वरूप माननीय मंत्री जी को इसमें भी परिवर्तन करना आवश्यक होगा। इसलिये जो प्रश्न उठाया है वह और जो नया संशोधन पेश किया गया है कि स्वीकार कर लिया जाय, मेरी प्रार्थना है कि उस पर अभी वोट न लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—क्या परिवर्तन किया है ?

श्री मदन गोपाल वैद्य—क्लाज ३ में पहले यूनिवर्सिटियों के प्रतिनिधि बैठने वाले थे लेकिन कल ऐसा संशोधन स्वीकार किया गया है कि वक्ला वैद्य भी हो सकते हैं। इसलिये उस परिवर्तन को देखते हुए इस उपखंड को अभी स्वीकार न किया जाय। फैकल्टी के संगठन की जो मूल धारा है उसके बाद इसको लेना चाहिए।

श्री बनारसी दास—सदन गोपाल जी को कुछ मम हो गया है। कल तो सिर्फ यह प्रोवाइजो जोड़ा गया था कि बोर्ड के सदस्य जितने होंगे वे सब हकीम और वैद्य होंगे और उपखंड ३ जो था उसको निकाल दिया गया था यानी फैंकल्टी इस बात में स्वतंत्र होगी कि वह अपने किसी भी सदस्य को चुन कर भेज सके। अब यहाँ फैंकल्टी के संगठन के बारे में विचार कर रहे हैं कि फैंकल्टी का संगठन क्या होगा। यूनिवर्सिटीज के प्रतिनिधि, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रतिनिधि जो हकीम और वैद्य होंगे। तो यह ही गया था। इसके अतिरिक्त जिसको स्वयं वैद्य चाहें उसमें एक सदस्य को आप्ट होगा, जिसको तमाम बोर्ड करेगा। तो इसमें आपत्ति क्या पैदा हो गई।

श्री अध्यक्ष—आपत्ति नहीं। वैधानिक प्रश्न उन्होंने उपस्थित किया है।

श्री बनारसी दास—वैधानिक कोई प्रश्न है नहीं।

श्री अध्यक्ष—वैधानिक इसमें कोई प्रश्न नहीं है। मैं फिर लिये लेता हूँ।

प्रश्न यह है कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 36-A की उपधारा (1) भाग (ii) के बाद निम्नलिखित नया भाग (1-a) बढ़ा दिया जाय—

(i-a) One member to be elected by the members of the Board from amongst themselves . ”

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदन गोपाल वैद्य—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 36-A की उपधारा (1) के भाग (ii) के स्थान पर निम्न रख दिया जाय—

“(ii) Six members to be elected in the prescribed way, from amongst the members of the Board whose names are on the register. ”

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जो सरकारी प्रस्ताव था वह मुझे स्वीकार था, लेकिन जो संशोधन कल स्वीकार किया गया है उसके अनुसार धारा ५ के संगठन में अन्तर आ गया है और उस धारा ५ के आधार पर यह फैंकल्टी का संगठन किया गया है। इसमें जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है फैंकल्टी के संगठन का उसमें सब-क्लाज ३, ४ और ५ का जिक्र आता है। ३ के संबंध में जो कल संशोधन हुआ है उसके परिणामस्वरूप सब सदस्य वैद्य और हकीम नहीं रह जाते हैं। पहले सरकार का मंशा यह था कि फैंकल्टी में सब टेक-निकल सदस्य होंगे। लेकिन अब छः में से तीन सदस्य ऐसे आते हैं जो कि अवैद्य होंगे। इस प्रकार सरकार ने जो पहले फैंसला किया था कि फैंकल्टी में सब टेक्निकल आदमी रहें, अब वैसी स्थिति नहीं रही। इसलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि जो छः सदस्य रखे जाय वे बोर्ड से चुनकर रखे जाय। यदि मेरा संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता तो उसमें यह कठिनाई होती है कि उसके अन्दर तीन वैद्य आते हैं और तीन अवैद्य आते हैं। जो कि सरकार की शुरुकी मंशा थी वह यह थी कि फैंकल्टी में टेक्निकल हैंड होने चाहिये, वह मंशा पूरी नहीं होती। इसलिये जो कि परिवर्तन कल धारा ५ के अन्दर हुआ है उसको देखते हुए मुझे आशा है कि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, जो संशोधन माननीय मदन गोपाल जी ने सदन के सम्मुख रक्खा है मैं उसका विरोध करता हूँ और इस बुनियाद पर करता हूँ कि सरकार न जो रक्खा है वह ठीक है। क्योंकि फैंकल्टी ऐसे लोगों की होनी चाहिये जो किसी यूनिवर्सिटी से आते हों। उसमें कोई चुनाव वगैरह की बात नहीं है। हो सकता है कि ऐसे बिना पढ़े लिखे वैद्य आ जाय और गूढबन्दी कर के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और बड़े-बड़े

वैद्य नहीं है, परन्तु जिन्होंने आयुर्वेद की बहुत बड़ी सेवा की है। मैंने उनके समक्ष श्री मेहना जी का उदाहरण रक्खा था, जो जामनगर इंस्टीट्यूट के संचालक हैं और जिन्हें कन्द्रीय सरकार ने अब इस काय के लिए नियुक्त कर रखा है। वे आधुनिक विज्ञान के बड़े पंडित हैं। वे आयुर्वेद के विषय में अपने तत्वावधान और अपनी संस्था के तत्वावधान में कुछ अनुसंधान कर रहे हैं और बहुत से वर्यों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उन्हें अनुसंधान करने का रास्ता दे रहे हैं। इसी तरह से मैंने कर्नल चोपड़ा का नाम रखा था, जिन्होंने कि हिन्दुस्तानी दवाइयों के सिलसिले में और आयुर्वेद के सिलसिले में जो आपनी राय प्रकट की है, जो पुस्तकें लिखी हैं और जो रिपोर्ट लिखी, उससे स्वयं विदित हो गया कि वे आयुर्वेद के कितने पक्षपाती हैं। विश्वविद्यालयों में आयुर्वेद की फकल्टीज में ऐसे लोग भी सदस्य रहते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों को आप अपनी फकल्टी में आने से वंचित कर देंगे तो इससे आयुर्वेद की ख्याति को धक्का लगेगा और हम आयुर्वेद को उतना फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे जितना हम पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिये मैंने उनसे निवेदन किया था और उन्होंने मेरे निवेदन को माना था कि वे उस संशोधन को मान लें, जिसे स्वयं उन्होंने अपने द्वारा तथा नारायणदत्त जी के द्वारा रक्खा कि उसमें फकल्टीज को पूरा अधिकार रहे कि वे अपने में से किसी को चुन कर इस फकल्टी के लिये भेज दें। अतः उन्हें यह नहीं समझना चाहिये कि यह फकल्टीज किन्हीं वकीलों को चुनकर भेजेगी। वे भेजेगी उन्हीं व्यक्तियों को, जो कि आयुर्वेद में रुचि लेते हैं और विषय को समझते हैं।

इसी तरह से श्री धुलेकर स्वयं आयुर्वेद के पंडित नहीं हैं। न वे वैद्य हैं, परन्तु विश्व-विद्यालय की ओर से फकल्टी में उन जैसे कोई सदस्य रहे तो क्या यह अदूरदर्शिता होगी? मैं समझता हूँ यह बुद्धिमत्ता नहीं होगी। और इसलिये हमने यह आशा प्रकट की थी कि हमें विश्वविद्यालयों की फकल्टीज को पूरा अपने में से किसी सदस्य को इस फकल्टीज में जाने के लिये चुनने का अधिकार देना चाहिये। इसलिये अब कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगाना कि फकल्टी इस तरह की बने और इस तरह की न बने, मैं समझता हूँ कि मनासिब बात नहीं है। मैं उन्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि हमने फकल्टी का जो निर्माण अब किया है उसके पीछे भी वह भावना छिपी हुई है कि आयुर्वेद विकसित हो, उसे अधिकार हो ऐसे व्यक्तियों का सेवा पाने का, जो कि आयुर्वेद के प्रेमी हैं, जो आयुर्वेद की सेवा कर चुके हैं और जो आज भी आयुर्वेद के ज्ञान को बढ़ाने में अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं। यदि वह मेरे इस तर्क से सहमत होंगे तो मैं नहीं समझता कि क्यों अब वह इस संशोधन को उपस्थित करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं इसलिये उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से कि हमारे समक्ष विधेयक की यह धारा विचारार्थ उपस्थित है, उसे उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिये। उसमें कोई और संशोधन करने की अब यहां इस सदन के समक्ष आवश्यकता नहीं है। मैं इन चन्द शब्दों के साथ उस संशोधन का विरोध करता हूँ जिसे वैद्य जी ने सदन के विचारार्थ उपस्थित किया है।

श्री अध्यक्ष—क्या आप वापस लेते हैं ?

श्री मदन गोपाल वैद्य—मैं वापस लेता हूँ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा ३५-A की उपधारा (1) के भाग (i) के बाद नया भाग (iii) निम्न रूप में रख दिया जाय—

“(iii) The Director of Ayurvedic and Unani Tibbi Medicine.”

श्रीमन्, मैं समझता हूँ कि सरकार को इस धारा को मानने में कोई अड़चन नहीं होनी क्योंकि इस संशोधन का मसलब यह है कि जो डाइरेक्टर हो क्योंकि उसको इस तरह का काम करना ही है और जब तक हमारे सूबे में डाइरेक्टर की श्रधा है तब तक उसको

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

स्थान देना पड़ेगा, इस ख्याल से मैं सोचता हूँ कि अगरचे डाइरेक्टर को भी इस फैकल्टी में रख दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि बार-बार अगर डाइरेक्टर के न रहने से किसी चीज पर राय लेने की जरूरत पड़ेगी या किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो उससे पूछने जाना पड़ेगा और अगरचे वह उस फैकल्टी में है तो वह अपनी राय से जो सरकारी पहलू है उसको ध्यान में रखते हुए सुझाव देगा और साथ ही जो बोर्ड और फैकल्टी का पहलू होगा उसको भी देखेगा। तो इस तरह का शीघ्रता से कोई कार्य हो सकेगा। इसलिये मैं समझता हूँ कि उसको भी होना चाहिये। वैसे मैं कोई ठीक नहीं समझता हर एक जगह पर एक डाइरेक्टर रखा जाय, यह मैं बिल्कुल ठीक नहीं समझता, लेकिन जब तक यह प्रथा है तब तक उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। इस कारण मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिये कि जो मेरा संशोधन है उसको वह मान ले क्योंकि इसके मानने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने आपके द्वारा इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है वह तो सरकार की इच्छा के अनुरूप ही है। श्रीमन्, अगर कल आपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री के भाषण पर गौर किया होगा तो आप इस नतीजे पर पहुँचे होंगे कि माननीय मंत्री जी यह चाहते हैं कि बोर्ड का जो चेयरमैन होगा वह डाइरेक्टर होगा। कल आपने यह घोषणा इस सदन के सामने अपने भाषण के सिलसिले में की थी। तो मैं यह समझता हूँ कि जब माननीय मंत्री जी की ऐसी इच्छा है तो उस इच्छा पर किसी भी तरह इस संशोधन को मान लेने से कुठाराघात नहीं होता। और फिर यह माननीय जगन्नाथ मल्ल जी की इच्छा का भी सवाल है और सरकार की जो इच्छा है उसके अनुरूप ही माननीय जगन्नाथ मल्ल जी का यह संशोधन है। तो इसका समर्थन करने के साथ-साथ मैं इसके औचित्य को भी समझता हूँ और आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, मैं मल्ल जी से निवेदन करूँगा कि वह अपने संशोधन में मेरा थोड़ा सा संशोधन मान लें कि “डाइरेक्टर” को जगह “डिप्टी डायरेक्टर आफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, उत्तर प्रदेश” कर दें क्योंकि फैकल्टी का चेयरमैन जो होगा वह डायरेक्टर होगा और टेक्नीकल आयुर्वेद का जो डायरेक्टर होगा वह डिप्टी डायरेक्टर कहलायेगा। इसलिये वह मेरे इस संशोधन को मान ल, तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, खैर पूरी नहीं तो आधी बात तो मान ही ली, इसलिये मैं भी उनकी आधी बात माने लेता हूँ।

श्री बनारसी दास—आधी नहीं, मैंने तो आपकी पूरी बल्कि उससे भी आगे की बात मान ली। अगर आपकी यह बात मान ली जाय तो आपकी मंशा पूरी नहीं होगी फिर तो डायरेक्टर वहाँ जाकर बैठेगा, आयुर्वेद का डायरेक्टर नहीं जायगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 36-A की उपधारा (1) के भाग (ii) के बाद नया भाग (iii) निम्न रूप से रख दिया जाय—

“(iii) The Deputy Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh.”

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदन गोपाल वैद्य—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 36-A की उपधारा (२) की पंक्ति ३ के शब्द “three” के स्थान पर शब्द “two” रख दिया जाय।

इस फैकल्टी के संगठन के संबंध में सरकार की तरफ से प्रस्ताव था कि उसमें तीन आबमियों के कोआप्ट करने की बात कही गयी, लेकिन चूंकि फैकल्टी के मेम्बर बहुत

कम है इसलिए तीन मेम्बर कोआप्ट होने की आवश्यकता उचित नहीं मालूम पड़ता इसलिए हमने उनकी संख्या कम करने का प्रस्ताव रखा।

दूसरी बात यह है कि ये जो कोआप्टेड मेम्बर होंगे उनको "फार स्पेसिफिक इय्यू रेशन" और "स्पेसिफिक परपज" के लिये भी कोआप्ट किया जा सकता है। एक प्रस्ताव पास करने के लिये कोआप्ट कर सकते हैं, तो उनकी यह संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिये उसको तीन के बजाय दो होना चाहिये।

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, यह स्वीकार है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूँ। इसलिये कि ज्यादा आदमी अगर वहाँ रहे तो अच्छा ही है। इसलिये माननीय मंत्री जी को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिये। मैं उनसे कहूँगा कि वह अपनी इस राय को बदलें और तीन ही रहने दें जैसा कि विधेयक में है।

श्री मदन गोपाल वैद्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव का जो परिणाम होता है उसको मल्ल जी ने पूरी तरह से समझ कर अपनी राय धारण नहीं की है, क्योंकि फैकल्टी में केवल ६ ही मौलिक सदस्य हैं और ६ के साथ तीन सदस्य कोआप्ट करने की बात कही गयी है और वह ऐसे होंगे कि जिनको थोड़े समय के लिये या एक ही प्रस्ताव के लिये कोआप्ट किया जा सकता है। इसलिये इस धारा का दुरुपयोग न हो सके मैंने तीन से कम, दो ही सदस्यों को कोआप्ट करने के लिये प्रस्ताव रखा है ताकि सदस्य जो हों वह ठीक तरह से काम कर सकें और तीन सदस्यों का अधिक बजन और प्रभाव कमेटी के ऊपर न पड़ सके।

श्री बनारसी दास—मैं श्री मदनगोपाल जी के संशोधन को स्वीकार करता हूँ। चूंकि फैकल्टी का कोआपेशन करना है इसलिये पहले तीन ही रखा था। लेकिन चूंकि मांग यह थी कि बोर्ड भी एक कोआप्ट करे तो जब एक सदस्य का कोआपेशन पूरा बोर्ड करेगा और दो का फैकल्टी करेगी तो यह मदनगोपाल जी का जो संशोधन है, वह मैं समझता हूँ ठीक है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 36-A की उपधारा (२) की पंक्ति ३ के शब्द "three" के स्थान पर शब्द "two" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मदन गोपाल वैद्य—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 6 -B के भाग (f) के बाद नया भाग (g) निम्न रूप में रख दिया जाय—

"(g) Registrar shall function as the Secretary of the Faculty and shall be responsible for the secrecy and accuracy of the records and business thereof."

जो फैकल्टी का संगठन किया गया है उसमें एक सेक्रेटरी की आवश्यकता थी। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि रजिस्ट्रार ही सेक्रेटरी का काम करेंगे और परीक्षा की प्रामाणिकता और उसके गौरव और स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि जैसे परीक्षा के संबंध में नाना प्रकार की गड़बड़ियाँ हुआ करती है उसके रिकार्ड्स और उसके सब कागजात गुप्त रखे जायें। इसलिये उसका भी इसमें विधान किया गया है और रजिस्ट्रार के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी रखी गयी है कि वह परीक्षाओं का सफल संचालन करे।

इसके साथ ही साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूँगा कि अब बोर्ड का काम फैकल्टी के निर्माण के बाद बहुत ही जिम्मेदारी का हो गया है। इसलिये परीक्षा के संबंध में बोर्ड के अन्दर एक टेक्निकल कर्मचारी अवश्य होना चाहिये चाहे वह रजिस्ट्रार हो, चाहे ज्वाइंट रजिस्ट्रार रखा जाय क्योंकि फैकल्टी कागज, पर तो एक है, लेकिन वास्तव में है दो, एक आयुर्वेदिक और दूसरी यूनानी और इस फैकल्टी का जो पांच वर्ष का पाठ्य-क्रम है उसको संचालित करने.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूँ यह असंगत हो रहा है। इसको आप सरकार के पास लख कर भेज दीजिए।

श्री मदन गोपाल वैद्य—चूँकि रजिस्ट्रार का काम टेक्निकल है, इसलिये मैं समझता हूँ कि सरकार इसको स्वीकार कर लेगी।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, मैं निवेदन करूँगा कि माननीय मदनगोपाल जी इस रूप में अगर इसको स्वीकार करे तो मैं मानने को तैयार हूँ:

“ Registrar shall function as the Secretary of the Faculty.”

क्योंकि बोर्ड को अधिकार है कि वह उसके लिये कार्य निर्धारित करे। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि श्री मदनगोपाल जी इस रूप में इसको स्वीकार करेंगे और जब वह सेक्रेटरी होंगे तो उसकी जिम्मेदारी तो है ही। उसकी और भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ होंगी जोकि बोर्ड सुपुर्द करेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि मदनगोपाल जी इसको जिस रूप में मैंने रखा है, उसमें स्वीकार कर लें।

श्री मदन गोपाल वैद्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी का सुझाव है उसे मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह से परीक्षा में गड़बड़ियाँ हुआ करती हैं उसके लिये कार्यालय का कौन सा कर्मचारी जिम्मेदार होगा इस संबंध में एक निश्चित अधिकारी को उत्तरदायी बनाने के लिये मैंने अपना यह संशोधन रखा था। लेकिन जो माननीय मंत्री ने रखा है उसको ही मानने के लिये मैं तैयार हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 36-B के भाग (f) के बाद नया भाग (g) निम्न रूप में रख दिया जाय—

“ Registrar shall function as the Secretary of the Faculty.”

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २०

२०—मूल अधिनियम की धारा ३७ में—

यू० पी०
एक्ट १०,
१९३९ की
धारा ३७
का संशोधन

(१) शब्द “ may ” और “ frame ” के बीच शब्द “ after previous publication ” रख दिए जाय ;

(२) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त के [फुलस्टाप के स्थान पर कोलन रख दिया जाय ; और तत्पश्चात् द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :]

“ Provided further that no regulation shall be framed under any of the clauses (a) to (g) except upon the recommendations to be made in such manner as may be prescribed by the Faculty. ”

(३) उपधारा (३) में शब्द “ “ Gazette ” ” के बाद शब्द “ and shall not take effect until they have been confirmed by the State Government ” बढ़ा दिए जाय ; तथा “ ”

(४) उपधारा (४) में शब्द “ “ cancel ’ के स्थान पर शब्द “ cancel or modify ” रख दिए जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २१

२१—मूल अधिनियम की धारा ३८ के शब्द "and licensing of firms for sale of Indian drugs" निकाल दिये जायें।

यू० पी०
ऐक्ट १०,
१९३९ की
धारा ३८
का संशोधन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २२

२२—मूल अधिनियम की धारा ५३ में शब्द "Part III" के स्थान पर शब्द "Part III or any section therein" रख दिये जायें।

यू० पी०
ऐक्ट १०,
१९३९ की
धारा ५३
का संशोधन।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड २२ निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्न रख दिया जाय—

"संपूर्ण धारा ५३ निकाल दी जाय।"

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से धारा ५३ पढ़ना चाहता हूँ—

"53. Notwithstanding anything contained in any section of this Act, on and after the expiry of one year from the date from which Part III comes into force, a person shall not be entered in the register as a registered practitioner unless he has passed a qualifying examination recognised by the Board."

श्रीमन्, इस विधेयक में इस बात की पाबन्दी है कि सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को बोर्ड के अन्दर रजिस्ट्रेशन मिलेगा जोकि कोई न कोई क्वालीफाइंग इक्जामिनेशन पास कर चुके हों। तो इसलिये इस सेक्शन की अब जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आपका संशोधन ठीक ढंग का नहीं है। इसमें यह होना चाहिये कि खंड २२ निम्न रूप में रख दिया जाय।

श्री नवलकिशोर—मेरा मतलब यह था कि मूल अधिनियम की धारा ५३ निकाल दी जाय। इसमें यह होगा कि "मूल अधिनियम की धारा ५३ निकाल दी जाय"।

श्री बनारसीदास—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२ के स्थान पर निम्न रख दिया जायः—

"२२—मूल अधिनियम की धारा ५३ निकाल दी जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २३ व २४

यू० पी०
एक्ट १०,
१९३९ की
धारा ५४
का निकाल
जाना।

२३—मूल अधिनियम की धारा ५४ निकाल दी जाय।

यू० पी०
एक्ट १०,
१९३९ की
धारा ५५
का संशोधन।

२४—पूरा अधिनियम की धारा ५५ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द “to practice” के स्थान पर शब्द “in or otherwise entitled to practice” रख दिए जाय, तथा

(२) उपधारा (२) में शब्द “With fine which may extend to five hundred rupees” के स्थान पर शब्द “with imprisonment not exceeding six months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both”. तथा शब्द “with fine which may extend to two hundred rupees” के स्थान पर “With imprisonment not exceeding three months or with fine which may extend to two hundred rupees or with both” रख दिए जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २३ और २४ इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २५

यू० पी०
एक्ट १०,
१९३९ की
अनुसूची का
संशोधन।

२५—मूल अधिनियम में संलग्न अनुसूची का अनुच्छेद ४ निकाल दिया जाय।

श्री बनारसीदास—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड २५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

“२५—मूल अधिनियम में संलग्न अनुसूची में—

(a) अनुच्छेद (२) निम्न रूप में परिवर्तित कर दिया जाय—

“2 Vaid and Hakims who hold a degree or diploma granted by the Board.”

(b) अनुच्छेद (४) निकाल दिया जाय।”

तो श्रीमन्, यह शाब्दिक संशोधन है। चूंकि फंक्ली बनेगी तो उसमें पहले ही बोर्ड संजूर करता था इसलिये इसमें इन शब्दों को बढ़ा दिया गया है और अनुच्छेद ४ की अब आवश्यकता नहीं रह गयी है क्योंकि वही वैद्य और हकीम रजिस्टर्ड हो सकते हैं जिन्होंने नियमानुसार तालीम पाई हो। इसलिये मैं इस संशोधन को सदन के सामने उपस्थित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

“२५—मूल अधिनियम में संलग्न अनुसूची में—

(a) अनुच्छेद (२) निम्न रूप में परिवर्तित कर दिया जाय—

“ 2 Vaidas and Hakims who hold a degree or diploma granted by the Board. ”

(b) अनुच्छेद (४) निकाल दिया जाय ।”

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २६

२६—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व कार्यरत (functioning) बोर्ड मूल अधिनियम द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन, उस समय तक करता रहेगा जब तक कि मूल अधिनियम, जैसा कि वह प्रस्तुत अधिनियम द्वारा संशोधित हुआ है, की धारा ५ के अधीन कोई बोर्ड विधिवत् संगठित नहीं हो जाता, तथा ऐसा बोर्ड इस बात के होते हुए भी कि मूल अधिनियम के अधीन इसका कार्यकाल अन्यथा समाप्त हो गया है, तब तक अपना कार्य करता रहेगा जब तक पूर्वोक्त व्यवस्थानुसार नया बोर्ड संगठित नहीं हो जाता।

अस्थायी
तथा अन्त-
कालीन
उपबन्ध।

(२) राज्य सरकार किन्हीं कठिनाइयों, मुख्यतः मूल अधिनियम के उपबन्धों में उक्त ऐक्ट के, जैसा कि वह प्रस्तुत अधिनियम द्वारा संशोधित हुआ है, उपबन्धों में संक्रमण के बारे में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ आज्ञा द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि मूल ऐक्ट, जैसा कि वह पूर्वोक्त व्यवस्थानुसार संशोधित हुआ है, ऐसे परिष्कारों, परिवर्तनों अथवा लोपो (modifications, additions or omissions) के अधीन, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक अथवा इष्टकर समझे, ६ महीनों तक के काल-वधि में, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जायगी, प्रभावी होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड १

१—(१) यह ऐक्ट उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित हो जायगा।

संक्षिप्त
शीघ्रनाम
तथा प्रसार।

श्री रामेश्वर लाल—मैं आपको आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि खंड १ के उपखंड (२) के शब्द “जायगा” के स्थान पर शब्द “गा” रख दिया जाय।

यह एक शाब्दिक संशोधन है। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री बनारसीदास—यह एक शाब्दिक संशोधन है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके लिये आपको अधिकार है कि इसमें शाब्दिक परिवर्तन कर दें।

श्री अध्यक्ष—अच्छा मैं कर दूंगा। (कुछ ठहर कर) प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

• शीर्षक तथा प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५

कुछ प्रयोजनों के लिये यू० पी० इन्डियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ को संशोधित करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये यू० पी० इन्डियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ संशोधित किया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग मान जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ को पारित किया जाय।

श्री रामेश्वर लाल—मान्यवर यह हर्ष का विषय अवश्य है कि आज इस सदन में आयुर्वेद और यूनानी से संबंधित और उसके विकास के लिये यह विधेयक पारित होने को पेश किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर जो त्रुटि इस विधेयक के अन्दर रह गयी है उसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मुझे खेद है कि श्री जोरावर वर्मा जी का संशोधन जिसमें शिड्यूल कास्ट और पिछड़ी हुई जातियों के लिये रिप्रजेन्टेशन की बात कही गयी थी उसको इस सदन ने और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया। मान्यवर हम और यह सदन यह स्वीकार करेगा कि जो आयुर्वेद का सिस्टम और उसकी पद्धति है.....

श्री अध्यक्ष—जितने संशोधन स्वीकार कर लिये गए हैं उनसे जो परिणाम होता हो, उसी के बारे में आप बहस कर सकते हैं, लेकिन जो स्वीकार नहीं हुए हैं उनको आप यहां पर दोहरा नहीं सकते हैं।

श्री रामेश्वर लाल—मैं उन बातों का थोड़ा सा हिन्ट चाहता था कि कर दूं और उसके लिये आपसे जरा सी इजाजत चाहता था।

श्री अध्यक्ष—संदर्भ के लिये आप कह सकते हैं लेकिन आपका भाषण केवल स्वीकृत संशोधनों पर ही हो सकता है और जो अस्वीकृत हुए, उनके जो परिणाम हैं उनसे आप सहमत न हों तो कुछ कह सकते हैं।

श्री रामेश्वर लाल—जो संशोधन स्वीकृत हुए हैं और अस्वीकृत हुए हैं उनसे संबंधित करते हुए मैं यह कहना चाहता था कि जो संशोधन स्वीकृत किए गए हैं उनके संदर्भ में और जो अस्वीकृत हुए हैं उनसे कोई बुराई न उत्पन्न हो, इसलिये मैं यह इशारा करना चाहता था कि जहां तक फैकल्टी और बोर्ड का संबंध है और जो बोर्ड बना है उसका काम यदि विकास करना है तो हमें देखना होगा कि इस बिल से संबंधित जो नई बातें हमने की हैं उनमें हम कहां तक आगे बढ़ रहे हैं। जितने संशोधन हमने स्वीकार किए हैं उनको स्वीकार करने के बाद हमारी मंशा मंत्री जी द्वारा व्यक्त की गई। मंशा जो

हैं कि इन यूनानी और आयुर्वेदिक पद्धतियों को हम ठीक करेंगे, उस चीज को हमें देखना है कि हम ठीक कर सकेंगे या नहीं। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और उन से कहना चाहूंगा कि जो कमेटी सन् ३९ में पिछली कांग्रेस सरकार के जमाने में बनी थी उस की सिफारिश थी कि क्षय रोग के लिये आयुर्वेदिक पद्धति पर एक अस्पताल खोलना चाहिये। उस वक्त वह सरकार चली गयी लेकिन अब जो सरकार उसकी जगह पर बनी और जिसे फिर पदासीन होने का अवसर मिला उसने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में आश्वासन दिया कि वह एलोपैथिक की जगह आयुर्वेदिक सिस्टम को यहां स्थापित करना चाहते हैं, उस पर हम अमल करें इसकी आवश्यकता है और मुझे आशा है कि वह इस दशा में एक सफल प्रयत्न करेंगे, लेकिन हमें इसके साथ-साथ कुछ खास बातों की तरफ ध्यान देना होगा। हमारे प्रदेश में इस समय विशेषकर पूर्वी जिलों में कुष्ठ रोग, उधर के गरीब इलाकों में बहुत जोर पर है और उसके संबंध में जो फारेन एजेंसीज बाहर से दवा भेजती हैं जैसे अमेरिका आदि और उन्हीं दवाओं के आधार पर कुष्ठ रोग के आश्रम आदि चल रहे हैं और जो रोगी हैं वह और दूसरे लोगों के लिये भी कुष्ठ रोग का कारण बने हुए हैं और उनकी बड़ी अव्यवस्था है। मैं कहूंगा कि यदि सरकार उन आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों का विकास चाहती है तो उसको इन पद्धतियों के मातहत कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल की व्यवस्था करना चाहिये और मैं समझता हूँ कि हमारी इन पद्धतियों में कुष्ठ रोग के लिये एलोपैथिक दवाओं से अच्छी दवायें मिल सकती हैं। इसलिये टी० बी० और कुष्ठ रोगों के लिये विशेष व्यवस्था आयुर्वेदिक प्रणाली के अनुसार होना आवश्यक है। मुझे आशा है कि जो हमारा विधान जैसा हमने अब पास किया है, बनने जा रहा है और जो फैकल्टी और बोर्ड को अधिकार मिलेगा और जो गलतियाँ आने की संभावना है, उनको दूर करने का वह बोर्ड और फैकल्टी प्रयत्न करेंगे और रजिस्ट्रेशन के प्रश्न को लेकर फैकल्टी किसी तरह का गलत काम न होने देगी, ऐसी हमें आशा है और केवल वही लोग रजिस्टर हो सकेंगे जो वेल् क्वालिफाइड या सर्टिफाइड होंगे। लेकिन साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार हमने संशोधन पास किया है उसके मातहत हमारे कुछ ऐसे लोग न रह जायें जो योग्यता और निपुणता में.....

श्री बनारसी दास—मैं श्रीमन्, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उनके भाषण का इस बिल से कोई संबंध नहीं मालूम होता।

श्री अध्यक्ष—इसमें काफी संशोधन स्वीकृत हुए हैं और नियमों के अनुसार वह उनके परिणामों के ऊपर कह सकते हैं। मैं सीमा नियत नहीं कर पा रहा हूँ कि किस हद तक वह असंगत हो रहे हैं क्योंकि वह कुछ संगत भी हैं और उन्होंने इस वक्त तक अधिक समय नहीं लिया है इसलिये मैं उनको अभी नहीं रोक रहा हूँ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—और थर्ड रीडिंग में तो इस तरह की गुंजाइश हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—जी हां, यदि संशोधन हो चुके हों तो थर्ड रीडिंग में गुंजायश ऐसी हो सकती है।

श्री रामेश्वर लाल—मान्यवर, मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी को अब इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिये जितनी वह महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अब तो यह विधेयक पास हो ही गया और संभवतः अधिकतर उनकी इच्छा के अनुकूल ही पास हुआ है। माननीय मंत्री जी ने देखा कि उनके बहुत से संशोधनों का हमारे दल के लोगों ने भी काफी जोरदार शब्दों में समर्थन किया। तो फिर इस तरह से जो हमारा कोआपरेशन रहा है उसका हमें भी फायदा मिलना चाहिये, माननीय मंत्री जी को तो मिल ही गया है और इसी को आधार मानकर मैं यह समझता हूँ कि कुछ बातें जो श्रीमन्, उनके देखने में असंगत हो सकती हैं और आपके देखने में नहीं हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

[श्री रामेश्वर लाल]

मुझे केवल एक बात कहनी है कि मुझे तब दुख हुआ जब श्रीमन् माननीय शिव नारायण जी ने जब माननीय जोरावर वर्मा जी के संशोधन का विरोध किया। मान्यवर, जब कभी भी इस सदन में ऐसे सवाल आये तब हरिजनों के उत्थान के लिये, उनके रिजर्वेशन के लिये बातें हुईं लेकिन इस विधेयक के संबंध में जब रिजर्वेशन की बात हुई तब माननीय शिवनारायण जी उसका विरोध करते हैं। संस्कृत के जो मूल ग्रन्थ हैं और जो अध्यापक संस्कृत के हैं, पंडित हैं। मैं यह समझता हूँ कि वैद्य जो होते हैं वह मूल ग्रन्थों को संस्कृत के पठन-पाठन के अनन्तर ही हो सकते हैं। तो जब तक हमारा वैद्य समाज इस श्रेणी तक नहीं पहुँच पाता कि "आत्मवत सर्व-भूतेषु यः पश्यति न पंडितः" के सिद्धांतों पर सबको समझे और जब तक हमें पंचायतों, लोकल बाडीज में रिजर्वेशन का प्रश्न हल करना है। और जब तक १५ स्टूडेंट्स को स्कालरशिप्स देनी है और हरिजन स्टूडेंट्स के रिजर्वेशन का सवाल हल करना है, जब यह सब बातें करनी हैं तब तक माननीय मंत्री जी को अवश्य इस बात पर विचार करना है कि ऐसा न हो कि उनके प्रति घृणा का वातावरण पैदा हो और हमारे और शिवनारायण जी के रहते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाय। इसीलिये मैं उनकी याददाश्त के लिये, माननीय मंत्री जी की याददाश्त के लिये और सदन की याददाश्त के लिये इस वक्त यही कहना चाहता हूँ।

श्री मदन गोपाल वैद्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक आज पारित हुआ है उसके परिणामस्वरूप इस विधेयक के उद्देश्यों में एक कमी हो गयी है लेकिन खुशी की बात है कि जो औषधियों के नियंत्रण के संबंध में विधेयक के उद्देश्यों में एक कमी की गयी है उसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने अलग से विधेयक बनाने का आश्वासन दिया है। उससे हमें प्रसन्नता हुई कि उस संबंध में हम भविष्य में प्रगति करने वाले हैं। जहाँ तक इस विधेयक के ज्यूरिस्टिकशन का प्रश्न है सरकार ने एक ऐसा संशोधन स्वीकृत किया है कि उत्तर प्रदेश के बाहर की संस्थाओं को भी ऐफिलिएट कर सकते हैं लेकिन मेरा यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया था कि मूल अधिनियम उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लागू नहीं कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में लागू नहीं रहेगा। इस विधेयक में बोर्ड और फॅकल्टी के संगठन के संबंध में दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं। बोर्ड के संगठन के संबंध में काफी प्रगति हुई है और वैद्य समाज को इस बात पर प्रसन्नता हुई कि इसमें वैद्यों की संख्या और महत्ता बढ़ाई गई है और उनका स्तर भी, मान भी ऊँचा हुआ है लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष के संबंध में एक नवीन परिवर्तन हुआ है कि जब तक जो चुनाव उनका होता था उसके स्थान पर नामजवगी हुआ करेगी। इस काम से उनके स्थायित्व में कमी की कुछ आशा है लेकिन उसकी नियुक्ति के संबंध में हम फिर भी सरकार को यह ध्यान दिलाना चाहते हैं कि अध्यक्ष कोई सरकारी आदमी नहीं नियुक्त होना चाहिये, जिसको पहले ही से जरूरत से ज्यादा काम हो और वह बोर्ड के कामों में अधिक समय न दे सके।

क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि बोर्ड के जो कर्त्तव्य थे उसको भी वह पूरा नहीं कर सका। इसका कारण यही था कि बोर्ड के कर्मचारी नान-टेक्निकल थे। अगर टेक्निकल कर्मचारी होते तो आसानी से और सुगमता से बोर्ड कार्य का सम्पादन कर सकता था। जहाँ तक बोर्ड का संबंध है आमतौर से सरकार यू० पी० मेडिकल बोर्ड या होम्योपैथी बोर्ड से समानता किया करती है उन बोर्डों से जिनका काम केवल रजिस्ट्रेशन करने का ही है। लेकिन यह जो आयुर्वेद और यूनानी का बोर्ड है उसके उद्देश्यों और कारणों में ही लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट का काम भी उसके पास है। दूसरे जो एलोपैथिक या होम्योपैथिक बोर्ड हैं उनकी उन्नति दूसरे देशों में हो रही है। वहाँ उनका काम केवल रजिस्ट्रेशन का ही होता है लेकिन यहाँ हमारे इस बोर्ड को आयुर्वेद पद्धति का विकास करना है। इसलिये टेक्निकल आदमी चाहिये जिनके पास समय हो और अपना

समय इस काम की प्रगति में लगा सके। इसलिये दूसरे बोर्ड से हमारे बोर्ड की तुलना न की जाय। दूसरे देशों में जो बोर्ड होते हैं उनका काम केवल रजिस्ट्री का होता है और वैज्ञानिक प्रगति जो वहाँ हो रही है उसकी ग्रहण मात्र करना ही उनका काम होता है। बोर्ड का कार्य—काल भी तीन वर्ष से पांच वर्ष कर दिया गया है। इस संबंध में कोई विवाद की बात नहीं है लेकिन पांच वर्ष भी पूरे हो गए किन्तु चुनाव नहीं होने जा रहा है। इस संबंध में सरकार ने धारा ३६ के जरिये से अधिकार ले लिया है कि जब तक बोर्ड का चुनाव नहीं होता तब तक बोर्ड का कार्यकाल माना जाय। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि निकट भविष्य में जल्दी ही बोर्ड का चुनाव हो जायगा।

जहाँ तक फैकल्टी की बात है, फैकल्टी की स्थापना से उत्तर प्रदेश में वैद्यक परीक्षाओं का स्टैंडर्ड ऊंचा होगा, यह खुशी की बात है और वैद्यक परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो कर जो विद्यार्थी निकलेंगे उनको मभी जगह मान्यता मिलेगी। लेकिन जो फैकल्टी का संगठन किया गया है उस संगठन के बारे में मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ कहना चाहता हूँ। फैकल्टी के संगठन में जो ६ सदस्य रखे गए हैं उन ६ में से तीन सदस्य यूनि-वर्सिटियों के हैं और तीन सदस्य बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन्स और शिक्षा संस्थाओं के सदस्य हैं। इन सदस्यों से मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि आपस में संघर्ष रहा करता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधिगण बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन्स द्वारा संचालित जो परीक्षायें हैं उनमें अधिक दिलचस्पी नहीं लेते। वे ऐसा समझते हैं कि इन परीक्षाओं का स्टैंडर्ड बहुत नीचा है और अभी उनके पास पर्याप्त साधन व सम्पन्नता नहीं है। इसलिये काफी दिलचस्पी वे इन परीक्षाओं में नहीं लेते। अब जो तीन सदस्य रह गये उनमें से एक हकीम साहब होंगे और दूसरे दो वैद्य होंगे और जो दो सदस्य को-आप्ट करने की बात कही गयी है—इस तरह से यूनानी फैकल्टी को चलाने का काम एक हकीम या दो कोआप्टेड हकीमों के ऊपर छोड़ा गया है। यह संख्या बहुत कम प्रतीत होती है। बोर्ड के अधिकार को सरकार ने जो खत्म कर दिया था ग्रांट इत्यादि बांटने में उनको सरकार दूसरे रूप में करेगी। प्रसन्नता की बात है कि बोर्ड के अधिकारों के संबंध में—छात्रवृत्ति देने या रिसर्च के लिए विद्यार्थियों को विदेशों में भेजने के लिये सरकार ने जो कटौती की थी उसको संशोधन के द्वारा पूरा कर दिया है। इस काम के लिये हम सरकार को सहर्ष धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक उन्नति के कार्य को प्रशस्त कर दिया और बोर्ड को यह अधिकार पुनः वापस कर दिया। इसके अलावा पैरा ४ में रजिस्ट्री करना बन्द कर दिया है और शेड्यूल में जो परिवर्तन किया है उसका भी मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। इससे वैद्य सामाज्य का स्टैंडर्ड ऊंचा होगा। इससे हमारी प्रमाणिकता और बढ़ेगी। अनुच्छेद ४ के निकालने के बाद जो संशोधन करने बाकी रह गए हैं, मैं आशा करता हूँ कि सरकार किसी न किसी रूप में उनको पूरा करेगी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने कहा “आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः” इस ओर इशारा किया। हमारे देश में भी हमारे नेताओं में जो स्वराज्य की लड़ाई लड़ी उन्होंने देश में इसी आदर्श की पुष्टि की। हमारे इसी देश के महानतम नेता जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया को पंचशील की देन दी है। वह देन उत्तर प्रदेश की ही देन है। मैं विरोधी दल के अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ कि भाई जोरावर बर्मा इस सदन में केवल क्रोकोडाइल टीयर्स बहाते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूँ कि आप ये शब्द वापस लें।

श्री शिव नारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं वापस लेता हूँ लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सिर्फ कल्पना की बात करने से काम नहीं चल सकता। जहाँ हम पर डंडे पड़ते हैं वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। मुझे आज गुमान है, आज अंग्रेजी दवायें जो बाजार में मिलती हैं, पानी मिलता है, नकली पेनिसिलीन मिलती है, उसको चोंकवा लिया जाय तो भय लगता है कि कहीं जहर न फैल जाय, हमारी सरकार ने, भारतीय संस्कृति और प्राचीन परम्परा के अनुसार जो पद्धति चलती है, हिमालय पर्वत से जड़ी बूटियाँ

श्री अध्यक्ष—म समझता हूं कि विधेयक पर आ जाइए।

श्री शिव नारायण—निवेदन यह है कि सरकार ने इस चीज में बड़ा सुन्दर अमेडमेंट किया है और यह कहा है कि हम उसको स्कालरशिप देगे जो डिजर्विंग होगा चाहे वह चमार हो चाहे किसी दूसरी जाति का। यह इमानदारी की बात है, सही बात है। इस पर दुनिया का हर आदमी सर झुकायेगा। हम नहीं चाहते कि रिजर्वेशन को सामने रख कर हम यह भूल जायं कि आज देश की आवश्यकता बड़े-बड़े साइंटिस्ट की है बड़े बड़े—इंजीनियर की है। इसके लिये हमें अपने देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़नी है। हर व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि अपने मुल्क के निर्माण में अपने मुल्क के बनाने में सतर्क रहे और तैयार रहे। इसलिये जो यह आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन का जो बिल हमारे सामने है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस असेम्बली में आने से पहिले बहुत से लोग मेरे पास आये और कहा कि सर्टिफिकेट लिख दीजिए कि ५-६ वर्ष से दवा कर रहे हैं। बिलकुल गलत लिखवाते हैं। गवर्नमेंट ने जो रोक दिलायी है वह ठीक किया गया है। जिन विरोधी लोगों ने विरोध किया उनको इस पर खुशी जाहिर करनी चाहिये थी। सरकार बेस्ट मैन का सेलेक्शन करने जा रही है। किसी ऐसे आदमी को हम अलाऊ करने नहीं जा रहे हैं जो दफ्तर में दफ्तरी करे, कचेहरी में काम करे और घर में दवा बाटे। जो रजिस्टर्ड होंगे, कालेज में पढ़ेंगे या जिनका अच्छा स्टैंडर्ड होगा, वे बड़े-बड़े डाक्टरों के मुकाबिले में आयेंगे। आज जो वैद्य या हकीम लोग हैं जो निराशावादी थे वह आशावादी हो चले हैं। अब उनको आशा हो गयी है कि हमारी सरकार हमारी मदद करेगी। हम लोग भी आशावादी हैं। मैं अपने देवरिया के भाई से कहना चाहता हूं कि मैं भी पूर्वी जिले से आया हूं। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां घेघा और फीलपांव है। उसका भी प्रतिबन्ध करे। वहां गरीबी है। हम मेडिकल कालेज या सिविल सर्जन के यहां भरती नहीं हो पाते हैं। हम चाहेंगे कि आयुर्वेद और तिब्बती के द्वारा छोटे-छोटे अस्पताल देहातों में खोले जायं। वहां अच्छे अच्छे वैद्य भेजे जायं। सरकार ने जो कदम उठाया है सुन्दर कदम उठाया है। देश की परम्परा के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार, हम सुषेण वैद्य का नारा लगाते हैं, जिन्होंने लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद जिन्दा किया संजीवनी बूटी दे कर। उस संजीवनी बूटी का पता लगाना हमारे वैद्यों का काम है। और पेंसिलिन से हमको छुड़ाएं। हम ऐसे वैद्यों को बेलकम करेंगे, उनको पूजेंगे और जितने पैसे की जरूरत होगी वह दिलवायेंगे। मैं अन्त में सरकार को बधाई देता हूं और वैद्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सही मानी में दवा करें और गरीबों की मदद की जाय। न यहां चमार का प्रश्न है न श्री जोरावर वर्मा का प्रश्न है जो बेस्ट कैंडीडेट होगा वही चुन लिया जायगा और नहीं चुना जायगा तो आउट होगा।

जो विरोधी हैं वे बहुत सही और करेक्ट क्रीटोसिज्म दें जिसको गवर्नमेंट माने। श्रीमान् जो, हमारे सदस्यगण बहुत परेशान हैं लेकिन जो चीज है असल में, "दिल दुखे जब फर्याद करते हैं तो आसमां हिल उठता है" हम जानते हैं कि दवा हमारे यहां नहीं पहुंचती है। घेघा और फीलपांव, हाइड्रोसील से चलना दुश्वार हो जाता है, क्या इसका इलाज करे। मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है।

श्री गोदा सिंह—बैठे तो है आप के आगे, इनसे कहिये।

श्री शिवनारायण—मैं उन्हीं से कह रहा हूं। आप के द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि जो सरकार ने किया सुन्दर किया और हमारे सदस्यगण जो परेशान हैं बहुत, इनका भी इलाज कर दें तो अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी (ज़िला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक मत्त ३ दिनों से इस सदन में वाद-विवाद के बाद पास हो गया। इस विधेयक के द्वारा जैसे सन् १९३९ के द्वारा सरकार ने आयुर्वेद के उत्थान के लिये कुछ कार्य किया और उससे जो आज

तक अनुभव हुआ। उसके कारण इस सन् १९३९ के विधेयक को संशोधित करके एक नई पद्धति अपनाई है आयुर्वेद के उत्थान के लिये। सरकार की तरफ से कुछ कार्य किये गये हैं और जो किया गया है उस पर प्रकाश भी डाला गया है। इस संशोधन के द्वारा एक नई लाइन हमारी सरकार ने ली है। इसमें खास करके हम देखते तो यह है कि हमारे इस गरीब देश के लिये आयुर्वेद की शिक्षा की ओर या आयुर्वेद में रिसर्च की ओर गत वर्षों में जितने प्रयत्न होने चाहिये वास्तव में उतने नहीं हुए और सरकार की तरफ से पिछले तीन दिनों के अन्दर जो बातें कही गईं उससे हमें यह अनुभव हुआ कि यह बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन बनाने की बाद से सरकार उतना आगे न बढ़ सकी जितना कि उसे बढ़ना चाहिये था। वास्तव में यहां गत कुछ दिनों में बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन की कठिनाई और सरकार की कठिनाई देखते हैं तो हमने देखा कि सरकार ने अपने दृष्टिकोण की, जो कुछ रहा हो, बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के ऊपर रखने की चेष्टा की, और बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन से यह प्रोटेस्ट करने की चेष्टा की है। शायद यह आयुर्वेद के उत्थान के लिये अच्छा न रहा हो। वास्तव में दृष्टिकोण दोनों के एक ही थे। आयुर्वेद का उत्थान तभी हो सकता है, उन्हीं लोगों के द्वारा होगा जो आयुर्वेद की पद्धति को या शिक्षा को समझते हैं। उन्हें भारत में जो इंडिजिनस औषधियों का विज्ञान है उसका वास्तविक उत्थान कर दिया जायगा, सरकार की तरफ कहा जाता है और अभी स्टेट आयुर्वेदिक कालेज खोल दिया है। लेकिन अगर उसकी कार्य-प्रणाली की तरफ देखते हैं, तो जैसा कि इसी समय बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन का नया ऐक्ट पास किया गया, उसमें भी एक ही दोष समझते हैं और उस पर माननीय मंत्री ध्यान देंगे। हमने बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के अन्दर दो भाग उसके कर दिये हैं। एक तो बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन बन गया है, एक नई पद्धति अपनायी है जो फ़ैकल्टी की है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिये, इस पर सदन में बहुत कहा गया, लोगों ने अपने विचार प्रगट किये हैं। वास्तव में जब तक फ़ैकल्टी का हम समझते हैं कि कोई ऐसा स्थान नहीं होता है जिस पर कि फ़ैकल्टी अपने विचारों को रखे, मैं शायद अपने विचारों में स्पष्ट न हो सकूँ, उदाहरण देता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में राजकीय संस्कृत कालेज बनारस में है और उसमें संस्कृत शिक्षा का एक उच्च स्तर है और इसके साथ उत्तर प्रदेश में जगह जगह हर एक जिले में संस्कृत के कालेजेज अलग अलग हैं, लेकिन उनका स्तर राजकीय संस्कृत कालेज का है और उसी की यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयत्न हो रहा है जिसके द्वारा यह होगा कि उत्तर प्रदेश में जितने संस्कृत कालेज हैं, चाहे डिग्री कालेज हों, प्रथमा के हों, लेकिन उस स्तर के द्वारा बे नापे जायेंगे, वही मापदंड होगा, और उस स्तर के द्वारा उसका विकास होगा। उसी तरह से हम आशा करते हैं कि आपने एक स्टेट आयुर्वेदिक कालेज खोला था वह इस फ़ैकल्टी के मातहत में, उस आयुर्वेद कालेज को होना चाहिए था न कि यूनिवर्सिटी के मातहत में। और जिस प्रकार से बनारस का संस्कृत कालेज है उसे एक यूनिवर्सिटी बनाकर और जितने यू० पी० में कालेजेज संस्कृत के होंगे वह उनको उसके साथ एफिलिएटेड किया जायेगा और उसका अपना भी एक कालेज होगा जिसमें रिसर्च भी हो सकती है और अन्य कालेजों के सामने भी वह एक उदाहरण के रूप में रहेगा जिससे कि और संस्कृत के विद्यालय भी जागृत हो सकेंगे। उसी प्रकार से यदि उत्तर प्रदेश के अन्दर स्टेट आयुर्वेदिक कालेज जो खोला गया वह इस बोर्ड के मातहत होता, बजाय यूनिवर्सिटी के मातहत होने के, तो उसमें बोर्ड को ज्यादा आयुर्वेद की उन्नति करने का मौक़ा मिलता, ज्यादा रिसर्च करने का मौक़ा मिलता और आयुर्वेद के विद्यार्थी उसमें अच्छी तरह प्रयत्न करते जिसके द्वारा और भी जितने एफिलिएटेड कालेजेज हैं आयुर्वेद के उन कालेजों को भी उन्हीं लाइन्स पर अपना विकास करने का मौक़ा मिलता। एक किस्म से वह यूनिवर्सिटी का ही स्वरूप रखता और बाकी सब कालेजेज उसमें एफिलिएटेड होते तो ज्यादा अच्छा होता। तो इस लाइन पर इसको माननीय मंत्री जी देखते तो अधिक लाभ इससे होता। वास्तव में हम कुछ दिनों से देखते हैं कि सरकार की ऐसी नीति है और आगे भी रहेगी, क्योंकि एक मौक़ा दे दिया गया है कि जहां बोर्ड और फ़ैकल्टी में डिफरेंस होगा किसी प्वाइंट पर वहां सरकार के पास वह प्वाइंट जायगा और सरकार उसमें निर्णय करेगी। तो आयुर्वेदिक कालेज के विकास के लिए जो कहा जाता है, और माननीय सभा सचिव ने बराबर कहा है कि हम आयुर्वेद का विकास करेंगे तो आप विकास करेंगे कैसे? हम यह देख रहे हैं

[श्री गंगाधर मंठाणी]

कि जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनका उद्देश्य एलोपैथिक सिस्टम को बढ़ाने का है और आयुर्वेदिक सिस्टम को किसी भी रूप में वह प्रोत्साहन दे नहीं सकती है। मन्त्री महोदय की, इस हाउस के माननीय सदस्यों की जो भी भावना हो, उनकी वह भावना के अनुसार कार्य होने वाला नहीं है। हमने तो यहां ही देखा, जनरल डिस्कसन में हम सब लोगों की जितने भी सदस्य यहां बैठे हैं उन सबकी भावनाएं यह थीं कि यह बिल 'इतना सुन्दर नहीं' है जितना कि होना चाहिए था और यह सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए। लेकिन बहुमत के बल पर यह सेलेक्ट कमेटी में नहीं जा सका। लोगों की अन्तरात्मा की जो इच्छा है वह तो यही है कि आयुर्वेद का विकास हो, आयुर्वेद अपनी पद्धति है और उसके विकास के लिए सरकार जितना कर सकती थी उतना नहीं कर सकी है। एक दृष्टिकोण तो लोगों का यह है और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि एलोपैथिक सिस्टम जो है.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप जनरल डिस्कशन की ओर अब जाने लगे।

श्री गंगाधर मंठाणी—मैं इसी प्वाइंट को कह रहा था कि आज सरकार ने जो तरीका अपनाया है जब तक बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के पास अपना एक कालेज नहीं होगा, जिसे कि फैंकल्टी या इंडियन मेडिसिन बोर्ड अपने आप चलाये तब तक वह आयुर्वेद का उत्थान नहीं कर सकेगी। और इसी प्रकार का कालेज होना चाहिए था जिस प्रकार कि बनारस का संस्कृत कालेज है, जो कि उसी यूनिवर्सिटी के मातहत होगा और उसमें और भी कालेजेज एफिलिएटेड होंगे। जहां तक जड़ी बूटियों की बात है उसके लिए कहा गया है कि दूसरा बिल वह ला रहे हैं जिससे उसका विकास काफी हो सके। वह आवश्यक है। इतना कहते हुए मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस देश के लोगों की भावनाओं को देखते हुए कि आयुर्वेद का उत्थान होना चाहिए, इसकी तरफ विशेष ध्यान देंगे और कहीं ऐसा न हो जाय कि फैंकल्टी और बोर्ड में आपस में बराबर झगड़े चलते रहें और गवर्नमेंट को यह कहने का मौक़ा मिले कि उनके झगड़ों की वजह से इसकी उन्नति नहीं हो पायी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (ज़िला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल दो ही मिनट समय लेना चाहता हूं। यह शरीर तो कहा गया है—शरीरम् व्याधि मन्दिरम्। यह शरीर व्याधि का घर है, और इसके उपचार के लिए तरह तरह की चिकित्सा प्रणालियां हैं। बहुत से ऐसे रोग हैं जिनमें हमारे आयुर्वेद का सानी और कोई दूसरी चिकित्सा प्रणाली नहीं है। कुछ विशेष पद्धतियों में एलोपैथिक जरूर बढ़ी हुई है, लेकिन मैं माननीय मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं कि उनका ध्यान इस ओर गया है कि हमारी आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति और तिब्बती चिकित्सा पद्धति को फिर से वही स्थान प्राप्त कराना चाहिए जो किसी जमाने में यहां था।

मैं आशा करता हूं कि यह मौजूदा विधेयक भी इस बात का प्रतीक है। माननीय मन्त्री महोदय का इस तरह रुकान है, और मैं उन्हें फिर बधाई देता हूं इस विधेयक को लाने के लिए और आशा करता हूं कि हमारी आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली, जिसने इस देश की इतनी महान सेवा की है, पुनः उसी स्थान पर प्रतिष्ठित होगी।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

नियोजन मन्त्री के सभा-सचिव श्री बलदेवसिंह आर्य—उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के तीसरे वाचन पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने रचनात्मक सुझाव दिये हैं उनका मैं आभारी हूं, और उन्हें यह विश्वास रखना चाहिये कि सरकार उनके सुझावों के अनुसार भविष्य में अवश्य कार्य करेगी। इसके साथ साथ मुझे उन माननीय सदस्य को जिन्होंने इस विधेयक के पारित करने में सहायता प्रदान की है और सहयोग प्रदान किया है, और अपने बहुमूल्य सुझाव दिये, उनका हृदय से धन्यवाद करना है। साथ ही विरोधी बल के माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के पारित करने में जो महत्वपूर्ण सहयोग और सुझाव दिये हैं उनको भी मैं हृदय से

धन्यवाद देता हूँ और यह आशा रखता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से इस विधेयक के पारित करने में अपना सहयोग दिया है उसी तरह से भविष्य में भी उनका सहयोग मिलता रहेगा। अन्त में मैं फिर इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५

(वन-उपमंत्री) श्री जगमोहनसिंह नेगी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५, पर विचार किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के जो उद्देश्य हैं वे इसमें अंकित कर दिये गये हैं। मैं उस पर सदन का समय लेना उचित नहीं समझता। मगर इतनी बात अवश्य मैं माननीय सदस्यों से कह दूँ कि यह एक बहुत छोटा सा बिल है और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, जिससे किसी प्रकार की शंका या संदेह उत्पन्न हो सके। आप सभी सदस्यों को यह भलीभाँति विदित है कि जमींदारी उन्मूलन के समय कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने जंगलों को बड़ी बुरी तरह से काटा। और जो कुछ जंगल बच रहे उन पर सही पट्टे भी बहुत सी जगह पर नहीं दिये गये हैं, और जिन पर आज भी हर एक माननीय सदस्य को अपने स्वयं के अनुभव से यह अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि कई जगह पर कुछ ऐसे पट्टे दिये गये हैं, जिन पर हमारे यहाँ के साल जैसे मूल्यवान पेड़ खड़े हैं। यदि इनकी कोई रक्षा नहीं की गई तो बहुत से वृक्ष कट जायेंगे और इसका दुष्परिणाम केवल जंगलों पर ही नहीं पड़ता है बल्कि उसका कुप्रभाव काश्तकारी भूमि पर भी पड़ता है, जिसके लिये मुझे विवरण के साथ कहने की आवश्यकता नहीं है कि भूमि की सुरक्षा के लिये इन जंगलों के रहने की कितनी नितांत आवश्यकता है।

लैंड मैनेजमेंट कमेटी और फारेस्ट स्टैंडिंग कमेटी दोनों में कई बार इस बात पर जोर दिया गया कि इस प्रकार से बहुत से जंगल कट रहे हैं, जिसका कुप्रभाव काश्तकारी भूमि पर पड़ रहा है। बनारस जिले तथा लखीमपुर-खीरी और कई और स्थानों में इस तरह का संकट जंगलों पर आ पड़ा है और इसी दृष्टिकोण से यह बिल लाया गया है जिससे कि इन जंगलों की रक्षा हो सके और इसमें काफी प्रबंध इस बात का कर दिया गया है कि किसी प्रकार से किसी की वाजिब चीज पर कानूनी तौर पर हस्तक्षेप नहीं होगा। साथ ही जंगलों की भी सुरक्षा हो सके। बहुत से भाई समझते हैं कि यह कानून सारे प्रदेश पर लागू होगा तो यह ठीक ही है क्योंकि कानून कहीं ऐसा नहीं बनता कि कोई हिस्सा छोड़ दिया जाय। कानून जब बनेगा तो सारे प्रदेश पर लागू होगा। मगर जो स्थान इस कानून के अन्तर्गत लिये जायेंगे उनको नोटिफिकेशन के जरिये से इंगिन किया जायगा कि किन जंगलों का हम प्रबंध करना चाहते हैं। इस बात का खयाल नहीं हो सकता है कि गवर्नमेंट इनमें अपना अधिकार जमा रही है। क्योंकि वन पालन के विज्ञान के द्वारा हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन जंगलों का उत्थान और कटान हो? यह दोनों बातें इस बिल में आई हैं। यह खयाल कि इसमें बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं इसलिये इस पर विचार करने के लिये ज्यादा समय की आवश्यकता है, यह बात नहीं है। यह तो आपकी, हमारी और सदन की ही पुकार है, माननीय सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से और कमेटी के रूप से यह विचार है कि हम एक बिल इस तरह का जोर से जोर प्रस्तुत करें जिससे इन जंगलों का बचाव हो सके। मैं समझता हूँ कि यों तो आर्डिनेंस के द्वारा ३ दिसम्बर से इन जंगलों की रक्षा की जा रही है। किन्तु जो आर्डिनेंस इस सिलसिले में आज कल लागू है,

* ५ दिसम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

उसको जब यह हाउस सेशन में आया है, तो पारित कराना ही सरकार का मंतव्य है और मैं समझता हूँ कि सभी प्रकार के संदेहों को दिल से निकाल कर

एक सदस्य—निकाल दिये ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मुझे आपसे यही आशा है । आर्य जी ने तो अंत में धन्यवाद दिया, मैं पहले ही धन्यवाद देता हूँ कि आप सब इसे बड़े सुन्दर तरीके से अपनायेंगे । मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता इसलिये कि आप जो कहेंगे उसे मैं सुनूंगा ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह विधेयक प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय और वह जितनी जल्दी संभव हो सके, अपनी रिपोर्ट दे दे ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें संदेह नहीं जैसा कि माननीय वन उपमंत्री जी ने कहा कि बहुत छोटा सा विधेयक है । इसमें अधिक समय नहीं लगना चाहिये और जल्दी से जल्दी इसको पास कर दिया जाना चाहिये । मैं भी समझता हूँ कि इसको पास जल्दी किया जाना चाहिये लेकिन एक बात का उलाहना दे दूँ । मुनासिब यह था कि चूँकि इस विधेयक के पीछे एक आर्डिनेंस है तो सारे कामों के पहले जब यह सत्र शुरू हुआ उसी समय यह विधेयक आना चाहिये था और इस विधेयक को इतनी देर बाद ले आने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर हो सकती है । आज हमारे इस सेशन को चलते हुए कई दिन हो गये...

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उसी रोज़ आ गया था ।

श्री गेंदासिंह—मैं यही निवेदन कर रहा हूँ । हमारी मेज पर रख दिया गया था, लेकिन मैं तो यह सोचता हूँ कि सरकार सदन के कार्यक्रम की भी व्यवस्था करती है कि कौन सा काम पहले किया जाय । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सलाह लिये बिना भी तो सरकार को इस बात का कम से कम जरूर ध्यान रखना चाहिये कि जिसके लिये राज्यपाल को आर्डिनेंस जारी करना पड़ा हो उस काम को सब से पहले सदन के सामने रखा जाय और उस पर सब से पहले विचार हो, यह परिपाटी उचित और प्राचीन है, इसे अपनाना चाहिये ।

यह विधेयक अवश्य छोटा सा है लेकिन इसमें भी संदेह नहीं कि हमारा सारा प्रदेश, यदि हम कहें कि सभी गांवों से यह संबंध रखेगा तो कोई अत्युक्ति न होगी । तो अगर यह सारे गांवों की जिन्दगी से संबंध रखता है तो इस विधेयक को इतना छोटा समझना मुनासिब न होगा । इस विधेयक से मवेशियों को पालने से ले कर घर में खाना बनाने के लिये ईंधन, और शादी-व्याह में जो लोगों को खिलाने के लिये पत्तल चाहिये, उन तक की इन तमाम चीजों में रुकावट पड़ा हो सकती है । इन सारी चीजों के लिये बंधन हो सकता है इस विधेयक के द्वारा । तो फिर इन सारी बातों पर विचार करना आवश्यक है और इसी दृष्टि से मैं इस विधेयक पर माननीय वित्त मंत्री जी का, माननीय वन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । यही कारण है कि हमने इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है और यह अब मान लेना चाहिये हमारे वन मंत्री जी को, क्योंकि हमने अभी दो-तीन चीजों की तरफ ही उनका ध्यान दिलाया है । कितने लोगों की जिन्दगी की जरूरियात से यह विधेयक ताल्लुक रखता है इसका एहसास हो गया होगा । उन्होंने यह समझा था कि इस विधेयक का सम्बन्ध थोड़े से लोगों से हो सकता है इसलिये इसको उतनी जल्दी पास कराना मुनासिब समझते थे । मैं उनके सामने यह अर्ज करना चाहता हूँ कि नहीं, इस विधेयक के छोटे होने के बावजूद भी यह बहुत प्रभावकारी और बहुत लोगों से इसका ताल्लुक हो सकता है । इसलिये इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार हो सके । मैं समझता हूँ कि प्रवर समिति में यह जाय । प्रवर समिति में सारी बातों पर विचार करके फिर यह विधेयक सदन के सामने आ सकता है और उतने ही समय के भीतर आ सकता है जितना समय आर्डिनेंस के लिये जरूरी है ।

जहाँ तक इस विधेयक के उद्देश्य का सम्बन्ध है मैं उससे सहमत हूँ। सरकार का यह प्रयत्न अच्छा है। परन्तु ३ दिसम्बर को यह आर्डिनेन्स जारी हुआ जो बहुत देर की गयी। यह आर्डिनेन्स बहुत पहले जारी होना चाहिये था। मालूम नहीं कितनी मर्तबा इस सदन में इसका चर्चा हुआ है और हम लोगों ने इस तरफ़ सरकार का ध्यान दिलाया। जितनी बेरहमी से हमारे सूबे में दरख्त काटे जा रहे हैं उसको रोकने के लिये जितना सफल प्रयास होना चाहिये था उतना सरकार की तरफ से नहीं किया गया। मैं अभी भी इस बात को कहने के लिये तयार हूँ कि बावजूद इसके कि प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट लागू रहा है, और दूसरे भी सरकार के हुक्म लागू हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि सरकारी अधिकारियों को यहाँ तक मालूम नहीं है कि फारेस्ट ऐक्ट के मुताबिक वह कुछ दरख्तों को काटने से रोक भी सकते हैं। मैं उदाहरणस्वरूप आपके सामने बस्ती का मामला रखता हूँ, और बस्ती में ही नहीं बल्कि सारे सूबे में ऐसी बातें हैं। वहाँ पर राजा साहब शोहरतगढ़ अपने बाग को कटवा रहे हैं। जहाँ पर इसको रोकने के लिये सारे देहात के लोग चिल्ला रहे हैं। सारी देहात की जनता वहाँ थाने में जाती है, तहसीलदार के यहाँ जाती है और कलेक्टर के यहाँ जाती है। लेकिन बावजूद इसके कि इतना शोरगुल होता है, कोई कार्यवाही बाग को काटने से रोकने के लिये नहीं हो रही है। इस तरह की हरकत हो रही है और ऐसे हरे पेड़ों का बाग काटा जा रहा है जो कि करीब ५ एकड़ का है। किसी कानून के जानने वाले को उसके रोकने का अस्तित्व है? वह फौरन उस पर कार्यवाही कर सकता है। यदि ऐसी कार्यवाही करके उस काटने वाले आदमी को रोके तो फिर उसके परिणाम को देख कर दूसरे लोग इस तरह के हरे पेड़ों के बाग को न काटते, लोग डरते। और यह जो हमारे राष्ट्र की निधि है, हमारी राष्ट्रीय पूंजी है उसकी क्षति न पहुँचती। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस तरफ़ सरकारी अफसरों ने ध्यान नहीं दिया।

इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे सरकारी अफसरों को जो लिखाई-पढ़ाई का स्टैण्डर्ड है वह कुछ गिरता जा रहा है। वह स्टैण्डर्ड जो होना चाहिये, वह नहीं है। ऐसे भी सरकारी अफसर हैं जो सरकारी रूल्स और रेगुलेशन्स को जानते ही नहीं हैं और उनको पता भी नहीं है कि इस तरह के कोई रूल्स हैं या नहीं। इस प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के सिलसिले में उनको पता नहीं है कि उसके अधीन वह कुछ कर सकते हैं या नहीं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक आध उदाहरण दे दूँ कि यह आफिसर कितने कानून जानते हैं। हमारे यहाँ नागर क्षेत्र जमींदारी अंबालिशन के सिलसिले में यह हुक्म हो गया है कि वहाँ पर काश्तकार बेदखल न किये जायें, जब तक कि स्टेटार्डर गवर्नमेंट वापस न ले। मैं आपको एक लार के डलाके का नमूना देना चाहता हूँ कि वहाँ पर काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया है बावजूद इसके कि गवर्नमेंट का आर्डर उस सेक्शन के मातहत हो चुका है। जब वहाँ पर सरकारी अफसरों को यह बतलाया गया कि फ़लां सेक्शन के मातहत वह कार्यवाही हुई तब उनको पता चला, तब हमारे हुक्माम को यह पता लगा कि ऐसा हुक्म हुआ है। लेकिन काश्तकार को कैसे मदद मिले? मैं आपसे निवेदन करूँ कि इस जंगल वाले काम में जब ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि ऐसे जंगल हैं, जो जमींदारों के हाथ में थे और जमींदारों के हाथ में वे जंगल सन् ५० के पहले थे, मैं खास तौर से वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सन् ५० में जमींदारी ऐक्ट लागू हो गया लेकिन उसके बाद यह हरकत हुई कि उसके बाद भी पट्टे किये गये। सन् ५० के बाद के पट्टे तो गैर कानूनी हैं ही लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ यह था कि रजिस्ट्री पट्टे उसको भी मानते थे, जो फरीकन कानूनगो के यहाँ आकर अपनी मंजूरी दे देते थे। उपाध्यक्ष महोदय, यह हुआ कि कानूनगो के यहाँ रोज़नामचे में या डायरी में महीने दो महीने, यहाँ तक कि ६ महीने पहले की तारीखों में कुछ पट्टे तस्दीक कर दिये गये। और पट्टे तस्दीक हो जाने के बाद चाहे वह जंगल की जमीन हो, चाहे गांव समाज की जमीन हो या और किसी विभाग की जमीन हो वह सारी की सारी जमीन पट्टे दार की हो गयी और वे काश्तकार सोरदार हो गये! और कहीं-कहीं तो भूमिघर हो गये! जब सरकार इस दिक्कत को दूर करने के लिये इस विधेयक को लायी है तो हम जैसे लोग इसका स्वागत ही करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार का ध्यान इस ओर और ले जाना चाहूँगा कि कानून के बनाने वाले हम लोग ही हैं। कुछ कानून अनजाने से तोड़ें तो

[श्री गेदासिंह]

एक अलग बात है, क्योंकि कानून के अनुसार ही हर एक आदमी चल नहीं सकता है। कानून आदमी के लिये है न कि आदमी कानून के लिये, मैं इस सिद्धान्त को मानता हूँ। मैं जिस जिले से आता हूँ उस जिले में जंगल बहुत कम है। शायद समूचे सूबे में सबसे कम जंगल उसमें है। थोड़ी सी जमीन पर जंगल था। हमें इस विधेयक को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। जो बात बिल को सबसे ज्यादा खटकती है, वह यह है कि देश की सब से बड़ी पार्टी को, जो शासन चला रही है उसके लिये बहुत बदनामी की बात है। हमारे ही जिले के एक प्रमुख व्यक्ति हैं। यह बात नहीं है कि वह दोस्त घर की अच्छी हालत में नहीं हैं, या वह तकलीफ में हैं। उन्होंने सरकार से एक काम कराया इस विधेयक की मंशा के खिलाफ। कुशीनगर के पास दो जंगल हैं। जो जंगल फ़ारेस्ट डिपार्टमेंट के पास था उसमें से एक फ़ारेस्ट सिर्फ एक आदमी को देने की गरज से रिलीज कराया गया। गांव समाज तो था नहीं, कोर्टस आफ वार्ड्स को दिया गया और उससे कहा गया कि फलां व्यक्ति को तुम पट्टा कर दो। उस व्यक्ति ने पट्टा लिया और उसके बाद आज यह अवस्था है कि गांव के पास के लोग वन की हिफ़ाजत करने के लिए तैयार हैं, और कहते हैं कि हम इसको जंगल रखेंगे। और वह व्यक्ति जो आज बहुत ही ऊंचा स्थान रखता है वह अगर यह २४ एकड़ जमीन न जोते तो कोई उसकी हैसियत पर असर नहीं पड़ेगा लेकिन उसके लिए ही वह मामूली थाने से लेकर सरकार तक एक किए हुए हैं, उनकी हैसियत ऐसी है कि कलेक्टर, सुपरिन्डेंडेंट पुलिस और थानेदार वगैरा सब डरते हैं, और गांव के लोग जो मना करने जाते हैं कि जंगल न काटो और हरे पेड़ों को बरबाद न करो, तो उनके ऊपर १०७ और न जाने कौन-कौन सी दफ़ायें उन पर लगाई जाती हैं, और उन पर तरह-तरह के मुकद्दमे चलाए जाते हैं, जिनमें जेलखाने भी जाना पड़ता है। (एक आवाज-कृपया नाम बता दीजिए कि वह कौन हैं?) नाम जानकर क्या करियेगा, इससे पता लग जायगा। एक और साहब साध महात्मा हैं, उनसे लोग कहते हैं कि जंगल रखिए, उससे फस पैदा होगी, तो छप्पर और घर बनाने के काम आवेगा और पेड़ भी हरे रहेंगे तो काम आवेंगे, लेकिन वह तो साध महात्मा हैं! उन्होंने सारे संसार से वैराग्य ले लिया है, लेकिन वह उस जमीन से वैराग्य नहीं लेते हैं और कहते हैं कि चूंकि वह जमीन हमें सरकार ने दी है, इसलिए हम इस जमीन को जरूर जोतेंगे और पेड़ काटेंगे! वहां भी बड़ी कशमकश है और हाईकोर्ट तक मुकद्दमे चलते हैं और वहां के लोग भी जेलखाने कई बार हो आए हैं। मैं थोड़ा सा डरता हूँ कि आपने जो पावर बिल में ली है, मुझे माफ़ी होगी यह कहने के लिए कि क्या यह पावर ऐसे गोइयां और खिलाड़ी लोगों के लिए तो न रहेगी.....।

श्री भगवानसहाय (जिला शहजहांपुर)---लूप होल्स तो सब जगह होते ही हैं।

श्री गेदासिंह---मैं उन्हीं से बचाना चाहता हूँ, कम से कम जो दिखलाई दे जायं, उनसे तो बच लिया जाय। जो दिखलाई न देंगे वह तो रही जायंगे। उनको भी दूर करने की हम और श्री भगवान सहाय जी कोशिश करेंगे। मैं आप से जानना चाहूंगा कि यह जो उद्देश्य और कारण लिखे गए हैं कि उस काल में जब उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम निर्माणावस्था में था, बड़े-बड़े क्षेत्र जिन पर वन लगे हुये थे, भूमि सुधार के लिये। यहां यह "भूमिसुधार" लिखना ही गलत है, वह तो "भूमिविगाड़" था, "भूमिसुधार" नहीं था। यह बड़ा टेक्निकल शब्द है मैं इसको भूमि सुधार नहीं मानता। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि वन मंत्री जी एक किताब जिसका नाम 'रेप आफ दि अर्थ' है, वह उसको पढ़ें क्योंकि वह एक अमेरिकन की लिखी हुई है, जिनमें बताया गया है कि जंगल काट कर जमीन के साथ रेप किया जाता है। उसका नाम ही 'रेप आफ दि अर्थ' है। यह जंगल काटने वाले लोग भूमि सुधार नहीं करते बल्कि वह जमीन के साथ रेप करते हैं! इसलिए इन उद्देश्य और कारणों में शब्द "भूमिसुधार" रखा जाय या न रखा जाय, यह विचार करने की बात है।

"उपर्युक्त प्रकार से दिये गये पट्टों पर निर्भर रहते हुये, जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे वनों को असावधानीपूर्वक साफ कर गिराने को उत्सुक है। सामान्य जनता के हित में, और विशेष कर राज्य में, जहां मुख्यतया कृषि व्यवस्था ही है, वनों के संरक्षण के महत्व को पूरी मान्यता दी गयी है। ऐसे क्षेत्रों में वनों के शोषण का विनियम आवश्यक प्रतीत हुआ है।"

अब जहां ३८-ए में डेफिनीशन है वहां यह स्पष्ट किया गया है :—

“ or possessed whether under, through or by any lease or licence executed prior to the commencement of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 or under and in accordance with any provision of any enactment, including the said Act. ”

तो इसके माने यह हुये कि जितने भी कानून हों उन कानूनों के मुताबिक न सिर्फ जमींदारी अबालीशन और लैंड रिफार्म्स ऐक्ट पर, बल्कि दूसरे कानूनों के मुताबिक भी जहां कहीं भी हों, वह सब इसके भीतर आता है। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूँ कि उद्देश्य जो है वह स्पष्ट होना चाहिये था। उद्देश्य केवल उस एरियाज़ से कवर करता है, जहां पर जमींदारी अबालीशन ऐक्ट लागू है। लेकिन यहां पर इस बात की भी गुंजायश की गयी है कि जहां पर जमींदारी अबालीशन ऐक्ट लागू नहीं है वहां पर भी यह प्रभावकारी हो। तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि मुझे कोई आपत्ति इसमें नहीं है, क्योंकि हमारे सूबे में मालूम नहीं कितने प्रकार के भूमि सम्बन्धी कानून हैं और रहेगे। अगर मैं यह कहूँ कि इस वक्त भी भूमि सम्बन्धी कानून एक दर्जन के करीब हमारे सूबे भर में हैं तो गलत नहीं। पर वह हमारे वश में नहीं है कि हम उनको खत्म कर पायें। वहां पर भी जंगल रोकने की व्यवस्था की जाय, बहुत मुनासिब बात है, परन्तु हमेशा जो अपनी बात कर्हा जाय वह स्पष्ट कही जाय। थोड़ा संकेत माननीय वन उपमन्त्री जो ने किया था तो मैं समझता हूँ कि वह बात स्पष्ट हो कि सब के लिये हम ऐसा कानून बना रहे हैं और किस जगह पर क्या करने जा रहे हैं तो ज्यादा अच्छी बात होगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात भी विधेयक में है कि यह सरकार के इरादे के ऊपर है कि वह कहां-कहां जंगल नोटीफाई करेगी। जंगल की जो परिभाषा सरकार ने की है उसके रहते हुये सरकार को बहुत ज्यादा अख्तियारात इसमें है क्योंकि जंगल अब इसके अनुसार :—

“ Forest includes any land covered by trees and shrubs and pasture lands. ”

ऐसा ही नहीं कि जो जंगल पेड़ों से घिरा हो, बल्कि झाड़ियों से घिरा हुआ हो और उसके अलावा यदि पेड़ भी न हों और झाड़ी भी न हों, चरागाह हों, तो उसे भी जंगल कहा जा सकता है। यह परिभाषा पहिले की जंगल की परिभाषा से भिन्न है। ग्रीव की परिभाषा मुझे कुछ याद है कि बाग को तब बाग मानते हैं कि जब कि इतने उसमें दरख्त हो जाय कि उसके नीचे कोई फ़सल न पैदा की जा सकती हो, लेकिन यह परिभाषा यहां पर नहीं है। जंगल तो हम उसको कह देंगे कि जो पेड़ों से, नहीं तो झाड़ियों से, और दोनों से नहीं तो चरागाह ही हो।

“(a) the breaking up or clearing of the land for cultivation or any other purpose;”

जमीन को तोड़ना या साफ करना, खेती करना या और किसी काम के लिये रोका जा सकता है। घास-फूस लेने से भी रोका जा सकता है। ये सारी चीजें हैं। इनमें कोई चीजें बाकी नहीं रह जातीं सिवाय जोती हुई जमीन के। मुझे जंगल मुहकमे से कुछ ज्यादा सरोकार तो नहीं है, क्योंकि हमारे जंगल में रहने वाले साथी तो और हैं, हम तो जंगल के किनारे रहते हैं और कभी-कभी जंगल के किनारे रहते-रहते थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। अब जंगल मुहकमा का कारोबार कुछ बढ़ रहा है, इसलिये कभी-कभी, उनकी बात सुनने को मिलती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस बात की कोशिश की जाती है कि उन पर लगाम रहे, लेकिन मुहकमा जंगल के ऊपर जितनी लगाम होनी चाहिये उतनी लगाम नहीं है। इसलिये कि जंगल में जाय कौन? सब जानते हैं कि जंगल में जाय तो पहले तैयारी करके जाय। फिर जाय तो किसी की मर्जी से ही जा सकते हैं। जंगलों की सड़कों पर प्रतिबन्ध है कि बिना उनकी मर्जी के उन पर जाना मुश्किल है। फिर उन्हीं की मर्जी से नहीं, अपनी जान को मोहब्बत के लिये भी बिना मर्जी के नहीं जाना चाहिये। किसी जंगल में चले जाय, पता नहीं किस जगह पर पहुंच जाय ?

[श्री गेदा सिंह]

उसमे खतरा हो। इसलिये भी जरूरी होता है कि उनकी सलाह लें। परिस्थिति ऐसी है कि बिना अधिकारियों को बतलाये हुये जाना संभव नहीं। और जब इसी प्रकार का जाना संभव है तो उसका परिणाम भी उसके अनुसार ही हो सकता है। जो कुछ भी हो, परन्तु यह बड़ी भारी सम्पत्ति है देश की और जितनी निगरानी इसकी है उससे ज्यादा निगरानी होनी चाहिये।

साथ ही साथ मैं समझता हूं कि हमारे जो मवेशी चराने वाले, पत्ती और सूखी लकड़ी ले जाने वाले लोग हैं, उनको गुंजायश भी होनी चाहिये। जिससे वे अपना गुजारा कर सकें। लेकिन यह होता नहीं। इसका सेफगार्ड कुछ नहीं है इस विधेयक में। जहां एक तरफ हम जंगल को बचाने की कोशिश करते हैं वहां जंगल से फायदा उठाने वाले आदमियों के लिये भी हम कुछ गुंजायश करें। जंगल के जो हाकिम हैं हम चाहते हैं कि वे आदमियों के भी हाकिम बनें। बिल्कुल १६ आने वे जंगल के ही हाकिम न रहे। आदमियों के हाकिम होंगे तो कुछ आदमियों की बात भी समझेंगे, उनकी तकलीफ और आराम को समझ कर ऐसा कानून बनाने की कोशिश करेंगे, इस तरह के रूल्स बनायेंगे, इस तरह का व्यवहार करेंगे ताकि यह कानून दुखदायी न हो। कानून और रूल्स तो यहां बनते हैं, लेकिन व्यवहार वहां होता है और वह व्यवहार आदमियों के साथ होने वाला है। वह व्यवहार लकड़ी की तरह न हो कर आदमी की तरह का व्यवहार होना चाहिये। जैसे पुलिस पर हम रोज देखते हैं कि कुछ न कुछ सवाल-जवाब और एडजर्नमेंट मोशन इस सदन में होते रहते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर भी होते रहते हैं, लेकिन फारेस्ट डिपार्टमेंट ऐसा है, जिस पर बहुत कम चर्चा होती है और बहुत कम चर्चा इसलिये होती है कि वह एक कोने में पड़ा है। अब जंगल बढ़ रहा है। मैं खुश हू कि जंगल बढ़ रहा है और गांव में भी पहुंच रहा है। उसका गांव में पहुंचना आवश्यक भी है, क्योंकि हम तो बाढ़ के मारे हुए हैं। हमें तो घाघरा, सरयू, गंडक, राप्ती और गोमती यह सभी तबाह कर रही हैं, हर साल। और हमारे जो बड़े-बड़े विशेषज्ञ हैं उनका यह कहना है कि स्वायत्त इरोजन रोकने के लिये जंगल लगाना बड़ा जरूरी है। और बड़े-बड़े विद्वानों का यह मत है कि अगर जंगल बहुत हो जायें, तो बाढ़ आना भी कुछ हद तक रोक सकता है। हमारी तो इच्छा है कि जिस तरह से भी हो सके अपने मुल्क में ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाये जायें। जंगल से पानी बरसने का भी संबंध है। जहां पेड़ रहते हैं वहां पानी बरसता है। इन सारी चीजों को देखते हुए जंगल की हिफाजत करने वालों में हम बनना चाहते हैं। लेकिन हम इस बात को भी ध्यान में रखना चाहते हैं कि यह जो पावर्स ली जा रही हैं, उनका अगर कहीं दुरुपयोग हुआ, जैसा कि हम को खतरा है तो फिर हमारी बड़ी बदनामी होगी। तो इन सारी चीजों के ऊपर विचार करने के लिए जब सिद्धांत का कोई झगड़ा नहीं है, तफसील का झगड़ा है, तो मैं सोचता हूं कि इसको बहुत ही ठंडे दिल से हम लोग बैठ कर विचार कर लें, क्योंकि मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि यह विधेयक नामंजूर कर दिया जाय। मैं यह कहता नहीं हूं कि यह विधेयक अनावश्यक है। कुछ तफसील की ऐसी बातें हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। इस सम्बन्ध में परिपाटी हमारे हाउस की यह रही है कि अगर यहां पर कोई संशोधन रखा जाय, तो उस ओर ऐसा लगता है कि स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सेलेक्ट कमेटी में इस बात की गुंजायश रहती है कि अगर बात मुनासिब कुछ मालूम हुई तो कुछ मान ली जाती है। यह भी कुछ असल में उपाध्यक्ष महोदय, जो अध्यक्ष होता है उस सेलेक्ट कमेटी में उसके रख पर निर्भर करता है। हमारे हाउस की असल में परिपाटी होना चाहिए कि आप को सेलेक्ट कमेटी का अध्यक्ष होना चाहिये। लेकिन हमारे हाउस में आपकी मेहरबानी है कि आप नहीं, जो मिनिस्टर होता है उसको अध्यक्ष बना देते हैं। आखिर वही बिल का कर्ता-धर्ता होता है। फिर वह ही मक्षिका स्थाने मक्षिका रखने का हामी होता है। फिर भी कुछ डिप्री का अन्तर होता है। कोई-कोई मिनिस्टर कुछ डिप्री तक तैयार होते हैं सुनने को, कुछ ज्यादा डिप्री तक सुनते हैं। लेकिन कुछ मिनिस्टर साहबान ऐसे हैं, जो सेलेक्ट कमेटी में ले जाना अपनी ज्ञान के खिलाफ बात समझते हैं। इसलिए यहां जो कुछ बनाया है उसको और बिगाड़ कर ले जायेंगे ताकि फिर कभी सेलेक्ट कमेटी में भेजने का नाम न लें। किसी-किसी मंत्री महोदय का यह रुख होता है। हमारा वित्त मंत्री जी के साथ अनुभव

नहीं हैं। इतने दिनों के बीच में कभी वित्त मंत्री जी के साथ बैठने का मौका नहीं हुआ। मैं उनके बारे में नहीं कहता, न वन उपमंत्री जी के साथ बैठने का मौका मिला है। लेकिन जिनके साथ मौका मिला है उनके संबंध में दो रायें रखना हैं, जो दोनों रायें मैंने आपके सामने रखीं।

तो मैं ज्यादा वक्त न ले कर मेरी जितनी थोड़ी जानकारी थी उसके आधार पर मैंने निवेदन कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि संवैधानिक रूप से मैं इस विधेयक को स्वीकार करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ तफसील में इसकी जरूरत है कि इस तरह से इसकी बनावट हो, जिसमें कि अधिक से अधिक लोगों को खुशहाली हो सके। हम जंगल भी बचा सकें, पेड़ों को भी बचा सकें। अन्त में मैं इतनी बात जरूर कह देना चाहता हूँ कि इस बात की आवश्यकता जरूर है कि जो आज हरे पेड़ बहुत ही बेरहमी के साथ काटे जा रहे हैं उनको बचाया जाय। हमारे सूबे में जितनी भूमि में वन होना चाहिए उतनी भूमि में वन नहीं है। उतनी भूमि में वन होना चाहिए। इस अवसर पर मैं अपने राज्यपाल को बधाई दिये बिना नहीं रह सकता क्योंकि यह वन का बिल है, और उनकी जो इस संबंध में कीर्ति है, उन्होंने वन लगाने की तरफ लोगों का ध्यान दिलाया, वह प्रशंसनीय है, आज हम उनके कुछ विरोधी हैं। बहुत सी बातों से विरोधी हैं, परन्तु वन लगाने वाला एक ऐसा कार्य है, जिसकी मैं प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। कोई समय आवेगा जब वह हमारे राज्यपाल नहीं रहेंगे। तो उस वक्त उनका हमारा जो विरोध है वह कम हो जायगा और यह एक काम जो है इसके हम जीवन भर प्रशंसक रहेंगे। उन्होंने अपने खाद्य मन्त्री को हैसियत से या राज्यपाल की हैसियत से वन-सप्ताह मनाने की बात की और उसमें चाहे जितनी त्रुटियां रहीं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उस तरफ सारे देश का ध्यान गया है कि दरखत लगाने चाहिये। हमने भी अपने गांव में जा करके बरगद की बड़ी-बड़ी टहनी ऐसी जमीन में गड़वाई कि जिस पर कोई दरखत नहीं लगाया जा सकता है। आज वे बढ़ रहे हैं और इससे लोगों को प्रेरणा मिली है, पेड़ लगाने की प्रवृत्ति बढ़ी है और पेड़ लगाने की प्रवृत्ति जितनी बढ़ायी जाय, जितने भी अधिक से अधिक लोग उस तरफ जायें, देश के हित की बात है। इतनी बातें कहते हुये मैं ऐसा समझता हूँ कि यह उचित नहीं होगा कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। जितनी जल्दी हो सके उस पर विचार करके फिर सदन के सामने आ जाय, ताकि सरकार कोई परेशानी आर्डिनेन्स के समय के बाहर जाने की न हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस प्रवर समिति के प्रस्ताव को आपके सामने रखता हूँ।

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम) — उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अभी तकरीर सुनी लीडर आफ़ दौ अपोजीशन की, उन्होंने जो बातें कहीं हैं, मैं उनमें से किसी बात का जवाब देने के लिये नहीं खड़ा हुआ, बल्कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बाबत, जो उन्होंने फरमाया है सिर्फ़ उतनी बात के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ और वह यह है कि दो बात तो उन्होंने खुद फरमायी हैं कि यह आर्डिनेन्स जो जारी हुआ है वह देर से हुआ और वह बात सही है। लेकिन देर से क्यों हुआ था अब उनको तो मैं तफसील से बयान करना नहीं चाहता हूँ लेकिन इसके बनाने के लिये बहुत सोच विचार करने की जरूरत हुई और बहुत से कानूनी मस्तिखों की भी जरूरत हुई। तो उसमें कुछ वक्त लगा। अब यह बन कर हाउस के सामने आ गया है और आर्डिनेन्स को जो आर्डिनेन्स जारी हुआ है, उसको कानून बनने के लिये जितनी मियाद कान्स्टी-ट्यूशन में है उसके अन्दर ही अन्दर इसको इस स्टेट का कानून हो जाना है। मगर उसमें भी थोड़ी दिक्कत है और वह यह है कि एक तो इस हाउस में पास होगा, और उसके बाद फिर अपर चेम्बर में जायगा। अपर चेम्बर की बैठक १९ तारीख से शुरू हो रही है। और जितना काम उसके पास यहां से होकर पहुंचेगा उस काम को वह करेगी। तो वह काम यकीनन ५-६ दिन के अन्दर वहां खत्म हो जायगा। उसके बाद बैठने के लिये और कोई काम बाकी नहीं होगा और फिर नया साल शुरू होगा। तो यह हाउस भी फिर आयेगा तो सन् १९५६ में आयेगा और वह हाउस भी आयेगा तो १९५६ में आयेगा। इसलिये अगर हाउस की स्वाहिश यह हो कि इस बिल के ऊपर एक सेलेक्ट कमेटी गौर करे, तो मैं सब हिसाब लगाकर इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि उसकी सूरत सिर्फ़ एक है और वह यह है कि वह सेलेक्ट कमेटी कल और परसों

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

इन दो दिनों में इसके ऊपर विचार कर लें और १९ तारीख को यह बिल फिर से यहां सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ इस हाउस में आ जाय और १९ को इसको पास कर दिया जाय यहां से, ताकि यह अपर चैंबर में भी पास हो सके। तो मैं यह चाहता नहीं था। मेरे नज़दीक इस किस्म की हालात थीं, जो मैंने अर्ज किये कि उससे मेरे दिमाग में क्या, शायद हर एक के दिमाग में यह ख्याल पैदा होता कि इसको इस हालत में सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जाय। लेकिन मैं इन्कार नहीं करना चाहता हूँ कि सेलेक्ट कमेटी में इसको भेजें हम। इसलिये मैंने यह सूरत पेश की है। अगर एवान को यह सूरत मंजूर हो तो गवर्नमेंट को इसमें कोई एतराज नहीं है। परसों तक हो जायगा खत्म सेलेक्ट कमेटी में, सुबह को रिपोर्ट छपकर के आ जाय १९ तारीख को और उस दिन इस पर विचार करके शाम तक इसको खत्म कर दिया जाय।

*श्री भगवानसहाय—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कि जंगल को काटने का सवाल है या अपने जंगल की उत्पत्ति को बचाना और वैज्ञानिक ढंग से उसका एक्सप्लायटेशन करने का प्रश्न है, वहां तक मैं समझता हूँ कि इस सदन के अन्दर कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो इससे इख्तलाफ कर सके। लेकिन जहां तक कि इसमें इस कार्यवाही करने के लिये राज्यपाल महोदय के आर्डिनेन्स का सवाल है वहां तक मैं समझता हूँ कि यह सदन की बहुत बड़ी हकतलफ़ी और गैर इंसानी है। इस आर्डिनेन्स के लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जबकि हमारे अपर हाउस और लोअर हाउस बैठे हुये थे और बैठने वाले थे। श्रीमन्, भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१३ के हिसाब से, जिसमें कि राज्यपाल महोदय को आर्डिनेन्स ईशू करने की ताकत दी है, उसमें साफ लिखा है :—

“ If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in Session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinance as the circumstances appear to him to require. ”

श्रीमन्, जहां तक कि इसकी आवश्यकता का सवाल है वहां तक तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह बहुत आवश्यक चीज है। लेकिन यह सदन २५ तारीख को ऐडजर्न हुआ और लेजिस्लेटिव कौन्सिल २६ तारीख को ऐडजर्न हुई और उस दिन यह घोषणा हो गई कि ५ तारीख को लेजिस्लेटिव असेम्बली बैठेगी। तो फिर यह तीन दिन के लिये क्या आवश्यकता ऐसी थी जो आर्डिनेन्स ईशू करने की जरूरत पड़ी? बिल अहम था, बहुत अहम था और इसकी अहमियत के ऊपर जितना ही जोर डाला जाय, उतना ही थोड़ा है, लेकिन फिर जब यह काम एक कायदे के तरीके से, कान्स्टीट्यूशनल तरीके से हाउस को अपनाके कराया जा सकता था, तब इस आर्डिनेन्स के लाने की क्या आवश्यकता थी, यह मेरी समझ में नहीं आया। अब सवाल, श्रीमन् यह है कि जैसा उद्देश्य में लिखा हुआ है और जसा कि वाक्या भी है कि इस बिल को लाने की आवश्यकता यों पड़ी कि जमींदारी खत्म होने के बाद इस राज्य के अन्दर एक अहम समस्या पैदा हुई और वह यह हुई कि लोगों ने जंगल काटने शुरू किये। लेकिन वह समस्या पैदा क्यों हुई? जिस वक़्त जमींदारी खत्म नहीं हुई थी जमींदारों ने कुछ किसानों को पट्टे दिये थे, जिसको देने के वह कानूनी तरीके से परी तरह से जायज थे। इन पट्टों के अन्दर जंगल की जमीन भी आती थी और वह ऐसी जमीन भी कहीं-कहीं आती थी जिसमें जंगल खड़ा हुआ है। तो फिर समस्या जो कुछ भी थी वह यह थी कि ऐसे १०-५ हजार या १५-२० हजार जो भी काइतकार थे, उनके मामले इस तीन साल के अन्दर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वाक्य नहीं किया।

तय कर देने तो इस कानून के लाने की जरूरत नहीं थी, और न इन एरियाज को लेने की जरूरत थी। क्योंकि समस्या जो विशेषकर पैदा हुई वह इन पट्टों की वजह से हुई, लेकिन उनके मसले आज भी तय नहीं हुये। श्रीमन्, लुत्फ की बात तो यह है कि एंमे-ऐसे भी कैसेज हैं, और काफी है कि जिन में जंगल के विभाग ने उन लोगों को जमीनों पर कब्जा कर लिया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट साल व साल उनमें लगान लेता है। तो मैं माननीय गेंदासिंह जी ने जो कहा उनसे जानना चाहूंगा कि एक इंडिविजुअल की, व्यक्तिगत आदमी को हकतलफ़ी करना यह कहाँ तक जा है? समाज के हक की रक्षा करना आवश्यक है, लेकिन समाज भी मनुष्य से बनता है और व्यक्ति के हक की भी रक्षा करना जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री जी ने जब इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात कही है, और अगर यह मसला तय हो जाय तो मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि ऐसे बहुत से मसले हैं कि जिनके ऊपर वह रोशनी डालें। अगर कोई व्यक्तिगत आदमी बेईमानी या हकतलफ़ी करे तो वह तो एक दफा क्षम्य हो सकता है, माफ हो सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट लेविल पर हकनलकी हो तो उसकी माफी नहीं है। गवर्नमेंट को सबके हक की हिफाजत करनी है। मान लीजिये कि ५० लाख या दो करोड़ रुपया आपको कम्पेन्सेशन उन लोगों को देना पड़े जिनके पट्टे हैं और कानूनी तौर से हैं, फर्क इतना है कि आप कानून बना देंगे, लेकिन हर एक आदमी हाईकोर्ट के पास अप्लीकेशन मूव करने के लिये नहीं जा सकता है। यह तो उसकी ताकत के ऊपर है। लेकिन जो आदमी जा सकेंगे रिट अप्लीकेशन लेकर उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो मैं फिर माननीय मन्त्री जी से विशेष तरीके से इस बात की दरखास्त करूंगा कि वह इस मसले पर गौर करें और अगर इस मसले पर गौर करते हैं और इस समस्या को हल करते हैं तो इस कानून की आवश्यकता नहीं है, पुराने कानून में हर एक चीज कवर हो जाती है। इन शब्दों के साथ मैं इस्तुआ करूंगा कि वह इसको इस तरीके से देखें।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला देहरी गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय गेंदासिंह का है कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय, मैं उसका समर्थन करता हूँ। जो इस बिल के उद्देश्य में दिया हुआ है अगर वही बात इस विधेयक में रखी जाती, तो इसमें प्रवर समिति में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका उद्देश्य जो मैंने पढ़ा है उसका सिर्फ़ यही अर्थ है कि जहाँ जमींदारी उन्मूलन हुआ उन एरियाज में पेड़ काटे गये हैं और अधिक मात्रा में काटे गये हैं, क्योंकि लोगों ने पट्टे द्वारा जमीन या जंगल ले रखे हैं। जहाँ तक इन पट्टों के काटने की रोकने का सम्बन्ध है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। लेकिन जैसा कि उद्देश्य में दिया हुआ है और जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि लोगों में सन्देह है इस विधेयक से और मैं चाहता था कि माननीय मन्त्रा जी उन सन्देहों को दूर करते, लेकिन उन्होंने कोई शंका जो हम लोगों की है, वह दूर नहीं की। उन्होंने यह कहा कि कानून सिर्फ़ उन्हीं एरियाज के लिये बनाया जा रहा है जहाँ कि जमींदारी उन्मूलन हुआ है, लेकिन कानून बनता सारे प्रदेश के लिये है। मैं यह बात नहीं समझ सका। पहली बात तो मैं यह नहीं समझ सका कि जब आपका प्राइवेट फ़ारेस्ट ऐक्ट लागू है तो क्या यह समस्या उससे कंट्रोल नहीं की जा सकती है? मैंने प्राइवेट फ़ारेस्ट ऐक्ट और जो प्रस्तुत विधेयक है इन दोनों के एम्स एन्ड आब्जेक्ट्स को पढ़ा है। मुझे इसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो पुराने ऐक्ट से कवर न होती हो। क्या प्राइवेट फ़ारेस्ट ऐक्ट के मातहत नोटिफिकेशन करके इलिसिट फ़ॉलिंग को नहीं रोका जा सकता है?

दूसरी बात जो उन्होंने यह कही कि ऐक्ट में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि किसी क्षेत्र को छोड़ दें तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट फ़ारेस्ट ऐक्ट की धारा २ में साफ़ लिखा हुआ है कि किन-किन स्थानों में यह लागू नहीं होगा। तो क्या इसी तरह से इस विधेयक में वे यह स्पष्ट नहीं कह सकते थे कि यह विधेयक जमींदारी उन्मूलन क्षेत्रों में लागू होगा? यदि ऐसा कहते कि यह विधेयक उन क्षेत्रों में, जहाँ यह परिस्थिति नहीं है, जैसे कि हमारे

[श्री जयन्तसिंह रिट्ट]

पर्वतीय इलाकों में जहाँ कि जमींदारी उन्मूलन हुआ ही नहीं है और जहाँ पंचायतों के अपने फारेस्ट्स हैं, जहाँ लोगों के अपने खेतों में फीडर और फूट दीज्ज ह और उनको ग्री करते हैं वहाँ नहीं लागू होगा। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, किन्तु इस विधेयक से यह साफ जाहिर है कि एक तरह से गुप्त हथियार यह सरकार अपने पास रखना चाहती है। मैंने इंडियन फारेस्ट ऐक्ट को भी देखा, उसमें फारेस्ट की परिभाषा नहीं है। प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट में जो परिभाषा दी है उसमें सिर्फ इतना ही है कि जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि फारेस्ट है वह फारेस्ट ही गया। इस विधेयक में उन्होंने फारेस्ट की परिभाषा को और व्यापक कर दिया है। इसमें उन्होंने लिखा है :—

“ Forest ” includes—

- (i) any land covered by trees and shrubs; and
- (ii) pasture lands.

तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में तो खेतों में झाड़ियाँ उगा ही करती हैं, क्योंकि वहाँ एक फसल काटने के बाद लोग परती छोड़ देते हैं। तो ६ महीने में झाड़ी उग आती है। फिर उसको किसान काटता है, तब आबाद करता है। तो इस परिभाषा के मुताबिक तो वहाँ के आबाद खेत भी इसमें आ जायेंगे। इसलिये इस परिभाषा से हम लोगों को शंका और सन्देह है।

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक में जो “claimant” की परिभाषा दी गयी है वह यहाँ तक तो ठीक है।

“ Claimant ” as respects any land means a person claiming to be entitled to the land or any interest therein acquired, owned, settled or possessed or purported to have been acquired, owned, settled or possessed whether under, through or by any lease or licence executed prior to the commencement of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950,

लेकिन इसमें जो यह लिखा है :.....

“.....or under and in accordance with any provision of any enactment, including the said Act : ”

इससे इसको अधिक व्यापक बनाया गया और लोगों के पुराने हक, जो पुराने कानून के मातहत भी, जसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि वह सब खत्म कर दिया है। माननीय मन्त्री जी ने अपने मुँह से अपने भाषण में स्पष्ट किया था कि ऐसा नहीं है, उद्देश्य में भी नहीं दिखता। हम चाहते थे कि जो इरादा है वह बिल में आना चाहिये, क्योंकि कानून जब बनता है उसका इन्टरप्रिटीशन मन्त्री जी द्वारा नहीं होगा, लेकिन जो कानून के शब्द होंगे उससे होगा। इसलिये हम चाहते हैं कि इन खामियों को दूर करने के लिये जो गेंदासिंह जी का सुझाव है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। इसके उद्देश्यों से सहमत होते हुये भी इसको कमी को दूर कर दिया जाय। हमारे पर्वतीय इलाकों में जमींदारी उन्मूलन का सवाल नहीं है, लेकिन इस कानून का असर पड़ेगा। इसलिये हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि जो लोगों को शक है, अन्देश है वह दूर कर दिया जाय और जो सरकार का उद्देश्य तथा मंशा है वह बिल्कुल क्लीयर इस विधेयक में आना चाहिये।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वन मन्त्री महोदय ने सदन के समक्ष जो फारेस्ट बिल प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस किस्म का बिल सदन के समक्ष इससे बहुत पहले आ जाना चाहिये था, क्योंकि जहाँ तक भूमि के संरक्षण का प्रश्न है और जंगलों के संरक्षण का प्रश्न है, जमींदारी एबालिशन के बाद अपने प्रदेश में बहुत से क्षेत्रों में वनों का ह्रास हुआ है और व्यक्तिगत सम्पत्तियों के मालिकों ने अपने वनों को बरबाद किया है, इससे

सदन का कोई माननीय सदस्य न होगा जो इसमें परिचित न हो। सरकार स्वयं भी इस बात में भलीभांति परिचित है कि हमारे इन वनों का, इन दिनों में ही नहीं, बल्कि एक हजार, दो हजार वर्ष से देखने में कि हमारे वनों का विनाश होना चला जा रहा है ! यद्यपि हम तीन, साढ़े तीन हजार वर्ष का इतिहास देखे और मुकाबिला करें तो यह विन्कुन स्पष्ट हो जाता है कि दो सौ, ढाई सौ वर्षों में ह्रास हुआ है हमारे वनों का, वह इसमें पूर्व नहीं हुआ है। हमने सम्भ्रना के लकड़ों के नाम पर, जाग्नि के नाम पर और प्रगनि के नाम पर, चीजों के निर्माण के नाम पर, सड़कों के नाम पर, रेलों, पटरियों तथा मकानों के निर्माण के नाम पर, वनों का ह्रास किया है। यों तो अब स्थिति यह है कि यदि अभी वनों का ह्रास नहीं रुकेगा तो देश को भयानक संकट का सामना करना पड़ेगा और हमारे यहां की भूमि बरबाद हो जयगी।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारी भूमि का २५ प्रतिशत रकबा वनों में होना चाहिये था, लेकिन आज अपने प्रदेश में समस्त भूमि का केवल १५ प्रतिशत ही वनों के अन्तर्गत है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक था कि सरकार कोई ऐसा बिल लाती जिसमें इन क्षेत्रों में ही नहीं जहां कि वन लगे हैं या वन घोषित किये गये हैं, बल्कि उन क्षेत्रों में भी जहां कि वन नहीं हैं और जहां पर ९९ प्रतिशत भूमि वनों से शून्य हो गई है और ग्रामों में भी वन लगाने का काम होना चाहिये था। मैं इस बिल का और भी अधिक स्वागत करता यदि ऐसी व्यवस्था होनी कि हमारे गांवों में विलेज फारेस्ट या ग्राम वन लगाने की व्यवस्था की जाती। लेकिन स्थिति यह है कि वन मन्त्री महोदय ने केवल उन क्षेत्रों को संरक्षण देने का प्रयत्न किया है, जिसमें वन लगे हुये हैं और जिनका ह्रास हो रहा है। मैं वन मन्त्री महोदय का ध्यान ग्रामों की व्यवस्था की ओर भी आकषित करना चाहता हूँ।

गाव के अन्दर सबसे प्रमुख समस्या जो जंगलान के न होने से है वह यह है कि वहां लोगों को जलाने के लिये ईंधन नहीं मिल रहा है। आज ग्रामों के अन्दर यह समस्या मौजूद है कि उन लोगों को अपने हलों के लिये लकड़ी और अपने मकान बनाने की आवश्यकताओं को पूरि के लिये लकड़ी नहीं नसीब हो रही है। परिणाम यह हो रहा है कि जो कुछ वृक्ष गांवों में टूटे-फूटे बाकी हैं और जिनके लिये सरकार ने यह किया था कि लैन्ड मनेजमेन्ट कमेटी इनकी देख-भाल करेगी, इनकी व्यवस्था करेगी। तो वहां उस व्यवस्था के वजाय उनका तेजी से ह्रास होता चला जा रहा है और मुझे इस बात को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि जब हम एक तरफ देखते हैं कि सरकार वन-महोत्सव के ऊपर अपनी तमाम सरकारी मशीनरी और जनता को इस बात के लिये तयार करना चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा वन लगायें, अपने देश में, ग्रामों में, सड़कों पर और दूसरी जगह अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगायें। उसके साथ ही दूसरी तरफ हम एक यह चीज देखते हैं जो कि हालांकि वन विभाग के क्षेत्र के बाहर है, लेकिन मैं उसे इस समय कहना चाहता हूँ कि लैन्ड मनेजमेन्ट कमेटी को सरकार ने जो इस समय सत्ता दी है उससे जहां उसे उत्साह (मिशनरी जील) के साथ आगे बढ़ना चाहिये था, उसकी जगह उसने सब मटियामेंट कर दिया है। वह सत्ता यह है कि सरकार ने अभी से दो साल पहले तक ग्राम सभाओं को यह अधिकार नहीं दिया था कि वे अपने ग्राम के वृक्षों को कटवा सकें। पहले पेड़ों को कटवाने का अधिकार वन अधिकारियों के हाथ में सुरक्षित था और उसका परिणाम यह हुआ कि पिछले ५ वर्षों में ग्रामों के अन्दर जो पुराने बगीचे थे, जंगलात थे, पेड़ थे, उनको काकी सुरक्षित किया गया। लेकिन इस पिछले एक साल के अन्दर सरकार ने कुछ ऐसे मौलिक, भयानक और खतरनाक कदम उठाये हैं कि जिनकी वजह से जो सुरक्षा हुई थी पेड़ों की ५ सालों में वह सब खत्म हो गई ! उसने ग्राम समाजों को यह सत्ता दे दी कि ढाई एकड़ के बगीचे वह अपनी स्वेच्छा से कटवा सकते हैं। परिणाम क्या हुआ यह मन्त्री महोदय जानते हैं और सदन के सभी सदस्य जानते हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि जिन लोगों के बगीचे थे और जिन लोगों के बाग जमींदारी एब्रालिशन के बाद सुरक्षित रह गये थे और जो अपने बगीचों को उस समय नहीं बेच सकते थे, उन सब ने अपने बगीचे को पेड़ों को कटवा कर बेच दिया और चौपट कर दिया। उनका रुपया उन्होंने वसूल किया और आज वह जमीन बन्जर पड़ी हुई है। चाहिये तो यह था कि सरकार सब जगह एक ऐसी

[श्री शिवकुमार शर्मा]

नीति अख्तियार करती, चाहे वह फ़ारेस्ट डिपार्टमेंट के अन्दर में होता या लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी के अन्दर कि जितने वृक्षों को वह लगा ले उतने ही वृक्ष काटे। अप्रेजों ने जो यह वन-संरक्षण का कार्य किया है उसके लिये हम उन्हें दाद नहीं दे सकते, क्योंकि जो वनों की पालिसी गाइड होती थी वह सेक्रेटरी आफ स्टेट के द्वारा होती थी और उन्हीं के आदेशों को तमाम प्रांतों में पालन किया जाता था। सब से बड़ा अधिनियम बिल, जो वनों के संरक्षण के लिये बनाया गया था वह यह था कि वनों की सीमाओं को निर्धारित किया जाय कि जिसके बाद जो कन्ज़रवेटर आफ़ फ़ारेस्ट ही वह उन क्षेत्रों का मालिक बना दिया जाय और वह अपनी स्कीमों के अनुसार उन वनों को संरक्षण दे। लेकिन जो वाकई कदम होना चाहिये था कि उन वनों के कटवाने का किस तरह से इन्तजाम किया जाय वह सरकार ने आज तक नहीं उठाया! और मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमारी सरकार इस सिद्धांत को नहीं अपना सकी है कि केवल उतने ही वृक्ष काटने की वह आज्ञा दे, जितने कि वह लगा दे। यदि एक लाख वृक्ष कटते हैं तो पहले काटने वाले एक लाख वृक्ष खड़े कर दें और अधिकारी देख ले कि अगर उन नये एक लाख वृक्षों ने अपना स्थान ले लिया है, तो उन पुराने वृक्षों को काटने दे। अगर उनकी जगह उतने ही वृक्ष नहीं लगते तो मैं नहीं समझता कि वनों का संरक्षण कैसे होगा, जबकि हमारे देश में परिस्थिति यह है कि २५ प्रतिशत भी वनों का क्षेत्र नहीं है? वन केवल १५, १६ प्रतिशत क्षेत्र में हैं, तो कैसे इनका संरक्षण किया जायगा, कैसे भूमि को इरोज़न से रोक़ा जायगा, कैसे भूमि विनाश से देश को बचाया जायगा और कैसे पेट्रॉल से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिये हम उनकी तादाद बढ़ा सकेंगे? इन सब बातों पर सोचने के बाद हम बड़े सन्देह में पड़ जाते हैं।

मैं इस चीज़ का अधिक जिज्ञास न कर एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं श्री गेदासिंह जी के सुझाव से जो थोड़ा-थोड़ा सहमत होता जा रहा था वह केवल इस कारण कि मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करता कि वह इस बिल का कम से कम कुछ और विस्तार करें। उसे ग्राम लेविल पर लाने का प्रयत्न करें। अभी जो ग्राम-समाजे हैं इन ग्राम समाजों को इस बिल के अन्तर्गत लाने का प्रयत्न नहीं किया गया है, क्योंकि इसके अन्दर आप यह देखेंगे कि वहाँ पर फ़ारेस्ट ब्लेमेंट की परिभाषा दी गयी है और उस परिभाषा के अन्दर केवल वही व्यक्तिगत सम्पत्ति के मालिक और वन के मालिक आते हैं जिनके हाथ में आज तक बन रहे हैं। लेकिन वह ग्राम समाजे जो थीं वह बिल्कुल अलग हैं, वहाँ पर विलेज फ़ारेस्ट लगाने के लिये किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। बहुत सी ग्राम-समाजों के अन्दर हम देखते हैं कि वहाँ पर रकबा वन विभाग ने ले लिया है। लेकिन वह उन क्षेत्रों तक ही वन विभाग सीमित है लेकिन ऐसे स्थानों पर जहाँ पर काफी जमीन ऐसी पड़ी हुई है, जहाँ पर बहुत से चरागाह खाली पड़े हुये हैं, किन्तु वह चरागाह की जमीन लोगों के कब्जे में है। वह इसलिये कि चूँकि वह कब्जे में है उनके संरक्षण की बात नहीं हुई है। यदि वह चरागाहें इसके अन्दर लिये जाते तो यह काम वन विभाग जमीन की आवश्यकता के बारे में गांवों के लिये पूरी करने में सहायक हो सकता था। इसलिये आवश्यक है कि इस बिल का अधिक विस्तार करें। जहाँ तक इस बिल का सम्बन्ध है इस सदन का प्रत्येक सदस्य वास्तव में इसका स्वागत करेगा और हमें अपने देश के लिये अधिक मौलिक कदम अपने वनों के संरक्षण देने के लिये उठाने चाहिये।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—श्रीमन्, आज यह महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने उपस्थित है। इस वन विभाग की तरफ़ सरकार ने ४ वर्ष के बाद ध्यान दिया है। आज इस प्रान्त के अन्दर जो नंगा नाच हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। सार जंगल काटे जा रहे हैं! उसी का यह प्रतिफल है कि पूर्वी जिले के लोग बाढ़ से परेशान हुये और पश्चिमी जिलों के लोग बाढ़ से परेशान हुये। आज हमारे देश में बाढ़ का प्रकोप है उसका एकमात्र कारण यही जंगल काटना है। मैं आपकी इजाज़त से यह भी कहना चाहता हूँ कि विशाल हिमालय हमारे देश के उत्तरी भाग में स्थित है। उसके अन्दर बहुत से

जंगल हैं, लेकिन नेपाल के इलाके में भारी संख्या में जंगल काटे जा रहे हैं। उसके कारण राप्ती नदी में बाढ़ आयी। उसको रोकने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। वह एक दम पार करके मैदान में आ जाती है। उसका फल यह हुआ कि इस वर्ष जो घरों का और सामान का हिमाब लगाया गया तो इन १६ जिलों में करीब १०० करोड़ की हानि हुई है। वहां पर १५ करोड़ के तो केवल मकान ही गिर गये हैं जिमकी वजह से इतनी हानि हुई जो हमारे देश की ही हानि है। आज हमारे जंगल काटे जा रहे हैं। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना, कुआं खुदवाना पवित्र कार्य माने जाते हैं। उसी कारण से हमारा हिंदू धर्म आज शाश्वत धर्म रहा है। तो मान्यवर हमारे देश में आम की बड़ी प्रतिष्ठा थी। "आम्ना वसन्त पुष्पन्ति", आम वसन्त में पुष्पित होता है। उसका रहस्य हमारे प्रान्त में ही नहीं बल्कि सारे देश में, जहां-जहां पर आम के वृक्ष हैं, माना गया है। इतना ही नहीं यदि आम के बौर को पहली बार देख लिया जाय और हाथ पर रगड़ दिया जाय तो उसका तुरन्त असर होता है और सांप और बिच्छू का जहर तुरन्त उतर जाता है।

इतना बड़ा प्रभाव हमारे इन वृक्षों में है। इसलिये मैं अपने वन मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने बड़ा सुन्दर किया और इस राष्ट्रीय सम्पत्ति की बढ़ोतरी करोड़ों रुपये की बचत होगी। लेकिन मैं अधिकारी वर्ग की शिकायत करूंगा कि वे एक इंच भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे वन-वनोत्सव के नाम पर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं और आगरा जिला में रेगिस्तान बढ़ता ही चला जा रहा है। मैं अधिकारी वर्ग को सचेत कर देना चाहता हूँ कि वहां पर वनों को न रहने के कारण हाहाकार मचा हुआ है। आबादी के अनुपात से वनों का होना बड़ा आवश्यक है। अगर वन काफी होते हैं तो वहां वर्षा भी काफी होती है, पैदावार अच्छी होती है, जलवायु अच्छी रहती है, तरी रहती है और पानी का बहाव भी धीरे-धीरे होता है। गंगा का मैदान इसके लिये प्रमाण रहा है। संसार के महान् आक्रमणकारियों ने जब-जब आक्रमण किया तब-तब गंगा के मैदान में ही किया। दक्षिण में तो औरंगजेब भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन गंगा के मैदान में सब लोग आते थे। इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि उनको जंगलों की रक्षा के लिये जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिये। हमारे जिले में जो जंगलों की कटाई हुई है उसकी वजह से बहुत सी सफेद टोपी लाल हो गयीं, यह मेरे आंखों देखी बात है। आज हमारे यहां इतने जंगल काटे गये हैं कि गायों और भैंसों को चरने के लिये जगह नहीं है। मैं सरकार से कहता हूँ कि जो लोग जंगल काट रहे हैं वे देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, देश की पीठ में छुरी मार रहे हैं। बिल्हर के इलाके में जो वन रक्खा गया है उसकी रक्षा मजबूती के साथ होनी चाहिये। यह बात मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, यह दिल के दर्द की बात कह रहा हूँ। वनों से आज हरिजनों को क्या सुख है, हमको जलाने के लिये लकड़ी भी नहीं मिलती, झोपड़ियों को छाने के लिये घास भी नहीं मिल पाती है। आज जब से वन गांव समाजों को सौंप दिये गये हैं तब से लठबन्द लोगों से कुछ नहीं मिल पाता है। पहले तो मिल भी जाता था लेकिन अब बिल्कुल नहीं मिलता है। हमको खुशी नहीं है। पहले जब जमींदारों के हाथ में जंगल थे तो उनसे और राजा महाराजाओं से हमें हक हक की कुछ लकड़ी अवश्य मिल जाती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं मिलता। रामेश्वर लाल जी परेशान न हों, उनके जिले में भी नंगा नाच हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, लेकिन आपने कभी वहां उसको रोकने के लिये पिकेटिंग नहीं किया! माननीय गैदासिंह ने इस विषय में दो-चार बातें कहीं लेकिन उन्होंने गोल-मोल कहा। मैं उनका समर्थन करता हूँ कि जंगल कट रहे हैं और सरकार को इसको रोकने के लिये कौन इन्टरेस्ट लेना चाहिये और उसको रोकने के लिये सख्त कदम उठाना चाहिये, जिससे हमारे जंगलों की रक्षा हो। इससे केवल हमारा ही लाभ नहीं होगा बल्कि सरकार का भी लाभ होगा क्योंकि उनसे उसको रेवेन्यू और लीसा आदि मिलता है। तमाम लकड़ी स्पोर्ट्स के सामान और फरनीचर के काम में आती है। यह मेज, कुर्सी, डेस्क और बड़िया-बड़िया देवदार और शीशम वहीं होता है, यह सब चीजें वन से ही हमें प्राप्त होती हैं। हम क्यों जर्मनी से बड़िया बड़िया डिब्बे मंगावें, और जब हमारे यहां सुन्दर

[श्री शिवनारायण]

शीशम, देवदार और सागौन पैदा होता है और हमारे देश की जंगल जो महान सम्पत्ति है उससे सरकार लोगों को खेल न करने दे। उसको उनकी रक्षा का प्रयत्न करना चाहिये और उनसे सरकार का और जनता का सभी का हित है। गौओं को चराने का भी लाभ उनसे हो सकता है, हम लोग बाढ़ के जमाने में जिलाधीशों को घेरते हैं कि चरने के लिये जमीन बताइये या भूसा दीजिये। अगर जंगल काफी हों तो वह आसानी से कह सकते हैं कि फलां जगह जाकर ऐसे समय में गौ चरालो, गर्मी में धूल उड़ती है, कहीं एक तिनका भी चरने को नहीं मिलता, यह हालत हो गई है, ऐसी दशा में जंगल का होना बहुत जरूरी है, यहां तक कि पत्तल, जो दावत में काम आती है उनके लिये पत्ता तक जंगल से अब नहीं मिलता, उस पर भी प्रतिबन्ध हो गया है। मैं डरता हूँ कि गांव पंचायतें जो बन रही हैं उनको सलाम करो अगर उनसे कोई लाभ नहीं है। मैंने आज ही पढ़ा कि उनके चुनाव में डेले-ईंटे चल रहे हैं, वहां बड़ी ही गन्दगी है। मैं मन्त्री जी से कहता हूँ कि वह जाकर गांव पंचायतों को देखे..... पांडे जी क्यों परेशान हैं? मैं कहता हूँ कि उनके यहां भी यही हाल होगा, बिलहर में भी जो कुछ हो रहा है उसकी ओपेन इन्क्वायरी होनी चाहिये। यहां मेरा अधिकार कहने का है, सबको सुनना चाहिये और सरकार को हमारे एक एक शब्द पर अमल करना चाहिये। हंसी-मजाक का मौका नहीं है, सही बात है प्रैक्टिकली यह देखने में आता है। मैं सच कहता हूँ कि जंगल कट जाने से बड़ी हानि हो रही है। गोरखपुर हमारे पड़ोस में है बराबर पूछा गया कि वहां के जंगल क्यों काटे जा रहे हैं, वहां भी राप्ती नंगा नाच दिखा रही है, मालूम होता है कि वहां समुद्र हो रहा है। ऐसा दृश्य हो जाता है, मकान-घर-जमीन कुछ दिखाई नहीं देती, पानी ही हो पानी हो जाता है और छोटी-छोटी झाड़ियां पानी के नीचे हो जाती हैं। मान्यवर, वन विभाग तो बहुत पवित्र विभाग है और मंत्री जी को इस सुन्दर बिल लाने पर बधाई देता हूँ। कबीर ने कहा है कि—

“जब से चेतो तब से सही,
बीती ताहि बिसार दे आगे की सुध ले।”

आगे से ही यदि सरकार जंगल की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हो जाय, तो जंगल की अवश्य रक्षा होगी। माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि इस बिल को प्रवर-समिति में भेजा जाय लेकिन मैं समझता हूँ कि यह एक छोटा सा बिल है, इसको वहां भेजने की जरूरत नहीं है। दो-चार संशोधन यहीं आ जाय और यहीं उन पर थोड़ा सा डिस्कशन कर के ठीक कर लिया जाय। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न चार वर्षों के बाद तो आया उसके लिये कहा जाय कि प्रवर समिति को भेज दो! असेम्बली उठ जायगी तो मार्च तक वैसे टल जायगा। तो इस प्रकार पांच छः महीने के लिये इस बिल को टालना अनुचित है। मैं इसलिये प्रवर-समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वन विभाग द्वारा जो रुपया खर्च हो रहा है उसको बजाय सड़क बनवाने में या वन लगाने में, यदि वनों की निगरानी करने में खर्च किया जाय तो स्वयंमेव बन तैयार हो जायेंगे। जैसा मैंने कहा कि गनेशपुर का इलाका बाबू साहब का है उन्होंने सब पेड़ कटवा दिये। बेचारे कहां के गरीब मजदूर दो आने में एक गट्ठर खरीद कर ले आते थे और बस्ती में एक रुपया पा जाते थे, लेकिन उससे भी उनको वंचित कर दिया गया ?

राजा वीरेन्द्रशाह (खिला जालौन)—अब खत्म करिये।

श्री शिवनारायण—राजा साहब इसलिये परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन जैसे बड़े लोगों का नुकसान हो रहा है।

राजा वीरेन्द्रशाह—आप नाम ले लेकर मेरा, श्रीमन् कह रहे हैं।

श्री शिवनारायण—मैंने नाम लेकर नहीं कहा। यहां कितने ही राजा हैं, मालूम नहीं कितने राजा हैं, मदनमोहन जी राजा हैं। लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं पालिया—

मेंदरी पद्धति को जानता हूँ। इस राज्य में हरिसिंह से लेकर बड़े से बड़ा, महान से महान आदमी भी राजा है, सब राजा है, पूरी जनता राजा है, सब मेम्बर्स राजा हैं।

एक सदस्य—विधेयक पर बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य विधेयक पर बोलने की कृपा करें। इधर—उधर की बातें न करें।

श्री शिवनारायण—वन विभाग के विषय में कह रहा हूँ, श्रीमन्। हमें लकड़ी नहीं मिलती, कोलहू बनाने के लिये, हूंगा बनाने के लिये, पटेला बनाने के लिये, जमीन को समतल बनाने के लिये उसकी आवश्यकता है। लेकिन कितने राजाबहादुर मिल जाते हैं और जंगल कटवाते रहते हैं। “आदि-अन्त को जोड़िये तो सतवन्ती होय”, मतलब यह है कि जीवन से लेकर मरण तक अन्तिम समय में भी लकड़ी ही हमारी मदद करती है। आज जमाना कह रहा है पेड़ लगाओ साथियो, पेड़ लगाओ साथियो। लेकिन इधर काटनेवाले भी जोरों से उसको काटते जा रहे हैं। जो भोले-भाले किसान हैं, हमारे घरों की बेपट्टी-लिखी बहुर्ये है वह लकड़ी न मिलने के कारण गोबर का जो खाद हो सकता था, उसको जला कर खाक कर देती है। हमको एग्री-कल्चर में पढ़ाया गया था कि सबसे उत्तम खाद गोबर की होती है, लेकिन उसको भी वह जला डालती है। लकड़ी होगी तो गोबर बचेगा। उससे खाद उत्पन्न होगी, जिससे प्रो मोर फूड कम्पेन हल होगा और लाखों-करोड़ों रुपये, जो अमेरिका और ब्रिटेन को भेजते हैं वे बचेंगे। मान्यवर, आज यह मामूली सब्जेक्ट हमारे सामने नहीं है। यह वह विषय है जिस पर चार घंटे बोला जा सकता है। मान्यवर, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूँ कि गोबर का आज दुरुपयोग होता है, जिससे खाद की समस्या हल नहीं होती। आप गांव में जाइये, आप देखियेगा कि सारे पेड़ काट दिये गये। पेड़ लगाये चमार ने और काट दिये ठाकुर साहब ने। मैंने रेवेन्यू मिनिस्टर को लिखा। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मेरे इलाके में एक बड़ई है, उसने बाग लगाया, लेकिन उसके दरवाजे पर के पेड़ जबरदस्ती काटे जा रहे हैं। मान्यवर, कटहल हम लगाते हैं लेकिन फल उसका हमको नहीं मिलता। महुआ हम लगाते हैं, लेकिन फल दूसरे खा जाते हैं। मैं वन विभाग के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि वे भी सतर्क रहें। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूँ कि भाखरा नांगल डेम पर क्रुश्चैव जी ने हमारे इंजीनियर से कहा कि बिना दूसरे की सहायता लिये तुम दूसरा ऐसा ही डेम बना सकते हो? तो उसने कहा एस सर। तो ऐसे है हमारे देश के इंजीनियर। आज जो आने वाली हमारी संतानें हैं उनको देश को उठाना है। आज लाखों नौजवानों को गांवों में जाना चाहिये। लेकिन दुःख है कि हमारे डाइरेक्टर आफ एजुकेशन जो झा साहब थे उनका कहना था कि ७५ ६० पर प्रेजुएंट यहां रहने को तो तैयार रहते थे, लेकिन १२० ६० पर देहात में जाना पसन्द नहीं करते थे। आज हमें देश के नौजवानों को जगाना है। मुझे पत्रकारों से निवेदन करवा है कि मेरे शब्द देश के कोने-कोने में पहुंचाने की आवश्यकता है। गांव का जो नग्न चित्र है उसको आपके सामने रखने की आज आवश्यकता है। मैंने अपनी कांस्टीट्यूएन्सी में लोगों को जंगल कटवाने से रोका, हालांकि उन्होंने इनडाइरेक्ट हिट किया मुझ पर। मेरे साथ वे भाई भी मार्च करते थे जो लाल टोपी पहनते हैं। बाढ़ के जमाने में भी मैंने कम्युनिस्ट, पी० एस० पी० वालों को अपने साथ लिया और गरीबों के लिये चना लदवाया। इस सारी मुसीबत को दूर करने का एकमात्र उपाय वन विभाग है। अगर वन विभाग जंगलों की रक्षा करे तो बाढ़ों का प्रकोप खत्म हो सकता है। अगर ५० करोड़ रुपये खर्च कर घाघरा नदी पर एक डेम बनवा दिया जाय, तो बाढ़ से जो हर साल वहां तबाही होती है उससे हम लोग बच जायें। वन विभाग के लोग कान खोल कर सुनें, मैं उनसे हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, मैं कोई सरकार के सामने कटु आलोचना के नाते कोई बात नहीं कह रहा हूँ। यह सरकार की आलोचना नहीं है। यह मेरा कर्तव्य है कि सही-सही नक़शा मैं सरकार और हाउस के सामने रख दूँ। हमारे वन मंत्री या हाफिज जी को हर गांव में पहुंचने का मौक़ा नहीं मिलता। हम उनके नुमाइन्दे हैं।

[श्री शिवनारायण]

म उनकी बात यहां रख सकते हैं। मजदूरों को बड़ी जीविका मिलती थी मान्यवर—मजदूर बेवारा जंगल से लकड़ी काटता था, उससे कोल्ह बनाता था, सुन्दर—सुन्दर चीजे बनाता था और बाहरों में ले जाता था। उसमें उसके बच्चे पलते थे। आज सारे वन काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ काट दिया और मालिक ने पैसा अपनी जेब में रख लिया और वह पैसा होटलों में कटता है। एक बादशाह ने अपने माली से पूछा कि यह पेड़ क्यों लगा रहे हो। उसने जवाब दिया कि इसका फल मेरा बेटा खावेगा। मैं पूछता हूँ कि आज वह विचारधारा कहां है? उस विचारधारा को लाने की जरूरत है। इस आवाज की देश के कोने-कोने में पहुंचाए। वन अभी होंगे जब वन विभाग इस देश में फलेगा-फूलेगा। मैं कहता हूँ कि उन भूखे लोगों की जो क्षुधा है वह तृप्त होगी, वन विभाग से। एक बार अगर आम की फल आ गयी तो चार महीने का गुजारा हो जाता है। गत वर्ष हमारे जिले में जहां जहां पर आम की फल आ गयी वहां चार महीने तक उन्होंने, जो कि भूखे चमार, कोरी, पासी थे, जिनके पास पेड़ नहीं थे उन्होंने भी आम खाये। दो पैसे में इतने आम मिलते थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह विषय आसान नहीं है। यह मजाक की बात नहीं है। जो आनरेबिल मेम्बर किसी मेम्बर की मजाक करने की कोशिश करते हैं मैं कहूंगा कि आत्मा का बेचना है। वह अपने कर्तव्य से च्युत होता है।

(इस समय ४ बज कर २ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठात्री, श्रीमती प्रकाशवती सूद पीठासीन हुई।)

मैं अपने कर्तव्य का सही नकशा हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। चेरमैन महोदय, मैं आपके जरिये से घरों की जो दशा है, हमारी मां-बहनों के ऊपर जो दिक्कतें होती हैं, भोजन पकाने में जो तकलीफें होती हैं, पिछली छुट्टियों में जब मैं घर गया, तो मेरी स्त्री ने बड़ी शिकायत की कि लकड़ी नहीं है। मैंने कहा कि घबराइये नहीं हम कहीं न कहीं से कुछ इंतजाम करेंगे। तो पांच कोस से एक गाड़ी लकड़ी मंगवायी, खाना पकाने के लिए। तो कितनी दिक्कतें हैं। वह फरमा रहे हैं कि हम समझ चुके। आप समझ चुके होते तो ऐसी बात न करते। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण विषय है। जिन ऋषियों ने वनों में तपस्या की थी, आज उन तपोवनों को मैं देखना चाहता हूँ। जहां हमारे विद्यार्थी जायें और हमारे देश को सुन्दर प्रकाश दें। आपकी इजाजत से कहना चाहता हूँ कि हम को बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे वन मंत्री उस हिमालय से आते हैं, बद्रीनाथ से आते हैं, जहां गंगा मइया का उद्घाटन हुआ है। वहां से आये हैं। वह जंगल की एक-एक रंग की जानते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि पूर्वी जिले जो बाढ़ से हर साल तबाह होते हैं उनकी रक्षा की जाय और हमीं क्यों, हमारे पश्चिमी जिले वाले भी इस वर्ष तबाह हो गए। नदी की तीन अवस्थाएं हैं मान्यवर, उसी बाढ़ आती है।

राजा वीरेन्द्रशाह—प्वाइंट आफ आर्डर। मैं यह अर्ज करता हूँ कि बिल पर तो अब बोलें।

अधिष्ठात्री—आप कृपा करके बिल पर ही रहने की चेष्टा करें।

श्री शिवनारायण—मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूँ कि वन विभाग पर ही बोल रहा हूँ। अपनी प्राचीन संस्कृति के अनुसार बोल रहा हूँ।

अधिष्ठात्री—आप कृपा करके इसी बिल के ऊपर सीमित रहें तो अच्छा है।

श्री शिवनारायण—मैं आपकी इजाजत से कहूंगा कि जिस वन विभाग के बारे में मैं कुछ प्रकाश डाल रहा था, उसको सम्मानित सदस्य सुनना नहीं चाहते। मैं अपनी बीती कह रहा हूँ, जगबीती नहीं कह रहा हूँ। हमारी कान्स्टीट्यूएन्सी में जंगल काट दिये गये और काटने के बाद यह सफेद टोपियां लाल टोपियां हो गयीं सरों पर। लेकिन हम लोग फिर भी उनके बीच में जाते हैं और मैंने खुद देखा है कि इतने-इतने पेड़ काट दिये गये।

अब अगर हम सरकार में न कहें तो कल किम मुंह से मन् ५७ में कहेंगे कि मुझे वोट दो। मैं आपकी इजाजत में कहना चाहता हूँ, चूँकि वन मन्त्री हमारे शिकंजे में हैं आज हमको टाइम मिला है, हम अपने दुख-दर्द की कहानी को क्यों न कह जायें? हम यह कहना चाहते हैं कि हमारी जितनी मुसोबतें हैं वह मिटने वाली नहीं हैं। हम भी डेड़ लाख आदमियों की रिप्रेजेंट करते हैं। गरीबों की दशा खराब है। दूध-दही स्वप्न हो गया। मान्यवर, आज शुद्ध घी नहीं मिलता। न मिलने का कारण क्या है? सारे वन काट दिये गये, गायों के चरने के लिये जगह नहीं, मुरली अब बजती नहीं, कृष्ण की वंशी अब इस देश में बजती नहीं। आज गडकों की रक्षा नहीं होती, रक्षक नहीं, बल्कि भक्षक हो गये हैं लोग। जब चीज अमली होती है तो लोग परेशान होने हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि आज दिल भरा हुआ है उसको कहा जाय ताकि जनता समझे कि हमने सही आदमी को भेजा गलत आदमी को नहीं भेजा। मैं विरोधी दल के लोगों से कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को ठीक तरह से किडीसाइज करना चाहिये। मैं अपने वन मन्त्री जी को धन्यवाद दूँगा कि इस बिल के लिये और जो नैलेक्ट कमेटी वाला प्रस्ताव है मैं समझता हूँ कि उसकी जरूरत नहीं है यह तो दो मिनट में पास हो जायगा। अन्त में आपकी इजाजत में मैं कहना चाहता हूँ कि वन विभाग का यह कानून जल्दी पास हो और अधिकारियों के कान गरम करें और उनकी निगरानी करें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं माननीय शिवनारायण जी के भाषण को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था और मैं सिर्फ माननीय नेगी जी को यह बताना चाहता था कि यह जो प्रश्न आज इस सदन के सामने पेश है और वहस हो रही है वह इतना महत्वपूर्ण है कि एक घंटे तक शिवनारायण जी बोल चुके हैं। और नेगी जी कहते हैं कि बहुत छोटा विषय है! मैं माननीय श्री शिवनारायण जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने दिल की सारी बातें सदन के सामने रख दीं और अच्छा यह हो कि आज के दिन की प्रोसीडिंग्स वह अपनी कांस्टीट्यून्सी में जरा बटवा दें। लोगों को तो उनका आगे का जो इलेक्शन आयेगा उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं मालूम होगी। अधिष्ठात्री महोदया, मैं इस बिल के सिलसिले में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि माननीय नेता विरोधी दल ने इस पर काफी प्रकाश डाला है और माननीय मन्त्री जी इस बात पर राजी हो गये हैं कि यह सेलेक्ट कमेटी के सामने जाय। और मुझे उम्मीद है कि सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद इस बिल में जो कमियाँ हैं वे दूर हो जायेंगी और उसकी कोशिश भी की जायगी। पर इतना मैं अवश्य बताना चाहता हूँ कि माननीय गेंदा सिंह जी ने एक बात कही कि हमारे बेचारे जो जंगल के लोग रहने वाले हैं उन्हीं का इस बिल से सम्बन्ध है। अधिष्ठात्री महोदया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि उनको ही यह असर नहीं करना है बल्कि प्रदेश के हर आदमी पर यह असर डालता है और अगर इस रूप में यह पास हो गया तो हर एक इससे परेशान रहेगा। हर एक के पास दो-चार पेड़ भी होते हैं, हर एक के पास थोड़ी सी जमीन भी पड़ी हुई है। अगर फारेस्ट डिपार्टमेंट वाले किसी को तंग करना चाहें तो वह अपने पेड़ के पत्ते तक नहीं काट सकता है, अपने पेड़ को एक टहनो नहीं काट सकता है, अगर इस रूप में यह बिल पास हो जाता है। इसके उद्देश्य में कुछ लिखा गया है, मैं मानता हूँ कि जब तक हाफिज जी हैं उनके रहते हुए जो बात इसमें कही गयी है उसको पूरा करने की कोशिश हो, लेकिन कल को कोई दूसरा उस विभाग में आ जाय वह उस काम को उस तरह से न करे। इसलिये जब कानून बनता है तो उसमें यह नहीं देखा जाता है कि आज उससे क्या बनता है, बल्कि उसका तो मंशा यह होता है कि कल और आगे भी उसका क्या असर पड़ सकता है? उद्देश्य में शायद हम लोगों के बहकावे में रखने के लिये यह कहा गया कि जमींदारी उन्मूलन में जो जमीन इन्वाल्व होती है जो उन्हींने पट्टे वगैरह में दे दिये हैं उन्हीं के जंगलों का मसला है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर यही मंशा थी तो साफ-साफ एक बिल आ जाता कि उन्हीं से सम्बन्ध रखने वालों के लिये वह लागू होगा। मैं यह समझता हूँ कि यह बिल अगर इस तरह से पास होगा तो किस एरिया में किसके ऊपर यह लागू होगा, इसमें गलतफहमी

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

भी हो सकती है। कोई आफिसर किसी एरिया में किसी आदमी से इन्टरस्टेड हो तो उसके जंगलों को कोई रोक-थाम न करें, उसको प्राहिबिट न करे, पेड़ वगैरह काटने से और किसी दूसरे पर ऐसा प्राहिबिशन लगा सकता है कि वह उस पेड़ तक को न काट सके जिसको कि वह अपने काम के लिये काट सकता था। तो जब बिल जायगा सेलेक्ट कमेटी में तो वह उसमें ऐसी चीजों की रोकथाम करने की कोशिश की जायगी, एरियाज सारे ले लो जायगी तमाम जितनी भी हो। और उस एरिया में जितने भी पेड़ हैं वह सब ले लिए जायेंगे, वह न काटे जायं, क्योंकि उससे इरोजन की रोकथाम हो सकेगी जो कि गवनमट की पालिसी रही है कि इरोजन किसी तरह रोका जाय। इसलिये मैं बहुत ज्यादा न कह कर यहाँ कहूँगा कि यह जो जंगल का सवाल है यह सम्बन्ध रखता है कि सिर्फ इन जमींदारों के जंगल से ही नहीं बल्कि यह तो हमारे सारे प्रदेश से भी सम्बन्ध रखता है, जिस तरह स आज हमारे जंगलों के पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उससे भी हमारे इस प्रदेश के अन्दर जो बाढ़ वगैरह आती है वह भी उसके कारण हो सकते हैं, और मुझे उम्मीद है जिस तरह से सरकार की यह मंशा है कि वह इन जमींदारों के पट्टे पर जो जमीन दी गई उसमें जो जंगल वगैरह दे दिये गये हैं उन जंगलों का कटना रोके। उसी तरह से साथ ही साथ हमारे अपने जो जंगल हैं उनके पेड़ों की भी इंडिस्ट्रिमिनेट फॉलिंग न होने देगी। और जहाँ हमारी सरकार की यह मंशा है, सरकार का यह उद्देश्य है कि हम पेड़ों की रक्षा करें और हमारे पेड़ लोग न काटने पायें, नये नये पेड़ लोग लगायें। मैं यह समझता हूँ कि सदन का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो इसमें सरकार के साथ न हो, पर जो मंशा सरकार की है वह साफ-साफ कहनी चाहिये और इन बिल को बहुत छोटा सा बिल न समझा जाय। यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इस बिल में आप पेड़ों को फारेस्ट की परिभाषा जो की गई है 'एनी लैन्ड' यानी वह जमीन, जो किसी के पास हो, जिसमें खेती न हो रही हो या कोई भी दो-चार पेड़ कहीं पर भी खड़े हों, उन पेड़ों के लिये भी सरकार कह सकती है कि आप इस पेड़ को नहीं काट सकते हैं। इसलिये यह सिर्फ जंगल वालों के लिये नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से कानूनों में बहुत से लोगों को बहुत सी जमीने मिली हुई हैं। हमारे पर्वतीय प्रदेशों में नद्याबाद के रूप में लोगों को बहुत सी जमीन मिली हुई है। वह सब भी इसमें आ जाते हैं। हमारी सरकार के पास बहुत से जंगल ऐसे भी पड़े हुए हैं जिनको वह जंगल कहते हैं, लेकिन वह जंगल हैं नहीं। वह बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं। उनमें न एक पेड़ है न और कोई चीज है। लेकिन न तो जंगल विभाग वाले उसमें खुद पेड़ लगाते हैं और न दूसरों को लगाने को देते हैं। जब हम उनसे कहते हैं कि हमें दे दीजिये, हम इसमें पेड़ लगा देंगे तो वह उसके लिये भी तैयार नहीं होते। तो न तो वह खुद पेड़ उसमें लगाते हैं और न दूसरों को लगाने देते हैं, इसलिये माननीय मंत्री जी को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। पेड़ों पर जो रुपया खर्च किया जा रहा है उसका एक सवाल हो सकता है कि आखिर पेड़ लगेंगे कहां से जब तक कि रुपया उसके लिये नहीं दिया जायगा? तो अगर आप समझने हों कि जंगल तो हमारे हैं ही, लाखों पेड़ काट दीजिये, और अरबों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, तो वह तो आपकी सम्पत्ति है ही, जब चाहे आप उसे बरबाद कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसे बरबाद करने जा रहे हैं तो साफ-साफ कहिये। अगर यह बात नहीं है तो सम्पत्ति पैदा कीजिये, कोई पेड़ तो लगाइये। उसके लिये कुछ रुपया भी खर्च किया जाय। इसलिये मैं चाहूँगा कि जिस उद्देश्य से आप इन जमींदारों के जो जंगल वगैरह हैं उनको आप रोकना चाहते हैं काटने से, इसी प्रकार से जो सरकारी विभाग के जंगलात हैं, जहाँ हमारे पेड़ हैं उनको भी जो कटिंग हो रही है उसको भी रोकना चाहिये। इसलिये ज्यादा न कह करके, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने सेलेक्ट कमेटी वाली बात को मान लिया है, मैं चाहता हूँ कि सेलेक्ट कमेटी में अवश्य इसमें तब्दीली हो जाय। यह बिल बहुत खतरनाक है। अगर इसको चेंज न किया गया और कुछ क्लोजेज न हटायी गयीं तो इस प्रदेश के लिये जहाँ यह फायदा पहुंचाने वाला है वहाँ घातक भी होगा। इसलिये कुछ अमेंडमेंट के बाद यह बिल बहुत अच्छा रहेगा और मैं समझता हूँ कि सेलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रोजेजल हमारे माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है, उसे सदन स्वीकार करेगा।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—श्रीमती अधिष्ठात्री महोदया, जो विधेयक सरकार ने रखा है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूँ। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। मैं उस जिले में आया हूँ, जहाँ पर काफी वन हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी काफी वन हैं। वहाँ पर कई तरह के झगड़े बराबर चल रहे हैं। ऐसे बहुत से पट्टे हैं जो जमींदारों ने दे दिये हैं और जंगल विभाग वाले उनको तोड़ने से रोकते हैं। उनमें तमाम तरह के झगड़े चल रहे हैं। ऐसे भी मामले हैं कि क्षेत्र गाँव सभा में आ गया है, उसमें वन विभाग रुकावट डालता है और यह मामला बाबजूद इसके कि इस जमींदारी एवालुएशन कानून को पाम हुये आज साढ़े तीन वर्ष हो गये, यह झगड़े आज तक भी तय नहीं हुये हैं! इसलिये इस कानून के बन जाने की बहुत जरूरत थी। जब कानूनी वकील से मशविरा लेते हैं तो वह कहते हैं कि पट्टे जायज हैं और कानून भी कहता है कि जायज है, लेकिन वन विभाग वाले एतराज करते हैं। तो ये सब इस कानून से झंझट दूर हो जायेंगे, इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूँ और माननीय मन्त्री जी और उपमन्त्री जी दोनों को बधाई देता हूँ।

परन्तु इस विधेयक में मुझे बहुत सारी त्रुटियाँ दिखाई देती हैं। इसके पढ़ने से मालूम होता है कि जो प्रागत है वे भी फारेस्ट में आते हैं। वहाँ यह डेफिनीशन दी है कि लैंड कवर्ड बाई ट्रीज एण्ड श्रुब्स (Land covered by trees and shrubs), जो प्रागत है वे भी ट्रीज में कवर्ड हैं, उसमें कोई इम्प्टियाज या अन्तर पेड़ों में नहीं किया गया है। यह नहीं कहा गया है कि वह पेड़ खुदरो हों उन्हीं को हम वन कहेंगे। इसमें वह भी आते हैं कि जिसमें पेड़ लगाये गये हों, इसलिये बाग भी वन में आ जाते हैं। अब यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी में जा रहा है, उसमें जो सदस्य होंगे, उनमें मैं यह कहूँगा कि इसमें ऐसी बात लावे जिससे बाग वन की परिभाषा में न आ सके। दिम बिल वि नोट इन्क्लूड गार्डेंस (This bill will not include gardens)

इसमें एक चीज और भी मालूम होती है कि कहीं भी मुआविजे की बात नहीं है, जमीन लेने का प्रश्न नहीं है। इसमें तो स्वामी व अधिवासी या पट्टेदार को रोक दिया गया है कि तुम पेड़ नहीं काट सकते, तुम जमीन को काश्त नहीं कर सकते। किसी ने पट्टा ले लिया, जमीन उसके पास है। जब उसको आपने रोक दिया तो ऐसे लोगों के लिए जमीन रखना बेकार हो गया। उस जमीन से भी वह कोई लाभ नहीं उठा सकते। जमीन को प्रयोग में लाने से रोकने पर, आपके कानून बन जाने पर और नोटिफिकेशन हो जाने से उनको बड़ी हानि पहुँचती है। अब हानि पहुँचने पर क्या होगा, यह इसमें कहीं नहीं है यह जरूर दिया हुआ है कि वह एतराज करेगा, उसको आप सुनेंगे और गवर्नमेंट उसको डिसाइड (Decide) करेगी। क्या करेगी? मान लीजिए, जो जमीन उसके पट्टे में थी या किसी तरह से उसके पास आई या उन जगहों पर जहाँ यह जमींदारी कानून लागू नहीं है, जैसे पिछड़े हुये प्रदेश हैं या ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर यह कानून आज लागू नहीं है। वहाँ पर भी जो जमीनें बन्जर पड़ी हैं, जो चारागाह पड़े हैं वे सब इसके अन्दर आ जायेंगे। उस पर जिसका अधिकार है, उसमें हस्तक्षेप होगा क्योंकि आप यह कहेंगे कि अब आप इसे प्रयोग नहीं कर सकते। जब प्रयोग नहीं कर सकते तो उसके पास उस जमीन का रहना बेकार है। इससे उसको बड़ी हानि पहुँचेगी। इसलिये बड़ी जरूरत इस बात की होती है कि गवर्नमेंट प्रतिकर दे। गवर्नमेंट के लिये यह बात शोभा नहीं देती कि वह किसी के हकूक की छीनले और मुआविजा न दे। हाँ, जो जनुइन (genuine) वास्तविक पट्टे नहीं हैं, असली नहीं हैं उनको सरकार ले ले तो कोई एतराज नहीं है मगर जो असली पट्टे हैं, जिन्होंने उस जमीन को लेने के बाद काफी व्यय किया है उस पर उनको मुआविजा देना जरूरी है। इसलिये जब यह सेलेक्ट कमेटी में जाने वाला है तो मैं उस कमेटी के होने वाले सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कानून में जो यह कमी है उसको दूर करें। इसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे जा सकते हैं कि He will be compensated if the case is genuine and if he is adversely affected,

[श्री रतनलाल जैन]

साथ में मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि जो कानून रखा गया है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसमें चारागाह भी रोक दिये गये हैं। कहीं कहीं जो जमीनें खाली पड़ी हैं उन पर रुकावट लगाना तो ठीक है, मगर बहुत सी जगहें ऐसी हैं, जो नहीं रोकनी चाहिये। अगर ऐसी जमीनों को रोक गया तो बड़ी हानि हो जायगी। इसलिये मैं यह अर्ज करूँगा कि जब नोटिफिकेशन निकाला जाय तो काफी एहतियात बरती जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार प्रकट करता हूँ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, जिन सुन्दर और स्वच्छ भावनाओं से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने इस विधेयक को आज इस सदन में प्रस्तुत किया है, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मुझे खेद है कि इस बिल की जरूरत हमको पांच साल पहले थी, और यह महसूस होता है कि इस बिल का मजमून हमारी सरकार के दिमाग में कम से कम चार साल पहले था, और उस वक्त की परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिये शायद हमारी सरकार का यह मंशा था कि हम इस बिल के जरिये उनको कंट्रोल करें। वह समय चला गया। जिन वनों की इस बिल के द्वारा व्यवस्था होनी चाहिये थी वे कट चुके हैं। परन्तु आज भी इसकी जरूरत है हालांकि उस हद तक नहीं, जिस हद तक चार साल पहले थी। परन्तु इसके साथ साथ मैं यह बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है वह इतनी डिफ़िकैटिव है, उसके अन्दर इतनी कमियाँ हैं कि मैं, जिन साहबान ने इस बिल के मजमून को बनाया है, उनकी प्रशंसा नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि इन जंगलों से हमारी देहात की जनता, जो कि इस प्रदेश में ८५ प्रतिशत से भी ऊपर है, का घनिष्ट सम्बन्ध है। इसका घनिष्ट सम्बन्ध इस देहात की जनता से है और रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में जंगल के कानून से संघर्ष लेना पड़ता है। जब कभी वह जंगलों में घास के लिये जाते हैं, लकड़ी के लिये जाते हैं, और दूसरे हक हकूकों का वह इस्तेमाल करते हैं तो जंगलों के कानूनों से उनको रोज़मर्रा टक्कर लेना पड़ता है। इस लिये मैं निहायत अदब के साथ माननीय मन्त्री जी से दरखवास्त करूँगा कि वह इस बिल की स्कीम के ऊपर बड़े गौर के साथ इन लोगों के साथ न्याय करने का प्रयास करें क्योंकि इस बिल के अन्दर जो जनरल स्कीम है वह यूनीलेटरल है, एक तरफा है। इसमें जनरल दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुये जो स्कीम अमेंड की है वह जंगलों के अफसरों ने की है उसमें नान टेक्नीकल और लेमैन की राय नहीं ली गई है और इसके बिना यह बिल ड्राफ्ट किया गया है। जब तक इसमें लेमैन का दृष्टिकोण न हो, तब तक हमारे बिल का मजमून डिफ़िकैटिव होना अवश्यंभावी है।

फ़ारेस्ट डिपार्टमेंट के आफिसर्स जो गुंज़िस्ता जमाने के हैं, जिनकी ट्रेनिंग विदेशी हुकूमत को जमाने में हुई है, जिनका खास काम हुकम को पाबन्दी करना है और अंग्रेजों के जमाने में उनकी ड्यूटी थी जंगलों का देखना और जनता से उनका कोई वास्ता नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। लेकिन मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि चीफ़ कंज़र्वेटर साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके दिमाग में पुराने जमाने का ही कानून भरा हुआ है जिसकी आजाद हिन्दुस्तान में लागू नहीं होना चाहिये, जो कान्स्टीट्यूशन आफ इंडिया के खिलाफ है और वह नल ऐन्ड वीयड संरक्षा जायगा। इसलिये इस बिल का दृष्टिकोण एकतरफा है, वह जंगलों को बढ़ाता है। इंसानों के दृष्टिकोण को देखते हुये जंगलों को रक्षना चाहिये। इसलिये इस बिल में जनता का दृष्टिकोण नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यह किस तरह से जनता का हित और जनता को आगे बढ़ाने में इमदाद कर सकता है।

मैं इस बिल की जनरल स्कीम को डिफ़िकैटिव क्यों बतलाता हूँ, आप इस बिल को देखिये और गौर से पढ़िये। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, यह पास हो गया और कानून लागू हो गया, तो हमारी जनता का सरकार के फायदे के मुकाबिले में ज्यादा नुकसान होगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इसमें जो धारियाँ रखी गयी हैं वह जनता का दृष्टिकोण देखे बिना एक तरफा रखी गयी हैं। इसके पास हो जाने से देहात की जनता कुचली जायगी क्योंकि

इसका जो मजमून है, सरकारी आफिसर छोटी-छोटी बातों पर नोटिस इञ्चू कर सकते हैं। और घूसखोरी होगी और हमारी जनता लूटी जायगी, खमोटी जायगी। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ कहता हूँ कि खास कर वह दफायें और बिल का वह मजमून, हमारी जनता की राय को धमकी देता है।

यह दफ्तर इतनी खतरनाक है कि जिन लोगों का जनता से संपर्क है जंगलों के पास की, वह जानते हैं कि किस तरह छोटे-छोटे अफसर एक नक्ता लगा कर लोगों के नाम एक फरमान भेज कर सारे गांव का शोषण करते हैं। हमारी सरकार को, सरकार के अधिकारियों को और मंत्री महोदय को यह बखूबी मालूम है कि हमारे यहां के गांवों का सब से बड़ा अफसर वहां का फारेस्ट गार्ड होता है, जिसको पतरौल भी कहा जाता था किसी जमाने में, जो वहां की लकड़ी आदि दूसरी चीजों की देखभाल करता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप जंगल के पास की बस्तियों को ठीक रखना चाहते हैं तो आपको इस प्रस्ताव पर विचार करना होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप उन बस्तियों को उजाड़ना चाहते हैं तब तो मुझे कोई उज्रदारी नहीं लेकिन जिस तरह का रवैया हमारी सरकार का गरीब जनता के साथ रहा है वह ठीक नहीं है और उसका मैं ज्वलंत उदाहरण यहां सदन में पेश करना चाहता हूँ। आपने जिन मस्जिदों से काम लिया है जनता के साथ जंगलों के विकास के नाम पर उसी के सिलसिले में यह एक घटना है। हमारे गढ़वाल में कुछ लोग थे, जिनकी खुद काश्त थी, उनके अपने वगीचे थे, लेकिन आपने वहां जंगल के मुनारे लगवा कर उनकी रेवेन्यू की रकम खारिज करवा दी और यह कह दिया कि अब यह जमीन जंगलात विभाग की हो गई है। मैं दरखास्त कहेगा कि अगर यह जंगलों का विकास इंसानों के लिये हो रहा है तो हमें सचमुच में देखना होगा कि कहीं ऐसा करने में हम गरीब जनता को कुचल तो नहीं दे रहे हैं? हमें देखना होगा कि हम उनकी जमीनें जबर-दस्ती न ले लें। ऐसा न हो कि हम उनकी जमीनें लेने के लिये उन पर मुकद्दमा चलायें, कुर्की करायें और क्रिमिनल केसेज चलवा कर उन्हें परेशान करें। आज यही सब होता है। आपने झोपड़ियों का नीलाम और कुर्की करवा दी है। क्या यह सरकार को शोभा देता है। मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार को सोच समझ कर कदम उठाना चाहिये और इस तरह से नहीं कि तीन तीन पुश्तों की आबादी के एक गांव को एक कानून के जरिये, एक कलम की नोक से उड़ा दें और उनको उनके घरों से निकलवा दें, उनको प्रायर्टी नीलाम करवा दें, कुर्की करा दें। यह करना कहां तक जायज है? मैंने कई बार माननीय पंत जी से पार्टी मीटिंग में और इस सदन में भी बड़े अदब से दरखास्त की लेकिन उसके लिये मुझे जवाब यह मिलता है कि सरकार के पास दरखास्त दीजिये। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हमारे अफसरों को सरकार से तनखाह मिलती है और जो जंगलों की सम्हाल के लिये रखे गये हैं, उनको जनता के पैसे से तनखाह दी जाती है, मंत्री महोदय को भी उसी पैसे से तनखाह मिलती है और वह इसलिये कि वह हमारे मसलों को हल करें, हल करने में वह अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या फिर भी यह जरूरी है कि हम दरखास्त दें? मैं चाहता हूँ कि सरकार के पास जितनी भी फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं और जिनमें ज्यादाियां हो रही हैं, उनको एक दम खत्म कर दिया जाना चाहिये। मैं बताना चाहता हूँ कि पुराना जो फारेस्ट ऐक्ट है वह जनता के लिये एक बाधा है। सरकार कहती है कि फारेस्ट से १०० गज की दूरी के अंदर बिना फारेस्ट डिपार्टमेंट की अनुमति से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। जो गांव पहले से ही इस दूरी के अंदर हैं या औरों को भी आप अब जंगलों में शामिल कर सकते हैं। हम जंगलों के विकास में रोड़ा नहीं अटकाना चाहते परन्तु यह हमारा अवश्य फ़र्ज है कि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते कि हम पहले यह देखें कि जिनकी जमीन हम जंगल में मिला रहे हैं उनको आबाद होने के लिये काफी जमीनें मिल जायं, उनको रुपया दें ऊंचे पैमाने पर ताकि वह अपने मकान बना सकें, नयी बस्तियां बना सकें।

नई बस्ती बना सकते हैं और मकान भी वह अपने वहां पर बना सकते हैं, तो आप अवश्य उन जमीनों को लीजिये। लेकिन गुलाम भारत के कानून को लागू करके अगर आप उनकी जमीन को लेना चाहते हैं, तो उनके साथ ज्यादाती करते हैं और आप बड़ा अन्याय करते हैं। कानून के नाम पर आप उनकी जान निकालना चाहते हैं। यह कहां का न्याय है। मैं निहायत

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

अदब के साथ यह कहना चाहता हूँ कि आज के दिन के बाद कम से कम चार महीने के अन्दर उन लोगों के दुख और दर्द दूर किया जाना चाहिये। अधिष्ठात्री महोदया, मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं अभी अपनी कांस्टीट्यूएन्सी के दौरे पर गया था। वहाँ पर एक खानदान के सारे लोगो ने चार मील दूर से आकर मुझको चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन सरकार ने ले ली है और हमारा मकान भी ले लिया है। हमारे बँल नीलाम कर दिये गये हैं। मकान से हमको बाहर निकाला जा रहा है और तीन बार उन पर अदालत से जुरमाना भी हो चुका है। वहाँ पर वह तीन पुस्त से आबाद थे, लेकिन उस जमीन से उनको निकाला जा रहा है। इसलिये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बिल की स्कीम के अन्दर जो सरकार लोगो की जमीन लेने का प्राविजन रख रही है वह हमारी जनता के लिये कष्टमय साबित होगा। उसको बिना गौर किये हुये पास कर देना मैं समझता हूँ कि आप अपने उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य को भूल जाना है और न्याय की निगाह से इसको नजरगदाज कर देना है। अगर हमें इस कानून को पास करना है, तो मैं यह दरखास्त करना चाहता हूँ कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में अवश्य भेजा जाना चाहिये। सेलेक्ट कमेटी में बातचीत होकर इसकी दफाओ में संशोधन हो सकता है। यही नहीं बल्कि उस कमेटी को यह भी अख्तियार होना चाहिये कि जिस धारा के बढ़ाने की और खरत हो, जोकि जनता के हित के लिये और उसकी रक्षा के लिये अत्यन्त आवश्यक है उन धाराओ को रखने का उनको पूरा पूरा अधिकार होना चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी दरखास्त करना चाहता हूँ कि हमारे वन विभाग की ओर से जितना प्रयास हो रहा है जंगल को बढ़ाने का, उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देना हूँ। परन्तु इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि जिन जमीनो को लेने के लिये प्राइवेट फारेस्ट की जमीन और वह जमीन जो कि दूसरों को पट्टे पर बे दी गयी है और जो जमीन सरकार ने अपने सरक्षण में ले ली है, उसके लिये बहुत गौर के साथ इन्तजाम करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत जगह पर जिलों में यह देखा गया है कि जो सदियों से लोग जिन हक हकूक को इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, और जंगलात से जो उनको सुविधा मिलती चली आती है, उनमें आज कटौती की जा रही है। मंत्री महोदय से हमारा इस विषय में परामर्श हुआ है और हमारी सरकार की ओर से आर्डर भी हो गया कि इन लोगों के हकहकूक जैसे थे तैसे रहेंगे, परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी देहरादून जिले में, बिजनौर जिले में लोगों को उन हकहकूक से महकूम किया जा रहा है। सरकार की ओर से आर्डर है और आदवासन है, परन्तु उन आर्डर को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। मैं नहीं समझ पाता कि इसका क्या कारण है? इस बात को कई बार सरकार की नजरों में लाया गया है। मकानों के लिये जो हकहकूक की लकड़ी जो उनको मिला करती थी, और मरम्मत के लिये जो उनको लकड़ी मिलती थी आज उसमें कटौती क्यों की जाती है, और उनके कोठे को कम किया जाता है? उनके कोठे को बढ़ाना चाहिये। क्योंकि पहल ४ आदमी उस मकान में रहते थे अब १२ आदमी उस मकान में रहते हैं तो उनका कोठा बढ़ाना चाहिये। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि उन लोगों के लिये आप ध्यान देने की कृपा करें, जिससे उनके हकहकूक में कोई कठिनाई न हो। जब उनके हकहकूक के इस्तेमाल करने का समय आता है, तो उनके साथ कोई ज्यादती न हो। सरकार की ओर से कोई भी ऐसा कदम नहीं होता है और ऐसी कोई भी रक्कावट सरकारी अफसरों पर नहीं होती कि लोग आसानी से अपने हकूक का इस्तेमाल कर सकें। इन्ही बातों को मद्दे-नजर रखते हुए मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ और मैं सुझाव देता हूँ कि यह बिल प्रवर समिति के सामने भेज दिया जाय और उसको यह भी अधिकार रहे कि वह नयी धाराओं को बना सके और उनको इनकारपोरेट कर सके।

राजा वीरेन्द्रशाह—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय १५ मिनट बढ़ा दिया जाय।

अधिष्ठात्री—सदन को इसमें कोई एतराज तो नहीं है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कोई एतराज नहीं है।

अधिष्ठात्री—सदन का समय १५ मिनट बढ़ाया जाता है।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—अधिष्ठात्री महोदया, आज भवन के ममक्ष वन मंत्री द्वारा, जो यह बिल प्रस्तुत किया गया है उसका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। वह इसलिये और भी बढ़ाई के पात्र है कि वह मंत्री होने के साथ ही साथ वे विद्युत् मंत्री भी हैं, क्योंकि वन और बिजली का मेल है। यह ठीक है कि जो यह प्रस्तुत विधेयक है इसको कुछ समय पूर्व ही आ जाना चाहिये था। इसके आने का सही समय वह था जब कि जमींदारी अबालीशन ऐक्ट पास किया गया था, वह वक्त बहुत ही उपयुक्त था। जमींदारी अबालीशन के साथ ही साथ एम्प्ले केसेज का भी निरीक्षण हो जाता। अगर एम्प्ले आंकड़ें मक्कार इकट्ठा कर लेती कि कितने पट्टे बनों के दिये गये हैं, उनके पास अगर ऐसी रिपोर्ट होती तो उनकी लिस्ट में यह जोड़ दी जाती है। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं तो एक दूसरा चित्र भी हमारे सामने आना। यह सही है कि बहुत से जमींदारों ने अपनी जमीनों से रूपा कमाने के लिये उमको बेच दिया लेकिन जनता में ऐसे भी आदमी हैं और हो सकते कि जिनके पास कोई और जमीन अथवा साधन नहीं है। जो जमीन ऐसे पट्टों पर दी गयी थीं या ऐसे लोगों को दी गयी थीं, जिनके पास और कोई दूसरा जरिया रोजी कमाने का नहीं है तो अगर ऐसे लोगों को जमीन न दी जाती तो "अधिक अन्न उपजाओ" योजना में उसका सही उपयोग न हो पाता और उन गरीबों की भी मदद न होती। अगर सरकार के पास ऐसे आंकड़ें होते, तो जिन भाइयों ने जनता के कष्टों का चित्रण किया उनको कृष्ण का मौका न मिलता। दूसरी तरफ अगर हम देखने हैं, तो हमारे सामने जनता के कष्टों का दूसरा ही चित्रण आ जाता है। जिन दिन कि जमींदारी अबालीशन का ऐक्ट पास हो गया था तो बहुत से जमींदारों ने अपनी जमीन से पेड़ों को कटवा लिया।

(इस समय ४ बज कर ४५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री मलखानामह पीठानीन हुए।)

और उस में भी ईंधन जो कि हमारे दैनिक व्यवहार में सब से ज्यादा काम में आता है, उसमें कमी दिखाई देने लगी है। आज देहाती क्षेत्र में अगर आप जायें तो उनके भोजन बनाने के लिए पानी के साथ-साथ ईंधन भी बहुत आवश्यक हो जाता है, अगर उन को वह नहीं मिलेगा तो वह लोग भोजन किस प्रकार बना सकते हैं, और वहाँ के लोग किस प्रकार उस पर अवलम्बित हैं यह कहने की अधिक आवश्यकता नहीं है। सौभाग्य से हमारे वन मंत्री जी विद्युत् मंत्री भी हैं। यदि वह इस वन की समस्या के साथ इस बात पर भी गौर करते कि देहाती क्षेत्र में वह बिजली का और अधिक दान देकर वहाँ की ईंधन की समस्या को सुलझाते तो क्या ही अच्छा होता! आज शहरों में जिस प्रकार बिजली का वितरण होता है और उससे जो जगह जगह पर क्षमाम कारखाने चमकने लगे हैं लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी तक देहाती में बिजली की एक लालटेन भी नहीं दिखाई देती! इस पर विचार करने से पहले हमारे सामने यह विचार आ जाता है कि हम देहाती क्षेत्रों में ईंधन की समस्या को सुलझाने के

यह

चाहिए था। और अधिक मैं क्या कहूँ, और बहुत से भाइयों ने सुझाव दिया है कि इसको प्रवर-समिति में भेजा जाय लेकिन मेरी समझ से तो यह एक छोटा सा बिल है और मैं इसको प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं समझती। अच्छा हो कि यहीं पर इस पर सदस्यों द्वारा अच्छी तरह से विचार हो कर थोड़े से समय में ही यह पास हो जाय तो कोई हानि न होगी। इन सुझावों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ।

* राजा वीरेन्द्रशाह—सभापति जी, जो बिल भवन के सामने पेश है उसके जहाँ तक उद्देश्यों का सम्बन्ध है उनके बारे में मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि मुझे इनके सम्बन्ध में थोड़ा सा भ्रम है। उसमें कहा गया है कि यह बिल इस वजह से लाया पडा है कि जमींदारों ने प्राइवेट फॉरेस्ट में ऐसे पट्टे दे दिए हैं, जिनके कारण से सरकार को फॉरेस्ट बढ़ाने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

में दिक्कत हो रही है, और इस तरह का बिल जैसा कि दूसरे सित्रों ने कहा कि अगर आना था तो ५ साल पहले आना चाहिए था। यह बात समझ में नहीं आती कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में लिखा हुआ है कि जो पट्टे ३ साल के अन्दर ताजायज तरीके से दिए गए हैं वह सब रद्द कर दिए जायेंगे। तो फिर कौन सी गुंजायश है और कौन से पट्टे रद्द जाते हैं, जिनकी वजह से फारेस्ट को बढ़ाने में दिक्कत होती है? जरा देर को मान भी लें कि ऐसे कुछ पट्टे कहीं हों भी तो उनके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि सारे सूबे में ऐसी बात पाई जाती है कि उद्देश में लिखा जाय कि प्रान्त भर के जमींदारों ने ऐसे पट्टे दिए हैं। एक जगह किसी एरिया में ऐसा हो गया हो तो हो गया हो, हमारे यहां न तो इतने बड़े जंगल हैं और न उधर लोगों ने कोई इतने बड़े पट्टे ही किए हैं और न ऐसे पट्टों से किसी की हानि ही हुई है। मुझे केवल इतना ही कहना है कि इसमें जो सन्देह बताया गया है कि सरकार जो बन बढ़ाकर लगा रही है उसमें भय और दिक्कत बतायी है, तो उसको दूर करने के लिए माननीय गेंदासिंह ने जो प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय और सरकार भी इस बात को मान रही है, तो मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ कि सरकार ने हम लोगों की बात सुन ली कि जब फिर यह बिल आयेगा उस वक्त हम विचार रखेंगे तो यह समस्या हल हो गयी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर एक क्षेत्र की चीज है तो सारे प्रान्त पर इल्जाम न लगाये जैसे कि शिवनारायण जी ने जमींदारी उन्मूलन का झगडा उठाया और सारे प्रान्त की बात कही। तो इस किस्म की बात अगर कहीं एक जगह की हो तो सारे प्रान्त के लिये उसको कहना उचित नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के प्रवरसमिति में भेजे जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी —सभापति महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में बहुत सी उन बातों की चर्चा की गई है जो इसके अन्दर नहीं हैं। इसमें एक सीधी सी बात थी कि किस प्रकार इन जंगलों का इल्जाम किया जाय। उसमें गलत सही पट्टा देने की बात नहीं है, जैसा राजा साहब ने कहा। इसमें केवल यह बात है कि जंगल वालों ने जो पट्टे दिये थे, उनके अनुसार जंगलों के कटने से आम तौर पर सारे प्रान्त की खेती पर बुरा असर पड़ता है इसलिये उसको रोका जाय। तथ्य की बात इतनी है। मेरे एक दोस्त अभी व्याख्यान में कह रहे थे “वह आपके यहां के ही थे”। तो वे मेरे यहां के हों या कहीं के भी हों, इससे तात्पर्य नहीं है। वह कह रहे थे कि गवर्नमेंट यह बिल अपनी आमदनी बढ़ाने की नियत से पास करा रही है। आमदनी बढ़ाने का प्रश्न इसमें नहीं है और न यह कि किसकी सम्पत्ति है। जिसकी भी हो सरकार उसकी सम्पत्ति नहीं ले रही है बल्कि उसका केवल इन्तजाम कर रही है, जिससे वह अपने जंगलों का इस्तेमाल वैज्ञानिक ढंग से कर सके। राजासाहब ने कहा कि एक आध पट्टा कहीं हुआ होगा लेकिन यह तो सारे प्रान्त का सवाल उठाया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ कि ३२९२ स्ववायर माइल के पट्टे दिये गये हैं और सारे स्टेट भर में यह क्षेत्र वितरित है। यह एक जगह की बात नहीं है बल्कि सारे प्रान्त की है। जहां तक माननीय गेंदासिंह जी का सवाल है, उन्होंने बड़ी सुन्दर बात कही कि इसको रोकना चाहिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया) —सदन में कोरम नहीं है श्रीमन्।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगमोहनसिंह नेगी —तो मैं यह कह रहा था कि गेंदासिंह जी ने बड़े सुन्दर सुझाव दिये हैं और बड़ी सुन्दर बातें कही हैं। और जहां तक बागों के कटने की बात है हम भी समझते हैं कि बाग कट रहे हैं। पहले नियंत्रण रखा गया लेकिन लोगों ने आपत्ति की। बहुत से माननीय सदस्यों ने आपत्ति की कि एक पेड़ काटने के लिये भी सरकार से इजाजत हासिल की जम्मे, इससे जनता को बड़ा कष्ट है। तो माननीय सदस्यों की राय से यह किया गया कि दो एकड़ से ऊपर में स्थित बागों के कटाने की इजाजत तो कलेक्टर वे, और उससे नीचे गांव सभा के सभापति दें। तो सरकार की ओर से जब कोई कानून माननीय सदस्यों की राय से हुआ।

जब इस अधिकार को विकेंद्रित किया तब भी आपकी राय ली गई। कल आप ही कहते थे कि हम सेंट्रलाइज करने की बात करते हैं लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन होने पर यहां उसका दुरुपयोग होता है तो इसका हमें बड़ा सख्त अफ़सोस है। मैं समझता हूँ कि और आपकी भी यह राय होगी कि पुनः इसको केन्द्रित किया जाय। अगर इस अधिकार को वापस लिया जाय तो सरकार को कोई आपत्ति न होगी। इस वक़्त बहुत पेड़ कट रहे हैं इसका हमें दुःख है और इस विषय में जो भी संभव सुझाव आप लोग देंगे, उनको सरकार अवश्य मानेगी।

जयेंद्रसिंह जी ने कहा कि सारे देश पर यह एक्सटेंड होगा। मैंने आपको बतलाया कि इसके अन्दर एक चीज़ पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया। गवर्नमेंट इन जंगलों को नोटिफाई करेगी और जो नोटिफिकेशन के अन्दर आ जायेंगे वे उस वक़्त तक माने जायेंगे और बाद को ६ महीने के बाद फिर एक एक पर इंडिविजुअल नोटिस होगा और गवर्नमेंट उसको पूर्णरूपेण कंसीडर करेगी। और उसके बाद जहां पर मुनामिब होगा वहां पर उसको अमल में लाया जायगा। जो यह बात कही गई कि आज तो हाफिज साहब हैं और कल को दूसरा आदमी आ बैठे, जो ठीक तरह से इनका प्रबन्ध न करे, तो इसके लिए तो कानून को इस रूप में बनना चाहिये कि उसका कभी कुप्रभाव न पड़े, जैसा कि प्राइवेट फ़ारेस्ट ऐक्ट के अन्दर हुआ। उसके अन्दर गर्डलिंग शब्द नहीं था। पेड़ को छील दिया जाता था और इस प्रकार सुखा कर मार दिया जाता था। सारे कानून में वह विशेष शब्द नहीं मिला, जिसके कारण वह ऐक्ट भी डिफ़ेक्टिव रह गया। तो आपको यह दृष्टिकोण भी ठीक है। अगर कोई ऐसा लूपहोल रह जाय, जिससे रक्षा करने में दिक्कत हो तो उसे बन्द कर देना चाहिये। या ऐसा लूपहोल हो, जिससे लोगों को बेकार परेशानी हो, तो उसको भी बन्द कर दिया जाय। सरकार को कोई वाजिब बात को मानने में इन्कार नहीं हो सकता। लेकिन यह भी ध्यान में रखना है कि ऐसी बात न करे जिससे यह ला बन कर इनएफ़ेक्टिव रह जाय। मेरा कहना है कि सरकार की जो पार्लिमेंट है वह नीचे तक अमल में कितनी आती है, उसके लिये हमें देखना है कि जहां तक हो सके वह पूर्ण रूप से आती है या नहीं? मेरा जहां तक अपना अनुमान है हमने इस बात की चेष्टा की है कि कहीं पर किसी को तकलीफ न हो और इंडिविजुअली हर एक केस को हम देखते हैं और समझते भी हैं। चाहे वे यहां के हों, या बाहर के हों, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो सुविधायें जनता को जर्मीदारी विनाश के पूर्व प्राप्त थीं वे हमने पूर्ववत् कायम रखी हैं और हमने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो और स्थान स्थान पर जाकर जहां भी ऐसी शिकायतें मिली हैं उनको हमने दूर करने की कोशिश की है। मैं मानता हूँ कि इतना प्रयत्न करने पर भी अगर कहीं ऐसा कष्ट होता होगा तो उसको निवारण करने की चेष्टा की जायगी। जहां पर पुराने तरीके पर कोई ऐसी नीति बरती जाती हो तो कोई ऐसी बात नहीं है। कानून मानव समाज को भलाई के लिये है। हम यह नहीं चाहते कि कानून के शिकार आदमी बन जायं। इसलिये आपके दिल में जो सन्देह उत्पन्न हो रहे हैं उनकी इज्जत हम स्वयं करते हैं। मगर हमें इसमें यह देखने की जरूरत है कि अगर हम इस तरीके पर कानून को रक्खें, जिससे उसका कोई अर्थ न निकले, तो वही पुरानी बात आ जाती है और फिर उसी तरह से वह बेकार सा हो जाता है। मैं इन शब्दों के साथ अब यह संशोधन प्रस्तुत करता हूँ कि इंडियन फ़ारेस्ट विधेयक, १९५५ विचार करने के लिए एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर देने का जो आश्वासन दिया है वह अपनी रिपोर्ट १८ दिसम्बर, १९५५ को १२ बजे दिन तक दे दे, ताकि १९ दिसम्बर, १९५५ को पारित हो सके।

अधिष्ठाता—नाम का प्रोपोज़ल दे दीजिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—नाम मैंने भेज दिये हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मुझे इस पर एक निवेदन करना है। वह यह कि यह बिल जब छप जायगा तो यहां मेज़ पर रख दिया जायगा। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अगर कोई कानूनी दिक्कत न हो तो अगर अर्जेंडा के साथ सुबह बिल भेजवा दिया जाय तो हमें आसानी होगी।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्नाहीम—वह तो एक मोशन दे रहे हैं, अमेडमेट के तौर पर वह खत्म हो जाता। उसके बाद यह बात कह देते। इसके बीच में आने की जरूरत नहीं थी।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि इंडियन फ़ारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५ विचार करने के लिए एक प्रवर समिति को सुगुद कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट १८ दिसम्बर, १९५५ को १२ बजे दिन तक दे दे ताकि विधेयक १९ दिसम्बर, १९५५ तक पारित हो सके।

समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

- १—श्री जगमोहनसिंह नेगी—सभापति
- २—श्री गंगाधर मठाणी
- ३—श्री जयेन्द्रसिंह बिष्ट
- ४—श्री शिवकुमार शर्मा
- ५—श्री भगवानसहाय
- ६—श्री शिवनारायण
- ७—श्री प तेहसिंह राणा
- ८—श्री ब्रजभूषण मिश्र
- ९—श्री लक्ष्मणराव कदम
- १०—राजा वीरेन्द्रशाह
- ११—श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट
- १२—श्री जगपतिसिंह
- १३—श्री महमूद अली खां (रामपुर)
- १४—श्री जगन्नाथ प्रसाद (लखीमपुर—खीरी)
- १५—श्री मदनमोहन उपाध्याय
- १६—श्री हेतराम
- १७—श्री हरिसिंह
- १८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ
- १९—श्री रामेश्वरलाल
- २०—श्रीमती चन्द्रवती।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल—अब श्रीमन्, मैं एक निवेदन कर दूँ।

अधिष्ठाता—श्री जगमोहनसिंह नेगी इस समिति के सभापति नियुक्त हुए।

श्री जगन्नाथ मल्ल—हमारे वित्त मंत्री जी को कुछ आपत्ति हुई। मैं उतना पार्लियामेन्टेरियन नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं जान पाया। खैर, मैंने सीख लिया। वह यह है कि यह जो आयेगा छप कर सोमवार को, यह मेज पर रखा जायगा। वह क्वेश्चन आवर के बाद तुरन्त पेश हो जायगा। हमें सैमझने और संशोधन देने का इस प्रकार मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अगरचे अर्जेंट के साथ सुबह घुमवा दिया जाय तो हमें मौका मिल जायगा।

अधिष्ठाता—इसकी कोशिश की जायगी कि वह छप कर आ जाय।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४ मिनट पर सोमवार १९ दिसम्बर, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
१६ दिसम्बर, १९५५।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—२२ (एल० ए०)—१६५६—७६६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमिका

खण्ड १६२

अ

अखबार—

प्र० वि०—सरकारी इशतहार छापने वाले
—तथा रिसाले । खं० १६२,
पृ० १०६।

अग्नि-पीड़ितों—

प्र० वि०—ग्राम कटरा दीवान खेरा,
जिला उन्नाव में—को सहायता ।
खं० १६२, पृ० ६-१०।

अधिकारियों—

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के
—और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों,
और सभा सचिवों (के वेतन तथा
भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का
विधेयक, १६५५। खं० १६२,
पृ० २५।

अधिवासियों की संख्या—

प्र० वि०—देवरिया जिले में—।
खं० १६२, पृ० १२-१३।

अधिष्ठाता—

इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन)
विधेयक, १६५५। खं० १६२, पृ०
३०६, ३१२, ३१३, ३१५, ३१६।

अध्यक्ष, श्री—

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का उत्तर
न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत ।
खं० १६२, पृ० २६८।

असरकारी दिवस में सरकारी कार्य करने
के विरोध स्वरूप श्री राजनारायण
द्वारा सभा त्याग । खं० १६२,
पृ० २६६-२७०।

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन

विधेयक, १६५५। खं० १६२,
पृ० ३०, ६०, ६६, ६७, ११२, ११३,
११४-११५, ११६, १२०-१२१,
१४५, १४६, १४७, १४८,
१५१, १५२, १५४-१५५, १६२,
१६३, १६४, १६५, १६६, १६७,
२००, २०१, २०३, २२७, २२८,
२२९, २३०, २३१, २३२, २३३,
२३४, २३५, २३६, २३७, २३८,
२७२-२८५, २८७, २८८, २९०।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन)

विधेयक, १६५४। खं० १६२,
पृ० २१, २२, २३, २४, २५।

कानपुर जिले में ग्राम पंचायतों के निर्वा-
चन में कथित अनियमितताओं विषयक
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ।
खं० १६२, पृ० १८६-१९०।

कामरोको प्रस्ताव का स्थगन । खं०
१६२, पृ० २६७।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की अधिकता को
रोकने की दृष्टि से अल्पसूचित प्रश्नों
के सम्बन्ध में अधिक सुविधायें
देने का सुझाव । खं० १६२,
पृ० १९०, १९१, १९२।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों के लिये सप्ताह में
एक दिन नियत करने का सुझाव ।
खं० १६२, पृ० ११२।

१४, दिसम्बर १६५५ को सूर्यग्रहण की
छुट्टी के लिये प्रार्थना । खं० १६२,
पृ० ११२।

नीलामी के बाद पडरौना चीनी मिल की
बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन
प्रस्ताव की सूचना । खं० १६२,
पृ० १८८-१८९।

[अध्यक्ष, श्री]

प्रश्नों का गलत उत्तर देने पर आपत्ति ।

खं० १६२, पृ० २६८।

बांदा जिले के बबेरू थाने में हुई ज्यादाती के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १६२, पृ० १११।

श्री राजनारायण द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना । खं० १६२, पृ० २६८-२६९।

सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूछताछ । खं० १६२, पृ० २१।

अध्यापक—

प्र० वि०—बलदेव प्रसाद, ——— से सम्बन्धित कागजों का जिलाधीश, हरदोई के आफिस से गायब होना । खं० १६२, पृ० २६४।

अध्यापकों—

प्र० वि०—जे० टी० सी०, सी० टी० व बी० टी० सी०—का वेतन-क्रम । खं० १६२, पृ० २६४-२६५।

अनियमितताओं—

कानपुर जिले में ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में कथित—विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १६२, पृ० १८९-१९०।

अनुदान—

प्र० वि०—जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रानीपुर, आजमगढ़ को प्लानिंग योजना के अन्तर्गत— । खं० १६२, पृ० २५७-२५८।

प्र० वि०—मुरादाबाद जिला बोर्ड को सड़कों के लिए— । खं० १६२, पृ० १११।

अनुदान के दुरुपयोग—

प्र० वि०—कोंच नगर पालिका को प्रदत्त —के सम्बन्ध में शिकायत । खं० १६२, पृ० १०८-१०९।

अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति—

प्र० वि०—सूचना विभाग की नई नियुक्तियों में—के व्यक्ति । खं० १६२, पृ० १०४-१०५।

अपर डिबीजन परीक्षा—

प्र० वि०—सेक्रेटेरियट की—में सफल व्यक्तियों की नियुक्ति में विलम्ब । खं० १६२, पृ० १७५।

अपराधशील जातियों—

प्र० वि०—गोंडा जिले में—को बसाने के लिये “गांधी ग्राम” तथा “जगन्नाथपुर” बस्तियां । खं० १६२, पृ० २६७।

अब्दुल मुईज खां, श्री—

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ । खं० १६२, पृ० १४३, १४५, १९६, १९७-१९८।

अमीन—

प्र० वि०—बरेली जिले के—का सरकारी रूपया लेकर पाकिस्तान भाग जाना । खं० १६२, पृ० ७।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों—

—का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत । खं० १६२, पृ० २६७-२६८।

अल्पसूचित प्रश्नों—

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की अधिकता को रोकने की दृष्टि से—के संबंध में अधिक सुविधायें देने का सुझाव । खं० १६२, पृ० १९०-१९२।

असरकारी दिवस—

—में सरकारी कार्य करने के विरोध स्वरूप श्री राजनारायण द्वारा सभा-त्याग । खं० १६२, पृ० २६९-२७०।

आ

आक्रमण—

प्र० वि०—राजकीय इन्टर कालेज, मिर्जापुर पर विद्यार्थियों द्वारा — । खं० १६२, पृ० २६३-२६४।

आज्ञा पत्र—

प्र० वि०—जिला जजों की नई अदालतों के सम्बन्ध में—। खं० १६२, पृ० ६४।

आदेश—

प्र० वि०—कानपुर रोजन में प्राइवेट मोटर बस चलाने वालों को मार्ग के प्रत्येक थाने में रिपोर्ट लिखाने का—। खं० १६२, पृ० १६।

प्र० वि०—खसरा और खतौनी की नकल लेने के लिए—। खं० १६२, पृ० ५-६।

प्र० वि०—सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में इन्वेंटरी बनाने के—। खं० १६२, पृ० १७६-१८०।

आपत्ति—

प्र० वि०—देवरिया जेल से कैदी को विलम्ब से छोड़ने पर—। खं० १६२, पृ० १८५-१८६।

प्रश्नों का गलत उत्तर देने पर—। खं० १६२, पृ० २६८।

आफिस—

प्र० वि०—बलदेव प्रसाद, अध्यापक से संबंधित कागजों का जिलाधीश, हरदोई के—से गायब होना। खं० १६२, पृ० २६४।

आयोजन—

प्र० वि०—अयोध्या में सरयू पर पुल निर्माण का—। खं० १६२, पृ० १०३-१०४।

आवेदन-पत्र—

प्र० वि०—परगनाधीश, घोसी, जिला आजमगढ़ को सीरदार एवं अधिवासी किसानों के—। खं० १६२, पृ० १४-१५।

आइवासन—

प्र० वि०—बस्ती जिले के कुछ थानों के क्षेत्रों में परिवर्तन करने का—। खं० १६२, पृ० १८६-१८७।

इ

इंडियन कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस कम्पनी लि०
प्र० वि०—मोदीनगर में कथित—को ऋण। खं० १६२, पृ० २०।

इंडियन फारेस्ट—

—, (यू० पी० संशोधन) विधेयक— १६५५। खं० १६२, पृ० २६१-३१६।

इंडियन मेडिसिन—

उत्तर प्रदेश—(संशोधन) विधेयक, १६५५। खं० १६२, पृ० २५-६७, ११२-१५५, १६२-२३८, २७०-२६१।

इन्टरमीडियेट क्लासेज—

प्र० वि०—के मिलिटरी साइन्स लेक्चरर के कम वेतन की शिकायत। खं० १६२, पृ० २६२-२६३।

इन्वेंटरी—

प्र० वि०—सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में—बनाने के आदेश। खं० १६२, पृ० १७६-१८०।

इमर्जेंसी पावर्स—

प्र० वि०—स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के—के नियम। खं० १६२, पृ० २६२।

उ

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—

प्र० वि०—जनता —, रानीपुर आजमगढ़ को प्लानिंग योजना के अन्तर्गत अनुदान। खं० १६२, पृ० २५७-२५८।

उत्तर—

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का—न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत। खं० १६२, पृ० २६७-२६८।
प्रश्नों का गलत—देने पर आपत्ति। खं० १६२, पृ० २६८।

उत्पात—

प्र० वि०—टनकपुर क्षेत्र, जिलानैनीताल, में हाथियों द्वारा—। खं० १६२, पृ० १८३।

उपाध्यक्ष, श्री—

इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन)
विधेयक, १९५५। खं० १६२,
पृ० ३०५।

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन)
विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ०
४८, ५०, ५५, १३०, १३५, १३६,
१३७, १३८, १४१-१४३, २०६,
२१०, २११, २१२, २१३, २१५,
२१७, २१८, २१९, २२०, २२३,
२९१।

उमाशंकर, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

उमाशंकर मिश्र, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

ऊ

ऊँचा करने का कार्य—

प्र० वि०—बलिया जिले में गांवों की
भूमि का स्तर—। खं० १६२,
पृ० ६६-१००।

ऋ

ऋण—

प्र० वि०—मोदीनगर, कन्स्ट्रक्शन्स
लिमिटेड को—। खं० १६२,
पृ० १६-२०।

प्र० वि०—मोदीनगर में कथित इंडियन
कोल्ड स्टोरेज ऐण्ड आइस कम्पनी
लिमिटेड को—। खं० १६२,
पृ० २०।

क

कल्ल—

प्र० वि०—गत तीन वर्षों में मुजफ्फर-
नगर जिले में—और डकैतियां।
खं० १६२, पृ० १८१।

कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

कपड़ा व गल्ला—

प्र० वि०—गोरखपुर जिलाधीश द्वारा
बाढ़-पीड़ितों को—का वितरण।
खं० १६२, पृ० २०।

कर्मचारियों—

प्र० वि०—सदर तहसील, जिला आजम-
गढ़ में चकबन्दी के कार्य में—की
कमी। खं० १६२, पृ० ८-९।

कल्याणचन्द मोहिले, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में
पूछताछ। खं० १६२, पृ० २१।

कागजों—

प्र० वि०—बलदेवप्रसाद, अध्यापक से
सम्बन्धित—का जिलाधीश,
हरदोई के आफिस से गायब होना।
खं० १६२, पृ० २६४।

कानपुर—

—जिले में ग्राम पंचायतों को निर्वाचन
में कथित अनियमितताओं विषयक
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना।
खं० १६२, पृ० १८६-१९०।

कामदारों—

प्र० वि०—सहकारिता तथा कृषि विभाग
के—का समान वेतन करने की
मांग। खं० १६२, पृ० १८७।

कामरोको प्रस्ताव—

—का स्थगन। खं० १६२,
पृ० २६७।

कार्यक्रम—

सदन के आगामी—के सम्बन्ध
में पूछताछ। खं० १६२,
पृ० २१।

कार्यवाहियां—

प्र० वि०—लखनऊ जिले में घटित
घारवातों से संबंधित—।
खं० १६२, पृ० १८७-१८८।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव—

कानपुर जिले में ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में कथित अनियमितताओं विषयक —की सूचना । खं० १६२, पृ० १८६-१९० ।

नीलामी के बाद पडरौना चीनी मिल की बन्दी के सम्बन्ध में —की सूचना । खं० १६२, पृ० १८८-१८९ ।

बांदा जिले के बबेरू थाने में हुई ज्यादती के सम्बन्ध में —की सूचना । खं० १६२, पृ० १११ ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों—

—की अधिकता को रोकने की दृष्टि से अल्पसूचित प्रश्नों के सम्बन्ध में अधिक सुविधायें देने का सुझाव । खं० १६२, पृ० १९०-१९२ ।

—के लिए सप्ताह में एक दिन नियत करने का सुझाव । खं० १६२, पृ० ११२ ।

कालाढुंगी-नैनीताल आउटर रोड—

प्र० वि०— —बनवाने के लिये नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड की मांग । खं० १६२, पृ० १०१ ।

कृषि विभाग—

प्र० वि०— —के बीज गोदामों के साथ कथित प्रदर्शन फार्म । खं० १६२, पृ० १२ ।

प्र० वि०—सहकारिता तथा —के कामदारों का समान वेतन करने की मांग । खं० १६२, पृ० १८७ ।

कृष्णशरण आर्य, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर” ।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४ । खं० १६२, पृ० २३ ।

कैदी—

प्र० वि०—देवरिया जेल से —को विलम्ब से छोड़ने पर आपत्ति । खं० १६२, पृ० १८५-१८६ ।

प्र० वि०—फांसी के —का चलती ट्रेन से कूद जाना । खं० १६२, पृ० १८८ ।

क्वार्टर—

प्र० वि०—लखनऊ में हैवलक रोड व बशीरतगंज मुहल्ले के सरकारी —। खं० १६२, पृ० ६५-६७ ।

क्षेत्रों—

प्र० वि०—बस्ती जिले के कुछ थानों के —में परिवर्तन करने का आश्वासन । खं० १६२, पृ० १८६-१८७ ।

ख

खसरा और खतौनी—

प्र० वि०— —की तकल लेने के लिए आदेश । खं० १६२, पृ० ५-६ ।

ग

गंगाधर मैठाणी, श्री—

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ । खं० १६२, पृ० २८८-२९० ।

गंगा नदी—

प्र० वि०—फतेहपुर जिले में मेटौरा तथा रायबरेली जिले में राहपुर में —पर पुलों की आवश्यकता । खं० १६२, पृ० ६८-६९ ।

गंगाप्रसाद, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर” ।

गांव सभा—

प्र० वि०— —तथा भूमि-प्रबन्धक-समिति के सेक्रेटरियों को मिलाने का विचार । खं० १६२, पृ० २५५-२५६ ।

गिरफ्तारियां—

प्र० वि०—कानपुर में जूही थाने के अन्तर्गत नृशंस हत्याओं के सम्बन्ध में—। खं० १६२, पृ० १७२-१७४।

गिरफ्तारी—

प्र० वि०—जहान सिंह डाकू की—के लिए प्रयास। खं० १६२, पृ० १७८-१७९।

प्र० वि०—मानासिंह डाकू के परिवार के लोगों की—। खं० १६२, पृ० १७०।

गुप्तार सिंह, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

गोंदासिंह, श्री —

इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० २६२-२६७।

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० २८५-२८८।

गैरमजहुरा जमीन—

प्र० वि०—गाजीपुर जिले की—। खं० १६२, पृ० ८।

गोमती नदी—

प्र० वि०—बाराबंकी जिले में—के नैपुरा घाट पर पुल निर्माण की स्वीकृति। खं० १६२, पृ० १०२।

ग्राम पंचायतों—

कानपुर जिले में—के निर्वाचन में कथित अनियमितताओं विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १६२, पृ० १८९-१९०।

घ

घरेलू उद्योग—

प्र० वि०—देवरिया जिले के दूधही में बौत के—को चलाने का विचार। खं० १६२, पृ० २६१-२६२।

च

चंडी रेंज—

प्र० वि०—हरद्वार के निकट गंगा नहर के—में वृक्षों के काटने की शिकायत। खं० १६२, पृ० १०६।

चकबन्दी—

प्र० वि०—सदर तहसील, जिला आजमगढ़ में—के कार्य में कर्मचारियों की कमी। खं० १६२, पृ० ८-९।

चन्द्रभानु गुप्त, श्री—

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० ११९, १२१, १२३-१२६, १२९, १४५, १४६, १४७, २०२-२०३, २०५, २०६, २११, २१६, २२१, २२८, २७६-२७७।

नीलामी के बाद पडरौना चीनी मिल की बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १६२, पृ० १८९।

चन्द्रवती, श्रीमती—

इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० ३१३।

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० २१२।

चन्द्रसिंह रावत, श्री—

इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० ३१०-३१२।

चलचित्र—

उत्तर प्रदेश—(विनियमन) विधेयक, १९५४। खं० १६२, पृ० २१-२५।

चित्तर सिंह निरंजन, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

चीनी मिल—

नीलामी के बाद पडरौना—की बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १६२, पृ० १८८-१८९।

२०८, २०९, २११, २१२, २१३ -
२१४, २१५, २१६, २१७, २१९,
२२०, २२५, २२७, २२८, २३०,
२३४-३५, २७०, २७१, २७४,
२७५-२७६, २७७-२७८, २७९।

चुनाव—

प्र० वि०—पचपेड़वा, जिला गोंडा में
—न होना। खं० १६२,
पृ० ९८।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) विधेयक,
१९५४। खं० १६२, पृ० २४।

नीलामी के बाद पडरौना चीनी मिल की बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १६२, पृ० १८९।

चोरियां—

प्र० वि०—बस्न. जिले के चिल्हिया थाने के अन्तर्गत घटित—बडकैतियां। खं० १६२, पृ० १८२-१८३।

सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में
पूछताछ। खं० १६२, पृ० २१।

ज

जगदीश प्रसाद, श्री—

देखिए, “प्रश्नोत्तर”।

जगमोहन सिंह नेगी. श्री—

इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन)
विधेयक, १९५५। खं० १६२,
पृ० २९१-२९२, ३१४-३१५।

जगन्नाथ रावत, श्री—

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन)
विधेयक, १९५४। खं० १६२,
पृ० २२, २३, २४-२५।

जनत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—

प्र० वि०—, रानीपुर, आजमगढ़
को प्लानिंग योजना के अन्तर्गत
अनुदान। खं० १६२, पृ० २५७-
२५८।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० २५।

जनरल साइन्स—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में दस जूनियर
हाई स्कूलों में—पढ़ाने की
व्यवस्था। खं० १६२, पृ० २६५-
२६६।

जगन्नाथ प्रसाद, श्री—

देखिए, “प्रश्नोत्तर”।

जमींदारी मुआविजा बांड—

प्र० वि०—बनारस जिलान्तर्गत भदोही,
रामनगर, चकिया तहसीलों में—
मिलने में विलम्ब। खं० १६२,
पृ० २५६।

जगन्नाथमल्ल, श्री—

देखिए, “प्रश्नोत्तर”।

जमींदारों—

प्र० वि०—के लिए रिहिविलि-
टेशन ग्रांट। खं० १६२, पृ० ११-
१२।

इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन)
विधेयक, १९५५। खं० १६२,
पृ० ३१४, ३१५, ३१६।

जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री—

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन)
विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ०
११९-१२०, १४३, १४६, १४८-
१४९, १५२, १५५, १५६, २०७,

इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन)
विधेयक, १९५५। खं० १६२,
पृ० २९९-३००।

जिला जजों—

प्र० वि०— —की नई अदालतों के सम्बन्ध में आज्ञा-पत्र। खं० १६२, पृ० ६४।

जिलाधीश—

प्र० वि०— बलदेवप्रसाद, अध्यापक से सम्बन्धित कागजों का—हरदोई के आफिस से गायब होना। खं० १६२, पृ० २४६।

जिला बोर्ड—

प्र० वि०— —को बाढ़ पीड़ितों के लिये सहायता। खं० १६२, पृ० १००-१०१।

प्र० वि०—मुरादाबाद— को सड़कों के लिये अनुदान। खं० १६२, पृ० १११।

जुए—

प्र० वि०—इलाहाबाद में—के मामले। १६२, पृ० १६६-१७०।

जूनियर हाई स्कूलों—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में बस—में जनरल साइन्स पढ़ाने की व्यवस्था। खं० १६२, पृ० २६५-२६६।

जे० टी० सी०—

प्र० वि०— —सी० टी० व वी० टी० सी० अध्यापकों का वेतन क्रम। खं० १६२, पृ० २६४-२६५।

जेल—

प्र० वि०—देवरिया— से कैदी की विलम्ब से छोड़ने पर आपत्ति। खं० १६२, पृ० १८५-१८६।

जोरावर वर्मा, श्री—

देखिये, “प्रश्नोत्तर”।

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० १६५, २००, २१७, २२१-२२२।

झ

झारखंडे राय, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

झील के पानी—

प्र० वि०—लखनऊ सुल्तानपुर रेलवे लाइन के कारण हैदरगढ़—से हानि। खं० १६२, पृ० १०२-१०३।

ट

टरपेंटाइन फैक्टरी—

प्र० वि०—लीसापैदा करने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में—खोलने की मांग। खं० १६२, पृ० १७६-१७८।

टाउन एरिया—

प्र० वि०—तुलसीपुर, जिला गोंडा में—निर्माण के कारण पंचायत की समाप्ति। खं० १६२, पृ० ६७-६८।

टाउन एरिया कमेटी—

प्र० वि०—गोंडा जिले में तुलसीपुर—का निर्माण। खं० १६२, पृ० ६७।

ट्रेन—

प्र० वि०—झांसी के कैदी का चलती—से कूद जाना। खं० १६२, पृ० १८८।

ट्रेनिंग—

प्र० वि०—महिला-मंगल योजना की—के लिये जौनपुर जिले से प्रार्थना-पत्र। खं० १६२, पृ० २५८-२५९।

ट्रेनिंग सेन्टर—

प्र० वि०—बखशी तालाब—से उत्तीर्ण शिक्षार्थी। खं० १६२, पृ० २६६।

ड

डकैतियां—

प्र० वि०—गत तीन वर्षों में मुजफ्फर-नगर जिले में कत्ल और—। खं० १६२, पृ० १८१।

प्र० वि०—बस्ती जिले के चिल्हिया थाने के अन्तर्गत घटित चोरियां व —। खं० १६२, पृ० १८२-१८३।

डाक—

प्र० वि०—जहानसिंह—की गिरफ्तारी के लिए प्रयास। खं० १६२, पृ० १७८-१७९।

डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी कमेटी—

प्र० वि०—पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सरकारी नियुक्तियों के संबंध में —रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार। खं० १६२, पृ० १७६।

त

तहसीलदारों—

प्र० वि०—तहसीली खजानों में—से काम लेना। खं० १६२, पृ० १७४।

तहसील इमारत—

प्र० वि०—मिर्जापुर जिले में राबर्ट्सगंज —की खराब हालत। खं० १६२, पृ० १०।

तहसीली खजानों—

प्र० वि०—में तहसीलदारों से काम लेना। खं० १६२, पृ० १७४।

तारांकित प्रश्न—

प्र० वि०—संख्या ५०-५२ का स्थगन। खं० १६२, पृ० १८३-१८४।

तेज प्रताप सिंह, श्री—

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० ११५-११६, १३६-१३८, १४७, १६४, १६५, १६६-१६७, २०५-२०६, २०७, २२१, २२२-२२३।

थ

थाने—

प्र० वि०—कानपुर रीजन में प्राइवेट मोटर बस चलाने वालों को मार्ग के प्रत्येक —में रिपोर्ट लिखाने का आदेश। खं० १६२, पृ० १६।

थानों—

प्र० वि०—बस्ती जिले के कुछ—के क्षेत्रों में परिवर्तन करने का आश्वासन। खं० १६२, पृ० १८६-१८७।

द

दसगुना—

प्र० वि०—हाटा तहसील में—जमा करने वालों को सनद न मिलना। खं० १६२, पृ० १३-१४।

दीनदयालु शास्त्री, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० ५०-५१।

देवकीनन्दन विभव, श्री—

देखिए, “प्रश्नोत्तर”।

देवदत्त मिश्र, श्री—

देखिए, “प्रश्नोत्तर”।

देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री—

देखिए, “प्रश्नोत्तर”।

द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री—

देखिए, “प्रश्नोत्तर”।

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन)

विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० ५४, ५७, १२६-१२८, १२९-१३०, १५५, १६२-१६३, २२८, २३०, २३१, २३६, २६०।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन)

विधेयक, १९५४। खं० १६२, पृ० २२, २३, २५।

ध

धर्मदत्त वैद्य, श्री—

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन)

विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० ४४, ४५-५०।

न

नई अदालतों—

प्र० वि०—जिला जजों की—के सम्बन्ध में आज्ञा-पत्र। खं० १६२, पृ० ६४।

नई नियुक्तियों—

प्र० वि०—सूचना विभाग की— ——मे
अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के
व्यक्ति। खं० १६२, पृ० १०४-
१०५।

नगरपालिका—

प्र० वि०—कोंच—को प्रदत्त
अनुदान के दुरुपयोग के सम्बन्ध में
शिकायत। खं० १६२, पृ० १०८-
१०९।

नत्थियां—

—। खं० १६२, पृ० ६८-८५,
१५६-१६४, २३६-२४८।

नत्थूसिंह, श्री—

देखिये, “प्रश्नोत्तर”।

नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

नलकूपों—

प्र० वि०—बुलन्दशहर व अलीगढ़ जिलों
में—के स्थान पर मांट ब्रांच नहर
से सिंचाई की मांग। खं० १६२,
पृ० ६२-६४।

नवल किशोर, श्री—

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन)
विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ०
५८-६०, १२१, १४३, १४५,
१६४, १६५, २८१।

नारायणदत्त तिवारी, श्री—

देखिये, “प्रश्नोत्तर”।

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन)
विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ०
२६-३३, ६३, ६५।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन)
विधेयक, १९५४। खं० १६२, पृ०
२२।

कानपुर जिले में ग्राम पंचायतों के निर्वाचन
में कथित अनियमितताओं विषयक
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना।
खं० १६२, पृ० १८६।

नियम—

प्र० वि०—स्कूलों को मान्यता प्रदान
करने के इमर्जेन्सी पावर्स के—।
खं० १७२, पृ० २६२।

नियुक्ति—

सेक्रेटेरियट की अपर डिवीजन परीक्षा
में सफल व्यक्तियों की—में
विलम्ब। खं० १६२, पृ० १७५।

नियुक्तियों—

प्र० वि०—पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा
सरकारी—के सम्बन्ध में डिसिप्लि-
नरी इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट की
सिफारिशों पर विचार। खं० १६२,
पृ० १७६।

निर्माण—

प्र० वि०—गोंडा जिले में तुलसीपुर टाउन
एरिया कमेटी का—। खं० १६२,
पृ० ६७।

निर्वाचन—

कानपुर जिले में ग्राम पंचायतों के—
में कथित अनियमितताओं विषयक
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना।
खं० १६२, पृ० १८६-१९०।

नीलामी—

—के बाढ़ पडरौना चीनी मिल की
बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन
प्रस्ताव की सूचना। खं० १६२,
पृ० १८८-१८९।

नेकराम शर्मा, श्री—

देखिये, “प्रश्नोत्तर”।

असरकारी दिवस में सरकारी कार्य करने
के विरोधम्बरूप श्री राजनारायण
द्वारा सभा-त्याग। खं० १६२,
पृ० २७०।

नैपुरा घाट—

प्र० वि०—बाराबंकी जिले में गोमती
नदी के—पर पुल निर्माण की
स्वीकृति। खं० १६२, पृ० १०२।

प

पंचायत की समाप्ति—

प्र० वि०—तुलसीपुर, जिला गोंडा में
टाउन एरिया निर्माण के कारण— ।
खं० १६२, पृ० ६७-६८ ।

पक्का पुल—

प्र० वि०—गाजीपुर स्टीमर घाट पर
—बनवाने की मांग । खं० १६२,
पृ० ११० ।

पक्के पुल की आवश्यकता—

प्र० वि०—अमेठी तहसील जिला सुल्तान-
पुर में बड़गांव और विश्वेश्वरगंज के
बीच— । खं० १६२, पृ० १११ ।

पडरौना—

नीलामी के बाद—चीनी मिल की
बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव
की सूचना । खं० १६२, पृ० १८८-
१८९ ।

पब्लिस सर्विस कमीशन—

प्र० वि०—द्वारा सरकारी नियुक्ति-
तयों के सम्बन्ध में डिसिप्लिनरी
इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट की
सिफारिशों पर विचार । खं० १६२,
पृ० १७६ ।

परिवार के लोगों—

प्र० वि०—मानसिंह डाकू के—की
गिरफ्तारी । खं० १६२, पृ० १७० ।

पाकिस्तान—

प्र० वि०—बरेली जिले के अमीन का
सरकारी रूपया लेकर—भाग
जाना । खं० १६२, पृ० ७ ।

पुनःसंगठन—

प्र० वि०—ब्रह्मचार विरोधी समितियों
का — । खं० १६२, पृ० १७४ ।

पुलनिर्माण—

प्र० वि०—अयोध्या में सरयू पर—
का आयोजन । खं० १६२, पृ० १०३-
१०४ ।

प्र० वि०—नजीबाबाद और सहारनपुर
के बीच मालन नदी पर—की
स्वीकृति । खं० १६२, पृ० १०५-
१०६ ।

प्र० वि०—बाराबंकी जिले में गोमती
नदी के नैपुरा घाट पर—की
स्वीकृति । खं० १६२, पृ० १०२ ।

पुलों की आवश्यकता—

प्र० वि०—फतेहपुर जिले में मेटौरा तथा
रायबरेली जिले में राहपुर में गंगा
नदी पर— । खं० १६२,
पृ० ६८-६९ ।

पूछताछ—

प्र० वि०—हिंडन बांध योजना के
सम्बन्ध में— । खं० १६२,
पृ० ६४-६५ ।

पेंशन-

प्र० वि०—प्रसाद के पिता को — ।
खं० १६२, पृ० १८२ ।

प्रगति—

प्र० वि०—बरेली जिले में सिचाई के
कार्य में— । खं० १६२,
पृ० १०७ ।

प्रदर्शन फार्म—

प्र० वि०—कृषि विभाग के बीज गोदामों
के साथ कथित— । खं० १६२,
पृ० १२ ।

प्रयास—

प्र० वि०—जहान सिंह डाकू की
गिरफ्तारी के लिए— । खं० १६२,
पृ० १७८-१७९ ।

प्रश्न—

श्री राजनारायण द्वारा विशेषाधिकार
का—उठाने की सूचना ।
खं० १६२, पृ० २६८-२६९ ।

प्रश्नों—

अल्पसूचित तारांकित —का उत्तर
न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत ।
खं० १६२, पृ० २६७-२६८ ।
—का गलत उत्तर देने पर आपत्ति ।
खं० १६२, पृ० २६८ ।

[प्रश्नों—]

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की अधिकता को रोकने की दृष्टि से अल्पसूचित —के सम्बन्ध में अधिक सुविधायें देने का सुझाव। खं० १६२, पृ० १६०-१६२।

प्रश्नोत्तर

उमाशंकर, श्री—

आजमगढ़ जिला बोर्ड को बाढ़ पीड़ितों के लिये सहायता। खं० १६२, पृ० १००-१०१।

उमाशंकर मिश्र, श्री—

बाराबंकी जिले में गोमती नदी के नैपुरा घाट पर पुल निर्माण की स्वीकृति। खं० १६२, पृ० १०२।

लखनऊ—सुल्तानपुर रेलवे लाइन के कारण हैदरगढ़ झील के पानी से हानि। खं० १६२, पृ० १०२-१०३।

कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री—

बलदेवप्रसाद, अध्यापक से सम्बन्धित कागजों का जिलाधीश, हरदोई के आफिस से गायब होना। खं० १६२, पृ० २६४।

कल्याण चन्द मोहिले, श्री—

इलाहाबाद में जुए के मामले। खं० १६२, पृ० १६६-१७०।

मार्नासिंह डाकू के परिवार के लोभों की गिरफ्तारी। खं० १६२, पृ० १७०।

कृष्णशरण आर्य, श्री—

फांसी के कैंदी का चलती ट्रेन से कूद जाना। खं० १६२, पृ० १८८।

विलीन रियासतों तथा प्रदेश के राजनीतिक पीड़ितों को समान सुविधाएं। खं० १६२, पृ० १८८।

गंगा प्रसाद, श्री—

गोंडा जिले में अपराधशील जातियों को बसाने के लिये 'गांधी ग्राम' तथा 'जगन्नाथपुर' बस्तियां। खं० १६२, पृ० २६७।

गुप्तार सिंह, श्री—

फतेहपुर जिले में मेटौरा तथा रायबरेली जिले में राहपुर में गंगा नदी पर पुलों की आवश्यकता। खं० १६२, पृ० ६८-६९।

महिला मंगल योजना में वार्षिक व्यय। खं० १६२, पृ० २५६-२६१।

चित्तर सिंह, श्री—

कोंच नगरपालिका को प्रदत्त अनुदान के दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायत। खं० १७२, पृ० १०८-१०९।

जगदीश प्रसाद, श्री—

मुरादाबाद में रोडवेज के अस्थायी स्टेशन पर व्यय। खं० १६२, पृ० १८-१९।

जगदीश सरन, श्री—

सुभाषनगर नामक क्षेत्र को बरेली नगरपालिका में मिलाने के लिए प्रार्थना। खं० १६२, पृ० १०७-१०८।

जगन्नाथ प्रसाद, श्री—

लेखपालों को कानूनगो का पद मिलना। खं० १६२, पृ० १४।

जगन्नाथ मल्ल, श्री—

देवरिया जिले की पडरौना तहसील के अन्तर्गत बाढ़-ग्रस्त ग्रामों को सहायता। खं० १६२, पृ० १७-१८।

जोरावर बर्मा, श्री—

गांव-सभा तथा भूमि-प्रबन्धक-समिति के सेक्रेटरियों को मिलाने का विचार। खं० १७२, पृ० २५५-२५६।

अष्टाचार विरोधी समिति, हमीरपुर द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव। खं० १६२, पृ० १८४-१८५।

झारखंडे राय, श्री—

गाजीपुर म्युनिसिपल बोर्ड को भंग करने का विचार। खं० १६२, पृ० ५।

तारंकित प्रश्न संख्या ५०-५२ का स्थान। खं० १६२, पृ० १८३-१८४।

राजनीतिक पीड़ितों को शिक्षा सुविधायें देने के लिए राजाज्ञा। खं० १६२, पृ० ६१-६२।

डीन दयालु शास्त्री, श्री—

हरद्वार के निकट गंगा नहर के चंडीरज में वृक्षों के काटने की शिकायत। खं० १६२, पृ० १०६।

देवकीनन्दन विभव श्री—

‘मोदीनगर, कन्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड’ को ऋण। खं० १६२, पृ० १६-२०।

मोदीनगर में कथित इंडियन कोल्ड स्टोरेज ऐन्ड आइस कम्पनी लिमिटेड को ऋण। खं० १६२, पृ० २०।

देवदत्त मिश्र, श्री—

ग्राम कटरा दीवान खेरा, जिला उन्नाव में अग्नि-पीड़ितों की सहायता। खं० १६२, पृ० ६-१०।

देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री—

गोरखपुर जिलाधीश द्वारा बाढ़-पीड़ितों को कपड़े व गल्ले का वितरण। खं० १६२, पृ० २०।

झारकाप्रसाद मौर्य श्री—

खसरा और खतौनी की नकल लेने के लिए आदेश। खं० १६२, पृ० ५-६।

जौनपुर जिलान्तर्गत मडियाहूँ तहसील में सईकी बाढ़ से हानि। खं० १६२, पृ० ६-७।

देवरिया जेल से कंदी को विलम्ब से छोड़ने पर आपत्ति। खं० १६२, पृ० १८५-१८६।

सूचना विभाग की नई नियुक्तियों में अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के व्यक्ति। खं० १६२, पृ० १०४-१०५।

स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के इमरजेन्सी पावर्स के नियम। खं० १६२, पृ० २६२।

नत्थूसिंह, श्री—

बरेली जिले के अमीन का सरकारी रुपया लेकर पाकिस्तान भाग जाना। खं० १६२, पृ० ७।

बरेली जिले में सिंचाई के कार्य में प्रगति। खं० १६२, पृ० १०७।

नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री—

जहानसिंह डाकू की गिरफ्तारी के लिए प्रयास। खं० १६२, पृ० १७८-१७९।

लीसा पैदा करने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में टरपेटाइन फैक्टरी खोलने की मांग। खं० १६२, पृ० १७६-१७८।

नारायण दत्त तिवारी, श्री—

कालाढुंगी-नैनीताल आउटर रोड बनवाने के लिये नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड की मांग। खं० १६२, पृ० १०१।

टनकपुर क्षेत्र, जिला नैनीताल में हाथियों द्वारा उत्पात। खं० १६२, पृ० १८३।

नेकराम शर्मा, श्री—

सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में इन्वेंटरी बनाने का आदेश। खं० १६२, पृ० १७६-१८०।

प्रेमकिशन खन्ना, श्री—

राजनारायण स्मारक भवन, लखीमपुर पर व्यय। खं० १६२, पृ० ११०।

बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री—

गोंडा जिले में तुलसीपुर टाउन एरिया कमेटी का निर्माण। खं० १६२, पृ० ६७।

तुलसीपुर, जिला गोंडा में टाउन एरिया निर्माण के कारण पंचायत की समाप्ति। खं० १६२, पृ० ६७-६८।

पचपेड़वा, जिला गोंडा में चुनाव न होना। खं० १६२, पृ० ६८।

बसन्तलाल, श्री—

म्युनिसिपल बोर्ड, जालौन की वाटर वर्क्स के लिए मांग। खं० १६२, पृ० १०१-१०२।

[प्रश्नोत्तर]

बाबूनन्दन, श्री—

महिला-मंगल योजना की ट्रेनिंग के लिये
जौनपुर जिले से प्रार्थना-पत्र।
खं० १६२, पृ० २५८-२५९।

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री—

कानपुर में जूही थाने के अन्तर्गत नृशंस
हत्याओं के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां।
खं० १६२, पृ० १७२-१७४।

भगवान सहाय, श्री—

इण्टरमीडियेट क्लासेज के मिलिटरी
साइन्स लेक्चरर के कम वेतन की
शिकायत। खं० १६२, पृ० २६२-
२६३।

भोलासिंह यादव, श्री—

गाजीपुर जिले की गैर मजसूआ जमीन।
खं० १६२, पृ० ८।

गाजीपुर स्टीमर घाट पर पक्का पुल
बनवाने की मांग। खं० १६२,
पृ० ११०।

मथुराप्रसाद पांडेय श्री—

बस्ती जिले के कुछ थानों के क्षेत्रों में
परिवर्तन करने का आश्वासन।
खं० १६२, पृ० १८६-१८७।

बस्ती जिले के चिल्हिया थाने के अन्तर्गत
घटित चोरियां व डकैतियां।
खं० १६२, पृ० १८२-१८३।

महमूद अली खां, श्री—

१९४२ के आन्दोलन में शहीद, हरिद्वार
निवासी, श्री जगदीश प्रसाद के पिता
को पेंशन। खं० १६२, पृ० १८२।

महीलाल, श्री—

जे० टी० सी०, सी० टी० व वी० टी०
सी० अध्यापकों का वेतनक्रम।
खं० १६२, पृ० २६४-२६५।

मुरादाबाद जिला बोर्ड को सड़कों
के लिए अनुदान। खं० १६२,
पृ० १११।

मुहम्मद तकी हादी, श्री—

अमरोहा तहसील में घटित वारदातों।
खं० १६२, पृ० १८०।

यमुनासिंह, श्री—

गाजीपुर जिले में सुलेमापुर निवासी
बुद्धराम का वध। खं० १६२,
पृ० १७५।

रणजय सिंह, श्री—

अमेठी तहसील जिला सुल्तानपुर में
बड़गांव और विश्वेश्वरगंज के
बीच पक्के पुल की आवश्यकता।
खं० १६२, पृ० १११।

रतनलाल जैन, श्री—

नजीबाबाद और सहारनपुर के बीच
मालन नदी पर पुल निर्माण की
स्वीकृति। खं० १६२, पृ० १०५-
१०६।

राजनारायण, श्री—

वाराणसी जिलान्तर्गत भदोही, रामनगर,
चकिया तहसीलों में जमींदारी
मुआविजा बांड मिलने में विलम्ब।
खं० १६२, पृ० २५६।

राजवंशी, श्री—

देवरिया जिले में कसया हवालाल में
जगह की कमी की शिकायत।
खं० १६२, पृ० १८२।

राजाराम शर्मा, श्री—

बखशी तालाब ट्रेनिंग सेण्टर से उत्तीर्ण
शिक्षार्थी। खं० १६२, पृ० २६६।

राधामोहन सिंह, श्री—

बलिया जिले में गांवों की भूमि का स्तर
ऊंचा करने का कार्य। खं० १६२,
पृ० ९९-१००।

रामचन्द्र विकल, श्री—

बुलन्दशहर व अलीगढ़ जिलों में नलकूपों
के स्थान पर मांट ब्रांच नहर से
सिंचाई की मांग। खं० १६२,
पृ० ९२-९४।

लखनऊ जिले में घटित वारदातों से
संबंधित कार्यवाहियां। खं० १६२,
पृ० १८७-१८८।

हिंडन बांध योजना के सम्बन्ध में
पूछताछ। खं० १६२, पृ० ९४-
९५।

रामनारायण त्रिपाठी, श्री—

अयोध्या में सरयू पर पुल निर्माण का आयोजन। खं० १६२, पृ० १०३-१०४।

सहकारिता तथा कृषि विभाग के कामदारों का समान वेतन करने की मांग। खं० १६२, पृ० १८७।

रामभजन, श्री—

खीरी जिले की मुहम्मदी तहसील में भूदान यज्ञ में प्राप्त भूमि का वितरण। खं० १६२, पृ० १५-१७।

राममुन्दर पांडेय, श्री—

आजमगढ़ जिले में दस जूनियर हाई स्कूलों में जनरल साइन्स पढ़ाने की व्यवस्था। खं० १६२, पृ० २६५-२६६।

जनतः उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रानीपुर, आजमगढ़ को प्लानिंग योजना के अन्तर्गत अनुदान। खं० १६२, पृ० २५७-२५८।

परगनाधीश, घोसी, जिला आजमगढ़ को सीरदार एवं अधिवासी किसानों के आवेदन-पत्र। खं० १६२, पृ० १४-१५।

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में विद्यार्थियों की फीस की मुआफ़ी। खं० १६२, पृ० २५३-२५५।

लखनऊ में हूवलक रोड व वशीरतगंज मुहल्ले के सरकारी क्वार्टर। खं० १६२, पृ० ६५-६७।

रामसुभग वर्मा, श्री—

कुशीनगर में लगने वाली बिजली को स्थायी रखने की मांग। खं० १६२, पृ० १८०-१८१।

देवरिया जिले के दुधही में बैत के घरेलू उद्योग को चलाने का विचार। खं० १६२, पृ० २६१-२६२।

रामस्वरूप, श्री—

मिर्जापुर जिले में राबर्ट्सगंज तहसील की इमारत की खराब हालत। खं० १६२, पृ० १०।

रामस्वरूप गुप्त, श्री—

कृषि विभाग के बीजगोदामों के साथ कथित प्रदर्शन कार्म। खं० १६२, पृ० १०।

लक्ष्मणराव कदम, श्री—

तहसील खजानों में तहसीलदारों से काम लेना। खं० १६२, पृ० १७४।

ब्रजभूषण मिश्र, श्री—

राजकीय इन्टर कालेज, मिर्जापुर पर विद्यार्थियों द्वारा आक्रमण। खं० १६२, पृ० २६३-२६४।

ब्रजविहारी मिश्र, श्री—

सदर तहसील, जिला आजमगढ़ में चकबन्दी के कार्य में कर्मचारियों की कमी। खं० १६२, पृ० ८-९।

शिव प्रसाद, श्री—

देवरिया जिले में अधिवसियों की संख्या। खं० १६२, पृ० १२-१३।

हाटा तहसील में दसगुना जमा करने वालों को सनद न मिलना। खं० १६२, पृ० १३-१४।

शिवराज सिंह यादव, श्री—

बदायूं जिले में हाट-बाजारों का मुआविजा। खं० १६२, पृ० ८।

शिववक्ष सिंह राठौर, श्री

कानपुर रीजन में प्राइवेट मोटर बस चलाने वालों को मार्ग के प्रत्येक थाने में रिपोर्ट लिखाने का आदेश। खं० १६२, पृ० १६।

श्रीचन्द्र, श्री—

गत तीन वर्षों में मुजफ्फरनगर जिले में कत्ल और डकैतियां। खं० १६२, पृ० १८१।

सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री—

गाजीपुर बिजली कम्पनी के विरुद्ध शिकायतें। खं० १६२, पृ० १७०-१७२।

जमींदारों के लिए रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट। खं० १६२, पृ० ११-१२।

[प्रश्नोत्तर]

[सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री]

जिला जजों की नई अदालतों के सम्बन्ध में आज्ञा-पत्र। खं० १६२, पृ० ६४।

पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सरकारी नियुक्तियों के सम्बन्ध में डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार। खं० १६२, पृ० १७६।

रोडवैज सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर में गैरसरकारी मोटरों की मरम्मत। खं० १६२, पृ० १०-११।

सुल्तान आलम खां, श्री—

सरकारी इश्तहार छापने वाले अखबार तथा रिसाले। खं० १६२, पृ० १०६।

प (क्रमागत)

प्रस्ताव—

नीलामी के बाद पडरौना चीनी मिल की बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन —की सूचना। खं० १६२, पृ० १८८-१८९।

प्र० वि०—अष्टाचार विरोधी समिति, हमीरपुर द्वारा स्वीकृत—। खं० १६२, पृ० १८४-१८५।

प्रस्तावों—

कार्य-स्थगन—की अधिकता को रोकने की दृष्टि से अल्पसूचित प्रश्नों के सम्बन्ध में अधिक सुविधायें देने का सुझाव। खं० १६२, पृ० १६०-१६२।

प्राइवेट मोटर बस—

प्र० वि०—कानपुर रोजन में— चलाने वालों को मार्ग के प्रत्येक थाने में रिपोर्ट लिखाने का आदेश। खं० १६२, पृ० १६।

प्र० वि०—सुभाष-नगर नामक क्षेत्र को बरेली नगरपालिका में मिलाने के लिए—। खं० १६२, पृ० १०७-१०८।

प्रार्थना-पत्र—

प्र० वि०—महिला मंगल योजना की ट्रेनिंग के लिये जौनपुर जिले से —। खं० १६२, पृ० २५८-२५९।

प्रेम किशन खन्ना, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

प्लानिंग योजना—

प्र० वि०—जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रानीपुर, आजमगढ़ को —के अन्तर्गत अनुदान। खं० १६२, पृ० २५७-२५८।

फ

फांसी—

प्र० वि०— —के कैदी का चलती ट्रेन से कूद जाना। खं० १६२, पृ० १८८।

फौस—

प्र० वि०—बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में विद्यार्थियों की—की मुआफ़ी। खं० १६२, पृ० २५३-२५५।

ब

बल्शी तालाब ट्रेनिंग सेन्टर—

प्र० वि०—से उत्तीर्ण शिक्षार्थी। खं० १६२, पृ० २६६।

बनारसी दास, श्री—

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० ४३-४४, ४८, ६०-६६, ११३, ११४, १३७, १३८-१४१, १४२, १४३, १४४, १४८, १५१, १५२, १५४, १५५, १६२, १६३-१६४, १६५, २०७, २०८-२०९, २१४, २११, २१२, २१३, २१४-२१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२३, २२६-२२७, २२९, २३०, २३१, २३३, २३४, २३५, २७०-२७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५।

बन्दी—

नीलामी के बाद पडरौना चीनी मिल की —के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १६२, पृ० १८८-१८९।

बड़ेह जाने—

ब्रांदा जिले के—में हुई ज्यादाती के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १६२, पृ० १११।

झरेली नगरपालिका—

प्र० वि०—सुभाषनगर नामक क्षेत्र को—में मिलाने के लिये प्रार्थना। खं० १६२, पृ० १०७-१०८।

बलदेव सिंह आर्य, श्री—

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० २५-२६, २६०-२६१।

उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० २५।

बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

बसन्तलाल, श्री—

देखिये प्रश्नोत्तर”।

बस्तियों—

प्र० वि०—गोंडा जिले में अपराधशील जातियों को बसाने के लिये ‘गांधी ग्राम’ तथा जगन्नाथपुर—। खं० १६२, पृ० २६७।

बाढ़प्रस्त ग्रामों—

प्र० वि०—देवरिया जिले की पडरौना तहसील के अन्तर्गत—को सहायता। खं० १६२, पृ० १७-१८।

बाढ़-पीड़ित—

प्र० वि०—में विद्यार्थियों की फीस की मुआफ़ी। खं० १६२, पृ० २५३-२५५।

बाढ़ पीड़ितों—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिला बोर्ड को—के लिये सहायता। खं० १६२, पृ० १००-१०१।

प्र० वि०—गोरखपुर जिलाधीश द्वारा—को कपड़ा व गल्ला का वितरण। खं० १६२, पृ० २०।

बाबूमन्दन, श्री—

देखिये, “प्रश्नोत्तर”।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४। खं० १६२, पृ० २४।

बिजली—

प्र० वि०—कुशीनगर में लगने वाली—को स्थायी रखने की मांग। खं० १६२, पृ० १८०-१८१।

बिजली कम्पनी—

प्र० वि०—गाजीपुर—के विरुद्ध शिकायतें। खं० १६२, पृ० १७०-१७२।

बीज गोदामों—

प्र० वि०—कृषि विभाग के—के साथ कथित प्रदर्शन फार्म। खं० १६२, पृ० १२।

बैंत—

प्र० वि०—देवरिया जिले के दुधही में—के घरलू उद्योग को चलाने का विचार। खं० १६२, पृ० २६१-२६२।

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

अष्टाचार विरोधी समितियों का पुनःसंगठन। खं० १६२, पृ० १७४।

भ

भगवान सहाय, श्री

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० २६४, २६८, २६६।

भूदान यज्ञ—

प्र० वि०—खीरी जिले की मुहम्मदी तहसील में—में प्राप्त भूमि का वितरण। खं० १६२, पृ० १५-१७।

भूमि का वितरण—

प्र० वि०—खीरी जिले की मुहम्मदी तहसील में भूदान यज्ञ में प्राप्त—। खं० १६२, पृ० १२-१७।

भूमि का स्तर—

प्र० वि०—बलिया जिले में गांवों की
—ऊंचा करने का कार्य ।
खं० १६२, पृ० ६६-१०० ।

भूमि-प्रबन्धक-समिति—

प्र० वि०—गांव-सभा तथा—के
सेक्रेटारियों को मिलाने का विचार ।
खं० १६२, पृ० २५५-२५६ ।

भोला सिंह यादव, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर” ।

अष्टाचार—

प्र० वि०—विरोधी समिति,
हमीरपुर द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव ।
खं० १६२, पृ० १८४-१८५ ।

अष्टाचार विरोधी समिति—

प्र० वि०—का पुनःसंगठन ।
खं० १६२, पृ० १७४ ।

म

मंत्रियों—

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के
अधिकारियों और सदस्यों, —, —,
उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के
वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों)
का विधेयक, १६५५ । खं० १६२,
पृ० २५ ।

मदनगोपाल वैद्य, श्री—

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन)
विधेयक, १६५५ । खं० १६२,
पृ० ३३, ४४, ६६-६७, ११३,
११४, १२२-१२३, १४२, १४५,
१४६, २०७, २०६, २१०, २१६,
२२०, २२५, २७३, २७४, २७५,
२७६, २७८, २७९, २८०, २८६-
२८७ ।

मदन मोहन उपाध्याय, श्री—

इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन)
विधेयक, १६५५ । खं० १६२,
पृ० ३०७-३०८ ।

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन)
विधेयक, १६५५ । खं० १६२,
पृ० ४५ ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की अधिकता को
रोकने की दृष्टि से अल्पसूचित प्रश्नों
के सम्बन्ध में अधिक सुविधायें देने
का सुझाव । खं० १६२, पृ० १६० ।

मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर” ।

महमूद अली खां, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर” ।

महिला-मंगल-योजना—

प्र० वि०—की ट्रेनिंग के लिये
जौनपुर जिले से प्रार्थना-पत्र ।
खं० १६२, पृ० २५८-२५९ ।

प्र० वि०—में वार्षिक व्यय ।
खं० १६२, पृ० २५६-२६१ ।

महीलाल, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर” ।

मांग—

प्र० वि०—कुशीनगर में लगने वाली
बिजली को स्थायी रखने की
— । खं० १६२, पृ० १८०-
१८१ ।

माट ब्राउच—

प्र० वि०—बुलन्दशहर व अलीगढ़ जिलों
में तलकूपों के स्थान पर—तहर
से सिचाई की मांग । खं० १६२,
पृ० ६२-६४ ।

मान्यता—

प्र० वि०—स्कूलों को—प्रदान करने
के इसरजेंसी पावर्स के नियम ।
खं० १६२, पृ० २६२ ।

मालन नदी—

प्र० वि०—नजीबाबाद और सहारनपुर
के बीच—पर पुल निर्माण को
स्वीकृति । खं० १६२, पृ० १०५-
१०६ ।

मिलिटरी साइन्स लेक्चरर—

प्र० वि०—इन्टरमीडियेट क्लासेज के
—के कम वेतन की शिकायत।
खं० १६२, पृ० २६२-२६३।

मुआफी—

प्र० वि०—बाह-पीड़ित क्षेत्रों में
विद्यार्थियों की फीस की—।
खं० १६२, पृ० २५३-२५५।

मुआविजा—

प्र० वि०—बदायूँ जिले में हाट-बाजारों
का—। खं० १६२, पृ० २।

मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज—

इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन)
विधेयक, १९५५। खं० १६२,
पृ० २६७-२६८, ३१२, ३१६।

१४ दिसम्बर, १९५५ को सूर्य ग्रहण की
छुट्टी के लिये प्रार्थना। खं० १६२,
पृ० १११-११२।

सदन के आगामी कार्य-क्रम के सम्बन्ध
में पूछ-ताछ। खं० १६२, पृ० २१।

मुहम्मद तकी हादी, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

मोटरो की मरम्मत—

प्र० वि०—रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप,
कानपुर में गैर-सरकारी—।
खं० १६२, पृ० १०-११।

‘मोदीनगर कन्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड’—

प्र० वि०—को ऋण।
खं० १६२, पृ० १६-२०।

मोहनलाल गौतम, श्री—

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन)
विधेयक, १९५५। खं० १६२,
पृ० १३५, १४२, १४३-१४५,
१६८-१६९।

म्युनिसिपल बोर्ड—

प्र० वि०—कालाहुंगी—नैनीताल
आउटर रोड बनवाने के लिये
नैनीताल—की मांग। खं० १६२,
पृ० १०१।

प्र० वि०—गार्जापुर—को भंग
करने का विचार। खं० १६२,
पृ० ५।

प्र० वि०—, जालौन की वाटर
वर्क्स के लिए मांग। खं० १६२,
पृ० १०१-१०२।

य

यमुना सिंह, श्री—

देखिये, “प्रश्नोत्तर”।

र

रणंजय सिंह, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

रतनलाल जैन, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन)
विधेयक, १९५५। खं० १६२,
पृ० ३०६-३१०।

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन)
विधेयक, १९५५। खं० १६२,
पृ० १२२-१२५।

राजकीय इन्टर कालेज—

प्र० वि०—, मिर्जापुर पर
विद्यार्थियों द्वारा आक्रमण। खं० १६२,
पृ० २६३-२६४।

राजनारायण, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

असरकारी दिवस में सरकारी कार्य करने
के विरोधस्वरूप श्री राजनारायण
द्वारा सभा त्याग। खं० १६२,
पृ० २६६-२७०।

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन)
विधेयक, १९५५। खं० १६२,
पृ० १३०-१३५, १४१, १४८, १५०-
१५२, १६२, २००-२०१-२०२।

कानपुर जिले में ग्राम पंचायतों के निर्वाचन
में कथित अनियमितताओं विषयक
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना।
खं० १६२, पृ० १८६

[राजनारायण, श्री]

काम रोकने प्रस्ताव का स्थगन।

खं० १६२, पृ० २६७।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की अधिकता को रोकने की दृष्टि से अल्पसूचित प्रश्नों के सम्बन्ध में अधिक सुविधायें देने का सुझाव। खं० १६२, पृ० १६१-१६२।

कार्य स्थगन प्रस्तावों के लिये सप्ताह में एक दिन नियत करने का सुझाव। खं० १६२, पृ० ११२।

—द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना। खं० १६२, पृ० २६८-२६९।

राजनारायण स्मारक भवन—

प्र० वि०—, लखीमपुर पर व्यय। खं० १६२, पृ० ११०।

राजनीतिक पीड़ितों—

प्र० वि०— शिक्षा सुविधायें देने के लिए राजाज्ञा। खं० १६२, पृ० ६१-६२।

प्र० वि०—विलीन रियासतों तथा प्रदेश के—को समान सुविधाएं। खं० १६२, पृ० १८८।

राजवंशी, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

राजाज्ञा—

प्र० वि०— राजनीतिक पीड़ितों को शिक्षा सुविधाएं देने के लिए—। खं० १६२, पृ० ६१-६२।

राजाराम शर्मा, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

राज्य विधान मंडल—

उत्तर प्रदेश—के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १६५५। खं० १६२, पृ० २५।

राधामोहन सिंह, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

रामचन्द्र विकल, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

रामनारायण त्रिपाठी, श्री—

देखिये, “प्रश्नोत्तर”।

रामभजन, श्री—

देखिये, “प्रश्नोत्तर”।

रामसुन्दर पांडेय, श्री—

देखिये, “प्रश्नोत्तर”।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत। खं० १६२, पृ० २६७-२६८।

प्रश्नों का गलत उत्तर देने पर आपत्ति।

खं० १६२, पृ० २६८।

रामसुभग वर्मा, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

रामस्वरूप, श्री—

देखिए, “प्रश्नोत्तर”।

रामेश्वर लाल, श्री—

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १६५५। खं० १६२, पृ० ५१-५४, २१७-२१८, २२६, २७८, २८३, २८४-२८६।

रिपोर्ट—

प्र० वि०—कानपुर रोजन में प्राइवेट मोटर बस चलाने वालों को मार्ग के प्रत्येक थाने में —लिखाने का आदेश। खं० १६२, पृ० १६।

प्र० वि०—पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सरकारी नियुक्तियों के सम्बन्ध में डिप्लोमिनरी इन्क्वायरी कमेटी —की सिफारिशों पर विचार। खं० १६२, पृ० १७६।

रिसाले—

प्र० वि०—सरकारी इस्तहार छापने वाले अखबार तथा—। खं० १६२, पृ० १०६।

रिहेबिलिटेशन ग्रांट—

प्र० वि०—जमींदारों के लिए—। खं० १६२, पृ० ११-१२।

रोडवेज—

प्र० वि०—मुरादाबाद में—, अशुभ स्थिति पर व्यय । खं० १६२, पृ० १८-१९।

रोडवेज सेटल वर्कशाप—

प्र० वि०—, कानपुर में गैर-सरकारी मोटरों की मरम्मत । खं० १६२, पृ० १०-११।

ल

लक्ष्मण राव कदम, श्री—

देखिए, “प्रश्नोत्तर”।

लखनऊ-सुल्तानपुर रेलवे लाइन—

प्र० वि०—के कारण हवरगढ़ झील के पानी से हानि । खं० १६२, पृ० १०२-१०३।

लीसा—

प्र० वि०—पेदा करने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में टरपेटाइन फैक्टरी खोलने की मांग । खं० १६२, पृ० १७६-१७८।

लेक्चरर—

प्र० वि०—इंटरमीडियेट क्लासेज के मिलिटरी साइन्स—के कम वेतन की शिकायत । खं० १६२, पृ० २६२-२६३।

लेखपालों—

प्र० वि०—को कानूनगो का पद मिलना । खं० १६२, पृ० १४।

व

वध—

प्र० वि०—गाजीपुर जिले में सुलेमापुर निवासी बृद्धराम का —। खं० १६२, पृ० १७५।

वशीरतगंज—

प्र० वि०—लखनऊ में हेंबलक रोड व —मुहल्ले के सरकारी क्वार्टर । खं० १६२, पृ० ६५-६७।

वाटर वर्क—

प्र० वि०—म्युनिमिपल बोर्ड, जालौन की—के लिए मांग । खं० १६२, पृ० १०१-१०२।

वारदाते—

प्र० वि०—अमरोहा तहसील में घटित —। खं० १६२, पृ० १००।

वारदातों—

प्र० वि०—नखनऊ जिले में घटित —में संबंधित कार्यवाहियां । खं० १६२, पृ० १८७-१८८।

वार्षिक व्यय—

प्र० वि०—महिला-मंगल-योजना में —। खं० १६२, पृ० २५६-२६१।

विचार—

प्र० वि०—गात्र सभा तथा भूमि-प्रबन्धक समिति के मेम्बेरियों को मिलाने का—। खं० १६२, पृ० २५५-२५६।

प्र० वि०—देवरिया जिले के दुधही में बेत के धरेलू उद्योग को चलाने का—। खं० १६२, पृ० २६१-२६२।

प्र० वि०—पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सरकारी नियुक्तियों के सम्बन्ध में डिप्लोमेटरी इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशों पर—। खं० १६२, पृ० १७६।

विद्यार्थियों—

प्र० वि०—वाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में—की फीस की मुआफ़ी । खं० १६२, पृ० २५३-२५५।

प्र० वि०—राजकीय इन्टर कालेज, मिर्जापुर पर—द्वारा आक्रमण । खं० १६२, पृ० २६३-२६४।

विधेयक—

इंडियन फारेस्ट (यू० पी० लशोधन) —, १९५५। खं० १६२, पृ० २६१-३१६।

[विधेयक]

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन)
—, १९५५। खं० १६२, पृ०
२५-६७, ११२-१५५, १९२-२३८,
२७०-२९१।

उत्तर प्रदेश चर्लाचित्र (विनियमन)
—, १९५४। खं० १६२, पृ०
२१-२५।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधि-
कारियों और सदस्यों, मंत्रियों,
उपमंत्रियों और सभा सचिवों
(के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण
उपबन्धों) का—, १९५५।
खं० १६२, पृ० २५।

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि—,
१९५५। खं० १६२, पृ० २५।

विलम्ब—

प्र० वि०—बनारस जिलान्तर्गत भदोही,
रामनगर, चकिया तहसीलों में
जमींदारी मुआविजा बांड मिलने
में—। खं० १६२, पृ० २५६।

प्र० वि०—सेक्रेटेरियट की अपर डिवीजन
परीक्षा में सफल व्यक्तियों की
नियुक्ति में—। खं० १६२,
पृ० १७५।

विलीन रियासतों—

प्र० वि०—तथा प्रदेश के
राजनीतिक पीड़ितों को समान
सुविधाएं। खं० १६२, पृ० १८८।

विशेषाधिकार—

श्री राजनारायण द्वारा—का प्रश्न
उठाने की सूचना। खं० १६२,
पृ० २६८-२६९।

वी० टी० सी०—

प्र० वि०—जे० टी० सी०, सी० टी०, व
—अध्यापकों का वेतन-क्रम।
खं० १६२, पृ० २६४-२६५।

बीरेन्द्र शाह, राजा—

इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन)
विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ०
३०४, ३०६, ३१२, ३१३-३१४।

१४, विसम्बर १९५५ को सूर्य ग्रहण की
छुट्टी के लिये प्रार्थना। खं० १६२,
पृ० १११-११२।

वृक्षों के काटने—

प्र० वि०—हरद्वार के निकट गंगा नहर
के चंडीरेज में—की शिकायत।
खं० १६२, पृ० १०६।

वेतन—

प्र० वि०—इंटरमीडियेट क्लासेज के
मिलिटरी साइन्स लेक्चरर के
कम—की शिकायत। खं० १६२,
पृ० २६२-२६३।

प्र० वि०—सहकारिता तथा कृषि विभाग
के कामदारों का समान—
करने की मांग। खं० १६२, पृ०
१८७।

वेतन-क्रम—

प्र० वि०—जे० टी० सी०, सी० टी०,
व वी० टी० सी० अध्यापकों का—।
खं० १६२, पृ० २६४-२६५।

वेतन तथा भत्तों—

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के
अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों,
उपमंत्रियों और सभा सचिवों
(के—और प्रकीर्ण उपबन्धों) का
विधेयक, १९५५। खंड १६२,
पृ० २५।

व्यक्तिगत प्रश्न

जगदीश प्रसाद, श्री—

१९४२ के आन्दोलन में शहीद, हरिद्वार
निवासी, श्री जगदीश—के पिता
को पेंशन। खं० १६२, पृ० १८२।

जहान सिंह—

—डाकू की गिरफ्तारी के लिए
प्रयास। खं० १६२, पृ० १७८-
१७९।

बलदेव प्रसाद—

—, अध्यापक से सम्बन्धित
कागजों का जिलाधीश, हरदोई के
आफिस से गायब होना। खं० १६२,
पृ० २६४।

बुद्धराम—

—गाजीपुर जिले में सुलेमापुर निवासी—का वध। खं० १६२, पृ० १७५।

म नसिंह डाकू—

—के परिवार के लोगों की गिरफ्तारी खं० १६२, पृ० १७०।
व (क्रम गत)

भय—

प्र० वि०—महिला मंगल योजना में वार्षिक—। खं० १६२, पृ० २५६-२६१।

प्र० वि०—राजनारायण स्मारक भवन, लखीमपुर पर—। खं० १६२, पृ० ११०।

व्यवस्था—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में दम जूनियर हाई स्कूलों में जनरल साइन्स पढ़ाने की —। खं० १६२, पृ० २६५-२६६।

अजभूषण मिश्र, श्री—

देखिये, “प्रश्नोत्तर”।

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० ६०, २१६, २१७, २१९।

मेक्रेटेरियट की अपर डिवीजन परीक्षा में सफल व्यक्तियों की नियुक्ति में विलम्ब। खं० १६२, पृ० १७५।

अजबिहारी मिश्र, श्री—

देखिये, “प्रश्नोत्तर”।

कार्य स्थगन प्रस्तावों के लिये सप्ताह में एक दिन नियत करने का सुझाव। खं० १६२, पृ० ११२।

सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूछताछ। खं० १६२, पृ० २१।

श

शान्ति प्रपन्न, श्री—

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० १३५।

शिकायत—

अल्पमूचित नगरकिन प्रश्नों का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में—। खं० १६२, पृ० २६७-२६८।

प्र० वि०—इन्टरमीडियेट क्लामेज के निलिटेरी साइन्स लेक्चरर के कम धेतन की —। खं० १६२, पृ० २६२-२६३।

प्र० वि०—कोंच नगरपालिका को प्रदत्त अनुदान के दुरुपयोग के सम्बन्ध में —। खं० १६२, पृ० १०८-१०९।

प्र० वि०—देवरिया जिले में कस्या हवानात में जगह की कमी की —। खं० १६२, पृ० १८२।

प्र० वि०—हरद्वार से निकट गंगा नहर के चंडीमेज में वृक्षों के काटने की —। खं० १६२, पृ० १०६।

शिक्षण—

प्र० वि०—गाजीपुर बिजली कम्पनी के विरुद्ध —। खं० १६२, पृ० १७०-१७२।

शिक्षार्थी—

प्र० वि०—बख्शी तालाब ट्रेनिंग सेन्टर से उत्तीर्ण—। खं० १६२, पृ० २६६।

शिक्षा सुविधाएं—

प्र० वि०—राजनीतिक धोड़ियों को देने के लिए राजाज्ञा। खं० १६२ पृ० ६१-६२।

शिवकुमार शर्मा, श्री—

इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० ३००-३०२।

शिवनारायण, श्री—

इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० ३०२-३०७।

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५। खं० १६२, पृ० १२१-१२२, १२८, १३०, २३५, २८७-२८८।

शिव प्रसाद, श्री—
देखिए “प्रश्नोत्तर” ।

शिवराज सिंह यादव, श्री—
देखिए “प्रश्नोत्तर” ।

शिववक्ष सिंह राठीर, श्री
देखिये ‘प्रश्नोत्तर’ ।

श्रम कल्याण निधि—
उत्तर प्रदेश—विधेयक, १९५५ ।
खं० १६२, पृ० २५ ।

श्रीचन्द्र, श्री—
देखिये “प्रश्नोत्तर” ।

स

सई—
प्र० वि०—जोनपुर जिलान्तर्गत मड़ियाह
तहसील में—की बाढ से हानि ।
खं० १६२, पृ० ६-७ ।

सड़कों—
प्र० वि०—मुरादाबाद जिला बोर्ड को
—के लिये अनुदान । खं० १६२,
पृ० १११ ।

सदन—
—के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में
पूछताछ । खं० १६२, पृ० २१ ।

सदस्यों—
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधि-
कारियों और—मंत्रियों, उप-
मंत्रियों और सभासदियों (के वेतन
तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों)
का विधेयक, १९५५ । खं० १६२,
पृ० २५ ।

सनद—
प्र० वि०—हाटा तहसील में वसगुना
जमा करने वालों की—न मिलना ।
खं० १६२, पृ० १३-१४ ।

सभा त्याग—
असरकारी दिवस में सरकारी कार्य करने
के विरोध स्वरूप श्री राजनारायण

द्वारा— । खं० १६२, पृ०
२६९-२७० ।

सभा सचिवों—

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधि-
कारियों और सदस्यों, मंत्रियों,
उपमंत्रियों और — (के वेतन
तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों)
का विधेयक, १९५५ । खं० १६२,
पृ० २५ ।

समिति—

प्र० वि०—भ्रष्टाचार विरोधी—,
हमोरपुर द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव । खं०
१६२, पृ० १८४-१८५ ।

सम्पूर्णानन्द, डाक्टर—

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की अधिकता को
रोकने की दृष्टि से अल्पसूचित प्रश्नों
के सम्बन्ध में अधिक सुविधायें देने
का सुझाव । खं० १६२, पृ० १९१ ।

सरकारी इस्तहार—

प्र० वि०— —आपने वाले अखबार
तथा रिसाले । खं० १६२, पृ० १०६ ।

सरकारी कर्मचारियों—

प्र० वि०— —के सम्बन्ध में
इन्वेस्टरी बनाने के आदेश । खं०
१६२, पृ० १७९-१८० ।

सरकारी कार्य—

असरकारी दिवस में—करने के
विरोध स्वरूप श्री राजनारायण
द्वारा सभा-त्याग । खं० १६२,
पृ० २६९-२७० ।

सरयू—

प्र० वि०—अयोध्या में—पर पुल
निर्माण का आयोजन । खं० १६२
पृ० १०३-१०४ ।

सहकारिता—

प्र० वि०— —सथा कृषि विभाग के
कामदारों का समान वेतन करने को
मांग । खं० १६२, पृ० १८७ ।

सहायता—

प्र० वि०— आजमगढ़ जिला बोर्ड को बाढ़ पीड़ितों के लिये— ।
खं० १६२, पृ० १००-१०१।

प्र० वि०— ग्राम कटरा दीवान खेरा, जिला उन्नाव में अग्नि-पीड़ितों को— । खं० १६२, पृ० ६-१०।

प्र० वि०— देवरिया जिले की पडरौना तहसील के अन्तर्गत बाढ़-ग्रस्त ग्रामों को— । खं० १६२, पृ० १७-१८।

सिचाई के कार्य—

प्र० वि०— बरेली जिले में— में प्रगति । खं० १६२, पृ० १०७।

सिफारिशों—

प्र० वि०— पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सरकारी नियुक्तियों के सम्बन्ध में डिप्लिनेरी इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट की— पर विचार ।
खं० १६२, पृ० १७६।

सी० टी०—

प्र० वि०— जे० टी० सी०, — व वी० टी० सी० अध्यापकों का वेतन-क्रम । खं० १६२, पृ० २६४-२६५।

सीरदार एवं अधिवासी—

प्र० वि०— परगनाधीश, घोसी, जिला आजमगढ़ को— किसानों के आवेदन-पत्र । खं० १६२, पृ० १४-१५।

सुझाव—

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की अधिकता को रोकने की दृष्टि से अल्पसूचित प्रश्नों के सम्बन्ध में अधिक सुविधायें देने का— । खं० १६२, पृ० १६०-१६२।

कार्य स्थगन प्रस्तावों के लिये सप्ताह में एक दिन नियत करने का— ।
खं० १६२, पृ० ११२।

सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री—

देखिये, “ प्रश्नोत्तर ” ।

मुल्तान आलम खां, श्री—

देखिये “ प्रश्नोत्तर ” ।

सुविधायें—

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की अधिकता को रोकने की दृष्टि से अल्पसूचित प्रश्नों के सम्बन्ध में अधिक— देने का सुझाव । खं० १६२, पृ० १६०-१६२।

प्र० वि०— विलीन रियासतों तथा प्रदेश के राजनीतिक पीड़ितों को समान — । खं० १६२, पृ० १८८।

सूचना—

कानपुर जिले में ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में कथित अनियमितताओं विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की— ।
खं० १६२, पृ० १८६-१६०।

नीलामी के बाद पडरौना चीनी मिल की बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की— । खं० १६२, पृ० १८८-१८६।

बांदा जिले के बबेरू थाने में हुई ज्यादती के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की— । खं० १६२, पृ० १११।

श्री राजनारायण द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की— । खं० १६२, पृ० २६८-२६६।

सूचना विभाग—

प्र० वि०— — की नई नियुक्तियों में अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के व्यक्ति । खं० १६२, पृ० १०४-१०५।

सूर्य-ग्रहण—

१४ दिसम्बर, १९५५ को— की छुट्टी के लिये प्रार्थना । खं० १६२, पृ० १११-११२।

सेक्रेटारियों—

प्र० वि०— गांव-सभा तथा भूमि-प्रबन्धक समिति के— को मिलाने का विचार । खं० १६२, पृ० २५५-२५६।

सेक्रेटेरियेट —

प्र० वि०-----की अपर डिवीजन परीक्षा में सफल व्यक्तियों की नियुक्ति में विलम्ब । खं० १६२, पृ० १७५ ।

स्कूलो—

प्र० वि०-----को मान्यता प्रदान करने के इमरजेंसी पावर्स के नियम । खं० १६२, पृ० २६२ ।

स्टीमर. घाट—

प्र० वि०—गाजीपुर—पर पक्का पुल बनवाने की मांग । खं० १६२, पृ० ११० ।

स्थान—

कामरोको प्रस्ताव का----- । खं० १६२, पृ० २६७ ।

प्र० वि०—तारांकित प्रश्न संख्या ५०-५२ का----- । खं० १६२, पृ० १८३-१८४ ।

स्थानिक प्रश्न

अमरोहा—

-----तहसील में घटित वारदाते । खं० १६२, पृ० १८० ।

अयोध्या—

-----में मरगू पर पुल निर्माण का आयोजन । खं० १६२, पृ० १०३-१०४ ।

अलीगढ़—

बुलन्दशहर ब-----जिलों में गलकूपों के स्थान पर मांट ब्रांच नहर से सिंचाई की मांग । खं० १६२, पृ० ६२-६४ ।

आजमगढ़—

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामीपुर, -----को प्लानिंग योजना के अन्तर्गत अनुदान । खं० १६२, पृ० २५७-२५८ ।

-----जिला बोर्ड को बाढ़ पीड़ितों के लिये सहायता । खं० १६२, पृ० १००-१०१ ।

-----जिले में दस जूनियर हाई स्कूलों में जनरल साइन्स पढ़ाने की व्यवस्था । खं० १६२, पृ० २६५-२६६ ।

इलाहाबाद-

-----में जुए के मामले । खं० १६२, पृ० १६६-१७० ।

कटरा दीवान खेरा—

ग्राम-----, जिला उन्नाव में अग्नि-पीड़ितों की सहायता । खं० १६२, पृ० ६-१० ।

कसया-

देवरिया जिले में-----हवालान में जगह की कमी की शिकायत । खं० १६२, पृ० १८२ ।

कानपुर-

-----में जूही थाने के अन्तर्गत नृशस हत्याओं के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां । खं० १६२, पृ० १७२-१७४ ।

-----रीजन में प्राइवेट मोटर बस चलाने वालों को मार्ग के प्रत्येक थाने में रिपोर्ट लिखाने का आदेश । खं० १६२, पृ० १६ ।

रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप-----में गैर-सरकारी मोटरों की मरम्मत । खं० १६२, पृ० १०-११ ।

कशीनगर-

-----में लगने वाली बिजली को स्थायी रखने की मांग । खं० १६२, पृ० १८०-१८१ ।

कोंच—

-----नगरपालिका को प्रदत्त अनुदान के दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायत । खं० १६२, पृ० १०८-१०९ ।

गांधी ग्राम—

गोंडा जिले में अपराधशील जातियों को बसाने के लिये-----तथा जगन्नाथपुर बस्तियां । खं० १६२, पृ० २६७ ।

गाजीपुर—

-----जिले की गैरसजरा जमीन । खं० १६२, पृ० ८ ।

-----बिजली कम्पनी के विरुद्ध शिकायतें । खं० १६२, पृ० १७०-१७२ ।

—म्युनिसिपल बोर्ड को भंग करने का विचार। खं० १६२, पृ० ५।

—स्टीमर घाट पर पक्का पुल बनवाने की मांग। खं० १६२, पृ० ११०।

गोंडा—

—जिले में अपराधशील जातियों को बसाने के लिये “गांधी ग्राम” तथा “जगन्नाथपुर” बस्तियां। खं० १६२, पृ० २६७।

गोरखपुर—

—जिलाधीश द्वारा वाढ़-पीड़ितों को कपड़ा व गल्ला का वितरण। खं० १६२, पृ० २०।

धोसी—

परगनाधीश—जिला आजमगढ़ की सीरदार एवं अधिवासी किसानों के आवेदन-पत्र। खं० १६२, पृ० १४-१५।

चकिया—

बनारस जिलान्तर्गत भदोही, रामनगर, — तहसीलों में जमींदारी मुआविजा बांड मिलने में विलम्ब। खं० १६२, पृ० २५६।

चिल्हिया—

बस्ती जिले के—थाने के अन्तर्गत घटित चोरियां व डकैतियां। खं० १६२, पृ० १८२-१८३।

जगन्नाथपुर—

—गोंडा जिले में अपराधशील जातियों को बसाने के लिये “गांधी ग्राम” तथा—बस्तियां। खं० १६२, पृ० २६७।

जालौन—

म्युनिसिपल बोर्ड,—की वाटर वर्क्स के लिए मांग। खं० १६२, पृ० १०१-१०२।

जूही—

कानपुर में—थाने के अन्तर्गत नृशंस हत्याओं के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां। खं० १६२, पृ० १७२-१७४।

जौनपुर—

—सहिला-मंगल-योजना की ट्रेनिंग के लिये—जिले से प्रार्थना-पत्र। खं० १६२, पृ० २५८-२५९।

टनकपुर—

—क्षेत्र, जिला नैनीताल में हाथियों द्वारा उत्पात। खं० १६२, पृ० १८३।

तुलसीपुर—

गोंडा जिले में—टाउन एरिया कमेटी का निर्माण। खं० १६२, पृ० ६७।

—, जिला गोंडा में टाउन एरिया निर्माण के कारण पंचायत की समाप्ति। खं० १६२, पृ० ६७-६८।

दुधही—

देवरिया जिले के—मे बेंत के घरेलू उद्योग को चलाने का विचार। खं० १६२, पृ० २६१-२६२।

देवरिया—

—जिले के दुधही में बेंत के घरेलू उद्योग को चलाने का विचार। खं० १६२, पृ० २६१-२६२।

—जिले में अधिवासियों की संख्या। खं० १६२, पृ० १२-१३।

—जिले में कसया हवालात में जगह की कमी की शिकायत। खं० १६२, पृ० १८२।

—जेल से कैदी को विलम्ब से छोड़ने पर आपत्ति। खं० १६२, पृ० १८५-१८६।

नजीबाबाद—

—और सहारनपुर के बीच मालन नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति। खं० १६२, पृ० १०५-१०६।

नैनीताल—

कालाहंगी-आउटर रोड बनवाने के लिये—म्युनिसिपल बोर्ड की मांग। खं० १६२, पृ० १०१।

टनकपुर क्षेत्र, जिला—में हाथियों द्वारा उत्पात। खं० १६२, पृ० १८३।

[स्थानिक प्रश्न]

पंचपेड़वा—

—, जिला गोंडा में खुताब न होना।
खं० १६२, पृ० ६८।

पडरौना—

देवरिया जिले की—तहसील के
अन्तर्गत बाढ़-ग्रस्त ग्रामों को
सहायता। खं० १६२, पृ० १७-१८।

बख्शी तालाब—

—ट्रेनिंग सेण्टर से उत्तीर्ण शिक्षार्थी।
खं० १६२, पृ० २६६।

बड़गांव—

अमेठी तहसील जिला सुल्तानपुर, में
—और विश्वेश्वरगंज के बीच
पक्के पुल की आवश्यकता।
खं० १६२, पृ० १११।

बदायूं—

—जिले में हाट-बाजारों का मुआविजा
खं० १६२, पृ० ८।

बनारस—

—जिलान्तर्गत भदोही, रामनगर,
चकिया तहसीलों में जमींदारी
मुआविजा बांड मिलने में विलम्ब।
खं० १६२, पृ० २५६।

बरेली—

—जिले के अमीन का सरकारी
हपया लेकर पाकिस्तान भाग
जाना। खं० १६२, पृ० ७।

—जिले में सिंचाई के कार्य में प्रगति।
खं० १६२, पृ० १०७।

बलिया—

—जिले में गांवों की भूमि का स्तर
अंचा करने का कार्य। खं० १६२,
पृ० ६६-१००।

बस्ती—

—जिले के कुछ स्थानों के क्षेत्रों में
परिवर्तन करने का आश्वासन।
खं० १६२, पृ० १८६-१८७।

—जिले के चिल्हिया थाने के अन्तर्गत
घटित चौरियां व डकैतियां।
खं० १६२, पृ० १८२-१८३।

बाराबंकी—

—जिले में गोमती नदी के नैपुरा
घाट पर पुल निर्माण की स्वीकृति।
खं० १६२, पृ० १०२।

बुलन्दशहर—

—अलीगढ़ जिलों में नलकूपों के
स्थान पर मांट ब्रांच नहर से सिंचाई
की मांग। खं० १६२, पृ० ६२-६४।

भदोही—

बनारस जिलान्तर्गत—, रामनगर,
चकिया तहसीलों में जमींदारी मुआ-
विजा बांड मिलने में विलम्ब।
खं० १६२, पृ० २५६।

मड़ियाहं—

जौनपुर जिलान्तर्गत —तहसील में
सड़ की बाढ़ से हानि। खं० १६२,
पृ० ६-७।

मिर्जापुर—

—राजकीय इन्टर कालेज,—पर
विद्यार्थियों द्वारा आक्रमण।
खं० १६२, पृ० २६३-२६४।

मुजफ्फरनगर—

गत तीन वर्षों में—जिले में कल्ल और
डकैतियां। खं० १६२, पृ० १८१।

मुरादाबाद—

—जिला बोर्ड की सड़कों के लिये
अनुदान। खं० १६२, पृ० १११।

—में रोडवेज के अस्थायी स्टेशन पर
व्यय। खं० १६२, पृ० १८-१९।

मुहम्मदी—

खीरी जिले की—तहसील में भूदान
यज्ञ में प्राप्त भूमि का वितरण।
खं० १६२, पृ० १५-१७।

मेढौरा—

फतेहपुर जिले में—तथा रायबरेली
जिले में राहपुर में गंगा नदी पर
पुलों की आवश्यकता। खं० १६२,
पृ० ६८-६९।

मोदीनगर—

—ने— इण्डियन कोल्ड स्टोरेज
—के— इण्डियन कोल्ड स्टोरेज की
—के— १६२, पृ० २०

राजीपुर—

जनक— उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
—के— इण्डियन कोल्ड स्टोरेज की
—के— इण्डियन कोल्ड स्टोरेज की
—के— २५७-२५८।

राजेशगंज—

मिर्जापुर जिले में— इण्डियन
इमारत की खराब हालत। खं० १६२,
पृ० १०।

रामनगर—

बनारस जिले में भदोई, —, —,
इफिया तहसीलों में जमींदारी
मुआविजा बांड मिलने से इलाक़ा,
खं० १६२, पृ० २५६।

राहपुर—

फतेहपुर जिले में मेहौरा तथा राधबरेली
जिले में — में गंगा नदी पर
पुलों की आवश्यकता। खं० १६२,
पृ० ६८-६९।

लखनऊ—

—जिले में घटित बारदातों से
संबंधित कार्यवाहियां। खं० १६२,
पृ० १८७-१८८।

—में हंडलवा रोड व दक्षीणतंगंज
बुल्डोजे के नरारी क्वार्टर।
खं० १६२, पृ० ६५-६७।

लखीमपुर—

गणनारायण स्मारक भवन, — पर
व्यय। खं० १६२, पृ० ११०।

विश्वेश्वरगंज—

अमेठी तहसील जिला सुल्तानपुर, में
बड़गाव और— के बीच पक्के
पुल की आवश्यकता। खं० १६२,
पृ० १११।

नर—

—में, जिला आजमाड़ में चक-
वन्दी के कार्य में धर्मचारियों की कमी।
खं० १६२, पृ० ८-९।

नरनपुर—

नजीबाबाद और— के बीच मालन
नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति।
खं० १६२, पृ० १०५-१०६।

नुआसपुर—

—के क्षेत्र को बरेली नगरपालिका
में मिलावने के लिए प्रार्थना।
खं० १६२, पृ० १०७-१०८।

नुनोमपुर—

गजीपुर जिले में— निवासी बुद्धराम
का वध। खं० १६२, पृ० १७५।

दुधीरपुर—

अष्टाचार विरोधी समिति, — द्वारा
स्वीकृत प्रस्ताव। खं० १६२,
पृ० १८४-१८५।

हरदोई—

बलदेव प्रसाद, अध्यक्ष से संबंधित
कागजों का जिलाधीश— के
आकित्त से मायब होना। खं० १६२,
पृ० २६४।

हरद्वार—

—के निकट गंगा नदी के चंडीरेज
में वृक्षों के काटने की शिकायत।
खं० १६२, पृ० १०६।

हाटा—

—तहसील में दसगुना जमा करने
वलों की मतद न मिलना। खं०
१६२, पृ० १३-१४।

हैंदरगढ़

लखनऊ—सुल्तानपुर रेलवे लाइन के कारण
—श्रील के पानी से हानि
खं० १६२, पृ० १०२-१०३।

ह

हत्याओं—

प्र० वि०—कानपुर में जूही थाने के अन्तर्गत नृशंस—के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां । खं० १६२, पृ० १७२-१७४ ।

हवालात—

प्र० वि०—देवरिया जिले में कसया —में जगह की कमी की शिकायत । खं० १६२, पृ० १८२ ।

हाट-बाजारों—

प्र० वि०—बदायूँ जिले में—का मुआविजा । खं० १६२, पृ० ८ ।

हाथियों—

प्र० वि०—टनकपुर क्षेत्र, जिला नैनीताल में—द्वारा उत्पात । खं० १६२, पृ० १८३ ।

हानि—

प्र० वि०—लखनऊ-सुल्तानपुर रेलवे लाइन के कारण हेंदरगढ़ झील के पानी से— । खं० १६२, पृ० १०२-१०३ ।

हिंडन बांध योजना—

प्र० वि०— —के सम्बन्ध में पूछ-लाछ । खं० १६२, पृ० ६४-६५ ।

हैवलक रोड—

प्र० वि०—लखनऊमें—बबशीरत-गंज मुहल्ले के सरकारी क्वार्टर । खं० १६२, पृ० ६५-६७ ।

